(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 8] सप्तम् विधान सभा के आठवें सत्र का इकत्तीसवां दिवस [संख्या 19

बुधवार

दिनांक 4 अप्रेल, 1984

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

श्री हंसराज शर्मा ।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत सवाई माधोपुर में दर्ज मुकदमे

462. श्री हंसराज शर्मा (सवाई-माधोपुर) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत गत 5 सालों में जिला सवाई-माधोपुर में कितने व्यापारियों के खिलाफ मुकदमे बनाये गये ?

(2) क्या यह सही है कि महावीरजी, जिला सवाई माधोपुर में एक तेल विक्रेता के खिलाफ गत सालों में कोई कोर्ट में चालान पेश किया गया था ? यदि हां, तो वह कौन था तथा किस आधार पर चालान किया गया था ?

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त केस कोर्ट से वापस ले लिया गया है ? यदि हां, तो किस के द्वारा तथा किन कारणों से?

राज्य मंत्री, खाद्य एवं आपूर्ति (श्री घासीराम यादव) : (1) गत 5 वर्षों से जिला सवाई माधोपुर में व्यापारियों के खिलाफ 578 केस बनाये गये ।

(2) जी हां । महावीरजी के तेल डीलर श्री निर्मल कुमार डेरोलिया, प्रो. फर्म डेरोलिया ब्रदर्स के विरुद्ध उनके द्वारा डीजल एवं केरोसीन तेल विक्रय में अनियमिततायें पाई जाने के कारण कोर्ट में चालान पेश किया गया था ।

(3) जी हां । राज्य सरकार के द्वारा प्रकरण पर विचार करने पर आरोपित व्यवसायी द्वारा कोई अनियमितता बरतना

(श्री घासीराम यादव)

अथवा कानून का उल्लंघन करना नहीं पाया गया। अतः राज्य सरकार ने न्यायालय से केस वापस लेने के आदेश प्रदान किये।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से एक तो यह जानना चाहूंगा कि केस में क्या-क्या गलतियां थीं जिसके आधार पर कोर्ट में चालान पेश किया? दूसरा, इस प्रकरण को वापस लेने से पूर्व जिस जिला प्रशासन से केस सम्बन्धित है, उसने विथड्रा करने के लिए लिखा है या राज्य सरकर ने केस विथड्रा किया? तीसरी बात यह है कि इस केस की जानकारी करने के लिये किसी अधिकारी को नियुक्त किया गया था? यदि हां, तो उसकी नियुक्ति के बाद उसने क्या रिपोर्ट दी?

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, जिला प्रशासन ने अनियमितता मानते हुए इसका चालान कर दिया। अनियमितता यह बताई गई कि केरोसीन बेचने में गड़-बड़ी थी और लाइट डीजल बेचने में....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : गड़बड़ी यह थी कि पानी मिलाया?

श्री घासीराम यादव : नहीं, गड़बड़ी यह थी कि केरोसीन इन्होंने फर्जी इन्द्राज करके बेच दिया था और डीजल हिन्डौन सब-डिवीजन के बाहर बेच दिया था। यह सन् 1980 की बात है। वहां पर जो एस. डी. ओ. थे उनसे इनका झगड़ा था, वह झूठे चालान करना चाहता था: उनके पिताजी की लिखित में चिट्ठी आई है। मेरे पास भी शिकायत आई है। मैंने सुना तो मुझे लगा कि यह बेगुनाह हैं। जिला प्रशासन ने इनका गलत चालान कर दिया है। मुझे भी दरख्वास्त दी और चीफ मिनिस्टर साहब को भी दरख्वास्त दी। मैंने सुना और सारे के सारे केस को देखा तो मुझे मालम पड़ा कि बेगुनाह हैं। दूसरी फर्म, जिसके बारे में सबूत थे, के खिलाफ जिला प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की। इस पर राज्य सरकार ने आदेश प्रसारित कर दिये कि इस केस को वापस ले लिया जाय। मैंने स्वयं सुना है। लम्बा चौड़ा फैसला लिखा है आप चाहें तो फैसला सुना दूं।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा, जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया, जिला प्रशासन ने विथड्रा करने के लिये लिखा है या आपने अपनी मरजी से लिखा है....

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर आ गया है, माननीय सदस्य।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, 578 केस बनाये गये 18 केसों का चालान पेश किया गया। तो एक ही केस वापस लेने और जांच करने का क्या कारण है?

श्री घासीराम यादव : उनका एस. डी. ओ. से झगड़ा था। आप स्वयं भी, माननीय सदस्य, जानते हैं कि जिला प्रशासन कई

(8)

(श्री घासीराम यादव)

बार गलत केस भी बना देता है। इसलिये मैंने सुना और अपने लेवल पर फैसला किया....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अपना निर्णय करने से पहले एस डी ओ. और कलेक्टर को भी सुना या एकतरफा कार्यवाही की ?

श्री घासीराम यादव : एस.डी.ओ. के निर्णय को देखा। मैंने एस.डी.ओ. और कलेक्टर को नहीं सुना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि आपने पार्टी को सुना लेकिन एस.डी.ओ. और कलेक्टर, जिनके बारे में शिकायत थी, को नहीं सुना कि यह गलत चालान है ?

श्री घासीराम यादव : गलत चालान एस.डी.ओ. द्वारा बनाया गया था. . .

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कलेक्टर की टिप्पणी है क्या ?

श्री घासीराम यादव : नहीं, कलेक्टर की टिप्पणी नहीं है। जो फैक्ट्स हैं, अनियमितता पकड़ी जिनका चालान किया, वह गलत थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कलेक्टर और एस.डी.ओ, जिन्होंने गलत चालान किये, के खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्री घासीराम यादव : डिफेन्स के फैक्ट्स नहीं आये। प्राइमाफेसी केस बनाकर. . .

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

अगला प्रश्न।

श्री हंसराज शर्मा : क्या यह सही है कि यह व्यक्ति, जिसका चालान विथड्रा किया गया, आपकी जिला कांग्रेस कमेटी का सदस्य है और हाउसिंग बोर्ड का मेम्बर है, इसके प्रभाव की वजह से आपने केस विथड्रा किया है ?

श्री घासीराम यादव : यह बिलकुल गलत है। कांग्रेस कमेटी का सदस्य या कोई भी नागरिक. . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : 578 एप्लीकेशन्स आईं, 18 लोगों के चालान पेश किये गये. . .

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायं। अगला प्रश्न।

श्री दाऊदयाल जोशी : एक आदमी का केस विथड्रा किया गया। किसी व्यक्ति को सुना नहीं। केवल जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य होने के कारण. . .

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। अगला प्रश्न। अनुमति नहीं दी जा रही है, माननीय सदस्य।

Page No 4

श्री महावीरप्रसाद जैन (टोंक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एस.डी.ओ. और जिलाधीश को सुना नहीं इसका मतलब यह है कि उसमें मिलावट पाई गई। गलत तरीके से विथड्रा किया गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। विपक्ष के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि केस विथड्रा करने से पहले क्या लॉ-डिपार्टमेन्ट की ओपीनियन ली गई है ?

श्री घासीराम यादव : लॉ डिपार्टमेंट से राय नहीं ली है, मुख्य मंत्री को भेजा है। यह प्रशासनिक विभाग का काम है। विथड्रा करने का राइट हमको है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

स्थान ग्रहण करें। आर्डर, आर्डर। मंत्री महोदय, मैं इजाजत नहीं देता हूं।

श्री घासीराम यादव : 10 पन्ने का फैसला है....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि 10 पेज का फैसला है। उन्होंने फैसले का रेफरेन्स दिया है। मैं चाहूंगा कि उसको सदन की मेज पर रख दिया जाय।

उपनिवेशन मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : कोई जरूरी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं मंगवा लूंगा, आप देख लेना।

प्रश्न संख्या 463

श्री रामकृष्ण बैरवा।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

श्री आत्माराम

राजस्थान नहर व भाखरा की मण्डियों के लिए मण्डी निगम

464 श्री आत्माराम (हनुमानगढ़) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान नहर व भाखरा की मण्डियों के लिये एक मण्डी निगम बनाने का विचार नौ साल से अधिक अवधि से राज्य सरकार के विचाराधीन है ? क्या इस बीच में इन मण्डियों का विकास अवरुद्ध है व नाजायज कब्जे हो रहे हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार इन मण्डियों को नगरपालिकाओं को देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो निर्णय कब तक लिया जावेगा ?

उपनिवेशन मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) (1) जी हां। राजस्थान नहर एवं भाखरा नहर की मण्डियों के लिए एक मण्डी विकास निगम के गठन का मामला अनेक वर्षों से राज्य सरकार के विचाराधीन है। उक्त कारण से किसी भी मण्डी में विकास कार्य अवरुद्ध नहीं हुआ है। जहां तक नाजायज कब्जों का सम्बन्ध है, यह नाजायज कब्जे

(श्री चन्दनमल वैद)

हुए हैं लेकिन सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध निरन्तर कार्यवाही की जाकर उन्हें वेदखल किया जाता रहा है।

(2) राज्य सरकार ने अपने आदेश संख्या एफ 6(12) रेव/83 दिनांक 18–11–83 द्वारा यह तय किया है कि राजस्थान एवं भाखरा नहर परियोजना क्षेत्र की मण्डियों की भूमि नगर पालिकाओं को हस्तान्तरित नहीं की जावेगी।

श्री आत्माराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो मण्डी समिति है इसकी मीटिंग पांच-दस साल से नहीं हो रही है और न कोई विकास के लिए पैसा ही मिल रहा है। वहां पर भाखरा और राजस्थान कैनाल की जमीन है। समिति की कोई मीटिंग नहीं होती। वहां पर करोड़ों की वस्ती है। यह सोचने वाली बात है। इसकी कोई प्रोपर व्यवस्था होनी चाहिये। वहां पर हिन्दुस्तान पाकिस्तान बना हुआ है। म्यूनिसिपल बोर्ड कहता है कि हमारा एरिया नहीं है, नगर विकास न्यास कहता है कि हमारा नहीं है। कोई कुत्ता भी मर जाय तो उसको उठाने वाला नहीं है। यह कब तक चलेगा ? तय यह हुआ था कि इस क्षेत्र का विकास करके जमीन म्यूनिसिपल बोर्ड को दे दी जायगी। तीस साल तक यहां कोई विकास नहीं हुआ। यह कब हो जायगा ? म्यूनिसिपल बोर्ड को कब तक आप देंगे ? इसमें अब तक कितना पैसा खर्च हुआ ? इन बातों का उत्तर दिलाया जावे।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मण्डी समिति की मीटिंग बराबर होती रहे इसका अब इन्तजाम कर दिया गया है। यह मीटिंग अभी मार्च में हुई है। यह बात सही है कि पहले मीटिंग नहीं हुई थी। लेकिन अब इस तरह की व्यवस्था कर दी गई है जिससे विकास का कार्य अवरुद्ध न हो। अब हमने फैसला कर दिया है कि नगरपालिका या नगर विकास न्यास के पास विकास का कार्य है और मण्डी की जमीन लेना चाहें तो एरिया डवलपमेन्ट कमिश्नर के मार्फत प्रस्ताव भेजें अगर उचित समझा गया तो उस जमीन को हस्तान्तरित कर दिया जायगा। अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जब कभी प्रस्ताव आयेगा तो निश्चित तौर पर हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और उनको जमीन देंगे। जहां तक आपने यह पूछा कि मण्डी के विकास के लिए कितनी धनराशि खर्च करना चाहते हैं, इसके आंकड़े तो अभी मेरे पास नहीं हैं, इस पर जब आगामी 12 तारीख को चर्चा होगी उस समय माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं उपलब्ध करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री बाबूलाल बैरवा, श्री गोपाल पचेरवाल।

कठूमर उप-तहसील को क्रमोन्नत करना

465. **श्री बाबूलाल बैरवा** (कठूमर) **एवं श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला अलवर की कठूमर उप-तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने

(श्री बाबूलाल बैरवा)

का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) तहसील कायम करने के लिए क्या मापदण्ड निधारित है ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री जयकृष्ण शर्मा): (1) जी नहीं। क्योंकि सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत राज्य में 6 नई तहसीलें स्थापित करने का प्रावधान था जो स्थापित की जा चुकी हैं।

(2) प्रस्तावित तहसील की कुल जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामों की संख्या, पटवार हलकों की संख्या, क्षेत्रफल, प्रस्तावित तहसील मुख्यालय की भौगोलिक स्थिति, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र व आवागमन के साधनों का अभाव आदि महत्वपूर्ण बिन्दुओं को आधार मानकर परीक्षण किया जाता है।

श्री बाबूलाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, कठूमर एक बहुत बड़ी तहसील है और अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र है। क्या राज्य सरकार इसको क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अभी बताया, यह बात सही है कि कठूमर उप तहसील में 84 ग्राम पंचायतें हैं परन्तु जनसंख्या के आधार पर एक को छोड़कर कहीं भी ऐसी तहसील नहीं बनाई गई जहां जनसंख्या कम है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आयेगा तब विचार करेंगे।

श्री बाबूलाल बैरवा : अभी बानसूर और लक्ष्मणगढ़ तहसील बनाई गई है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : ये तहसीलें तो स्टेट के टाइम की बनी हुई हैं।

श्री बाबूलाल बैरवा : जनसंख्या तो ज्यादा है। आप आश्वासन तो दे दें।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं, राजस्थान के अन्दर जो तहसीलों का गठन किया गया है एक पंचायत समिति, एक तहसील, एक विधान सभा क्षेत्र में विकास की दृष्टि से जनहित में बनाने का विचार है या नहीं ताकि उस क्षेत्र का समान रूप से विकास हो सके ? जनहित की दृष्टि से भी यह उचित होगा।

राजस्व मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सुझाव यों तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन राजस्थान में भौगोलिक स्थिति को देखते हुए और प्रशासनिक दृष्टि से यह संभव नहीं है। जो तहसीलें कायम की गई हैं उनमें भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, पटवार सर्कल, आवागमन के साधन, आर्थिक स्थिति आदि को आधार माना गया है। इन तहसीलों का निर्माण उस स्थिति में होगा जब आठवें वित्त आयोग की रिपोर्ट हमको मिल जायगी।

श्री अध्यक्ष : आपका कहना है कि प्रत्येक तहसील के लिए एक पंचायत समिति, एक तहसील और एक विधान सभाई क्षेत्र हो सके तो उचित होगा।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि यह एक ऐसा प्रश्न है जो अभी विचाराधीन नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। अगला प्रश्न। श्री सुजानसिंह।

ग्राम खोहरी एवं बिजोरावास में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलना

466. **श्री सुजानसिंह यादव** (बहरोड़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार वर्ष 1984–85 में ग्राम खोहरी एवं बिजोरावास में छात्र संख्या के आधार पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती कमला) : वर्ष 1984–85 में विद्यालय खोलने हेतु अभी नीति निर्धारित नहीं हुई है।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह तो मुझे मालूम था कि मन्त्री महोदया ऐसा ही जवाब देंगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में ये दो बड़े गाँव हैं, यहां पर उच्च प्राथमिक विद्यालय होना अनिवार्य है। क्या राज्य सरकार इन गांवों में प्राथमिकता के आधार पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने माननीय सदस्य को अवगत कराया, 1984–85 में 600 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का प्रावधान रखा गया है उन विद्यालयों को खोलते समय किस प्रकार का आधार रखा जाय, आज की स्थिति को देखते हुए अभी निर्णय नहीं लिया गया है। यह प्रश्न जब आयेगा तो हम विचार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। सुश्री पुष्पा जैन।

राज्य में पब्लिक प्रोसीक्यूटर व गवर्नमेंट एडवोकेट के पदों पर नियुक्ति

467 **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में एक अप्रेल 1981 से अब तक किस-किस जिले में पब्लिक प्रोसीक्यूटर एवं गवर्नमेंट एडवोकेट के पदों पर किन-किन व्यक्तियों की नियुक्ति की गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस नियुक्ति से पूर्व जिलाधीश एवं अन्य जिला अधिकारियों से एडवोकेट्स का पैनल मांगा गया था ? यदि हां, तो नियुक्त किये गये पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स एवं एडवोकेट्स में से किन-किन का नाम ऐसे पैनल में नहीं है ?

(3) क्या यह सही है कि पैनल में जिस क्रम से नामों की अनुशंसा की गई थी उस क्रम के अनुसार नियुक्तियां नहीं की गई ?

विधि मंत्री (श्री अहमदबक्श सिंधी) : (1) दिनांक 1-4-81 से राजस्थान राज्य में विभिन्न जिलों में अब तक लोक अभियोजक पदेन राजकीय अधिवक्ता के पदों पर की गई नियुक्तियां संलग्न तालिका के

(श्री अहमदबक्श सिंधी)
अनुसार की गई है। तालिका की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। सभी नियुक्त किये गये पीं. पी. एवं जी. पी. के नाम पैनल में हैं।

(3) यह सही नहीं है। पैनल में जिस क्रम से नामों की अनुशंसा जिलाधीश द्वारा की जाती है उस क्रम के अनुसार नियुक्तियां करना आवश्यक नहीं है। पैनल में वर्णित सभी अधिवक्तागण के बायोडेटा (जीवन वृत्त) उनकी योग्यता, अनुभव आदि को ध्यान में रखकर उक्त पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं।

(तालिका के लिए परिशिष्ट 1 देखें)

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि पब्लिक प्रोसीक्यूटर और गवर्नमेंट एडवोकेट की जब नियुक्ति की जाती है तो कोई प्रक्रिया निर्धारित की जाती है क्या ? क्या उस प्रक्रिया का सार्वजनिक रूप से प्रकाशन किया गया है ?

श्री अहमद बक्श सिन्धी : इसके लिए जो प्रक्रिया निर्धारित है वह सी.आर.पी.सी. में दर्ज है।

सुश्री पुष्पा जैन : वह कौन से सैक्शन में है, आप पढ़ दें।

श्री अहमद बक्श सिन्धी : पब्लिक प्रोसीक्यूटर के लिए दफा 12 में दर्ज है, आप कहें तो पढ़ कर सुना दूं।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) हां साहब, पढ़ दो।

श्री अहमद बक्श सिन्धी : हां पढ़ देता हूं :

(व्यवधान)

उपनिवेशन मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : आप दोनों ही वकील हैं।

श्री अहमद बक्श सिन्धी : पढ़ देता हूं।

"All appointments of the Public Prosecutors shall be made by Government. Government may call for recommendations for these posts from the District Magistrate at the headquarters at the sessions division or other area concerned. The District Magistrate shall then consult the District Sessions Judge Semi-officially and submit the latter's opinion alongwith his opinion and also a list of pleaders practising in his district direct to Government.

श्री यदुनाथसिंह : समझ में नहीं आया।

श्री अहमद बक्श सिन्धी : इसमें ऐसा दिया हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट जज से राय लेकर बाद में पैनल तैयार करता है उसके बाद में राज्य

(श्री अहमद बक्श सिन्धी)
सरकार के पास वह भेजा जाता है। उसमें जो नाम होते हैं उनमें से एक आदमी का अपाइन्टमेन्ट किया जाता है। उसमें योग्यता व अनुभव भी राज्य सरकार देखती है। उसके बाद में अपाइन्टमेन्ट देती है।

सुश्री पुष्पा जैन : क्या यह सही है कि जिन लोगों की नियुक्तियां की गयी हैं उसमें कई नामों पर लॉ डिपार्टमेन्ट ने अपनी राय उनके विरुद्ध दी फिर भी आपने उनकी नियुक्ति करदी ?

दूसरा, 30 लोगों में से आपने 20 लोगों की सेवायें समाप्त करदीं। जिन लोगों की सेवायें समाप्त की गयी हैं उनमें जो गवर्नमेंट एडवोकेट्स या पब्लिक प्रोसीक्यूटर थे उनकी कोई शिकायत राज्य सरकार के पास नहीं थी फिर भी उनकी सेवायें समाप्त करदी गयीं ? उसके बाद में आपने दूसरे लोगों की नियुक्ति की है।

श्री अहमद बक्श सिन्धी : अध्यक्ष महोदय, पब्लिक प्रोसीक्यूटर की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया अलग है और गवर्नमेन्ट एडवोकेट की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया अलग है, मोहतरमा।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्या मोहतरमा?

श्री अहमद बक्श सिन्धी : यह मोहतरमा ही हैं, यह तो आदरणीय हैं।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि गवर्नमेन्ट एडवोकेट और पब्लिक प्रोसीक्यूटर की नियुक्ति के लिये अलग-अलग प्रक्रिया हैं। आपने बताया कि लॉ डिपार्टमेन्ट ने उनके विरुद्ध राय दी है। तो लॉ डिपार्टमेन्ट तो हम खुद ही हैं, हम अपने विरुद्ध राय कैसे देंगे और हमारे विरुद्ध लॉ डिपार्टमेन्ट क्या राय देगा।

श्री चन्दनमल बैद : बहुत अच्छा।

सुश्री पुष्पा जैन : लॉ डिपार्टमेन्ट से मेरा मतलब लॉ सेक्रेटरी से है।

श्री अहमद बक्श सिन्धी : नहीं अब तक हमने उनकी राय के विरुद्ध काम नहीं किया है, न ही आइन्दा करेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को पूछना चाहूंगा कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 25 की उपधारा (3) के अनुसार पैनल तैयार किया जाता है, उसके अन्तर्गत डिस्ट्रिक्ट जज से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राय लेकर पैनल तैयार करता है उसके बाद में राज्य सरकार को नामों का पैनल भेजा जाता है तो क्या इसमें उसके अनुसार काम किया गया है ?

श्री अहमद बक्श सिन्धी : जब यह मेण्डेटरी प्रोविजन है तो डिस्ट्रिक्ट जज से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राय लेकर ही पैनल भेजेगा। यह तो प्रिज्यूम्ड है कि राय ली होगी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : पैनल जो बनाया है उसमें जो नाम भेजे गये थे उसमें कुछ फर्क है।

(व्यवधान)

श्री अहमद बक्श सिन्धी : क्या कहा, दुबारा कहिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसके अन्दर कुछ फर्क है....

(व्यवधान)

श्री अहमद बक्श सिन्धी : कृपया सुनने दीजिये। इसमें ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, फिक्स टर्म होती है। पहले जो नियुक्ति दी जाती है वह 6 महीने के लिए दी जाती है वह एडहाक नियुक्ति दी जाती है उसके बाद में उसकी काम की रिपोर्ट मांगी जाती है। उस रिपोर्ट के अनुसार उसका परफार्मेन्स जैसा रहा, अगर अच्छा परफार्मेन्स होता है तो उसे तीन साल तक के लिये रख सकते हैं। तीन साल बाद में नया पैनल मंगाते हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री अहमद बक्श सिन्धी : और यह बात भी है कि कलेक्टर पैनल भेजता है, हमारी मरजी है कि हम उसके पैनल को मानें या नहीं मानें और दूसरा पैनल मंगायें।

श्री भंवरलाल शर्मा : इस मामले में पैनल क्लेक्टर ने भेजा था। इसमें जो आपने नियुक्ति दी है वह अलग-अलग जिलों के लिये दी है। इसका क्या प्रोसिजर है, यह वह भेजते हैं या आप मंगाते हैं?

श्री अहमद बक्श सिन्धी : जब जरूरत पड़ती है तो वैकेंसी के अनुसार पैनल मंगा लेते हैं। वहां वैकेन्सी हो जाती है तो उन्हें जरूरत होती है तो वह भेजते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : इस मामले में क्या हुआ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि उदयपुर जिले में जो पैनल भेजा गया है उसको आप पढ़ दीजिये।

श्री अहमद बक्श सिन्धी : यह बात, अध्यक्ष महोदय, बिलकुल अलग है। अलग से प्रश्न है। इसके बायोडेटा मेरे पास नहीं हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मेरा तो इतना ही निवेदन है कि उदयपुर से जो पैनल आया है क्या वह डिस्ट्रिक्ट जज उदयपुर ने भेजा है।

श्री अहमद बक्श सिन्धी : यह आप कब की बात कर रहे हैं, कौन से सन् की बात कर रहे हैं, उदयपुर में कब की बात कर रहे हैं?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सन् 81 की बात कर रहा हूं।

श्री अहमद बक्श सिन्धी : उसकी फाइल अभी मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या जिन लोगों की इसमें नियुक्तियां हुई हैं उसमें लॉ सैक्रेटरी ने कुछ नामों के लिए विपरीत राय दी थी ? ऐसे व्यक्ति कौन-कौन थे ?

श्री अहमद बक्श सिन्धी : कोई अलग राय नहीं दी ।

श्री अध्यक्ष : यह उनका आन्तरिक मामला है। अगला प्रश्न। श्री राजबहादुर।

स्वाधीनता आन्दोलन की सामग्री पाठ्य-पुस्तकों में रखना

468. **श्री राजबहादुर (भरतपुर)** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) समाचार पत्रों में "स्वाधीनता आंदोलन की सामग्री पाठ्य पुस्तकों में रखी जायेगी," शीर्षक से छपे समाचार के संबंध में राज्य सरकारो की क्या नीति है और ऐसी नीति को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यक्रम रखा गया है ?

(2) वह सामग्री किन-किन आधारों एवं स्त्रोतों में संकलित की जावेगी ? स्वाधीनता आन्दोलन का वास्तव में सच्चा और निष्पक्ष इतिहास राजस्थान के तत्कालीन रजवाड़ों के सम्बन्ध में बन सके और पुस्तकों में रखा जा सके इस हेतु क्या-क्या माध्यम तथा साधन और प्रक्रिया निर्धारित की गई है ?

(3) ऐसा इतिहास वास्तव में निष्पक्ष हो एवं ठोस तथ्यों पर ही आधारित हो, इस हेतु क्या इतिहास के विशेषज्ञों और विद्वानों को जिनका स्वयं उक्त आंदोलन से सम्बन्ध न रहा हो, यह कार्य सौंपा जायेगा ? यदि नहीं, तो वह कार्य किसको सौंपा जायेगा ?

शिक्षा मन्त्री (श्रीमती कमला) : (1) राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि स्वाधीनता आन्दोलन से सम्बन्धित विषय वस्तु को प्राथमिक कक्षा से लेकर उच्च माध्यमिक कक्षा तक पाठ्यक्रम पुस्तकों में सम्मिलित किया जायेगा। इस हेतु शिक्षा मन्त्रीजी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जो पाठ्यक्रम का निर्धारण कर विषय सामग्री तैयार करेगी।

(2) स्वाधीनता आन्दोलन से सम्बन्धित सामग्री संकलित कर स्वीकृत पाठ्यक्रम अनुसार पाठ लिखवाने का कार्य इस समिति द्वारा करवाया जा रहा है ।

(3) शिक्षा मन्त्रीजी की अध्यक्षता में गठित समिति में राज्य के विभिन्न संभागों के आदरणीय स्वतन्त्रता सेनानियों, विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष तथा कुछ अधिकारियों को सदस्य नियुक्त किया गया है।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, स्वतन्त्रता आन्दोलन के सेनानियों के नामों का निष्पक्ष संकलन ठोस तथ्य और आधारों पर होना चाहिये। मैं पूछना चाहता हूं कि आप अगर उनको किसी विभाग के लेखक या किसी समिति के सदस्यों के द्वारा लिख-

(श्री राजबहादुर)

वाना चाहेंगे तो बहुत सम्भव है कि उनको स्वतन्त्रता आन्दोलन के बारे में कुछ तथ्य ध्यान ही न हो। बहुत से तथ्य ऐसे हो सकते हैं जिनकी जानकारी हो और बहुत से ऐसे हो सकते हैं जिनकी जानकारी नहीं हो। इन्सान, इन्सान है इसलिए विशेषज्ञ के द्वारा सामग्री इकट्ठी की जाये, जिससे पता चले कि कौन-कौन सी सामग्री कौन-कौन से पाठ्यक्रम में रखी जाये। मैं नीति के आधार पर जानना चाहता हूं, आपने यह कहा है हम विषय वस्तु का संकलन कर रहे हैं, कितना तैयार करेंगे, कौन तैयार करेगा ?

दूसरा, आपने कहा है कि हम विषय सामग्री को इकट्ठा करेंगे, विख्यात स्वतंत्रता सैनानी बहुत से हो सकते हैं, बहुत से नहीं हो सकते हैं। ऐसे कौन हैं, कौन नहीं हैं। इसलिए मेरा आपको सुझाव है कि आप विशेषज्ञों द्वारा इस चीज को तैयार करवायें जिससे कलर्ड वर्शन न हो। वरना होता यह है कि आप पत्र भेजते हैं उनको, जो स्वतन्त्रता सेनानी नहीं हैं। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जो स्वतन्त्रता सैनानी नहीं हैं लेकिन उनको स्वतन्त्रता सैनानी बताया गया है। मैं यहां नाम नहीं लेना चाहता। इसलिए आप आने वाली पीढ़ी के लिये एहतियास बरतेंगी और विशेषज्ञों के हाथों यह कार्य करवायेंगी। केवल समिति के हाथ में सौंप देने से काम नहीं चलेगा।

तीसरा, मैं यह जानना चाहता हूं, आपने कहा है समिति यह काम करेगी, यह किस से पूछ कर करेगी, यह बताया नहीं है।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, यह हमारे सामने बहुत ही चिन्तनीय विषय रहा है और इस बात की पूरे तौर से संतुष्टि करके ही इस काम को करना चाहते हैं। हमें इसमें उतनी ही चिन्ता है जितनी माननीय सदस्य को है। इतना हम जानते हैं कि जिस किसी से लिखवाया जाता है, जिन्होंने लिखा है उनमें से किसी को भी पूरे राजस्थान के बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए जो कुछ प्रकाशित होगा, आज भी जिनसे हम लिखवायेंगे वह भी उसी प्रकार से है कि उनको अगर पूरी जानकारी है तो लिखें। इस बात की पूरे तौर से सम्भावना और आशंका को ध्यान में रखकर हमने इस बात की व्यवस्था की है कि इस कमेटी के सदस्यों की अलग-अलग उपसमितियां बनाई। इनमें स्वतन्त्रता सैनानियों को भी लिया है। यह हमने तीन समितियां बनाई है। पहली समिति प्री-प्राइमरी से पाँचवी तक और दूसरी समिति आठवीं क्लास तक और तीसरी समिति उससे आगे वाली कक्षाओं के लिए है जो इस प्रकार का इतिहास तैयार करने का काम, उनको मार्गदर्शन देने का काम करेगी।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्रीमती कमला : इसमें भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आखिरी काम किया है वह यह है कि यह सदस्य खुद गाइड करेंगे। यह तमाम सामग्री जहां से उपलब्ध की जा सकती है, करेंगे। चाहे लाइब्रेरी से, चाहे स्टेट आर्काइव्ज से, चाहे नेहरू संग्रहालय से

(श्रीमती कमला)

जितनी भी सामग्री उपलब्ध होगी सबके लिए लेकर लेखकों को अलग-अलग तैयार किया गया है जिनको यह समितियां गाइड करेंगी कि आप इतिहास की पुस्तकें घटनाओं के साथ लिखें, इस तरह से लिखें कि विभिन्न स्वतन्त्रता सैनानियों, जो अग्रणी, रहे हैं, का सन्दर्भ आये। तीनों पुस्तकों में तीनों चीजें रखी जायेंगी। यह सारा ड्राफ्ट तैयार करने के बाद आप जैसे माननीय सदस्य और जो बाहर सदस्य हैं इस सदन के, उनसे वैरीफाई करवाकर उस इतिहास को लिखा जायेगा। मैं इस बात से पूर्ण सहमत हूं अगर गलती रह जाती है कि किसी व्यक्ति को ज्ञान नहीं है और उससे यह लिखवाया जाता है तो यह गलत है। इससे उस स्वतन्त्रता सैनानी, जिसके बारे में लिखा जा रहा है, की घटनाओं की अहमियत बेकार हो जाती है। इस तरह का कार्य गलत व्यक्ति को नहीं देंगे। ऐसी हम चेष्टा कर रहे हैं कि यह न हो। राजस्थान में जितने स्वतन्त्रता सैनानी हैं उनकी मदद लेकर, सलाह लेकर हम यह काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री सुरजा राम।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और करूंगा। मैं जानता हूं, मुझे इस बात से संतोष है कि आपका दृष्टिकोण लगभग ठीक है। मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरा मानना यह है कि सामग्री का संकलन अन्वेषण पर निर्भर करता है, इसके अलावा वह निर्भर करता है आदमी की खुद की मेहनत पर। मैं जानना चाहता हूं कि आपने जो शब्द इस्तेमाल किया है "विषय वस्तु का संकलन" क्या वह काम विशेषज्ञों को देंगे या स्वतन्त्रता सैनानियों को देंगे, यह क्लीयर होना चाहिए।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, संकलन का काम....

श्री राजबहादुर : दूसरा, आपने कहा कि स्टेट आर्काइव्ज से लेंगे। उसमें बहुत-सी सामग्री ऐसी है जो आपकी जानकारी में और विशेषज्ञों की जानकारी में हो सकती है लेकिन आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को भी साथ लें। आप चाहती हैं कि कलर्ड वर्शन न हो तो निश्चित रूप से आपको विशेषज्ञों के हाथ में इसको देना चाहिए। इसके बारे में आप कोई आश्वासन देने की स्थिति में हैं या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : जो जागीरदार हैं उनका भी इतिहास में नाम होना चाहिए। उनका भी इतिहास लिखना चाहिए।

श्रीमती कमला : जो माननीय सदस्य कह रहे हैं और जो नहीं कह रहे हैं लेकिन जिनके मनों में भावना है कि किसी भी व्यक्ति को उसके कार्य-कलाप के अनुरूप प्रस्तुत किया जाना चाहिए और कुछ छूटना नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने कहा है कि हमने अपील भी की है उनके पास जो भी सामग्री है, जो भी जानकारी है, वह बताना चाहते हैं, देना चाहते हैं तो वह हमारी समिति को दे दें। उनके बारे में तारीख और स्थान हम निश्चित करेंगे जिससे वह हमें बता सकें।

Page No 14

(15)

(श्रीमती कमला)

दूसरा यह है, जिनको हमने समिति का सदस्य बनाया है रूपरेखा तैयार करने के लिए, सामग्री कहां-कहां से मिल सकती है इसमें मदद के लिए वह और किसी को लेना चाहें तो आमंत्रित कर सकते हैं। लिखने का काम उनसे हम करवा रहे हैं, मार्ग-दर्शन देते हुए कि पहली क्लास के लिए हमें इस-इस तरह की यह सामग्री लिखवानी है, आप उसका प्रारूप तैयार करके लाओ। हम देखेंगे उसके बाद हम फाइनल करेंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री सुरजा राम। 469।

तहसील नोखा के लिए आवंटित आवश्यक वस्तुएं

469. **श्री सुरजाराम टाक** (नोखा) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील नोखा के लिए जनवरी, 1982 से फरवरी, 1984 तक जिला रसद अधिकारी, बीकानेर से कितना सीमेंट, चीनी एवं गेहूं के आवंटन की मांग की गई और जिला रसद अधिकारी द्वारा उक्त अवधि में उक्त तहसील के लिए कुल कितनी सीमेंट, गेहूं एवं चीनी का आवंटन किया गया ?

(2) क्या सरकार बीकानेर जिले के किसानों एवं गरीब पिछड़े तबके के मजदूरों को खाद्य वस्तुएं, डीजल तथा सीमेंट आदि अनुदान देकर सस्ते दामों पर उपलब्ध करायेगी ?

राज्य मंत्री, खाद्य एवं आपूर्ति (श्री घासीराम यादव) : (1) तहसील नोखा के लिए जनवरी, 1982 से फरवरी, 1984 तक जिला रसद अधिकारी, बीकानेर को किसी अन्य अधिकारी द्वारा चीनी, गेहूं एवं सीमेंट आवंटन हेतु कोई मांग नहीं की गई। जिला रसद अधिकारी, बीकानेर द्वारा ही क्रमशः जनसंख्या एवं उपलब्धता के आधार पर निम्नलिखित वस्तुओं का उपरोक्त अवधि में वितरण हेतु आवंटन किया गया :–

चीनी	1917.6 टन
गेहूं	5080.0 टन
सीमेंट	1052.0 टन

(2) इस प्रकार की कोई योजना सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

श्री सुरजाराम टाक : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में गेहूं, पॉम आयल की दिक्कत है। इसमें बताया है कि सन् 1982–83 में चीनी 1068 टन, सीमेंट 300, कुछ टन, इसी तरह से 1983 में 321 टन सीमेंट दी गई। अध्यक्ष महोदय, जो खाद्य वितरण की प्रणाली है उससे आम उपभोक्ता को कोई राहत नहीं मिलती। सीमेंट और चीनी का जो कोटा है उसका उसको पता ही नही चलता कि कब कोटा आया और कहां गया। यह भी कइयों को पता नहीं कि सरकार की ऐसी व्यवस्था है कि यह चीज हमको मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, इस तरह की व्यवस्था में परिवर्तन करके आप अच्छी व्यवस्था करायें जिससे उपभोक्ता को लाभ मिले।

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, पाम आयल का सवाल नहीं है। पाम आयल का तो दो दिन पहले प्रश्न आया था उस दिन आप आये नहीं थे। आज तो गेहूं चीनी का ही है। सीनेन्ट के बारे में उन्होंने बताया है, मेरे पास आकड़े हैं 1982 में 415 टन नोखा तहसील को मिला है और इसके दूसरे साल में 335 टन मिला है। अगर कोई शिकायत हो तो माननीय सदस्य मुझे बता दें या जिला रसद अधिकारी को बता दें उसकी जांच कर लेंगे।

श्री सुरजाराम टाक : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए काफी लोगों की शिकायतें आई थीं।

श्री अध्यक्ष : उत्तर आ गया है, माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर।

श्री सुरजाराम टाक : माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं कि हमारे पास शिकायत नहीं आई है....

श्री घासीराम यादव : आपने कोई भेजी हो या किसी और ने भी भेजी हो तो बता दें।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री देवी सिंह भाटी।

राजस्थान में पर्यटन विभाग के अन्तर्गत संचालित पर्यटन केन्द्र

470. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में पर्यटन विभाग के अन्तर्गत कुल कितने पर्यटन केन्द्र संचालित हैं? कृपया जिलेवार केन्द्रों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार की पर्यटन विकास हेतु अन्य जिलों में पर्यटन केन्द्र स्थापित करने की योजना है? यदि हां, तो कौन कौन से जिलों में कहां-कहां केन्द्र स्थापित करना प्रस्तावित है?

(3) क्या राज्य सरकार जिला बीकानेर के दर्शनीय स्थल देशनोक, करणी मन्दिर में पर्यटकों व दर्शनार्थियों की भारी संख्या को देखते हुए पर्यटक विश्राम गृह बनाने तथा पर्यटन स्थल निर्धारित करने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या राज्य सरकार बीकानेर जिले के तीर्थ स्थल कोलायत पर मिडवे बनाने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्री बुलाकीदास कल्ला) : (1) विभाग के अन्तर्गत कोई पर्यटन केन्द्र नहीं है।

(2) जी नहीं।
(3) जी नहीं।
(4) जी नहीं।

श्री देवीसिंह भाटी : बीकानेर के होकर, जी नहीं, जी नहीं कहते हो। जी हां, जी हां करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी लेना चाहता हूं कि देशनोक में औसतन एक वर्ष में कितने टूरिस्ट पहुंचते हैं?

Page No 16

(16)

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर जो लोग आते हैं उनमें से अधिकांश देशनोक भी जाते है। अभी 1983 में 71269 स्वदेशी पर्यटक बीकानेर देखने आये थे उनमें से अधिकांश देशनोक भी देखने गये। 8438 विदेशी पर्यटक बीकानेर आये। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, मैं बताना चाहता हूं कि देशनोक में कोई भी व्यक्ति रुकता नहीं है। देशनोक बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। अधिकांश पर्यटक बीकानेर में ही रुकते हैं। बीकानेर में पर्यटन विभाग की ओर से ढोलामारू विश्राम गृह बनाया हुआ है। अधिकांश यात्री दर्शन करके वापस आते हैं इसलिए वहां पर्यटन विश्राम गृह की आवश्यकता नहीं है। स्वदेशी पर्यटकों का जहां तक सवाल है, पहले से ही वहां पर धर्मशालायें और दूसरी सुविधायें उपलब्ध हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : क्या मंत्री महोदय, देशनोक में कोई कैफेटेरिया बनाने का विचार रखते हैं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, यह पर्यटन विकास निगम के ऊपर निर्भर करता है। संचालक मण्डल के सदस्य यदि वहां की आवश्यकता को उचित समझेंगे तो इस संबंध में वह निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : क्या विभाग ने निगम को ऐसी कोई सिफारिश की है कि देशनोक में कैफेटेरिया बनाया जाये ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आज के दिन भी....

श्री अध्यक्ष : मुख्य प्रश्न से हटकर आप प्रश्न पूछ रहे हैं। माननीय सदस्य, मुख्य प्रश्न के उत्तर में ना आ गया इसलिए आवश्यकता नही है। कृपया बैठ जायें।

श्री देवीसिंह भाटी : क्या कैफेटेरिया बनाने के लिए विभाग ने कोई सिफारिश की है ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री पीरू राम।

श्री देवीसिंह भाटी : क्या कोलायत पर मिडवे के लिए भी कोई प्रपोजल है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री पीरू राम। अगला प्रश्न पुकार लिया है।

श्री देवीसिंह भाटी : कोलायत के बारे में पूछना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। मिडवे का नाम दे **दिया है**।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं मिडवे के बारे में पूछना चाहता हूं कि क्या कोलायत में मिडवे बनाना प्रस्तावित है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। 4 का ना में उत्तर दे दिया है।

श्री देवीसिंह भाटी : फिर भी क्या विचाराधीन है, मैं पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। विचार करेंगे, यह पूछा है तो उसका उत्तर दे दिया।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या 471

श्री पीरूराम ।
(अनुपस्थित कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 472

श्री जनार्दनसिंह गहलोत ।
अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री महाराम चौधरी ।

निर्वाचन क्षेत्र नागौर में खोले गये विद्यालय

473. **श्री महाराम चौधरी** (नागौर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) नागौर जिले के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1980–81, 1981–82, 1982–83, 1983–84 में कहां-कहां कितने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा नये विषय खोले गये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि निर्वाचन क्षेत्रों में असमानता रही ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(3) क्या राज्य सरकार पिछड़े क्षेत्र, ज्यादा छात्र तथा भवन के आधार पर विद्यालय खोलने में प्राथमिकता देती है ? क्या उक्त तीनों वर्षों में इस आधार को दृष्टिगत रखा गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मंत्री शिक्षा (श्रीमती कमला) : (1) नागौर जिले में वर्ष 1980–81, 1981–82, 1982–83 व 1983–84 में खोले गये विद्यालयों तथा नये विषयों की सूचीं सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

(2) उपलब्ध विद्यालयों को मांग, तकाजे, भवन आदि के सन्दर्भ में आवंटित कर दिया जाता है ।

(3) राज्य सरकार विद्यालय खोलते समय भवन व्यवस्था, छात्र-संख्या, जनसख्या, स्थानीय मांग तथा स्थान की भौगोलिक स्थिति आदि बिन्दुओं को ध्यान में रखती है और गत वर्षों में भी इन्हीं बिन्दुओं को विद्यालय खोलते समय दृष्टि में रखा गया है ।

(सूची के लिये परिशिष्ट 2 देखें)

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य को सूची दी है उसमें 3 गांव छूटे हुए हैं जिनमें कि इस साल स्कूल खोले गये थे, वह भी आप उसमें शामिल कर लें । एक रोहिनी कन्या, पटदड़ी और तीसरा डूंडिया । यह तीनों छूट गये हैं ।

श्री महाराम चौधरी : यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नहीं हैं ।

श्रीमती कमला : आपके निर्वाचन क्षेत्र में दो नाम लिखे हुए हैं ।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, एक तो शिकायत यह है कि नागौर, जो कि रेगिस्तानी क्षेत्र है, में भवन और जो नार्म्स

Page No 18

(18)

(श्री महाराम चौधरी)

आपने तय किये हैं वह सभी सुविधायें उपलब्ध होते हुए भी पिछले तीन सालों में जो स्कूल खोले हैं उनकी लिस्ट देखने से मालूम होता है कि पहली साल में प्राइमरी स्कूल एक खोला है, दूसरी साल में दो और इस साल में सिर्फ 4 निर्वाचन क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल खोले हैं। हमारे क्षेत्र में केवल 3 प्राइमरी स्कूल हैं जब कि दूसरे क्षेत्रों में 20-20, 22-22 प्राइमरी स्कूल खोले हैं। बाकी मिडल स्कूल, सैकण्डरी स्कूल का तो नामोनिशान ही नहीं है। कहीं भूल-चूक से खोल दिया है वह भी ऐसी जगह खोल दिया है जहां क्राइटेरिया की पूर्ति नहीं होती है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपकी मार्फत मंत्री महोदय को निवेदन करके कह सकता हूं। अगर और से कहूं तो हो सकता है, अगली साल खोलते हुए भी नहीं खोलें। इसलिए आप विशेष ध्यान रखें। जैसलमेर, बाड़मेर जैसा यह नागौर का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में प्राइमरी, मिडल सैकण्डरी स्कूल की मांग करता हूं। आप वहां पर स्कूल खोलें जिससे वहां के निवासियों को शिक्षा की सुविधा मिल सके। इसके ऊपर आप विशेष ध्यान रखें। यही कह दें कि अगली बार ध्यान रखा जायेगा और स्कूल खोल दिया जायेगा।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, इस वक्त हमने दो बातें खास तौर से विद्यालय खोलते समय ध्यान में रखी हैं जो कि ज्यादातर भूल जाते थे। एक तो यह है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक कन्या शाला हम जरूर खोलेंगे। मुझे कहते हुए खुशी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस लक्ष्य के पेटे हमने 200 से ज्यादा ही स्कूल खोले होंगे लेकिन 200 से एक भी कम कन्या शाला नहीं खोली। बहुत से क्षेत्रों में लोगों ने बहुत तकाजे किये कि हमारा तो रहने दें। मैंने हाथ जोड़ कर कहा कि 50 प्रतिशत बच्चियां मौजूद हैं और आप पढ़ाते नहीं हैं यह कह कर कि हमारे स्कूल में लड़कियां नहीं हैं, पढ़ेंगी कैसे। तो मैंने निवेदन करके लड़कियों के स्कूल खोले। दूसरी यह व्यवस्था की है कि बाड़मेर, जैसलमेर के बहुत भयंकर रेगिस्तानी इलाके हैं, ट्राइबल बेल्ट के इलाके हैं उनमें हमने दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले में सवाये या ड्योढ़े स्कूल दिये हैं ताकि जो उनका पिछड़ापन है उसका हम मुकाबला कर सकें। आप बाड़मेर, जैसलमेर के इलाके के मुकाबले में नहीं आते इसलिए आप को जितना सम्भव था उतना हमने दिया है। यह माननीय सदस्य मानेंगे कि विषय भी आपको दिये हैं, मिडल स्कूल भी आपको दिया है, प्राइमरी स्कूल भी दिये हैं। कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपके क्षेत्र को न मिली हो। किसी में दो खोल दिये, किसी में तीन खोल दिये, इतना फर्क तो जरूर है।

श्री महाराम चौधरी : मैं यही जानकारी दिलाना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र नागौर बाड़मेर से मिलता-जुलता है। उसमें कोई फर्क नहीं है। बाड़मेर से ज्यादा रकबे के गांव हैं और वैसे के वैसे ही रेतीले टीले हैं। उस क्षेत्र से भी भयंकर वहां की स्थिति है....

श्रीमती कमला : यह तो आप अपने मन से ही पूछ लीजिए।

श्री महाराम चौधरी : आप महसूस करेंगे कि वैसा ही क्षेत्र है....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री रंगजी मीणा, श्री कैलाश मेघवाल ।

राजस्थान विधिक सहायता सलाहकार बोर्ड की बैठक

474. **श्री रंगजी मीणा** (सपोटरा) एवं **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान विधिक सहायता सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन होने के बाद से इस बोर्ड की कितनी बैठकें हुईं और उनमें क्या-क्या निर्णय लिये गये ?

(2) क्या समाज के कमजोर वर्गों एवं अनुसूचित जाति व जन-जाति के पक्षकारों को विविध सहायता की वर्तमान व्यवस्था को सरकार पर्याप्त मानती है ? यदि नहीं, तो उसमें सुधार के क्या प्रस्ताव हैं ।

विधि मंत्री (श्री अहमद बक्श सिंधी) :

(1) राजस्थान विधिक सहायता सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन दिनांक 26-2-83 को किया गया था । इसके बाद बोर्ड की दो बैठकें हुई जिनमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये ।

प्रथम बैठक के अन्तर्गत बोर्ड का विस्तार करने का निर्णय लिया गया और उच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति का पुनर्गठन करने का भी निर्णय लिया गया । नियमों में संशोधन करने हेतु एक कमेटी एडवोकेट जनरल की अध्यक्षता में बनाई गई और उसे रिपोर्ट देने को कहा गया ।

बोर्ड की दूसरी बैठक में माननीय मुख्य मंत्रीजी को बोर्ड का अध्यक्ष बनाने का निश्चय किया गया जिससे बोर्ड के कार्यों में अधिक गति आ सके । एडवोकेट जनरल की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट पर विचार किया गया और विधिक सहायता नियमों में व्यापक परिवर्तन व संशोधन करने का निर्णय लिया गया । इसके अलावा जन-जाति क्षेत्रों में लागू होने वाले विधिक सहायता के नियमों को समाप्त करके मौजूदा विधिक सहायता नियमों में उनका समावेश करने का भी निर्णय लिया गया और जहां-जहां विधिक सहायता समितियां नहीं हैं वहां नयी समितियां बनाने का निश्चय किया गया । नियमों में और कुछ संशोधनों को लागू करने के लिए भी सुझाव मंजूर किये गये ।

(2) जी हां । लेकिन फिर भी वर्तमान विधिक सहायता नियमों के अन्तर्गत परिवर्तन करके सालाना आमदनी की सीमा को 3600) से बढ़ाकर 6000) किया जा रहा है जिससे अधिक से अधिक कमजोर वर्गों के लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता मिल सके । इसके अलावा अनुसूचित जाति व जन-जाति के पक्षकारों के बारे में उनको सालाना आमदनी की सीमा से छूट दी जा रही है और उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता देने का प्रावधान रखा जा रहा है । नियमों में अतिशीघ्र इस दिशा मे परिवर्तन किया जा रहा है ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय विधि मंत्री से दो सवाल पूछना चाहता हूं। पहला, जितने भी आपने निर्णय लिये हैं, क्या उनके प्रशासनिक आदेश जारी हो चुके हैं ? दूसरा, क्या न्याय देने वाले प्रत्येक न्यायालय या कोर्ट या अन्य अथारिटी के सामने भी जो प्रकरण विचाराधीन हैं उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के पक्षकारों की पहचान की कोई मशीनरी आपने रखी है ?

श्री अहमदबक्श सिन्धी : अध्यक्ष महोदय, जो निर्णय लिये गये हैं उनके आदेश जारी कर दिये गये हैं । जहां तक शिड्यूल्ड कास्ट्स शिड्यूल्ड ट्राइब्स का सवाल है, उनके लिए नियमों में बहुत हद तक ढील दी गई है । कोई आमदनी की सीमा नहीं रखी है और न ही उनके सर्टिफिकेट की कोई जरूरत है । अगर वह कमेटी के सामने इत्मीनान दिला दें कि वह वाकई फलानी जाति का सदस्य है तो उसको तत्काल ही सहायता मिलेगी ।

श्री कैलाश मेघवाल : विधि मंत्रीजी मेरे पूरक प्रश्न का मंतव्य नहीं समझे। मैंने स्पष्ट पूछा था कि क्या इन नियमों में जो भी न्यायालय या अथारिटी है वहां पर जो विवाद चल रहे हैं उनमें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति के पक्षकारों की पहचान कराने की मशीनरी का प्रावधान आपने किया है ?

एक माननीय सदस्य : समझे नहीं ।

श्री अहमदबक्श सिन्धी : अध्यक्ष महोदय, न्यायालय में दोनों पक्षकार एस.सी., एस.टी. के हों उन दोनों को मुफ्त मदद सलाहकार समिति देगी । आपको पहचानते हैं, आप शिड्यूल्ड कास्ट के हैं । वह कमेटी जो मुकर्रर करेंगे हम जिलेवार, जहां-जहां अदालतें हैं, वे सब जानते हैं कौन क्या है, कौन क्या नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न । सुश्री पुष्पा जैन ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 21 मार्च, 1984)

उदयपुर तहसील में स्थित वक्फ सम्पत्ति

196. **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) : क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ, हवामहल, जयपुर द्वारा उदयपुर तहसील में स्थित वक्फ सम्पत्ति की सूचना दिनांक 23 सितम्बर, 1965 के राज पत्र में प्रकाशित हुई है ? यदि हां, तो कृपया उस राज पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) इस सूची में दर्शायी गई सम्पत्ति में किस-किस सम्पत्ति पर वक्फ बोर्ड का अधिकार है ?

(3) किस-किस सम्पत्ति पर कब-कब से किस-किस व्यक्ति, संस्था अथवा अन्य द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) अतिक्रमणकारियों से भूमि, भवन खाली करवाने के विषय में वक्फ बोर्ड द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

Page No 21

(21)

(सुश्री पुष्पा जैन)

(5) क्या बोर्ड द्वारा कुछ सम्पत्ति किराये पर दी हुई है ? यदि हां, तो कब-कब से ?

विधि मंत्री (श्री अहमद बक्श सिंधी) : (1) जी हां । सूची सदन के पलट पर रख दी गई है । परन्तु राजस्थान राजपत्र में कुछ ऐसी जायदादें भी प्रकाशित हो गई हैं जो गजट में प्रकाशन से काफी पूर्व ही गैर मुस्लिमों के हाथों चली गई थीं और जिन पर उनका हक पैदा हो गया और जिनके हकूक पर फैसला राजस्थान हाई कोर्ट राधाकिशन बनाम वक्फ बोर्ड ए.आई.आर. 1967 राजस्थान 1 के तहत इस प्रकाशन का कानूनन कोई असर नहीं पड़ता । राजस्थान हाई कोर्ट का मन्दर्जा बाला फैसला सुप्रीम कार्ट से भी बहाल रहा है ।

(2) वक्फ एक्ट नं० 29,1954 की धारा 15 के अन्तर्गत राजस्थान में बाकी सभी वक्फ जायदादों पर राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिस वक्फ का नियंत्रण है ।

(3) जिन-जिन लोगों ने जब-जब वक्फ जायदाद पर अतिक्रमण किया है उसकी सूची सदन के पलट पर रख दी गई है ।

(4) इस सूची में दर्ज जायदाद क्रम सं० 1 व 2, जो कि राजपत्र के क्रमांक 29 व 31 पर प्रकाशित हुई है, को अतिक्रमणकारियों के कब्जे से खाली करवाने के लिए राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ, राजस्थान पब्लिक प्रिमीसेज (इविकेशन आफ अनआथोराइज्ड आकूपेन्ट्स) एक्ट, 1965 (यथा संशोधित) के तहत सम्पदा अधिकारी (एस्टेट आफिसर) के न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रहा है । इस काम के लिये डा० आलम शाह खान को सक्षम अधिकारी के यहां कार्यवाही करने के लिए बतौर आथोराइज्ड एजेन्ट नियुक्त किया गया है । सूची में दर्ज क्र०सं० 3 की जायदाद, जो कि राजपत्र में क्रमांक 62 पर प्रकाशित हुई है, के सम्बन्ध में वक्फ बोर्ड द्वारा दफा 36बी वक्फ अधिनियम के अन्तर्गत जिलाधीश की अदालत में कार्यवाही की गई है ।

(5) जी हां । आम तौर पर वक्फ बोर्ड का काम वक्फ जायदादें किराये पर देना नहीं है । इसकी मातहत वक्फ कमेटियां तोलयत कमेटियां व मुतवल्लीयान वक्फ बोर्ड की ओर से उनकी निगरानी में वक्फ जायदादें वक्तन-फवक्तन किराये पर देते हैं । मगर बहुत सी जायदादें ऐसी भी हैं जो वक्फ बोर्ड की स्थापना 1962 से पहले से ही मुतवल्लीयान ने किराये पर दे रखी हैं । कब-कब किराये पर दीं, यह बताना असंभव है ।

(सूची के लिए परिशिष्ट 3 देखें)

सुश्री पुष्पा जैन : मंत्री महोदय, जो आपने सूची दी है वह तो आप ही पढ़ लेंगे या आपका महकमा पढ़ लेगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता । आप यह बतायें, कौन-कौन सी सम्पत्ति....

श्री अहमदबक्श सिन्धी : कौन-सी सूची है जो साफ नहीं है । आपको नयी देता हूं दूसरी ।

सुश्री पुष्पा जैन : कौन-कौन सी सम्पत्ति विज्ञप्ति प्रकाशित होने से पूर्व दूसरों के अधिकार में चली गई और क्या यह माना जाये कि उस सम्पत्ति पर वक्फ बोर्ड ने अपना अधिकार छोड़ दिया है ?

श्री अहमदबक्श सिन्धी : अध्यक्ष महोदय, वक्फ प्रापर्टी जिस किसी के भी कब्जे में होगी उसका अधिकार नही छोड़ा जायेगा चाहे वह चीफ मिनिस्टर ही क्यों न हो। अगर वह वक्फ प्रापर्टी है तो उसकी रिकवरी के लिए कानूनी कार्यवाही की जायेगी और वक्फ प्रापर्टी नहीं है तो वक्फ बोर्ड कोई दखल नहीं देगा। आपने दो बातों की तरफ तवज्जोह दिलाई, जिस जायदाद की तरफ आपका इशारा है वह मुझे अच्छी तरह से ध्यान में है। आपको शायद गलत इन्फार्मेशन दी गई है। विज्ञप्ति प्रकाशित हो गई। वह प्रापर्टी रूपांतरण में है इसलिए आपको यह गुमान हो गया कि यह वक्फ प्रापर्टी है। केस वाले ने गवाह नहीं किया। तो अब तो यह फैसला फाइनल हो गया कि वह वक्फ की प्रापर्टी नहीं थी। यह गलती से प्रकाशित हो गई जो जायदाद गैर-मुस्लिम के कब्जे में थी। जैसे राधाकिशन का केस है वह सुप्रीम कोर्ट में बहाल रहा। उसमें दो ही पाइन्ट तय हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, पहला तो यह है कि पर्सनल इन्ट्रेस्ट से दफा 6 के तहत मुस्लिम ही हो सकता है, गैर मुस्लिम नहीं हो सकता है। नम्बर-एक। नम्बर-दो, यह कह दिया गया कि अगर वक्फ बोर्ड बिना उसकी इन्क्वायरी किये, बिना पूछताछ किये उसको फाइनल करने के बाबत यह पब्लिश करके बैठ गया और साल भर बाद कब्जा लेने लगा तो वह प्रकाशन उस पर लागू नहीं होगा। क्योंकि उसने दावा नहीं किया इसलिये वह फाइनल हो गया, वह उसके मुकाबले में फाइनल नहीं होगा। ये दो बिन्दु सुप्रीम कोर्ट तक बहाल रहे हैं।

अब दूसरी बात की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं वह यह है, अध्यक्ष महोदय, यह....

श्री यदुनार्थसिंह (नदवई) : साफ-साफ कहें, इशारा क्या होता है।

एक माननीय सदस्य : कौनसी प्रापर्टी की बात कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अहमदबक्श सिन्धी : मैं आपको सीधी बात बताता हूं....

श्री यदुनार्थसिंह : कौनसी प्रापर्टी की बात कह रहे हैं ?

श्री अहमदबक्श सिन्धी : उदयपुर की, उदयपुर की। आपने सवाल पढ़ा ही नहीं है शायद। दूसरा यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : हम तो सप्लीमेन्टरी पूछ रहे हैं और ये जवाब क्या दे रहे हैं ?

सुश्री पुष्पा जैन : मैंने यह पूछा है, मंत्री महोदय, वह कौन-कौन सी सम्पत्ति

(सुश्री पुष्पा जैन)
है जो विज्ञप्ति प्रसारित होने से पूर्व दूसरों के अधिकार में चली गई ? मैं जानना चाहूंगी, क्या वक्फ बोर्ड ने उन सब पर अपना अधिकार खो दिया है ?

श्री अहमदबक्श सिन्धी : मैंने जवाब दे दिया है, अगर वह वक्फ की जायदाद है तो अधिकार छोड़ने का सवाल ही नहीं है।

सुश्री पुष्पा जैन : मंत्री महोदय, वह सम्पत्ति कौन-कौन सी है ?

श्री अहमदबक्श सिन्धी : आपकी बात का ही जवाब दे रहा हू, मोहतरमा।

दूसरा सवाल जो किया है, अगर वह प्रापर्टी वक्फ की प्रापर्टी है, मैं आपको बताता हूं, और गैर मुस्लिम के कब्जे में है प्रकाशन के पहले से, वक्फ बोर्ड आने से पहले या वक्फ कमिश्नर की नियुक्ति के पहले से कब्जे में है और वक्फ बोर्ड ने रिकवर करने की कार्यवाही नहीं की जाने के बाद में और प्रकाशन कर दिया तो प्रकाशन उसके मुकाबले कोई असर नहीं रखता। उसको छोड़ने का सवाल पैदा नहीं होता। उस पर हकूक पैदा हो गये मालिकाना। अब कोई दूसरा सवाल करना चाहते हैं पर्टीकूलर किसी प्रापर्टी का, तब मैं जवाब दूंगा।

श्री कमलेन्द्रसिंह (वल्लभनगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं वक्फ मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा, उदयपुर की जो लिस्ट दी है आइटम नं० 65 और 67 पर अलीपुरा मस्जिद की जो जमीन है वह इस लिस्ट में अंकित है उसको वक्फ बोर्ड ने छोड़ दिया है क्या ?

श्री अहमदबक्श सिन्धी : अब आये हैं न....

एक माननीय सदस्य : जिसका इन्तजार कर रहे थे।

श्री अहमदबक्श सिन्धी : I am fully prepared to answer. किसी को फेवर करने का, किसी के खिलाफ जाने का सवाल नहीं है यहां पर। यह इल्जाम पिछली बार मोहतरमा ने लगाया था कि मुख्य मंत्री को फेवर करना चाहते हैं या उनके खान-दान के आदमियों को फेवर करना चाहते हैं, यह बिलकुल निराधार है। कोई फेवर करने का सवाल नहीं है....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : यह नहीं है सवाल। आप यह बतायें कि मुख्य मंत्री बीच में कहां से आ गये ?

श्री अहमदबक्श सिन्धी : मुझे मौका ही नहीं मिला जवाब देने का।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मंत्री बीच में कहां से आ गये, यह बता दे।

(व्यवधान)

श्री कमलेन्द्रसिंह : आइटम नं० 65 और आइटम नं० 67....

श्री अहमदबक्श सिन्धी : उनका जवाब दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, पिछले टाइम

(श्री अहमद बक्श सिंधी)
जब मैंने इस सवाल को एडजोर्न कराया था तब मैंने कहा था कि मेरे पास अभी डेटा मुकम्मिल नहीं है। उस समय मोहतरमा ने फरमाया था कि आप चीफ मिनिस्टर और उनके खान-दान वालों, साले की नाजायज तौर पर मदद करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। तो मैं वह कन्ट्राडिक्ट करना चाहता हूं कि वह बात गलत है। बचाने का सवाल नहीं है। बचाने या फेवर करने का सवाल नहीं है।

(व्यवधान)

महाराणा उदयपुर की तरफ से यह जमीन, जिसकी बाबत माननीय सदस्य ने पाइन्ट आउट किया है, माफी लैण्ड के तौर पर मस्जिद की मेन्टीनेन्स के लिये ग्रांट की थी और फकीर को ताम्र पत्र दिया था। यह भी मेरे पास है। उसके बाद फकीर ने उस जमीन को रहन कर दिया। रहन करने के बाद बेच दिया। तो फिर यह मामला दरबार के सामने गया। दरबार ने फरमाया, रेवेन्यू मिनिस्टर से कहा इसका हल निकाल कर, नोट बनाकर पेश कीजिये। तो रेवेन्यू मिनिस्टर, उस जमाने के, ने नोट पेश किया कि यह फकीर कभी जमीन-जायदाद को कायम नहीं रखेंगे, यह बिक बिका कर दूसरों के कब्जे में चली जायगी और जो मकसद है वह फौत हो जायगा इसलिये आप रिज्यूम कर लो और रिज्यूम करने के बाद जो 35) रु० इस चार बीघा की आमदानी का होता है वह इस फकीर को दे दो। वह जमीन रिज्यूम हो गई और रिज्यूम होने के बाद....

(व्यवधान)

यूं करने से काम नहीं चलेगा।

जो असलियत है सामने आई है। वह रिज्यूम होने के बाद स्टेट प्रापर्टी हो गई...

श्री अध्यक्ष : वह ताम्र-पत्र उसके पास रह गया क्या ?

श्री अहमदबक्श सिंधी : धरे रह गये। वह तमाम वोइड हो गए। उसके बाद यह जमीन राज प्रमुख के हुकुम से चीफ सेक्रेटरी ने महिला आश्रम, भीलवाड़ा को 13 हजार 5 सौ रुपये में बेच दी। वह लेटर भी मेरे पास है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह लैटर भी बता दें।

श्री अहमदबक्श सिंधी : मैं पढ़कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष : विषयान्तर न हो।

श्री अहमदबक्श सिंधी : मेरे कमरे में पधारें, मैं सब दे दूंगा। उसके बाद उन्होंने उसमें से दो प्लाट बेचे। एक ईसाई मिशनरी स्कूल को बेच दिया जो उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, बहुत बरस हो गये। एक प्लाट और बेचा था, उस प्लाट पर कब्जा नहीं हुआ। वह हमारे यहा वापस दर्ज हो गया, वक्फ की हैसियत से। वह मस्जिद के पास लगता हुआ था। उस पर कब्जा वक्फ कमेटी ने करने नहीं दिया। वह हमारे पास है। बाकी जमीन जो एक बीघा एक बिस्वा थी, मस्जिद और मकबरा और आस-पास जो जमीन नमाज पढ़ने की है वह वक्फ बोर्ड के कब्जे में है।

Page No 25

25

श्री अध्यक्ष : अन्तिम पूरक प्रश्न ।

(व्यवधान)

एक प्रश्न पूछ लीजिए ।

श्री कमलेन्द्रसिंह : तीन प्रश्न हैं ।

श्री अध्यक्ष : एक का अवसर दे रहा हूं ।

श्री कमलेन्द्रसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधि मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि जमीन रिज्यूम हो गई थी । किन्तु सन् 57 में जो हाई-कोर्ट का फैसला हुआ है उसमें क्लियर-कट यह आया है कि अलीपुरा मस्जिद की सवा चार बीघा जमीन मुस्लिमों की सामूहिक जमीन है । इसके बाद यह आपकी सन् 65 की लिस्ट में उसका नाम आया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी पूछना चाहता हूं जिसे 13 हजार में बेचने की बात यह कह रहे हैं वह तो रिसाले की जमीन है जो महिला आश्रम को बेची गई है, उसमें मस्जिद का कोई सवाल ही नहीं है । यह लेटर मेरे पास भी पड़ा हुआ है जिसके अनुसार 13 हजार में पी.डब्ल्यू.डी. ने महिला आश्रम को जमीन बेची थी । मस्जिद का सवा चार बीघे का टाइटल किसके पास है, इसको स्पष्ट करना चाहिये था । माननीय विधि मंत्रीजी स्पष्ट नहीं कर पाये ।

मैं यह भी पूछना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि जब माननीय विधि मंत्री जी डिप्टी स्पीकर थे, इन्हीं के आग्रह पर कलेक्टर, उदयपुर को यह हिदायत दी थी कि इसकी जांच की जाय । उस जांच में महिला आश्रम, भीलवाड़ा के जो संचालक, संचालिका हैं, किसी ने टाइटल डीड नहीं पेश किया उस सवा चार बीघा जमीन का । उसकी रिपोर्ट हो तो सदन के सामने रखें ।

श्री अहमद बक्श सिंधी : अध्यक्ष महोदय, यह अलीपुरा मौहल्ले का नाम है और रिसाला वहां माउन्टेड पुलिस लाइन कहलाती है । उर्दू में रिसाला कहते हैं । माउन्टेड पुलिस लाइन वहीं उसी जमीन में थी । तो मौहल्ला वही है, कोई फर्क नहीं है । वही की वही जमीन है । मैंने तहकीकात करने दो आदमी भेजे, भेजने के बाद····

श्री अध्यक्ष : वह मान लिया । आर्डर प्लीज । प्रश्नकाल समाप्त हुआ । अन्य किसी तरीके से उठायें ।

श्री अहमद बक्श सिंधी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जस्टिस मोदी का फैसला है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर । इसके विस्तार में नहीं जायें । माननीय सदस्य ।

श्री अहमद बक्श सिन्धी : जो पब्लिश हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : अब सारे फैक्ट्स आ गये । इन पर यहां चर्चा नहीं हो सकती । अन्य किसी तरीके से उठाना चाहिए । प्रश्नकाल समाप्त हुआ । बैठ जायें ।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले से ही हाफ एन आवर डिस्कशन के लिए दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। उस पर अलग व्यवस्था दी जायेगी, माननीय सदस्या।

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

टोडारायसिंह को पर्यटन केन्द्र घोषित करना

463. **श्रीरामकंवार बैरवा** (फागी) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर टोडा-रायसिंह के इतिहास की पांच वर्ष पूर्व एक स्मारिका छाप कर सरकार को पेश की गई थी ?

(2) स्मारिका के आधार पर टोडा-रायसिंह को पर्यटक केन्द्र घोषित करने में क्या कठिनाई है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। पर्यटन विभाग को कोई स्मारिका प्राप्त नहीं हुई है।

(2) इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान नहर पर सिंचाई की 5 लिफ्ट योजनायें

471. **श्री पीरूराम** (टीबी) : क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान नहर पर सिंचाई की पांच लिफ्ट योजनाएं निर्माण कराने हेतु सरकार के विचाराधीन है और जिला गंगानगर में नोहर लिफ्ट योजना का निर्माण कार्य भी इन पांच योजनाओं के अन्तर्गत है ? यदि है, तो इसका पानी किन-किन गांवों के लिए दिया जायेगा ? इसकी टेल (अन्त) कहां पर होगी ? यह कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया आयेगा ?

(2) इस योजना की लिफ्ट की ऊंचाई कितनी होगी व इससे कितना क्यूसेक्स पानी छोड़ा जायेगा ?

(3) क्या राजस्थान कैनाल से चूरू लिफ्ट नहर निकाले जाने की योअना भी है ? यदि हां, तो उक्त लिफ्ट नहर की प्रथम स्थल की ऊंचाई कितनी होगी ? यह लिफ्ट नहर नोहर क्षेत्र तक पहुंचने के पूर्व किन-किन ग्रामों को सिंचित करेगी और नोहर के उपरान्त कितने ग्रामों के कितने क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी ? इसमें राजस्थान नहर से कितने क्यूसेक्स पानी छोड़ा जायेगा ?

उत्तर

(1) जी, हां। इसमें से एक नोहर साहवा लिफ्ट योजना में जिला गंगानगर के नोहर क्षेत्र का भाग भी सिंचाई के लिए सम्मिलित है। गांवों की सूची व इसकी टेल कहां तक होगी, आदि की सूचना सर्वेक्षण पूर्ण होने पर उपलब्ध हो सकेगी, कार्य आरम्भ सर्वेक्षण पूर्ण, एस्टीमेंट स्वीकृत होने व धनराशि उपलब्ध होने पर हो सकेगा।

(2) नोहर साहवा लिफ्ट योजना से 60 मीटर जलोत्थान किया जायेगा। इसमें

(राजस्थान नहर मंत्री)
पानी छोड़ने की क्षमता सर्वेक्षण करने के पश्चात् तय की जावेगी ।

(3) चूरू जिले के साहवा क्षेत्र को इसी नोहर साहवा लिफ्ट नहर से सिंचाई सुविधा मिलेगी जिसके बारे में चाही गई सूचना सर्वेक्षण के पश्चात् ही उपलब्ध हो सकेगी ।

खनन विभाग द्वारा खनन पट्टों की स्वीकृति/अस्वीकृति

472. **श्री जनार्दनसिंह गहलोत** (करौली) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दिनांक 1 जून, 1980 से 31 दिसम्बर, 1980 तक निदेशक, खनिज विभाग, उदयपुर ने कितने प्रस्ताव खनन पट्टों की स्वीकृति/अस्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त समस्त प्रस्तावों का दिसम्बर, 1980 के दूसरे सप्ताह तक निपटारा नहीं किया गया ? यदि किया गया, तो कितनों का व कितने अभी तक शेष हैं ?

उत्तर

(1) दिनांक 1.6.1980 से 31.12.80 तक निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग उदयपुर ने 276 प्रस्ताव खनन पट्टों के सम्बन्ध में शासन को प्रस्तुत किये ।

(2) जी हां । दिसम्बर, 1980 के दूसरे सप्ताह तक 71 मामलों का निपटारा शासन द्वारा किया गया । वर्तमान में समस्त मामलों का निस्तारण हो चुका है ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पीपल्दा क्षेत्र की समस्याग्रस्त नहरें

572. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र की निम्न नहरें समस्याग्रस्त हैं :—

1. इटावा ब्राच केनाल
2. गैंता डिस्टीब्यूटरी
3. लक्ष्मीपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी
4. मूंडला माइनर
5. शेरगंज माइनर
6. सीनोता माइनर
7. ककरावदा माइनर
8. चक चकावता माइनर

(2) यदि हां, तो उक्त समस्याग्रस्त माइनर की समस्या दूर करने हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) 1. जी हां, केवल टेल के क्षेत्र में ।
2. जी हां, केवल टेल के क्षेत्र में ।
3. जी हां, केवल टेल के क्षेत्र में ।
4. जी हां, केवल टेल के क्षेत्र में ।
5. जी हां, केवल टेल के क्षेत्र में ।
6. जी हां, केवल टेल के क्षेत्र में ।
7. जी हां, केवल टेल के क्षेत्र में ।
8. जी हां, केवल टेल के क्षेत्र में ।

/सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(2) बारावन्दी लागू कर टेल क्षेत्र में पानी की समस्या दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।

राजस्थान नहर परियोजना के प्रथम चरण में हुआ निर्माण कार्य

574. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1983-84 में 31 दिसम्बर, 1983 तक राजस्थान नहर परियोजना के प्रथम चरण में कितने किलोमीटर लम्बाई की वितरण प्रणाली व कितने किलोमीटर लम्बे पक्के खालों का निर्माण कार्य पूरा किया गया ?

(2) उक्त अवधि में ही राजस्थान नहर परियोजना के द्वितीय चरण में कितने कि. मी. मुख्य नहर, कितनी वितरक प्रणाली तथा कितने लम्बे पक्के खालों का निर्माण किया गया ? उक्त अवधि में निर्मित कार्य से कितनी भूमि को अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई ?

उत्तर

(1) वर्ष 83-84 में 31 दिसम्बर तक राजस्थान नहर के प्रथम चरण में 20·37 कि.मी. लम्बाई की वितरण प्रणाली व 454·31 कि.मी. लम्बे पक्के खालों का निमाण कार्य पूरा किया गया।

(2) उक्त अवधि में ही राजस्थान नहर परियोजना के द्वितीय चरण में 23.14 कि.मी. मुख्य नहर व 16.60 कि.मी. वितरण प्रणाली का निर्माण कार्य पूरा किया गया।

उक्त अवधि में राजस्थान नहर परियोजना के द्वितीय चरण में निर्माण कार्यों से 27800 हैक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई।

लूणकरणसर लिफ्ट सिंचाई योजना

576. **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) एवं **श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी** (जैसलमेर) एवं **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लूणकरणसर लिफ्ट सिंचाई योजना से लगभग 560 क्यूसेक्स पानी ले जाने के लिए नहर का निर्माण किया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि इस नहर के बैड को 6 इन्च से लेकर 2.5 फीट तक पानी के लेवल से ऊपर बना दिया गया जिसके कारण 300 क्यूसेक्स से अधिक पानी नहीं ले जाया जा सकता ?

(3) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में रामसिंह आयोग ने भी अपने प्रतिवेदन में इसका उल्लेख किया है ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) जी हां, लूणकरणसर लिफ्ट नहर के शीर्ष से 568 क्यूसेक्स पानी लाने हेतु नहर का निर्माण किया गया है।

(2) यह सही नहीं है कि समस्त नहर के बेंड का स्तर पानी के लेवल से 6 इन्च से लेकर 2.5 फीट तक ऊपर बनाया गया है। यह भी सही नहीं है कि नहर में 300 क्यूसेक्स से अधिक पानी नहीं लिया जा सकता। इस नहर की बुर्जी 120-181 के बीच नहर का बेंड निर्धारित स्तर से 6 इन्च से लेकर 2.5 फीट ऊंचा बना है। नहर में वर्तमान में आवश्यकता अनुसार 450 क्यूसेक्स पानी चलाया जा रहा है। और आवश्यकता होने पर पूर्ण क्षमता से भी चलाया जा सकता है।

(3) जी हां, इस सम्बन्ध में विभाग में कार्यों से सम्बन्धित विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित है।

गोचर भूमि (सवाईमाधोपुर) पर अनधिकृत कब्जा

577. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाईमाधोपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दिसम्बर 1983 तक तहसील सवाईमाधोपुर में कितने व्यक्तियों द्वारा गोचर भूमि पर किस-किस ग्राम पंचायत में कितनी-कितनी भूमि पर अनधिकृत कब्जा किया हुआ है और कुल रकबा कितना है?

(2) गत दो सालों में तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा कितने लोगों को कितनी गोचर भूमि से बेदखल किया गया था?

(3) क्या यह भी सही है कि प्रति वर्ष गोचर भूमि पर कब्जा हटाने के बाद भी फिर कब्जा कर लिया जाता है? यदि हां, तो अतिक्रमियों को स्थायी रूप से हटाने की क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) तहसील सवाईमाधोपुर के 2050 व्यक्तियों द्वारा गोचर (चरागाह) भूमि पर 44 ग्राम पंचायतों में कुल 2725 बीघा 3 बिस्वा भूमि पर अनधिकृत कब्जा किया गया। ग्राम पंचायत वाइज रकबे की सूची संलग्न है।

(2) सभी 2050 अतिक्रमियों को 2725 बीघा 3 बिस्वा भूमि से बेदखल किया गया।

(3) अतिक्रमण की सूचना प्राप्त होते ही अतिक्रमियों को नियमानुसार कार्यवाही कर तुरन्त बेदखल किया जाता है। एक से अधिक बार अतिक्रमण करने पर स्थायी रूप से हटाने के लिए धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम में तीन माह तक सिविल कारावास से दण्डित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

(सूची के लिये परिशिष्ट 5 देखें)

सवाईमाधोपुर की चरागाह भूमि

578. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा सवाईमाधोपुर जिले में वर्ष 1975 में चरागाह भूमि को कृषि कार्य के लिए आवंन्टन किया गया था ?

(2) चरागाह आवन्टन करते समय क्या उस भूमि की किस्म परिवर्तित करदी गई थी ? अगर नहीं, तो क्या राज्य सरकार उक्त भूमि की किस्म परिवर्तन करने का विचार रखती है ? यदि हा, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। तहसील सवाईमाधोपुर के 20 ग्रामों के अतिरिक्त किस्म परिवर्तन आवंटन के समय कर दिया गया था, 20 ग्रामों को आवंटित चरागाह भूमि के किस्म परिवर्तन बावत शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

जागीर विभाग में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी

579. **श्री रंगजी मीणा** (सपोटरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जागीर विभाग में वर्तमान में कुल कितने अधिकारी/कर्मचारी आदि किस-किस स्तर के कहां पर कार्यरत हैं ?

(2) इस विभाग में वर्तमान में कितने प्रकरण कब-कब से विचाराधीन हैं और अब उन्हें कब तक निपटा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) वर्तमान में जागीर विभाग में कार्यरत कुल अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट–क)

(2) विभाग में वर्तमान में जितने प्रकरण विचाराधीन हैं उनकी सूची परिशिष्ट–ख, ग, घ एवं ङ पर संलग्न है।

वर्तमान में जो शेष प्रकरण जागीर विभाग में चल रहे हैं वे सभी विवादास्पद मामले हैं। इसके अलावा जो प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय, राजस्व मण्डल एवं विभिन्न जिलों में विचाराधीन है, उनमें उनके स्तर से निर्णय होकर अथवा जिलों से जांच कार्यवाही सम्पन्न होकर विभाग में प्राप्त होने पर ही उनका निष्पादन किया जा सकेगा। इस प्रकार इन पुराने मामलों को कितनी अवधि में निपटा दिया जावेगा इसके बारे में निश्चित कहना संभव नहीं है। विभाग द्वारा तो निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि सभी विचाराधीन मामलों को शीघ्र निपटा दिया जावे।

जागीर आयुक्त के कार्यालय में कब-कब से प्रकरण विचाराधीन है, सूची परिशिष्ट–ग, घ, ङ पर संलग्न है।

(सूची के किये परिशिष्ट 6 देखें)

आमेर, अचरोल सिवाय चक भूमि पर नाजायज कब्जे

580. **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राज्य सरकार को जानकारी है कि आमेर से अचरोल तक दिल्ली रोड पर लम्बे सड़क सिवाय चक, काश्त की खातेदारी भूमि व गांवों के आम रास्तों पर नाजायज कब्जे हैं व पुख्ता तामीरात का कार्य भी निरन्तर जारी है ?

(2) यदि हां, तो ये कब्जे कहां-कहां किन-किन के द्वारा व किस-किस की भूमि व किस-किस खसरा नम्बर पर है ?

(3) उक्त अनधिकृत कब्जों व तामीरात के हटाने हेतु अब तक क्या-क्या कदम उठाये गये और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) कब्जे आमेर, कूकस व अचरोल की राजकीय सिवाय चक एवं खातेदारी भूमि पर किये गये हैं। जिस-जिस भूमि पर कब्जा किया है उसकी सूची "क" संलग्न है।

(3) अतिक्रमण के कुल 70 मामले हैं जिनकी विवरण निम्न प्रकार है :—

1. 17 अतिकमण सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि पर है।

2. 31 मामले राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की 90 एवं 91 के अन्तर्गत तहसील आमेर जेरकार है।

3. 2 मामलों में अतिक्रमियों को बेदखल किया जा चुका है।

4. एक मामले में न्यायालय अति. जिलाधीश (न्याय) में अपील जेरकार है।

5. 2 अतिक्रमण के मामलों में निर्माण (खर्च मकान) जब्त सरकार किये गये हैं। जिनकी नीलामी की कार्यवाही जेरकार है।

6. 17 मामलों में एम.जे.एम. कोर्ट जयपुर में 447 आई.पी.सी. के अन्तर्गत इस्तगासा जेरकार है।

(सूची के लिये परिशिष्ट 7 देखें)

सोजत (पाली) नई ढाणी नाम की ढाणी

581. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले की सोजत तहसील के सरदार समंद राजस्व ग्राम में नई ढाणी नाम की ढाणी सम्मिलित है ?

(2) ग्राम सरदार समंद तथा ढाणी की अलग-अलग कुल कितनी जनसंख्या है ?

(3) उक्त ढाणी सरदारसमंद से कितनी दूरी पर है ?

(4) सरदारसमंद ग्राम का कुल रकबा कितना है ?

(श्री माधवसिंह दीवान)

(5) क्या राज्य सरकार नई ढाणी को अलग से राजस्व ग्राम घोषित करेगी ? यदि हां, तो इस बाबत क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सन् 1981 की जनगणना के अनुसार ग्राम सरदारसमंद की जनसंख्या 1286 एवं नई ढाणी की जनसंख्या 503 है।

(3) ग्राम सरदारसमंद से नई ढाणी लगभग 4 कि.मी. दूर स्थित है।

(4) ग्राम सरदारसमंद का कुल रकबा 3605·71 हैक्टेयर है।

(5) जी नहीं, ऐसा कोई मामला वर्तमान में राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश पं. स. मुख्यालयों स्तर पर तहसील/उप तहसील

582. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुढ़ामालानी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में कितने पं. स. मुख्यावासों पर तहसील या उप तहसील नहीं है? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या सरकार जिन-जिन पं. स. मुख्यावासों पर तहसील या उप-तहसील नहीं है वहां पर तहसील या उप-तहसील खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सरकार के ध्यान में है कि बाड़मेर जिले की पं. स. बायतु, धोरीमन्ना एवं सिणधरी के मुख्यावास पर तहसील या उप तहसील नहीं होने से प्रशासनिक दृष्टि से एवं काश्तकारों को तहसील के काम के लिए भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ?

(4) क्या सरकार उक्त पं. सं. मुख्यालय पर तहसील या उप तहसील खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य के 35 पंचायत समिति मुख्यावासों पर तहसील या उप तहसील मुख्यालय नहीं है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है।

(3) जी नहीं। पंचायत समिति बायतु, धोरीमन्ना एवम् सिणधरी के मुख्यावास पर तहसील या उप तहसील नहीं होने के कारण प्रशासनिक दृष्टि से एवं काश्तकारों को कोई कठिनाई हो रही है, ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(4) जी नहीं।

(सूची के लिए परिशिष्ट 8 देखें)

चाकसू, सांगानेर सिवाय चक भूमि

583. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील सांगानेर व चाकसू क्षेत्रों में कितनी गोचर व सिवाय चक भूमि किस-किस पंचायत व कस्बे में कितनी-कितनी वर्ष 1972 में थीं, कृपया पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उनमें से किस-किस भूमि पर क्या-क्या कार्यवाही कहां-कहां, किस-किस के विरुद्ध चल रही है ?

(3) दोनों क्षेत्रों में आवंटन के लिए कहां-कहां कितनी-कितनी भूमि उपलब्ध है?

(4) ग्रामीण क्षेत्रों व कस्बों में आवंटन किस प्रक्रिया से किस-किस समिति द्वारा किया जाता है और उन समितियों के कौन-कौन सदस्य होते हैं ? क्या ऐसी समितियां गठित की हुई हैं ? यदि हां, तो कृपया गठन के स्वरूप का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) 1972 में तहसील सांगानेर में 4050 है, चरागाह तथा 1820 हैक्टेयर सिवाय चक भूमि तथा तहसील चाकसू में 7791 हैक्टेयर चरागाह व 475 हैक्टेयर सिवाय चक भूमि उपलब्ध थी। ग्राम पंचायतवार भूमि का विवरण सूची "क" में संलग्न है ।

(2) अतिक्रमियों के खिलाफ धारा 91 की कार्यवाही तहसील स्तर तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की कार्यवाही अन्य न्यायालयों में चल रही है । मामलों की सूची "ख" संलग्न है ।

(3) दोनों क्षेत्रों में आवंटन के लिए 295 हैक्टेयर भूमि उपलब्ध है । उपलब्ध भूमि की सूची "स" संलग्न है ।

(4) कृषि भूमि का आवंटन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम 1970 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी द्वारा सलाहकार समिति के परामर्श से किया जाता है । इस सलाहकार समिति में निम्न सदस्य होते हैं:–

1. क्षेत्र का विधायक
2. क्षेत्र की पंचायत समिति के प्रधान
3. क्षेत्र की पंचायत समिति का सरपंच
4. क्षेत्र का पंचायत समिति का विकास अधिकारी
5. क्षेत्र का तहसीलदार
6. क्षेत्र की पंचायत समिति द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य
7. राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य, जहां अनिवार्य समझा जावे ।

(विवरण के लिए परिशिष्ट 9 देखें)

प्रदेश अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को खनन् पट्टे

584. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

राज्य में वर्ष 1980 से 1983 तक कितने खानों के पट्टे अनुसूचित जाति के लोगों को दिये गये ? कृपया जिलेवार संख्या सदन के पटल पर रखें। क्या वर्तमान में उक्त लोग उन खानों पर काबिज हैं ? यदि नहीं, तो कितनी खानों पर और उनकी खानों पर अनधिकृत काबिज लोगों को हटाने की क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

राज्य में सन् 1980-81 से 1983-84 (दिसम्बर, 83) तक अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 698 माइनिंग लीज व 5221 रेन्ट कम रायल्टी लीज स्वीकृत किये गये। जिलेवार संख्या संलग्न है। इनके क्षेत्रों में किसी अनधिकृत कब्जे की शिकायत सरकार के पास नहीं है।

(सूची के लिये परिशिष्ट 10 देखें)

वेस्टराक ओवर बर्डन उदयपुर का मलवा

585. **श्री महावीरप्रसाद जैन (टोंक)** : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि. उदयपुर द्वारा अगस्त 1981 से वेस्टराक ओवर बर्डन का कितना घन-फीट मलवा हटा दिया गया है ?

(2) ठेकेदार को अब तक कितना-कितना चुकारा किन-किन मदों में किया गया ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि० उदयपुर द्वारा वर्ष 1981-82 से वर्ष 1983–84 (फरवरी 84 तक) ओवर बर्डन हटाया गया उसका विवरण निम्न प्रकार है :–

वर्ष	कम्पनी द्वारा हटाया गया (घन मीटर में)	ठेकेदार द्वारा हटाया गया (घन मीटर में)
अगस्त 1981-82	6,41,081.00	2,50,788·9
1982-83	6,77,407·00	5,34,488·50
1983-84 (15 फरवरी, 84 तक)	9,63,272·00	5,39,208·00

(2) ठेकेदार को जो चुकारा किया गया उसका विवरण निम्न है :–

वर्ष	चुकारा किया गया (रुपयों में)
अगस्त 1981–82	95,51,911·68
1982–83	1,85,16,746·00
1983–84	1,69,84,474·89❀

❀ आंकडों में एक्सप्लोजिव तथा डीजल का मूल्य सम्मिलित नहीं है।

प्रदेश में बढ़ाई गई रायल्टी दरें

586. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विभाग द्वारा वर्ष 1970 के बाद कब तक रायल्टी दरें बढ़ाई गयीं ? कृपया पूर्व की रायल्टी दर, समय-समय पर बढ़ाई गई दरों व दिनांक सहित सूची सदन के पटल पर रखें ।

(2) समय समय पर बढ़ाई गयी रायल्टी दर से आय में कितनी वृद्धि हुई ? कृपया वर्षवार सूची सदन के पटल पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि रायल्टी दर अधिक होने से चोरियां बढ़ रही हैं ? यदि हां, तो सरकार रायल्टी की चोरी को रोकने हेतु क्या प्रयास कर रही है ?

उत्तर

(1) सन् 1970 में लागू रायल्टी दर तथा समय-समय पर बढ़ाई गई दरों की सूची संलग्न है ।

(2) मुख्यतया उत्पादन में वृद्धि होने व रायल्टी की दरों के बढ़ने से आय में वृद्धि होती है । विभाग की वर्षवार आय संलग्न तालिका में दिखलाई गई है ।

(3) जी नहीं । अनधिकृत खनन व निर्गमन को रोकने हेतु विभागीय अधिकारी सतत् सतर्क रहते हैं व आवश्यकतानुसार उचित कार्यवाही करते हैं ।

(सूची एवं तालिका के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें ।)

चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में खनिज सम्पदा

587. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में किस-किस प्रकार की खनिज सम्पदा किस-किस क्षेत्र में विद्यमान है ? सूचना सदन के पटल पर रखें ।

(2) उससे विभाग को प्रतिवर्ष रायल्टी की कितनी आय होती है ?

(3) क्या राज्य सरकार का उक्त खनिज संपदाओं एवं उससे उत्पन्न रायल्टी की आय को मद्देनजर रखते हुए चित्तौड़गढ़ के सहायक अभियन्ता कार्यालय को क्रमोन्नत करने का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक ? और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में निम्न खनिज सम्पदा विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान है :–

क्र.सं.	खनिज सम्पदा का नाम	क्षेत्र
	अप्रधान खनिज	
1.	सैण्डस्टोन (पट्टीफर्शी)	बेगूं तहसील के रावडदा, मेनाल, खोखरा व उमर क्षेत्र में ।
2.	लाइमस्टोन (फर्शी व खण्डा पत्थर)	बेगूं तहसील के भीचोर एवं पारसोली क्षेत्र, चित्तौड़गढ़ तहसील के मानपुरा, भेरडा, पावा, मेन्ती, निम्बाहेड़ा तहसील के विनोता, मल्ला, सालरमाला, नारेला, टाटरमाला, जलिय, मेगता, अरनिया, भाण्डी, माताजी, आदि क्षेत्र । भदेसर तहसील का खोड़िप क्षेत्र ।
3.	मारबल	चित्तौड़गढ़ क्षेत्र के मान्दलदेह क्षेत्र में निम्बाहेड़ा तहसील के लखडावन क्षेत्र में भदेसर तहसील का क्षेत्र भावनाथ जी की खेडी, डूंगला तहसील के क्षेत्र अभयपुरा आदि में ।
4.	लाइमस्टोन (चिप्स पत्थर व चूना पत्थर)	चित्तौड़गढ़ व निम्बाहेड़ा तहसील के जुटवाड़ा क्षेत्र में ।
5.	बजरी व मेसनरी स्टोन	इस जिले के करीब-करीब सारे क्षेत्र में स्थानीय उपयोग हेतु ।
	प्रधान खनिज	
1.	लाइमस्टोन (सीमेण्ट ग्रेड)	बेगूं तहसील के पारसोली एवं भीचोर क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ तहसील के भेरडा, भोरईखेडा, कोरखेडा, मानपुरा, सिरडी, पावा व शम्भूपुरा के निकट के क्षेत्र में एवं निम्बाहेड़ा क्षेत्र में निम्बाहैडा एवं मांगरोल, अहूरियों का खेड़ा, पिरोना आदि क्षेत्र में ।

(खनिज मंत्री)

1	2	3
2.	रेडओर/चाइनाक्ले	चित्तौड़गढ़ तहसील के भोजून्दा, मेनवा, सिन्दूरी, सिरोडी, सूरजपोल, वनस्थी वोददा, वराडप, कचारिया, जापरखेडा जितावल, रघुनाथपुरा, पुरोहितों का मावना, पारलिया, पाण्डोली, गंगरार, विन्दोलिया, पारोली, आजोरिया का खेडा एवं वेगूं तहसील के मालीखेडा, नाल, कनकपुरा आदि । निम्बाहेड़ा तहसील के मानगढ़ एवं भदेसर तहसील के केसरपुरा, गरदाना, मेडिया, जितावल, लडेर, मांड, शेरगढ़, हट्टीपुरा, मानजी का गुडा, तेजपुरा, उठेलखेड़ा, नापावली, घोत, केसरपुरा, ढाणी, जितावल, मानजी का गुढा, कन्नोजिया, नापावली केरींग का खेडा, बडी सादड़ी तहसील के लालपुरा, उठलखेड़ा, बड़ी सादड़ी, निकुम, उठेन, उठलखेडा, भावनपुरा, छोटी सादड़ी क्षेत्र 'में नारायजी, ईटातालाव, गाथरीयावास, लूनी, बम्बोरा, छोटी तहसील के वीपरछर, बपेरी आदि क्षेत्रों में ।
3.	वेरायटीज	प्रतापगढ़ के क्षेत्र अनूपपुरा में ।
4.	घीया पत्थर	निम्बाहेड़ा तहसील के क्षेत्र में पानगढ़ एवं प्रतापगढ़ तहसील के क्षेत्र चिकलार में ।

(2) जिले की आय लगभग रुपया 1 करोड़ 10 लाख है ।

(3) आर०पी०आर०एल० एवं खनन पट्टों कुल संख्या तथा सिमित खनन कार्य को देखते हुये वर्तमान में सहायक खनिज अभियन्ता, चितौड़गढ के कार्यालय को क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

क्रेशर लगाने में प्राथमिकता

588. **श्री रघुवीरसिंह कौशल** (बारां): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अधिसूचना संख्या 1/12(15) खान/ग्रुप-1/82 एस. ओ. 3 दिसम्बर, 1982 के द्वारा राजस्थान माइनर एण्ड मिनरल कन्सेशन रूल्स, 1982 के नियम 7 के अन्तर्गत संशोधन कर पत्थर

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)
की माइनिंग लीज एरिया में क्रेशर लगाने वालों को प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है।

(2) कोटा जिले में क्रेशर लगाने के इच्छुक कितने व्यक्तियों को माइनिंग लीज दी गई है?

(3) कोटा जिले की लाडपुरा तहसील से कितने व्यक्तियों को माइनिंग लीज एरिया में क्रेशर लगाने के कारण वेदखल किये जाने की कार्यवाही की जा रही है? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(4) क्या राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 15-5-81 में राजस्व व खनिज विभागों में असहयोग होना बताया गया है? यदि हां, तो समन्वय की कमी किस कारण है?

उत्तर

(1) जी हां। तथापि सम्बन्धित अधिसूचना संख्या नं.1/12(15) खान/ग्रुप-1/82 दिनांक 30 दिसम्बर, 1982 को प्रकाशित हुई थी।

(2) उपरोक्त अधिसूचना जारी होने के बाद कोटा जिले के क्षेत्र में क्रेशर हेतु दो खनन पट्टे स्वीकृत किये गये हैं।

(3)) खनन पट्टाधारियों को वेदखल तभी किया जाता है जब उनके द्वारा माइनिंग लीज की शर्तों की पालना नहीं की गई हो। यदि नियमानुसार कार्य होता रहे तब बेदखल किये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। वर्तमान में किसी मामले में बेदखली की कार्यवाही नहीं की जा रही है।

(4) जी हां तथापि राजस्व व खनिज विभाग में सामान्यत: असहयोग जैसी बात नहीं है। खनिज विभाग नियमानुसार खनिज पट्टे स्वीकृत करता है व पट्टाधारी जहां आवश्यक हो राजस्व विभाग की अनुमति प्राप्त कर ही खनन कार्य कर सकता है।

राज्य के बीड़ी उद्योग

589. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि बीड़ी बनाने वाले कारखानों के मालिकों को तत्सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करना पड़ता है? यदि हां, तो इसको प्रस्तुत करने हेतु क्या समयावधि निर्धारित है?

(2) क्या अजमेर के कारखानों के मालिकों ने ये वार्षिक रिटर्न्स समय पर प्रस्तुत किये हैं? यदि हां, तो इन मालिकों ने अन्तिम बार ये रिटर्न कब-कब प्रस्तुत किये और उन्हें कब-कब प्रस्तुत करना था? कृपया अन्तिम बार प्रस्तुत रिटर्न्स की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, वार्षिक प्रतिवेदन हर वर्ष के माह अप्रेल की 30 या 30 तारीख से पूर्व भेजनी पड़ती है।

(श्रम मंत्री)

(2) वर्ष 1982-83 का प्रतिवेदन अप्रेल, 1983 की 30 तारीख या इससे पूर्व नियमानुसार प्रस्तुत करनी थी प्रस्तुत करने की तिथि निम्न तालिका में संस्थान के नाम के सामने अंकित है :–

क्रमांक	संस्थान का नाम	अन्तिम बार रिटर्न प्राप्त होने की दिनांक
1.	मैसर्स रामसिंह शंकरसिंह, अजमेर	5.4.83
2.	मैसर्स प्रेमचन्द इन्द्रसिंह, अजमेर	7.4.83
3.	मैसर्स त्रिलोकचन्द हंसराज, अजमेर	7.4.83
4.	मैसर्स सेवकराम बीड़ी वर्क्स, अजमेर	12.4.83
5.	मैसर्स खण्डेलवाल ब्रादर्स, अजमेर	28.4.83
6.	मैसर्स ठाकूमल रेवाचन्द, अजमेर	7.5.83
7.	मैसर्स जनता बीड़ी फैक्ट्री, अजमेर	11.5.83
8.	मैसर्स दिनेश पटेल फतहलाल, अजमेर	24.5.83
9.	मैसर्स चूहड़ दी शेर बीड़ी वर्क्स, अजमेर	27.5.83
10.	मैसर्स जबरीलाल प्रकाशचन्द, अजमेर	7.6.83
11.	मैसर्स गोपाल बीड़ी वर्क्स, अजमेर	17.6.83
12.	मैसर्स मोतीलाल सम्पतलाल, अजमेर	21.6 83

उपरोक्त संस्थाओं के वार्षिक रिटर्न्स की प्रतिलिपियां सदन के पटल पर रखना लोकहित में नहीं है। फिर भी चूंकि 198- के सत्र में प्रश्न सं. 450 के सिलसिले में रिटर्न्स की प्रतियां माननीय अध्यक्ष महोदय ने मांगी थीं, उस पर अभी तक उनका निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है कि ये प्रतियां सदन के पटल पर रखी जावें अथवा नहीं। निर्णय प्राप्त होने पर उसके अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

पीपलियां (पाली) उद्योग मजदूरों के साथ अमानवीय व्यवहार

590. **श्री सुखलाल सेंणचा** (रायपुर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार को इस तरह की शिकायत प्राप्त हुई है कि ग्राम पीपलियां, जिला पाली में प्रेम केबल्स, पी. जी. फोइल्स तथा अन्य उद्योगों में मजदूरों के प्रति बड़ा अमानवीय व्यवहार हो रहा है तथा उन्हें प्रति दिन 5-7 रु. देकर न्यूनतम मजदूरी के वाउचर पर दस्तखत कराये जा रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(2) क्या सरकार उपरोक्त तथ्यों की जांच करवायेगी तथा दोषी लोगों के विरुद्ध कोर्ट में चालान पेश करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। नियमान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(2) शिकायत प्राप्त होने पर न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत श्रम निरीक्षक द्वारा दिनांक 2.3.84, 3.3.84 को निम्न संस्थानों का निरीक्षण कराया गया :–

1. पी जी. फोइल्स प्रा. लि. पीपलियां कलॉं।

2. पीपलियां इन्जीनियरिंग वर्क्स, प्रा. लि. पीपलियां कलां।

3. प्रेम केबल्स प्रा. लि. (रूलिंग डिवीजन)।

4. प्रेम केबल्स प्रा. लि. (कण्डक्टर डिवीजन)।

1. पीपलियां इन्जीनियरिंग वर्क्स प्रा. लि. पीपलियां कलां 2. प्रेम केबल्स प्रा. लि. (रूलिंग डिवीजन)। 3. प्रेम केबल्स प्रा. लि. (कण्डक्टर डिवीजन) में श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम वेतन से वेतन कम नहीं दिया जा रहा है लेकिन पी. जी. फोइल्स प्रा. लि., पीपलियां कलां में 15 श्रमिकों को (सूची संलग्न है) अर्द्ध-कुशल श्रमिक की निर्धारित न्यूनतम वेतन वेतन से कम वेतन दिया जाना पाया गया। इन श्रमिकों को कम वेतन दिये जाने का दावा प्राधिकारी, न्यूनतम वेतन अधिनियम के समक्ष दिनांक 14/3/84 को किया जा चुका है जो विचाराधीन चल रहा है। दावे में 1,422/– रुपये का क्लेम किया गया है।

इसके अलावा नियमानुसार उक्त संस्थानों द्वारा वार्षिक रिटर्न्स प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 28.3.84 को न्यायालय मुन्सिफ मजिस्ट्रेट जैतारण में चालान उक्त चारों संस्थाओं के विरुद्ध प्रस्तुत किये गये।

(सूची के लिए परिशिष्ट 12 देखें)

मांगरोल पन विद्युत गृह का निर्माण कार्य

591. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा)

एवं श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पीपल्दा क्षेत्र के मांगरोल पन विद्युत गृह के निर्माण पर वर्ष 1983-84 में कितनी राशि खर्च किये जाने का प्रावधान था तथा कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

(2) वर्ष 1984-85 में उक्त योजना पर कितनी राशि खर्च किये जाने का प्रावधान है ?

उत्तर

(1) पीपल्दा क्षेत्र के मांगरोल पन विद्युत गृह के निर्माण पर वर्ष 1983-84 के संशोधित बजट अनुमानों में अलग से कोई प्रावधान नहीं है। छोटी लघु पन बिजली योजनाओं (मांगरोल) सूरतगढ़,

(ऊर्जा मंत्री)

चारनवाला, बिरसलपुर, जाखम, आर.एम.सी. माही द्वितीय, पूगल एवं अन्य) के लिए वर्ष 1983-84 में 10 लाख रुपये का प्रावधान था तथा इस मांगरोल परियोजना पर वर्ष 1983-84 में करीब 40 हजार रुपये खर्च होने का अनुमान है।

(2) मांगरोल पन विद्युत गृह के निर्माण पर वर्ष 1984-85 के बजट अनुमानों में अलग से कोई प्रावधान नहीं है। परन्तु कुल मिलाकर लघु पन बिजली योजना (मांगरोल, सूरतगढ़, चारनवाला, बिरसलपुर, जाखम, आर.एम.सी. माही द्वितीय, पूगल एवं अन्य) के लिए एक करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

विद्युत मण्डल में कार्यरत वर्कचार्ज श्रमिक

592. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) प्रदेश में इस समय विद्युत मण्डल में कितने वर्कचार्ज श्रमिक कार्य कर रहे हैं?

(2) क्या राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल वर्कचार्ज श्रमिकों को नियमित करने का विचार कर रहा है? यदि हां, तो कितने श्रमिकों को नियमित किया जायेगा तथा कब से?

(3) वर्क चार्ज श्रमिकों को नियमित करने का क्या मापदण्ड होगा?

उत्तर

(1) 31 मार्च, 1983 को 6871 वर्कचार्ज व 1865 अन्य दैनिक वेतन भोगी, केज्युअल आदि श्रमिक कार्यरत थे।

(2) जी हां। अभी ऐसे सभी श्रमिकों को जिन्होंने 2 वर्ष की निरन्तर सेवा अवधि दिनांक 31 मार्च, 1982 को पूर्ण करली है उनको नियमित करने के उद्देश्य से स्क्रीन किया जा रहा है।

(3) कमेटी द्वारा स्क्रीन करने के बाद उसकी सिफारिश ही मुख्य मापदण्ड होगी।

चित्तौड़गढ़ के प्रतापगढ़ जनजाति क्षेत्र में विद्युतीकरण

593. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

चित्तौड़गढ़ जिले के प्रतापगढ़ जनजाति क्षेत्र में वर्ष 1983-84 में किन-किन गांवों को विद्युतीकृत कर कितने व्यक्तियों के घर एवं कुओं पर विद्युत कनेक्शन दे दिये गये है?

चित्तौड़गढ़ जिले के प्रतापगढ़ जनजाति क्षेत्र में वर्ष 1983-84 (माह फरवरी 84 तक) में जिन-जिन गांवों को विद्युतीकृत किया गया है व इन विद्युतीकृत गांवों में जिन-जिन व्यक्तियों को घर एवं कुओं पर विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं उनका विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शाया गया है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट 13 देखें)

"गांवों में उजाला" सूत्र के अन्तर्गत विद्युत कनेक्शन

594. **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 में 20 सूत्री कार्यक्रम के "गांवों में उजाला" सूत्र के अन्तर्गत भीलवाड़ा जिले के किन-किन गावों में कितने विद्युत कनेक्शन दिये गये ?

(2) उक्त लाइनों पर क्या विद्युत चालू हो गया ? यदि नहीं हुआ तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 में 20 सूत्री कार्यक्रम के "गांवों में उजाला" सूत्र के अन्तर्गत भीलवाड़ा जिले में जिन-जिन गांवों में जितने-जितने विद्युत कनेक्शन दिये गये उनका विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शाया गया है ।

(2) जी हां, उपरोक्त विद्युतीकृत गांवों में लाइनों पर विद्युत प्रवाह चालू है ।

(विवरण के लिए परिशिष्ट 14 देखें)

पं. स. मारवाड़ जंक्शन के अ.जा./जनजाति मोहल्लों में विद्युत कनेक्शन

595. **श्री भैरूंसिंह गुर्जर** (खारची) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी में जून, 1980 से फरवरी, 1984 तक कितने गांवों के अनुसूचित जाति व हरिजन मोहल्लों में विद्युत उपलब्ध कराई गई ?

(2) बाकी बचे गांवों के हरिजन मोहल्लों को बिजली पहुंचाने की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन, रानी एवं देसूरी में माह जून, 80 से माह फरवरी, 84 तक 23 ग्रामों के 54 अनुसूचित जाति व हरिजन मोहल्लों में विद्युत उपलब्ध कराई गई ।

(2) बाकी बचे गांवों के हरिजन मोहल्लों को बिजली पहुंचाने हेतु उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर नियमानुसार बिजली पहुंचाई जाने की स्वीकृति की जा सकेगी ।

तह. डीडवाना जिला नागौर के ग्रामों को विद्युतीकरण करने का सरकार का विचार

596. **श्री उम्मेदसिंह** (डीडवाना) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या ग्राम ज्याणी तहसील जायल ग्राम बिचाव बोठड़ी आगन्ता व आजडोली तहसील डीडवाना जिला नागौर में विद्युतीकरण करने के बारे में सरकार कोई इरादा रखती है ? यदि हां, तो इन गांवों का विद्युतीकरण कब तक हो जाएगा ?

उत्तर

ग्राम जाणी तहसील जायल, बिचाव, बाढडी, अगुन्ता एवं आजडोली तहसील डीडवाना के विद्युतीकरण हेतु अभी योजनायें स्वीकृत नहीं हैं। स्वीकृत योजना के अभाव में उक्त ग्रामों के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में अभी निश्चित रूप से कुछ कहना संभव नहीं है।

सैकण्डरी स्कूल पावटा

597. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि शकील पुत्र मुनीर खां के नाम से सैकण्डरी स्कूल पावटा में अध्यापक हैं? यदि हां तो, कब से? इनके शिक्षा का स्तर क्या है तथा ये कहां के निवासी हैं? इन्होंने मिडिल, सैकेण्डरी, इण्टरमीडियेट तथा स्नातक कहां-कहां से की? पूर्ण विवरण सहित जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि शकील पुत्र मुनीर खां निवासी बालाहेड़ी सैकण्डरी स्कूल की परीक्षा पास करके मर गया था? यदि हां, तो कब? क्या मृतक के नाम के प्रमाण-पत्रों के आधार पर श्री जमालु पुत्र श्री इस्माइल खां निवासी बालाहेड़ी तहसील महवा जिला सवाईमाधोपुर शकील पुत्र मुनीरखां के नाम से सर्विस कर रहा है? यदि हां, तो इसके विरुद्ध क्या विभाग द्वारा फौजदारी कानून के तहत कार्यवाही की गई है?

(3) क्या इस सन्दर्भ में विभाग को पूर्व में कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो कब-कब तथा उसका क्या निस्तारण किया गया?

उत्तर

(1) श्री शकील अहमद पुत्र श्रीमोहम्मद मुनीर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पावटा जिला सवाईमाधोपुर में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर दिनांक 22–10–76 से कार्यरत है। उक्त श्री शकील अहमद की योग्यता बी.ए,बी.एड. एवं एम ए. (अंग्रेजी पूर्वार्द्ध) हैं। राज्य सेवा में प्रविष्टि पर प्रथम सेवा पुस्तिका में उलूपुरा तहसील बैर का निवासी लिखा है। परन्तु प्रथम सेवा पुस्तिका के भर जाने पर दूसरी सेवा पुस्तिका प्रारम्भ होने पर बालाहेड़ी का निवासी लिखा हैं। दोनों सेवा पुस्तिकाओं में निवासी का पता पृथक-पृथक हैं। अतः इस सम्बन्ध में जांच के निर्देश दिये जा रहे हैं। मिडिल का प्रमाणपत्र उक्त अध्यापक ने प्रस्तुत नहीं किया है। और लिखित में यह दिया है कि हाई स्कूल की परीक्षा स्वयंपाठी के रूप में सन् 1953 में केन्द्र राजकीय हाई स्कूल भरतपुर सिटी से पास किया था। इन्टरमीडियट परीक्षा राजपुताना विश्वविद्यालय से सन् 1956 में महाराजा कालेज, जयपुर से, बी.ए. परीक्षा महाराजा कालेज, जयपुर से पूर्व छात्र के रूप में सन् 1964 में एवं बी.एड.आर.ई.आई. कालेज दयाल बाग आगरा से सन् 1966 में उत्तीर्ण की है।

(शिक्षा मन्त्री)

(2) सरपंच ग्राम पंचायत बालाहेड़ी के प्रमाण-पत्र दिनांक 31-3-84 के आधार पर ग्राम बालाहेड़ी में शकील पुत्र श्री मुनीर खां नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, न है। प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बालाहेड़ी के पत्रांक 87। दिनांक 31-3-84 के अनुसार शकील पुत्र मुनीरखां नाम के किसी भी व्यक्ति ने विद्यालय से सैकण्डरी परीक्षा पास नहीं की है। श्री जमालु पुत्र इस्माइल खां नाम का कोई व्यक्ति था या नहीं, यदि कोई था तो वह कहां गया और क्या उलूपुरा निवासी श्री शकील से इससे किस प्रकार का संदर्भ है इसकी जांच के आदेश दे दिये हैं।

(3) इस सम्बन्ध में इस कार्यालय को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

सीसवाली (कोटा) का जीर्णशीर्ण विद्यालय भवन

598. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** (बारां) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सीसवाली (कोटा) उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है ? यदि हां, तो उसकी मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ?

उत्तर

जी नहीं। भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में नहीं है। मरम्मत की अवश्य आवश्यता है जिसके लिये 25,000/- रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है।

अनुदानित शिक्षण संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति

599. **श्री शिवराम शर्मा** (बनी-पार्क : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कि संस्कृत शिक्षा विभाग के अधीनस्थ अनुदानित शिक्षण संस्थाओं को कर्मचारियों की नियुक्ति का अनुमोदन विभाग से लेना आवश्यक है ?

(2) क्या चयन समिति में विभागीय प्रतिनिधि का होना आवश्यक है ?

(3) क्या चयन समिति में विभागीय प्रतिनिधि के बिना की गई नियुक्ति अवैध है ?

(4) क्या उक्त अवैध मियुक्ति पर संस्था द्वारा किया गया व्यय अमान्य है।

(5) क्या सभी अनुदानित संस्थाओं के साथ समान नीति अपनाई जाती है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा जिन संस्थाओं ने विभागीय प्रतिनिधि की बिना पुष्टि के नियुक्तियां की हैं उनके व्यय को अमान्य क्यों नहीं किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) रजिस्टर्ड डाक से सूचना 15 दिवस

(शिक्षा मन्त्री)

पूर्व न देने तथा विभागीय प्रतिनिधि की आकस्मिक असर्थता के अलावा उसकी अनुपस्थिति में की गयी नियुक्तियां अवैध मानी जाती हैं।

(4) जी हां।

(5) जी हां। सभी अनुदानित संस्थाओं पर समान नीति अपनाई जाती है। जिन संस्थाओं में विभागीय अधिकारी की पुष्टि के बिना नियुक्तियां की हैं उनका अनुमोदन नहीं किया जाता है और उक्त अनुमोदन के अभाव में व्यय मान्य नहीं किया जाता।

उदयपुर जिले के हाई स्कूल

600. श्री कमलेन्द्र सिंह (बल्लभनगर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

उदयपुर जिले में ऐसे कितने हाई स्कूल हैं जिनमें कक्षा 9 और 10 में दस छात्र से भी कम हों ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

उदयपुर जिले में ऐसे हाई स्कूल जिनमें कक्षा 9 और कक्षा 10 में 10 छात्र से भी कम हैं, की सूची निम्न प्रकार है—

(अ) विद्यालय जिनकी कक्षा 9 में छात्र संख्या 10 से कम है—

क्र.सं	विद्यालय का नाम	छात्र सं.
1	रा. मा. वि., तिलोदा	9
2	रा. मा. वि., ढिगडो	7

(ब) विद्यालय जिनकी कक्षा 10 में छात्र संख्या 10 से कम है —

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	छात्र सं.
1	रा. मा. वि., सेगल	7
2	रा. मा. वि., जगल	9
3	रा. मा. वि., ओगणा	9
4	रा. मा. वि., सयोधा	9
5	रा. मा. वि., ढिगडी	9

घाटोल हायर सैकण्डरी स्कूल में कृषि विषय

601. श्री पूंजी लाल (घाटोल) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि घाटोल हायर सैकण्डरी स्कूल में कृषि विषय खुला हुआ है ?

(2) क्या यह भी सही है कि कृषि विषय चलाने के लिये जमीन, कुआं, बैलों की की व्यवस्था पूर्ण रूप से थी ?

(3) क्या यह भी सही है कि 1973–74 में बिजली के करेन्ट लगने से दोनों बैल मर गये जिसकी रिपोर्ट प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षा विभाग को दी गई थी और तभी से कृषि विषय की पढ़ाई बन्द है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त हायर सैकण्डरी स्कूल में कृषि विषय को पुनः चालू करने हेतु क्षेत्र के विधायक ने भी मांग की है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में इस स्कूल में फिर से कृषि विषय चालू कर-

(श्री पूंजीलाल)

वायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। हायर सैकण्डरी स्कूल घाटोल में सन् 1968 से कृषि विषय प्रारम्भ हुआ।

(2) जी हां। सन् 1974–75 तक कृषि विषय के लिए कुआं, जमीन व बैलों की पूर्ण व्यवस्था थी।

(3) बिजली का करन्ट लगने से दोनों बैल 1974–75 में दिनांक 21-7-75 को मर गये। जिसकी रिपोर्ट प्रधानाध्यापक ने विभाग को दी। कृषि विषय की पढ़ाई बन्द नहीं है।

(4) इस विद्यालय में कृषि विषय नियमित रूप से चल रहा है। अतः पुनः यह विषय खोलने का प्रश्न नहीं उठता।

अजमेर में विधि सहायता के अन्तर्गत अधिकारियों को दी गई राशि

602: **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर जिले में विधि सहायता के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 में कुल कितनी-कितनी राशि किस-किस अधिकारी को सुपुर्द की गई थी ?

(2) इस राशि में से सहायता प्राप्त करने हेतु गरीब वर्ग व अनुसूचित जाति व जनजाति के कुल कितने लोगों ने प्रार्थना-पत्र दिये और उन्हें कब कितनी सहायता स्वीकार कर भुगतान किया गया ?

उत्तर

(1) अजमेर जिले में विधिक सहायता के अन्तर्गत निम्न प्रकार धनराशि आवंटित की गई—

		वर्ष 1982–83	वर्ष 1983–84
1.	राजस्व मण्डल, अजमेर	5000/–	5000/–
2.	जिला व सेशन न्यायाधीश, अजमेर	2000/–	2500/–
3.	मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, ब्यावर	1000/–	—
4.	व्यवहार न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ब्यावर	—	1000/–
5.	मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नसीराबाद	1000/–	1000/–
6.	मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, केकड़ी	1000/–	1000/–
7.	मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगढ़	1000/–	1000/–

(विधि मन्त्री)

(2) अजमेर जिले में आवंटित धनराशि के अन्तर्गत निम्नलिखित राशि खर्च की गई—

		वर्ष 1982-83	वर्ष 1983-84
1.	अजमेर	—	—
2.	केकड़ी	—	—
3.	नसीराबाद	—	—
4.	ब्यावर	—	—
5.	किशनगढ़	700/-	—

नोट—किशनगढ़ में उक्त धनराशि में से रु. 300/- अनुसूचित जाति के तीन व्यक्तियों को और 400/- अन्य चार गरीब व्यक्तियों को विधिक सहायता हेतु भुगतान की गई ।

पाली जिले के सड़क से जुड़े गांवों को यातायात सुविधा

603. **श्री गोकुलचन्द शर्मा** (सुमेरपुर) व **श्री भैरूंसिंह गुर्जर** (खारची) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार पाली जिले के सड़क से जुड़े हुए गांवों के लिए रूटों का सर्वे करवाकर स्थाई या अस्थाई परमिट देकर यातायात सुविधा दिलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नही, तो क्यों ?

(2) क्या इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कई एक आपरेटर्स स्वीकृत रूट के गांवों में बस नहीं ले जाते हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इन्हें स्वीकृत रूट पर चलने के लिए पाबन्द करेगी ?

उत्तर

(1) जी, हां । निम्नलिखित गांवों को बस मार्गों से जोड़ने हेतु सर्वे करवा लिया गया है व परमिट स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में मामला प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, जोधपुर के समक्ष विचाराधीन है ।

1. कटाड़ी 2. वासनी 3. चोकड़िया 4. जीवन्द कला 5. इन्द्राचारनान 6. बड़ोद 7. बेसूली 8. इन्द्रवाडा 9. सोकड़ा 10. पुराडा 11. गोरड़ 12. बारवा 13. बेडल 14. कोली वाज ।

(2) जी हां । निम्नलिखित मार्गों के उनके समक्ष अंकित मार्गांश पर बसें नहीं चलने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं । दोषी बस मालिकों को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 60 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये हैं—

(यातायात मन्त्री)

मार्ग का नाम	मार्गांश जिस पर बसें नहीं चलने की शिकायत प्राप्त हुई है।
1. सुमेरपुर से भाद्रामुक	चांदराई से भाद्रामुक
2. बाली-राणी-देसूरी-सादड़ी	देसूरी से सादड़ी व बाली से राणी
3. सुमेरपुर-रामसीन	जावान से रामसीन।

604. **गढ़ी सांवलदास के महन्त की हत्या**

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

गढ़ी सांवलदास के महन्त दामोदरदास की हत्या के बाद गढ़ी सांवलदास की भूमि व सम्पत्ति पर किसका कब्जा है और राज्य सरकार इस सम्बन्ध में अपनी जिम्मेदारी किस प्रकार निभा रही है ?

उत्तर

गढ़ी सांवलदास की चल सम्पदा पुजारी श्री मथुरादास को सुपुर्द की गई है तथा कृषि भूमि पर संलग्न सूची के अनुसार ग्रामीणों का अनाधिकृत कब्जा है। अनाधिकृत कब्जेधारियों के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास की धारा 41 के तहत गढ़ी सांवलदास के कार्यकारी प्रन्यासी की नियुक्ति की कार्यवाही चल रही है।

(सूची के लिए परिशिष्ट 15 देखें)

मेहन्दीपुर बालाजी का ट्रस्ट

650. **श्री रंगजी मीणा** (सपोटरा), **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) व **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मेहन्दीपुर बालाजी में क्या कोई ट्रस्ट है ? यदि हां, तो इसका गठन कब हुआ तथा इसके कौन-कौन न्यासी हैं ? गठन के समय से लेकर अब तक कौन कौन न्यासी कब कब रिटायर हुए ? कृपया सम्पूर्ण सूचना मय पूर्ण पते के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या स्थानीय जन प्रतिनिधि भी इस न्यास के न्यासी हैं ? यदि नहीं, तो क्या शामिल किये जाने का इरादा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या जन प्रतिनिधियों को शामिल करने बाबत सरकार को आम जनता की ओर से 4 फरवरी, 1984 को ज्ञापन दिया गया था ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। मन्दिर श्री मेहन्दीपुर बालाजी प्रन्यास का गठन दिनांक 8-3-66

(देवस्थान मन्त्री)

को देवस्थान विभाग में पंजीयन द्वारा हुआ। प्रन्यास के वर्तमान में प्रन्यासी महन्त श्री किशोरपुरी हैं। गठन के समय से अब तक श्री गणेशपुरी के देहान्त के कारण उनके स्थान पर कार्यवाहक प्रन्यासी श्री किशोरपुरी बने। इस प्रन्यासी के विधान/ट्रस्ट डीड के अनुसार प्रबन्ध कमेटी गठित की हुई है जिसके अध्यक्ष महन्त स्वयं हैं। इनका पता है : घाटा वालाजी मेहन्दीपुर जिला सवाई-माधोपुर।

(2) जी नहीं। यह एक एकल न्यासी प्रन्यास है। प्रन्यास के विधान के अनुसार ही न्यासी की नियुक्ति की जा सकती है।

(3) जी नहीं।

सहकारी समिति, मिण्डा द्वारा नियन्त्रित मूल्य की दुकान

606. **श्री रामेश्वर लाल** (नावां) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नियन्त्रित मूल्य की दुकानों के लाइसेंस देने में सबसे प्राथमिकता स्थानीय ग्राम सेवा सहकारी समितियों को दी जाती है ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति, मिण्डा द्वारा ग्राम मिण्डा में नियंत्रित मूल्य की दुकान लेने हेतु आवेदन किया गया था ?

(3) क्या यह भी सही है कि जिला रसद अधिकारी, नागौर द्वारा ग्राम मिण्डा में नियन्त्रित कपड़ा मूल्य की दुकान ग्राम सेवा सहकारी समिति को न देकर प्राइवेट व्यक्ति को दे दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या उक्त प्रक्रिया में जिला रसद अधिकारी ने नियमों की अवहेलना की है ?

(5) यदि हां, तो अधिकारी के विरुद्ध राज्य सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। ग्राम सेवा सहकारी समिति, मिण्डा नाम की कोई समिति नहीं है। मिण्डा पंचायत क्षेत्र, देवली ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. देवली (जिला नागौर) के कार्य क्षेत्र में आता है तथा इस समिति ने ग्राम पंचायत मिण्डा में अक्टूबर, 83 में लेवी चीनी का रिटेलर नियुक्त करने हेतु आवेदन पत्र दिया था।

(3) जी नहीं। ग्राम सेवा सहकारी समिति देवली ने ग्राम मिण्डा के लिए नियंत्रित कपड़े की दुकान आवंटन हेतु कोई आवेदन नहीं किया। समिति ने अक्टूबर, 83 में ग्राम मिण्डा में उनकी लेवी चीनी के रिटेलर नियुक्त किये जाने हेतु आवेदन अवश्य किया था। इस आवेदन से पूर्व ही अर्थात् 18-6-82 से श्री नाहरसिंह पुत्र श्री खांगसिंह एवं श्री गंगाराम पुत्र श्री हनुमान प्रसाद निवासी मिण्डा जिनकी सरपंच की सिफारिश पर तहसीलदार नावां ने उचित मूल्य की दुकान आवंटित की थी, कार्यरत थे।

(खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री)

(4) जी, नहीं ।

(5) प्रश्न नहीं उठता ।

तहसील अरनोद के ग्राम अरनोद में लैम्पस व लक्ष्मी क्रय-विक्रय सहकारी समिति

607. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील अरनोद के ग्राम अरनोद में लैम्पस व लक्ष्मी क्रय विक्रय सहकारी समिति चल रही है ?

(2) क्या यह सही है कि सीमेंट वितरण के लिए लैम्प अरनोद से वितरण उसे दिलाने के लिये प्रस्ताव जिलाधीश, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सीमेंट वितरण का काम प्राइवेट फर्म को क्यों दिया गया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि वर्तमान फर्म के विरुद्ध उपभोक्ताओं से निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने व काला-बाजार करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो इन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा प्राइवेट फर्म को सीमेंट वितरण का अधिकार कब से एवं किन कारणों से दिया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) लैम्प अरनोद ने सीमेन्ट वितरण के कार्य के लिए निर्धारित फार्म में दि. 29-12-83 को आवेदन किया । इसके बाद दि. 11-1-84 को अध्यक्ष, लैम्पस अरनोद ने समिति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण सीमेन्ट का कार्य कर पाने में असमर्थता जाहिर की । इस पर भी जिला प्रशासन द्वारा दि. 7-2-84 को लैम्पस की आर्थिक स्थिति के बारे में सूचना चाही गई जो अब तक उपलब्ध नहीं हो पाई है । प्राइवेट डीलर पूर्व से ही अर्थात् दि. 21-8-81 से, जब कोई सहकारी संस्था सीमेन्ट का कार्य करने को तैयार नहीं थी, कार्यरत है ।

(3) जी हां । एक अहस्ताक्षरित शिकायत प्राप्त हुई थी जो जांच करने के पश्चात् निराधार पाई गई । प्राइवेट डीलर दि. 21-8-81 से नियुक्त है । जब कोई भी सहकारी संस्था सीमेन्ट का कार्य करने को तैयार नहीं थी तब प्राइवेट फर्म को सीमेन्ट वितरण का कार्य दिया गया था ।

मेवाड़ काम्पलेक्स योजना के मापदण्ड

608. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पर्यटन विभाग द्वारा मेवाड़ काम्पलेक्स योजना बनाते समय स्थानों का चयन करने हेतु क्या मापदण्ड अपनाये गयें थे ? उनमें किन-किन स्थानों का चयन किस आधार पर किया गया था ?

(2) चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ काम्पलेक्स योजना के तहत सम्मिलित नहीं करने के क्या कारण थे ?

श्री (घनश्याम तिवाड़ी)

(3) क्या अब चित्तौड़गढ़ को इस योजना में सम्मिलित करने का सरकार का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) मेवाड़ काम्पलेक्स योजना बनाते समय महाराणा प्रताप के जीवन के महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। चयनित स्थानों का आधार महाराणा प्रताप के जीवन काल से सर्वाधिक संबंधित होना है। ये स्थान निम्नलिखित हैं :—

1. हल्दी घाटी–चेतक स्मारक, बादशाही बाग, रक्त तलाई।
2. कुम्भलगढ़।
3. गोगुन्दा।
4. चावण्ड।

(2) क्योंकि मेवाड़ काम्पलेक्स के अन्तर्गत केवल उन स्थानों को ही चयनित किया गया है, जो महाराणा प्रताप के जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़े हैं। सब स्थान उदयपुर जिले में ही स्थित हैं।

(3) जी नहीं।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 21 मार्च, 1984)

गांव सूराचन्द्र की सरकारी जमीन पर नाजायज काश्त

263. **श्री राम रघुनाथ चौधरी** (डेगाना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(2) क्या यह सही है कि ख.नं. 191 एवं ख.नं. 189 बाके गांव सूराचन्द गैर मुमकिन नाडी एवं नाडी का आगोर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं ? अगर हां, तो कब से ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त गावाई सरकारी जमीन पर मुसम्मात खानसिंह भूतपूर्व जागीरदार सूरावा ने इस साल नाजायज कब्जा करके जीरे एवं अरन्डी की काश्त की थी ? अगर हां, तो कितने-कितने बीघों में एवं क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि गांव के लोगों से इसके बारे में अधिकारियों एवं सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई थीं ? अगर हां, तो कब उन शिकायतों पर सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

(4) क्या उपरोक्त नाजायज काश्त की हुई फसल सरकार द्वारा जब्त की जाकर नियमानुसार नीलाम कर दी जावेगी ? अगर हां, तो कब तक ?

(5) उपरोक्त सरकारी जमीन पर नाजायाज कब्जा व काश्त कराने की जवाबदारी किसकी है ? उसके विरुद्ध कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। वक्त वन्दोबस्त से दर्ज हैं।

(राजस्व मंत्री)

(2) जी हां। खसरा नम्बर 189 किस्म गैर मुमकिन गोचर के 13 बीघा 18 बिस्वा एवं खसरा नं 191 के 12 बीघा 1 बिस्वा पर नाजायज कब्जा कर काश्त की गई।

(3) जी हां। शिकायत प्राप्त होने पर तहसीलदार के माध्यम से अतिक्रमी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर नाजायज काश्त को जब्त किया जाकर नीलाम किया गया।

(4) नाजायज काश्त की हुई फसल जब्त की जाकर नीलाम कर दी गई है।

(5) उपरोक्त सरकारी जमीन पर नाजायज काश्त कराने की जवाबदारी पटवारी हल्का की है। जिसके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) सर्व श्री हरीश शर्मा, बालचन्द आर्यवीर, अनंग कुमार जैन, रघुवीर सिंह कौशल, सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ जिले के सुनेल कस्बे में हिन्दू व बोहरा समुदाय में आपसी तनाव के विषय में।

(2) श्री मेघराज तावड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्री माणकचन्द मोदी, भूतपूर्व निदेशक, राज्य बीमा विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोपों का चालान पेश करने की इजाजत नहीं देने के विषय में।

(3) श्रीमती विद्या पाठक, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत एक वर्ष से जयपुर में राज्य के पेंशनयाफ्ता लोगों को चिकित्सा सुविधा न मिलने के विषय में।

(4) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी जिले की पत्थर की खदानों में कार्य करने वाले श्रमिकों के साथ खदान मालिकों द्वारा दुर्व्यवहार के विषय में।

(5) श्री बंसीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा सहकारी होलसेल भण्डार के कुछ कर्मचारियों को उच्च न्यायालय के आदेश के उपरान्त भी निलम्बन की अवधि का भुगतान न करने के विषय में।

(6) श्री हंसराज शर्मा व श्री चुन्नी लाल जेलिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर उद्योग, सवाईमाधोपुर द्वारा भारी वायु प्रदूषण होने और ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के अभाव में फसलों के खराब होने के विषय में।

(7) श्री गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर में महावीर आटोमोबाइल्स नामक पैट्रोल पम्प के मालिक द्वारा पैट्रोल व डीजल

(श्री अध्यक्ष)

में केरोसीन मिलाकर बेचने की शिकायत के विषय में।

(8) श्री भंवरलाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर की पुरानी बस्ती में पेयजल की कमी के विषय में।

(9) श्रीमती उज्जला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से शास्त्री नगर, जयपुर के शापिंग सेन्टर में एक शराब का ठेका होने से स्थानीय निवासियों को परेशानी होने के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(10) श्री दाऊदयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से यूनानी चिकित्सकों द्वारा किये जा रहे आन्दोलन के विषय में। यह विषय पूर्व में आ चुका है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(11) श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंजाब में उग्रपंथियों द्वारा की जा रही हिंसक कार्यवाहियों की भर्त्सना राजस्थान विधान सभा द्वारा करने की मांग के विषय में। इस प्रस्ताव का सम्बन्ध राजस्थान राज्य अथवा राजस्थान विधान सभा से नहीं है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से तथ्यात्मक सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री देवीसिंह भाटी-ग्राम मंगनवाला, तहसील कोलायत के एक भारतीय नागरिक श्री अल्ला बसाया को पुलिस द्वारा पाकिस्तान में धकेलने के विषय में। इस प्रस्ताव पर जानकारी का अध्ययन किया जा रहा है और इस पर बाद में निर्णय लिया जायेगा।

(2) श्री फतेसिंह–बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ कस्बे में जनजाति छात्रावास में भ्रष्टाचार। सरकार ने सूचित किया है कि इस विषय में वर्ष 1983–84 के कार्य-कलापों की जांच के निर्देश दे दिये गये हैं और छात्रावास के बालकों को पूरा राशन दिलाने की व्यवस्था की जा चुकी है।

(3) श्री महावीर प्रसाद जैन–ग्राम पंचायत बैहड़ तहसील निवाई, जिला टोंक में तालाबी भूमि में किसानों के विरुद्ध अतिक्रमण दर्ज करने के विषय में। सरकार ने सूचित किया है कि किसी के विरुद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही अथवा पैनल्टी कायम करने की कार्यवाही नहीं की गयी और यह मामला तहसीलदार के पास विचाराधीन है और नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(4) श्री महाराम चौधरी—नागौर जिले के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी। सरकार ने सूचित किया है कि वरिष्ठ अध्यापकों के पद न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण नहीं भरे जा सके हैं और शारीरिक शिक्षकों के पद नियोजन कार्यालय से नाम प्राप्त नहीं होने के कारण नहीं भरे जा सके,

(श्री अध्यक्ष)

सभी रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है।

(5) श्री हंसराज शर्मा व शर्मा व श्री चुन्नीलाल जेलिया—नगरपालिका सवाई माधोपुर में हरिजन बस्तियों में पीने के पानी तथा रोशनी की कमी। सरकार ने सूचित किया है कि हरिजनों की आबादी वाले वार्डों में पीने के पानी व रोशनी की व्यवस्था है और नगरपालिका द्वारा इस विषय पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

(6) श्री बंसीलाल पटवा : भीलवाड़ा जिले की उच्च प्राथमिक विद्यालय की 600 अध्यापिकाओं को फरवरी माह का वेतन न मिलना। सरकार ने सूचित किया है कि सभी अध्यापिकाओं का वेतन का भुगतान दिनांक 20 मार्च, 1984 तक किया जा चुका है, जिन अध्यापिकाओं की नियुक्ति आयु सीमा पार करने पर की गयी उन्होंने कार्यभार नहीं सम्भाला, फिर भी सम्बन्धित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है।

(7) श्रीमती विद्या पाठक–चूना, कली उत्पादकों पर वर्ष 1983 से बिक्री कर लगाना। सरकार ने सूचित किया है कि पूर्व में कर मुक्ति का उद्देश्य छोटे-मोटे ग्रामीण उद्योगों को लाभ पहुंचाना था किन्तु राज्य हित में चूना विनिर्माण पर बिक्री कर से मुक्ति दी गयी फिर भी जिनका वार्षिक टर्न ओवर 25 हजार से कम है वे आज भी बिक्री कर से मुक्त हैं।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : एक साथ नहीं, माननीय सदस्य। भाषण नहीं होगा। अपनी बात कहें। बैठ जायें। मैं आपको अवसर दे दूंगा। श्री महावीर प्रसाद को पुकार रहा हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है।

श्री अध्यक्ष : बैठ जायें। मैं अभी सुन लूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सफाई के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था आयी थी आपके पास, वह व्यवस्था यहां····

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद। बैठ जायें। मैं एक-एक करके अवसर दूंगा। माननीय सदस्या, मैं आपका नाम पुकारूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने पढ़ा नहीं मैंने इसलिए कहा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : एक व्यक्ति का मर्डर हो जाने से टोंक में बिल्कुल

(श्री महावीर प्रसाद सिंह)

आक्रोश की स्थिति बनी हुई है। इसके बारे में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष : आर्डर। माननीय सदस्य, जैसा पूर्व में माननीय सदस्यों से निवेदन किया जा चुका है, आज से पहले जो स्थगन प्रस्ताव दिये गये हैं उनके सम्बन्ध में क्या स्थिति है उसकी····

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, आज ही दिया है। उसकी मौत ही कल हुई थी। आपको आज ही दिया था।

श्री अध्यक्ष : समय से बाद। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में कोई पूछताछ नहीं करेंगे यहां। यदि माननीय सदस्यों को कोई शिकायत है तो उनको कष्ट अवश्य होगा लेकिन मेरे चैंबर में पधार जायें, मैं व्यवस्था कर दूंगा।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यूनानी चिकित्सकों के लिए मैंने आपके सामने स्थगन प्रस्ताव दिया है।

श्री अध्यक्ष : तो उसमें मैं आपको अवसर दे रहा हूं।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : सफाई के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था आप देने वाले थे, आप शायद पढ़ना भूल गये।

श्री अध्यक्ष : मैंने इस सम्बन्ध में कहा है, आपने सुना नहीं। 9 पर है। श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से शराब के ठेके के बारे में।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह नहीं है।

श्री अध्यक्ष : उचित कार्यवाही हेतु भेजा था आपके स्थगन प्रस्ताव को। मैंने निवेदन किया कि इस सम्बन्ध में पूछताछ का जवाब मैं तत्काल नहीं दे सकता। यदि माननीय सदस्यों को कठिनाई है तो मुझ से चैंबर में मिलने का कष्ट करें।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : चैंबर में तो आप लालीपाप दे देते हैं। यों ही राजी करके निकाल देते हो।

श्री अध्यक्ष : यहां उसका क्या है।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : श्री हरीश शर्मा कुछ कहना चाहते हैं।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मामला बहुत गम्भीर है। पूरे झालावाड़ जिले में हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक तनाव चल रहा है। वहां पर दंगा भयंकर रूप से हो जायेगा अगर सरकार ने निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही नहीं की तो। मुझे बहुत दुख है यह कहते हुए····

श्री अध्यक्ष : सुनेल के बारे में है ?

श्री हरीश शर्मा : हां, सुनेल के बारे में।

श्री अध्यक्ष : तो मैंने जानकारी चाही है, माननीय सदस्य। इस पर आज कोई कार्यवाही नहीं होगी। आर्डर, आर्डर। आज चर्चा नहीं होगी।

श्री हरीश शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अत्यावश्यक मामला है। लोग मर जायेंगे। वहां आग फैल जायेगी।

श्री अध्यक्ष : मैं सूचना जल्दी मंगवा रहा हूं।

श्री हरीश शर्मा : आज पंजाब में मर्डर हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अपनी कोई ऐसी परम्परा नहीं रही है। इस वक्त चर्चा नहीं होगी। इस पर चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य।

श्री हरीश शर्मा : बच्चों का अपहरण करके उनकी हत्या कर दी गई है। दिन दहाड़े कतल कर रहे हैं····

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : माननीय सदस्य जो प्रश्न उठा रहे हैं····

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। अंकित नहीं हो।

श्री बालचन्द आर्यवीर : +++

श्री अध्यक्ष : मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। अव्यवस्था फैला रहे हैं। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री बालचन्द आर्यवीर : मैं आसन से निवेदन करूंगा····

श्री अध्यक्ष : अव्यवस्था फैला रहे हैं, माननीय सदस्य। मैं जल्दी ही सूचना मंगवा लूंगा।

श्री बालचन्द आर्यवीर : बच्चों के अपहरणकर्ताओं को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जायेगा····

श्री अध्यक्ष : अव्यवस्था न फैलायें, माननीय सदस्य। बैठ जावें।

श्री हरीश शर्मा : हमने आपकी हर बात को माना है, अध्यक्ष महोदय, लेकिन आज स्थिति भयंकर हो गई है। जहां बच्चों को··

श्री अध्यक्ष : जब मैं चैम्बर में जाऊं तब मुझ से मिलने की कृपा कीजिये। मैं सूचना मंगाने की कोशिश करूंगा।

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : किसानों की लाखों बीघा जमीन ले ली गई और आज भी भूदान में ले ली गई। मैंने प्रस्ताव रखा उसका आज 15 दिन से कोई जवाब नहीं मिला है। काहे के लिए आये हैं हम?

श्री अध्यक्ष : बैठ जावें, माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर। जानकारी मंगाई है।

श्री त्रिलोक सिंह : काहे के लिए आये हैं हम? यहां गूंगा-बहरा बनने के लिए

+++ माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री त्रिलोक सिंह)

आये हैं ? इस गूंगी-बहरी सरकार को हम याद दिलाने आये हैं···

श्री अध्यक्ष : आप सड़क के बारे में कह रहे हैं ?

श्री त्रिलोक सिंह : हां।

श्री अध्यक्ष : तो बीस साल तक दुनियां सोती रही है। मेरे पास अभी आया है, बीस दिन हुए हैं। मैं जानकारी मंगवा रहा हूं। मेरी भी सहानुभूति है···

श्री त्रिलोक सिंह : मैंने पिछले साल भी रखा था।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पंजाब में जो हिंसक घटनायें । है···

श्री अध्यक्ष : मैंने उस सम्बन्ध में व्यवस्था दे दी है।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : मैं बहुत विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि हम सब भारतीय रिपब्लिक के अंग हैं। पड़ोस में जो आग लग रही हो उसके प्रति सतर्कता न बरती जावे तो वह आग यहां पहुंचने में देर नहीं करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था के प्रति विनम्र आदर भावना प्रकट करते हुए आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कल हरियाणा विधान सभा में हुआ, पंजाब की घटनाओं के आधार पर, हरियाणा विधान सभा में पंजाब में जो ये हिंसक कार्यवाहियों में लोग मारे जा रहे हैं उनके प्रति शोक व्यक्त करके सारे दिन भर हरियाणा विधान सभा स्थगित रखी गई। माननीय अध्यक्ष महोदय···

श्री अध्यक्ष : हरियाणा की राजधानी चण्डीगढ़ में है, पंजाब की राजधानी चण्डीगढ़ में है। चण्डीगढ़ शहर के अन्दर हत्यायें हुई हैं। वह एक और बात है उससे अपना कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो उग्रवादी कार्यवाहियां चल रहीं हैं जिनका ईमानदारी, साहस और धैर्य के साथ पंजाब के लोग मुकाबला कर रहे हैं क्या इस विधान सभा में हम अपनी भावना व्यक्त करके उनको नैतिक समर्थन नहीं दे सकते ? एक ही हमारा यह देश है भारत, उसके एक टुकड़े में जिस तरह की आग लग रही है, जिस तरह की हिंसायें हो रही हैं, आज कोई भी अखबार उठाकर देख लीजिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी सवेरे उठते ही जब अखबार पढ़ते होंगे किस तरह की गम्भीर स्थिति पंजाब की हो गई है। आज वहां 12 आदमी मारे गये हैं। सारा पंजाब अशान्त है। देखते ही गोली मारने के वहां पर आदेश दिये जा चुके हैं। तो मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि पंजाब के जो अनुशासित और शान्त नागरिक हैं, उग्रवादी कार्यवाहियों के आतंक में और मौत की छाया में जी रहे हैं। हमारे भाई होने के नाते, भारतीय होने के नाते, कोई दूसरा प्रान्त नहीं है, जो मारे गये हैं उन शहीदों के प्रति इस

(श्री कैलाश मेघवाल)

विधान सभा में शोक व्यक्त करें, उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करें और उग्रवादियों की जो गतिविधियां हैं, हिंसक गतिविधियां हैं, उनकी भर्त्सना करें। यह मैंने आपसे निवेदन किया है। मैं चाहूंगा कि आप इस पर व्यवस्था दें और अपनी सदाशयता से···

श्री अध्यक्ष : मैंने पूर्व में ही इस सम्बन्ध में व्यवस्था दे दी है, माननीय सदस्य। जहां तक खेद व्यक्त करने का, दुख प्रदर्शित करने का प्रश्न है, भरी सभा के अन्दर आपने जो कुछ कहना था, कह दिया। आप जानते हैं कि हमारी सब की भावनायें उसमें आपके साथ हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय···

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : बीकानेर जिले में भी ऐसी स्थिति आ सकती है। ऐसी जो भी हिंसात्मक कार्यवाही हुई है उसके बारे में हमने लोगों को वहां कन्विन्स किया है। लोगों ने समितियां गठित की हैं। आज ऐसी स्थिति में क्या वह राजस्थान में आकर वारदात नहीं कर सकते? अध्यक्ष महोदय, ऐसी घटनायें चण्डीगढ़ और भारत की राजधानी दिल्ली में हो सकती हैं तो क्या राजस्थान और गंगानगर बच सकता है। अध्यक्ष महोदय, आपको इस पर विचार करना चाहिए। माननीय सदस्य ने जो इस प्रकार का प्रस्ताव दिया है उस पर गम्भीरता से विचार करके हमको मौका दीजिए कि हम इस पर विचार प्रकट करें।

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने जो भावना व्यक्त की है उस पर आपने सहानुभूति व्यक्त की। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप आसन की तरफ से उस भावना को व्यक्त कर दें तो हमारी यह आवाज देश में सब तरफ फैलेगी और हम पंजाब के जो अनुशासित नागरिक हैं उनके प्रति अपना कर्तव्य पूरा करेंगे, मेरा यही निवेदन है इसमें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं समझता हूं कि न सरकार और न विपक्ष को इसमें आपत्ति होगी कि एक्स्ट्रीमिस्ट्स की जो एक्टीविटीज हैं उनको कण्डेम किया जावे। यह पंजाब की समस्या जिस प्रकार का रूप ग्रहण करती जा रही है, पंजाब तक ही वह सीमित नहीं है। इसके विस्तार होने का संदेह है। इसलिए यह सदन भी इसका काग्नीजेंस लेकर एक्स्ट्रीमिस्ट्स की एक्टीविटीज को कण्डेम कर सकता है और मैं समझता हूं कि करना चाहिए ताकि व्यापक रूप से प्रभावी ढंग से एक्स्ट्रीमिस्ट्स और सरकार, दोनों को इस विषय में गम्भीरता से कोई कार्यवाही करने के लिए मजबूर होना पड़े।

साथ ही, अध्यक्ष महोदय, जो लोग मारे जा रहे हैं उनके प्रति यदि हाउस में सहानुभूति प्रकट की गई तो सोलीडैरिटी बढ़ेगी। उन लोगों से हमारा भी एक प्रकार का लगाव है। वह चाहे पंजाब में मारे जावें, चाहे बिहार में मारे जावें लेकिन जिन लोगों को एक्स्ट्रीमिस्ट्स की एक्टीविटीज के कारण से मौत का शिकार होना पड़ रहा है, हमें भी उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो माननीय सदस्य ने उठाया, राजस्थान भी पंजाब की सीमा पर लगा हुआ है। क्या राज्य सरकार इस सम्बन्ध में इस सदन को कोन्फीडेंस में लेना चाहेगी कि हमने इस प्रकार की एक्टीविटीज को रोकने के लिए किस प्रकार का रास्ता या किस प्रकार की कार्यवाही की है ताकि राजस्थान में इन एक्स्ट्रीमिस्ट्स की एक्टीविटीज का किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना नहीं चाहता और मुझे इसकी कोई जानकारी भी नहीं है लेकिन चर्चा इस बात की है कि मुख्य मन्त्री का जो पैट्रोल पम्प लूटा गया इसमें केवल बाइस हजार रुपये लूटने का प्रश्न नहीं था, मुख्य मन्त्री ने रावी-ब्यास के मामले में जिस तरह का स्टेंड लिया है उस स्टेंड से मुख्य मन्त्रीजी को अलग करने की दृष्टि से यह पैट्रोल पम्प लूटा गया है। इसमें एक्स्ट्रीमिस्ट्स का हाथ होने का संदेह है। तो एक्टीविटीज तो शुरू हो गई हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय बैठे हैं परसरामजी, जो मुख्य मन्त्रीजी की तरफ से कह सकते हैं। इस सदन में सरकार की ओर से वक्तव्य आना चाहिए जिसमें एक्स्ट्रीमिस्ट्स की एक्टीविटीज का कण्डेमनेशन हो, जो एक्स्ट्रीमिस्ट्स की एक्टीविटीज के शिकार हो गए उनके प्रति सहानुभूति प्रकट की जाय और राजस्थान में एक्स्ट्रीमिस्ट्स की एक्टीविटीज को कर्ब करने की दृष्टि से राज्य सरकार ने क्या उपाय किये हैं वह सदन में बताया जावे ताकि जनता में एक प्रकार का विश्वास बना रहे।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में मैं सदन के अलग-अलग दलों के नेताओं और सत्तारुढ़ पक्ष के नेताओं से बात करके निर्णय लूंगा।

श्री फतेहसिंह, कुशलगढ़ कस्बे में जनजाति छात्रावास के बारे में।

(अनुपस्थित)

श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, यूनानी चिकित्सक मरणासन्न अवस्था में चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यूनानी चिकित्सक लगातार आन्दोलन कर रहे हैं। आपने मुझे लिखित स्वीकृति दी थी लेकिन आज परिस्थितियां उसके विपरीत हो गई हैं। अहिंसात्मक तरीके से विद्यार्थी आन्दोलनरत थे लेकिन सरकार तो बिलकुल गूंगी और बहरी बन गई, चुप्पी साध गई, इसलिये विवश होकर गांधी जी के अंतिम अस्त्र आमरण अनशन का प्रयोग करने का उन गरीब विद्यार्थियों को 20 तारीख को निर्णय लेना पड़ा। 30 से लेकर लगातार उनका आमरण अनशन आज भी चल रहा है। तारीख 2 को 3 विद्यार्थियों की हालत खराब हो गई। जावेद अहमद, मो० हसीन खां, और शाह परवेज, अध्यक्ष महोदय, इन तीन विद्यार्थियों को पुलिस एस० एम० एस० हास्पिटल में ले गई। जावेद अहमद की स्थिति चिन्ताजनक है। दो बार जबरदस्ती डॉक्टरों ने ग्लूकोज चढ़ाया और उसकी प्राण रक्षा करने की कोशिश की लेकिन वह विद्यार्थी अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। किसी भी क्षण, किसी भी समय हमारे सामने

(श्री दाऊदयाल जोशी)

प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि क्या जावेद की मृत्यु आमरण अनशन करते हुए आयुर्वेद मन्त्रीजी की हठधर्मिता के कारण हो गई।

अध्यक्ष महोदय, कल इन्हीं विद्यार्थियों ने उन तीन विद्यार्थियों की सिम्पैथी में यहां पर रास्ता रोको आन्दोलन किया। पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया। 76 लोगों को शाम तक पुलिस थाने में बैठाये रखा। उनमें 17 लोगों को चोटें आईं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे बार-बार रोना इस बात का आता है कि इस सरकार के ऊपर कोई व्यय भार पड़ता हो, कोई बोझ पड़ता हो पैसे का तो समझ में आने वाली बात है। अध्यक्ष महोदय, उनकी मांगें जायज हैं जिन पर एक फूटी कौडी सरकार को अपनी जेब से लगानी नहीं पड़ेगी। किसी प्रकार से कोई व्यय की योजना नहीं है। वह गरीब कह रहे हैं कि उनके यूनानी चिकित्सकों को 10-10 हजार 3 कालेज में देते हो। आज की तारीख में तीन कालेज को राज्य सरकार 10-10 हजार दे, यह लज्जाजनक बात है। लाखों रुपये आप दक्षिणा में बांट रहे हो। राजस्थान की सरकार ने आयुर्वेद के भिन्न-भिन्न चिकित्सकों को 26 लाख की एड देने की बात की है, यह लज्जाजनक बात है। जो सही मांग है उसको मान लेना चाहिये।

इसके साथ ही वे कह रहे हैं कि यूनानी चिकित्सा पद्धति के आधार पर राज्य सरकार यूनानी चिकित्सकों की विश्वविद्यालय स्तर पर परीक्षा की व्यवस्था करवा दे, उनके रिजल्ट्स सही समय पर निकल जायं और उनको इन्टर्नशिप दे दे। उनका पैसा नहीं मिलता। ऐसा कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है जहां इन्टर्नशिप के आधार पर भत्ता न मिले लेकिन यहां यूनानी चिकित्सकों को इन्टर्नशिप का भत्ता नहीं मिलता। उनका 50 का बैच निकलता है। चार बेडेड हास्पिटल राजस्थान में चलता है, उसका कम से कम 30 बेडेड हास्पिटल बनावें। 50 विद्यार्थी चार बेडेड हास्पिटल पर किस प्रकार से अपना काम कर सकेंगे? यह सारी मांगें ऐसी हैं जिन पर आपका एक पैसा लगता नहीं....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि जयपुर और जोधपुर में यूनानी का एक ए-ग्रेड हास्पिटल खोला जाय। यह उनकी जायज मांगें हैं। ऐसी जायज मांगों को भी सरकार नहीं माने और उन पर लाठी बरसाये, उनको पीटे, उन पर अत्याचार करे तो मैं समझता हूं कि इसके लिये राज्य का विभाग जिम्मेदार है। मैंने कल ही अपना स्थगन प्रस्ताव दे दिया था। आयुर्वेद मन्त्री जी बैठे होते तो इन छहों मांगों को मान लेते लेकिन दुर्भाग्य से आज आयुर्वेद मंत्रीजी यहां नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से इस शासन के कर्त्ता-धर्ताओं को निवेदन करता हूं कि भगवान् के नाम पर उन गरीब विद्यार्थियों, जो अल्प संख्यक हैं, जो आपके वोटर हैं, जो आपके भगवान हैं, की मांगों को तो आप मानो। वे नौजवान

(श्री दाऊदयाल जोशी)

पूर्ण आन्दोलन की स्थिति में हैं। अगर उनमें से कोई विद्यार्थी मर गया तो वे क्या कदम उठायेंगे, यह आप स्वयं सोचें। मुझे आपकी बुद्धि पर तरस आता है कि ऐसे गरीब विद्यार्थियों की बात नहीं मानी जा रही है।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, यदि अनुमति हो तो····

श्री अध्यक्ष : काहे पर ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : इस यूनानी पर। मेरा नाम नहीं है···

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा की अनुमति नही दूंगा। आप अपने प्रस्ताव पर बोलें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जो तथ्य छूट गये उनके बारे में जरा बता देती तो···

श्री अध्यक्ष : नहीं, माननीय सदस्या। आप अपने प्रस्ताव पर बोलना चाहें तो मैं अनुमति दे सकता हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मैं सफाई के सम्बन्ध में यह कहना चाहती हूं, अध्यक्ष महोदय, कि सफाई जयपुर में हो नहीं रही। सफाई के कई ढंग हैं। प्रशासन शहरों की ओर आया तो हमने ध्यान दिलाया कि चलिये, आप यहां रह कर सफाई कर दीजिये। लेकिन तब भी नहीं हुई। इनका ध्यान दिलाने के लिये मेरे निर्वाचन क्षेत्र में राज्यपाल महोदय सफाई करने के लिये गये तब भी सफाई नहीं हुई। अब हमें रोज रिमार्क सुनने पड़ते हैं। अब सफाई करवानी हो तो किसको बुलाया जाय। राज्यपाल महोदय आकर ध्यान आकर्षित कर जायं फिर भी सफाई न हो। मान्यवर, कूड़े के ढेर पड़े हैं, सफाई होती नहीं और ढेर पर ढेर इकट्ठे होते चले जा रहे हैं। गर्मियों का मौसम आ गया। सारे माननीय सदस्य, दो सौ माननीय सदस्य यहां पर हैं, उनके स्वास्थ्य की मुझे चिन्ता है। सारे अधिकारीगण आजकल जयपुर में हैं उनकी मुझे चिन्ता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र की ही नहीं, पूरे जयपुर की चिन्ता है। मान्यवर, कूड़े के ढेर के ढेर लगते जा रहे हैं, उनके उठाने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने अधिकारियों को ले जाकर दिखाया। इस स्थगन प्रस्ताव के बाद उनमें कुछ चेतनता आई, बोले— कहां-कहां है—दिखाओ। मैं उन्हें दिखाने गई फिर भी नहीं उठाया। मान्यवर, नालियां सड़ रही हैं। नालियां साफ करना, नालियों का कूड़ा, जो सूखा हो जाता है निकाल कर उठाना, नालियां धुलवाना, ये तीन बातें आती हैं। गन्दी गलियों की बात बाद में आती है। गन्दी गली साफ कराना, फिर उसका कूड़ा उठाना शुरू से धुलवाना, यह भी नहीं किया जा रहा है।

मान्यवर, आप देखें, शहर जिसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है और जहां बहुत लोग बाहर से आते हैं देखने के लिये उसकी गलियों की हालत यह है कि गटर उबल रहे हैं। कहीं फव्वारे नहीं चल रहे हैं पर अन्दर की गलियों में फव्वारे चल रहे हैं। मान्यवर, कैसे माफ किया जाय।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मैं आपका ध्यान इसलिये आकर्षित करना चाह रही थी कि जल महल में जलकुंभी बढ़ गई। जलकुंभी बढ़ी सो बढ़ी, ट्रीटमेंट प्लान्ट में दो करोड़ रुपये खर्च हुए सो हुए फिर भी, तीन गन्दी नालियां उसमें पड़ रही हैं और बदबू फैला रही हैं। मान्यवर, कागजीवाड़ा, छीपीवाड़ा और गूजरवाड़ी जहां पर...

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं समाप्त करती हूं 2–4 मिनट में। वायु सेना का दफ्तर है....

श्री अध्यक्ष : चार मिनट का समय नहीं है। दो मिनट के अवसर में आप चर्चा करना चाहती हैं पूरे विषय पर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, वायु सेना का जो दफ्तर है, जो हमारी सुरक्षा के लिये है, वहां मच्छरों से बीमारियां फैली हुई हैं....

श्री अध्यक्ष : विस्तार में न जायं, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, सफाई हो नहीं रही है। गटर के मेन होल टूटे पड़े हैं, खुले पड़े हैं, ऊंचे या नीचे हैं। उनमें लोग ठोकर खा खा कर गिर रहे हैं। यहां कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। मैं समझती हूं, ट्रेजरी बैंचेज में जिनको ध्यान देना चाहिए उनका कोई ध्यान नहीं है। जयपुर के जन-स्वास्थय की रक्षा के बारे में आप किसी से भी पूछ लीजिए, जयपुर को नरक कहा जा रहा है। यह व्यवस्था हो नहीं पा रही है। जन-जीवन खतरे में है। कैसे काम चले। जनाना अस्पताल, मर्दाना अस्पताल का कूड़ा, मुझे यह कहने में शर्म आती है, महिलाएं जो रुई इस्तेमाल करती हैं वह बाहर सड़क पर उड़ती फिरती है। लोग, बच्चे बीन कर ले जाते हैं। उस रुई की 50 ग्राम की रजाई बिकती हैं। उनसे जगह जगह बीमारियां फैला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, कृपया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक शब्द और कह दूं कुष्ठ अस्पताल के बारे में। कल मंत्री जी कह रहे थे कि कुष्ठ रोग संक्रामक बीमारी नहीं है। आप पढ़ कर देख लें, यह मच्छरों से फैलती है। कुष्ठ अस्पताल के पास में फेंसिंग ग्राउण्ड बनाया जाय। कूड़ा जो खाद बनाने के काम आता है, जो आपका सोना है उसका सही उपयोग करने का कोई काम नहीं हो रहा है उल्टे लोगों को सताया जा रहा है कि वह बीमारियों से ग्रस्त हों और....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी इस जयपुर शहर की सफाई के बारे में कि बाजार में कूड़ा, गलियों में कूड़ा, मंदिरों में कूड़ा, मस्जिदों में कूड़ा, कौन सी जगह है जहां कूड़ा नहीं है। मान्यवर, जो ट्रक कभी कभार ले जाते हैं वे ट्रक भी खुले चलते हैं और सारे बाजार में कूड़ा बिखेरते चलते हैं....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, इस व्यवस्था को मैं समझती हूं, सरकार जल्दी ठीक करवाये अगर कहीं थोड़ी बहुत बुद्धि है तो। इस बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रही हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री फतेहसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री महावीर प्रसाद, ग्राम पंचायत बहड़ . . .

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो जानकारी दी है, बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है . . .

श्री अध्यक्ष : सिर्फ 8 काश्तकार ऐसे हैं जिनका संवत् 2012 में कब्जा नहीं था। उनके खिलाफ कार्यवाही है उसके संबंध में कहिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हां, यह गलत सूचना दी है, माननीय अध्यक्ष महोदय। वहां पर लगभग 125 काश्तकार हैं। इन 125 काश्तकारों को जिस प्रकार 8 काश्तकार हैं उनको . . .

श्री अध्यक्ष : जिनका कब्जा 2012 से है . . .

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, सब को नोटिस दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं. . .

श्री अध्यक्ष : 8 व्यक्तियों को नोटिस दिया है...

श्री महावीर प्रसाद जैन : 80 हजार रुपया उन्होंने वसूल कर लिया है। 80 हजार रुपया ही नहीं वसूल किया है उनको मुर्गा बना कर उन पर पत्थर रखे गये। इस प्रकार का एक चालान निवाई की कोर्ट में पेश हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आज अधिकारियों की इस प्रकार की हिम्मत हो गई है, वे विधान सभा में गलत जवाब देकर, तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर जवाब देने लगे हैं। आज कागज नहीं लाया हूं, मुझे पता नहीं था कि जवाब आने वाला है। मैं रोज कागज ला रहा था, आज कल यह कट मोशन वगैरह चल रहे हैं इसलिए कागजों को लाना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : आप लिख कर दे दें। मेरे पास जो जवाब आया है वह मैं आपको बता दूंगा। यदि सरकार ने गलत बयानी की है तो मुझे लिख कर दें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : गलत बयानी की है, माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : 8 के अलावा और को नोटिस मिला है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : 100 नोटिस दिये हैं और वसूली कर ली गयी है।

श्री अध्यक्ष : वसूलियां तो नोटिस मिलेंगे तो उनसे होगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नोटिस दिये हैं। इन्होंने कहा कि नोटिस नहीं दिये हैं तो वसूली किस बात की की गई है ?

श्री अध्यक्ष : जो 2012 से काबिज हैं, निरन्तर जिनका कब्जा चला आ रहा है उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया है। जिनके नाम रिकार्ड में नहीं हैं उन व्यक्तियों को नोटिस दिये गये हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जिलाधीश से मिले हैं। जिलाधीश कहते हैं, फाइल नहीं है। उनके फैसले ले जाकर जिलाधीश को बताये, तहसीलदार को बताये कि यह तहसीलदार का फैसला है, यह नायब तहसीलदार का फैसला है, यह जिलाधीश का फैसला है। उनको हक मिला हुआ है। एक नोटिफिकेशन के जरिये उनको हक मिला है। हक दे दिया गया लेकिन रिकार्ड में दर्ज नहीं किया गया। आज उनको यह मानते नहीं हैं। उनका अधिकार है और यह कहते हैं कि फाइल गायब हो गयी, रिकार्ड गायब हो गया। उनके फैसले को मानते नहीं हैं इसलिये अतिक्रमी मान रखा है। यहां पर गलत जवाब दिया गया है। 8 व्यक्तियों से तो लगातार लगान लेते आ रहे हैं बाकी के लगभग 100 काश्तकार ऐसे हैं जिन काश्तकारों से...

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, आप जवाब पढ़ लीजिये। मैं आपको जवाब पढ़ कर सुना दूंगा उसके बाद जैसी व्यवस्था होगी...

श्री महावीर प्रसाद जैन : उस पर पुर्नविचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री महाराम चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री हंसराज शर्मा एवं श्री चुन्नीलाल जेलिया, नगर पालिका सवाईमाधोपुर में पानी और रोशनी की व्यवस्था।

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका सवाईमाधोपुर क्षेत्र में हरिजन बस्तियों में पानी और रोशनी की अव्यवस्था के सन्दर्भ में निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका सवाईमाधोपुर में 29 वार्ड हैं। पहले दो नगरपालिकाएं थीं, मान टाउन नगरपालिका और सवाईमाधोपुर नगरपालिका। उन दोनों का विलय कर दिया गया है। इनमें सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के गांव थे। विलय करने के बाद आज की तारीख में वहां किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां सरकार द्वारा न नल योजना चालू की गयी है और न ही लाइट लगायी गयी है। अध्यक्ष महोदय, गांव जटवाड़ा, ठींगल, जसेतपुरा, भभूरी, आदि इस प्रकार के गांव हैं जहां 40 प्रतिशत से अधिक हरिजन लोग रहते हैं लेकिन सरकार ने अभी तक वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं की है और न रोशनी की व्यवस्था की है। अध्यक्ष महोदय, यह गलत बात है। प्रशासन शहर की ओर गया था तब भी वहां योजनाएं चालू नहीं की गयीं। मैं पुनः मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच करें और जिस अधिकारी ने गलत

(श्री हंसराज शर्मा)

सूचना दी है उसके खिलाफ कार्यवाही करें। जांच करने के बाद जहां जहां इस प्रकार की अव्यवस्था हो, जहां आवश्यकता हो, वहां आवश्यकता की पूर्ति की जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री बंशीलाल पटवा, उच्च प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिकाओं को वेतन न मिलने के बारे में। वेतन मिल गया है।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है....

(व्यवधान)

मंत्री महोदय को पता नहीं क्या हो रहा है, भीलवाड़ा का नाम आते ही फोबिया टाइप हो जाता है। आप बोल लीजिये, मैं बैठ जाता हूं।

(व्यवधान)

हां, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि कोई भी बात आती है...

(व्यवधान)

क्या यह अच्छी शुरूआत है ? मार्च में पेमेन्ट करते हैं फरवरी का।

श्री देवेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, कृषि) : आप मेरा नाम बीच में क्यों लेते हैं ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री बंशीलाल पटवा : बीच में इन्टरफियरेन्स क्यों करते हैं ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का जो उत्तर आया है, फरवरी महीने का वेतन 18 मार्च तक नहीं दिया गया और 19 तारीख को स्थगन प्रस्ताव देने के बाद वेतन दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जो उप निरीक्षका (बालिका) हैं, यदि मान लें कि वे अवकाश पर गईं तो उनको किसी न किसी को अधिकृत करके जाना चाहिए आपरेट करने के लिये या चुकारा करने की दृष्टि से व्यवस्था करके जाना चाहिए। यह कोई अच्छी शुरूआत नहीं है। स्थगन प्रस्ताव देने के बाद चुकारा हो इसके लिए सन्तुष्टि की जा सकती हैं लेकिन यह इररेगूलरिटी है जिस पर सरकार यदि अंकुश नहीं लगायेगी, चौकसी नहीं रखेगी तो उचित नहीं रहेगा। 600–700 अध्यापिकाओं को पूरे जिले में पेमेन्ट नहीं मिले फरवरी महीने का।

इसके साथ साथ मैंने अपने प्रस्ताव में यह भी दिया है...

श्री अध्यक्ष : 10–15 दिन की ढील हुई है।

श्री बंशीलाल पटवा : हुई तो है।

श्री अध्यक्ष : लेकिन काश्तकार, हमारे वहां तीन साल अकाल पड़ जाता है, कुछ पैदा नहीं होता है उसके मुकाबले तो...

श्री बंशीलाल पटवा : इस तरह की इररेगूलरिटी करना यह नीतिगत नहीं है, यह अन्यायपूर्ण कार्यवाही है।

मेरे प्रस्ताव में गलत अपॉइन्टमेन्ट के बारे में लिखा है। वह भी इसमें है। उप निरीक्षिका बालिका की एक आदत-सी बन

(श्री बंशीलाल पटवा)

गयी है। तीन अध्यापिकाओं, जो राज्य सरकार के नियम के अनुसार ओवर ऐज हो गईं, को नियुक्ति दे दी गयी। उस गलती को भी इसलिये नही सुधारना चाहती हैं कि अपने हाथ से नियुक्ति दी है जो राज्य सरकार के नियमों के विपरीत है। इसी तरह से अवकाश वेतन नहीं दिया जाना, मेडिकल बिल्स का भुगतान नहीं दिया जाना, यह आम आदत उप निरीक्षिका (बालिका) की हो गयी है। मेरा आपके माध्यम से सरकार और शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि भविष्य में इस तरह की इररेगूलेरिटी न हो, अध्यापिकाओं को वेतन बराबर मिले, समय पर मिले क्योंकि वह अल्प वेतन-भोगी हैं।

श्रीमती कमला (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस बाबत कह रहे हैं उसकी अल्टरनेटिव व्यवस्था उन्होंने की थी, उसके बावजूद देरी हुई। जो देरी हुई वह आपत्तिजनक थी इसलिये निदेशक और शिक्षा अधिकारी, दोनों का हम ने एक्सप्लेनेशन काल कर लिया है।

श्री बंशीलाल पटवा : इसके अतिरिक्त तीन अध्यापिकाओं को नियम के विपरीत नियुक्ति दी गयी। सुमित्रा पारीक, जिनका नियम के विपरीत अपाइन्टमेन्ट किया गया है, की भी जांच की जाये।

इसके साथ साथ मैं निवेदन करूंगा, वेतन अवकाश के मामले पेन्डिग हैं। यह करप्ट प्रेक्टिस है जो आज वहां पर पैदा की जा रही है। यह करप्ट प्रेक्टिस पैदा की जा रही है। कुछ लिया दिया जाय नहीं तब तक उनका चुकारा न हो, यह अच्छी नीति नहीं है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इसकी व्यवस्था समुचित प्रकार से हो और भविष्य में इस प्रकार की गलती न हो।

सदन पटल पर रखे गये पत्र प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

ऊर्जा मंत्रीजी।

श्रीमती कमला (ऊर्जा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 75 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1982–83 सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री द्वारा वक्तव्य। श्री परसराम मदेरणा, सिंचाई मंत्री, मेजा बांध से इस वर्ष की रबी की फसल को पर्याप्त पानी उपलब्ध न होने के कारण फसल को हुई क्षति के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे।

शासकीय वक्तव्य

मेजा बांध से पर्याप्त पानी उपलब्ध न होने के कारण फसल को क्षति

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा मेजा बांध के कमाण्ड में इस वर्ष चार पाण देने के स्थान पर तीन पाण देने के फलस्वरूप खड़ी फसल

(श्री परसराम मदेरणा)

को क्षति पहुंचने के सम्बन्ध में दिये गये स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय ने एक वक्तव्य देने का राज्य सरकार को निर्देश दिया है. अत: वह वक्तव्य इस प्रकार है:–

(12.50 म.प)

(श्री सूर्य कुमार, सभापति, पदासीन)

"30 फीट के पूरे भराव पर मेजा बांध की कुल उपयोगी जल क्षमता 3240 एम. सी.एफ.टी है। इस वर्ष बांध में 29 फीट की रेंज पर 3040 एम.सी.एफ.टी. पानी आया था। भीलवाड़ा शहर को पीने के लिये 650 एम.सी.एफ.टी. पानी सुरक्षित रखने के बाद सिंचाई हेतु 2390 एम.सी. एफ.टी पानी बचा।

राज्य सरकार द्वारा गठित मेजा बांध की जल वितरण समिति की बैठक दिनांक 22-10-83 को हुई थी जिसमें सिंचाई विभाग ने उनके अनुमान के अनुसार बताया कि उपलब्ध पानी से चार पाण देकर 20,000 एकड़ भूमि को सिंचित किया जा सकता है और पूरे क्षेत्र को सिंचित करने पर तीन पाण ही दिया जा सकता है। उपस्थित काश्तकारों एवं जन प्रतिनिधियों ने यह आग्रह किया कि गत वर्ष वाले पूरे क्षेत्र में पानी दिया जावे और पाण भी कम नहीं की जावे परन्तु गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी वर्षा होने की सम्भावना को मद्दे नजर रख कर ही निर्णय लिया जाय। लम्बे विचार विमर्श के बाद विभाग की तकनीकी राय को अस्वीकार करते हुए निम्न निर्णय लिए :

(1) जिस रकबे को पानी गत वर्ष दिया गया था उसी को इस वर्ष भी पानी दिया जायेगा। यदि काश्तकार गत वर्ष से 20 प्रतिशत रकबा कम बोयेंगे तो चार रकबे में पानी मिलेगा और उसे 20 प्रतिशत की कटौती करनी आवश्यक नहीं है। प्रत्येक काश्तकार अधिक से अधिक कमाण्ड क्षेत्र में 8 एकड़ में पानी ले सकता है और नान-कमाण्ड में 4 एकड़ तक। जो पानी को व्यर्थ नष्ट करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी।

(2) कोई नई डोहरी की स्वीकृति नहीं दी जावेगी।

(3) यदि नहर में पाइप 3 इंच से बड़ा है तो डोहरियों में पम्प से पानी नहीं उठाने दिया जायेगा।

(4) काश्तकार कुछ क्षेत्र में चना व सरसों भी बोयेंगे ताकि पानी की और बचत हो सके।

(5) नहरें दिनांक 5-11-83 को प्रात: खोली जावेंगी। अंतिम पिलाई में बाईं नहर 7 दिन पहले खोलेंगे।

(6) पंचायतवाईज जल वितरण कमेटी बनाई जावेगी।

(7) जिस काश्तकार की पिलाई का बकाया जमा नहीं होगा तो उसे पानी नहीं मिलेगा।

(8) पानी दोनों नहरों में गत वर्ष के अनुसार टेल या हैड से ही दिया जावेगा।

(9) नान-कमाण्ड के गांव वही रहेंगे जो गत वर्ष थे।

(श्री परसराम मदेरणा)

पूर्वोक्त निर्णय की पालना निम्नलिखित कठिनाइयों के कारण नहीं हो सकी :—

(1) इस वर्ष खरीफ की फसल बहुत अच्छी होने से फसल बहुत देरी से कटी और अगली फसल की शीघ्र बुवाई के लिये करीब करीब सभी काश्तकारों ने स्वयं के या किराये के ट्रैक्टरों से अपने खेतों की जुताई डिस्क-प्लों से ही की और उसके बाद लेवल करने एवं क्यारियां बनाने के लिये पानी लिया जिससे रेलणी में पानी की खपत आशा से कई गुना अधिक हुई।

(2) काश्तकारों ने उनके आश्वसन के अनुसार सिंचित क्षेत्र सीमित नहीं रखा। जो सिंचित क्षेत्र 20,000 एकड़ होना था वह लगभग 25,000 एकड़ हो गया।

(3) काश्तकारों ने पानी लेने में पूर्व धोरों की न तो मरम्मत की और न ही सफाई इत्यादि की। जहां पर रास्ते इत्यादि थे वहां भी धोरे मजबूत नहीं किये और पानी रास्तों में फैलता रहा। कई स्थानों पर काश्तकारों ने रात में पानी नहीं लिया और यह पानी व्यर्थ गया।

(4) काश्तकारों ने पंचायतवाइज कोई जल वितरण कमेटियां नहीं बनाई और ना ही विभाग को पानी के बंटवारे में सहयोग दिया। आश्वासन के अनुसार चना-सरसों जैसी कम पानी से ही पकने वाली फसलों की बुवाई नहीं की और अधिकतर गेहूं की बुवाई की।

(5) काश्तकारों ने पाण के अन्दर ही एक से अधिक पाण लेने की चेष्टा की जिससे पानी व्यर्थ नष्ट हुआ। काफी बड़े क्षेत्र में पानी दो-दो, तीन-तीन बार लिया जिससे पानी की बिना उचित उपयोग के अनावश्यक खपत हुई।

(6) गत वर्ष रबी की फसल के समय लगभग 136 मिलीमीटर वर्षा हुई जबकि इस वर्ष एक बूंद भी नहीं गिरी।

प्रथम पाण (रेलणी) के पूरा होने से पूर्व ही विभाग को यह आभास हुआ कि पानी की खपत अनुमान से कहीं अधिक हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए तकनीकी आधार पर पानी के वितरण की स्थिति पर पुनः विभाग के अधिकारियों ने विचार किया और अधिक खपत को देखते हुए यह पाया कि 3 पाण ही संभव होंगे। क्योंकि बुवाई अभी नहीं हुई थी अतः विभाग ने एक विज्ञप्ति दिनांक 28-11-83 को जारी करके सभी स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाई जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया कि 3 पाण ही संभव होगा और काश्तकारों से अपील की कि वे ऐसी फसलें बोवें जो एक रेलणी और दो पाण में पक सकें।

नान-कमाण्ड क्षेत्र में पानी जल वितरण समिति के निर्णय के अनुसार ही दिया गया है। गत वर्ष 1567 एकड़ में दिया था और इस वर्ष 1635 एकड़ में दिया गया है। उपलब्ध पानी का अधिक से अधिक संभव सुचारु व्यवस्था से वितरण किया गया है

सिंचाई विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी मौका देखकर सरकार

(श्री परसरा मदेरणा)

को इस तथ्य से अवगत कराया है कि मेजा बांध के सिंचित क्षेत्र में खड़ी फसलों को कोई क्षति नहीं पहुची है ।

अत: माननीय सदस्य का कथन कि खड़ी फसलें झुलस रही हैं एवं कृषक बरबादी के कगार पर खड़े हैं, निर्मूल एवं निराधार है ।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, ...

श्री सभापति : केवल प्रश्न ।

श्री बंसीलाल पटवा : प्रश्न नहीं, कुछ स्पष्टीकरण के तौर पर मुझे विचार रखना है ।

श्री सभापति : स्पष्टीकरण काहे का, माननीय सदस्य ।

श्री बंसीलाल पटवा : जो वक्तव्य दिया गया है ।

श्री सभापति : आप प्रश्न पूछ लीजिये ।

श्री बंसीलाल पटवा : एक तो जो वक्तव्य दिया गया है, कमेटी ने जो निर्णय लिया वह का वह ही वक्तव्य के रूप में यहां पर रख दिया गया । अधीक्षण अभियंता ने कहा था कि 8 एकड़ पानी कमाण्ड में, 4 एकड़ पानी नान-कमाण्ड में पिछले वर्ष जितनी धरती को, एग्रीकल्चर को दिया था उतना पानी दिया जायेगा । मंत्री महोदय ने इतना पानी दिये जाने की बात कही थी । लेकिन जैसा बताया गया कि फसल को नुकसान नहीं हुआ, एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट जितने भी हैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या आज की तारीख में आज की खेती के नये तरीके निकाले हैं । जो तीन पाण पानी में कल्याण सोना, 308 किस्म के गेहू पैदा हो सकता है ? एक पानी पहली रेलणी के लिए दिया, दो पानी और दिया चौथा पानी दिया नहीं गया । एक तो प्रश्न यह है, तीन पानी में खेती नहीं हो सकती है । फसल नहीं झुलसी, यह बात बिल्कुल मिथ्या है । फसल झुलस गयी इसका जवाब दिया जाना चाहिए था । तीन पानी में गेहूं की खेती नहीं होती है । जितना मोटा होना चाहिए उतना नहीं होता । अनाज जल गया, बाली में बारीक-बारीक दानें आज भी हैं ।

दूसरा यह कहा है कि कमेटीज नहीं बनाई गई । कमेटी बनाने के लिए किसी ने नहीं कहा । क्यों नहीं प्रयत्न किया गया ? प्रयत्न कुछ किया नहीं ।

तीसरा मेरा यह प्रश्न है, आपने कहा कि उनको विज्ञप्ति द्वारा सूचित कर दिया, समाचार पत्र द्वारा सूचित कर दिया । जल वितरण कमेटी ने निर्णय लिया कि चौथा पानी देंगे लेकिन उसके पश्चात् जल वितरण कमेटी से पूछा नहीं गया और मंत्री महोदय कहते हैं कि हमने विज्ञप्ति में निकाल दिया । कमेटी से क्यों नहीं पूछा जिस कमेटी में निर्णय लिया गया था कि हम तीन पानी देना चाहते हैं । एक तो उससे पूछा नहीं गया ।

चौथा उन्होंने कारण दिया कि हम इंजन से, पाइप से और डोहरियों से पानी नहीं लेने देंगे । लेकिन फिर भी पानी लिया

(श्री बंसीलाल पटवा)

गया, उस पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया। या तीन इंच का बड़ा पाइप है इसलिए हम नहीं लेने देंगे लेकिन फिर भी लिया गया। क्यारियां नहीं बनाई गई। मंत्री महोदय ने यह कहा कि क्यारियां नहीं बनायीं। मंत्री महोदय, आप आज सिंचाई के मंत्री हैं, मेन्टीनेंस के लिए जो बजट दिया जाता है, राइट कैनाल, लेफ्ट कैनाल पर मेन्टीनेन्स में कितना बजट खर्च किया गया? वह जर्जरित नहरें हैं, पानी वेस्ट होता है और इतने बड़े-बड़े बुखारें हैं कि उनमें दो-दो आदमी घुस जायं। मेन्टीनेन्स का जितना पैसा आपने अलाट किया उसमें से कुछ भी नहीं लिया गया। इसके अतिरिक्त सिंचित क्षेत्र बढ़ गया। पानी लोगों ने अधिक ले लिया। सुपरविजन के लिए सिंचाई विभाग क्या कर रहा था? सिंचाई विभाग का जो तरीका है, आधार है तट से पानी लेने का हैड से पानी लेन का, उन नियमों का पालन नहीं किया गया। रात को किसानों ने पानी लिया, यह भी गलत कहा गया। रात को पानी नहीं लिया गया। सवाल इस बात का है कि सुपरविजन ठीक नहीं था। नीचे के स्तर पर मैं बराबर उस क्षेत्र में घूमा हूं। पता लगा कि पानी नहीं मिल रहा है तो समय-समय पर उसके लिए ध्यान आकर्षित किया लेकिन इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया गया। सिर्फ पिछले साल ध्यान दिया गया था। लेकिन सवाल इस बात का है कि पानी का नियंत्रण जो है वह ठीक प्रकार से नहीं हुआ।

मैं आपको बताऊं, इन्द्रपुरा माइनर पर आज भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां करीब ड़ेढ़ सौ बीघा, दो सौ बीघा पर केवल दो पानी मिला। इसी तरह भूपालपुरा में जहां भील जाति के लोग रहते हैं, कुम्हार जाति के लोग रहते हैं उनको पानी नहीं मिला। आज तक उनकी भूमि में एक दाना भी अनाज का पैदा नहीं हुआ। इसी तरह से आपको बताऊं, कामदाद के पास पिछले साल नान कमाण्ड क्षेत्र में बीज बोया गया, यहां पर पानी देने का वायदा कालबेलियों से किया लेकिन कालबेलियों को पानी की एक बूंद नहीं मिली। एस.सी.,एस.टी. की बात यहां कही जाती है, फसल उन्होंने बो दी लेकिन उनको पानी नहीं मिला। करीब 20–22 परिवार कालबेलियों के हैं उनको एक बूंद भी पानी नहीं मिला। सारा का सारा अनाज झुलस गया। वर्षा नहीं हुयी।

मंत्री महोदय, आपने अध्ययन किया होगा, जल वितरण कमेटी के अधिकारियों ने कहा कि इस बार पानी की जरूरत कम पड़ेगी क्योंकि जमीन में नमी है। एक अंश मीटिंग का मंत्री महोदय ने पढ़कर सुना दिया बाकी सारा सिंचाई विभाग ने जैसा गाइड किया उस तरह की बात कही। मैं बताऊं, मंत्री महोदय, हम आपको आदर की दृष्टि से देखते हैं, आप अनुभवी हैं सिंचाई के मामले में, लेकिन आपको अंधकार में रखा गया। राइट कैनाल और लेफ्ट कैनाल में थोड़ा-सा अन्तर रहता है, यह अन्तर यह रहता है कि पहले कौनसी कैनाल खोली जाये। शुरू-शुरू में तो दोनों एक साथ खोलते थे, यह परम्परा रही है। लास्ट में जो पानी आता है उसके लिये कैनाल पहले खोलते हैं उसका फील्ड लेवल ठीक नहीं है। पहले खोलने से उससे पानी मिल जाये यह

(श्री बंसीलाल पटवा)
दृष्टिकोण रहता है। लेफ्ट कैनाल में पानी का सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ। राइट कैनाल में रुपापली और दामतल पर पीलिया का जो कांटा है, दामसर माइनर है वहां पर भी पानी नहीं मिला। दो पाण ही मिला। इस कारण से कई खेत वंचित रह गये। इसका सुपरवीजन ठीक नहीं हुआ। ये कहते हैं कि फसल को क्षति नहीं पहुंची। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप स्वयं पधारें आपको दिखा देंगे कि फसल झुलसी या नहीं। एक तरफ तो तिल्ली लग गयी और दूसरी तरफ पानी नहीं मिला तो किसान पर यह डबल मार पड़ी और इससे उसकी फसल खतम हो गयी।

अंतिम प्रश्न है नान कमाण्ड एरिया के बारे में। कमाण्ड एरिया के बारे में कहा कि 8 एकड़ में देंगे, नान कमाण्ड एरिया के बारे में कहा कि 4 एकड़ में देंगे। किसने हाथ पकड़ा था? जितने जन-प्रतिनिधि बैठे हैं, कमेटी में निर्णय लिया जा चुका है, आश्वासन दिया है कि कोई इन्टरफियरेन्स नहीं करेंगे पानी वाले मामले में। जो कमिटमेंट किया था उसको पूरा करना चाहिए था। उसका कोई पालन नहीं किया गया जब कि हमने कोई इन्टरफियरेन्स नहीं किया। किसी ने कहा कि पानी नहीं मिला और अगर वह जेनवीन लगा कि उसको पानी नहीं मिला तो समय-समय पर निवेदन जरूर करते रहे हैं। ऐसे गलत तरीके से पानी लिया, नान कमाण्ड एरिया में ज्यादा पानी लिया तो उनके खिलाफ कार्यवाही करते, किसने मना किया था। क्यों नहीं कार्यवाही की गयी? समय पर निर्धारित व्यवस्था ठीक रूप से लागू नहीं की गयी। पिछले वर्ष जो व्यवस्था थी, कुछ पर्सेन्टेज के लिए नहीं कह सकते कि ठीक नहीं थी लेकिन पिछले वर्ष व्यवस्था ठीक थी। पानी मिला और कमिटमेंट के अनुसार मिला। इस बार कहा था कि 20 प्रतिशत धरती पर कम बोयेंगे तो पानी बराबर देंगे। सभापति महोदय, 20 प्रतिशत का कमिटमेंट था फिर फसल क्यों बोयी गयी। 20 प्रतिशत की बात तय करदी थी तो फिर अधिकारियों ने, नीचे के लोगों ने क्या किया। इन सारी बातों का आप जवाब दें। मेरा सरकार पर आरोप है कि पानी का जो दुरुपयोग हुआ है, ले-देकर कर नान कमाण्ड एरिया को पानी ज्यादा दिया गया और कमाण्ड एरिया को कम दिया गया। सबसे ज्यादा ज्यादति राइट कैनाल पर हुई।

इसके साथ-साथ क्यारियां बनाने की बात किसान के लिए कहते हैं। मैं आपको बताऊं कि इरिगेशन डिपार्टमेंट की जो नहरें हैं, उसने स्वयं की उन कैनाल को ठीक नहीं रखा जिसके कारण पानी का नुकसान हुआ। एक फीट पानी ज्यादा आया मेजा बांध में फिर भी किसानों को बराबर पानी नहीं दे सके।

मैं आपको बताऊं सरकार ने...

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री बंसीलाल पटवा : सरकार ने ज्यादति की है, सुपरविजन ठीक नहीं रखा जिसके कारण पानी वेस्ट हुआ, लाखों रुपये की फसल चौपट हो गयी, किसान बरबाद हो गया। इन सब का जवाब दें, मंत्री महोदय।

Page No 72

(72)

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति महोदय, मेरे वक्तव्य में जिन सभी मुद्दों के सम्बन्ध में मैंने उल्लेख किया है उन सबका भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रतिवाद करने की चेष्टा की है। प्रथम तो उन्होंने यह बात कही कि एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से पूछा जाय कि गेहूं तीन पाण में कैसे बोया जा सकता है क्योंकि एक्सपर्ट तो दूसरी राय रखते हैं इसलिये राज्य सरकार का यह कहना कि फसल को क्षति नहीं हुई है, मिथ्या है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस वर्ष ठंड और कड़ाके की सर्दी लम्बी अवधि तक रही। जो गेहूं की फसल होती है उसको पकने के लिए 125 दिन की आवश्यकता है। नहरों के बंद रहने की अवधि अधिक ठंड के कारण लम्बी रही। नहर को मांग के अनुसार खोला जाता रहा। फसल पकने के लिये 125 दिन की आवश्यकता होती है। पहली पाण ली गयी 6.11.83 को और अंतिम पाण, तीसरा पाण का जो आखिरी दिन था वह था 9.3.84। यह बात अलग है कि तीसरी पाण चल रही थी, पानी मिल रहा था तब माननीय सदस्य ने इस सत्र के पहले दिन, विधान सभा के सत्र के पहले दिन 5 मार्च को ही एडजोर्नमेंट मोशन दिया जब कि खेतों को पानी मिल रहा था। इसलिये यह इस बात का मुन्हसर रहता है कि फसल को पकने के लिये पूरी अवधि मिलती है या नहीं। ठंड ज्यादा थी, 125 दिन की अवधि मिली। माननीय सदस्य का यह कहना कि आप एक्सपर्ट से पूछ लें, तो न तो आप एक्सपर्ट हैं और ना ही मैं एक्सपर्ट हूं लेकिन फसल खड़ी है और कटना भी शुरू हो गयी है। इसलिये माननीय सदस्य का प्रथम आक्षेप निराधार और असत्य है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : निर्मूल है।

एक माननीय सदस्य : आप तो यही कहेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य ने क्यारियों के सम्बन्ध में दूसरी बात कही। माननीय सदस्य जो अपने-अपने क्षेत्र से आते हैं, जहां इरिगेटेड एरिया है वहां पर जल वितरण के लिये कमेटी बनी हुई है उसकी बैठक में इस पानी की व्यवस्था की जाती है। उससे पहले इरिगेशन डिपार्टमेंट जहां तक प्रश्न है वाटर बजट का, वह बनाता है। साल भर के आंकड़े लेकर 22 अक्टूबर, 83 को मेजा बांध की कमेटी में माननीय सदस्य आये। उस कमेटी के अन्दर भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य भी उपस्थित थे, माननीय सदस्य उपस्थित ही नहीं थे बल्कि प्रोसीडिंग्स जो वहां पर ड्रा की गयी थीं हाथ से लिखकर, उन प्रोसीडिंग्स के अन्त में माननीय सदस्य ने दस्तखत किये। इरिगेशन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में कहा गया है कि 19–20 हजार के बीच में इरिगेशन होगा, क्यारियों और दूसरे वाटर रिसोर्सेज को रिपेयर करने की जो बात है वह दूसरी बात है इसमें आगे जाकर ग्राम पंचायतों की समिति बनानी है। वाटर यूजर एसोसिएशन आपको बनानी चाहिए। यह पद्धति जो है इरिगेशन की, वेस्टर्न कंट्रीज ने डवलप की है। आप देखिये, जिस क्षेत्र के अन्दर आज कुल मिलाकर 219 किलोमीटर वितरिकायें हैं वहां स्टाफ के नाम

(श्री परसराम मदेरणा)
पर एक ए.ई.एन, 4 ओवरसियर, 10 पटवारी कुल मिलाकर 16 कर्मचारी थे।

(1.00 म०प०)

16 कर्मचारियों के लिये 500 आउटलेट हैं। 25 हजार एकड़ का जो सिंचित एरिया है हर आउटलेट के ऊपर वे खड़े हैं हांलाकि पुलिस भी गयी, व्यवस्था करने की कोशिश की। किसानों ने जो आश्वासन दिया था जल वितरण समिति में और जन-प्रतिनिधियों, जो उन किसानों की तरह से वहां पर आये थे, ने जो आश्वासन दिये उस आश्वासन के अनुरूप उन्होंने फर्स्ट पार्ट में वह रकबा 19 से 20 हजार तक सीमित रखा। कुल पानी सिंचित एरिया के लिए जो ईयर मार्क था 2390 एम.सी.एफटी. था। उस कमेटी, जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूं, में 22 अक्टूबर, 83 को सोचा गया था चार पाण देंगे तो पहले पाण में 650 एम.सी.एफटी. दूसरे में 600, तीसरे में 560 एम.सी.एफटी. और चौथे में 570 एम.सी.एफटी. पानी की खपत होगी, इस प्रकार से 2380 एम.सी.एफटी. बनता है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, काश्तकारों की इस साल की रबी की फसल लेट पकी। सबने ट्रेक्टर प्लो लगाकर जमीन को खोखला किया, खोखला करने के बाद में लेवलिंग नहीं की और क्यारियां नहीं बनायीं इसलिये पहले आठ दिन के अन्दर जो पहला पाण दिया गया इस पहले पाण के अन्दर 650 एम०सी०एफटी० के मुकाबले 890 एम०सी०एफटी० पानी की खपत हो गयी। तो विभाग के अधिकारी के पास, एक्स०ईएन० के पास में दूसरा कोई रास्ता नहीं रहा सिवाय इसके कि मीटिंग अपने कर्मचारियों की, अधिकारियों की करके पानी या वारबंदी के सम्बन्ध में दुबारा निर्णय लिया जाये। जब 240 एम०सी०एफटी० आप एक ही वारबंदी में ज्यादा खपत कर लेते हैं तो तकनीकी अधिकारियों ने जो वाटर बजट बनाया था वह तो चला गया, बिगड़ गया। जब वह बिगड़ गया तो जैसा माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं कि पहली वारबंदी चल रही थी तब तक लोगों ने बुवाई नहीं की थी किन्तु पानी दे दिया ज्यादा और ट्रेक्टर की प्लो की वजह से छेद हो गया। बात हुई उससे पूर्व चार अखबार प्रभात दैनिक, भीलवाड़ा संदेश, लोक जीवन और तरुण देश आदि में 28-11-83 को स्पष्ट तौर से इसका उल्लेख किया गया है कि आपने यह जो आश्वासन पूरे नहीं किये हैं इसलिये कम खपतवाली फसलें सरसों और चना की बोयी जायें। इनमें से एक बोयी जायेंगी। ये सब सूचना विज्ञप्ति के जरिये प्रकाशित करके सभी काश्तकारों को, जन-प्रतिनिधियों को सूचित कर दिया। उसके बाद मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा कारण रहा हो कि किसानों को बुवाई से पहले समय पर सूचित नहीं किया हो। यहां पर पम्प से पानी भरपूर लिया गया हालांकि कमेटी ने यह तय किया था पम्प से पानी लेकर कोई काश्त नहीं करेगा। सूचना मेरे पास अभी नहीं है जो कुछ भी आपने मेजा बांध की जल वितरण समिति में निर्णय लिया था अक्टूबर में, उसका अनुपालन नहीं हुआ, उसकी जो अवहेलना हुई इस सम्बन्ध में अभी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिये था। कोई भी काश्तकार हो, अगर काश्तकार सहयोग नहीं करते हैं तो उस सम्बन्ध में सरकार कुछ भी नहीं

कर सकती है। सरकार तावान लगा सकती है। उस तावान के सम्बन्ध में आज यह आदेश दे रहा हूं कि ऐसे लोगों ने जो खिलाफबाजी की है, कमेटी के निर्णय की, उन पर उसको निश्चित तौर पर लगाया जाना है।

यहां पर सिंचित क्षेत्र बढ़ गया। सिंचित क्षेत्र बढ़ने के सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि सिंचित क्षेत्र बढ़ा है। कमांड एरिया का बढ़ा है। नॉन-कमाण्ड एरिया के सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत वही रहा है। 6.5 प्रतिशत जो पिछले वर्ष था 24 हजार में जो 6.5 प्रतिशत था वह 25 हजार में 7 प्रतिशत है इसलिए आपकी यह जो आशंका और आपका कथन है कि नॉन-कमाण्ड एरिया के अन्दर ज्यादा पानी ले लिया और उन लोगों ने कमिटमेंट तोड़ा। जहां तक मुझे जानकारी मिली है नान-कमांड एरिया के काश्तकारों ने जो उनके ऊपर पाबंदी चार हैक्टेयर की थी, इस कमिटमेंट को नहीं तोड़ा है। कमिटमेंट को तोड़ा है, कमांड एरिया के कृषकों ने। 20 हजार से 25 हजार कैसे कर लिया। 20 हजार से 25 हजार में लोगों का आउटलेट बन्द था उसको खोल दिया। एक ही आउटलेट के अन्दर एक समय पानी ले लिया। आउटलेट दुबारा जो खोला है, पानी जा रहा था टेल पर तो फिर रात को चुप-चाप खोल दिया। एक ही आउटलेट 500 पर है। वहां पटवारी रात-दिन नहीं खड़ा रहेगा। वहां पर हम पूरी पुलिस फोर्स लगा दें? तो ये तो कम से कम सिंचाई के मामले के अन्दर जहां भी धाराबंदी है बिल्ट इन और परफेक्ट सिस्टम है गंग कैनाल के अन्दर जिसका अनुसरण आज भाखड़ा के इरिगेशन सिस्टम में, राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के इरिगेशन सिस्टम में किया जा रहा है उसमें हजारों काश्तकारों में एक-एक मिनट का को-आपरेशन रहता है। उनको मालूम है कि मुझे यह तोड़ना पड़ेगा पानी के लिये, समय पर 6.32 बजे मेरा पानी बन्द होने वाला है। इस तरह का कोआपरेशन यहां नहीं रखा है। तो निश्चित तौर पर इतने बड़े स्टाफ को लगाने से ओवर हैड चार्जेज इसके ऊपर बढ़ेगा।

भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी बजट के आंकड़ों को देखा होगा, इसी पर चर्चा हो रही है और आज डिमांड भी चल रही है। उस सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि इरिगेशन के ऊपर जो पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर अब तक खर्चा हुआ है उसका रिजल्ट कितना पर्सेन्ट आया है अगर उसको देखेंगे तो यह घाटे का सौदा है। कुल मिला करके किसान की बहबूदी के लिये यह सरकार कमिटेड है। आप किसानों के लिये कमिटेड नहीं हैं, आपका कुछ क्षेत्र आ गया है ग्रामीण क्षेत्र में इसलिये आप डीप सिम्पेथी दिखा रहे हैं वैसे वास्तव में आप नगरीय क्षेत्र में हैं। महात्मा गांधी ने 1934 में यह बात कही थी, गांव जो हैं इनके साथ यहां का समाज ऐसा व्यवहार करता है जैसा हरिजनों के साथ अन्त्यजों जैसा किया जाता है। ऐसा ही बर्ताव बरतानिया की हुकूमत गांवों के साथ करती थी। कांग्रेस सरकार ऐसा नहीं कर सकती इसलिये हमें उनके विवेक में, उनकी विस्डम के अन्दर विश्वास रखना पड़ेगा। किसानों के साथ जो अस्पृश्यता…

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदय···

श्री सभापति : व्यवधान न डालें, माननीय सदस्य। व्यवधान न डालें, माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : जो माननीय सदस्य सिटी से आये हैं जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उन्होंने इस मामले को उठाया है, काश्तकारों के वैभव के लिये, काश्तकारों की भलाई के लिये।

श्री सभापति : व्यवधान न डालें, माननीय सदस्य।

श्री परसराम मदेरणा : आसीन्द से आने वाले माननीय सदस्य एक पिछड़े वर्ग से हैं इसलिये जो कुम्बावदों को पानी नहीं मिला उनके प्रति सहानुभूति आसीन्द के माननीय सदस्य की हो सकती है, आपकी नहीं हो सकती। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं यहां पर कुछ तथ्य रख रहा हूं जिनको न तो डिनाई किया जा सकता है और न छिपाया जा सकता है। स्वत: ही वह स्पष्ट है। नान-कमांड एरिया की जो बात आपने कही उस सम्बन्ध में मैं इतना निवेदन करूंगा कि पिछले साल 82-83 में टोटल कुल सिंचित क्षेत्र 24 हजार या उसमें से नान-कमांड क्षेत्र था 1567 और 25 हजार एकड़ में 1635 है, प्रतिशत करीब-करीब वही है। इसलिये आपका यह कथन भी मुझे सत्य प्रतीत नहीं होता, मिथ्या तो मैं नहीं कहूंगा।

यहां पर इसके अलावा जो कुछ भी स्थिति थी पानी की उसमें एक फैक्टर को कंसीडर किया गया। माननीय सदस्य वहां वितरण समिति के सदस्य की हैसियत से कह रहे थे क्योंकि माननीय सदस्य वहां के स्थानीय विधायक हैं। जो प्रोसीडिंग्स की बात है वह आपके पास भी कापी है क्योंकि आपके पास में कन्फर्म होने के लिये आया होगा, इसमें लिखा है कि पिछले साल अच्छी बरसात हो गयी थी। पिछले साल बरसात हो गयी थी इसलिए इस साल बरसात जो होगी उसको रूल आउट करके चलना, फिर कोई निर्णय लेना बुद्धिमानी नहीं होगी क्योंकि पिछली साल 136 मिलीमीटर बरसात हुई थी। मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली साल बरसात नवम्बर में ही हो गयी। पिछली साल बरसात जो 136 मिलीमीटर हुई उसमें अक्टूबर में हुई 36 मिलीमीटर और नवम्बर में कुल मिलाकर 88 मिलीमीटर हुई। जब 88 मिलीमीटर लास्ट ईयर बरसात हुयी थी तो जो आपने क्राप ली है, उसमें माश्चर था, नमी थी इसलिए 82–83 के अन्दर 370 एम. सी. एफटी. पानी की खपत रही। 370 एम.सी.एफटी. के मुकाबले इस साल जो खपत थी वह 650 एम. सी. एफटी होनी चाहिए थी लेकिन एक्चुअल पानी जो रिलीज हुआ वह 890 एम. सी. एफटी हुआ। जब इस प्रकार का डिस्टार्शन डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में आया तो सिंचाई विभाग के अधिकारियों के सामने कोई विकल्प नहीं था इसलिए जो निर्णय लिया वह ठीक था।

यह बात, सभापति महोदय, सत्य है कि माननीय सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र भी इसमें आता है। माण्डल का क्षेत्र भी आता है।

(श्री परसराम मदेरणा)

बनेड़ा का क्षेत्र भी आता है । कोटड़ी के क्षेत्र का कुछ भाग टेल पर है वहीं मुख्य मंत्रीजी का निर्वाचन क्षेत्र भी है । मैंने पूछा, तो इन माननीय सदस्यों ने मुझे बताया कि क्राप मैच्योरिटी विजुअल है । परसीवेबल ही नहीं बल्कि काश्तकार देखकर स्वयं समझता है कि उसमें दाना पक गया है या नहीं पक गया है । क्योंकि पकने में 125 दिन लगते हैं. ठण्डा का मौसम लम्बा रहा और पानी कई दिनों तक दिया जाने लगा इसलिये फसल को शीत से क्षति कोई हो गयी होगी । लेकिन तीन पाण से भी फसल मैच्योर नहीं हो, ऐसा दूसरे तीन माननीय सदस्यों ने मुझे बताया है कि हमारे क्षेत्र में फसल की क्षति हुई नहीं । एक भीलवाड़ा शहर और उसके आसपास के क्षेत्र भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य अपने आप को एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट मानते हैं, वह जिस वर्ग और क्षेत्र से आते हैं, यह सदन के सोचने की बात है कि उस की बात पर कहां तक यकीन किया जाय, राज्य सरकार आपके कथन का यकीन नहीं कर सकती । मेरा स्टेटमेंट बहुत स्पष्ट है ।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई ।

श्री बंसीलाल पटवा : पॉइन्टेड एक दो सवाल ।

श्री सभापति : पूछ लिये हैं आपने ।

श्री बंसीलाल पटवा : 1–2 प्रश्न पूछ लिये जिनका उत्तर नहीं आया । मुझे और कुछ नहीं कहना, पॉइन्टेड प्रश्न है । मेरा तो इतना सा निवेदन है, मंत्री महोदय, कि आपने जो रिप्लाई दिया है, बहुत ही अच्छे ढंग से पैरवी की है अधिकारियों की । इतने अच्छे ढंग से की है कि सारा जो कुछ...

श्री सभापति : प्रश्न पूछ लीजिए ।

श्री बंसीलाल पटवा : प्रश्न पूछ रहा हूं । जितनी इर्रेगुलेरिटीज की हैं उनको किस तरह से निर्मूल साबित किया जाय, इसकी पैरवी बहुत अच्छी की । एक्सपर्ट मैं हूं नहीं लेकिन उस कमेटी में, मंत्री महोदय, एक्सपर्ट बैठे थे एग्रीकल्चर के डिप्टी डायरेक्टर । उन्होंने कहा कि 3 पाण देने पर गेहूं, अनाज पैदा नहीं हो सकता । जब इतनी देर से पानी दिया गया तो यह भी इर्रेगुलेरिटी है । मेरा निवेदन है कि 4 पाण पानी कमिटमेंट के अनुसार दिया जाना चाहिए था । जो वेस्टेज हुआ है वह आप लोगों की अव्यवस्था से हुआ है । इसका आप रिप्लाई दे दीजिए ।

इसके साथ-साथ आपने कहा, खेती ज्यादा हो गयी, कमेटियां नहीं बनीं । एक्सपर्ट्स के बारे में आपने कह दिया । यह सारा विवरण दिया लेकिन मैं तो यह कह रहा हूं कि 3 पाण दिया गया है । एक्सपर्ट तो नहीं हूं लेकिन आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से पूछ लीजिए, 3 पाण में अनाज पैदा हो सकता है क्या ? यदि नहीं हो सकता है तो इसके बारे में गम्भीरता से विचार करिये । इसके साथ ही जो आंकड़े बताये हैं कि नान कमांड एरिया में पानी ज्यादा नहीं गया, आंकड़े वहां दर्ज नहीं किये गये, क्या आप इसकी जांच करायेंगे ? मैं आपको बताऊं; खंडेलिया नॉन कमांड एरिया में पानी ज्यादा दिया गया । राइट कैनाल पर

(श्री बंसीलाल पटवा)
तो चीफ मिनिस्टर का जहां एरिया पड़ता है वहां पर पानी पूरा...

श्री सभापति : आप रिपीट कर रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री बंसीलाल पटवा : नॉन कमाण्ड में पानी ज्यादा दिया है क्या ?

श्री सभापति : रिपीट कर रहे हैं अनावश्यक रूप से।

श्री बंसीलाल पटवा : रिपीट उन्होंने किया है। मेरा निवेदन यह है कि जो इर्रेगूलेरिटी हुई, एक तो ज्यादा पानी देकर कम दर्शाया गया। एग्रीकल्चर ट्रेक्स हैं। पानी ज्यादा मिला नॉन कमाण्ड एरिया को लैफ्ट कैनाल पर, वह वेस्ट हुआ, क्या आप इसकी जाँच करायेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति महोदय, सिचाई के लिए भीलवाड़ा शहर को जो पानी रिजर्व करने की बात है, 2390 एम.सी.एफटी. पानी था, यह बात जल वितरण समिति में बताई थी। पहली पाण में 890 एम०सी०एफटी० पानी की खपत हुई, दूसरे में 730 की और तीसरे में 770 की हुई। 2390 एम०सी० एफटी० पानी तीन पाणों में समाप्त हो गया। उतना ही पानी था। अब माननीय सदस्य का यह कहना कि चौथा पाण दे देते, पानी था नहीं....

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : पानी दिया कब ?

श्री परसराम मदेरणा : बहुत बड़े काश्तकार हैं नदबई से आने वाले माननीय सदस्य।

जब 890 एम०सी०एफटी० पहली पाण में खर्च हो गया तब 240 एक्सेस था। उसके बाद में काश्तकार को समय पर सूचित नहीं करना और उनको यह कहना कि आपको सिर्फ दो पाण ही दिया जायेगा, क्या ठीक था ? उस वक्त पाण चल रही थी वह पहली पाण थी जो 6.12.83 तक चली है। जब नवम्बर में ही विज्ञप्ति निकाल दी गयी उस वक्त काश्तकारों ने बुवाई नहीं की थी—एक।

दूसरा, आप यह कह रहे हैं कि वितरण समिति में एग्रीकल्चर एक्सपर्ट था। हां, था। लेकिन एग्रीकल्चर में किस वक्त किस प्रकार का एटमॉसफियर, क्लाइमेट होता है, उसका फसल पकने पर क्या असर पड़ेगा यह उन्होंने तब फारकास्ट नहीं किया है। मैं नागौर से आने वाले माननीय सदस्य से प्रश्न पूछूंगा, वह काश्तकार हैं, उस वक्त जो कोल्ड वेव आई उससे सिंचित एरिया में ज्यादा नुकसान हो गया, जो सिंचित एरिया नहीं था उसमें नुकसान नहीं हुआ ? हमेशा होता यह है कि कोल्ड वेव के आने पर सिंचित एरिया बच जाता है, दूसरे वाले एरिया में नुकसान हो जाता है। इस प्रकार की अजीबो-गरीब स्थिति इस साल हुई। एटमॉसफियर का, क्लाइमेट का अंदाज न तो उस एग्रीकल्चर एक्सपर्ट को था जो 22 अक्टूबर को आपके साथ था, न माननीय सदस्य को था।

Page No 78

(78)

श्री बंसीलाल पटवा : आप ही की सरकार के नौकर हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो अभी तथ्य बता रहा हूं। मैं पोस्ट मॉर्टम की बात कर रहा हूं। फारकास्ट करने की बात सोच रहे थे वह नहीं हो सकी।

श्री बंसीलाल पटवा : मंत्री महोदय, इतना तो सब जानते हैं कि जब खेती सिंचित हो जाती है, वेव आती हैं, शीत लहरें आती हैं तो वह नहीं बचती जो उस समय सिंचित नहीं होती। आप मैनुपुलेट कर रहे हैं। यह तो आम आदमी जानता है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं बहुत गम्भीरता से चिंतन भी करता हूं, मनन भी करता हूं, ब्रूड आउट भी करता हूं, दिमाग को भी लगाता हूं। कभी-कभी ऐसा होना चाहिए, माननीय सदस्य। डिबेट के अन्दर वोइस को रेज नहीं करें तो उसका भी असर पड़ जाता है। इसमें प्रतिपक्ष के नेता एक्सपर्ट हैं कि किस जगह वोइस रेज करनी है। जहां पर क्लैपिंग और एप्लॉज की बात आती है उसी वक्त रेज करते हैं फिर उसका ग्राफ नीचे ले जाते हैं। इसलिए आपने जो वोइस रेज की उसका मैं शुक्रगुजार हूं लेकिन उसका मेरे ऊपर असर नहीं पड़ेगा।

मैं यह निवेदन कर रहा था आपसे, आपने एक बहुत बड़ी बात कही, नॉन कमाण्ड एरिया, राइट कैनाल और मुख्य मंत्री जी की कॉन्स्टीट्यूएन्सी। मैंने पहले बता दिया है कि पिछले साल जो टोटल इरिगेटेड एरिया था, जिसमें पानी दिया गया था वह था 24 हजार एकड़। आपने निर्णय यह लिया था कि पिछले साल जितना नॉन कमाण्ड एरिया है उतना ही रहना चाहिए, दस्तख्त किये हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 1567 एकड़ पिछली साल गिरदावरी का सिंचित एरिया था नॉन कमाण्ड का, इस साल है 1635। 1635 हो गया तो नॉन कमाण्ड एरिया वालों ने ज्यादा रखा 68 एकड़ ओनली। 25 हजार एकड़ में से 68 एकड़ में ज्यादा पानी ले लिया गया इसलिए इन्होंने कहा, नॉन कमाण्ड एरिया के अन्दर बहुत बड़ा पानी का वेस्टेज हो गया। मैं पूछता हूं आपने निर्णय यह लिया, 4 पाण के लिए 19-20 हजार एकड़ एरिया सिंचित होगा, सीलिंग फिक्स कर रहे हैं, क्यारियां बनायेंगे, वाटर कोर्सेज रिपेयर करेंगे हम, पंचायतों में वितरण समितियां गठित करेंगे, हम एक्सेस पानी का वितरण में सदुपयोग करेंगे। मैं कह रहा हूं 24 हजार में 1567 का प्रतिशत बनता है 6·52, 25 हजार में 1635 का प्रतिशत बनता है 6·54, 6·52 और 6·54 बराबर है 68 एकड़ में ज्यादा काश्त कर ली। मैं आंकड़े भी रखता, कोई नॉन कमाण्ड एरिया में 4 हैक्टेयर से ज्यादा करेंगे नहीं। किसी ने नहीं किया। आपके यहां पर 68 एकड़ से ज्यादा हो गया। फिर जब नोटिस आने शुरू हो जायेंगे, वसूली होगी तो आप अभी जैसे अंधकार में हैं तब आपको ज्ञान प्राप्त हो जायेगा, मुझे इतना ही कहना है।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई, माननीय सदस्य...

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : आपका यह कहना कि 3 पानी से फसल पक सकती है, यह कतई संभव नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बिराजें । माननीय सदस्य, आपका इसमे कोई सम्बन्ध नहीं है कृपया विराजें ।

श्री नानूराम (आसीन्द) माननीय सभापति महोदय, मेरा एक प्रश्न था...

श्री महाराम चौधरी : तीन पानी से गेहूँ पक सकता है ? मैं कहना चाहता हूं कि पूरे हिन्दुस्तान में कहीं भी तीन पानी में गेहूँ नहीं पक सकता ।

दूसरा, इसके लिये पहले पानी दिया जाता है उसके लिये तो काश्तकार को तो जमीन को खोखला करना ही पड़ेगा । वगैर जुताई किये हुये तो इसमें पैदा हो ही नहीं सकता है ।

श्री सभापति : कृपया बैठ जायं ।

श्री नानूराम : सभापति महोदय, मेरा एक प्रश्न था ।

श्री परसराम मदेरणा : यहां नागौर से आने वाले माननीय सदस्य की खड़े होकर कुछ कुछ जुबान खुली है पिछले एक महीने से । मैं यह निवेदन कर रहा था कि इनके गांव में जहां सेवण होती है और इनके माणकपुर के क्षेत्र, जहां से ये गोद गये हुये हैं, में बहुत अच्छी फ्लेट सोइल है वहां पर तो बिना पानी के ही गेहूँ पकता है । नहीं होता है तो इस बात को इन्कार कर दीजिये ?

श्री महाराम चौधरी : वह तो सभी जगहों पर पकता है...

श्री परसराम मदेरणा : बिना पानी के तो पक जायेगा और तीन पानी से नहीं पकेगा ?

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, यह कह रहे हैं कि तीन पानी से गेहूँ पक सकता है तो मैं कहूंगा कि इनके आस-पास के क्षेत्र के अन्दर तो सिर्फ बाजरी ही होती है इसलिये शायद गेहूँ का आपको मालूम ही नहीं है ।

श्री नानूराम : सभापति महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य...

श्री सभापति : कृपया बिराजिये ।

श्री परसराम मदेरणा : मुझे बाजरी का मालूम नहीं है । इस राजस्थान के अन्दर सबसे अच्छी बाजरी किस गांव में होती है, वह मेरे ही गांव में होती है । आपके जो बाजरी होती है, मैं तो कई वर्षों पहले, करीबन 20 साल पहले आपके गांव में एक दिन ठहर गया था वहां जो बाजरी खायी वह अपच्य बाजरी थी ऐसी बाजरी

(श्री परसराम मदेरणा)

आप किसी को नहीं खिलावें। अगर किसी मेहमान को बुलावें तो मेरे गांव से बाजरी मंगाले, मैं मुफ्त में भेज दूंगा।

श्री नानूराम : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने मेजा डेम के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया है। मैं भी भीलवाड़ा जिले से आता हूं, एग्रीकल्चर के सम्बन्ध में प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है, उससे ज्यादा जानकारी मुझे भी हो सकती है इसलिए मैं मंत्री महोदय से एक बात पूछना चाहता हूं भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया कि भीलवाड़ा प्रापर में पानी कम दिया गया...

श्री बंसीलाल पटवा : प्रापर में नहीं...

श्री नानूराम : पीने का पानी भी आप भीलवाड़ा को देते हो, एग्रीकल्चर का पानी भी भीलवाड़ा को देते हो, भीलवाड़ा प्रापर इण्डस्ट्रियल एरिया है उसके लिये पानी देते हो लेकिन जो दूर-दराज के गांवों में किसान बसे हुये हैं, किसान रहते हैं जहां पर नान कमाण्ड इलाका घोषित कर रखा है क्या आप उन दूर के गांवों को कमाण्ड एरिया घोषित करेंगे? भीलवाड़ा मे सारी फैसिलिटी है। माननीय सदस्य कह रहे थे कि भीलवाड़ा में पीने का पानी भी होना चाहिये, भीलवाड़ा में इरिगेशन के लिये भी पानी चाहिये...

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया...

श्री बंसीलाल पटवा : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य बिलकुल असत्य बोल रहे हैं, मिथ्या बोल रहे हैं। यह कार्मशियल परपज का डेम है, इरिगेशन के लिए तो उपयोग किया जाता है। यह डेम ही कार्मशियल परपज का है।

(व्यवधान)

श्री नानूराम : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि दूर-दराज के गांवों में जहां पर किसान रहते हैं वह क्षेत्र कमाण्ड क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करके आसीन्द से आने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रश्न पूछा। यह बात सही है कि 25 हजार कुल सिंचित क्षेत्र में से जो इस वर्ष सिंचित किया गया, उसमें से 18028 एकड़ केवल भीलवाड़ा तहसील में किया गया है–एक बात। और यह बात भी सही है कि फसल को सिंचाई के लिये सबसे ज्यादा पानी भीलवाड़ा तहसील में दिया गया। भीलवाड़ा शहर के लिये पीने का पानी 650 एम. सी. एफटी. रिजर्व रखा गया। अगर यह रिजर्व नहीं रखते तो एक पानी और फसल को दे सकते थे लेकिन भीलवाड़ा बहुत बड़ा शहर है, पीने के लिये पानी रिजर्व रखना आवश्यक था।

श्री बंसीलाल पटवा : राइट कैनाल पर नहीं दिया गया।

श्री परसराम मदेरणा : पीने के पानी को सरकार प्रथम प्राथमिकता देगी इसलिये निश्चित तौर पर वह पानी सुरक्षित रखना आवश्यक था।

जहां तक कुछ क्षेत्र को कमाण्ड क्षेत्र घोषित करने का प्रश्न है, मैं आज ही आदेश दे रहा हूं, मुझे ऐसा मालूम पड़ा है कि प्रस्ताव उन्होंने भेज दिये हैं और उस प्रस्ताव पर जल्दी ही निर्णय लिया जायगा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त हुई।

माननीय आबकारी मंत्री राजकीय विभाग के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से एवं लाइसेन्सधारी ठेकेदार द्वारा किये गये 31 लाख रुपये के गबन के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे।

भीम, जिला उदयपुर में एक ठेकेदार द्वारा आबकारी विभाग के अधिकारियों की मिली-भगत से 31 लाख का गबन

श्री बृजसुन्दर शर्मा (आबकारी मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, स्थगन प्रस्ताव द्वारा उठाये गये मामले में तथ्य निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष 1983–84 व 1984–85 के लिये श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री जवरीलाल टाँक निवासी भीम के नाम से भारत निर्मित विदेशी मदिरा की थोक दुकान भीम में स्वीकृत है। यह फर्म अब भारत लिकर्स के नाम से जानी जाती है। इस थोक दुकान में श्री बालकिशन पुत्र श्री बिहारी लाल टाँक निवासी भीम दिनांक 5-12-1983 से भागीदार व लाइसेन्सी है जिसे स्थगन प्रस्ताव में लाइसेन्सी नहीं होना बताया गया है।

उपायुक्त आबकारी, उदयपुर के थोक अनुज्ञाधारी के निरीक्षण नोट के आधार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुज्ञाधारी के भीम स्थित बोण्डेड वेयरहाउसेज में रही मदिरा का भौतिक सत्यापन करवाया गया। जिला आबकारी अधिकारी (मुख्यालय) उदयपुर द्वारा दिनांक 27/28 फरवरी, 1984 एवं 7 मार्च, 1984 को भौतिक सत्यापान किया गया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दिनांक 9-3-1984 को प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में बतलाया गया है कि माल 10 गोदामों में मिला जब कि केवल 3 गोदाम ही नियमानुसार स्वीकृत थे। इन 10 गोदामों पर विभाग और ठेकेदार के ताले थे। चैकिंग के समय ठेकेदार और सम्बन्धित आबकारी निरीक्षक ने दसों गोदामों के बारे में सूचना दी थी। इन दसों गोदामों के माल को चैक करने के उपरान्त भी रिकार्ड के अनुसार बोण्डेड वेयरहाउसेज के रजिस्टर में दर्ज मदिरा के मुकाबले गोदाम में 66,742.77 एल.पी. लीटर मदिरा कम मिली।

इन गोदामों के माल की गणना करने पर कम मिली मदिरा पर आबकारी शुल्क

(श्री बृज सुन्दर शर्मा)

रुपये 31,36,910.10 पैसे बनता है। इस कमी के बारे में ठेकेदार ने स्पष्टीकरण दिया कि यह माल अन्य दो गोदामों में है परन्तु विभाग को यह मान्य नहीं था क्योंकि उसके बारे में ठेकेदार और आबकारी निरीक्षक ने भौतिक सत्यापन के पूर्व गोदामों की सूचना लिखित में दी थी उनमें दो का उल्लेख नहीं था। आबकारी शुल्क की वसूली में कोई कठिनाई नहीं आये इस दृष्टि से आबकारी आयुक्त ने भीम के बोण्डेड गोदामों में पड़ी समस्त मदिरा को विभाग के कब्जे में लेकर गोदामों को सील कर विभाग के ताले लगवा दिये।

नियमानुसार राजस्थान आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग दर्ज किया जाकर अनुज्ञाधारी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर दी गई है।

अनुज्ञाधारी द्वारा नियम विरुद्ध कार्यवाही करने के कारण आबकारी आयुक्त द्वारा लाइसेन्स को निलम्बित किया जाकर लाइसेन्स निरस्त किये जाने हेतु नोटिस दिया गया। इस मामले में राजस्थान उच्च न्यायलय, जोधपुर ने दिनांक 28-3-1984 को स्थगन आदेश जारी किया है जिसे वैकेट कराने की कार्यवाही की जा रही है।

आबकारी आयुक्त द्वारा अनुज्ञाधारी को आबकारी शुल्क के रुपये 31,36,910.10 पैसे जमा कराने के लिये 3 दिन का नोटिस दिया गया था एवं उक्त अवधि में जमा नहीं कराने की स्थिति में अधिग्रहण की गई मदिरा को नीलाम कर रकम वसूल करने का नोटिस दिया गया था। अनुज्ञाधारी ने दिनांक 20.3.84 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त कर प्रस्तुत किया, जिसमें न्यायालय द्वारा एकतरफा स्थगन आदेश देते हुए अग्रिम आदेश तक वसूली की कार्यवाही स्थगित रखने के आदेश दिये हैं। विभाग द्वारा स्थगन आदेश को वैकेट करवाये जाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

अनुज्ञाधारी के इन बोण्डेड गोदामों के लेखों की विशेष जांच कराई जा रही है।

इस मामले में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 418 सपठित धारा 120 (बी) में भी प्रथम दृष्टि में अपराध होना पाया जाता है। अतः आबकारी विभाग द्वारा पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की कार्यवाही की जा रही है।

अनुज्ञाधारी श्री महेन्द्रकुमार जवरीलाल टाँक एण्ड पार्टी, भीम के नाम वर्तमान में भारत निर्मित विदेशी मदिरा की अन्य दुकानों के हिसाबों की भी अलग से जाँच कराई जा रही है।

स्थगन प्रस्ताव में यह भी आरोप लगाया गया है कि तत्कालीन जिला आबकारी, अधिकारी उदयपुर श्री बोहरा की इस लाइसेन्सी के साथ भागीदारी रही है जिससे उसे हेराफेरी करने का अवसर मिला है। श्री बोहरा जिला आबकारी अधिकारी उदयपुर के पद पर वर्ष 80–81 में रहे। उनका वहां से स्थानान्तरण दिनांक 23.10.81 को जयपुर हो गया था और

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

श्री बोहरा आजकल जोधपुर में जिला आबकारी अधिकारी (अभियोजन) के पद पर हैं।

इस मामले में आबकारी आयुक्त द्वारा 2 आबकारी निरीक्षकों को निलम्बित किया जाकर उनके विरुद्ध सी.सी.ए. नियमों के नियम 16 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है। श्री दामोदरलाल अग्रवाल जिला आबकारी अधिकारी, उदयपुर को भी निलम्बित कर दिया गया है तथा उनके विरुद्ध भी विभागीय जांच की कार्यवाही की जावेगी।

इस तरह इन सारे तथ्यों से स्पष्ट है कि आबकारी विभाग द्वारा ही इस मामले में पहल की जाकर जांच एवं भौतिक सत्यापन आदि कार्य किया गया।

इस मामले को दबाने अथवा किसी व्यक्ति को बचाने के लिये कागजात में हेराफेरी की बात तथ्यों से परे है। राज्य हित में सभी आवश्यक कार्यवाही तत्परता से की गई है और की जा रही है।

श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेड़ा) : सभापति महोदय, यह 27 और 28 तारीख को तलाशी शुरू हुई। 27 और 28 तारीख को तलाशी के बाद 7 तारीख तक यह काम स्थगित रखा गया। इन सात आठ दिनों में जितनी हेराफेरी वह लाइसेन्सी कर सकता था उतनी उसने की, यह आपके जवाब से स्पष्ट है। तो लाइसेन्सी मैंने इसलिए उसको नहीं माना है कि एक्साइज एक्ट के अन्दर यह प्रावधान है कि लाइसेन्स उसी जगह दिया जायगा जहां इन्सपेक्टर का हैडक्वार्टर होगा और भीम में इन्सपेक्टर का हैडक्वार्टर नहीं है। शराबबन्दी के वक्त और उसके बाद वह शराब बना कर बिकवाता रहा। जहां इन्सपेक्टर का हैडक्वार्टर नहीं था वहां मिस्टर बोहरा ने डिपार्टमेन्ट को धोखा देकर एक नई दुकान होलसेल की कायम करवाई उसमें उनकी पार्टनरशिप रही। शराब का ऐसा धन्धा था उस वक्त कि लिमिटेड शराब दी जाती थी। एक को 6 बोतल से अधिक नहीं दी जाती थी। कितनी ही शराब बनाकर वह सब जगह सप्लाई करता रहा। भीम एक ऐसी जगह है जहां से अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर चौतरफ शराब सप्लाई की जा सकती है। तो यह सप्लाई उस वक्त से चालू हुई, दुकान उस वक्त से चालू हुई। मूल आदमी का निलम्बन नहीं करके उन बेगुनाह इन्सपेक्टरों को निलम्बित किया गया। वह इन्सपेक्टर और डी.ई.ओ. इसलिए हिम्मत नहीं कर रहे थे कि सप्ताह भर तक तलाशी रोक दी गई और ऊपर से भारी दबाव था कि इस हेराफेरी को रोका जाय। अब यह बताते हैं कि दस गोदामों में माल था और मन्जूर तीन गोदाम थे। एक्साइज एक्ट में माल रखने के लिये पहले ही यह व्यवस्था है कि इस जगह में माल रहेगा, इस जगह दुकान रहेगी, उस दुकान की पेड़ी के बाहर सड़क पर या किसी और जगह अगर शराब पाई जायेगी, तो वह माल उसका नहीं माना जायेगा। दस गोदामों के अन्दर यह माल था और उसके तीन गोदाम मन्जूर थे, इसका यह स्पष्ट मतलब है कि वह हेराफेरी करता था इस तरह का धन्धा करके और चौतरफ माल सप्लाई करता था। उसकी पाकिस्तान बोर्डर से

(श्री भूपाल सिंह)

लगा करके मध्य प्रदेश और पंजाब बोर्डर तक काफी दुकानें हैं। उसकी दुकान जो है, 17 तो मानी हैं कि 17 दुकानों का लाससेन्सी है और कई दुकानें बिना नाम की हैं, जैसे चित्तौड़ प्रापर में उसकी होलसेल की दुकान है, ठेठ प्रतापगढ़ में उसकी रिटेल सेल की दुकान है, पाकिस्तान बोर्डर पर चौहटन, नाचना और जिगनासर तक में उसकी दुकानें मौजूद हैं।

यह इंगलिश शराब चार रुपये में बनती है और पचास-सौ रुपयों में बिकती है। इसमें दुगुनी कमाई है। पहले केवल इस पर 13 रुपया बोतल पर गारन्टी थी, अब 26 रुपये कर दिये। उस ठेकेदार को सरकार को एक्साइज ड्यूटी देने में कोई तकलीफ नहीं होती क्योंकि 26 रुपया देने के बाद वह सौ रुपये में बेच सकता है। उसकी जो पहले के मुकाबले गारन्टी थी उसकी अब डबल रकम बढ़ा दी गई है। 13 की बजाय 26 रुपये कर दिये जिसमें हरेक ठेकेदार आराम से ठेका ले सकता है। तो उसके अन्दर अर्ज करना यह था, सबसे बड़ी गलती तो यह है कि मिस्टर बोहरा उसके जन्मदाता हैं, उसके पार्टनर हैं और आज भी हैं। क्या मंत्री महोदय उसकी सम्पत्ति की जांच करवायेंगे? उस दुकानदार की सम्पत्ति की या उसकी पार्टनरशिप की जांच डिपार्टमेन्ट अथवा सी.आई.डी. से करवायेंगे या और एजेन्सी जो सरकार के पास है उससे करवायेंगे? अगर एक्साइज डिपार्टमेन्ट को सौंप दिया तो वह क्या करेंगे। वह तो इनके दबाव में हैं और इनके दबाव से ही यह काम चलता रहा है। इनको दबाया गया है। जिस दिन पकड़ा उस दिन से आज तक कहीं अखबार में नहीं आया, कहीं नहीं आया। मैंने प्रस्ताव दिया उसके बाद उन्होंने सस्पेण्ड किया है। यदि यह सही है तो तारीख बतायें कि किस दिन उनको सस्पेण्ड किया? जिन बेगुनाहों को सस्पेण्ड किया....

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री भूपाल सिंह : मैं अर्ज करता हूं, आबकारी आयुक्त और उपायुक्त ने डी.ई.ओ. भण्डारी, जो ईमानदार आदमी थे, जयपुर के अन्दर हेराफेरी नहीं करने देता था, को यहां से हटाया। उस आदमी ने यह सारा काम किया है और पकड़ा है। अब आयुक्त, उपायुक्त और उस पकड़ने वाले को मेरे ख्याल से पनिशमेन्ट मिलेगा। वह सस्पेण्ड होंगे, ट्रान्सफर होंगे क्योंकि वह तो इतना मालदार और बड़ा आदमी है कि नीचे के आदमी की तो वह मानता ही नहीं है, इन्सपेक्टर तो उससे डरते हैं कि मुझे कहीं जैसलमेर भिजवा देंगे या उस जगह भिजवा देंगे। वह क्या इन्क्वायरी कर सकते हैं एक्साइज वाले?

मेरा अर्ज करना यह है कि 31 लाख का जो गबन बताया गया है, यह 31 लाख का नहीं करोड़ों में है। यह तो केवल वह है जो माल पकड़ा है। दस गोदामों के अन्दर कितना माल है वह अभी न बताया गया, न उसकी जाँच कराई गई कि उसमें कितना माल फर्जी है और कितना माल बेचने का सही है। मेरा निवेदन मन्त्री महोदय से यह है कि इसको इस तरह से

(श्री भूपाल सिंह)

दबाने से केस तो दबेगा नहीं, वह तो सामने आयेगा। आपको कार्यवाही समय पर करनी चाहिये। जब आपको 9 तारीख को रिपोर्ट मिल गई थी, 20 तारीख को स्टे हाई कोर्ट से हुआ तो उसको 11 दिन का मौका कैसे दिया गया। जब कोई दो किलो महुए का शराब निकाले और उसको निकालते हुए पकड़ ले तो उस आदमी की जमानत नहीं होती है और उस वक्त उस आदमी को पकड़कर जेल में बन्द किया जाता है, फिर एक आदमी जो करोड़ों रुपयों की नाजायज शराब लेकर बैठा है उसको हाई कोट तक जाने और स्टे लाने का इन्होंने मौका दिया, तो इसमें मन्त्री महोदय का पूर्ण हाथ कह दो या कुछ भी कह दो जो उपयुक्त हो आप मान लें।

एक माननीय सदस्य : हाथ कहना ठीक है।

श्री भूपाल सिंह : प्रोत्साहन अच्छा है, प्रोत्साहन है। हाथ है। नहीं उसके माथे पर हाथ है, यह कह सकते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं जानता ही नहीं उसको।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री भूपाल सिंह : थोड़ा और अर्ज तो करना पड़ेगा।

तो मैं यही अर्ज कर रहा हूं यह दस दिन का मौका क्यों दिया गया? एक तो मैं यह पूछ रहा हूं।

दूसरा, उसको हाई कोर्ट जाने का मौका दिया, आज दिन तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, बीच में एक सप्ताह तक उसकी तलाशी क्यों बन्द की? मैंने सुना है, ऊपर से +++दबाव आ रहा है। मन्त्री महोदय दबा रहे हैं अफसर को, कहीं चौड़े नहीं आ जाय। मुझे न मालूम कैसे पता लग गया, इसलिए मैंने प्रस्ताव दे दिया जब यह बात चौड़े में आई। जो मैंने यह प्रश्न पूछे हैं उनका आप उत्तर फरमा दें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सभापति महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने यह कहा कि 11 दिन तक का समय उस ठेकेदार को कैसे मिल गया, मेरा इसमें यह निवेदन है कि उसको तीन दिन का नोटिस दिया गया था उसके बाद में हमने वहां पर ताले लगाये और उस माल को अपने कबजे में लिया तब वह कार्यवाही हुई। उसने कहा कि मुझसे माल वसूल नहीं किया जाये। हाई-कोर्ट से स्टे लाया। अभी भी वह माल हमारे कब्जे में है।

दूसरा, उसको नोटिस इस बात का दिया गया कि तुम्हारे पास जो लाइसेन्स है उसको जब्त क्यों नहीं कर लिया जाये। सभापति महोदय, नोटिस दिये बगैर तो किसी का लाइसेन्स जब्त कैसे कर सकते हैं? तो वह उस नोटिस के खिलाफ हाई कोर्ट में गया। सभापति महोदय, इस मामले में ज्यादा

+++अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष तो आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(86)

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

डिस्कशन में नहीं पड़ना चाहूंगा क्योंकि दोनों ही मामले अभी हाई कोर्ट में हैं और हमें इनके जवाब पेश करने हैं।

इसके अलावा माननीय सदस्य ने कहा कि उसने एकतरफा स्टे हाई कोर्ट से लिया था। इसके लिये मेरा यह निवेदन है कि उस स्टे को वैकेट कराने की हम कोशिश कर रहे हैं।

तीसरी बात जो आपने कही कि मामला छिपेगा नहीं, मैं तो खुद ही यह चाहता हूं कि यह मामला छिपे नहीं। इसीलिये पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी। रोंगफुल लोस टू दी गवर्नमेंट यह 418 में है। रोंगफुल लोस टू दी गवर्नमेंट, किसी सरकारी कर्मचारी और किसी ठेकेदार ने मिलकर सरकार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तो धारा 418 और 120 के तहत इस मामले को पुलिस में सुपुर्द करेंगे।

चौथी बात जो माननीय सदस्य ने कही, उसके लिये मेरा यह कहना है कि माननीय सदस्य को इसका ज्यादा तजुर्बा है क्योंकि माननीय सदस्य खुद ही पहले इसका काम करते रहे हैं। हो सकता है उनको तजुर्बा ज्यादा हो लेकिन प्रश्न यह है, जैसा आपने कहा कि उस वक्त रिपोर्ट दर्ज कराने की बात है। इसमें मेरा यही निवेदन है कि गोदाम की जो स्वीकृति दी जाती है, जिन गोदामों में वह माल रखा जायेगा उसकी स्वीकृति एक्साइज कमिश्नर के द्वारा दी जाती है। वह बोहरा, आप जिस का नाम ले रहे हैं, पहले वहां पर डी. ई. ओ. था। उसका वहां से ट्रान्सफर हो गया। उसका तो तबादला हो गया सन् 81 में। उसके तबादले के बाद में वर्ष 82 आया और उसके बाद में 83 का साल आया। 82–84 में दो साल के लिए अनुज्ञापत्र उसको दिया गया था। इसमें अगर आप कहते हैं कि वह इसमें शामिल था तो उसको बख्शा नहीं जायेगा। उसको बख्शने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। चूंकि यह मामला अभी हाई कोर्ट में है, मामला सब-जुडिस है, हाई कोर्ट में रिट पैण्डिग है इसलिये यहां पर अगर बहस करेंगे तो कहीं ऐसा न हो कि इसका असर हाई कोर्ट पर पड़े। चूंकि यह मामला सबजुडिस है, ऐसी हालत में मैं समझता हूं, माननीय सदस्य, मेरा कहना इतना ही काफी होगा कि 418-ए विद 120 बी में जो भी लोग शामिल हैं उनके खिलाफ में चालान पेश हो जायेगा जब पुलिस इस केस की पूरी तफतीश कर लेगी।

अब इसमें जो अधिकारी आबकारी विभाग के हैं उनके लिये कोई इन्वेस्टीगेशन नहीं हो वह बात नहीं है क्योंकि मैंने तो मेरे यहां के अकाउन्ट्स की टीम वहां पर आडिट करने के लिये भेज दी है। अकाउन्ट्स वाले लोग इस बात का जायजा भी ले लेंगे कि वास्तव में परमिट जारी कितने का हुआ था और कितना बेचा गया, कितना बचा हुआ था। यह सारी की सारी बातें उसमें आ जायेंगी। कोई वहम करने जैसी बात ही नहीं है। जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं उस आदमी को मैं जानता ही नहीं हूं, तो उसको बचाने का सवाल कैसे

(श्री बृज सुन्दर शर्मा)

पैदा होता है। माननीय सदस्य, मैं ऐसे लोगों से अपना सम्बन्ध ही नहीं रखता हूं।

श्री सभापति : अब क्या शेष रहा, माननीय सदस्य।

श्री भूपाल सिंह : मैं पूछ रहा हूं हुकुम।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इसमें मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि एक्साइज एक्ट का वायोलेशन हुआ है या नहीं ? अगर एक्साइज एक्ट का वायोलेशन हुआ है तो उसके लिये क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री भूपाल सिंह : मैंने पूछा था कि क्या उसको सस्पेण्ड कर दिया क्या ?

(व्यवधान)

श्री बृजसुन्दर शर्मा : एक्साइज एक्ट का वायोलेशन हुआ है तब ही तो उसका माल जब्त किया गया।

श्री भंवरलाल शर्मा : मामला माल जब्त करने का नहीं है। मेरा कहना यह है कि यह काग्नीजेबल आफेन्स है क्या ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वह काग्नीजेबल ऑफेन्स नहीं बना उसकी वजह यह है कि इन्सपेक्टर और ठेकेदार, दोनों के डबल लाक में वह माल था। वह दोनों ही इसमें शामिल थे। दोनों की मिलीभगत से माल निकाला गया, आबकारी इन्सपेक्टर शामिल हो गया तो यह अब 418 का जुर्म बन गया। यह सीरियस आफेन्स बन जायेगा जब इसमें इन्सपेक्टर शामिल हो जायेगा। तो यह 418 और 120 (बी) लगा कर पुलिस में रिपोर्ट करवाकर इसका इन्वेस्टीगेशन होगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : मन्त्री महोदय, कह रहे हैं कि इन्सपेक्टर और ठेकेदार के डबल लाक में माल था। माल गवर्नमेंट की कस्टडी में था और गवर्नमेंट कस्टडी से माल को निकाला गया। इन्सपेक्टर चूंकि गवर्नमेंट को रिप्रजेन्ट करता है तो यह जो गोदाम हैं वह गवर्नमेंट के हैं और अगर कोई गवर्नमेंट के गोदामों से माल ले जावे तो 418 का अपराध नहीं है क्या ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अपराध है 418 का। केस हुआ 418 का।

श्री भंवरलाल शर्मा : जब 418 का केस हुआ तो चीटिंग वाई दी पर्सन हुआ ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अपराध कौनसा है या कौनसा नहीं है यह काम न्यायालय का है इस सदन का काम यह नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : जब आप एफ० आई० आर० लाज नहीं करायेंगे तो एक्शन क्या लेंगे।

(व्यवधान)

श्री सभापति : मैं किसी भी माननीय सदस्य को इजाजत नहीं दूंगा। सिर्फ मना-

(श्री सभापति)

नीय सदस्य, श्री भूपालसिंह जी ने स्थगन प्रस्ताव दिया है वह कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं ।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : सभापति महोदय, इस सदन की यह परम्परा रही है कि जब भी सदन में ऐसे गम्भीर और भ्रष्टाचार के मामले आये हैं तो सदन के माननीय सदस्य ने एक-दो सवाल पूछे हैं ।

श्री सभापति : पहले माननीय सदस्य भूपालसिंह जी पूछें ।

श्री भूपाल सिंह : तो मैं यह अर्जकर रहा था कि····

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया यह ध्यान रखें जैसा मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि जो बातें हाई कोर्ट के विचाराधीन हैं उसमें आप डिटेल में नहीं जावें क्योंकि इससे गलतफहमी पैदा हो सकती है । आप तो पाइन्टेड सवाल पूछें जो पहले आपने नहीं पूछे हों और रह गये हों ।

श्री भूपाल सिंह : मैं यही अर्ज करना चाहता हूं कि जो स्टे दिया गया है उसको खारिज करा कर रकम वसूल करायी जाय । जो लाइसेन्स के लिये स्टे आया है उसको भी समाप्त कराया जाय । दूसरी बात यह है कि अब यह स्थिति बन रही है कि उससे रकम वसूल नहीं की जाय ।

दूसरा, मैं यह पूछ रहा हूं कि पहले एक साल के लिये था अब आपने दो साल के लिये लाइसेन्स देने का कर दिया तो यह दो साल के लाइसेन्स देने का क्यों तय किया ? पहले जो हर साल चलता था वह अब दो साल तक चलता रहेगा । यह देखने की बात है । जो इन्सपेक्टर का हैडक्वार्टर है वह एक्साइज नियमों के अनुसार होना चाहिये । बोहरा ने कमिश्नर को जो रिपोर्ट दी वह गलत दी और उसने कमिश्नर को धोखा दिया, मेरी अर्ज यह है कि उस पर मन्त्री महोदय ने कुछ नहीं कहा । मेरी अर्ज यह है कि उस बोहरा, जो उसका पार्टनर था और खुले आम उसकी मदद करता था, के खिलाफ में एक्शन होना चाहिये । मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है उसमें उसकी मैंने शिकायत की है ।

श्री सभापति : यह बात, माननीय सदस्य, आप कह चुके हैं, इसको आप रिपीट मत कीजिये । आप कृपया दोहरायें नहीं ।

श्री भूपालसिंह : मेरा कहना है कि उस बोहरा को आप सस्पेण्ड कीजिये ।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें ।

श्री भूपाल सिंह : यह जो तीन गोदाम सैंक्शन हुए, तीन जगह पर ही शराब रखी जा सकती थी । यहां जयपुर में 25 लाइसेन्सी है उनको 50 गोदाम आपने मंजूर

(श्री भूपाल सिंह)

किये हैं उसके अलावा अगर कहीं भी शराब रखते हैं तो वह नाजायज है। उन गोदामों के अलावा वह शराब सात जगह रखी हुई थी वह शराब उस ठेकेदार की नहीं है। वह उसके मालिक नहीं हैं आप उसको जबरदस्ती उसका मालिक बनाना चाहते हैं। उस शराब के पैसे आप उस ठेकेदार को दिलाना चाहते हैं। यह गलत परम्परा है, चूंकि यह नाजायज शराब है इसलिये इसकी मालिक सरकार है। वह किसी की शराब नही है। वह चोरी की शराब है और नाजायज है।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री भूपाल सिंह : सभापति महोदय, यह सात जगह पर जो शराब रखी हुई है उसका आप उसको मालिक बनाना चाहते हैं, यह नहीं होना चाहिये। यह दूसरा प्रश्न है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह तो सारी शराब जब्त करली गयी है। इल्लीगल शराब है उस पर कब्जा कर रखा है इसके लिये ही तो वह हाई कोर्ट में रिट करने गया। दूसरी बात जो आपने कही, डी० ई० ओ० बोहरा उस वक्त डी० ई० ओ० था या नहीं था जब कि गोदाम कायम हुए। उसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं फाइल मंगाकर पहले देख लूंगा और बाद में आपसे बात करूंगा।

श्री भूपाल सिंह : मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप उस बोहरा को सस्पेण्ड करेंगे या नहीं ? उसके विरुद्ध शिकायत सिद्ध हो चुकी है।

श्री अनंगकुमार जैन : सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय ने यह बताया, 27 और 28 फरवरी को उसके खिलाफ में एक्शन शुरू हो गया था। आपने उसके बाद में सात मार्च को दूसरी बार वहां कार्यवाही की तो आपने सात दिन का समय क्यों दिया ? उसको यह सात दिन का समय किस अधिकारी के द्वारा दिया गया ? सात दिन के गैप के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? यह सात दिन का जिस अधिकारी ने समय दिया उसके लिये आपने उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही ? और अगर नहीं की तो क्यों नहीं की ?

दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूं कि 9 मार्च को रिपोर्ट प्राप्त हुई उसके बाद में आज एक माह होने को जा रहा है आपने क्या किया ? छोटे-छोटे मामलों में, दो-दो तीन-तीन बोतल शराब का मामला होता है उसमें आप एफ० आई० आर० दर्ज करा देते हैं और केस का कोर्ट में चालान पेश कर देते हैं तो इसमें भी चालान पेश हो जाना चाहिये था। यह बात स्पष्ट इंगित होती है, आप कहते हैं कि मैं तो उस आदमी को जानता ही नहीं हूं यह कह देने से काम नहीं चलेगा क्योंकि ऐसे आदमियों के अमचे-चमचे अपने आप पहुँच जाते हैं उनको आपके पास आने की जरूरत ही नहीं रहती। आपने एक माह तक उस आदमी के खिलाफ में एफ० आई० आर० लाज नहीं करवायी इसका मतलब है कि आप उसको बचाना चाहते हैं। अगर नहीं बचाना चाहते हैं तो

(90)

(श्री अनंगकुमार जैन)

आप उस व्यक्ति, जिसे एफ०आई०आर० लाज करवानी चाहिये, के खिलाफ भी कार्यवाही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ? आप कब तक एफ० आई० आर० उसके खिलाफ लाज करवा देंगे ?

(2.00 म. प.)

हाई-कोर्ट से जो स्टे आया है, उसको वैकेट कराने के लिये एक्शन नहीं लिया जा रहा है।

श्री सभापति : समाप्त कीजिए।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : एक्साइज एक्ट के तहत एफ. आई. आर. दर्ज करवा दी गई है। लॉ डिपार्टमेंट से बात की है उनका जवाब आया है कि उनके खिलाफ 418 का केस बनता है। मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, जांच हो रही है।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

समिति का गठन
वित्तीय समितियों के नामांकन-पत्र

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि राजस्थान विधान सभा की वित्तीय समितियों के लिए जो नामांकन पत्र प्राप्त हुए थे उनकी जांच के बाद जो नामांकन पत्र वैध पाये गये हैं वे इस प्रकार हैं :—

जनलेखा समिति

1. श्री बाबूलाल बैरवा
2. श्री गोविन्द आमलिया
3. श्री महेन्द्र कुमार
4. श्री हीरालाल आर्य
5. श्री रतनलाल ताम्बी
6. श्री भालू खां
7. श्री देवेन्द्र कुमार मीणा
8. श्री महाराम चौधरी
9. श्री तेजपाल
10. श्री मोहनलाल जाट
11. श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी
12. श्री देवी सिंह भाटी
13. श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा
14. श्री रामरघुनाथ चौधरी
15. श्री माधवसिंह दीवान
16. श्री माणकमल मेहता
17. श्री रामसिंह विश्नोई
18. श्री जनार्दनसिंह गहलोत
19. श्री रामनारायण डूंडी
20. श्री देवी सहाय गोपालिया
21. श्री छोगालाल कंवरिया
22. श्री सुजानसिंह यादव
23. श्री परसराम मोरदिया
24. श्री भंवरलाल मेघवाल
25. श्री सुखलाल सैणचा
26. श्री शिवदान सिंह राठौड
27. श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह
28. श्री मोहनलाल मोदी
29. श्री मेघराज तावड़
30. श्री जगनसिंह

(श्री सभापति)

31. श्री रामसहाय सोनड़
32. श्री सूरजपाल सिंह
33. श्री मानसिंह देवड़ा
34. श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया
35. श्री श्रीराम रावत
36. श्री मांगीलाल आर्य
37. श्री दीपेन्द्र सिंह
38. श्री सैयद मोहम्मद अयाज महाराज
39. श्री भरतलाल

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अलग-अलग कमेटी का बता दीजिए ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य मैं अलग-अलग कमेटी का ही बता रहा हूं ।

श्री बनवारीलाल शर्मा (धौलपुर) : आप समझे कि सबका नाम है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं समझा सब का बता रहे हैं ।

श्री सभापति : समझ का ही तो अन्तर है ।

40. श्री भैरू सिंह गुर्जर
41. श्री गोकुल चन्द शर्मा
42. श्री असलम खां
43. श्री कैलाश मेघवाल
44. श्री घनश्याम तिवाड़ी
45. श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी

प्राक्कलन समिति (क)

1. श्री बाबूलाल बैरवा
2. श्री हीरालाल आर्य
3. श्री वैद्य भैरूंलाल भारद्वाज
4. श्री राम रघुनाथ चौधरी
5. श्री रामसिंह विश्नोई
6. श्री रतनलाल ताम्बी
7. श्री उम्मेद सिंह
8. श्री रामनारायण डूंडी
9. श्री छोगालाल कंवरिया
10. श्री सुजान सिंह यादव
11. श्रीमती सूरजदेवी
12. श्री भंवरलाल मेघवाल
13. श्री सूरजपाल सिंह
14. श्री बहादुर सिंह
15. श्री जगन सिंह
16. श्री मानसिंह देवड़ा
17. श्री श्रीराम रावत
18. श्री नानूराम कुमावत
19. श्री भरत लाल
20. श्री भैरू सिंह गुर्जर
21. श्री असलम खां
22. श्री गोकुल चन्द शर्मा
23. श्रीमती विद्या पाठक
24. श्री समरथलाल
25. श्री गुलाब चन्द कटारिया

प्राक्कलन समिति (ख)

1. श्री बाबूलाल बैरवा

Page No 92

(92)

(श्री सभापति)

2. श्री मोहनलाल जाट
3. श्री कनकराज मेहता
4. श्री हीरालाल आर्य
5. श्री उदयराम धाकड़
6. श्री रामपाल उपाध्याय
7. श्री महाराम चौधरी
8. श्री रामरघुनाथ चौधरी
9. श्री सुजान सिंह यादव
10. श्री फतहसिंह
11. श्री गोपाल पचेरवाल
12. श्री बहादुर सिंह
13. श्री गोविन्द आमलिया
14. श्री महावीर प्रसाद
15. श्री रघुवीर सिंह कौशल
16. श्री रामकिशोर मीणा
17. श्री चुन्नीलाल

राजकीय उपक्रम समिति

1. श्री हीरालाल आर्य
2. श्री तेजपाल
3. श्री नानालाल
4. श्री रामरघुनाथ चौधरी
5. श्री सी० पी० जोशी
6. श्रीमती सूरज देवी
7. श्री भंवरलाल मेघवाल
8. श्री मेघराज तावड़
9. श्री हेमाराम चौधरी
10. श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह
11. श्री गोविन्द आमलिया
12. श्री जगन सिंह
13. श्री राम सहाय सोनड़
14. श्री विष्णु प्रकाश बजारी
15. श्री सूरजपाल सिंह
16. श्री हरेन्द्र मिर्धा
17. श्री मांगीलाल आर्य
18. श्री रामधन चौधरी
19. श्री शिवसिंह रावत
20. श्री महादेव सिंह
21. श्री देवव्रत तिवाड़ी
22. श्री धाराराम फुलवारिया
23. श्री सुनील विश्नोई
24. श्री भंवरलाल शर्मा
25. श्री भैरोंसिंह शेखावत
26. सुश्री पुष्पा जैन

अनुदान की मांगें

मांग संख्या 24–शिक्षा, कला एवं संस्कृति एवं मांग संख्या 47–पर्यटन की प्रस्तुति

अनुदान की मांगें।

संख्या 24 और 47।

मांग संख्या 24, शिक्षा, कला एवं संस्कृति। श्रीमती कमला, शिक्षा मंत्री मांग प्रस्तुत करेंगी।

श्रीमती कमला (शिक्षा मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या 24–शिक्षा, कला एवं संस्कृति

(श्रीमती कमला)

के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,74,55,79,000 (दो सौ चौहत्तर करोड़ पचपन लाख उन्यासी हजार) रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

श्री सभापति : मांग संख्या 47. पर्यटन। श्री बी.डी. कल्ला, पर्यटन मंत्री।

श्री बुलाकी दास कल्ला : (राज्य मन्त्री, पर्यटन) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या–47 पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,26,69,000 (एक करोड़ छब्बीस लाख उनहत्तर हजार) रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

मांग संख्या 24 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 24 मुख्य शीर्षक–शिक्षा, कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत),

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी),

श्री रामनारायण डूंडी (बिलाड़ा),

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल),

श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण),

श्री माणकमल मेहता (पाली),

श्री भेरूसिंह गुर्जर (खारची),

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

(1) ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को नहीं भरने तथा ग्रामीण पाठशालाओं में पूरे विषय नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) :

(2) अध्यापकों की कमी के कारण पढ़ाई में होने वाले नुकसान पर व्याप्त रोष पर चर्चा के लिये।

(3) तीन सौ की आबादी के पीछे एक स्कूल खोलने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़) :

(4) प्रत्येक ग्राम में प्राथमिक शाला खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(5) खेलों के प्रति राज्य सरकार की उदासीनता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(6) रोजगार सम्बन्धित शिक्षा की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(7) डेगाना जंक्शन पर बालिका उच्च प्राथमिक शाला को क्रमोन्नत कर

(94)

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

माध्यमिक शाला बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

(8) निजी शिक्षण संस्थाओं को राज्याधीन कराये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(9) 10+2 पद्धति को शीघ्र लागू कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(10) विश्वविद्यालय द्वारा समय पर परीक्षा नहीं लिये जाने से उनके देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(11) राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रेस होने पर भी विश्वविद्यालय के पर्चे बाहर छपवाये जाने से लगातार पेपर आउट होने पर इसे देय अनुदान पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) :

(12) बेदला हायर सैकण्डरी स्कूल भवन की जीर्ण अवस्था पर चर्चा के लिये।

(13) हायर सैकण्डरी विद्यालय टीड़ी के प्रधानाध्यापक के रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु चर्चा के लिये।

(14) हायर सैकण्डरी विद्यालय टीड़ी के वरिष्ठ अध्यापकों के रिक्त स्थानों की पूर्ति किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

(15) शिक्षा विभाग में स्थानान्तरण की नीति निर्धारित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(16) अध्यापकों का स्थानान्तरण शिक्षा सत्र के बीच में अन्य स्थान पर कर दिये जाने के कारण विद्यार्थियों के अध्ययन में होने वाले व्यवधान पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव) :

(17) रेगिस्तानी क्षेत्रों में प्राइमेरी व मिडल स्कूलों पर ज्यादा धनराशि व्यय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(18) बाड़मेर व जैसलमेर जिलों की स्कूलों में अध्यापकों की कमी पर चर्चा के लिये।

(19) बाड़मेर जिले के लेगा (मर्गणीपार, राष्ट्रीय संगीत कला विषय सैकण्डरी स्कूल में कराने पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) :

(20) झुंझुनु जिले के सूरजगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में विद्यालयों के अध्यापकों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

(21) सूरजगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में शिक्षण संस्थाओं में सामग्री के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) :

(22) खिलाड़ियों के लिये उचित प्रशिक्षण व उनके स्वास्थ्य निरीक्षण की व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

(23) विभिन्न खेलकूदों की दृष्टि से राजस्थान के विभिन्न जिलों के सर्वेक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(24) प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शालाओं के लिये खेल मैदान एवं खेल सामग्री के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम जैन (बेंगू) :

(25) चित्तौड़गढ़ जिले की तहसील बेगू के ग्राम भीचोर, जावदा, ढुकलाई, वडोदिया, एक लेनपुरा, वरावता में माध्यमिक विद्यालय खोलने एवं बेगूं में उप जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय की स्थापना हेतु चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) :

(26) शिक्षा पद्धति में सुधार एवं शिक्षकों में फैले हुए भ्रष्टाचार को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) :

(27) ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय),

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) :

(28) दौसा व सिकराय तहसीलों के 300 से ज्यादा जनसंख्या वाले गांवों में प्राथमिक शालाएं नहीं खोलने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

(29) प्रदेश में शिक्षकों के अभाव में बंद पड़े स्कूलों के कारण व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

(30) शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) :

(31) नीमकाथाना में गर्ल्स सैकण्डरी स्कूल खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(32) ग्राम रामपुरा–पुरानावास में सैकण्डरी स्कूल खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर) :

33. गांव सेमलखेड़ा पं. स. पीपलखुर के क्रमोन्नत उ० प्रा० विद्यालय का स्थानान्तरण वांसवाड़ा पं. स. के सेमलापाड़ा गांव में करने पर चर्चा के लिये।

34. जिला वांसवाड़ा की पंचायत समिति पीपलखुर के गांव, छापनवड़ी गढ़ हीरीयागढ़ी में प्रा. विद्यालय भवन के अभाव पर चर्चा के लिये।

(श्री बहादुर सिंह)

35. सरकार जिला पं. स. बागीदोरा के ग्राम बारीगामा में उच्च प्रा. विद्यालय खोलने में असफल रही, जिस पर चर्चा के लिये।

36. बांसवाड़ा जिला की पंचायत समिति बागीदोरा के अन्तर्गत गांव करजी में सैकण्डरी स्कूल नहीं खोलने पर चर्चा के लिये।

37. जिला बांसवाड़ा में माही परियोजना के अन्तर्गत डूब क्षेत्र के बाहर एरिया के गांव आवापुरा में सैकण्डरी स्कूल नहीं खोलने पर चर्चा के लिये।

38. राज्य सरकार द्वारा पीपलखुर प. स. के अन्तर्गत क्षेत्र में किसी भी सैकण्डरी स्कूल में संगीत, ड्राईंग विषय नहीं खोलने पर चर्चा के लिये।

39. राज्य सरकार द्वारा दानपुर सैकण्डरी स्कूल में कृषि विषय नहीं खोलने से विद्यार्थियों को हानि पहुंचती है, जिस पर चर्चा के लिये।

40. राज्य सरकार दानपुर गांव में हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने में असफल रही, जिस पर चर्चा के लिये।

41. राज्य सरकार द्वारा बांसवाड़ा जिला के पं. स. पीपलखुर में शिक्षा की समुचित सुविधा उपलब्ध नहीं कराने पर चर्चा लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

42. राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा घोषित व विज्ञापित आरक्षण नीति का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में उसे दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

43. हायर सैकण्डरी स्कूल भवन केशवरायपाटन को सरकार के कब्जे में लेने के सम्बन्ध मे चर्चा के लिये।

44. केशवरायपाटन विधान सभा के ग्रामीण क्षेत्रों में शालाएं न खोलने पर चर्चा के लिये।

45. 10 वीं तक अनिवार्य शिक्षा नीति लागू करने के सम्बन्ध मे चर्चा के लिये।

46. पब्लिक स्कूले समाप्त करने पर चर्चा के लिये।

47. शिक्षा को रोजगार से जोड़ने पर चर्चा के लिए।

48. कापरेन सैकण्डरी स्कूल को हायर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर),

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद),

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा),

49. अध्यापकों का वेतन अन्य कर्मचारियों की तुलना में अधिक किया जाय, इस पर चर्चा के लिये।

50. अनुदान प्राप्त निजी शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन क

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)
भुगतान राज्य सरकार स्वयं करे इस पर चर्चा के लिये।

51. निजी शिक्षण संस्थाओं को अनुदान, नियमों के अनुरूप नहीं दिया जाकर कृपा या भ्रष्टाचार के आधार पर दिया जाता है, इस पर चर्चा के लिये।

52. राजस्थान में संस्कृत शिक्षा में लगे अध्यापकों के वेतनमान अन्य की तुलना में कम होने से उनमें व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

53. पंचायत समिति के शिक्षकों को मेडिकल एवं यात्रा भत्ता लाखों रुपयों का बकाया होने से उनमें व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

54. अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अध्यापकों की सेवाओं में असुरक्षा की स्थिति पर चर्चा के लिये।

55. अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अध्यापकों को मेडिकल, हाउसरेन्ट व मंहगाई भत्ते की किश्तें राज्य कर्मचारियों के समान नहीं मिलने पर चर्चा के लिये।

56. 1960 के पूर्व के हायर सैण्कडरी स्कूलों में तीनों संकाय प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

57. उच्च प्राथमिक परीक्षा का जिला स्तर पर बोर्ड बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. राजस्थान में आयकर दाताओं के बच्चों को सशुल्क एवं आयकर न देने वालों के बच्चों को निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाय, इस पर चर्चा के लिये।

59. उदयपुर जिले में समान शिक्षा के नाम पर हुई अनियमितता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर),

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

60. उदयपुर जिले में शिक्षा के बजट में हुई भारी अनियमितता पर चर्चा के लिये।

61. उदयपुर जिले में सीखो कमाओ योजना के अन्तर्गत की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

62. उदयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मास्टरों के सैकड़ों पद लम्बे समय से रिक्त पड़े हैं, जिससे व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

63. मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में हो रही अनियमितताओं के सन्दर्भ में उसे दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री कनकराज मेहता (सांचोर) :

64. ग्राम हाड़ेचा व झाब में कन्या पाठशालाएं नहीं खोले जाने पर चर्चा के लिये।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) :

65. अध्यापकों की कमी को दूर करवाने में सरकार रुचि नहीं ले रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री फतेसिंह (कुशलगढ़) :

66. शहरी एवं ग्रामीण शिक्षकों को समान सुविधा उपलब्ध कराने में सरकार असफल रही, इस पर चर्चा के लिये।

67. राज्य सरकार कुशलगढ़ क्षेत्र के विद्यालयों में नये विषय खोलने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

68. राज्य सरकार कुशलगढ़ हायर सैकेण्डरी स्कूल में कृषि सब्जेक्ट खोलने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

69. राज्य सरकार कुशलगढ़ क्षेत्र के ग्राम वस्ती, ठुमठ, बिलड़ी, रोहनीया में मिडिल स्कूल खोलने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये।

70. राज्य सरकार कुशलगढ़ में कालेज खोलने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

71. राज्य सरकार कुशलगढ़ क्षेत्र के खाखरिया, कोठारिया, हिंडोलिया, सारण, सोनारीयो, पाड़ला, मोखा आदि गांवों में प्राथमिक विद्यालय नहीं खोलने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

72. राज्य सरकार सन् 1971 की जन गणना के आधार पर प्राथमिक शालायें खोलने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये।

73. राज्य सरकार कुशलगढ़ क्षेत्र में अध्यापकों की कमी की पूर्ति करने में पीछे रही, इस पर चर्चा के लिये।

श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना) :

74. ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे स्कूलों की कमी से शिक्षा के गिरते स्तर पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

75. प्राथमिक शिक्षा को पंचायत राज से निकाल कर विभाग को सौंपे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

76. शिक्षकों को मिलने वाले उपार्जित अवकाश में वृद्धि किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

77. शिक्षा विभाग से आर०ए०एस० अधिकारियों के स्थान पर विभाग के ही अधिकारी लगाये जावें, इस पर चर्चा के लिये।

78. शिक्षकों की सेवा निवृति की आयु 60 वर्ष की जाय के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

79. शहरों की तरह ग्रामीण शिक्षकों को भी पर्याप्त मकान किराया भत्ता दिया जाये, के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

80. तृतीय वेतन श्रृंखला के शिक्षकों को पदोन्नति दिये जाने की नीति पर चर्चा के लिये।

81. कार्यरत शिक्षकों को सरकारी खर्चे पर प्रशिक्षित कराया जाय, इस पर चर्चा के लिये।

(श्री हीरालाल आर्य)

82. परीक्षाएं समय पर कराये जाने व रिजल्ट समय पर निकाले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

83. शिक्षा सत्र को नियमित व व्यवस्थित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

84. कोटा में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

85. इटावा में उप जिला शिक्षा अधिकारी के रिक्त पद को शीघ्र भरे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

86. इटावा स्थित उप जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय हेतु भवन निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

87. पंचायत समिति इटावा के शिक्षकों के वेतन निर्धारण बेरी वेतन आयोग के तहत शीघ्र किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

88. सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितता को दूर किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

89. इटावा में महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

90. कोटा में हाड़ौती विश्वविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

91. प्राथमिक शिक्षा से अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम को समाप्त किया जाय, के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

92. स्कूलों में मनाये जाने वाले विभिन्न उत्सवों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

93. स्कूलों में वाचनालय एवं पुस्तकालयों की समुचित एवं नियमित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

94. खातौली, पीपल्दा कलां को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

95. नीमोला व ढीपरी स्कूलों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

96. इटावा, इन्द्रगढ़ उच्च माध्यमिक स्कूलों में जीव विज्ञान व कृषि विषय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

97. खातौली, गैंता, पीपल्दा, माध्यमिक विद्यालयों में जीव विज्ञान, विज्ञान व कृषि विषय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

98. बोरदा, जलोदा तेजा जी प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक स्कूलों में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

99. शिक्षा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री हीरालाल आर्य)

100. पंचायत समिति इटावा प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

101- पीपल्दा क्षेत्र के विभिन्न उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल आर्य (जालौर)

102. राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर 300 की आबादी पर एक स्कूल न खोलने पर चर्चा के लिये।

श्री पीरूराम (टीबी) :

103. टीबी निर्वाचन क्षेत्र में नये स्कूल खोलकर शिक्षा विस्तार करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी (जैसलमेर) :

104. जैसलमेर के राजकीय विद्यालय में भवन की अपूर्ण व्यवस्था होने के कारण कक्षा 6 व 7 के विद्यार्थियों को एडमीशन नहीं मिलने से होने वाली कठिनाई हेतु चर्चा के लिये।

105. नेशनल व स्टेट मोन्यूमेंट्स के रख रखाव पर समुचित व्यवस्था नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

106. जैसलमेर में स्कूलों की समुचित व्यवस्था करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) :

107. आई.ओ.एस, आइ.जी.एस. की नियुक्ति में प्रधानाध्यापकों को ही अवसर प्रदान किया जावे, इस पर चर्चा के लिए।

108. शिक्षा के दसवीं कक्षा तक के कोर्स की पुस्तकों को 11 वीं कक्षा से अलग किया जावे और नयी पुस्तकों के छपवाने के लिये अन्य प्रदेशों के विद्वानों से सहयोग लेने पर चर्चा के लिये।

109. पाठशालाओं में स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ कराने हेतु चर्चा के लिये।

110. विभिन्न विद्यालयों में दस वर्षीय तथा चौदह वर्षीय कन्याओं के दक्षिण प्रान्तों की तरह सामूहिक कत्थक नृत्य का प्रारंभ।

111. शिक्षा विभाग के अध्यापकों के प्रमोशन में क्लास के रिजल्ट को भी देखा जावे, इस पर चर्चा के लिए।

112. अनुदान प्राप्त संस्थाओं में अध्यापकों की आयु 58 वर्ष की रखने तथा उससे अधिक आयु के अध्यापकों को पद से हटाये जाने बाबत चर्चा के लिये।

113. अनुदान प्राप्त विद्यालयों में नियुक्ति के लिये राजकीय नियमों को लागू कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री सूर्य कुमार (नैनवां) :

114. नैनवा मुख्यालय पर कालेज

(श्री सूर्य कुमार)

की स्थापना और हाईस्कूल में विज्ञान, वाणिज्य आदि अतिरिक्त विषयों के अध्यापन की सुविधा देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) :

115. टौंक जिले में नये कार्यक्रम के अन्तर्गत साक्षर योजना की विफलता पर चर्चा के लिये।

116. टौंक महाविद्यालय में छात्रावास सुविधा बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. टौंक जिले में गैर सरकारी प्राथमिक एवं माध्यमिक और उच्च शिक्षा में कार्यरत संस्थाओं को सहायता दिलाने हेतु चर्चा के लिये।

118. राजकीय महाविद्यालय टौंक के छात्रावास बन्द कर दिये जाने से उत्पन्न रोष पर चर्चा के लिये।

119. टौंक जिले में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए भवन की कमी के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

120. टौंक जिले में तकनीकी शिक्षा के अभाव के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

121. टौंक महाविद्यालय में हिन्दी, राजनैतिक शास्त्र स्नातकोत्तर कक्षाएं व विधि संकाय की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

122. कोहना उच्च प्राथमिक विद्यालय, टौंक का स्कूल दूर होने से टौंक शहर, पुरानी टौंक एवं कोहना में छात्राओं की स्कूल की उचित व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

123. टौंक कोहना उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. टौंक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलजार बठा में भवन के अभाव, शुद्ध पेयजल का अभाव, साइकिल स्टेन्ड का अभाव व अन्य असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

125. टौंक की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में विभिन्न पदों की रिक्तता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

126. नया गांव (हरचन्देडा) पंचायत समिति टौंक में प्राथमिक शाला की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

127, उटीटाना के प्राथमिक विद्यालय में चौथी एवं पांचवीं कक्षा लम्बे समय से नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

128. ग्राम खजूरिया (टौंक) में प्राथमिक स्कूल को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

129. अरनियामाला के स्कूल के अधूरे भवन के निर्माण में विभाग का सहयोग न होने से छात्रों एवं अभिभावकों में व्याप्त रोष पर चर्चा के लिये।

130. डारडा हिन्दी उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

131. मन्देवास उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

132. अरबी एवं फारसी शोध प्रतिष्ठान टौंक में पनप रहे भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के संबंध में चर्चा के लिये।

133. टौंक जिले में बालिकाओं के लिये प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा के अभाव के कारण महिला समाज में व्याप्त रोष पर चर्चा के लिये।

134. टौंक जिले मे नये स्कूल खोलने एवं क्रमोन्नत करने में बरते जा रहे भेदभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

135. टौंक जिले में छात्र छात्राओं को छात्रवृति एवं ऋण देकर अध्ययन के लिये प्रोत्साहित न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

136. टौंक जिले के ग्राम ढाणी मालियों की झोंपड़ियों में प्राथमिक शाला नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

137. टौंक जिले ने अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम की उपेक्षा के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

138. टौंक जिले में विकलांगों हेतु एकीकृत शिक्षा नहीं चलाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर),

श्री भगवान दास डोसी (चौहटन) :

139. बाड़मेर जिले की सभी पंचायत समितियों की शालाओं में पर्याप्त अध्यापक नहीं हैं, इस पर चर्चा के लिये।

श्री सुजान सिंह यादव (बहरोड़)

140. ग्राम राय सराना में माध्यमिक विद्यालय एवं ग्राम माढन में बालिका विद्यालय, ग्राम खोहरी, बिजोरावास में छात्र उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं डमरोली कोलिला में बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने के विषय में चर्चा के लिये।

श्री द्वारका प्रसाद बैरवा (निवाई) :

141. निवाई मुख्यालय पर कालेज की स्थापना और माध्यमिक विद्यालयों में नये विषयों के अध्यापन की सुविधा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

142. मूण्डिया माध्यमिक विद्यालय में कृषि अध्यापक का दो वर्ष से अभाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) :

143. बालोतरा सब डिवीजन में बालोतरा शहर और ग्रामों की मिडिल स्कूलों में टाट पट्टियां और अन्य फर्नीचर की कमी के विषय में चर्चा के लिये।

144. रेगिस्तान और पिछड़े क्षेत्र में एक से अधिक सैकण्डरी विद्यालय खोलने हेतु चर्चा के लिये।

145. बाड़मेर में प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर मिडिल स्कूल खोलने हेतु चर्चा के लिये।

146. बालोतरा राजकीय कन्या सैकण्डरी विद्यालय को क्रमोन्नत कराने पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंजमण्डी) :

147. कोटा जिले की पंचायत समिति छीपाबड़ौद के ग्राम फूलबडौदा में उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

148. कोटा जिले की पंचायत समिति अन्ता के ग्राम काचरी में उच्च प्राथमिक विद्यालय न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगजमण्डी),

श्री बालचन्द आर्य वीर (डग) :

149. झालावाड़, कोटा जिले के प्राथमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न होने से पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होती, इससे उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

150. कोटा, बूंदी, झालावाड़ तीनों जिलों में एक भी सरकारी संस्कृत महाविद्यालय न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

151. इंजीनियरिंग कालेज कोटा के प्राचार्य द्वारा गलत टी.ए. बिल एवं मकान किराया भत्ता उठाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

152. कोटा इंजीनियरिंग कालेज में टेक्सटाइल एवं खनिज एवं केमिकल एवं इन्स्ट्रमेंट ब्रान्च नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

153. कोटा में विश्वविद्यालय न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

153. राजस्थान विश्वविद्यायल में समय पर परीक्षा न होने तथा परीक्षा परिणाम समय पर घोषित न होने से उत्पन्न स्थिति पर दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेड़ा)

श्री गोपल पचेरवाल (पाटन) :

155. प्रतापगढ़ एवं निम्बाहेड़ा महाविद्यालय छात्रावास की व्यवस्था बाबत चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़),

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

156. निम्बाहेड़ा में कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय पृथक से खोलने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़),

श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा),

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

157. चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाहेड़ा प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विद्यालय क्रमोन्नत नहीं करने बाबत चर्चा के लिये ।

158. चितौड़गढ़ जिले के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शालाओं के भवनों के अपर्याप्त होने पर चर्चा के लिये ।

159. चित्तोड़गढ़ जिले में कन्या शिक्षा पर विशेष बल दिये जाने बाबत चर्चा के लिये ।

160. निम्बाहेड़ा कन्या माध्यमिक शाला को उच्च माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत नहीं करने बाबत चर्चा के लिये ।

161. प्रतापगढ़ कन्या माध्यमिक शाला के लिये छात्रावास भवन बनवाने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री नारायणसिंह (दाता रामगढ़) :

162. स्कूलों मे अध्यापकों की कमी से छात्रों की पढ़ाई व्यवस्थित न होने तथा जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर आर.ए. एस. अधिकारी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री विष्णुप्रकाश बजारी (ब्यावर) :

163. सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर में नये कमरे बनाने हेतु धनराशि देने हेतु चर्चा के लिये ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूड़ावत (भीम) :

164. देश की संस्कृति स्पष्ट नीति के अभाव में दिशाभ्रम हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री तेजपाल यादव (चौमूं) :

165. चौमूं विधानसभाई क्षेत्र में शिक्षण संस्थाओं की कमी पर चर्चा के लिए ।

166. बेरोजगारी बढ़ाने वाली शिक्षा नीति पर चर्चा के लिए ।

167. चौमूं में कन्या हायर सैकन्डरी स्कूल खोलने पर चर्चा के लिये ।

श्री रतनलाल चौधरी (रानीवाड़ा),

श्री मांगीलाल आर्य (जालौर) :

168. ग्राम जसवंतपुरा में एस०टी०सी० स्कूल खोलने बाबत चर्चा के लिए ।

169. स्कूलों में अध्यापकों की कमी एवं पंचायत समिति मुख्यालय पर हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने बाबत चर्चा के लिए ।

(श्री रतनलाल चौधरी)

170. जिन गांवों में प्राइमरी स्कूल हैं उनके भवन बनाए जावें, इस पर चर्चा के लिए।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)

श्री चुन्नी लाल (खण्डार) :

171. जिला सवाई माधोपुर क्षेत्र में अध्यापकों की कमी को पूर्ण करने हेतु चर्चा के लिये।

172. जिला सवाई माधोपुर में संस्कृत शिक्षा की समुचित व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) :

173. हिन्दी साहित्य एकादमी में की जा रही अनियमितताओं की जांच न कराये जाने से उत्पन्न भ्रष्टाचार से गिरती विभाग की छवि पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

174. शिक्षकों के तबादलों से उत्पन्न असंतोष तथा होने वाली अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुडामालानी) :

175. बाड़मेर जिले में साक्षरता का प्रतिशत राजस्थान में सबसे कम होने से 500 से अधिक की आबादी की ढाणियों में प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

176. बाड़मेर जिले में निम्न प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये :

(1) ज़ालीखेड़ा (2) मीठीबेरी (3) डूगरों का तला (4) मीठडा खुर्द (5) सालू की ढाणी (6) भाखरपुरा (7) नोसर (8) बोडवा (9) टाकूबेरी (10) खारी (11) बेरी गांव (12) बांटा (13) लूणवाजागीर (14) नेहरों की ढाणी (15) बूठ जेतमालोत (16) बोर (17) मुकने का तला।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला)

177. ग्राम कांवट में हायर सैकण्डरी स्कूल खुलवाने पर चर्चा के लिये।

178. ग्राम कांवट में कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

179. खण्डेला विधानसभाई क्षेत्र में शिक्षण संस्थाओं की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री नरपत राम बरबड़ (सूरसागर)

180. सूरसागर क्षेत्र की पंचायत समिति मण्डोर में हायर सैकण्डरी स्कूल खुलवाने बाबत चर्चा के लिए।

181. सूरसागर क्षेत्र की गेवा (चोखा)

(श्री नरपतराम बरवड़)
तथा सोढो की ढाणी में उच्च प्राथमिक विद्यालय को यथावत् रखने बावत चर्चा के लिए ।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) :

182. प्राथमिक हिन्दी शिक्षा के साथ संस्कृत का ज्ञान भी अनिवार्य हो, इसके लिये चर्चा के लिए ।

183. अर्थ एवं योग्य प्रशासन के अभाव में शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार नहीं हो रहा है इस पर चर्चा के लिए ।

श्री चतुर्भुज (टोडा रायसिंह)

184. टोडा रायसिंह व देवली में पर्याप्त संख्या में स्कूल खोलने में सरकार सरकार की विफलता पर चर्चा के लिए ।

श्री नानालाल (राजसमन्द)

185. प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों एवं फर्नीचर के अभाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिए ।

श्री रामधन (लाडनूं)

186. ग्रामीण क्षेत्रों की पाठशालाओं में अध्यापकों की कमी एवं पाठशाला भवनों की स्थिति अच्छी नहीं है इस पर चर्चा के लिए ।

श्री हेमाराम चौधरी (गुडामालानी)

187. राजस्थान में प्रत्येक तहसील मुख्यावास पर कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

188. बाड़मेर जिले की सनावड़ा, अरनीयाली, भेडाना, सरनू, चवा, कोजा, सुथारों का तला एवं नोख के राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

189. बाड़मेर जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालय के भवनों की मरम्मत कराने हेतु चर्चा के लिए ।

190. बाड़मेर जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालय रामसर का कुआ, दूदिया कलां, गोधवकलां, चवा, सरनू, लोहाखा, कोजा, अरनीयाली, सिधासवा, हरनीया के स्कूलों की वर्तमान बिल्डिगों की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

191 बाड़मेर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धोरीमन्ना में प्रयोगशाला के लिए दो हॉल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

192. बाड़मेर जिले के तहसील मुख्यावास गुडामालानी की कन्या प्रा.वि. को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

193. भीलवाड़ा नगर के राजकीय माणिक्यलाल वर्मा कालेज से कामर्स कालेज को वर्तमान भवन में नये भवन बनने तक अलग स्थापित करने पर चर्चा के लिए ।

(श्री बंसीलाल पटवा)

194. भीलवाड़ा तहसील के कोदू-कोटा पंचायत के मिडल स्कूल को सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

195. भीलवाड़ा नगर के नवयुग विद्या मन्दिर प्राथमिक मिडल स्कूल को क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

196. भीलवाड़ा नगर के गुलमण्डी कन्या मिडिल स्कूल को सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

197. भीलवाड़ा नगर के उप नगर ग्राम पुर में सैकण्डरी स्कूल को हायर सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

198. भीलवाड़ा तहसील के दांथल पंचायत में मिडल स्कूल को सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

199. भीलवाड़ा तहसील के बरड़ोद पंचायत में मिडल स्कूल को सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

200. भीलवाड़ा नगर राजेन्द्र मार्ग सैकण्डरी स्कूल को हायर सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर)

201. राजस्थान विश्व विद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री यदुनाथ सिंह (नदवई)

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

202. सरकार प्रदेश में एक ही प्रकार की शिक्षा पद्धति लागू करने में अक्षम रही है इस पर चर्चा के लिए।

203. सरकार शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने में अक्षम रही है इस पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़)

204. संस्कृत शिक्षा के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

205. जिला तहसील व पंचायत समिति वार संस्कृत शिक्षा के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

206. संस्कृत शिक्षा के अनुदानित विद्यालयों के 80-81 व 81-82 के अमान्य व्यय को 83-84 में मान्य कराकर भुगतान कराने की अनियमित कार्यवाही पर चर्चा के लिये।

207. संस्कृत शिक्षा के अन्तर्गत उच्च दायित्व एवं कर्त्तव्य वाले पदों का न्यून तथा निम्न दायित्व व स्तर वाले पदों का उच्च वेतनमान होने की विसंगति के निराकरण हेतु चर्चा के लिये।

(श्री सुन्दरलाल)

208. संस्कृत शिक्षा के वरिष्ठ शिक्षकों के साथ वेतनमान में भेदभाव बरतने पर चर्चा के लिये।

209. बीकानेर एवं जयपुर संस्कृत कालेजों के स्टाफ को अन्यत्र प्रतिनियुक्ति पर रखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

210. अनुदानित संस्कृत संस्थाओं द्वारा क्रास चैक से भुगतान प्रक्रिया का अतिक्रमण कर दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

211. सरकारी संस्कृत संस्थाओं में शिक्षा सत्र 83-84 में बिना नियुक्ति के रिक्त रहे पदों के संदर्भ में चर्चा के लिये।

श्री समरथलाल (राजगढ़)

212. राजस्थान के विश्व विद्यालयों में शिक्षा के गिरते हुये स्तर पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

213. शिक्षकों की आर्थिक स्थिति सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

214. शिक्षकों में बढ़ती हुई ट्यूशन प्रवृत्ति को कम करने के संबंध में चर्चा के लिये।

215. शिक्षा में संख्यात्मक वृद्धि के बजाय गुणात्मक वृद्धि नहीं होने पर चर्चा के लिये।

216. राजगढ़ हायर सैकण्डरी विद्यालय के प्रधानाध्यापक को गलत तरीके से भ्रष्टाचार में फंसाने के क्रम में चर्चा के लिये।

217. राजगढ़ हायर सैकण्डरी की जीर्णशीर्ण इमारत को न बदलने के क्रम में चर्चा के लिये।

218. राजगढ़ महाविद्यालय को स्नातकोत्तर न बनाने पर व्याप्त जन असंतोष पर चर्चा के लिये।

219. शिक्षकों की नवीन नियुक्तियों में भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

220. प्रशिक्षण प्राप्त आशार्थियों की नियुक्तियां न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

221. राजस्थान में अध्यापकों की कमी के क्रम में चर्चा के लिये।

222. राजस्थान में परीक्षायें ठीक समय पर न होने पर व्याप्त असंतोष के बारे में चर्चा के लिये।

223. उच्च शिक्षा के निरन्तर गिरते हुए स्तर को ठीक करने के क्रम में चर्चा के लिये।

224. नवीन विद्यालय खोलते समय पक्षपात व भेदभाव बरतने पर चर्चा के लिये।

225. शिक्षा नीति में आमूल-चूल परिवर्तन करके शिक्षा को जीवनोपयोगी

(श्री समरथलाल)

रोजगारोन्मुख बनाने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री धाराराम फुलवारिया (सिवाना) :

226. सिवाना में उप जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय खोलने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)

श्री कुंजीलाल (बामनवास)

227. तहसील बामनवास के ग्राम बाडकोयला तथा आरपरया में प्राइमरी स्कूल नहीं खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)

श्री चुन्नीलाल (खण्डार)

श्री कुंजीलाल (बामनवास)

228. जिला सवाई माधोपुर के ग्राम चोथ के बरवाड़े में हायर सैकण्डरी स्कूल में विज्ञान का विषय नहीं होने के संबंध में चर्चा के लिये।

229. सवाई माधोपुर जिले में सैकण्डरी तथा हायर सैकण्डरी स्कूलों में अध्यापकों की कमी के संबंध में चर्चा के लिये।

230. सवाई माधोपुर के महाविद्यालय में पी०जी० तथा एलएल०बी० की कक्षाएं खोलने हेतु चर्चा के लिये।

231. सवाई माधोपुर के महाविद्यालयों में संस्कृत विषय खोलने की चर्चा के लिए।

232. तहसील बोली के ग्राम भाड़ोती में मिडल स्कूल नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

233. जिला सवाई माधोपुर में अध्यापकों की कमी के कारण विद्यार्थियों में भारी असंतोष है जिस पर चर्चा के लिये।

234. सवाई माधोपुर में छात्रों के बैठने के लिए हायर सैकण्डरी में कमरों के अभाव पर चर्चा के लिए।

235. ग्राम बोली में हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं होने के कारण छात्रों को होने वाली परेशानी के लिए चर्चा के लिए।

236. ग्राम कुण्डेरा तहसील सवाई-माधोपुर में कामर्स, विज्ञान का विषय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

237. तहसील खण्डार में हायर सैकण्डरी स्कूल में विज्ञान विषय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़)

238. शिक्षा के बजट का कम से कम आधा रुपया प्राथमिक शिक्षा पर व्यय कर उसे सुदृढ बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरोसी (हिण्डौन)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

239. राज्य सरकार शिक्षा एवं

(श्री भरोसी)

कला/संस्कृति का विकास करने में असफल रही है उस पर चर्चा के लिये।

श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर)

240. मकराना नगर में महाविद्यालय खोलने पर चर्चा के लिये।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत)

श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना)

241. जिला बीकानेर तहसील कोलायत के सैकण्डरी स्कूल को हायर सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

242. जिला बीकानेर तहसील कोलायत के ग्राम गडियाला में माध्यमिक शाला को सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत),

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर)

श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना)

243. पाठ्य पुस्तकों के शीघ्र प्रकाशन में सरकार की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

244. प्राथमिक स्कूलों में पुस्तकें, कापियां, स्लेटें छात्रों को मुफ्त उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

245. सार्वजनिक पुस्तकालयों की सहायता राशि बढ़ाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

246. नाटक अकादमी को प्रोत्साहन देने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

247. संगीत संस्थानों को प्रोत्साहन देने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

248. ललित कला शिक्षा के प्रचार-प्रसार में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

249. गैर सरकारी विद्यालयों को शत-प्रतिशत सहायता, अनुदान देने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

250. बेरोजगार शिक्षकों को विद्यालयों में भारी संख्या में रिक्त पदों पर नियुक्त कर रोजगार उपलब्ध कराने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

251. प्रतिभावान खिलाड़ियों को वजीफा व मुफ्त आवास व खाने-पीने की सुविधा उपलब्ध कराने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

252. संस्कृत अकादमी की अनुदान राशि बढ़ाने के औचित्य पर चर्चा लिये।

253. जिला बीकानेर व जैसलमेर में कमजोर आर्थिक स्थिति वाले छात्रों को

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी)

दोपहर का भोजन एवं कपड़े तथा पुस्तकें मुफ्त देने हेतु चर्चा के लिये।

254. पंचायत समितियों को प्राथमिक विद्यालयों के लिये सहायता देने हेतु चर्चा के लिये।

255. प्रदेश में उच्चतर शिक्षा सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

256. पंचायत समितियों को विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिये सहायतार्थ अंशदान बढ़ाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

257. जिला बीकानेर तहसील कोलायत व जैसलमेर जिले के ग्रामीण अंचल में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की संख्या बढ़ाने व केन्द्रों को सही रूप से चलाने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

258. जिला बीकानेर व जैसलमेर में खेलकूद व युवक कल्याण में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

259. संस्कृत शिक्षा के प्रचार-प्रसार में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

260. जिला बीकानेर तहसील कोलायत व जैसलमेर जिले में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिये अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम बंद करने से क्षेत्र की जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

261. जिला बीकानेर व जैसलमेर में बालिकाओं के लिये उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

262. जिला बीकानेर व जैसलमेर के ग्रामीण या शहरी अंचल में माध्यमिक शालाओं की संख्या बढ़ाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

263. राजभाषा हिन्दी के प्रयोग एवं प्रसार करने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री तेजपाल यादव (चौमू)

264. खेजरोली, गोविन्दगढ़, कालाडेरा कन्या उच्च प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं में क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

265. राजस्थान राज्य कुश्ती संघ प्रतियोगिता के हिसाब में घोटाला से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द्र कटारिया (उदयपुर)

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

(112)

श्री छीतर लाल आर्य (अटरू)

266. सुखाड़िया विश्व विद्यालय में समय पर परीक्षायें कराई जाने के सम्बन्ध में उसे दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

267. संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

268. संस्कृत विभाग तथा शिक्षा विभाग के शिक्षकों के समान पदों व योग्यताओं के बाद भी वेतन शृंखलाओं के अन्तर के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

269. सुखाड़िया विश्व विद्यालय के विरूद्ध सैकड़ों मुकदमे जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में चल रहे हैं जिन पर लाखों रुपये व्यय होने से इसे दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

270. सुखाड़िया विश्व विद्यालय द्वारा लाखों रुपया पुलिस व्यवस्था पर खर्च करने से इसे दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

271. सुखाड़िया विश्व विद्यालय में 82-83 में व 83-84 में किये गये चयन में भारी अनियमितता एवं पक्षपात के संबंध में इसे देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर)

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन)

श्री छीतर लाल आर्य (अटरू)

272. उदयपुर के लोक कला मण्डल में व्याप्त अव्यवस्था एवं झगड़ों के कारण इसे दिये जाने वाले अनुदान पर चर्चा के लिये।

273. उच्च प्राथमिक विद्यालय गणेश घाटी में धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द्र कटारिया (उदयपुर)

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन)

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग)

श्री छीतर लाल आर्य (अटरू)

274. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगर जयपुर में 2 जून, 82 से 28 जून, 82 तक लगे सेवारत अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण शिविर में फर्जी अध्यापिकाओं के टी० ए० बिल भुगतान की जांच हेतु चर्चा के लिये।

275. मांडल उच्च प्राथमिक विद्यालय जयपुर में विकलांग बालकों की एकीकृत शिक्षा योजना पर चर्चा के लिये।

276. महाराजा उच्च प्राथमिक विद्यालय जयपुर के छात्र कोष का वर्षों से दुरुपयोग हो रहा है इस पर चर्चा के लिये।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

277. महाराजा उच्च प्राथमिक विद्यालय जयपुर में विकलांग बालकों की एकीकृत शिक्षा योजना में सामान की खरीद व भत्ते देने में हुई गड़बड़ियों पर चर्चा के लिये।

278. शिक्षा विभाग द्वारा एम० एस सी० करने वाले शिक्षकों को स्टडी लीव देते रहने और इजाजत देकर अवकाश स्वीकृत नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

279. उदयपुर के शिक्षा उप निदेशालय में स्थानान्तरणों में भ्रष्टाचार होने पर चर्चा के लिये।

280. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगर जयपुर में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में विभाग द्वारा कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिए।

281. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगर की आडिट रिपोर्ट को दबाने की जांच करने पर चर्चा के लिये।

282. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगर में नवम्बर, 76 से दिसम्बर, 82 तक फर्जी मेडिकल बिलों के भुगतान पर चर्चा के लिये।

283. पंचायत समितियों में कार्यरत शिक्षकों के नियमन के सम्बन्ध में उन्हें देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

284. पंचायत समितियों में कार्यरत शिक्षा प्रसार अधिकारियों की नियुक्ति में अनियमितता पर चर्चा के लिये।

285. शिक्षा विभाग तथा पंचायत समितियों के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद पर द्वितीय वेतन शृंखला के प्रधानाध्यापक लगाने में विलम्ब पर चर्चा के लिये।

286. शिक्षा विभाग में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक पद पर व्याख्याता, स्कूल शिक्षा के शिक्षकों के लगाये जाने पर चर्चा के लिये।

287. पंचायत समिति के शिक्षकों को मकान किराया व चिकित्सा व्यय के भुगतान के सम्बन्ध में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर)

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन)

श्री छीतर लाल आर्य (अटरू)

288. उदयपुर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा बढ़िया शिक्षा के नाम पर भवन निर्माण राशि के आवंटन में अनियमितता पर चर्चा के लिये।

289. उदयपुर जिले में समान परीक्षा व्यवस्था के नाम पर यात्रा व्यय पर लाखों रुपया व्यय होने पर चर्चा के लिये।

290. उदयपुर जिले की समान परीक्षा

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

में प्रश्न पत्रों के मुद्रण में अपव्यय पर चर्चा के लिए।

291. उदयपुर जिले के माध्यमिक विद्यालय देवारी में सीखो कमाओ योजना में लाखों रुपये की खरीद व बेचान में अनियमितता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर)

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन)

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग)

श्री छीतर लाल आर्य (अटरू)

292. निजी शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों की सेवा सुरक्षा पर चर्चा के लिये।

293. निजी शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों व शिक्षकों को मकान किराया व स्वास्थ्य भत्ता आदि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

294. निजी शिक्षण संस्थाओं को कम से कम 80 प्रतिशत अनुदान देने के प्रावधान के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

295. निजी शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों के लिए भण्डारी समिति की सिफारिशें लागू करने हेतु चर्चा के लिए।

296. पिछले शिक्षा सत्र में केवल 16 निजी शिक्षण संस्थाओं के अनुदान बढ़ाने में हुए पक्षपात व अनियमितता पर चर्चा के लिए।

297. शिक्षा विभाग में शिक्षकों के हजारों पद रिक्त रहने से छात्रों का भारी नुकसान के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

298. शिक्षा विभाग में राज्यादेशों से किये जाने वाले स्थानान्तरणों से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा परिणामों पर प्रभाव पर चर्चा के लिये।

299. सन् 1971 में भारत पाक युद्ध में आये शरणार्थी शिक्षकों की पुर्नवास विभाग की सेवा अवधि को जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जीतमल जैन (अलवर)

300. शिक्षा पद्धति को रोजगार से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

301. विभाग द्वारा अलवर जिले में किये गये अनियमित स्थानान्तरणों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हीरा लाल आर्य (पीपल्दा)

श्री बाल चन्द आर्यवीर (डग)

श्री छीतर लाल आर्य (अटरू)

302. राजस्थान के शौर्य, शक्ति एवं भक्ति, वफादारी एवं स्वामी भक्ति तथा त्याग एवं बलिदान से सम्बन्धित

(श्री हीरालाल आर्य)

महापुरुषों के राजधानी में प्रमुख स्थानों पर स्टेच्यू लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

303. विद्यालय स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र–छात्राओं को वर्ष में कम से कम दो बार स्वास्थ्य परीक्षण कराने पर चर्चा के लिए।

श्री हंस राज शर्मा (सवाई माधोपुर)

श्री कुन्जी लाल (बामनवास) :

304. तहसील बोली के ग्राम कोडाई में सैकण्डरी स्कूल नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण)

305. बेदला हायर सैकण्डरी स्कूल भवन की जीर्ण अवस्था को ठीक कराने पर चर्चा के लिये।

306. टीड़ी हायर सैकण्डरी विद्यालय भवन की मरम्मत कराये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत)

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर)

श्री उम्मेद सिंह (डीडवाणा) :

307. कोलायत तहसील व जैसलमेर जिले के राजस्थान नहर क्षेत्र में प्राथमिक व माध्यमिक शाला भवनों के निर्माण कराने पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

308. महाराजा सार्वजनिक पुस्तकालय जयपुर के भूतपूर्व पुस्तकालयाधिकारी द्वारा पुस्तकों की खरीद में गबन करने के उपरान्त भी कोई कार्यवाही न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर)

309. भूतपूर्व पुस्तकालयाध्यक्ष सार्वजनिक पुस्तकालय, बीकानेर द्वारा पुस्तकों की खरीद में की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा)

310. उदयपुर विश्व विद्यालय में वार्षिक परीक्षा समय पर नहीं होने, प्रश्न पत्र नहीं छपने से इसे देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

311. मॉडल मिडिल स्कूल भवन पटा हुआ है, कभी भी छात्र दबकर मर सकते हैं इस पर चर्चा के लिये।

312. मॉडल प्राथमिक (चमनपुरा) स्कूल भवन नहीं, टाटपट्टियां भी नहीं, छात्र मिट्टी में बैठते हैं इस पर चर्चा के लिये।

118

(श्री मेघराज तावड़)

313. स्कूल खोलने व क्रमोन्नत करने में किये जा रहे पक्षपात पर चर्चा के लिये।

314. शिक्षा विभाग में मनमानी और पक्षपात से आम नागरिकों की दुविधा पर चर्चा के लिये।

315 स्कूलों और कालेजों में खेलकूद का गिरता स्तर खिलाड़ियों को अधिक सुविधा देने पर चर्चा के लिये।

316. विश्व विद्यालयों में आई०ए० एस० उप कुलपति से शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इन्हें दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

317. विश्व विद्यालय उदयपुर में आई० ए०एस० उपकुलपति के कारण पुलिस पर अधिक खर्चा हो रहा है, इसे देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

318. ग्रामीण इलाकों में शिक्षकों को विशेष सुविधायें दी जाने के पक्ष पर चर्चा के लिये।

319. गोगुन्दा जिला उदयपुर में कालेज की आवश्यकता है, इस पर चर्चा के लिये।

320. गोगुन्दा जिला उदयपुर के बालिका सैकण्डरी स्कूल भवन किराये का जीर्ण-शीर्ण होने से बालिकाओं को खतरा होने की चर्चा के लिये।

321. गोगुन्दा तहसील जिला उदयपुर के कपोल सैकण्डरी स्कूल को हायर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नति पर चर्चा के लिये।

322. अन्ध विद्यालय, उदयपुर के उच्चाधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

323. अन्ध विद्यालय उदयपुर के नेत्रहीन छात्रों के साथ की जा रही ज्यादतियों एवं बदले की भावना से नुकसान पहुंचाने पर चर्चा के लिये।

324. अन्ध विद्यालय, उदयपुर का अनुदान प्रार्थनापत्र रोकने से कर्मचारियों व छात्रों को परेशान करने की कार्यवाही पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

325. पुस्तकालयों के अध्यक्षों की पदोन्नति न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

326. शिक्षकों के सम्बन्ध में बेरी वेतन आयोग के पूर्णतः लागू न करने पर चर्चा के लिये।

327. प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर विभाग में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

328. प्राथमिक स्कूलों में पुस्तक, कापी स्लेट आदि राज्य सरकार की ओर से मुफ्त उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा)

329. संगीत शिक्षकों की पदोन्नति का प्रावधान न होने से शिक्षकों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

330. ग्रामीम क्षेत्रों में स्कूलों के भवनों की स्थिति के सुधार व निर्माण के लिये विभाग द्वारा राशि व्यय न किये जाने पर चर्चा के लिये।

331. संस्कृत के छात्रों का स्टाइपण्ड बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

332. राज्य की शिक्षा प्रणाली में अविलम्ब आमूल–चूल परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

333. अध्यापकों के स्थानान्तरण की प्रक्रिया में होने वाले अनावश्यक व्यय पर चर्चा के लिये।

334. अध्यापकों से तबादलों के लिये मांगे गये प्रार्थना-पत्रों के औचित्य पर चर्चा के लिये।

335. छात्रों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए जमवारामगढ़ में डिग्री कालेज खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

336. भाषा विभाग द्वारा हिन्दी राज भाषा को अधिक प्रभाव शाली तरीके से प्रयोग में लाने के प्रयास किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

337. महिला पॉलिटेक्निक जयपुर में हो रही अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

338. राज्य में राज के काम काज की भाषा में हिन्दी के कम प्रयोग पर चर्चा के लिये।

339. नये खोले जाने वाले स्कूलों में प्राइमरी मिडल व सैकण्डरी में आवश्यता-नुसार न खोले जाने से उत्पन्न भेदभाव पर चर्चा के लिये।

340. रूपवास, नटाटा, राहोरी, वासना पंचायत जिला जयपुर की पंचायत समिति जमवारामगढ़ तहसील जमवारामगढ़ क्षेत्र के स्कूलों में अध्यापकों की कमी से उत्पन्न अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

341. संस्कृत विभाग से मान्यता प्राप्त स्कूलों में मिलने वाले अनुदान से लक्ष्यों की पूर्ति के अभाव पर चर्चा के लिये।

342. प्रौढ़ शिक्षा पर व्यय किये जाने वाले धन से लक्ष्यों की प्राप्ति न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

343. पाठ्य पुस्तक मण्डल में कर्मचारी कल्याण कार्यों में भेदभाव पर इसे देय कर्जों के औचित्य पर चर्चा के लिये।

344. पाठ्य पुस्तकों में नैतिक शिक्षा शामिल न किये जाने से व्याप्त व्यापक असन्तोष पर चर्चा के लिए।

345. पाठ्य पुस्तकों को बड़े पैमाने पर नये सिरे से छपवाने पर होने वाले व्यय से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

346. हिन्दी भाषा को उचित दर्जा दिलाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

347. चेतक अभ्यास पुस्तिकाओं के विभाग द्वारा समय पर उपलब्ध न कराये जाने से छात्रों में व अभिभावकों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

348. ग्राम पापड़, नयाबास, नायला, भानपुर कलां, जमवा रामगढ़, लांमडीवास, चांवडका मड़, नोनपुर, इन्द्रगढ़, मालावाला मिडल स्कूल में शिक्षा विभाग के अध्यापकों की कमी पर चर्चा के लिये।

349. प्रत्येक गांव में प्राथमिक शाला खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

350. सीमावर्ती छात्रावासों की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

351. सैकण्डरी स्कूलों के हायर सैकण्डरी स्कूलों में क्रमोन्नत न होने पर छात्रों को एक वर्ष में दूसरे स्कूल में प्रवेश पाने में होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिये।

352. ग्रामीण महिलाओं को शिक्षित करने में सरकार द्वारा कोई कार्यक्रम नहीं बनाये जाने पर चर्चा के लिये।

353. प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शालाओं के खोले जाने में किये जा रहे पक्षपात पर चर्चा के लिये।

354. निजी शिक्षण संस्थाओं को अनुदान दिये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

355. बेरोजगारी दूर करने में शिक्षा पद्धति को रोजगारोन्मुख बनाने तथा छात्रों में राष्ट्रप्रेम की भावना उत्पन्न करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

356. शिक्षा को पंचायतों में वापस लिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

357. राज्य सरकार द्वारा संस्कृत भाषा की उपेक्षा बरतने पर चर्चा के लिये।

358. राज्य सरकार द्वारा पुरातत्व के मामलों के प्रति घोर उपेक्षा बरते जाने पर चर्चा के लिये।

359. महिला खेल-कूद को प्रोत्साहन के अभाव पर चर्चा के लिये।

360. खेल-कूद मन्त्रालय को खेल-कूद के लिये अलग से बजट न दिये जाने से विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

361. साहित्य एवं ललित कला अकादमियों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये।

362. चौकड़ी गंगापोल एवं पानों के दरीबा के बालिका विद्यालय के भवन के जीर्ण-शीर्ण होने से कभी भी दुर्घटनाग्रस्त होने पर चर्चा के लिये।

363. गर्ल्स उच्च माध्यमिक स्कूल

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

चौड़ा रास्ता भवन से सीखो कमाओ केन्द्र को हटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

364. व्याख्याता स्कूल शिक्षा का केडर प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय के समकक्ष किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

365. पंचायत समिति के शिक्षकों को वही सुविधायें उपलब्ध कराई जावें जो राज्य सेवा में हैं, इस सम्बन्ध में पंचायत समितियों को देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

336. समय पर परीक्षायें कराने में सरकार असफल रही इस पर चर्चा के लिये।

367. शिक्षकों को शहरों के समान गाँवों में भी आवास सुविधा दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

368. शिक्षकों के जिले वार तहसील शैक्षिक सम्मेलन होने पर अवकाश स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

369. खेलों को प्रोत्साहन देने के लिये टूर्नामिन्ट्स आदि में इनाम दिये जाने के लिये राशि बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

370. प्राइमरी स्कूलों में मात्र महिला शिक्षिकाओं द्वारा ही शिक्षा दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

371. प्राथमिक शिक्षा का अलग से निदेशालय बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

372. ग्यारहवीं कक्षा की जीव विज्ञान की पुस्तक छपाने में विभाग द्वारा की गई अनियमितता से राजकोष में हुई हानि पर चर्चा के लिये।

373. ग्यारहवीं कक्षा की गणित की पुस्तक निर्णय के अनुसार नहीं बदली जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

374. जुलाई 84 से लागू की जाने वाली किताबों के लिये बोर्ड के निर्णय के अनुसार कोर्सेज कमेटी की पुस्तक लिखवाने के लिये मीटिंग बुलाने में हो रही देरी पर बोर्ड को दिये जाने वाले कर्जे के औचित्य पर चर्चा के लिये।

375. संस्कृत पाठ्यक्रम समिति की बैठक 20 अगस्त, 1983 में किये गये फैसले के अनुसार पुस्तकें आमन्त्रित न करने तथा न लिखवाये जाने से पाठ्य पुस्तक मण्डल को दिये जाने वाले कर्जे के औचित्य पर चर्चा के लिये।

376. बिना पाठ्यक्रम समिति व बोर्ड की मीटिंग के किताब बदलने व नई लगाने से नियमों में हुई अवहेलना पर

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

पर मंडल को देय कर्ज के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

377. कठपुतली की कला में प्रदर्शन में लगे पूल लोक कलाकारों को प्रोहत्साहन दिये जाने के अभाव पर चर्चा के लिये ।

378. हिन्दी के लेखकों व अनुवादकों एवं गीतकारों को प्रोत्साहन पुरस्कार दिये जाने के अभाव पर चर्चा के लिये ।

379. 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा लागू किये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री तेजपाल यादव (चौमूं)

380. शिक्षा की बर्तमान नीति में आमूल-चूल परिवर्तन किया जाये इस पर चर्चा के लिये ।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)

381. नाथद्वारा स्थित जिला पुस्तकालय में तृतीय वेतन श्रृंखला के पद को द्वितीय वेतन श्रृंखला के पद में क्रमोन्नत करने तथा पुस्तकालय में व्याप्त अव्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

382. नाथद्वारा स्थित जिला पुस्तकालय भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

383. नाथद्वारा महाविद्यालय में एम.काम., एम.ए. इतिहास एवं स्नातक स्तर पर भूगर्भ विषय प्रारम्भ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

384. नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र की माध्यमिक शालाओं (गांव—गुडा, गांव—शिशोदा, गांव—सालौर, गांव—कोसरीया) में बोर्ड परीक्षा केन्द्र की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

385. पंचायत समिति खरनोर के मुख्यालय खमनौर में सैकण्डरी स्कूल को हायर सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने की चर्चा के लिये ।

386. "बढ़िया शिक्षा कार्यक्रम" में स्वीकृत राशि का उदयपुर जिले में दुरुपयोग पर चर्चा के लिये ।

387. उदयपुर जिले के सैंकड़ों शिक्षकों के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

388. नाथद्वारा नगर में प्राथमिक शालाओं के भवन हेतु आवंटित भूमि की सरकार द्वारा स्वीकृति नहीं प्राप्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री हरि सिंह (कुम्हेर)

389. कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र के अस्तावन माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाये, इस पर चर्चा के लिये ।

390. राजस्थान में इस वर्ष नवीन हायर सैकण्डरी स्कूल पर्याप्त संख्या में न खोले जाने पर चर्चा के लिये ।

Page No 121

(121)

(श्री हरिसिंह)

391. बृज भाषा अकादमी का शीघ्र ही गठन कर कार्य प्रारम्भ किया जाये इस पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

392. राजकीय कन्या माध्यमिक शाला चौड़ा रास्ता, जयपुर में सीखो कमाओ कार्यक्रम को कारगर ढंग से लागू किये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

393. प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई नियमित रूप से हो, इस पर चर्चा के लिये।

394. राजकीय कन्या माध्यमिक शाला चौड़ा रास्ता की छात्राओं को शारीरिक शिक्षा एवं खेल-कूद की गतिविधियों में भाग लेने हेतु विद्यालय के निकट उपयुक्त क्रीडा स्थल उपलब्ध कराये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

395. शिक्षा के संख्यात्मक प्रसार के साथ-साथ उसके सुदृढ़ीकरण तथा गुणात्मक विकास के लिये समुचित प्रबन्ध किये जाने एवं शिक्षकों को नवीनतम प्रयोगों एवं विधियों से अवगत कराये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

396. शिक्षा के प्रसार हेतु प्रत्येक पंचायत मुख्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

397. जयपुर जिले के अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्र की पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू में शिक्षा केन्द्र खोलने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

398. राजकीय माध्यमिक विद्यालय सुजानपुरा (जयपुर) में कृषि विषय खोले जाने के क्रम में चर्चा में लिये।

399. निर्धन छात्र-छात्राओं को शिक्षा के लिये प्रोत्साहित करने एवं उन्हें पाठ्य सामग्री तथा स्कूल ड्रेस निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु राज्य में प्रत्येक उ.प्रा.वि. तथा माध्यमिक एवं उच्च मा. विद्यालय स्तर पर जन सहयोग से निर्धन छात्र कल्याण सहायता कोष की स्थापना के संदर्भ में चर्चा के लिये।

400. ग्रामीण क्षेत्र में जन सहयोग से निर्मित उ.प्रा.विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय भवनों की व्यवस्था विभाग द्वारा किये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

401. अनुसूचित जाति, जन जाति के छात्र छात्राओं की भांति निर्धन छात्रों को भी छात्रवृत्ति दिये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

402. राजकीय उ.मा. विद्यालय बस्सी तूंगा एवं जटवाड़ा तथा मा. विद्यालय बांसखों, कानोता, बडवा, सुजानपुरा, लालगढ़, गरूडवासरे एवं कोटखावदा में विद्यालय भवन के अभाव की, स्थिति को दूर किये जाने हेतु विद्यालय भवन निर्माण के लिये सहायता दिये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

403. महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये प्रत्येक पंचायत एवं नगरपालिका मुख्यालय पर एक कन्या प्राथमिक शाला खोले जाने एवं उ.प्रा. विद्यालय, माध्यमिक विद्यालयों में 25 प्रतिशत विद्यालय छात्राओं के क्रमोन्नत किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

404. पंचायत समितियों के अधीनस्थ चल रहे प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को वेतन के अलावा चिकित्सा भत्ते की राशि भी शिक्षा विभाग द्वारा पंचायत समितियों को उपलब्ध कराये जाने के क्रम में देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

405. संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी में प्राथमिक विद्यालय नारदपुरा, कल्याणपुरा, पड़ासोली, कूथड़ा खुर्द-कचोलिया को उ.प्रा. संस्कृत विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

406. तहसील मुख्यालय बस्सी पर सार्वजनिक क्षेत्र में तहसील पुस्तकालय स्थापित किये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

407. ट्राइसम योजना के अन्तर्गत ग्रामीण युवकों तथा गरीबी की रेखा से नीचे के स्थानीय छात्रों को लघु अवधि रोजगारोन्मुख व्यवसायों में प्रशिक्षण दिये जाने हेतु बैनाड़ा (बस्सी) में प्रशिक्षण केन्द्र चालू किये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

408. राजकीय उ.प्रा. विद्यालय देहलाला रामनगर, पालावाला, जाटान में अध्यापकों के अभाव की स्थिति को दूर किये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

409. राजकीय उच्च प्राथमिक कन्या शाला ठीकरिया, गूजरा (जयपुर) में विद्यालय क्रमोन्नत होने के बाद आज तक शिक्षा विभाग द्वारा प्रधानाध्यापिका नहीं लगाये जाने से स्थानीय विद्यालय के छात्र-छात्राओं में असंतोष पर चर्चा के लिये।

410. जयपुर शहर के कन्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरूष अध्यापको को हटाया जाकर उनके रिक्त स्थानों पर महिला अध्यापिकाओं की नियुक्ति किये जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

411. माध्यमिक विद्यालय माधोराजपुरा, चांवड़िया, बांसखोह, सुजानपुरा, कानोता, उच्च माध्यमिक विद्यालय जटवाड़ा, तुंगा, उ. प्रा. शाला बैनाड़ा में निर्धन छात्र कल्याण सहायता कोष में जन सहयोग द्वारा प्राप्त राशि के बराबर राशि सरकार द्वारा दी जाकर इस कोष को बढ़ावा व स्थायित्व दिये जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

412. अनुसूचित जन-जाति के ग्राम बोरदा के ग्राम पंचायत पालड़ा (टोंक) में प्राथमिक शाला खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

413. प्राथमिक विद्यालय संडीला, जिसकी कि छात्र संख्या 350 है, को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना)

414. सीताराम मोदी संस्कृत महाविद्यालय में शास्त्री कक्षायें चालू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

415. टोंक जिले में संस्कृत शिक्षा की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

416. राजभाषा हिन्दी का प्रचार-प्रसार करने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

417. टोंक जिले में सार्वजनिक पुस्तकालय के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

418. टोंक जिले में ललित कला एवं शिक्षा के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

419. बीकानेर जिले में अनौपचारिक शिक्षा पर नियन्त्रण नहीं होने तथा स्वीकृत केन्द्र नहीं चलने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

420. ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों का ग्रीष्मकालीन अवकाश वर्षा ऋतु में रखने हेतु चर्चा के लिये।

421. छात्रों को वृक्ष लगाने हेतु प्रोत्साहित करने तथा उन वृक्षों की आमदनी का स्कूल के रख-रखाव तथा फर्नीचर खरीदने में उपयोग हेतु चर्चा के लिये।

422. रेगिस्तानी सीमावर्ती जिलों में दूर-दूर रहने वाले अशिक्षित पशुपालकों में शिक्षा का विस्तार करने के लिये विशेष प्रबन्ध हेतु चर्चा के लिये।

423. पंचायत समिति के विद्यालयों में छात्र संख्या के अनुपात से अध्यापक उपलब्ध कराये जाने हेतु पंचायतों को देय अनुदान पर चर्चा के लिये।

424. प्राथमिक शालाओं की स्थापना में केवल जनसंख्या ही नहीं अपितु दूरी का भी ध्यान रखे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

425. संस्कृत शिक्षा के प्राथमिक विद्यालयों के खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

426. स्कूलों में नये विषय नहीं खोलने के कारण ग्रामीण विद्यार्थियों को पढ़ाई छोड़ने के लिये बाध्य होने पर चर्चा के लिये।

427. उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तक योग प्रशिक्षण अनिवार्य करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

428. बीकानेर शहर के बंगला कालोनी में प्राइमरी स्कूल खोलने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

429. बीकानेर शहर के रामपुरा बस्ती, पुरानी गिन्नाणी, मोहल्ला कोरीयान,

(श्री देवीसिंह भाटी)

मांजीसा का बास में मिडल स्कूल खोलने के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

430. जिला बीकानेर के ग्राम ग्रकासर, खारी के स्कूल को सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

431. जिला बीकानेर के ग्राम लाखासर में प्राइमरी स्कूल खोलने के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

432. जिला बीकानेर के ग्राम कोलासर के मिडल स्कूल में अध्यापकों की अधिकतर अनुपस्थिति से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

433. जिला बीकानेर के ग्राम मेघासर के प्राइमरी स्कूल की अध्यापिकाओं की अत्यधिक अनुपस्थिति से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

434. जिला बीकानेर के ग्राम कोलायत नाइयों की बस्ती में बन्द पड़े स्कूल व अपूर्ण स्कूल को पूर्ण कराकर चालू कराने के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

435. जिला बीकानेर के ग्राम गुड़ा; केशरदेसर जाटस्न में अतिरिक्त अध्यापकों के पदों की आवश्यकता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

436. जिला बीकानेर के ग्राम भोलासर, भोजुसर, नोखा, सुरघणा चौहानान व घड़सीसर की स्कूलों को मिडल स्कूल में क्रमोन्नत करने के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

437. पंचायत समितियों में कई वर्षों से कार्यरत शिक्षकों को स्थाई करने हेतु पंचायत समितियों को देय अनुदान पर चर्चा के लिये ।

438. बेरी आयोग का पूरा लाभ शिक्षकों को न मिलने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

439. अध्यापकों द्वारा ट्यूशन करने से अध्यापन कार्य में आ रही शिथिलता एवं उदासीनता पर चर्चा के लिये ।

440. ग्रामीण क्षेत्र में अध्यापकों को मकान भत्ता दिये जाने पर चर्चा के लिये ।

441. सहायता प्राप्त स्कूलों में अनुदान की शर्तों के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति न करने पर चर्चा के लिये ।

442. बीकानेर जिले में प्रौढ़-शिक्षा पर किये गये धन के अपव्यय पर चर्चा के लिये ।

443. ग्रामीण क्षेत्रों की स्कूलों में कृषि विषय पढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

444. शिक्षा को पंचायत समिति से तुरन्त मुक्त कराने हेतु चर्चा के लिये ।

445. अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा हेतु चर्चा के लिये ।

(श्री देवीसिंह भाटी)

446. पति-पत्नी यदि शिक्षा विभाग में सेवारत हैं तो उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया जाय, इस पर चर्चा के लिये।

447. राज्य सरकार राज्य की कलात्मक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के रख-रखाव में अक्षम सिद्ध हुई है, इस पर चर्चा के लिये।

448. राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

449. जयपुर नगर की आवासीय बस्ती मुरलीपुरा तथा विद्याधर नगर में अविलम्ब स्कूल खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 47 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 47 मुख्य शीर्षक पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

श्री माणकमल मेहता (पाली)

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना)

श्री सूरजपाल सिंह (भीममाल)

श्री भैरू सिंह गुर्जर (खाश्ची)

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा)

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

1. पश्चिमी राजस्थान के प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थानों को सुव्यवस्थित बनाकर पर्यटन स्थल बनाने के लिए सर्वे कराये जाने पर चर्चा के लिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)

2. राष्ट्रीय राजमार्गों पर मिडवे नीति के अन्तर्गत जयपुर से कोटा मार्ग पर निवाई, टौंक में मिडवे बनाने हेतु चर्चा के लिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

3. समुचित परिवहन व्यवस्था के अभाव में पर्यटकों को होने वाली असुविधा पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

4. पर्यटन स्थलों का विकास करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर)

5. पर्यटन सूचना और प्रचार पर होने वाले अपव्यय को रोकने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)

6. मेहन्दीपुर बालाजी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने बाबत चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर)

7. राज्य सरकार द्वारा बांसवाड़ा जिले में पर्यटक स्थलों की उचित व्यवस्था नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

8. राज्य सरकार बांसवाड़ा जिले में पर्यटकों को ठहराने व यातायात साधन उपलब्ध कराने में असफल रही, जिस पर चर्चा के लिये ।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

9. बूंदी नगर को पर्यटन स्थल घोषित करने पर चर्चा के लिये ।

10. केशवरायपाटन को पर्यटन स्थल घोषित करने पर चर्चा के लिये ।

11. कंवर शौलाल जी का बाग केशवराय पाटन को पर्यटन विभाग में लेने पर चर्चा के लिये ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

12. उदयपुर जिले हेतु स्वीकृत मेवाड़ काम्पलेक्स का कार्य प्रारम्भ न करने के विषय पर चर्चा के लिये ।

13. उदयपुर नगर में पर्यटन निवास हेतु जनता होटल जैसी सस्ती विश्राम व्यवस्था न की जाने हेतु चर्चा के लिये ।

14. उदयपुर जिले की जयसमन्द झील का पर्यटन झीलके रूप में विकसित करने पर चर्चा के लिये ।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़)

15. रतनगढ़ में मिडवे के शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री पीरू राम (टी. बी.)

16. जिला गंगानगर के हनुमानगढ़ तहसील में स्थित किले को पर्यटन स्थल बनाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर)

17. जैसलमेर जिले में पर्यटकों की सुविधा हेतु पोकरण में मिडवे बनाने की योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

18. बढ़ती हुई पर्यटकों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा जैसलमेर को पर्यटन स्थल के विकास की समुचित सुविधा नहीं देने पर चर्चा के लिये ।

19. जैसलमेर में पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित मेले के दौरान पर्यटकों को आवास, स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये ।

20. शाही रेलगाड़ी को लोकप्रिय बनाने में निगम की विफलता पर भी निगम को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री सूर्य कुमार (नैनवां)

21. पंचायत समिति नैनवां के रामगढ़, तलवास और दुगारी को पर्यटन केन्द्र घोषित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम)

22. देवगढ़ में मिडवे बनाने के कार्य में विलम्ब हेतु चर्चा के लिए।

श्री तेजपाल यादव (चौमूं)

23. सामोद के ऐतिहासिक महलों को पर्यटक स्थल बनाने व उनका रख-रखाव व विकास करने पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर)

श्री चुन्नी लाल (खण्डार)

24. सवाईमाधोपुर में पर्यटकों को टाइगर प्रोजेक्ट में आकर्षित करने हेतु ठहरने की अच्छी व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला)

25. ग्राम खण्डेला में चारोड़ा महाराज के स्थान को पर्यटक स्थल बनाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

26. पर्यटन निदेशालय में राजस्थान, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, दिल्ली के यात्रियों को हिन्दी भाषा में नक्शे एवं मार्ग-दर्शक पुस्तिका उपलब्ध नहीं होने पर चर्चा के लिए।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

27. जिला-बाड़मेर के ग्राम खेड़, नाकोड़ा व कानाना को पर्यटन स्थल बनाने के लिये चर्चा हेतु।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह)

28. टोडारायसिंह राजमहल तथा बिसलपुर को पर्यटन क्षेत्र घोषित करवाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री नानालाल (राजसमन्द)

29. राजसमन्द को पर्यटन केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

30. भीलवाड़ा तहसील के हमीरगढ़ पहाड़ी की माताजी के स्थान का विकास करने पर चर्चा के लिये।

31. भीलवाड़ा जिले के मेजा बांध पर पर्यटन स्थान का विकास कर होटल के निर्माण पर चर्चा के लिये।

32. भीलवाड़ा जिले के जोगणिया माताजी स्थान के विकास पर चर्चा के लिये।

33. भीलवाड़ा नगर के उपनगर में अधरशिला स्थान का विकास करने पर चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई)

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

34. राजस्थान के पर्यटन विकास में राज्य सरकार अक्षम रही है, पर चर्चा के लिये।

श्री धाराराम फुलवारिया (सिवाना)

35. सिवाना पंचायत समिति में हल्देश्वर महादेव पर्यटन स्थल बनाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री भरोसी (हिण्डौन)

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग)

36. राज्य सरकार पर्यटकों को सुविधा प्रदान कराने में असफल रही है, पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना)

37. जिला बीकानेर में कोलायत में मिडवे बनाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

38. बीकानेर का मुख्य पर्यटन आकर्षण केन्द्र जूनागढ़ की बाढ़ग्रस्त दीवार व अन्य स्थानों की मरम्मत कराने में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

39. जिला बीकानेर के दर्शनीय पर्यटक स्थल देशनोक में टूरिस्ट बंगला व कैफेटेरिया निर्माण करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

40. बीकानेर जिले के अन्तर्गत देशनोक करणीमाता मंदिर कोडमदेसर, गजनेर, देवीकुण्ड सागर व कोलायत जैसे ऐतिहासिक दर्शनीय स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित नहीं करने से सरकार की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू)

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग)

41. राजस्थान में स्थित प्राकृतिक स्थानों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू)

42. बूंदी जिले की बिजाषण माताजी को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

43. बूंदी जिले के कमलेश्वर महादेव नामक स्थान को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने के सम्बन्ध पर चर्चा के लिये।

44. बूंदी जिले की डोबरली स्थित माला देवी की गुफा की जानकारी कर पर्यटन केन्द्र घोषित किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री भैरू लाल भारद्वाज (जमवारामगढ़

45. जमवारामगढ़ बांध पर चल रहे

(भैरूंलाल भारद्वाज)
पर्यटन के मोटर बोट के कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेड़ा)

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

46. भंवरमाता, छोटी सादड़ी, गोतमेश्वर अरनोद व सीता माता के ऐतिहासिक स्थानों को पर्यटन क्षेत्र घोषित कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)

47. देश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान नाथद्वारा के "संस्कृति केन्द्र" की स्थापना पर चर्चा के लिये।

48. नाथद्वारा नगर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु "विशेष योजना" लागू की जावे, इस पर चर्चा के लिये।

49. "मेवाड़ काम्पलेक्स योजना" की क्रियान्विति प्रारम्भ नहीं होने से पर्यटकों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

50. नाथद्वारा में पर्यटकों के निवास हेतु पर्यटक विश्राम गृह निर्माण की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

51. तहसील बस्सी के ग्राम रोजवाड़ी में ग्राम वन के अन्दर ट्यूरिस्ट ग्राम बसाये जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

52. जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में त्यौहारों पर हर वर्ष लगने वाले मेले "श्री कल्याण मेला बेनाड़ा" एवं "बांसखोह नई का महादेव" तथा "शीतला अष्टमी चाकसू" को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर)

53. गणगौर त्यौहार का पर्यटक सूचना और प्रसार के माध्यम से विदेशों में प्रचार करके पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु चर्चा के लिये।

54. पर्यटन विभाग द्वारा चलाई जा रही पत्रिका "पर्यटन संध्या" को बंद किये जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

55. राज्य के किले और स्मारकों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने तथा उन पर रोशनी की व्यवस्था करने हेतु चर्चा के लिये।

56. प्रदेश के पर्यटन विकास कार्यक्रम को राजस्थान की संस्कृति एवं परम्परा के अनुरूप बनाया जावे, इस पर चर्चा के लिये।

57. राज्य के ट्यूरिज्म एडवाइजरी बोर्ड की बैठकें नहीं होने के कारण पर्यटन को उचित दिशा नहीं मिल पा रही है, इस पर चर्चा के लिये।

58. पर्यटन विभाग के कार्यक्रमों के विज्ञापन टेलीविजन एवं रेडियो द्वारा

(श्रीमती विद्या पाठक)
प्रसारित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

59. पर्यटन विभाग के पुराने व अनुपयोगी सामान की नीलामी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

60. राज्य के अनेक पर्यटन स्थलों पर पर्यटन अधिकारी की कमी पर चर्चा के लिये ।

61. पर्यटन विभाग के अधिकारी द्वारा चलाई जा रही मैगजीन को विज्ञापन सरकारी विभागों द्वारा दिये जाने से सरकारी कोष में हुई हानि पर चर्चा के लिये ।

62. दिल्ली, बम्बई व आबू में पर्यटन विभाग के कार्यालयों में असिस्टेन्ट डायरेक्टर का पद लगभग एक वर्ष से खाली पड़े होने से पर्यटन को क्षति के विषय में चर्चा के लिये ।

63. प्रोग्राम व केलेण्डर का निर्धारण विभागीय अनुभवी विशेषज्ञों की सलाह से न करवा कर राज्य के प्रशासनिक सेवा के अधिकारी से करवाये जाने पर चर्चा के लिये ।

64. पर्यटकों को रंगीन ब्रोशिपर्स के बजाय "इन्फारमेटिव लिट्रेचर ब्लैक एण्ड व्हाइट" में दिया जाकर सौहार्द पूर्ण सेवायें उपलब्ध कराई जाने से विभाग में इकानामी किये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

65. राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम की जयपुर शहर मे साइट सीन बस में गाइड न होने से पर्यटकों को होने वाली असुविधा के सन्दर्भ में निगम में किये गये विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिए ।

66. गणगौर पर्यटन बंगले के एक एयरकन्डीशण्ड कमरे का निगम के अधिकारियों को नामीनल चार्जेज पर आवन्टन कर निगम को होने वाले घाटे के सन्दर्भ में किये जा रहे विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिए ।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना)

67. नीम का थाना के गणेश्वर ग्राम में गर्म पानी का नाला बहता है जिसका विकास पर्यटन की दृष्टि से करने हेतु चर्चा के लिये ।

68. बलेश्वर जैसे रमणीक स्थान को पर्यटन स्थल घोषित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

69. राजस्थान में जहां तहां ऐतिहासिक व दर्शनीय स्थल हैं वहां पर पर्यटकों के लिये गेस्ट हाउस बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

मांग संख्या 24 व 47 पर विचार

श्री सभापति : आज की मांग संख्या के सम्बन्ध में जिन माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उन सभी को प्रस्तुत मान लिया गया है और अब माननीय श्री हेमाराम चौधरी अपने कटौती प्रस्ताव रखेंगे।

श्री हेमाराम चौधरी (गुडामालानी) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी का ध्यान खींचना चाहता हूं, हमारे साक्षरता का प्रतिशत सबसे कम है, बाड़मेर जिला राजस्थान के 27 जिलों में साक्षरता की दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। बाड़मेर जिले में जब तक गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में प्राथमिक विद्यालय नहीं खोलेंगे तब तक यह जो साक्षरता का प्रतिशत सबसे कम है, कम ही रहेगा। मैं यह चाहूंगा कि वर्ष 1984-85 में जब आप प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय या सैकण्डरी स्कूल खोलें उस समय दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा ज्यादा स्कूल खोलें इससे जो शिक्षा का कम प्रतिशत है वह बढ सकता है। पिछले वर्ष 1983-84 में हमारे जिले में माननीय शिक्षा मंत्री जी और ग्रामीण विकास के मंत्री जी, दोनों ने स्कूल खोलने में उदारता बरती थी। जिस तरह पिछले वर्ष आपने और ओलाजी ने मेरे क्षेत्र में स्कूल खोलने में उदारता बरती यदि आप इस वर्ष भी उदारता बरतेंगे तो निश्चित रूप से यहां जो शिक्षा की कमी है, शिक्षा में हम पिछड़े हुए हैं उससे आगे बढ़ पायेंगे। मेरे जिले की भौगोलिक स्थिति इस तरह की है कि यहां लोग बहुत बड़े गांव, या शहर के रूप में बसे हुये नहीं हैं, लोग अपने-अपने गांवों में जहां जिसका खेत है वहां ढाणी बनाकर रह रहे हैं। गांव के अन्दर यदि स्कूल खोला जाता है तो गांव 15–20 किलोमीटर की परिधि में फैला होने से 20 किलोमीटर दूर गांव के आखिरी छोर पर जो ढाणियां हैं वहां के बच्चों को पढ़ने के लिए गांव में 15 या 20 किलोमीटर आना पड़ता है पांच साल का बच्चा स्कूल में भर्ती हो तो वह स्कूल में इतनी दूर पढ़ने के लिए नहीं जा सकता और बाद में जब वह बड़ा हो जाता है तो स्कूल में पढ़ने लायक नहीं रहता इससे पढ़ाई मेरे यहां सबसे कम होती है।

पिछले साल मुख्य मंत्री जी और हमारे राज्यपाल महोदय ने 26 जनवरी, 84 को अपने संदेश में यह कहा था कि हम तीन सौ से अधिक आबादी वाली बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय खोल देंगे। तो मैं राज्यपाल महोदय के उस सन्देश की ओर आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ऐसी ढाणियों, शहरों के अन्दर बस्ती कहते हैं और गांवों में जो इस तरह से समूह में बसते हैं हम लोग उनको ढाणियां कहते हैं, में शिक्षा के लिये 300 की आबादी की बात हमारे राज्यपाल महोदय ने कही। मैं तो कहूं, 500 की आबादी पर भी यदि आप यह प्राथमिक विद्यालय खोलते हैं तो मेरे यहां जो प्राइमरी स्कूल की कमी है वह काफी हद तक पूरी हो सकती है।

इसके अलावा, सभापति महोदय, मिडल स्कूल की भी मेरे जिले में बहुत बड़ी

(श्री हेमाराम चौधरी)

कमी रही है। जो दूसरे विधान सभा क्षेत्र हैं वहां जितने मिडल स्कूल हैं उससे आधे मिडिल स्कूल भी मेरे यहां नहीं हैं। जैसा शिक्षा विभाग के प्रगति विवरण देखने से पता लगता है, पूरे राजस्थान में जितने सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूल हैं उसमें अगर 200 का भाग दे दिया जाये तो एक एम.एल.ए. के हिस्से में 14-15 स्कूल आते हैं। तो, सभापति महोदय, मेरे यहां तो अभी तक एक विधान सभा क्षेत्र में सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी दोनों मिला कर 4–5 स्कूल ही हैं। यह जो अन्तर है पहले से, इस अन्तर को कम करने के लिये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। यह अन्तर कम तभी हो सकेगा जब आने वाले वर्ष में आप जहां पहले से ज्यादा स्कूल हैं वहां कम खोल कर के जहां बहुत कम स्कूल हैं उन क्षेत्रों में ज्यादा खोलने की कृपा करेंगे। तभी यह अन्तर आगे धीरे-धीरे कम हो सकेगा। एक साल में, इस वर्ष में यह सारा अन्तर तो कम नहीं हो सकता लेकिन सरकार कोशिश करे और सरकार की यह मन्शा हो कि इस तरह का जो अन्तर है उसको कम किया जाना जरूरी है तो यह अन्तर कम हो सकता है। वहां पर भी उतने ही लोग निवास करते हैं, उतनी ही लोगों की आवश्यकता है जितनी कि अन्य लोगों की। तो इसी तरह यदि हमारे यहां दूसरों के मुकाबले मिडल स्कूल, सैकण्डरी स्कूल या हायर सैकण्डरी स्कूल ज्यादा हैं तो हमारे यहां इस साल एक भी मत दीजिये, हम कब कहते हैं कि आप हमारे यहां स्कूल खोलें ही खोलें। लेकिन यदि हमारे यहां कम हैं तो हमारे पर विशेष मेहरबानी करके यह ध्यान रखें।

दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम जो स्कूल हैं और उन में भी जो विषय हैं, केवल एक विषय से स्कूल चल रहा है। कला तो तो कला सबजेक्ट ही वहां पर है और कोई दूसरा विषय साइंस मैथेमेटिक्स लेना चाहता है, साइन्स बायोलोजी या कामर्स या किसी दूसरे विषय में भी रुचि रखता है तो उसको बाहर के स्कूल में जाना पड़ेगा। उस गांव में जिस जगह विद्यालय खुला हुआ है उसका समुचित लाभ वहां के लोगों को नहीं मिला है, कुछ अंश तक लाभ मिला है। केवल उन विद्यार्थियों को ही लाभ मिला है जो कला विषय में रुचि रखते हैं। यदि कोई विद्यार्थी किसी दूसरे विषय में रुचि रखता है और वह किसी वजह से बाहर नहीं जा सकता तो उसको अपनी रुचि का विषय न लेकर दूसरा विषय पढ़ना पड़ता है। इस प्रकार रुचि के खिलाफ विषय लेकर पढ़ता है तो आगे पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता है। इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यही निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूल हैं, जिनमें केवल एक विषय है उनमें इस बार आप कृपा करके कम से कम दो-दो विषय और खोलें। कला, वाणिज्य और विज्ञान यह तीनों विषय वहां पर हो जाते हैं तो वहां के विद्यार्थियों को पढ़ने की सारी सुविधा मिल जायेगी। इस बारे में विशेष ध्यान दें इसके बारे में आपसे पुरजोर निवेदन है।

(श्री हेमाराम चौधरी)

C

तीसरा, सभापति महोदय, हमारे बाड़मेर जिले में गत वर्ष 1983-84 और उससे पिछले वर्ष भी शिक्षा विभाग की तरफ से इन मिडल स्कूल के भवनों की मरम्मत के लिये राशि आवंटित की गई थी लेकिन वह राशि न तो गत वर्ष खर्च की गई, न ही वर्ष 82-83 में एक पैसा खर्च किया गया। इस तरह से हर वर्ष भवनों के सुधार या मरम्मत के लिये राशि राज्य सरकार से आवंटित हो उसके बावजूद राशि को खर्च नहीं किया जाये, वह लेप्स हो जाये तो उस राशि को देने का कोई तात्पर्य नहीं रहता। इसलिये मैं चाहूंगा मंत्री महोदय जी से कि इस बार हमारे यहां पर भवनों की मरम्मत और सुधार के लिए जो राशि पिछले दो सालों में लेप्स हुई है उसको जोड़कर राशि आप दे सकें, बजट में जैसी है उसके मुताबिक, तो वह हमको दिलायें और दिलाने के बाद आप जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दें कि जो मरम्मत के काम हैं वह आप समय पर शुरू करवायें, चाहे टेन्डर काल करके करवायें, चाहे किसी भी तरह से करवायें। हमने भी जिला शिक्षा अधिकारी से बार-बार निवेदन किया है। मैंने कहा, आपको कोई काम करने में दिक्कत आती हो तो हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं। आप सीमेंट दे दें तो सीमेंट स्कूल तक ले जाने की जिम्मेदारी हम ले लेते हैं। लेबर को या जितने भी दूसरे काम हैं गांव वाले लेने को तैयार हैं। इसलिये जितना पैसा सरकार की तरफ से मिला है,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वह तो आप कम से कम दें।

इसके अलावा, सभापति महोदय, मंत्री महोदया से एक निवेदन और करना चाहता हूं। बाड़मेर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धोरीमन्ना, जिसमें हमारे मंत्रीजी की कृपा से तीनों वर्ग के विषय हैं, साइंस बायोलोजी भी है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

में बायोलोजी के लेबोरेटरी के लिये कमरे नहीं हैं।

(2.18 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई,
अध्यक्ष, पदासीन)

लेबोरेटरी के लिये दो कमरे बनवाने के लिए आप शिक्षा विभाग की तरफ से किसी भी तरह से हमारे को धनराशि दिलाने की व्यवस्था करावें। लेबोरेटरी का सामान कहीं रखने की जगह नहीं है। बायोलोजी का अध्ययन, जो प्रेक्टिकल अध्ययन है, अच्छी तरह से विद्यार्थी नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर है क्योंकि लगभग पिछले पांच सालों से अकाल पड़ता आ रहा है, इस साल भी अकाल है, ऐसी स्थिति में जन सहयोग से हम यदि चाहें कि लेबोरेटरी के लिये हाल बनवा दें तो वह कतई संभव नहीं है, मंत्री महोदया, इसलिये मैं आपसे यह बार-बार निवेदन कर रहा हूं कि आप धोरीमन्ना हायर सैकण्डरी स्कूल में लेबो-

(श्री हेमाराम चौधरी)

रेटरी के लिये दो कमरों के लिये 60 हजार रुपए की स्वीकृति प्रदान कराने की कृपा करावें।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान इस इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि जब वहां पर विद्यालयों की मरम्मत के लिये राशि आप दिलायें तो उन विद्यालयों का चयन किया जावे, सबसे ज्यादा जिन भवनों की हालत खराब है, जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। वह न जाने किस समय ग जायें और गिरने से हमारे बच्चों की मृत्यु भी हो सकती है। बाड़मेर जिले के रामसर का कुआं, दूदिया कलां, गांधवकलां, चवा, सरनू, लोहाखा, कोजा, अरनीयाली, सिघासवा, हरनीया ये स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर बहुत ही पुराने भवन बने हुए हैं और बहुत ही जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। किसी के ऊपर छत नहीं है, किसी के छज्जा नहीं है, किसी के खिड़की नहीं है। उनकी इस तरह की बहुत ही दयनीय और खराब हालत है। आप कम से कम 5-10 हजार रुपया मरम्मत के लिये प्रत्येक स्कूल को यदि दिला दें तो हम पांच हजार रुपया गांवों में भी कहकर मरम्मत में लगा दें। इतना तो कर पायेंगे ताकि जो नुकसान होने वाला है उस नुकसान से बचा जा सके।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे राज्य शिक्षा मंत्री, श्री कल्ला साहब से भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में बाड़मेर जिला ही ऐसा जिला है जहां पर महाविद्यालय के साथ में छात्रावास नहीं है बाकी सब जिलों में जो कालेजेज हैं उनके साथ में छात्रावास हैं। एक रेगिस्तानी, सीमावर्ती और पिछड़ा हुआ जिला होने के बावजूद अभी तक बाड़मेर जिले में छात्रावास की न तो स्वीकृति प्राप्त हुई है और न ही छात्रावास का काम प्रारम्भ किये जाने की कोई बात हुई है। मैं मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि पिछले विधान सभा सत्र में भी मैंने कट-मोशन दिया था उसके जवाब में मुझे यह तो आश्वासन दिया गया है कि राज्य सरकार से प्रस्ताव यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन को भेज दिया है। आधी राशि राज्य सरकार देगी और आधी राशी यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन देगा। उसमें यह कहा गया था कि जल्दी स्वीकृति मिलने की सम्भावना है और स्वीकृति मिलते ही काम प्रारम्भ कर दिया जायेगा। उस बात को भी एक साल बीतने जा रहा है लेकिन अभी तक उससे आगे की प्रगति की कोई जानकारी नहीं मिली है। इसलिए मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि वह इस सम्बन्ध में रुचि लेकर यह काम करवायें जिससे रेगिस्तान के उस पश्चिमी जिले के अकाल से पीड़ित छात्रों को रहने की तो कम से कम सुविधा मिल जाये।

दूसरा, मैं आपके माध्यम से कल्ला साहब से यह भी विनेदन करना चाहता हूं कि बाड़मेर जिला हैड क्वार्टर कॉलेज है किन्तु वहां पर विधि संकाय नहीं है जिससे हमारे यहां के विद्यार्थियों को विधि पढ़ने के लिये, ला पढ़ने के लिए जोधपुर जाना पड़ता है। हमारे यहां पर ही अगर विधि संकाय हो जाये तो वहीं पर विद्यार्थी ला में

(श्री हेमाराम चौधरी)

ग्रेजूएशन कर सकते हैं। इसलिए आप इस तरफ विशेष ध्यान दें।

मैं ज्यादा समय नहीं लेकर यही मंत्री जी से और कल्ला साहब से निवेदन करना हूं कि पिछले वर्ष हमारे यहां पर स्कूल खोलने में आपने पूरा-पूरा हमारा ध्यान रखा उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और आपसे यही आशा करता हूं कि इस वर्ष भी आप हमारा उतना ही ख्याल रखेंगे।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सौभाग्य की बात है कि यह विभाग मेरे पास भी रहा और आप इस समय आसन पर विराजे हुए हैं, यह आपके पास भी था इसलिए आप मेरी भावनाओं और मेरे विचारों को आसानी से समझ सकेंगे। आज का जो प्रसंग है, जो मांग है मैं इसको राजनैतिक दृष्टि से बहुत परे समझता हूं और माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि जो भी अपने विचार रखें वह ईसी भावना के साथ रखें ताकि शिक्षा में सुधार ला सकें।

श्री विष्णुप्रकाश बजारी (ब्यावर) : आप तो लाये नहीं और हमको उपदेश देते हो।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय वजारी जी, जो कुछ हमने नहीं किया वही यदि आपको करना है, हमने नहीं किया वही आपको करना है तो यह प्रतिज्ञा कर लो...

श्री विष्णुप्रकाश बजारी : आपने किया वह हमें नहीं करना है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मान लीजिए कि हमने कुछ नहीं किया, मैंने कहा कि आज राजनैतिक बात बिलकुल नहीं करनी चाहिए...

श्री विष्णुप्रकाश बजारी : उपदेश क्यों दे रहे हैं?

श्री भंवरलाल शर्मा : उपदेश नहीं दे रहा हूं मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि यह मेरा उपदेश या रिक्वेस्ट अच्छी नहीं लग रही है तो थोड़ी देर आप बाहर पधार जाइये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि आज देश के राष्ट्रपति से लेकर साधारण कार्यकर्ता भी इस बात से चिन्तित है और इस बात को स्वीकार करते हैं कि शिक्षा के द्वारा हम जिस प्रकार की प्रगति, जिस प्रकार से देश का निर्माण करना चाहते हैं, जिस प्रकार से हमारे देश का विकास होना चाहिए था, जिस प्रकार के व्यक्ति निर्मित होने चाहिए थे, जिस प्रकार की पर्सनेलिटीज खड़ी होनी चाहिये थीं वह हम नहीं कर सके हैं। शिक्षा का अर्थ है, विद्या का अर्थ है 'विद्या ददाति विनयम्'। विनयम, विनम्रता-अगर

(श्री भंवरलाल शर्मा)

शिक्षा के बाद भी विनम्रता नहीं है तो वह शिक्षा, शिक्षा नहीं है। अगर शिक्षा आयेगी तो विनम्रता आना जरूरी है और यदि विनम्रता आयेगी तो देश का नैतिक जीवन पवित्र होगा. देश भक्त पैदा कर सकेंगे और हमारा देश ऐसे लोगों के आधार पर दुनियां में सबसे श्रेष्ठ स्थान पर पहुंच सकता है। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य केवल साक्षर ज्ञान देना नहीं है, पुस्तकीय ज्ञान देना नहीं है। अगर विद्यार्थी सच्चा मानव नहीं बन सकेगा, उसमें वह ज्ञान नहीं आ सकेगा जो कि एक मानव के लिए आवश्यक है, एक देशभक्त के लिए आवश्यक है तो मैं यह मानूंगा कि हमारी शिक्षा का जो उद्देश्य है, शिक्षा का जो काम है वह अधूरा है। यदि हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्यता का, मानवता का निर्माण करना है तो फिर कुछ बातों की ओर ध्यान देना होगा। किन बातों से मानव बनता है? मानव किन संस्कारों से बनता है वह संस्कार हमको देने को व्यवस्था करनी होगी। हमारे विद्यालय केवल स्कूल चलाने और शिक्षा देने के केन्द्र नहीं होने चाहिए बल्कि वह संस्कार देने के केन्द्र होने चाहिये। हमारे बालक जब विद्यालयों में जाकर विद्याध्ययन करें और उसके बाद जब वह बाहर आयें तो बहुत ही संस्कारिक, देशभक्त और सुसंस्कृत व्यक्ति बनकर बाहर आयें। इस प्रकार की शिक्षा के केन्द्र जब तक नहीं होंगे तब तक चाहे हम अक्षर का ज्ञान करा दें या कुछ करा दें लेकिन जिस प्रकार के लोगों का हम निर्माण करना चाहते हैं वह हम नहीं कर पायेंगे। इसलिए जो ऐसे पवित्र स्थान हैं उनके संचालन में, उनकी व्यवस्था में जिस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाये इन सब बातों की ओर बहुत गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सारा देश चिन्तित है, जिस प्रकार की शिक्षा पद्धति आज हमारे देश में चल रही है उसको हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं लेकिन साथ ही यह धारा भी सामने आ रही है कि कौन सी शिक्षा हम देश के लोगों को दें। इस पर बड़े-बड़े लोगों ने विचार भी किया है, चिन्तन भी किया है लेकिन हमारे देश की आजादी के 38 साल बाद भी हम इस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं कि हमारे देश के लिए कौनसी शिक्षा पद्धति ऐसी होगी जो कि हमारे देश को आगे ले जा सकेगी। यह काम अभी हमें करना होगा। मैं, माननीय मंत्री महोदय, आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बजट तो पास होगा लेकिन आपको इस बात पर विचार करना चाहिए कि हमारे प्रदेश में किस प्रकार की शिक्षा चलायें जिससे हम हमारे देश को प्रगति पर ले जा सकें, हम अच्छे नागरिक बना सकें। उसके लिए विचार आपको करना चाहिए। लेकिन अब हमारे इन संस्कारिक केन्द्रों का कौन संचालन करता है? अध्यापक करता है। इन सब बातों को, हमारी कल्पनाओं को पूरा करने का यदि कोई माध्यम है तो हमारे शिक्षक हैं। यदि शिक्षक ही अपमानित रहेंगे, प्रताड़ित रहेंगे और समाज में उनका सम्मान नहीं होगा, उसको अपने जीवन निर्वाह के लिए चिन्ता करनी होगी और उसके लिए जूझना पड़ेगा, उसमें यदि क्षोभ रहेगा तो वह देश के बालकों को ठीक से आगे नहीं ले जा

(श्री भंवरलाल शर्मा)

सकेगा। इसलिए अध्यापकों के लिए यह करना होगा कि तुम्हारी सारी चिंताओं की सरकार की ज़िम्मेदारी है आप केवल बालकों को शिक्षा दो, इनका विकास करो। उनको यह कहा जाये कि तुम्हारे सामने जो दिक्कतें हैं वह हम दूर करेंगे। आज हमारे शिक्षक भी इस प्रकार की बात नहीं सोचते और कई बार तो शिक्षक भी यही कहता है कि मुझे मिलता क्या है, आप मुझे देते क्या हैं और जब आप मुझे वेतन ठीक नहीं देते, मेरी उदरपूर्ति नहीं होती है तो देश के निर्माण की कल्पना करना आपके लिए उचीत नहीं होगा। इसका मैं एक उदाहरण रखना चाहता हूं। एक स्कूल में एक अध्यापक था वह GIRL (गर्ल), जिसका मतलब हिन्दी में लड़की होता है उसको गिरल पढ़ाते थे। गर्ल नहीं बोलते थे गिरल GIRL गिरल बोलते थे। एक दिन वह अध्यापक छुट्टी पर थे तो प्रधानाध्यापक जी क्लास लेने के लिए आ गये। जब बच्चों ने उसका प्रोनाउन्स किया 'गिरल' तो उन्होंने कहा कि गिरल क्या है यह तो गर्ल है। तो उन्होंने कहा कि हमारे अध्यापक तो गिरल पढ़ाते हैं आप गर्ल कहते हो। दूसरे दिन जब वह अध्यापक पुनः आये...

श्री अध्यक्ष : जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा दिया।

श्री भंवरलाल शर्मा : वैसा ही पढ़ा दिया उन्होंने। तो जब अध्यापक जी आये तो बच्चों ने कहा कि आप तो हमको गिरल पढ़ाते थे और प्रधानाध्यापकजी ने कहा कि गर्ल है यह। तो अध्यापक भी बड़े पशोपेश में आ गया। तो वह तो अध्यापक था, उसने रास्ता निकाल लिया कि देखो भाई, बात यह है कि वह तो थे प्रधानाध्यापक और उनकी और मेरी तनख्वाह में कितना फर्क है। तो वह तो बोलेंगे इसको गर्ल और मुझे जितनी तनख्वाह मिलती है इसमें गिरल ही पढ़ाऊंगा। मुझे प्रधानाध्यापक की जितनी तनख्वाह मिलेगी तो मैं भी गर्ल ही पढ़ाऊंगा। तो यह जो दृष्टिकोण है इसको बदलना होगा। वह अध्यापक है तो, कैसी भी समस्यायें होंगी, कुछ भी होगा लेकिन देश का भविष्य उसके हाथ में है। उसको आपको ठीक से चलाना होगा। साथ ही साथ यह सरकार की जिम्मेदारी है कि इस प्रकार के काम में लगे लोग राजनीति का शिकार नहीं होने चाहिए। वह आर्थिक संकट में हैं, उनको और भी कोई संकट हैं उनको मिटाने का दायित्व सरकार का होगा। दुर्भाग्य से वह हम नहीं कर पा रहे हैं और यही कारण है कि जगह जगह असन्तोष है। अध्यापक हड़ताल करते हैं। विद्यार्थी हड़ताल करते है, यह तो समझ में आता है लेकिन अध्यापक हड़ताल करते हैं यह समझ में नहीं आता है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपके जमाने में नहीं करते थे क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा : आपके जमाने से केरी फार्वड हुआ था। तो जो माल सम्भलाया था हमको वह तो वह माल था, जो माल हमारा नहीं था। अगर हड़ताल करते थे तो क्या आप उसको एप्रीशियेट करते हैं?

(श्री भंवरलाल शर्मा)

तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, चाहे जमाना किसी का भी हो। आप हमारे ढाई साल के जमाने को बराबर याद करते हैं। 32 साल तो पहले के और 4 साल अब के, उसको क्यों नहीं याद करते हो ?

(व्यवधान)

वह भी बताऊंगा। आप उठकर मत चले जाना। आप बड़ा उपदेश देते हैं। विरोध में बैठते हैं तो केवल आप हमारे विरोध की बातें करते रहते हैं। अभी क्या कह रहे थे आप ? ढाई साल राज हमने किया उसकी तारीफ कर रहे थे। अब तो सरकार में भी नहीं हैं फिर भी आप क्रिटिसिज्म कर रहे हो और जनता सरकार की बात करते हो...

(व्यवधान)

आपने मुझे छेड़ दिया, जनता सरकार ने जो निर्णय लिया था वह तो यह था कि शिक्षा के क्षेत्र में असन्तुलन है उसको ठीक किया जाय। ठीक करने का तरीका क्या है। सबसे पहले श्रीमान् भैरोंसिह जी शेखावत की सरकार ने यह फैसला किया था कि अब जो भी स्कूल खोले जायेंगे वे राजनैतिक आधार पर नहीं खोले जायेंगे, वे जनसंख्या के आधार पर खोले जायेंगे। उस समय यह तय किया गया था कि....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कोई आधार ही नहीं था उस समय।

श्री अध्यक्ष : बैठ जायं, माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर।

एक माननीय सदस्य : ये कह रहे हैं कि हमारे भैरोंसिह जी ने यह किया, वह किया। क्या किया आपने ? देश का भट्टा बैठा दिया आपने।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : अब बोल चुके आप ?

तो माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उस समय तय किया गया कि जहां 400 की आबादी होगी वहां बिना भेद-भाव के प्राइमरी स्कूल खोल दिये जायेंगे। जहां दो हजार की आबादी होगी वहां उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठे-बैठे न बोलें, माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा : जहां तीन हजार की आबादी होगी, वहां माध्यमिक विद्यालय खोले जायेंगे। यह निर्णय किया तो भैरोंसिह जी शेखावत की सरकार ने किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इस बात के पक्षपाती हैं कि नहीं ? यह हुआ कि नहीं हुआ, आपके क्षेत्र में स्कूल खुले या नहीं खुले ? जिसकी कभी कल्पना नहीं थी इस आधार पर खुले कि नहीं ? आप निष्पक्ष हैं और आप हमारे सबसे ऊपर हैं।

श्री अध्यक्ष : हमारा तो निश्चित चुनाव क्षेत्र ही नही है। कहां की बात कर रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, वह तो आज नहीं है लेकिन जनता सरकार के समय तो जो आपका चुनाव क्षेत्र रहा होगा उसमें इस प्रकार की व्यवस्था से स्कूल खुले या नहीं खुले ? यह रिकार्डेड बात है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बाधा न पहुंचाये। उनको अपनी बात कहने दीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय पंडित जी, आपकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं इस योजना के अन्तर्गत जो स्कूल खुले उनका प्रपोर्शन देख लीजिये। जोधपुर में जनता सरकार आने से पहले केवल 38 स्कूल हैं जिनमें राजाओं के राज के शामिल हैं और अंग्रेजों के राज के भी शामिल हैं उसके बावजूद 38 स्कूल हैं, और शिक्षा मंत्री खेतसिंह जी भी रह चुके हैं। वहां हमने 36 स्कूल और खोले हैं। 30 साल का राज आपका,और 30 महीने का राज हमारा। इसी प्रकार गंगानगर में 45 स्कूल थे, केवल 45, हमने 56 स्कूल और नये खोले हैं। उन 45 स्कूल में अंग्रेजों के राज के आ भी गये और जो 32 साल राज कर चुके हैं उनके भी आ गये। सवाईमाधोपुर में 44 स्कूल थे, केवल मात्र 44 जहां के शिक्षा मंत्री मेम्बर बन गये रेवेन्यू बोर्ड के, शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और जनता पार्टी के राज में इस योजना के अन्तर्गत 43 स्कूल और खोले। पहले के 44 और जनता सरकार के ढाई साल के राज में 43 स्कूल। इसी पकार पाली में केवल 35 स्कूल थे, हमने 30 स्कूल और खोले। ये कुछ उदाहरण हैं जो आपको समझने चाहिये। इसलिये मेरा यह निवेदन है स्कूल खोलने में...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : भीलवाड़ा में उस समय आपने आदेश रद्द किये थे।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, यह भी आपने अच्छा याद दिलाया। हमने क्या किया जब आपकी सरकार जाने लगी....

(व्यवधान)

सुने, जब आपकी सरकार दिल्ली में गिर गई और आपकी अपनी जाने लगी, आप रवाना होने लगे तो आपने तुरत फुरत में आर्डर निकाल दिये कि ये स्कूल खोले जायेंगे। श्रीमन्, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उससे पहले भी आप राज कर रहे थे, तब आपकी स्कूल खोलने की गति क्या था ? चार साल में 11 स्कूल खोले गये, चार साल 11 अपग्रेड किये गये। चार साल में केवल मात्र 11 स्कूल अपग्रेड किये गये थे। अपग्रेड में चार साल में केवल 11 स्कूल अपग्रेड हुए और जब जाने लगे तो 300 स्कूल। वाह भाई,

(श्री भंवरलाल शर्मा)

वाह ! बड़ी चिन्ता लगी आपको, चार साल में 11 स्कूल अपग्रेड किये और जाने लगे तो X X X

(व्यवधान)

और फिर मैंने स्कूल इसलिये रोके कि अब जो स्कूल खुलेंगे वह राजनैतिक आधार पर नहीं खुलेंगे। क्षेत्र के विकास और जनसंख्या के आधार पर खुलेंगे। जनसंख्या के आधार पर जो आ गया, वह खुल गया और जो जनसंख्या के आधार पर नहीं आया वह नहीं खुला। बोलो, अब कुछ नहीं है बोलने को। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में आप जो भेदभाव करते हैं वह ठीक नहीं है। नये स्कूल खोले हैं, उसके बारे में भी आप सुन लीजिये। अभी लिस्ट मिली है वह तो खुले ही नहीं और जो भी खोल रहे हैं वह भी दुखी होकर खोल रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : हायर सैकण्डरी स्कूल कितने खोले थे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : इसकी तो योजना ही नहीं थी। अगर नहीं खुले तो किसी जगह नहीं खुले। उसमें भी निष्पक्ष रहे हैं। योजना नहीं है तो आप क्या करेंगे ? शिक्षा मंत्री जी, आप शिक्षा मंत्री होकर यह पूछ रहे हैं। यह आप पूछ रहे हैं क्या ? और कोई छोटे-मोटे बात करते तो बात थी।

अब जयपुर जिले की बात बताता हूं, जो भेदभाव की बात करते हैं। जयपुर जिले में अभी आपने उच्च प्राथमिक विद्यालय 83-84 में 70 खोले हैं।

(व्यवधान)

एक उदाहरण से समझ में आ जायगी आपके। इसमें दो स्कूल तो ऐसे खुले हैं, एक तो आलरेडी चल रहा था, पहले से ही चल रहा था माननीय रामकिशोर जी के क्षेत्र में। एक नम्बर बढ़ाने के लिये वहां स्कूल खोल दिया। जो आलरेडी चल रहा है और उसका नाम है घूमना। वह माडा योजना में चल रहा था, पर आपने खोला इसको—

श्रीमती कमला : आपको नहीं मालूम वह बदल भी दिया। यह तो माड़ा योजना वालों ने भेजा था इसलिये खोल दिया था वरना....

श्री भंवरलाल शर्मा : एक तो यह संख्या बढ़ा दी। ठीक है, गलती हो सकती है मैं इससे मना नहीं करता। एक स्कूल तो वह खोला, जो आलरेडी खुला हुआ था। एक स्कूल भिन्डरावाला में खोला कहीं उधर चल रहा होगा भिन्डरावाला का नाम, क्योंकि वह नाम ज्यादा चल रहा था। यह है कहां, भिन्डरावाला ? वह तो स्वर्ण मन्दिर में बैठा है। तो जो 70 स्कूल खोले उस 70 में से दो गये, रहे 68। अब 68 में से 52 तो खुले कांग्रेसी क्षेत्रों में, यह

X X X अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

बात निष्पक्षता को बता रहा हूं और 16 स्कूल....

(व्यवधान)

आपको तकलीफ क्या है। आपने खोले हैं या हमने खोले हैं....

(व्यवधान)

माना, माना, यह भी ठीक है....।

श्री अध्यक्ष : बातें न करें, माननीय सदस्य ।

श्री भंवरलाल शर्मा : तो इन्होंने 52 स्कूल खोले हैं जो कांग्रेसी क्षेत्रों में हैं। 16 स्कूल खोले हैं जो विरोध पक्ष के लोगों के क्षेत्रों में हैं। अब आप इसको बांटिये तो कांग्रेस (आई) के 11 एम०एल०एज० हैं जिनके क्षेत्र में तो 52 स्कूल हैं और विरोधी दल के 8 हैं जिनके क्षेत्र में केवल 16 स्कूल खोले हैं। एक एम०एल०ए० को दोदिये और आपने 11 को 52 दिये हैं तो यह कौन-सी निष्पक्षता है आपकी ?

श्रीमती कमला : म्हाने तो खोलनो ही बन्द कर दियो।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं नहीं, वह तो मैंने बताया है-न, वह तो आपने दिये नहीं थे। उसका जवाब मैं दे चुका हूं।

श्री हेमाराम चौधरी : हमने तो खोलने ही बन्द कर दिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : देखो भई, आप हमको बड़ा उपदेश देते हो कि साहब हम बोलते हैं तब आप सुनते नहीं हो। विरोध की बात को सुनने का साहस चाहिए, सहन शक्ति चाहिए, हिम्मत चाहिए। फिर वह किताब खोलो न उपदेश वाली दो मिनट के लिए।

श्री हेमाराम चौधरी : हमने मान लिया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री हेमाराम, बैठे-बैठे ही बातें नहीं करें। यह अपने नियमों के विरुद्ध हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : और जब मैं खड़ा हूं तब तक खड़े होकर भी नहीं कह सकते।

श्री अध्यक्ष : आप आसन को सम्बोधित करेंगे।

श्री हंसराज शर्मा : इन्होंने तो नियमों का पालन किया है। परिवार नियोजन में भी दो से ज्यादा नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा : पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो रहा मिडल का। अब प्राइमरी स्कूल की बात बताऊंगा जो शिक्षा की प्रारम्भिक स्थिति है वहां आपने क्या किया। 1983-84 में जो स्कूल खोले हैं उसका एक चार्ट है, एक सूची है। सत्र

(श्री भंवरलाल शर्मा)

1983-84 में जिला स्तर पर खोले गये प्राथमिक विद्यालयों की सूची के अनुसार कोटा जिले में एक स्कूल प्राइमरी खोला है । कोटा जिले में केवल एक स्कूल प्राइमरी खोला है । पूरे जिले में एक ।

श्री जयदेवप्रसाद इन्दौरिया : एक ही एम०एल०ए० हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : और जो आपका भीलवाड़ा है इस भीलताड़ा में 5 खोले हैं । कौन-सा जिला बड़ा है ?

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : भीलवाड़ा ।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, इनके हिसाब से तो भीलवाड़ा बड़ा है । इनके हिसाब से तो भीलवाड़ा बड़ा है तो आपके दिमाग में तबाहय है कि भीलवाड़ा बड़ा है । जनसंख्या कोटा की ज्यादा है, शिक्षा की आवश्यकता ज्यादा है लेकिन क्योंकि वहां के मुख्य मंत्री हैं, उनका जिला है तो उनको खुश करने के लिए यह भेदभाव कोटा में एक । और यही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर जिले का तो इसमें नाम ही यहीं है ।

श्री अध्यक्ष : आपको कोई ऐसी वैसी लिस्ट मिल गयी होगी ।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, ये मुझे करेक्ट करेंगी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । कई सूचियां निकली हैं, स्कूल खोलने की इसलिए आपको ज्ञान नहीं है । भीलवाड़ा में 5 मुझे कुछ जंची नहीं....

श्री भंवरलाल शर्मा : नही जंची न' साहब, आपको भी । आपको नहीं जंची । यह कम है या ज्यादा लगते है ? ज्यादा होने चाहिए ?

श्री अध्यक्ष : मुझे आशंका है कि ज्यादा खोले है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ज्यादा खोले हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : ज्यादा होने चाहिए थे भीलवाड़ा में ।

एक माननीय सदस्य : 5 के आगे बिन्दी लगाना भूल गये ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी बात का समर्थन किया । आपको 5 कम लग रहे हैं ज्यादा होने चाहिए भीलवाड़ा में और कोटा में एक....

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : एक से ज्यादा हैं...

श्री भंवरलाल शर्मा : भाई साहब, प्राइमरी....

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : आपके पास सारी सूचना गलत है।

श्री रामसिंह विश्नोई : आपको कैसे भ्रम हो गया ऐसे ही। एक एक जिले में 50 हैं।

श्री सी. पी. जोशी : आप यह लिस्ट से बोल रहे हैं ?

श्री रामसिंह विश्नोई : आपको जानकारी नहीं है, सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : कोई गुमराह नहीं कर रहे हैं। आप तो गुमराह हो ही नहीं रहे हो न।

श्री रामसिंह विश्नोई : भीलवाड़ा जिले में कम से कम सौ स्कूल खुले हैं। आपको मालूम तो है नहीं, कैसे बता रहे हो आप। आपके कोटा में खुले हैं। सिटी की बात करो न, सिटी का मामला है।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय मन्त्री महोदया, जब आप अपना वक्तव्य दें तो मुझे आप करेक्ट कर दीजियेगा। मैं सूची को ठीक कर लूंगा। अभी तक जो सूची प्राप्त हुई है उसके आधार पर मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप शिक्षा मन्त्री रह चुके हैं आपको कम से कम यह तो ध्यान होना चाहिए, इतने स्कूल जब खुले हैं तो एक जिले में इतने कैसे आयेंगे। यह आपके पास सूची गलत आ गयी।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं खुद ही आश्चर्य कर रहा हूं न। मैं इसको स्वीकार ही नहीं कर रहा हूं। यह साइक्लोस्टाइल्ड है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : अब कोटा में 300 की आबादी वाला एक ही गांव बचा हो तो बात दूसरी है। इसमें कोई भेदभाव नहीं बरता गया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं इसमें कहीं आपत्ति नहीं कर रहा। अगर यह बात सही हो तो माननीय मन्त्री महोदया यहां बैठी हैं, जिन माननीय मन्त्री महोदया की आप वकालत कर रहे हो, वह खुद ही खड़ी होकर कहती कि यह मेरी सूची गलत है। वही कह दें। हां तो वह बाद में हो जायेगा। तब तक आप शान्ति रखिये।

एक माननीय सदस्य : बार बार कैसे कहोगे ?

श्री भंवर लाल शर्मा : तो तेरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सब बात को करने का, कहने का अर्थ केवल यही था कि शिक्षा जगत में आप कम से कम राजनीति को न लायें। बहुत क्षेत्र पड़े हैं वहां आपको जो कुछ करना हो सो करिये लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था करके आप यह करना

(श्री भंवरलाल शर्मा)

चाहते हैं तो लोगों में असन्तोष पैदा होता है, फिर अध्यापकों में भी असन्तोष होता है और फिर जो बालक हैं वह भी तो इस प्रकार का आचरण देखते हैं। उनको आप नैतिक शिक्षा देने की, उनमें नैतिक स्तर लाने की बात करते हैं तो यह कैसे सम्भव हो सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इस बात के लिए निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपा करके, भगवान के लिए इस शिक्षा जगत में तो आप राजनीति मत लाइये। राजनीति के लिए और बहुत से क्षेत्र हैं उनमें राजनीति करते रहिये। यदि अपना प्रदेश पीछे रह गया, यदि हर क्षेत्र में शिक्षा पूरी नहीं मिली, कुछ क्षेत्र राजनीति के कारण उपेक्षित रहे तो, माननीय मन्त्री महोदय, यह बहुत बड़ा अभिशाप, पाप आपके माथे लगेगा। यह तो मुझे जानकारी है कि आप ट्रान्सफर्स के मामले में अकेली तो कुछ नहीं करती हैं, आप अकेली तो ट्रांसफर्स के मामले में कुछ नहीं करती हैं लेकिन....

श्री रतनलाल ताम्बी : स्पष्ट नीति है।

श्री भंवर लाल शर्मा : स्पष्ट नीति है वह तो मालूम है क्या है। लेकिन जैसा माननीय भैरूंलाल जी भारद्वाज यह कह रहे थे, जो एम०एल० ए० जागरूक होगा उसको ज्यादा स्कूल देंगे। ज्यादा स्कूल वह ज्यादा जागरूक एम०एल०ए० थे इसलिए दे दिये। कल माननीय खेत सिंह जी से जब चर्चा कर रहे थे तो कह रहे थे, तो किसी ने कहा कोटा में हैल्थ सेन्टर की संख्या इतनी ज्यादा है। तो बोले मेरे होते हुए इतनी बड़ी संख्या में कोटा में कैसे खुल जायेंगे, वहां नहीं खुल सकते। यह इस बात का द्योतक है कि जो विरोधी लोग जीतकर आये हैं उनके क्षेत्र में जनहित के काम करने में भी आपका राजनीतिक दृष्टि-कोण रहता है। मैं समझता हूं, कम से कम शिक्षा जगत को तो माफ करो आप। अगर आपके मन में यह है कि आप करे बिना रह ही नहीं सकते....

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा संस्थाओं को राज-नीति के अड्डे बनाकर खास तौर से आर० एस०एस० ने शाखाएं खोलकर आप लोगों ने राजनीति स्कूलों में डाली है। हमने तो उनको उल्टा बन्द किया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें। बाधा न पहुंचायें। कृपया उनको अपनी बात कहने दीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : तो मेरा निवेदन है कि अगर आप शिक्षा जगत में राजनीति से परे नहीं हो सकते हैं तो कृपा करके यह विभाग किसी दूसरे को दे दीजिए जो निष्पक्ष होकर चला सके और हम इस प्रदेश को शिक्षा के माध्यम से ऊंचा ले जा सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विभाग में जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उनका उल्लेख मैं अभी नहीं करूंगा इसलिए नहीं करूंगा कि मेरे से बाद में बोलने वाले लोगों ने इसका अध्ययन किया हुआ है, जब उनका समय आयेगा तो वह इस बात को रखेंगे। मैं कुछ बातों की ओर जरूर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री भंवरलाल शर्मा)

कालेज शिक्षा का जहां तक सवाल है इसमें जो सबसे बड़ा संकट है, गड़बड़ हो रही है उसकी तरफ मैं माननीय कल्ला साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । विदेशों में जो किताबें छपती हैं वह किताबें हमारे देश में बिकने के लिए आती हैं । उनको रिमेण्डर के नाम से शायद आपके क्षेत्र में जाना जाता है । वह किताबें यहां आकर बिकती हैं और जो कालेज हैं उनकी लाइब्रेरी में पुस्तकें खरीदी जाती हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जहां से वह चलती हैं वहां से 55 रुपये में बेचने के लिए कान्ट्रेक्ट है, एक किताब 55 रुपये में बेची जायेगी । जब वह हिन्दुस्तान में आकर बिकती है तो यहां के जो विक्रेता हैं वह 55 रुपये की किताब का 220 रुपया चार्ज करते हैं । 55 रुपये की किताब 220 रुपये में यहां बिकती है ।

श्री अध्यक्ष : यह विदेशों से आती है क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा : रिमेण्डर । उसकी कम कीमत होती है और इसके लिए यह कहते हैं कि किसी काम की नहीं रहती है वह अधिक छप जाती है और जब वह वहां नहीं बिकती है तो यहां विदेश से भेजते हैं । वह भारत में भी आती है तो लाइब्रेरी में काम आती है । लाइब्रेरी में खरीदते समय उनकी कीमत तो है 55 रुपये लेकिन 220 रुपये लेते हैं, 42 रुपये है उसकी कीमत 240 रुपये चार्ज करते हैं, 80 रुपये कीमत है उसके 350 रुपये यहां चार्ज करते हैं । तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से कहूंगा कि यह जो लूट है इसको तो कम से कम रोकिये आप । इसके लिए शिक्षा विभाग से भी एक सक्यूलर निकाला है पिछले दिनों, 200 रुपये से ज्यादा की कीमत की किताबों को खरीद के लिये आप डिपार्टमेन्ट से पूछिये । कुछ रायडर्स लगाये' यह पूछिये कि इसको कितने में खरीदा गया, कौन सी पुस्तक है । आप उनका कठोरता से पालन करवायें तो ही इस स्थिति को रोक सकते हैं । वरना तो जन-जन का करोड़ों रुपये का खर्चा हर साल होता जा रहा है जो किसी के नोटिस में भी नहीं आता ।

फिर, माननीय अध्यक्ष महोदय, दो तरह की पुस्तकें होती हैं । एक अजिल्द और एक सजिल्द होती हैं । अजिल्द यानि बिना जिल्द की किताब और जैसे इसकी जिल्द बंध हुई है तो सजिल्द । आर्डिनरिली इसको सब समझते हैं । इनकी प्राइस का फर्क देखिये आप । अगर कोई व्यापारी अजिल्द बेचेगा, बिना जिल्द की किताब बेचेगा तो उसका 45 रुपये चार्ज करेगा, बिना जिल्द की किताब के 45 रुपये चार्ज करेगा और अगर उसकी जिल्द बांधकर बेचेगा तो वह 45 के बजाय 125 रुपये लेगा । केवल जिल्द बांधने के बाद 45 रुपये की किताब 125 रुपये में बेचता है । तो माननीय अध्यक्ष महोदय यह लूट नहीं तो क्या है । 45) रु. की किताब बिना जिल्द की और जिल्द बंध गई तो 45) रु. की किताब के 125) रु. लेंगे । इस प्रकार पुस्तकें खरीदी गई हैं । माननीय मंत्री महोदय, इसको तो आप रोकिये ।

फिर दूसरा क्या है, जो वेल्यू की जाती है पुस्तकों की तो देखते है उसमें पेजेज

(श्री भंवरलाल शर्मा)

कितने हैं। साधारणतया वह टैस्ट होता है पेजेज के आधार पर। लेकिन यहां पर जो हो रहा है वह यह हो रहा है कि पृष्ठ संख्या 200, पृष्ठ संख्या 273 है किसी पुस्तक की तो उसकी 25) रु० कीमत हो गई। कहीं पर 195 पृष्ठ ही हैं तो उसकी भी 25) रु० ही कीमत कर दी। यानि कोई इसका रेशनल आधार नहीं है। जिसकी मर्जी में आया, जिससे सौदा तय हो जावे उसकी कीमत ज्यादा, जिससे नहीं हो उसकी कीमत कम।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह बात आपके ध्यान में पहली बार नहीं आई होगी। पहले भी कोई लाया होगा। अगर नहीं लाया तो डिपार्टमेंट कैसे चला रहे हैं? यह आपको सोचना होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो यह लूट मच रही है इसको तो तुरन्त रोकें।

श्री अध्यक्ष : आपने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए थे? उन कदमों से लाभान्वित करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : ऐसा है कि यह बात अभी बाद में चली है। हमारे सामने यह बात नहीं आई थी और न उस समय ऐसा हो रहा था। अगर हो रहा था तो आप मुझे बता दें। अगर हो रहा था तो आप, अध्यक्ष महोदय, यह बात पूछ लीजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : स्पेसिफिक कोई कालेज में इस तरह का मामला हुआ हो तो हमें उसका हवाला दे दें, हम जांच करवा लेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप तो केवल इतना करिए कि जो शिक्षा विभाग में....

(व्यवधान)

माननीय मंत्री महोदय....

श्री बुलाकीदास कल्ला : सीधी खरीद होती नहीं है। सब प्रिंसिपल गुणावगुण के आधार पर पुस्तकें खरीदते हैं। इसकी कमेटी बनी रहती है।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय मंत्री महोदय, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग ने निर्देश निकाला है अभी 1983 में ही, इसकी आप पालना करवा दीजिए। अगर आप पालना करवा देंगे तो यह सब गड़बड़ियां, ये सब बातें रोकी जा सकती हैं। अगर इसका पालन नहीं होगा, इसको आप लापरवाही से लेंगे तो यह सब काम होते रहेंगे। इसलिए आपके ध्यान में मैं इस बात को लाया हूं। अगर आप समझते हैं कि इस पर ध्यान देना चाहिए तो आप जरूर दीजिए। अगर आप समझते हैं कि जो पुराने जमाने में चलता था, हमने ध्यान नहीं दिया उसी तरह से चलता रहने देना चाहिए तो भारद्वाज जी से सलाह ले लीजिए। हम कोई बात आपके ध्यान में लायेंगे....

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : अगर उस पर ध्यान नहीं दें....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय भारद्वाज, आप बैठ जावें। अंकित नहीं हो।

श्री भंवरलाल भारद्वाज :XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय भारद्वाज बैठ जावें, कृपया ।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसी प्रकार से पिछली बार आप बिल लाये थे विधान सभा में, जब दुबारा आयेगा तब उसके बारे में विचार होगा लेकिन एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं । आप सलेक्शन में क्या करते हैं । उदयपुर विश्वविद्यालय में सलेक्शन हुआ था प्रोफेसर साहब का कामर्स डिपार्टमेंट में । इस कामर्स डिपार्टमेंट में सलेक्शन तो था एक प्रोफेसर का और एक्सपर्ट कौन आया ? एक रीडर साहब आये । सलेक्शन है प्रोफेसर का और एक रीडर उसका सलेक्शन करने आये । वह भी कहां के ? बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के । तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं यह उदाहरण दे करके कि यदि इस प्रकार कालेजों में, विश्वविद्यालयों में सलेक्शन होंगे, केवल अपने मन चाहे लोगों को बुला करके एक्सपर्ट के नाते अगर सलेक्शन कराते रहेंगे तो न तो आप शिक्षा, जिस प्रकार की शिक्षा पद्धति आज हो रही है, में सुधार कर पायेंगे, न विद्यार्थी पढ़ सकेंगे । मैं समझता हूं कि बड़ा कठिन होगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो अपने पास में स्कूल है यहां विकलांग...

श्री अध्यक्ष : मुन्शी प्रेमचन्द प्राथमिक शाला के ही अध्यापक थे ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इस प्रतिभा का कोई आदमी हो. वैसे उस समय तो डिग्रियां थी ही नहीं, ये तो बाद में बनी हैं डिग्रियां । अगर आप....

श्री अध्यक्ष : उस वक्त थीं डिग्रियां ।

श्री भंवरलाल शर्मा : बहुत थोड़ी थीं । अगर आप, मान लीजिए, इस बात को मानते हैं, इस बात को एग्री करते हैं कि रीडर भी आकर प्रोफेसर का चयन कर आवे तो ....

श्री सी. पी. जोशी : कामर्स में भी अलग-अलग विभाग हैं । कामर्स है, मार्केटिंग है, बैंकिंग है....

श्री भंवरलाल शर्मा : यह मैं बता दूंगा । सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, रीडर सलेक्शन करेगा एक प्रोफेसर का ।

श्री सी. पी. जोशी : You are ex-Education Minister. You should have informed the House.

श्री अध्यक्ष : रीडर यह तो कह सकता है कि इसकी जानकारी मेरे से अच्छी है इसलिए यह प्रोफेसर हो सकता है ।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रोफेसर के सलेक्शन में रीडर नहीं आ सकता ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं केवल यह बात आपके ध्यान में और माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में, ही नहीं सदन के

X X X माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

ध्यान में लाना चाहता हूं। आप जवाब देते समय कह दीजिए कि इसके अलावा और कोई योग्य व्यक्ति नहीं था जो सलेक्शन कर सकता था चाहे उसकी क्वालीफिकेशन कोई भी हो यह तो नए प्रेमचन्दी पैदा हो गए, जैसा माननीय अध्यक्ष महोदय कह रहे थे। यह बता देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं....

(व्यवधान)

अपने पास में जो स्कूल है जहां हम अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं, वहां एक योजना शुरू की थी कि विकलांग लोगों को ट्रेनिंग दी जावे। उनको आर्थिक सहायता भी दी जाती थी। एक स्कूल चल रहा था यहां, अच्छी तरह से चल रहा था और आस-पास के विकलांग लोग उसमें आया करते थे। अब क्योंकि राज बदल गया तो इसकी चर्चा हो गई। यह तो हवामहल क्षेत्र में है, हवामहल क्षेत्र में विकास की योजना और विकलांगों की योजना कैसे हो गई। केवल इसलिए कि मेरे क्षेत्र में वह न रहे, विरोधी एम.एल.ए. के क्षेत्र में वह नहीं रहे, दरबार स्कूल, जो किशनपोल क्षेत्र का जो स्कूल है, में इस योजना को ले गए। मैं पूछना चाहता हूं, इसके पीछे क्या उद्देश्य था। विकलांग विद्यार्थी इस एरिया के आस पास के लोग हैं- जिनको चलने में दिक्कत है, आने जाने में दिक्कत है, बिना मदद के आ नहीं सकते, उनको आप तीन किलोमीटर दूर, चार किलो मीटर दूर ले जा करके क्या करना चाहते हैं, जब आप जवाब दे तो बताइये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा जगत में कृपा करके यह भेदभाव मत करिये।' आप निष्पक्ष रहिये। यह शिक्षा का काम ऐसा ही है। केवल आप उन बच्चों को परेशान करने के लिए हैं क्योंकि वह किसी विरोधी के क्षेत्र में रहते हैं, या तो वह जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या वह मेरे क्षेत्र में रहते हैं, अड़ोस-पड़ोस के क्षेत्र के होंगे। इन दोनों क्षेत्रों के विद्यार्थी लाभान्वित नहीं हों और केवल उनको परेशानी पैदा हो इसलिए आपका क्षेत्र है, आप उसमें स्कूल ले जायं, इस प्रकार की, मैं समझता हूं, अच्छी परम्परा नहीं होगी। इसको अच्छी बात भी नहीं कह सकते। कोई शब्द नहीं है जिसमें इसकी भर्त्सना की जाय।

तो माननीन मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन सब बातों पर विचार कीजिए। आपने पिछली बार यहां यह बात कही थी कि अध्यापक हम कैसे भर्ती करें यह तो कोर्ट में चले जाते हैं फटाक से ही और वहां से स्टे ले आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, अगर आप अन्याय करेंगे, अगर आप उनकी बात नहीं सुनेंगे, किसी के अधिकारों पर कुठाराघात करेंगे, तो उनके पास कौन सा तरीका है। न्यायालय के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आपने कहा कि न्यायालय में ज कर फट से स्टे ले आते हैं, ऐसा नहीं है। आप काम ही ऐसा करते हैं कि न्यायालय उसको फट स्टे दे दे। इसके लिए एक उदा-

(श्री भंवरलाल शर्मा)

हरण पेश करना चाहता हूं। आपने, अध्यक्ष महोदय, थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन के लोगों को सैकंड ग्रेड में प्रमोशन देने के लिए कार्यवाही की। उसके लिए आपने विज्ञप्ति निकाली। विज्ञप्ति निकाल कर यह तय किया कि 23-2-83 तक जिनको फार्म भरने हैं वह फार्म भर दें। अब विज्ञप्ति जब निकली तो डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट को ही भेज दी आपने। विज्ञप्ति अखबारों में देनी चाहिए। नियमों में यह प्रावधान है कि यदि किसी प्रकार की सीधी भर्ती आप किसी अध्यापक की या किसी पोस्ट पर करना चाहते हैं तो सब लोगों को बताइये। आम जनता को सूचित करिये कि हम यह प्रमोशन करने जा रहे हैं या अपाइन्टमेंट करने जा रहे हैं, यदि इसके लिये आपको प्रार्थना पत्र देना हो तो दे दीजिए। आपने यह नहीं किया तो फिर लोग न्यायालय में चले गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, ताज्जुब तो इस बात का है कि आपने इसको ठीक प्रकाशित नहीं किया इस कारण से लोग वंचित रह गये और इसी बात को लेकर लोग कोर्ट में चले गये और कोर्ट ने स्टे दे दिया। स्टे देने के बाद मुकदमा चला और यह होल्ड किया कि इस प्रकार की सूचना दिए बिना आपने जो रिक्रूटमेंट किये हैं वह अवैध हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति रह गया था उसको भी अन्त में इस निर्णय के बाद चांस मिला और वह सलेक्ट हो गया। यह तो रही लाइब्रेरियन की बात। चलिये, यह बात यहीं समाप्त हो गई, कोई बात नहीं। अब आपको भर्ती करने थे कामर्स के अध्यापक तो आपने वही हरकत फिर की। किसी को सूचना नहीं दी, कोई विज्ञप्ति नहीं निकाली जब कि सरकार के नियम यह हैं और डिपार्टमेंट का निर्देश यह है कि जो अपाइन्टमेंट करने वाली अथोरिटी है उसको ठीक प्रकार से विज्ञप्ति प्रकाशित करनी होगी तभी सलेक्शन हो सकेगा। वह आपने नहीं किया। तो जैसे ही आपने कामर्स के अध्यापक के सलेक्शन की बात की, बिना किसी को बताये, बिना लोगों को सूचित किये तो फिर कोर्ट में चले गए। उन्होंने कहा, साहब, यह अन्याय हो रहा है, मेरा हक मारा जा रहा है, कोर्ट ने उसको स्टे दे दिया। कामर्स में हुआ, साइंस में हुआ। लगातार कोर्ट के निर्णय के बाद भी कि इस प्रकार की विज्ञप्ति आवश्यक है, इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन्स हैं, ये रूल्स बने हैं, रूल्स में भी यह प्रावधान है, रूल 16 के तहत इस प्रकार का प्रकाशन करना अत्यन्त आवश्यक है। इन सब को ताक में रख करके यदि आप मन चाहे लोगों को भर्ती करने के लिए, मन चाहे लोगों को लगाने के लिए ऐसी हरकत करेंगे तो न्यायालय के अलावा और रास्ता बचता ही क्या है? इसलिए न्यायालय ने स्टे दे दिया। स्टे देने के बाद आपको अगर जल्दी थी तो आप तुरन्त जवाब पेश करते। आज तक आप जवाब पेश नहीं कर रहे हैं। आप डिले कर रहे हैं, आप तारीख पर तारीख लिये जा रहे हैं। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, इधर तो कोर्ट से स्टे हो गया, टीचर्स का अपाइन्टमेंट नहीं हुआ। विद्यार्थी बिना टीचर्स के, बिना अध्यापकों के इस प्रकार की परिस्थिति में पड़े हुए हैं। इसके लिए और कोई दोषी नहीं है सिवाय इसके कि आपका डिपार्टमेंट इस बात के लिए दोषी है। अगर आपने

(श्री भंवरलाल शर्मा)

इस बात की भूल भी की कि आपने विज्ञप्ति नहीं निकाली तो ईमानदारी से इस बात को आप कह दीजिए कि हमारे नियमों का पालन नहीं हो सका हम इसको ठीक कर लेते हैं, तो अपान्इमेंट हो जाता। लेकिन आप न तो जवाब पेश करते हैं, न इस भूल का सुधार करते हैं, इसलिए सारे अपाइन्टमेंट अभी तक रुके पड़े हैं। एक तो बी. काम. था उनको ले लिया इसलिए तो बी.काम. वालों के रुके पड़े हैं। एक साइंस वाले को ले लिया तो साइन्स वाला रुक गया।

(3.00 म. प.)

इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कानूनी भूलें हैं....

श्री अध्यक्ष : इससे तो वह व्यवस्था ज्यादा अच्छी थी कि एम्लायमेंट एक्सचेंज से नाम आ जायं और उनमें से सलेक्शन कर लिया जाय।

श्री भंवरलाल शर्मा : जी हां। लेकिन जो न्यायालय से स्टे दिया, मेरा निवेदन है कि इस बात को प्रतिष्ठा का सवाल न बनायें, भूल हुई आपसे, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि बिना विज्ञप्ति आपने अपाइंटमेंट्स किये हैं वह निरस्त किये जायं। इसके बावजूद भी इसको लिगर आन करते रहेंगे तो न तो आपके कामर्स के टीचर लगेंगे, न साईंस के लगेंगे और न क्राफ्ट के लगेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस गुत्थी को तुरन्त सुलझाइये तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

इसी प्रकार आपने एक व्यवस्था और नई की है उसका जरा स्पष्टीकरण करें। जो क्राफ्ट के, उद्योग के विद्यार्थी हैं, आपने उनकी परीक्षाएं लेना बन्द कर दिया। क्राफ्ट और उद्योग के जो विद्यार्थी हैं उनकी सैकण्डरी बोर्ड परीक्षा नहीं लेगा। उनके जो अध्यापक हैं उनके असेसमेंट के नाम पर, उनके कहने पर वह पास कर दिये जायेंगे। इसका अर्थ क्या होगा? विद्यार्थियों में जो कला सीखने की प्रेरणा है इन्डस्ट्री के विभिन्न कार्य सीखने की प्रेरणा है, वह समाप्त हो जायेगी। विद्यार्थी केवल अध्यापक के अंकों पर पास हो जायेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि यह व्यवस्था आपने किस कारण से बन्द की है, यह तो समझा दीजिये कोई कठिनाई आपके सामने आ गई या इसमें विद्यार्थियों का विकास रुक रहे हैं तो भी समझ में आ जायेगा। यदि ऐसा नहीं है तो इस बात को चालू करिये ताकि परीक्षाएं तो हों कम से कम, उसको यह तो मालूम हो कम से कम कि परीक्षा फेस करनी होगी तो निश्चित रूप से वह तैयारी करेगा, गुण सीखेगा। काहे में आपने परीक्षा से मुक्त किया है? कला और उद्योग में। इसमें तो प्रेक्टिकल और होने चाहिये। प्रेक्टिकल की तो अलग बात है आपने इसकी परीक्षाएं ही समाप्त कर दीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग पर, मैं समझता हूं, 3-4 दिन डिबेट चले तो भी बोला जा सकता है, लेकिन जो कुछ मेरे मन में पीड़ा थी, जो मैं समझता था उन थोड़ी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो शिक्षा जगत, शिक्षा विभाग, अच्छी तरह से चल सकेगा। इसमें कोई भी सहयोग

(श्री भंवरलाल शर्मा)

हमारा चाहेंगे, बिना किसी भेद-भाव के सहयोग करने के लिये तैयार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, आपने जो समय दिया उसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : रानी लक्ष्मी कुमारी।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव है कि राज्य सरकार को कोई सांस्कृतिक नीति नहीं होने के कारण हम दिशा भ्रम हो गये हैं इसलिये राज्य सरकार एक सांस्कृतिक नीति बनाये। मैं जोर देकर कहना चाहती हूँ कि हम केवल सांस्कृतिक रास्ते से भटके ही नहीं है, हम दिशाहीन हो गये हैं। इसलिये सांस्कृतिक नीति का बनाया जाना निहायत आवश्यक है। इसमें दो राय नहीं, राज्य सरकार चाहती है कि साहित्यिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में विकास किया जाय इसके लिये कुछ कदम भी उठाये गये हैं। अभी इन्हीं कुछ वर्षो में सांस्कृतिक मन्त्रालय की स्थापना भी की गई है। राजस्थानी साहित्य, संस्कृत, हेतु भाषा अकादमी की स्थापना भी की गई। इसी प्रकार दूसरे क्षेत्र में जैसे टोंक में अरवी फारसी शोध संस्थान भी कायम किया गया है, ढूंढाड़ी कलाकृतियों का एक म्यूजियम भी हवामहल में लगाया गया है। ऐसे एक नहीं अनेक कदम सरकार ने उठाये हैं। लेकिन यह सब होते हुए भी शायद हमारा यह दुर्भाग्य रहा है कि हम संस्कृति की दिशा में भटक गये हैं। वल्कि मैं यह कहूँगी कि हमारे राजस्थान की संस्कृति की एक परिष्कृत रुचि है वह परिष्कृत रुचि गायब होकर विकृति की की ओर बढ़ गई है। इसलिये हमारे सामने दो प्रश्न आ जाते हैं....

श्री अध्यक्ष : यह तो संसार भर में ही चल रहा है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : हां, आपका फरमाना ठीक है, अध्यक्ष महोदय, लेकिन संसार में कई मुल्कों ने जिस तरह संस्कृति को संजोकर रखा है उसी तरह पुराना दुनियाँ पर विचार किया जाता है इसके भी उदाहरण दुनियाँ में एक नहीं अनेक हैं। विभिन्न चीजें जो नष्ट हो गई थीं उसको उसी रूप में प्रस्तुत किया है। अध्यक्ष महोदय, सवाल यह नहीं, मैं निवेदन करना चाहूँगी कि दो प्रकार का आक्रमण हमारी संस्कृति पर हुआ। एक तो समय के अनुसार चीजें भी बदलती चल रही हैं उसके अनुसार हम प्राचीन धरोहर को भूलते जा रहे हैं विस्मृत करते जा रहे हैं और वह नष्ट होती जा रही हैं और दूसरा आक्रमण नये प्रकार का शुरू हुआ है वह है इसमें विकृति लाने का। भूल जाना और बात होती है और अपने हाथ से विकृति ले आना और बात है। मैं उस सम्बन्ध में ज्यादा कहना नहीं चाहूँगी क्योंकि आप इस बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ इस विषय पर वाले चुके हैं मैं उनको दोहराना नहीं चाहूँगी, लेकिन हम कहां भटक रहे हैं उसके 2-3 नमूने आपके सामने पेश करना चाहूँगी। इसमें दो राय नहीं कि हमारी शिक्षा का प्रसार बहुत हुआ है। अनेकों, सैकड़ों, हजारों स्कूल, कालेज हमने कायम

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चून्डावत)

कर दिये हैं, लेकिन यह बात जरूर हमें माननी पड़ेगी, श्रीमती कमला जी हमारी जो आजकल शिक्षा पद्धति है वह ऐसी है कि उसके कारण हम अपनी जड़ों पर नहीं चल पा रहे हैं, बल्कि हम उस ओर से विमुख होते जा रहे हैं। आज की शिक्षा पद्धति के कई फायदे हैं। कई लोग ऊँचे-ऊँचे विद्वान निकले हैं लेकिल दो बातें हो सकती है जो हमें नुकसान पहुँचाती है। एक तो आज की शिक्षा पद्धति का असर पड़ रहा है। जो लड़का स्कूल में 8-10 वीं तक पढ़ जाता है वह अपने घर के काम काज के लायक नहीं रहता, उसे अपने घर का काम करने में शर्म आती है। वह कोई हाथ का काम नहीं करेगा। जो डिग्निटी आफ लेबर होता है, आज की शिक्षा पद्धति में डिग्निटी आफ लेबर पर क्वेश्चन मार्क है। भले ही किसी लड़के के माता-पिता अच्छा हुनर जानते हो, काम कर रहे हों और उसमें कमाई भी अच्छी हो लेकिन वह लड़का उस धन्धे जो कुछ भी हो या कला को हाथ में न लेकर केवल बाबूगिरी की तरफ या मास्टरी की तरफ जाता है। एक सबसे बड़ा नुकसान हमारी आज की शिक्षा पद्धति का यह है। दूसरा नुकसान यह है...

श्री रामसिंह विश्नोई : राजस्थानी में बोलिये।

श्री अध्यक्ष : आपको भी अवसर देंगे, माननीय सदस्य।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : आप मुझे बोलने दीजिये। आप खुद ही बोल लें, बोलना चाहें तो।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : और दूसरा नुकसान हमारा यह हो रहा है कि हमारे स्कूल और कालेज में पढ़े हुए लड़कों में अपनी भाषा से, अपने साहित्य से, अपनी कल्चर से एक प्रकार का इन्फीरियारिटी काम्पलेक्स पैदा हो जाता है, इन्फीरियारिटी काम्पलेक्स से दब जाते हैं और अपनी भाषा साहित्य और कल्चर से अलग हो जाते हैं। अपने राज्य के प्रति, अपनी परम्पराओं के प्रति गौरव से सिर ऊँचा उठा कर नहीं चलते। यह आज हमारी शिक्षा पद्धति की त्रुटियां हैं।

शिक्षा जगत में कालेज में, हाई स्कूल में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते है उनकी ओर भी मैं आपका ध्यान खींचना चाहती हूँ। यह जो कार्यक्रम होते हैं इनका असर पड़ता है और पूरे राज्य पर असर पड़ता है। हर एक गाँव में स्कूल खुल चुके हैं जहाँ किसी हाई स्कूल मे सांस्कृतिक प्रोग्राम होते है, तो जो गाँवों के टीचर वहाँ होते हैं वह उसको गाँव-गाँव तक ले जाते हैं। जो इस प्रकार के प्रोग्राम हमारे स्कूल, कालेजों मे होते है, राजस्थानी भाषा या संस्कृति का कोई कार्यक्रम पेश करते हैं तो उसे इस ढंग से पेश करते हैं कि उसमें गाँव वाले को, या किसी का पार्ट होगा तो वह विदूषक के ढंग का होगा, क्लाउन के ढंग का होगा। उसमें अदब की बात नहीं होगी, राजस्थानी कल्चर नहीं होगी। हर बात देखने से हंसी की बात हो जाती है, इसमें डिग्निटी जैसी कोई भी बात नहीं होगी। राजस्थानी भाषा में राजस्थानी कल्चर वाला प्रोग्राम किया जायेगा तो डिग्निटी वाला नहीं होगा। उसे इस ढंग

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत)

से करेंगे कि लोग सोचते हैं, यह × × × का तमाशा हो रहा है, गाँडू लोगों की बातें हो रही हैं। इससे बच्चों पर अच्छा असर नहीं पड़ता। उनमें एक इन्फीरियारिटी कम्पलेक्स पैदा होता है। अभी मुझे कई स्कूलों के कल्चर प्रोग्राम मे जाने का मौका मिला, उन्हें देख कर हैरान हो गई। एक तो सड़ा सा गीत आजकल स्टेज पर बैठ कर गाते हैं, वह हमारे स्कूल, कालेजों के सांस्कृतिक कार्यक्रम का शायद ट्रेडिशनल सांग हो गया है—

म्हूं तो रह ग्यो कुंवारो टाबरियो

कद खिलाऊं हालरिया........

बड़ी मुझे शर्म आई।

श्री अध्यक्ष : हां, बड़ा कमजोर गीत है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : अध्यक्ष महोदय, कमजोर का सवाल नहीं है। 8वीं क्लास के बच्चे गाते हैं, 15-20 मिनट तक म्हूं तो रह गये कुंवारो टाबरियो, कद खिलाऊं हालरियो। अपने फैमिली प्लानिंग की आप खुद मजाक उड़ाते हैं, कब मेरी शादी होगी और कब बच्चे खिलाऊंगा ? इतने खुले और भद्दे शब्दों में गाते हैं कहना चाहिये कि कोई भाषा का स्तर नहीं, कोई कल्चर का स्तर नहीं, मिडल स्कूल के, हाई स्कूल के, प्राइमरी स्कूल के बच्चे ऐसा गीत गाते हैं। हमारी ऐसी सांस्कृतिक नीति है इसके ऊपर विचार हो कि किस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होने चाहिये, कैसी बातें रखी जानी चाहिये, कैसी भाषा रखी जानी चाहिये और किस प्रकार की चीजें उसमें नहीं आनी चाहिये। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी सांस्कृतिक नीति कायम की जाय।

आपका जो माध्यम है—टी. वी. और रेडियो, जो इन पर गाया या बजाया जाता है वह चारों ओर सीखते हैं, उसी प्रकार की रुचि पैदा होती है और इस तरह का मोड़ लेते हैं। मुझे अफसोस है कि कुछ वर्षों में जिस तरह से रेडियो पर गाने आते हैं उसी ट्यून के आधार पर गाने गाये जाते हैं। रेडियो पर अच्छे-अच्छे आर्टिस्ट गाने वाले हैं परन्तु वह भी अब गिनती के रह गये हैं। मुझे अफसोस है कि जिन लोगों को हम स्टेण्डर्ड के आर्टिस्ट मानते थे एक-दो को छोड़कर वे भी सस्ते गाने रेडियो पर गाने लगे हैं। वे सोचते हैं कि इस प्रकार हमारी वहाँ पर मांग बढ़ेगी, हमें पैसा मिलेगा। इस प्रकार रेडियो के द्वारा भी एक बड़ा चीप टेस्ट लोगों में क्रियेट कर दिया गया है। उसको रोका जाना निहायत जरूरी है। परिष्कृत हमारे जो स्टेण्डर्ड के गाने थे, जिनमें अदब था वह सारे के सारे खतम हो गये। मेरा निवेदन यह है कि आल इण्डिया रेडियो और टी. वी. में एक एडवाइजरी मेम्बर हमारे सांस्कृतिक मंत्रालय के जाने चाहिये। वह उनको राय दें, सलाह दें। रेडियो वालों की नीयत पर मुझे कोई शक नहीं है और न टी. वी. पर शक करती हूं। खास बात यह है कि वहाँ पर जो लोग

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

बैठ कर काम कर रहे हैं उनको जानकारी नहीं है। दूसरे जो वहाँ का स्टाफ है उसका यहाँ के कल्चर से कोई लगाव नहीं है। वे समझते नहीं है इसलिये जैसी भी टूटी फूटी चीजें आती हैं वे उसमें ठूंस देते हैं। इस वजह से जो कई प्रकार के ड्रामा होते हैं उनमें हमारी जो परिष्कृत रुचि थी वह विकृति की ओर जा रही है। उसे आज संभाल लेना निहायत जरूरी है। ऐसे ही जिस प्रकार की आजकल फिल्में होती हैं वह वैसा ही बच्चों पर बुरा प्रभाव डालती है लेकिन राज्य सरकार के पास इसको रोकने का उपाय नहीं है। आज की फिल्मों में हम क्या देखते लूट, डाका, खून, बलात्कार। होता क्या है। इससे हमारी नयी पीढ़ी के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अगर सांस्कृतिक मंत्रालय चाहे, उसे करना भी चाहिये, जो ऐसी फिल्में बनाने वाले हैं उनके द्वारा ऐसी फिल्में, जो राजस्थान की संस्कृति के ऊपर आधारित हो, बनायी जा सकती हैं। कई राज्य ऐसे हैं, जो ऐसी फिल्म बनाने वालों को आर्थिक सहायता देते हैं और कुछ कर की छूट वगैरह भी देते हैं। इस प्रकार यहाँ भी किया जा सकता है।

मेरा निवेदन दूसरा यह है कि इस समय सरकार को राजस्थान की सांस्कृतिक नीति बनाने के लिये एक कमीशन कायम करना चाहिये। इस कमीशन में जो लोग संस्कृति के जानकार हों, जिनका संस्कृति के प्रति लगाव हो, वे मिल कर अपनी रिपोर्ट तैयार करें और गहराई के साथ जो हमारी अलग-अलग आंचलिक कलाएं हैं, हुनर हैं, संस्कृति है, उसका अध्ययन करें। अलग अलग अंचलों के रिप्रेजेन्टेटिव से वार्तालाप करें। गहन अध्ययन के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिये ताकि उसके आधार पर हम आगे बढ़ सकें। किस प्रकार उनका विकास किया जा सकता है आने वाले जमाने को देखते हुए, इस प्रकार की एक प्लानिंग, एक नीति निर्धारित होना अत्यन्त आवश्यक है। जिस प्रकार दूसरे विषयों पर कमीशन बने हैं, नमूने के तौर पर अपना एग्रीकचर कमीशन है, अंग्रेजों के वक्त में 1928 में लिन लिथगो की चेयर मैनशिप में एग्रीकलचर कमीशन बना था उसने बहुत सुन्दर ढंग से नीति निर्धारित की थी। उसके बाद अभी सेन्टर ने एग्रीकल्चर कमीशन बनाया उसके चेयरमैन हमारे नाथूराम मिर्धा थे उन्होंने विस्तृत अध्ययन किया, उस कमीशन में अच्छे अच्छे विशेषज्ञ थे उन्होंने 7–8 वाल्यूम में जो रिपोर्ट पेश की है उसकी केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी प्रतिष्ठा है। जो उन्होंने इस तरह की नीति तैयार की है उसके आधार पर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, उसके अनुसार चल रहा है तो क्यों नहीं इस प्रकार की एक सांस्कृतिक नीति निर्धारित करें।

संस्कृति बड़ी गहन है, व्यापक है। आज जिन मुल्कों में हब्शी लोग हैं वह भी यह देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि हम कहां से आये हैं। जिनके पास अपनी कल्चर या संस्कृति, अदब, तहजीब नहीं है वह भी इसकी जानकारी प्राप्त करना चाहते

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत)

हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारी संस्कृति सैकड़ों साल पुरानी है। अदब, तहजीब, तालीम जो कुछ हमारे पास थी उसको भी हम भूलते जा रहे हैं और इस तरह से फेंकते जा रहे हैं शायद अपने घर के कूड़े-कचरे को भी इस तरह से नहीं फेंकते होंगे। यह एक बड़ी चीज है इस संस्कृति को कायम रखना, इसे समझना और आज के युग के अनुसार ठीक ढंग से चलाना। आपका फरमाना ठीक है कि समय के साथ प्रभाव पड़ता है। समय के साथ संस्कृति में तब्दीली आती है. बदलापन आता है। ऐसा नहीं है कि उसी लाइन पर चलें, स्थायी कुछ नहीं है लेकिन हम किस तरह से बदलें ? हम अपनी संस्कृति को जिस ढंग से आजकल देख रहे हैं, जिस प्रकार की संस्कृति लोगों के सामने आ रही है उससे तो हम बरबाद हो जायेंगे। जितने हम ऊंचे थे उतने हम रसातल में पहुंच जायेंगे। मेरा निवेदन है, शिक्षा मंत्रीजी चली गयी हैं, जो नीति निर्धारण का सवाल है वह बहुत कुछ उन्हीं के ऊपर डिपेण्ड करता है।

इसके साथ साथ मैं एक-दो पाइन्ट अपने यहां के और रखना चाहूंगी। जैसे सांस्कृतिक मंत्रालय यहां कायम किया गया है उसमें बहुत कुछ दिया गया है। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान और ऐसी ही संस्थाएं उसमें हैं। कुछ अकेडेमी हैं, जो भाषा से सम्बन्धित रही हैं, उनको शिक्षा विभाग में रखा गया है। मेरा सुझाव है कि इनको सांस्कृतिक मंत्रालय में दिया जाना निहायत जरूरी है। शिक्षा जगत, शिक्षा विभाग एक महान् समुद्र है इस महान् समुद्र में इन चारों छोटी-मोटी मछलियों का पता नहीं लगता है। इनको अलग मंत्रालय में दे दें ताकि इनके ऊपर जम कर कामकाज किया जा सके।

मेरा दूसरा निवेदन है, इस समय कुछ क्षेत्रों में काम हो रहे हैं। मैं प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान का जिक्र करना चाहूंगी। एक समय था जब इसका नाम था। इसने बहुमूल्य काम किया है। जब तक मुनि जिन विजय जी रहे तब तक यह बहुत ही आगे बढ़ता रहा। उसके बाद गोपाल लालजी बोहरा रहे उन्होंने भी मुनि जी के पद-चिन्हों पर काम किया लेकिन आजकल कुछ वर्षों से बिलकुल सुप्तावस्था में प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान पड़ा हुआ है। कुछ पुस्तकों के नव संस्करण प्रकाशित हुए हैं। ठीक है। डिंगल के ग्रन्थों के भण्डार भरे हुए हैं लेकिन उन ग्रन्थों की ओर बिलकुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर राजस्थान में हम अपनी प्राच्य भाषा डिंगल पर ध्यान नहीं देंगे तो आखिर देंगे तो किस पर ? बोहराजी ने मुनि जी के जाने के बाद कुछ काम किया था। मुझे अफसोस है कि इस प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान में आज न तो डिंगल का जानकार, विद्वान रहा और न ही इस प्रकार की पुस्तकों को हाथ में लिया जा रहा है। केवल केटेलॉग बन रहा है। जैसे दूसरे दफ्तर चलते हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आरचीज्व और प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान मुर्दा दफ्तर की तरह चल रहे हैं। जैसे दूसरे दफ्तर खानापूर्ति करते रहते हैं उसी तरह से यह खानापूर्ति कर देते हैं। मन्त्री महोदय कहेंगे, हमने वहां पर एयर कन्डीशन प्लान्ट लगाया है, हमने वहां पर वह मशीन लगायी है, हमने

Page No 156

(156)

(श्रीमती लक्ष्मीं कुमारी चूड़ावत)

उसके लिये इतने रुपये दिये हैं। आप ठीक कहते हैं, लेकिन मैं आप से निवेदन करूंगी कि जिस उद्देश्य के लिये यह संस्था बनी है, उसकी पूर्ति के लिये अपने को आगे बढ़ना है, उसकी प्राप्ति करना ज्यादा आवश्यक है। उपकरणों की जरूरत है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगी कि आप उनके काम का इवेल्यूएशन आँकड़ों के आधार पर नहीं करें कि इतने लाख खर्च किये यह किया, वह किया। यह इवेल्यूएशन का गलत तरीका है चाहे आपका विभाग हो, चाहे दूसरा विभाग हो। हमें इवेल्यूएशन करना चाहिये उनकी उपलब्धियों के आधार पर कि उपलब्धि क्या हुई, किसी चीज की उपलब्धि है।

इस विषय पर निवेदन करने को तो बहुत कुछ किया जा सकता है लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जो विकृत और चीप टेस्ट हो रहा है उसको बन्द कर दिया जाये अगर बन्द किया जा सके। आल इण्डिया रेडियो के लिये एक एडवाइजरी कमेटी बना दी जाये, टेलीविजन के लिये भी एडवाइजरी कमेटी बना दी जाये। इसके लिये अपना सांस्कृतिक मन्त्रालय जोर दे यह राजस्थान की संस्कृति का सवाल है। हमारे यहां की संस्कृति के बारे में जो कुछ भी दिया जाये उसको आपके सलाहकार वहां जाकर उनको बता दें, देखें। एक ऐसी सांस्कृतिक नीति निर्धारित कर दी जाये जिसके आधार पर आने वाले वर्षों में चलते जायें। हमारी जो अकेडेमीज काम कर रही हैं उनके लिये नीति निर्धारित हो, उनको मार्ग दर्शन दें। आजकल जो अकेडेमीज चल रही हैं वह अपनी-अपनी ढपली और अपना-अपना राग अलाप रही हैं। इसके लिये जरूरी है कि उनके लिये एक नीति निर्धारित हो। जब कोई अच्छा प्रेसीडेन्ट, चेयरमैन आता है तब तो यह संस्थाएँ अच्छा काम करने लग जाती है. नहीं आता है तो प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की तरह मुर्दा हालत में ही पड़ी रहती हैं। उनके सामने कोई नीति नहीं है। यही मेरा नम्र निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री महाराम चौधरी।

श्री महाराम चौधरी : (नागौर) 275 करोड़ रुपये के आस-पास की मांग प्रस्तुत की गयी है ग्रामीण क्षेत्र में जो बालक हैं, जो जड़ है उन पर कितना खर्च किया जाता है। उनकी हमेशा ही थोड़ी बहुत अवहेलना की जाती रही है। इस कारण ग्रामीण क्षेत्र हमेशा ही पिछड़ा रहता है। शहरी क्षेत्र के अन्दर शिक्षा की जो प्राइवेट संस्थाएँ हैं वह भी इसमें संलग्न रहती हैं। आजकल कई प्राइवेट स्कूल में छोटे-छोटे बच्चों की भरमार हो गई है। उन पर यदि समय रहते पाबन्दी नहीं लगायी गई तो जो छोटे-छोटे बच्चे हैं उनमें ऐसे संस्कार डाल दिये जायेंगे कि मां-बाप का नाम वह बिगाड़ देंगे। आजकल तो बच्चों के नाम इस तरह से हैं जैसे पिंकी, टिनी, टिंकू इस तरह के नाम रखने शुरू कर दिये हैं....

श्री अध्यक्ष : आपके घर में तो यह बीमारी पहुंची कि नहीं।

श्री महाराम चौधरी : थोड़ी-थोड़ी है। बच्चों के नाम इस तरह के सुने तो मुझे अफसोस हुआ।

श्री अध्यक्ष : नये नाम आपके मुँह से पहली बार सुने हैं।

श्री महाराम चौधरी : मेरे खुद के घर पर सौभाग्य नहीं मिला है। मेरे सामने दीवान साहब रहते हैं उनके बच्चों के जब पुकारते हैं तब सुनता हूँ। मुझे डर है, ऐसे नाम कहते-कहते कहीं अपना खुद का नाम भी नहीं भुला दें। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि नाम के साथ-साथ संस्कार बिगड़ जायेंगे। बच्चों की पीठ पर बस्ता लगाकर स्कूल के लिए रवाना कर देते हैं, माँ बाप बस्ता उठाकर तांगे में रखते हैं। उनकी पीठ के पीछे बस्ता बांधते हैं। शायद उनकी यह इच्छा हो कि उनको कोई हमाल बनाना है तो अभी से इनकी पीठ पक्की कर दो। यह जो भी प्राइवेट संस्थाएँ हैं, उनको राज्य सरकार से जो ऐड दी जाती है वह ऐड मैं तो कहता हूँ, बन्द कर देनी चाहिए। उस ऐड का पैसा ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जो दूर-दूर बसने वाले हैं इनकी शिक्षा पर खर्च ज्यादा करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के अन्दर राजस्थान 1951 से पिछड़ा हुआ था। उस वक्त भी इसका आखिरी नाम था और आज 1981 का जनगणना को आधार मानकर चलें तो करीब 24 पर्सेन्ट शिक्षित लोग हैं। 24 पर्सेन्ट में से अगर यदि सही-सही प्रतिशत निकाला जाय तो ज्यादा शहरों के अन्दर हैं। जैसलमेर, बाड़मेर से मिलता क्षेत्र है, नागौर का जो पश्चिमी क्षेत्र है और आपका जो एरिया मिलता है तो सिर्फ 5–6 पर्सेन्ट लोग शिक्षित मिलेंगे जिस गति से कछुआ की चाल चल रहे हैं उस गति से अगर चलते रहे तो ग्रामीण क्षेत्रों की अवहेलना करते रहेंगे। वहाँ न तो शिक्षा का लाभ मिलेगा और न ही 80 पर्सेन्ट जनता के पैसे का कोई उपयोग होगा। अध्यक्ष महोदय, पूरे विकास के कार्यक्रमों में राजस्थान के बजट का 23 पर्सेन्ट शिक्षा में खर्च किया जा रहा है। उसमें से भी 80 पर्सेन्ट ग्रामीण क्षेत्रों की जनता है, 20 पर्सेन्ट निकालकर 80 पर्सेन्ट के हिसाब से शिक्षा का जो पैसा है वह ग्रामीण क्षेत्रों से लगाया जाय। शेष जो बचता है वह शहरी क्षेत्रों के अन्दर लगाया जाय। ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर अमूमन अध्यापकों के रिक्त स्थान पड़े हैं। इसमें भी वह पद रिक्त रह जाते हैं जो साइन्स बायोलोजी, मैथेमेटिक्स साइन्स मैथेमेटिक्स, बायोलोजी के हैं। जितने भी गाँव इस हैं, उनमें जो सैकण्डरी स्कूल, हायर सैकण्डरी स्कूल हैं उनमें 80 पर्सेन्ट खाली रह जाते हैं। पद खाली रहने से हमेशा यही होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा देने वाले मास्टर ही नहीं रहें तो लड़के क्या बनेंगे। यदि अध्यापकों के इन्टरव्यू होते हैं तो उस क्षेत्र के लिए मास्टर नहीं मिलते हैं। अक्सर यह जवाब आता है कि हमको यह विषय पढ़ाने के लिए कोई मास्टर मिलता नहीं है। इसके कारण से ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा की जड़ शुरू से कमजोर

(श्री महाराम चौधरी)

रह जाती है।

(3.25 म. प.)

(श्री सूर्य कुमार जैन, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, अभी 1981-82 में बढ़िया शिक्षा के नाम पर एक ढोंग रचा गया था। गाँवों के अन्दर टाट-पट्टी, सामग्री, पुस्तकालय, आदि देकर उसका नाम बढ़िया शिक्षा कर दिया। एक साल तो वह चला, केवल नाम-नाम ही चला। सभी जिला स्तर पर सामग्री खरीदी गयी पुस्तकें, फर्नीचर, टाट-पट्टी वगैर है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि नागौर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर जो बढ़िया शिक्षा के नाम पर सामान खरीदा गया वहसामान अव्वल में घटिया किस्म का खरीदा गया और घटिया किस्म का खरीद भी लिया गया तो उसको कमरे में बन्द करके रख दिया। जो फर्नीचर था वह सड़ गया उसका किसी तरह से कोई उपयोग नहीं हुआ। लिस्ट तो बनाकर दे दी कि बढ़िया शिक्षा के अन्दर इस क्षेत्र के इन-इन स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मिडल स्कूलों को चयनित कर दिया लेकिन चयन करने के बाद लिस्ट में नाम लिखने के बाद में उनको किसी तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करायी गयी। उसकी कोई चिन्ता नहीं लेकिन इस नाम पर पर जो पैसा खर्च किया गया उसका सदुपयोग नहीं हुआ और एक प्रकार से मैं समझता हूँ कि यह मामला भ्रष्टाचार में लिप्त रहा। सभापति महोदय, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा के नाम पर जो पैसा खर्च किया जा रहा है उसके ऊपर आप पूरी तरह से चिन्तन कर लें। शहर के अन्दर क्या पता प्रौढ़ शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा से लोग लाभान्वित होते होएँ, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जो प्रौढ़ शिक्षा चल रही है वह केवल नाम मात्र ही चल रही है। इस बात को मैं हमेशा से ही कहता आया हूँ। आज भी निवेदन करता हूँ दृष्टांत के लिए प्रौढ़ शिक्षा का जो कार्यक्रम नागौर जिले में है शिक्षा मन्त्री महोदय उसकी जाँच करवा लें और जाँच करवाने के बाद यह पता लगवा लें कि प्रौढ़ शिक्षा की जो क्लास लगती है, उसका पैसा भी जाता है, लालटेन का खर्च भी जाता है। वास्तव में गाँवो के अन्दर प्रौढ़ शिक्षा चलती ही नहीं, प्रैक्टिकल में कहीं नहीं चली और पैसों का मिस यूज हुआ है। मैं तो कहना चाहूँगा कि उसमें जो प्राइमरी के टीचर लगाये गये हैं उनको आधे पैसे मिलते हैं बाकी पैसा जो जिला स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा के अधिकारी हैं वे हजम कर जाते हैं। शिक्षा मन्त्री जी, याद करके नागौर जिले के प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी की आप निश्चित रूप से जाँच करवायें, मैं पर्सनली उस अधिकारी को जानता हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जब वे पंचायत समिति में थे उस वक्त दूध बेचने का कार्यक्रम उन्होंने चला रखा था। जब पंचायत समिति से दूध वितरण का कार्यक्रम खत्म हो गया तो उन्होंने यह देखा कि प्रौढ़ शिक्षा के अन्दर कोई पूछने वाला नहीं है इसलिए पोल पट्टी को चलने दो आधा पर्सेन्ट या 25 पर्सेन्ट या जितना भी देते हैं चलने दो। इसलिए मैं निवेदन करूँगा

(श्री मह्यराम चौधरी)

कि प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर गांवों के अन्दर जो पैसा खर्च किया जाता है वह पैसा प्राइमरी स्कूल, मिडल स्कूल के अन्दर अगर व्यय किया जाय तो बहुत ज्यादा उपयोगिता हो सकती है। सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जो मिडल स्कूल, संकण्डरी स्कूल, हायर संकण्डरी स्कूल हैं, वह शिक्षा की एक तरह से रूट हैं। वहां पर लड़के शारीरिक रूप से हृस्ट पुष्ट होते हैं, यदि खेल कूद के नाम पर उनको ठीक ढंग से गाइड किया जाय तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान का पूरी दुनिया के अन्दर नाम कमाया जा सकता है। खेलों के अन्दर हिन्दुस्तान कहीं पीछे नहीं रह सकता। बस थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है। पर ग्रामों के अन्दर प्राथमिक स्कूल, मिडल, स्कूल, हायर संकण्डरी स्कूल जितने भी हैं उनको खेलों के नाम पर शायद एक पैसा भी बजट में अलाट नहीं होता है। और अगर उनके लिये खेलकूद की व्यवस्था करना चाहें तो स्कूल में एड-मिशन फीस या अन्य कोई फीस लड़के से लेते है, उस तरह तो ली जाय। वरना ग्रामीण क्षेत्र में न तो पैसे इकट्ठे कर सकते हैं और न खेलकूद पर किसी तरह का खर्चा किया जा सकता है। खेलकूद के लिये क्योंकि खर्चा नहीं किया जा सकता है इसलिये मैं चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र को थोड़ा सा पैसा दिया जाय और उनके लिये खेलकूद की व्यवस्था की जाय। इसके साथ साथ जो खर्चीले खेल हैं, खो-खो और कबड्डी यह तो ठीक है, इनमें ज्यादा खर्चे की आवश्यकता नहीं है लेकिन कुछ खेल ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के लड़के अच्छी तरह से खेल सकते हैं, जो उनकी प्रकृति में भी है, स्वभाव में भी, उसके लिये ग्रामीण क्षेत्र के लड़कों को थोड़ी सहूलियतें दें, अच्छा पैसा दें। जैसे हाकी है, उसकी ट्रेनिग दें, हाकी दें तो बहुत अच्छा परिणाम हो सकता है, दुनिया भर में हमारे खिलाड़ी अच्छे साबित हो सकते हैं। वे इसको पूर्व समय से खेलते आये हैं, इसको आप एक तरह का संस्कार समझ लें। इसमें वे बहुत अच्छे कामयाब हो सकते हैं।

सभापति महोदय, आजकल का खेल है क्रिकेट, अंग्रेजी खेल है, लेकिन यह हमारे यहां पर पुराने रीति रिवाज से चलता आया है। बहुत से ऐसे खेल हैं जिनको कि ठीक ढंग से देखें तो वे सबके सब इन्टरनेशनल लेवल के खेल हो सकते हैं। जैसे गुच्ची लकड़ी का है यह खेल क्रिकेट से मिलता जुलता है। खड्डा खोदकर उसमें लकड़ी गाड़ देते हैं और एक जना लकड़ी लेकर खड़ा हो जाता है। जब दड़ी फेंकते हैं तो वह उसके टोरा लगाता है। ऐसे खेलों को गांवों के अन्दर प्रोत्साहन दिया जाय। गांवों के स्कूलों के अन्दर इसको बढ़ावा देने के लिये कार्यक्रम चलाया जाये तो आगे चलकर मैं समझता हूं कि क्रिकेट खेल के अन्दर गांव के लड़के सबसे आगे निकल सकते हैं।

सभापति महोदय, अब मैं शिक्षा के मामले के अन्दर आखिर में एक बात यह निवेदन करना चाहता हूं जिस तरह बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र का क्षेत्र है वैसा का वैसा क्षेत्र नागौर का है, करीब करीब यों समझ लें 2 हिस्से तो पूर्वी और दक्षिणी की तरफ

(श्री महाराम चौधरी)

का हिस्सा है, वह गांवों के समान है ऊपर उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र है वह बिल्कुल वैसा ही क्षेत्र है, बहुत बड़े रेवेन्यू विलेज हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े रकबे हैं। गांवों की पूरी सरहद के हिसाब से हर गांव एवरेज 20-25 किलोमीटर में बसा हुआ होता है। उसको देखते हुए उसको ध्यान में रखते हुए उन गांवों से थोड़ी दूरी पर अगर 300 की आबादी पर प्राथमिक स्कूल की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो जैसा कि हेमराज जी ने कहा, 500 की आबादी को 2 किलोमीटर की दूरी के अन्दर अगर प्राइमरी स्कूल नहीं देंगे तो ग्रामीण क्षेत्र के लड़के शिक्षा के अन्दर हमेशा पिछड़े हुए रहेंगे। प्रश्न यह आता है कि यह क्षेत्र पीछे क्यों रहे, ये पिछड़े ही क्यों रह गये ? इसका कारण यह है कि राजस्थान का दूसरा हिस्सा पूर्वी राजस्थान है, कोटा डिवीजन है, भरतपुर है उनके अन्दर आबादी बहुत ही घनी है, हमेशा से गहरी आबादी रही है, यानी लोग नजदीक नजदीक रहते हैं जब कि अन्य क्षेत्रों के अन्दर आबादी बहुत बिखरी हुई रहती है और कम भी रहती है। आबादी कम रहती है उसमें से भी पशुपालक अक्सर बाहर चले जाते हैं। इसलिये आज तक शिक्षण संस्थायें खोलने के जितने भी नार्म्स रहे हैं वे यह रहे हैं कि हम तो सबसे पहले पहले उस क्षेत्र के अन्दर कितनी जनसंख्या लाभान्वित होती है वह देखेंगे। सभापति महोदय, वहाँ की जनसंख्या बहुत कम है इसलिये वह हमेशा से शिक्षण संस्थाओं से महरूम रहते आये हैं। राजस्थान के दूसरे इलाकों को अलग रखकर पश्चिमी क्षेत्र के जितने भी गांव हैं, जितने भी क्षेत्र हैं उन गांवों के अन्दर जनसंख्या को आधार नहीं मान कर दूरी को मद्देनजर रखते हुए, दूरी को आधार मानकर शिक्षण संस्थायें खोलनी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं आपकी घंटी का इन्तजार ही कर रहा था।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि स्थान रिक्त नहीं रहें। शहरी व्यक्ति गांवों में नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि उनके लिये गांवों में आवास की व्यवस्था नहीं रहती है। मास्टर या अध्यापक वहाँ जाते हैं तो व्यवस्था ठीक ढंग से की जाय। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जहां पर मिडल स्कूल खोलें उस मिडल स्कूल के साथ कम से कम से कम तीन चार मास्टरों के लिये क्वार्टरों की व्यवस्था होनी चाहिए।

आपने जो समय दिया उसके लिये आपको धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री सी. पी. जोशी।

श्री सी. पी. जोशी : (नाथद्वारा) माननीय सभापति महोदय, शिक्षा कला एवं संस्कृति तथा पर्यटन की मांगों के सम्बन्ध में मैं अपनी बात प्रारम्भ करने से पूर्व माननीय शिक्षा मंत्री महोदया को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके प्रयास

(श्री सी. पी. जोशी)

से इस वर्ष प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय और विषय जितने राजस्थान में खोलने चाहिए थे वह खोलने का प्रोविजन बजट के अन्दर रखा। लेकिन मुझे कहते हुए दुःख है, माननीय सभापति महोदय, जहाँ पर राजस्थान की हर पंचायत समिति में एक कम से कम हायर सैकण्डरी स्कूल की सुविधा उपलब्ध है वहाँ कुछ पंचायत समितियाँ राजस्थान में ऐसी बच गयी हैं जहाँ पर एक भी हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं है। मैं भी जिस विधान सभा क्षेत्र का सदस्य हूँ वहाँ पर पंचायत समिति खमनोर में एक भी हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं है। मुझे जानकारी मिली है कि 12 पंचायत समितियाँ ऐसी हैं जहाँ पर एक भी हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं है, पंचायत मुख्यालयों पर नहीं है और पूरी पंचायत समिति में भी हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं है। मैं चाहूंगा कि माननीय शिक्षा मंत्री महोदया जी, जिन्होंने इतना उदारता से प्राथमिक विद्यालय खोलने के घोषणा की है, जब वे आज अपना भाषण दें तो निश्चित तौर पर घोषणा करें कि उन पंचायत समिति मुख्यालयों, जहां एक भी हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं है, पर निश्चित तौर पर हायर सैकण्डरी स्कूल खोल दिया जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, आप स्वयं इस बात को जानते हैं कि देश के शिक्षाविद् और राजनीतिज्ञ सभी समय समय पर शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन की बात करते हैं। मैं इस सम्बन्ध में सदन का विस्तृत ध्यान इसलिये आकर्षित नहीं करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्यों का स्वयं का अपना सोच है, स्वयं अपने क्षेत्र की समस्याओं के प्रति उनका मानस है। अपने बच्चों के अभिभावक होने के नाते उनको अच्छी शिक्षा देने के प्रति उनमें ललक है। इसलिये शिक्षा के जितने चिन्तित इस सदन में बैठने वाले माननीय सदस्य हैं, मैं समझता हूँ कि राजस्थान की सम्पूर्ण जनता भी निश्चित तौर पर उतनी ही चिंतित होगी। शिक्षा में केवल मात्र आमूल चूल परिवर्तन की बात कह कर मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। लेकिन इस बजट के अन्दर जो जो प्रोविजन हैं उन प्रोविजनों के अन्दर क्या क्या हो सकता है वह कहूंगा। मैं सबसे पहले प्रारम्भ करता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय श्रीमती कमला जी स्वयं किसान परिवार से हैं, वे इस बात को जानती हैं कि किसान परिवार की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। जब फसल को काटने का समय होता है उस समय फसल को अपने घर में लाने के लिये हर माँ बाप अपेक्षा करते हैं कि उसके बच्चे बच्ची उसकी मदद करें। पर दुर्भाग्य से या सौभाग्य से 30-35 साल बाद भी एकेडेमिक कलेंडर जो बना रखा है वह हमारे माँ बाप की आकांक्षाओं के विपरीत है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदया से अपेक्षा करूंगा कि वे स्वयं किसान परिवार से आयी हैं उनका किसान की समस्याओं के बारे में अनुभव है, किसान की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किसान अपने बच्चे बच्चियों से खेत में काम करने की अपेक्षा करता है, यदि हम उसको आधार मानें तो, सभापति महोदय, यह जो एकेडेमिक कलेण्डर जुलाई से प्रारम्भ होता है उसमें आमूल चूल परिवर्तन करने की फौरन आवश्यकता है और दो महीने की छूट्टी उस समय रखने की आवश्यकता है जबकि बच्चे बच्ची माँ

(श्री सी. पी जोशी)

बाप की आकांक्षाओं के अनुरूप खेत में काम कर सकें। मैं समझता हूं कि इस कार्यक्रम को लागू करने में आपका एक नया पैसा खर्च नहीं होगा। केवल एक मात्र एक पालिटिकल विल की आवश्यकता है। माननीय मंत्री महोदया में यह विल है वह हिन्दुस्तान में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगी इस बात का कि राजस्थान वह प्रांत है जिस प्रांत ने किसानों की नीड्स, उनकी परिस्थितियों को सामने रख कर शैक्षणिक क्षेत्र, जो जुलाई में प्रारम्भ होकर मार्च में खतम होता है है उसमें आमूल चूल परिवर्तन करके इस तरह का एकेडेमिक कलेंडर बनाया है जो किसान की आकांक्षाओं और उद्देश्यों को पूरा करे। मैं समझूंगा कि इस बारे में कोई [illegible] सम्मेलन बुलाने की आवश्यकता नहीं, बहुत बड़ी चिन्ता की आवश्यकता नहीं। सदन में बैठने वाले अधिकांश सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि इस एकेडेमिक कलेंडर में आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले ही कहा, मैं राजस्थान की शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन के लिये नहीं कहना चाहता।

मैं सुझाव के रूप में दूसरा निवेदन माननीय मंत्री महोदया को यह करना चाहता हूं कि वे इस बात को स्वयं समझें कि हम कहीं चार सौ सब्जेक्ट करें उससे राजस्थान की शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन होने वाला नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्दर जो जो सैकण्डरी स्कूल हैं, जिनमें केवल मात्र एक ही संकाय चल रहा है, मुझे जहां तक जानकारी है ऐसे सैकड़ों स्कूल होंगे जिनमें केवल मात्र कला की शिक्षा मिलती है, या विज्ञान की शिक्षा मिलती है या कृषि की शिक्षा मिलती है उनमें और संकाय खोलना भी हमारे पालिटिकल जन प्रतिनिधि की इच्छाओं पर निर्भर करता है। कम से कम एक व्यवस्था कर दें, राजस्थान का एक भी सैकण्डरी स्कूल ऐसा नहीं बचेगा जहां कम से कम दो संकाय के अन्दर शिक्षा इम्पार्ट नहीं होती हो। मैं समझता हूं कि इसमें बहुत बड़ी कोई ऐसी बात नहीं जिसे हम सोचें। माननीय मंत्री महोदय से यह अपेक्षा करूंगा वे यह घोषणा करें कि अगले वित्तीय वर्ष में राजस्थान के प्रत्येक ऐसे सैकण्डरी स्कूल, जिनमें केवल मात्र एक संकाय की एजूकेशन होती हे, में कम से कम दो संकाय की एजूकेशन होगा। ठीक उसी प्रकार यदि हम हायर सैकण्डरी को आधार मानें, सभापति महोदय, तो कुछ हायर सैकण्डरी स्कूल ऐसे हैं जिनमें केवल मात्र दो ही संकाय चल रहे हैं। आज जमाना इस बात का है कि आर्ट्स, साइंस, कामर्स एग्रीकल्चर ये चार सब्जेक्ट हों, कम से कम हायर सैकण्डरी लेवल पर तीन सबजेक्ट का प्रावधान कर दें कि हर हायर सैकण्डरी स्कूल में कम से कम तीन संकाय की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध होगी। मैं समझता हूं कि इसमें भी बहुत बड़ा खर्च राजस्थान का होने वाला नहीं है। मैं यह अपेक्षा करूंगा कि माननीय मंत्री महोदया इस बारे में सोचेंगी गभीरता से और इस तरह का निर्णय लेंगी जिससे कि राजस्थान की जनता की आकांक्षा और अपेक्षा की पूर्ति हो सके।

इस सम्बन्ध में मेरा दूसरा सुझाव है,

(श्री सी. पी. जोशी)

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय इस बात को जानती हैं जब प्राइमरी स्कूल अपग्रेड होते हैं मिडल स्कूल में तो एक साल तक केवल मात्र एक टीचर की हैड मास्टर की पोस्ट पर पोस्टिंग की जाती है। पूरे साल तक वहाँ पर शिक्षा विभाग एक भी टीचर नहीं भेजता है। इसलिये, माननीय सभापति महोदय, आप आज यह घोषणा कर दें कि अगले सत्र में हम एक हजार प्राइमरी स्कूल में से 600 प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड करेंगे तो 600 हैडमास्टर उपलब्ध करने का प्रोवीजन इसके साथ साथ हो जाना चाहिये। अगर यह प्रोवीजन नहीं कर पाते हैं तो बच्चों के साथ अन्याय है। पंचायत समिति का प्रधान, बी डी.ओ. पंचायत समिति मांग करती है कि हमारे टीचर को विथड्रा न करें। शिक्षा विभाग उनको टीचर नहीं दे पाते हैं और यहां यह घोषणा कर देते हैं कि हम 600 स्कूलों को अपग्रेड कर रहे हैं। इन दोनों बातों में सामंजस्य नहीं है। इसमें कोई वित्तीय बहुत बड़ा भार नहीं है। मैं चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय यह घोषणा करें कि कम से कम अगले साल जो 600 प्राइमरी स्कूल से मिडल स्कूल में अपग्रेड होंगे उन 600 प्राइमरी स्कूलों के अन्दर सैकण्ड ग्रेड के टीचर, जो वहाँ हैडमास्टर होते हैं और जो थर्ड ग्रेड शिक्षक की आवश्यकता होती है उनके लिये स्कूल खोलने के साथ-साथ फाइनेंशियल सेंक्शन निकाली जाय तब तो लोग शिक्षा का पूरा लाभ उठा पायेंगे। मैं यह बात इसलिये कह देता हूँ सभापति महोदय, पिछले सत्र मे जो स्कूल अपग्रेड होने चाहिये थे वे स्कूल आपने अपग्रेड किये दिसम्बर और जनवरी में जाकर। अब दिसम्बर और जनवरी में जाकर आपने स्कूल अपग्रेड कर दिये और शिक्षा विभाग टीचर नहीं पहुँचा पाये तो कैसे हम अपेक्षा करें कि जो आपकी घोषणा शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन की है वह आमूल चूल परिवर्तन की कहां सम्भावना है? इसलिये मैंने कहा कि हमारे जितने वित्तीय साधन उपलब्ध हैं उन वित्तीय साधन से पालिटिकल विल से यदि हम काम करना चाहें तो गुणात्मक परिवर्तन इस राजस्थान के अन्दर आ सकते हैं। इस दृष्टि से मैं चाहूँगा कि इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय कुछ निर्णय करें।

अब माननीय सभापति महोदय, आप स्वयं इस बात को जानते हैं कुछ टीचर का हर साल थर्ड ग्रेड से सैकण्ड ग्रेड में प्रमोशन होता है, कुछ टीचर का सैकण्ड ग्रेड से सीनियर ग्रेड में प्रमोशन होता है। हम इतना सोच लें कि हमारी प्रक्रिया में अगले साल चार सौ विषय खोलेंगे तो चार सौ जो जो सबजेक्ट खोलेंगे उन के लिये चार सौ सीनियर टीचर की हमको आवश्यकता होगी। डी. पी. सी. को जितने टीचर क्वालिफाई करते हैं उन टीचर्स की लिस्ट भी जून महीने में पब्लिश कर दें ताकि अमुक विषय खुलते जायेंगे तो अमुक टीचर नियोजित हो जायेंगे। मैं समझता हूँ कि इससे जो टीचर्स की माँग करते हैं और चार महीने तक सीनियर टीचर अवेलेबल नहीं होते हैं, वह अवेलेबल हो जायेंगे। इसमें वित्तीय साधन की आवश्यकता भी नहीं है कुल मिलाकर, माननीय

(श्री सी. पी. जोशी)

सभापति महोदय, मेरी माननीय मन्त्री महोदया से यह अपेक्षा है कि वित्तीय साधन के अनुसार केवल मात्र मैनेजमेंट ठीक कर लें तो हम शिक्षा में एक बहुत बड़ा गुणात्मक परिवर्तन कुछ स्तर पर कर पायेंगे। इस दृष्टि से मैंने दो-तीन सुझाव दिये। मैं यह आशा और अपेक्षा करूँगा, उनका निजी लम्बा अनुभव है और वे प्रयास भी करना चाहती हैं इन्ट्रेस्ट लेकर इसलिये जो छोटे-मोटे सुझाव दिये मैंने उनको इनकोर-पोरेट करें अपने रिप्लाई में। माननीय सभापति महोदय, यह राजस्थान का दुर्भाग्य है, माननीय प्रभाकरजी मिनिस्टर थे तो उनकी कुछ इच्छा थी शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन करने की क्योंकि उनका अपना पोलिटिकल व्यू था, चन्दनमल जी वैद शिक्षा मन्त्री बने उनकी लाईफ का एक अलग तरह का ओरियेंटेशन था। उन्होंने कहा कि सब जगह नैतिक शिक्षा होगी। अब नैतिक शिक्षा का पाठ्यक्रम प्रारम्भ होना शुरू हुआ तो कमला जी को शिक्षा मन्त्री का काम मिल गया। अब कमला जी का अपना जीवन का एक ओरियेंटेशन है। इन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया, किसान परिवार का इनका संस्कार है, महिला हैं। इन्होंने घोषणा कर दी कि टीचर की व्यवस्था करेंगी। अब तीन साल में राजस्थान के तीन शिक्षा मन्त्री तीन तरह के परिवर्तन की अपेक्षा राजस्थान में करें तो कौन किस तरह से शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन कर पायेंगे, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि न तो नैतिक शिक्षा प्रारम्भ कर सके, जो पोलिटिकल व्यू हनुमान जी प्रभाकर का था न उस पोलिटिकल व्यू को राजस्थान में लागू कर सके और न ही जिस एजूकेशन की बात करते हैं उसकी व्यवस्था कर पाये। जो एक्जीक्यूटिव हैं जिनको हमने पोलिसी का इम्प्लीमेंट करने का भार दे रखा है उनको अपना काम करने का मौका मिल जाता है। माननीय सभापति महोदय आप, जानते हैं चाहें एजूकेशन कमिश्नर हों, चाहे डायरेक्टर ऑफ एजूकेशन हों, चाहे जोइंट डायरेक्टर हों, चाहे इन्स-पेक्टर ऑफ स्कूल हों इनको एक अच्छा मौका मिल जाता है इस बात को बताने का कि हमारे राजस्थान में पोलिटिकल लीडरशिप है, उनके मानस में यह क्लियर नहीं है कि राजस्थान की छठी पंचवर्षीय योजना में प्राइमरी और मिडल स्कूल के अन्दर क्या परिवर्तन करना चाहते हैं। इस दृष्टि से भी मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूँ कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में कम से कम यह निश्चित कर लें कि राजस्थान के प्राइमरी और सैकण्डरी स्कूल के अन्दर हम किस तरह की शिक्षा इम्पार्ट करना चाहते हैं। क्या हम नैतिक शिक्षा चाहते हैं, क्या हम किसी और दूसरी तरह कि शिक्षा इम्पार्ट करना चाहते हैं ? मैं चाहता हूँ कि इस पर आप सोचें।

माननीय सभापति महोदय, मेरा तीसरा निवेदन इस बारे में है, मेरे विधानसभा क्षेत्र और आपके विधान सभा क्षेत्र, अधि-कांश विधान सभा क्षेत्र में एक कस्बा ऐसा होगा जहाँ स्कूल की दशा आप देखेंगे तो आपको ताज्जुब होगा। 20-25 साल पहले 10-15 रुपये का एक भवन किराया ले लिया प्राइमरी स्कूल खोलने के लिये, आज वहाँ पर हायर सैकण्डरी स्कूल हो गया। आप जयपुर में देखिये, जोधपुर जाइये, बीकानेर

(श्री सी. पी. जोशी)

जाइये इस तरह के जो बड़े-बड़े शहर हैं उनमें जो शिक्षा हम इम्पार्ट कर रहे हैं हायर सैकण्डरी करने के बाद उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है। सभापति महोदय, आपका एजूकेशन फण्ड इस बात का नहीं है कि स्कूल की पुरानी जीर्ण शीर्ण बिल्डिग को रिपेयर कर सकें। तो कौन सी शिक्षा को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप 100 की जगह 500 सैकण्डरी स्कूल कर दीजिये, 500 स्कूल आप हायर सैकण्डरी कर दीजिये उनसे कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसलिये सातवी पंचवर्षीय योजना में, सभापति महोदय, आपको एजूकेशन फण्ड इस बात का करना पड़ेगा। देहात में रहने वाले जीर्ण-शीर्ण स्कूलों को रिपेयर करने के लिये या तो आप पैसा एलोकेट करें। यदि यह सम्भव नहीं है तो जहां जहां जमीन उपलब्ध है वहां नये भवन निर्माण करें और भवन निर्माण के लिये भारत सरकार से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में पैसा लें इस बात के लिये कि राजस्थान में बिल्डिग की आवश्यकता है। एक तरफ हम गांव के लोगों को कहते हैं कि बिल्डिग होगी तो स्कूल बनायेंगे दूसरी तरफ शहर में क्या बिना बिल्डिग के स्कूल चलते हैं यह स्थिति ठीक नहीं है। इसमें भी मेरा, माननीय सभापति महोदय, एक सुझाव है? है जो नये टाउन है, डवलपिंग टाउन हैं जैसे नाथद्वारा है जो छोटे मोटे शहर फतेहनगर है, मैं समझता हूँ, दूसरे डिस्ट्रिक्ट की मैं कह रहा हूँ, उन जगहों पर आज म्यूनिसिपैलिटी की जगह अवेलेबल है। मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र में शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत, माननीय सभापति महोदय, म्यूनिसिपैलिटी से कहा कि जो प्राइमरी स्कूल हैं उनके लिये जमीन का एलोकेशन कर दें, यह जमीन ईयर मार्क होगी। स्कूलों के लिये जमीन ईयर मार्क करने के लिये शिक्षा विभाग यदि पैसा दे दे या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना से पैसों की सुविधा उपलब्ध करा दें तो कम से कम जो डवलपिंग टाउन हैं उनमें स्कूल की बिल्डिग बनने की स्थिति बनेगी। जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में स्कूलों की बिल्डिग बनने की स्थिति बनेगी। यह अत्यावश्यक है। माननीय सभापति महोदय, नहीं तो जो गलतियां बड़े शहरों में कर चुके हैं वही गलती आज जो स्कूल बनने वाले हैं उनमें होने वाली है। मैं चाहूँगा कि माननीय मन्त्री महोदय, एजूकेशन कमिश्नर और लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट के आदमी बैठाकर हर डवलपिंग टाउन के अन्दर प्राइमरी, मिडल स्कूल, सैकण्डरी स्कूल के लिये जमीन के एलोकेशन का काम पूरा करायें। आज वहां जमीन उपलब्ध है, आने वाले दस साल बाद जमीन उपलब्ध नहीं होगी तब यह स्थिति पैदा हो जायेगी कि बिल्डिग कहां से बनेगी। इसमें भी राजस्थान पर बहुत बड़ा वित्तीय भार आने वाला नहीं है। केवल एडमिनिस्ट्रेटिव सैक्शन देने की आवश्यकता है और दो डिपार्टमेंट के बीच में कोआर्डिनेशन की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ, यह निर्णय कर लें तो राजस्थान के लिये बहुत अच्छा होगा।

सभापति महोदय, आपसे मैंने पहले ही कहा कि मैं प्रैक्टिकल सुझाव देना चाहता हूँ। आप इस बात को सोचें कि शिक्षा का कार्यक्रम प्रारम्भ करना है उसको किसी न किसी स्टेज पर आगे भी करना

(श्री सी. पी. जोशी)

पड़ेगा। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर एक भी स्कूल नहीं खुले कम से कम सैकण्डरी स्कूल ऊपर। आप खोलिये प्राइमरी स्कूल। यह बात निश्चित तौर पर सही है कि राजस्थान में शिक्षा का प्रतिशत 24 है। हमारे राजस्थान में हायर सैकण्डरी की आवश्यकता नहीं है। हमारे राजस्थान में आवश्यकता इस बात की है कि हम प्राइमरी एजूकेशन को बढ़ायें। जोधपुर बाड़मेर जो डिवीजन हैं इन डिवीजनों के अन्दर यह स्थिति है कि वहां ढाणी में आपका पापुलेशन का क्राइटेरिया ठीक नहीं है। एक बच्चे को तीन किलोमीटर चार किलोमीटर पढ़ने के लिये जाना पड़ता है। वहां पर एक प्राइमरी स्कूल भी आप नहीं खोल सकते और हायर एजूकेशन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसलिए, माननीय सभापति महोदय, यह छठी पंचवर्षीय योजना समाप्त होने वाली है, हमको प्रेक्टिकली रिवोल्यूशन करना पड़ेगा कि हिन्दुस्तान में अन्य प्रदेशों के मुकाबले राजस्थान को ले जाने की प्रक्रिया है, यदि यही हमारा आधार रहा तो प्राइमरी एजूकेशन में जो 24 प्रतिशत हैं, उसके मुकाबले में भले ही आगे बढ़ लें आंकड़ों में, लेकिन हिन्दुस्तान के नक्शे में जो नीचे से नम्बर हमारा है वह वह का वही रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ सातवीं पंचवर्षीय योजना में मेजर एलोकेशन ऑफ फण्ड्स केवल मात्र प्राइमरी एजूकेशन के लिए रख दिया जाय। जैसा नागौर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मैं भी इस बात से सहमत हूँ बिलकुल, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा, यह एकेडेमिक डिसऑनेस्टी और एकेडेमिक करप्शन का सोर्स है शिक्षा विभाग में, वह आज प्रारम्भ कर दिया। आज इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल की मर्जी पर केवल मात्र कागज की खानापूर्ति के लिये एक अमुक आदमी अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चला रहा है, 100 रुपये ले रहा है। निश्चित तौर से कुछ रकम शिक्षा अधिकारी की जेब में जा रही है। अनौपचारिक शिक्षा के अन्दर केन्द्र कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के नाम पर इतना पैसा खर्च करना चाहते हो और ढाणियों के अन्दर प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था नहीं करना चाहते हो, यह हमारे वित्तीय साधनों का दुरुपयोग है, माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं चाहता हूँ कि भगवान के लिये 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा कम से कम राजस्थान में बन्द कर दीजिए। जो पैसा बचता है उससे 300 की नहीं 500 की जनसंख्या पर ढाणियों में रहने वाले लोगों को प्राइमरी स्कूल की सुविधा दो, यह बच्चे के साथ न्याय होगा, मां बाप की आकांक्षाओं के प्रति न्याय होगा, और राजस्थान को कुछ आगे बढ़ा पायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, अब कालेज एजूकेशन के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ....

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, नाथद्वारा के माननीय विधायक से पूछना चाहता हूं कि प्रौढ़ शिक्षा बन्द करवा दोगे तो यह जो दाना पानी मिल

(श्री कैलाश मेघवाल)

रहा है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गांव गांव में, उसका क्या होगा ?

श्री सी. पी जोशी : माननीय सभापति महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने याद दिलाया कि कांग्रेस के लोगों को दाना पानी मिल रहा है। मैं चाहता हूं, जिस समय माननीय सदस्य सरकार में रहे हैं, 76 से लेकर 80 तक जिन संस्थाओं को एलोकेशन ऑफ फण्ड्स किया है, उन संस्थाओं की पालिटिकल बैकग्राउण्ड पहले देख ली जाय। किन लोगों को, किस तरह के लोगों को किस आधार पर दिया गया, माननीय सभापति महोदय, इन्होंने जो बात कही, उसी बात को बढ़ाना चाहता हूँ। यह तो इनका सौभाग्य है, हिन्दुस्तान की जनता का सौभाग्य है कि कांग्रेस जैसी पार्टी, जिसका धर्म निरपेक्षता, समाजवाद और लोकतन्त्र में विश्वास है, के हाथ में हिन्दुस्तान और इस प्रदेश का शासन है। यदि हिन्दुस्तान में भारतीय जनता पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट का शासन आ गया तो शिक्षा में सबसे ज्यादा इन्टरवीन यही पार्टी करेगी। इसलिए हमको तो यह बात कहते हुए खुशी है, आज बंगाल में क्या हुआ, सारा सलेबस बदल दिया गया है। आज बंगाल की स्थिति यह है कि पार्टी कैडर के कार्ड होल्डर मैम्बर सीनेट का मैम्बर बनेगा। वाइस चांसलर, प्रिंसिपल, वह आदमी बनेगा जो सी पी एम कैडर मैम्बर होगा। यह स्थिति सौभाग्य और दुर्भाग्य से हमारी पार्टी के अन्दर नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : हममें इतना ईमान तो है कि हम स्वीकार करते हैं आप तो स्वीकार भी नहीं करते हो। यही कहना है मुझे। कितना बड़ा समझते हो, कितनी यहां चलती है, यह भी आप बता दो। आपने कितने ही काम किये हों....

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, गांधीवादी समाजवाद की शपथ लेते हैं और अपने मैनीफेस्टो में कहते हैं कि गांधीवादी समाज की कल्पना करेंगे, लोकतन्त्र, समाजवाद, धर्म निरपेक्षता को खत्म करने के लिए शिक्षण संस्थाओं में जो घुसपैठ करते हैं तो कमिटेड कैडर बेस्ड पार्टी के आदमी करते हैं। मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा इसलिए नहीं कहना चाहता, अपनी शिक्षा में अपना जो मामला है उसे सदन के सामने कहने से कोई फायदा नहीं क्योंकि आर्डर तो चलेगा कमला जी का, आर्डर तो चलेगा कल्ला साहब का। यदि इनकी कलम से मैं करवा सकूं तो इस राजस्थान की शिक्षा में परिवर्तन से कुछ फायदा होगा, बाकी भाषण देकर चला गया तो 30-35 साल में भाषण देते आये हैं, शिक्षा में परिवर्तन नहीं होने वाला है।

मैं आप से प्रेक्टिकली सजेशन के रूप में, माननीय सभापति महोदय, कहना चाहता हूँ कॉलेज एजूकेशन की बात अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्स के अन्दर कॉलेज, बहुत बढ़िया बात, शाहपुरा के अन्दर कॉलेज बहुत बढ़िया बात, भीलवाड़ा में तीसरा और खोला, बहुत बढ़िया बात, चित्तौड़ के अन्दर कॉलेज, निम्बाहेड़ा के

(श्री सी. पी. जोशी)

अन्दर कॉलेज और मैं समझता हूँ प्रताप गढ़ के अन्दर कालेज, दो डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या का आधार मानें तो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट की जो जनसंख्या है, उसके आधार पर केवल मात्र नाथद्वारा में कॉलेज है सरकार का। 14 लाख आदिवासी भाइयों की सुविधा के लिए आज हम कॉलेज की सुविधा करना चाहते हैं, अब आप हायर एजूकेशन का एक्सपान्शन करना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट को यूनिट मानें, मुझे कोई तकलीफ नहीं, एक डिस्ट्रिक्ट में तीन खोले गये, 5 खोलें। डिस्ट्रिक्ट इसका आधार नहीं हो सकता, माननीय सभापति महोदय, इसका आधार जनसंख्या रखना पड़ेगा। यदि आपने, छोटी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ 3 खोल दिये, उसी को आधार मान लें, उस जनसंख्या के आधार पर उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में देखा जाय तो, माननीय सभापति महोदय, कम से कम 4 कॉलेज की आवश्यकता है। आज दिन को केवल मात्र एक गवर्नमेण्ट कॉलेज है नाथद्वारा के अन्दर और मीरा गर्ल्स कॉलेज, यह दो कॉलेज हैं गवर्नमेण्ट के सारे उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी जनसंख्या 25 लाख है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ, हायर एजूकेशन का एक्सपान्शन किस तरह से करना चाहते हैं। डूंगरपुर में पी.जी. कॉलेज कर दिया, भीलवाड़ा के अन्दर पी.जी. कॉलेज कर दिया, बहुत बढ़िया बात है। कल्ला साहब तो विश्वविद्यालय से सम्बन्धित रहे हैं, अब जो वहाँ पी. जी. हैड है। माननीय सभापति महोदय, 20 साल से, 25 साल से पहले जिसने एम. ए. एम. एस. सी. एम. कॉम किया है 20 साल की सीनियोरिटी के आधार पर उसको डी लिट करने का मौका मिला, वह तो वहाँ पर एम. ए., एम. एस. सी. एम. कॉम. की एजूकेशन इम्पार्ट करेगा और विश्वविद्यालय के अन्दर प्रोफेसर, जिसकी तन्ख्वाह 1900–2500 है और रीडर, जिसकी तन्ख्वाह 1600– से 1900 है, वहाँ एजूकेशन इम्पार्ट करेगा। आप खुद इन-इक्विलिटी शिक्षा के अन्दर अपनी इस नीति के आधार पर पैदा करना चाहते हैं। एक बात आप कह सकते हैं कि हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पी. जी. कॉलेज कर दिया लेकिन यह उस बच्चे के साथ अन्याय है—जिस को आप डिफेन्ड करना चाहते हैं, जो कॉम्पीटेंट और सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट आदमी है वह तो केवल मात्र जयपुर, जोधपुर और उदयपुर विश्वविद्यालय में शिक्षा देगा और जिन्होंने 15–20 साल पहले एम.ए., एम. एस. सी. एम.कॉम कर लिया, क्योंकि इस एजूकेशन के अन्दर भी आर. ए. एस. की तरह प्रमोशन की पोस्ट है, 10 साल के बाद आप सीनियर लेक्चरर बनेंगे, 15 साल बाद पी. जी. हैड बनेंगे, इसलिये वह आदमी वहाँ पर एम. एस. सी., एम. कॉम के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं····माननीय सभापति महोदय, डूंगरपुर, भीलवाड़ा का पढ़ाने वाला शिक्षक है, उसका एकेडेमिक मापदण्ड है, मानस है, वह वैसे ही कम है और उसको पढ़ाने वाला व्यक्ति भी कमजोर आदमी है, आप अच्छा नहीं दे सकते तो किस तरह से वह समाज में कम्पीट कर पायेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ, माननीय सभापति महोदय, हायर एजूकेशन के एक्सपान्शन का आधार जो है हमारा, उस आधार में भी हमको आमूल चूल परिवर्तन वित्तीय साधनों की उपलब्धि के आधार पर करना पड़ेगा। पॉलिटिकल नीड्स के

(श्री सी. पी. जोशी)

आधार पर करना चाहेंगे तो, माननीय सभापति महोदय, मैंने आपसे जैसा कहा, यह उसके साथ इनजस्टिस हो जायेगी। इस सम्बन्ध में, सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ 20 सूत्री कार्यक्रम का एक सूत्र है सबको साक्षर करना; उस सूत्र के अन्दर जो लिखा है, मैं चाहता हूँ, मंत्री महोदय दुबारा पढ़ें, यह लिखा हुआ है कि सबको साक्षर करने का मतलब समाज का वह वर्ग, अनुसूचित जाति और जन जाति या पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उनको साक्षर करने के लिए हमने सबको साक्षर करने का कार्यक्रम लागू किया है। एक तरफ हमारे देश की प्रधान मंत्री उन पिछड़े लोगों को साक्षर करने के लिए इस तरह की नीतियां बनाती हैं; दूसरी तरफ पी. जी. कॉलेज स्टार्ट किये हैं, जहाँ पढ़ाने वाला शिक्षक काम्पीटेंण्ट नहीं हो, यह एक तरह का बिलकुल विरोधाभास है। सभापति महोदय, इसलिए मैं मंत्री महोदय से अपेक्षा करूँगा कि वह इस बारे में सोचें और एक बात बतायें। जहाँ जहाँ पी. जी. कॉलेज खोल दिये हैं वहाँ क्या आपने कोई एक सब्जेक्ट पूरा किया ? पी.जी. कॉलेज खोल दिया भीलवाड़ा में, पहले आर्ट्स, फिर साइंस खोल दी, फिर कॉमर्स खोल दी। न तो वहाँ आर्ट्स के पूरे सब्जेक्ट्स करें, न साइंस के पूरे सब्जेक्ट्स करें और न ही कामर्स के करें। इस तरह राजस्थान में पी. जी. कॉलेज खोल दिये। किसी भी कॉलेज के अन्दर एक फैकल्टी पूरी नहीं है। फिर आप क्वालिटी एक्सपेक्ट करना चाहते हैं ! माननीय सभापति महोदय महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपने घोषणा की 84-85 में 27 सब्जेक्टस खोलेंगे कॉलेज लेवल पर। 27 सब्जेक्ट्स खोलने से क्वालिटी इम्प्रूवमेंट नहीं हो पायेगा। हमको एक बात निश्चित तौर पर करनी पड़ेगी कि जहाँ पी. जी. कॉलेज हैं उनमें जहाँ आर्ट्स फैकल्टी है उस आर्ट्स फैकल्टी के जितने सब्जेक्ट्स हैं वह सब्जेक्ट्स पूरे खोल देंगे जब वह कम्पलीट हो जायेंगे। तब सैकण्ड फैकल्टी खोलेंगे। लेकिन हम यह काम भी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं, हायर एजूकेशन के अन्दर डिसक्रैपेन्सी है उसको समझने की हमें आवश्यकता है, इस सम्बन्ध में इस सदन में विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में ज्यादा इसलिए नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि इसका बिल भी हाउस के अन्दर आयेगा।

एक बात निश्चित तौर पर प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेण्ट कॉलेज के बारे में कहना चाहता हूं। प्राइवेट कॉलेज में टीचर की सिक्योरिटी के बारे में कुछ करना चाहते हैं या नहीं ? इस सम्बन्ध में बराबर यह कहते हैं कि इनके जॉब की सिक्योरिटी का बिल लायेंगे। आज प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरर का बिल पड़ा है। उनमें मेडिकल रिएम्बर्समेंट होगा मैनेजमेण्ट चाहेगा तो, कॉलेज के अन्दर फंक्शन है, डवलपमेण्ट करना है, 200 रुपए कम देंगे। उसका सारा जॉब हमने इनसिक्योर कर रखा है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वह भी गवर्नमेण्ट कॉलेज के टीचर के बराबर एजूकेशन इम्पार्ट करके अच्छे विद्यार्थी निकाल पायेगा। मैं समझता हूं, यह भी एक डिसक्रिपेन्सी है जिसको हमें समझना चाहिए।

(श्री सी. पी. जोशी)

विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में मुझे एक बात और कहनी है। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट आने वाली थी, श्रीमाली कमीशन की रिपोर्ट आने वाली थी, राजस्थान के सन्दर्भ में राजस्थान की विधान सभा में प्रस्ताव पास होने के बाद तत्कालीन सरकार ने श्रीमाली कमेटी बनाई। श्रीमाली कमेटी की रिपोर्ट पड़ी है हमारे पास। श्रीमाली कमेटी की रिपोर्ट की रिकमण्डेशंस क्या हैं और हम चाहते हैं विश्वविद्यालय का स्वरूप कैसा होना चाहिए, दोनों में बहुत बड़ा अन्तर है। एक आर्डर निकाल दिया, एफीलियेटेड कॉलेज उदयपुर का है उसको बाहर निकाला जायेगा. एक आर्डर निकाल दिया जोधपुर यूनिवर्सिटी का अमुक अमुक कॉलेज एफीलियेटेड कॉलेज होगा। माननीय सभापति महोदय, क्या हम अपने स्वार्थों को मीट आउट करने के लिए विश्वविद्यालय के स्वरूप को ही बदल दें? माननीय सभापति महोदय, हायर एजूकेशन के साथ हमारा कॉन्टेक्ट भी नहीं है।

(400 म.प.)

माननीय सभापति महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि हायर एजूकेशन का जितना यू. जी. सी. का पैसा मिलता है वह कितना पैसा हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं, कितना पैसा हम आई. सी. ए. आर. का यूटिलाइज कर पा रहे हैं? मैं समझता हूं, जिस तरह की विश्वविद्यालय की संरचना है उस संरचना में हम यू. जी. सी. का पैसा भी खो रहे हैं, हम आई. सी. ए. आर. का पैसा भी खो रहे हैं, इसलिये, माननीय सभापति महोदय, हायर एंजूकेशन के बारे में हमको अपना कन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, जब तक यह कन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, पालिटिकल विल इस बात की नहीं हो, राजस्थान में एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय का स्वरूप क्या हो तब तक विश्वविद्यालय का नाम दे दें या कुछ भी कर दें वह राजस्थान की नीड्स को केटर नहीं कर सकता है। अब हम में पालिटिकल विल भी नहीं हो, राजस्थान के अन्दर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाना चाहें और किसी स्वरूप की कल्पना हमारे दिमाग में नहीं हो तो क्या उस एग्रीकल्चर संकाय के साथ न्याय कर पायेंगे? न तो न्याय कर पायेंगे, न कृषि तकनीक का लाभ पूरा हम उठा पायेंगे इसलिये एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय की संरचना का बदलाव करना पड़ेगा, मैं समझता हूँ कि हिचकरने की आवश्यकता नहीं है। एक बार फिर हम गम्भीरता से सोच लें उसके बाद फिर विश्वविद्यालय की संरचना परिवर्तित करें, उसके दूरगामी परिणाम होंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं हायर एजूकेशन की बात यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ, विश्वविद्यालय की संरचना के बारे में और विश्वविद्यालय की पिछली रिपोर्ट के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तत्कालीन जो शिक्षा मन्त्री थे, अब क्या पता क्या उनकी अपनी पोलिटिकल वे ऑफ लाइफ है, क्या उनकी पोलिटिकल एसपेक्टेशन है। मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य इस पर बोलेंगे, मैं एक बात कहना चाहता हूँ

(श्री सी. पी. जोशी)

ईमानदारी से इस बात को देखें कि राजस्थान के अन्दर जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके इन्ट्रेस्ट को हम प्रोटेक्ट करने की स्थिति में हैं या नहीं ? जो लोग पोलिटिकल पार्टी में एक्टिव हैं, मैं समझता हूं कि उनकी पार्टी के 60 पर्सेन्ट से लेकर 80 पर्सेन्ट आदमियों को प्रमोशन मिला है फिर भी हम खड़े होकर मांग करेंगे कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता खतम हो रही है, यह खत्म हो रही है, व्यक्तिगत आदमियों को आधार बनाकर विश्वविद्यालय में काम करने वाले आदमियों को डिमोरेलाइज करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि एक अच्छा ट्रेडिशन नहीं है। विश्वविद्यालय में जहां गलतियां हैं, गड़बड़ियां हैं उस बात को बोलना चाहिये लेकिन वह लोग अपने पोलिटिकल विल को भी, पोलिटिकल आइडोलोजी को भी वेन्टिलेट करेंगे, हम उनसे अपेक्षा भी करें उसके बाद में इस तरह का वातावरण बनाना चाहते हैं—विश्वविद्यालय में यह हो रहा है, वो हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, उदयपुर के बारे में तो केवल मात्र एक बात कहना चाहता हूं उदयपुर शहर का जो वातावरण 1962 में विश्वविद्यालय बनने के बाद में था उस विश्वविद्यालय के वातावरण में पिछले 2 साल में अन्तर आया है। अन्तर आया है एक आदमी के एक्शन लेने से। इस बात को मना कर दें कि एग्रीकल्चर कालेज बनने के बाद वातावरण जो उदयपुर में था, अशान्ति रही। आज इस बात को मना करदें, लॉ कालेज की स्थिति थी, उदयपुर का एकेडेमिक वातावरण खराब था। उसकी संरचना में एकेडेमिक निर्णय लेने पर यदि उयदपुर शहर की कानून व्यवस्था में सुधार होता है उसके बाद में भी हम यह कहें कि विश्वविद्यालय का वातावरण खराब है, तो, माननीय सभापति महोदय, हम किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं ? सुधार हो तो भी एप्रीशियट नहीं करें, सुधार नहीं हो तो भी कन्डेम करना चाहें। मैं समझता हूं कि अपना ओपन माइन्ड रखकर विश्वविद्यालय में होने वाले एफर्ट्स के बारे में कुछ कहें।

मैं, माननीय सभापति महोदय, जानता हूं कि आपका हाथ बार-बार घन्टी पर जा रहा है इसलिए आपको अपनी बात हायर एजूकेशन के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। मैं अपनी तीसरी बात कला और संस्कृति के बारे में, माननीय सभापति महोदय, कहना चाहता हूं। बहुत खुशी की बात है कि आपने कला और संस्कृति का विभाग अलग कर दिया, सेक्रेटरी भी अलग कर दिया। देवगढ़ से आने वाली माननीय सदस्या ने जो उनकी अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसके सम्बन्ध में कुछ बात कही। मैं एक बात, सभापति महोदय, आपसे कहना चाहता हूं, मैंने बजट भाषण में भी कहा और फिर आज दुबारा कहना चाहता हूं। इस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का आधार कोई हमारा फ्यूडल कन्सेप्ट ही है तो मुझे कुछ नहीं कहना लेकिन सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का दूसरा आधार देवस्थान के मन्दिर हैं वह भी हो सकते हैं। बहुत से हजारों यात्री प्रतिवर्ष दर्शन करने के लिये किसी न किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं, उन

(श्री सी. पी. जोशी)

धार्मिक स्थानों को यदि हम संस्कृति का केन्द्र बनाना चाहें तो, माननीय सभापति महोदय, इसमें एक नये पैसे की आवश्यकता नहीं है। केवल देवस्थान के फाइनेन्सियल मैनेजमेंट को अगर हम ठीक कर दें तो बहुत बड़े पैसे के आधार पर बहुत बड़ा सेन्टर जो पापुलर जगह है वहां पर हम खड़ा कर सकते हैं, मेहन्दीपुर के बालाजी के ट्रस्ट का जो अध्यक्ष बना हुआ है वह लाखों रुपये की सम्पत्ति अपने डिस्पोजल पर रखकर अपने मनमाने ढंग से उस पैसे दुरुपयोग कर रहा है। 40 लाख रुपये पर एनम जहां की इन्कम हो और उसके ऊपर स्टेट का कोई कन्ट्रोल नहीं हो। वहां यदि कला और संस्कृति का विकास करना चाहें तो उस ट्रस्ट के मैनेजमेंट में कुछ चेन्ज करना चाहिये, उनके पैसे के एलोकेशन के आधार पर वहां का जो सांस्कृतिक धरातल है उस संस्कृति को मैन्टेन करने के लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलोजी है उसको आधार बनाकर सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना करें तब तो निश्चित तौर पर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कुछ पैदा कर सकेंगे नहीं तो कुछ जगह पर पर्यटक के मेले लगा लें, जैसलमेर में मेला लगाया, फारेन डिगनिटरीज आ जायं, उनको दिखा दें, पुराना हमारा सामान निकले उनको लाकर प्रदर्शनी में लगा दें उससे कोई संस्कृति बनती और बिगड़ती नहीं। माननीय सभापति महोदय, संस्कृति को बनाने के लिये हमारे राजा महाराजा, जो इस राजस्थान के अन्दर है, जिनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, को एडवाइजरी बोर्ड में लेकर, उनके पास बचे हुये सामान हैं उसका उपयोग कर हमको कोई सांस्कृतिक वातावरण राजस्थान में बनाने की आवश्यकता है। लेकिन आज हम राजस्थान में सांस्कृतिक वातावरण के नाम पर एक नमूना पेश करना चाहते हैं जिससे हमको हंसी आती है। इससे हम विदेशों से जो पर्यटक आते हैं उनको खुश कर सकते हैं।

मैं समझता हूं कि पर्यटन के बारे में सुनिश्चित नीति की आवश्यकता है उसके लिये भी आपको कोई ज्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं है। कल्ला साहब मुझे क्षमा करेंगे इस बात पर, पर्यटन की मांग तो आपने सदन में रख दी। एक कार्पोरेशन बना हुआ है उस कार्पोरेशन के मैनेजमेंट में मंत्री का कितना हाथ है ? इस तरह से पर्यटन विभाग की नीतियों के आधार पर हम राजस्थान की संरचना करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, आज पर्यटन डिपार्टमेंट एक अलग डिपार्टमेंट बनाया हुआ है उसका इम्पेक्ट इतना नहीं है, सभापति महोदय, आर. टी. डी. सी. आपकी नीतियों के साथ तालमेल बैठा ही नहीं सकता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, आपने भी पढ़ा होगा, मेगजीन्स में भी आया है, यहां पर पैलेस आन व्हील्स की बुकिंग करने के लिए हमारे आदमी फारीन गये। माननीय मंत्री महोदय, आपको तो मालूम होगा कि हिन्दुस्तान में भी ट्रेवलिंग एजेन्सीस हैं उनमें से कुछ ऐसी भी हैं जो राजस्थान के अन्दर भी हैं, क्या किसी भी सिंगल ट्रेवलिंग एजेन्सी को हमने कान्टेक्ट किया कि भई, आप इस काम को कर सकते है या नहीं ?

(श्री सी. पी. जोशी)

इसका मतलब यह है कि ब्यूरोक्रेट्स इतना तेज हो गया है कि वह हर चीज का फायदा उठाकर पहले से ही पैलेस आन व्हील्स की बुकिंग करने के लिये यूरोप की टूर कर आवे, टूर हो गया पर पैलेस आन व्हील्स का उपयोग न पर्यटक कर पाये और न पर्यटन विभाग। मैं समझता हू, माननीय सभापति महोदय, इस दृष्टि से हमको सोचना चाहिये कि क्या राजस्थान में हम पर्यटक केवल मात्र फारेनर्स को ही मानते हैं या हमारे जो दूसरे लोग-बाग आते हैं उनको आकर्षित करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।

मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं, माननीय सभापति महोदय, नाथद्वारा में प्रतिवर्ष हजारों आदमी आते हैं। वहां पर उन पर यात्री कर लगता है, लेकिन उन यात्रियों के लिये बस स्टेण्ड की सुविधा नाथद्वारा के अन्दर नहीं है। नाथद्वारा टेम्पल मैनेजमेंट बोर्ड में माननीय मंत्री महोदय का कोई से नहीं है। पर्यटन डिपार्ट-मेंट का कोई से नहीं है। नाथद्वारा पर्यटन की दृष्टि से इम्पार्टेण्ट है वह नेशनल हाइवे के पास है। उसको हम एक खूबसूरत पर्यटन प्लेस के रूप डवलप नहीं कर सकते हैं तो हम किस तरह से पर्यटकों को आकर्षित करने की अपेक्षा कर सकते हैं? 50-60 हजार लोग जयपुर आ जावें और जैसलमेर चले जावें उससे कोई राजस्थान की पर्यटन की दृष्टि से अच्छी स्थिति नहीं बनने वाली है। माननीय सभापति महोदय, इसलिये मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में भी निश्चित

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तौर पर कोई नीति बनाई जाय।

अब, माननीय सभापति महोदय, आप घन्टी बजा रहे हैं अब मुझे अपनी बात समाप्त करनी पड़ेगी।

खेल मंत्रालय बनाया आपने। मैं समझता हूं कि इसका पैसा भी इसके अन्दर आता है। आपने खेल मंत्री खेल के लिए बना दिया और खेलों के लिये स्पोर्ट्स कौंसिल बना रखी है। अब स्पोर्ट्स का सारा एलोकेशन का फण्ड है वह बोर्ड के पास है, स्पोर्ट्स कौंसिल की संरचना और स्पोर्ट्स कौंसिल में मंत्री का नाम है इसलिये मंत्री साहब हैं। आप किस तरह की खेल नीतियां बनाना चाहते हैं। खेल मंत्रालय के बारे में हमारा कन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय. हमने घोषणा की कि राजस्थान में बास्केट बाल हमारा स्टेट गेम होगा, कितने सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूलों में बास्केट बॉल के कोर्ट्स बनाने की कोशिश की है? कई सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूलों के पास तो खेलने के मैदान नहीं है, यह सुविधा उपलब्ध नहीं कर पाये तो फिर किस तरह की खेल नीति की कल्पना करना चाहेंगे। हिन्दुस्तान में एशियाड हुआ गर्व की बात है, एशियाड होने से राजस्थान में खेलों में आमूल-चूल परिवर्तन करना चाहते हैं, यह आधार नहीं होगा, इसके बारे में हमको सोचना होगा।

(श्री सी. पी. जोशी)

अन्त में एक बात और कहना चाहता आर्कोलोजी डिपार्टमेंट के सम्बन्ध में। सभापति महोदय, सारे विश्व के अन्दर आर्कोलोजी डिपार्टमेंट हैं। लेटेस्ट टेक्नोलोजी से किस तरह से ओल्ड मोन्यूमेंट्स को प्रिजर्व किया जाय—इसकी जानकारी रखने वाला एक काम्पीटेन्ट आदमी वहां पर एम्पलाई नहीं है, डाइरेक्टर से लेकर नीचे के स्तर के आदमी कोई बी.ए. पास है, कोई क्या पास है। भगवान मालिक है मोन्युमेंट्स का। सबसे ज्यादा राजस्थान रिचेस्ट इस मामले में है और इन-काम्पीटेन्ट आदमी आर्कोलोजी डिपार्टमेंट में लगा रखे हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या हिन्दुस्तान में आर्कोलोजी में कोई काम्पीटेन्ट आदमी अवेलेबल नहीं है। मैं समझता हूं कि कुल मिलाकर शिक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत जो आर्कोलोजी डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, इन डिपार्टमेन्ट्स को आजाद बनाना चाहते हैं तो, माननीय सभापति महोदय, इसमें आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। आमूल-चूल परिवर्तन हम ब्यूरोक्रेट्स से एक्सपेक्ट करें, उनमें से बहुत से काम्पीटेन्ट आदमी हैं, मैं किसी आदमी को एसपर्शन नहीं करना चाहता हूं लेकिन, माननीय सभापति महोदय, ईमानदारी से कहना चाहता हूं, इस बात पर ध्यान दिया जाय कि एक आदमी एक दिन ट्रांसपोर्ट कमिशनर, दूसरे दिन खेल विभाग में, तीसरे दिन और किसी विभाग में, उससे राजस्थान को क्या लाभ हो सकता है? न शिक्षा नीति ठीक बनती है, न खेल नीति ठीक बनती है, और न संस्कृति ठीक बनती है।

मंत्री महोदय, आब्जेक्टिव टेस्ट होता है, इसमें ए, बी, सी और डी होता है। किसी भी परीक्षार्थी को उन चार में से एक पर टिक लगाना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो चार आब्जेक्टिव लिखकर लावे ब्यूरोक्रेट्स उनमें से एक पर टिक लगावे। भई, इस तरह की शिक्षा के आधार पर हम न तो आज किसी डिपार्टमेन्ट में कोई परिवर्तन कर पायेंगे, न कोई नीति बना पायेंगे और न राजस्थान में कोई नीति बना पायेंगे।

मैं समझता हूं कि हमारे वित्तीय साधनों की जितनी कठिनाई है उस कठिनाई को ज्यादा उजागर करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है, एग्जिस्ट वित्तीय साधनों के अन्दर हमारे में पोलिटिकल बिल, एडमिनिस्ट्रेटिव केपेसिटी है या नहीं, क्या हम उससे आउटपुट ले सके हैं। यदि हमने यह क्षमता बना ली, माननीय सभापति महोदय, तो राजस्थान में बहुत बड़ा परिवर्तन हम कर पायेंगे।

इस आशा और विश्वास के साथ कि यह मैंने जो कुछ सजेशन्स दिये हैं उनको आधार बनाकर आने वाले वर्षों में इस राजस्थान में कुछ परिवर्तन कर पायेंगे तब तो हमारा वाद-विवाद में भाग लेना सार्थक है अन्यथा, माननीय सभापति महोदय, एक करोड़ का बजट, आज अरबों में पहुंच गया है राजस्थान में और आने वाले वर्षों में खरबों में पहुंचेगा। आप क्वान्टिटेटिव एक्सपान्शन एजुकेशन का तो करते जा रहे

(श्री सी. पी. जोशी)

हैं क्वालिटेटिव आपका एक्सपेन्शन नहीं हो पा रहा है।

सभापति महोदय, अन्त में आखिरी एक बात कहना चाहता हूं, क्या आप यह महसूस नहीं करते हैं जिस तरह की शिक्षा नीति हमने अडाप्ट कर रखी है उस शिक्षा नीति से हिन्दुस्तान में नये दूकानदार पैदा हो गये। आपको कोई धन्धा करना है तो प्राइवेट स्कूल खोल दीजिये। इससे बढ़िया धन्धा हिन्दुस्तान के अन्दर कोई नहीं है, कोई रिस्क नहीं, कोई इन्सपेक्टर चैक करने नहीं आवे, किसी को कोई तकलीफ नहीं, आपका स्टेट्स बढ़ेगा, आपकी वेल्थ बढ़ेगी, आपकी हैल्थ बढ़ेगी। हर तरह से सबसे अच्छा धन्धा इस हिन्दुस्तान में कोई है तो प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल्स को फ्लोरिस करने का श्रेय जाता है तो हमारी शिक्षा नीति को जाता है। प्राइवेट स्कूल को काम्पीटेन्सी के आधार पर, माननीय सभापति महोदय, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं इससे पिग्मेलियन जो बौनापन है, बच्चे में वह बौनापन पैदा हो रहा है, न तो पब्लिक स्कूल में बच्चे अच्छे पढ़ कर निकल रहे हैं और न ही वह गवर्नमेन्ट स्कूल में निकल रहे हैं। इस बात को, सभापति महोदय, आपको सोचना चाहिये।

अन्त में बीस सूत्री कार्यक्रम में एक बहुत बड़ा जो हेलुसिनेशन है वह आपके सामने रखना चाहता हूं। राजस्थान में प्रति वर्ष सब कार्यक्षेत्र के अन्दर हम यह देखते हैं कि इतने लोगों को हमने एनरोल किया। हमारा अचीवमेंट भी है, मुझे खुशी भी है, प्लानिंग कमीशन ने भी इस बात को देखा। मैंने उदयपुर जिले की जिला बीस सूत्री कार्यक्रम समिति में भी कहा और यहां कहना चाहता हूं कोई भी सोशल साइन्टिस्ट इस बात को बता दे कि आंकड़े अब व बोर्ड होते हैं या नहीं? इस राजस्थान के हर जिले से आंकड़े आते हैं कि जुलाई में इतना एनरोलमेन्ट है, अगस्त में इतना पर्सेन्टेज है, नवम्बर में इतना पर्सेन्टेज है, दिसम्बर में इतना पर्सेन्टेज है। माननीय सभापति महोदय, यह सबसे बड़ा फ्राड है आंकड़ों के द्वारा। एक मां-बाप अपने बच्चे को जुलाई या अगस्त में पढ़ने के लिये भेजता है। और नहीं भेजता है तो फिर साल भर पढ़ने नहीं भेजता है। लेकिन हमारे आंकडे बता रहे हैं इस बात को जुलाई में एनरोलमेन्ट बढ़ा, अगस्त में एनरोलमेन्ट बढ़ा, नवम्बर में एनरोलमेंट बढ़ा, दिसम्बर में एनरोलमेन्ट बढ़ा। यह एनरोलमेन्ट कहां से बढ़ा? पहली चीज मैं यह बताना चाहता हूं। सभापति महोदय, हमने इस बात का पता लगाया कि जो स्टूडेन्ट्स की स्ट्रेन्थ है लास्ट एकेडेमिक डे के दिन मई में और जुलाई में है उन दोनों के अन्दर जो डिफरेन्स है वह ड्राप आउट का है उसको यदि हम आधार मानें तो राजस्थान में जितना एनरोलमेंट होना चाहिये वह कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। लेकिन आज दिन तक शिक्षा अधिकारियों ने राजस्थान सरकार को यह सूचना नहीं दी कि प्रतिवर्ष कितना ड्राप आउट किस डिस्ट्रिक्ट में होता है। आंकड़ों को आधार मानकर हम कहते हैं कि एनरोलमेंट की उपलब्धि हो गई।

(श्री सी. पी. जोशी)

माननीय सभापति महोदय, उसमें एक सूत्र में और लिखा हुआ था, जहां जहां पर लिट्रेसी पर्सेन्टेज कम है वहां समाज के उस वर्ग, जिसमें शिक्षा कम है, के लिये हम एनरोलमेन्ट ड्राइव करेंगे। हम एनरोलमेन्ट ड्राइव कर रहे हैं उदयपुर में, एनरोलमेन्ट ड्राइव कर रहे हैं जयपुर में। मैं एक उदाहरण स्पेसिफिक उदयपुर डिस्ट्रिक्ट का देना चाहता हूं। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के चार मेजर कम्युनिटीज हैं, माननीय सभापति महोदय, भील, डांगी, राजपूत और जाट। इन चार कम्युनिटीज के, माननीय सभापति महोदय, आप सुनकर चौकेंगे दो पर्सेन्ट लड़के भी पढ़ने नहीं आते। वहां हमने एनरोलमेंट ड्राइव नहीं चलाया। कोटड़ा के अन्दर, माननीय सभापति महोदय, 1981 के सेन्सस के हिसाब से 5 पर्सेन्ट लिट्रेसी का पर्सेन्टेज है। वहां भी हमने एनरोलमेन्ट नहीं बढ़ाया। एनरालमेंट बढ़ाया हमने उदयपुर शहर के अन्दर। यह चार सूत्र हैं, जिसमें यह कार्यक्रम लिखा हुआ था कि समाज का वह वर्ग जो शिक्षा से वंचित है, उस वर्ग के लोगों के बच्चों का एनरोलमेन्ट बढाना है। उनका एनरोलमेन्ट बढ़ाना था किन्तु हमने यह काम नहीं किया। शिक्षा अधिकारियों ने तो केवल मात्र आंकड़े उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के प्राप्त कर लिये। और कहां से प्राप्त किये? कोटड़ा से प्राप्त किये। किन वर्गों से प्राप्त किये? इस बारे में हमने कोई आधार बना नहीं रखा है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं चाहता हूं

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

कि जो बीस सूत्र की मन्शा थी उस सूत्र की मन्शा को सही ढंग से लागू करने के लिए जिन तहसीलों में लिट्रेसी पर्सेन्टेज कम है वहां एनरोलमेन्ट ड्राइव ज्यादा होना चाहिये। समाज के वह वर्ग जिनमें लिट्रेसी कम है, उस वर्ग के लोगों का ज्यादा संख्या में एनरोलमेन्ट करना चाहिए तब तो साक्षरता सार्थक होगी अन्यथा तो हर पढ़ा-लिखा मां-बाप अपने बच्चे को पढ़ाता है इससे एनरोलमेन्ट के आपके टार्गेट पूरे हो जायेंगे। मैं समझता हूं यह डिस्क्रिपेन्सी है इस तरफ भी माननीय मन्त्री महोदय को ध्यान देना चाहिये।

आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): माननीय सभापति महोदय, एक सूचना आपके द्वारा देना चाहता हूं। नाथद्वारा से आने वाले माननीय विधायक ने कहा है कि वह मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय पर भी अपने विचार रखेंगे। इण्डियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने पिछले दिनों नाम परिवर्तन के वातावरण में यह लिख दिया है राजस्थान सरकार को कि आप यहां कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं इसलिए हमारी असिस्टेन्स का पैटर्न को हम एग्रीकल्चर के रूप में नहीं जारी रखेंगे। जुलाई में जोबनेर कालेज को 35 लाख रुपये मन्जूर हो रहा था उसको उन्होंने काटकर दी है। मै चाहता हूं आपका

(श्री कैलाश मेघवाल)

प्रभाव है अपनी सरकार पर तो आप इस वातावरण को ठीक करायें और ठीक ढंग से कृषि विश्वविद्यालय चले ऐसा प्रयत्न करें।

श्री सी. पी. जोशी : कृषि की डिमाण्ड पर बोलेंगे, आज एजूकेशन की बात है।

श्री सभापति : माननीय श्री समरथ लाल।

श्री समरथ लाल (राजगढ़) : सभापति महोदय, शिक्षा के बारे में आज सदन में विचार हो रहा है। शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण विषय मैं समझता हूँ दूसरा कोई हो नहीं सकता। सभापति महोदय, शिक्षा के सन्दर्भ में अब तक मैं ऐसा मानता हूं कि शिक्षा के विकास और प्रसार के लिए राजस्थान की सरकार ने राजस्थान की जनता का काफी धन खर्च किया है। यदि मैं कहूं तो अभिशयोक्ति नहीं होगी कि एक पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जितना धन खर्च होता है सभी विभागों के अन्दर उतना धन खर्च अभी तक इस शिक्षा विभाग पर राजस्थान की सरकार कर चुकी है। इतना धन खर्च करने के बावजूद शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर हमने संख्या में तो प्रगति की है लेकिन गुणात्मक प्रगति के बारे में यदि हम देखें तो मैं ऐसा मानता हूं, सभापति महोदय, वह नगण्य है। हमने संख्या की दृष्टि से जो प्रगति की है वह भी कोई बहुत बड़ी आशाजनक नहीं है। सन् 1950 के अन्दर, 1950 और 51 के अन्दर राजस्थान के अन्दर करीब 9 प्रतिशत लोग साक्षर थे और अब सन् 1984 तक करीब 24 प्रतिशत लोग साक्षर हैं। इन पिछले तीस-बत्तीस वर्षों के अन्दर हम 15 प्रतिशत लोगों को इस आधार पर साक्षर कर सके हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, यह जो भी हमने प्रगति की है यह प्रगति आशाजनक नहीं है इतनी प्रगति नहीं है जिसको हम अच्छी प्रगति कह सकें। शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर आज राजस्थान के अन्दर और हिन्दुस्तान के अन्दर व्यापक असन्तोष है। शिक्षा प्रणाली जो हम दे रहे हैं और जिस आधार पर, जिस शिक्षा प्रणाली के आधार पर हम राजस्थान के नागरिकों का भविष्य बना रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूं, वह सन्तोषजनक नहीं है।

हमारा जो शिक्षा विभाग है, सरकार आती है राजस्थान के अन्दर तो एक व्यक्ति राजस्थान के अन्दर शिक्षा मन्त्री बन जाता है, समय-समय पर शिक्षा प्रणाली में बदलाव होता रहता है। दूसरी तरफ आई. ए. एस. अधिकारी माध्यमिक और उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालयों का हैड बन जाता है। कुछ छोटे मोटे आई.ए.एस. और आर.ए.एस. अधिकारी सचिवालय स्तर पर बैठे-बैठे इस शिक्षा का संचालन करते हैं। सभापति महोदय, पिछले 30-32 सालों से यही होता आया है। इन दो जालों के बीच में हमारे यहां पर शिक्षा चलती रहती है इसलिये हमारे यहां पर शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी है। एक जाल तो एक शिक्षा मन्त्री बन जाता है वह राजनैतिक आधार पर प्रदेश

(श्री समरथ लाल)

में शिक्षा प्रणाली लागू करना चाहता है। दूसरा जाल होता है इस प्रकार के सरकारी आफिसर्स का जो कि आई.ए.एस. होते हैं, आर.ए.एस. होते हैं जिनका शिक्षा से सम्बन्ध हो या न हो, अपने हिसाब से शिक्षा को चलाना चाहते हैं, शिक्षा प्रणाली के द्वारा हमारे राजस्थान के नागरिकों का भविष्य बताना चाहते हैं, इस शिक्षा का भविष्य इन दोनों जालों के उलझाव में आ गया है। मेरा यही कहना है, सभापति महोदय, राजस्थान और हिन्दुस्तान में शिक्षा की प्रणाली को बदला जावे, शिक्षा की प्रणाली को रोजगारोन्त बनाया जावे, समाज के उपयोगी शिक्षा प्रणाली बनायी जावे। इसके ऊपर चिन्तन और मनन करके इस प्रकार से इसका ढांचा तैयार किया जावे जो कि हमारे राजस्थान की परिस्थितियों के आधार पर हो और हिन्दुस्तान की परिस्थितियों के आधार पर हो। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति इलेक्टेड होकर विधान सभा में आता है वह शिक्षा मन्त्री बन जाता है। वह राजनैतिक आधार पर शिक्षा को उलझाता है। दूसरे जो सलेक्टेड आई.ए.एस. अधिकारी आते हैं या आर.ए.एस. अधिकारी आते हैं इन दोनों के बीच से शिक्षा को निकाला जाना चाहिये। मैं यही कहना चाहता हूं और मेरा यह, सभापति महोदय, सुझाव है कि शिक्षा मन्त्री कभी इलेक्टेड नहीं होना चाहिये और शिक्षा का वरिष्ठ अधिकारी आई.ए.एस. नहीं होना चाहिये। इन दोनों जगहों पर शिक्षाविदों की नियुक्ति होनी चाहिये और सलेक्टेड और इलेक्टेड लोगों के जाल में से शिक्षा को निकाला जाना चाहिये।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इन दोनों जालों के बीच राजस्थान के अन्दर जो शिक्षा दी जा रही है इस शिक्षा का क्या परिणाम निकला? सभापति महोदय, आज राजस्थान के अन्दर करीब दस लाख शिक्षित हैं जो कि बेरोजगारों की कतार में खड़े हैं। शिक्षा के अन्तर्गत जो ऐसे व्यक्ति है जो कि एस.टी.सी. और बी.एड., और एम.एड. का प्रशिक्षण प्राप्त किये हुए हैं इनकी संख्या करीब 17 हजार है। इतने लोग हैं जो कि प्रशिक्षण प्राप्त किये हुए हैं पर बेरोजगार हैं। यह इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली है जो कि बेरोजगारी पैदा करती है। जो शिक्षा प्रणाली बेरोजगारी पैदा करे वह शिक्षा प्रणाली समाज के अन्दर सुधार करने के बजाय बिगाड़ करती है। मेरा यह निवेदन है कि शिक्षा प्रणाली को बदला जाना चाहिये। शिक्षा प्रणाली का जो ढांचा है यह ढाचा बदला जाना चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, इस ढांचे को बदला जावे।

दूसरा जैसा कि मैंने निवेदन किया, इलेक्टेड व्यक्ति यदि शिक्षा मन्त्री बन जाता है तो शिक्षा प्रणाली में राजनैतिक आधार अवश्य आ जाता है। जब राजनैतिक आधार रहता है तो शिक्षा में किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है। नये स्कूल खोलने की लिस्ट मैंने देखी इस लिस्ट में 200 विधान सभा के क्षेत्रों में से अधिकांश स्कूल कांग्रेसी माननीय सदस्यों के चुनाव

(श्री समरथ लाल)

क्षेत्रों में खुले हैं। एक चुनाव क्षेत्र में चार-चार और पांच-पांच स्कूल खोले गये हैं। विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों के चुनाव क्षेत्र में एक-एक या कहीं पर दो स्कूल खोले गये हैं। इसी प्रकार जो हजार की संख्या में प्राइमरी स्कूल खोले गये हैं वह राजनैतिक आधार पर खोले गये हैं। तो मैं यह कहना चाहता हु कि शिक्षा का स्तर अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो राजनैतिक व्यक्ति को शिक्षा का महकमा नहीं दिया जाना चाहिये। अगर वास्तव में राजस्थान के अन्दर और हिन्दुस्तान के अन्दर शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करनी है तो शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों का चयन होना चाहिये जिनका कि शिक्षा के प्रति लगाव हो, जिनको शिक्षा की जानकारी हो, जो हमारे देश की आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक स्थिति के जानकार हों। ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा के अन्दर रखा जायगा तब ही हमारे यहां पर शिक्षा आगे बढ़ सकेगी।

सभापति महोदय, शिक्षा के अन्दर जो आज बढ़ती हुई अनियमिततायें हैं उसकी ओर मैं आपके मार्फत, सभापति महोदय, मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा। सभापति महोदय, सन् 1977 की जो वरिष्ठता सूची अध्यापकों की नियुक्ति के लिये तैयार की गयी थी उसके आधार पर नियुक्ति दी जानी चाहिये थी। राजस्थान के अन्दर ट्रेन्ड व्यक्तियों को मैरिट के आधार पर नियुक्ति मिली है और दी जा रही भी है परन्तु उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आयु सीमा पार कर चुके हैं। सन् 1978 में एक सरक्यूलर निकला था कि जिसमें हमें रिलेक्सेशन दिया गया हैं, उस रिलेक्सेशन के आधार पर लोगों को नियुक्ति दी जायेगी। जो लोग ट्रेन्ड हैं, जो लोग 1977 की मैरिट लिस्ट में थे उनको नियुक्ति दी गयी पर उन लोगों की आयु सीमा पार हो चुकी है राजस्थान के अन्तर्गत कुछ जिलें में ऐसे अधिकारी है जिन्होंने आयु सीमा पार होने के बाद भी नियुक्ति दी है और दी जा रही है। पर कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें आयु सीमा पार होने के कारण नियुक्ति नहीं दी जा रही है। अलवर जिले का मैं आपको, सभापति महोदय, उदाहरण देना चाहूंगा। अलवर जिले के अन्दर शिक्षा अधिकारी इस रूल के आधार पर दो प्रकार की चाल चल रहा है, दो प्रकार के कार्य कर रहा है। अलवर जिले में इस सूची के आधार पर करीब 30-40 व्यक्तियों को तो नियुक्तियां दे दी गयी हैं। पर अभी इस सूची के अन्दर करीब 70 अध्यापक ऐसे हैं जो कि आयु सीमा पार कर चुकी हैं उन्हें नियुक्तियां नहीं दी जा रही हैं। मैं, सभापति महोदय, शिक्षा मन्त्री का ध्यान इस ओर दिलाकर यह कहना चाहूंगा कि वह इस प्रकार की विसंगतियों को दूर करने की कोशिश करें।

दूसरा जैसा कि मैंने निवेदन किया, पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ के अन्तर्गत नहीं पंचायत समिति उमरेन के अन्तर्गत एक स्कूल खुला बालेटा ग्राम में, बालेटा ग्राम के अंदर था उच्च प्राथमिक विद्यालय 2-1-84 को और वह स्कूल वहां से हटा दिया गया 7-2-84 को। इस स्कूल को बालेटा से हटा कर पंचायत समिति उमरेन

(श्री समरथ लाल)

के अन्तर्गत एक ग्राम इमलाली में कर दिया गया। यह जो स्कूल परिवर्तित कर दिया गया था एक महीने में, उसका राजनैतिक आधार था। पंचायत समिति उमरेन के गाँव बालेटा की आबादी पाँच हजार के आसपास है और वहां पर छात्र-छात्राओं की संख्या करीब 500 है उसमें से छात्राओं की संख्या करीब 125 है। वहां से स्कूल हटा कर जहां पर ले जाया गया ग्राम इमलाली में वहां जो छात्रायें पढ़ने आती हैं उनकी संख्या है चार, तो कहां तो चार छात्रायें और कहां 125 छात्रायें। मैं यह कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, शिक्षा के अन्तर्गत इस प्रकार का जो राजनैतिक प्रभाव बढ़ता जाता है वह राजनैतिक प्रभाव होना अच्छी बात नहीं है। वह शिक्षा के हित में नहीं है। सभापति महोदय, मैं एक तो यह निवेदन करना चाहता था।

दूसरा, सभापति महोदय मैं जो निवेदन करना चाहता हूं वह कालेज शिक्षा के बारे में है। कालेज शिक्षा की ओर मैं कालेज शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सन् 1968 के अन्दर राजगढ़ कालेज खुला। वहां पर आज की तारीख में करीब 1700 छात्र अध्ययन कर रहे हैं। इन छात्रों में एक हजार ग्यारह छात्र एस.सी. और एस.टी के हैं। उस इलाकों के अन्दर उस कालेज को पोस्ट ग्रेजूएट नहीं किया जा रहा है। सन् 1968 के बाद जो कालेज खुले, पांच या छः कालेज ऐसे हैं जो 1968 के बाद खुले और उनको पोस्ट ग्रेजूएट कर दिया गया। राजगढ़ के साथ इस प्रकार का जो भेदभाव किया जा रहा है, मैं समझता हूं यह भेदभाव उपयुक्त नहीं है। इसके बारे में मैं उच्च शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यू.जी.सी. के आधार पर राजगढ़ कालेज को पोस्ट ग्रेजूएट करने का दायित्व आपका है। क्योंकि यू. जी. सी. का यह कहना है जो ट्राइबल एरिया है, जहां माडा योजना हो, उनका विशेष ध्यान रखा जाता है और सर्वोपरि उनको स्थान दिया जाता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है उसमें नये कालेज खोलने की चर्चा नहीं की है, अब आप नये कालेज, पोस्ट ग्रेजूएट कालेज नहीं खोलेंगे तो ऊंची शिक्षा का महत्व क्या होगा? इसमें भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं अध्यापक राजस्थान में प्रशिक्षण लेते हैं और राजस्थान में स्कूलों में अध्यापकों की कमी है। राजस्थान में सैकड़ों ऐसे स्कूल हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जिनमें पूरे सैशन में तीन-तीन अध्यापक लगाकर तीन-चार सौ छात्रों को पढ़ाया जाता है और तीन-चार अध्यापक लगाकर उन स्कूलों को चलाया जाता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस प्रकार किस प्रकार से काम चलेगा। प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक आपके पास हैं, लेकिन स्कूलों के अन्दर उनकी कमी है। मैं समझता हूं इस प्रकार जो आधारहीन तौर-तरीके आपने अपनाये हैं, यह नहीं अपनाये जाने चाहिये।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी-अभी शिक्षा मंत्री जी ने करीब

(श्री समरथ लाल)

650 राजकीय प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये हैं, यह कब खोले ? अक्टूबर, 1983, नवम्बर, 1983 और एक जनवरी, 1984, इन तीन महीनों में यह विद्यालय खुले हैं। अब आप ही, सभापति महोदय, न्याय कीजिए कि क्या यह अच्छा अवसर था विद्यालय खोलने के लिए ? जून, जुलाई के अन्दर यह विद्यालय खुलते तो उपयुक्त होता। जब सैशन चल रहा है तब यह स्कूल खुले हैं तो किस तरह से इनमें छात्र आये होंगे और विद्यालय खुलने के बाद कब अध्यापक आये होंगे, कब उन्होंने छात्रों को पढ़ाया-लिखाया होगा। जो इस प्रकार की प्रणाली आप अपनाना चाहते हैं इन विद्यालयों के खोलने के अन्तर्गत, मैं समझता हूं, यह उचित नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ, सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री अमरा राम।

श्री अमराराम चौधरी (पंचपदरा) : सभापति महोदय, आजादी के बाद शिक्षा जगत में जो प्रगति हुई है वह बहुत ही सराहनीय है। लेकिन समय के होते हुये परिवर्तन के साथ जो हमारी शिक्षा पद्धति है, हमारी जो शिक्षा नीति है इसमें भी परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। पढ़े-लिखे लड़के पहले ज्यादातर बाबू बने आज वह अध्यापक ज्यादा बन रहे हैं। इसलिए शिक्षा नीति में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। मेकाले की इस शिक्षा ने पहले क्लर्कों का निर्माण किया, अब इस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है जिसके कारण पढ़े-लिखे लड़कों, बी.ए., एम.ए. पास लड़कों में बेकारी फैली है। हमारी शिक्षा नीति के कारण लूटपाट और लोगों की हत्यायें करते हैं। मेरा सुझाव है, सभापति महोदय, छठी से लेकर आठवीं क्लास तक लड़का अपने आप में समझदार हो जाता है उसको पढ़ाने के लिए कम से कम एम. ए. फर्स्ट क्लास विद्यार्थी हो। उनको अधिक पे देकर छठी से लगातार आठवीं तक के लड़कों को पढ़वाना चाहिए ताकि उनकी नींव मजबूत हो। कालेज के अन्दर जो लड़के हैं वह अपने आप ही पढ़ते हैं और जो लोग प्राइवेट परीक्षा देते हैं वह अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। बहुत से ऐसे लड़के हैं जो प्राइवेट परीक्षा देते हैं वह अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। क्योंकि वह शुरू से ही होनहार विद्यार्थी होते हैं उनको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहती है। कालिज एजूकेशन में प्रथम श्रेणी, पी.एच.डी. व्यक्ति शिक्षक हों लेकिन यह आवश्यक है नींव है, हमारी बेसिक नींव है, छठी से आठवीं तक लड़का जाता है अगर उस समय इंग्लिश के अन्दर, और विषयों के अन्दर सही रहे तो वहां से वह अपना नया जीवन प्राप्त करता है, नवीं में वह अपने विषय लेता है। किस प्रकार उसकी मनोवृत्ति को बदला जाए, इसके लिए हमें अच्छे अध्यापक लगाने पड़ेंगे। जो होनहार अध्यापक हैं, जिनको अच्छा ज्ञान है वह छठी से आठवीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ायें तभी हमारी नींव मजबूत होगी।

Page No 182

(श्री अमरा राम चौधरी)

जहां तक फिजिकल एजूकेशन का सम्बन्ध है बहुत से ऐसे अध्यापक हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ले ली है लेकिन चार साल हो गये, पाँच साल हो गये अभी तक उनको नहीं लगाया है। आपने एक सिद्धांत बना दिया कि मिडल स्कूल के अन्दर चार सौ या इससे अधिक विद्यार्थी होंगे वहां पर फिजिकल इंस्ट्रक्टर लगाया जायेगा, पी. टी. आई. लगाया जायेगा। लेकिन तीन सौ जहाँ है वहां नहीं लगा रहे हैं, जहाँ चार सौ से कम मिडल स्कूल में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको जो फिजिकल या खेल-कूद की गाइडेंस मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती है। एक स्कूल में पी.टी.आई. है, दूसरे में नहीं है। ऐसे बहुत से स्कूल हैं जहां चार सौ से बहुत कम लोग पढ़ते हैं वहाँ पी.टी.आई. नहीं होने के कारण जो विद्यार्थी हैं वह खेल में ज्यादा रुचि नहीं लेते, क्योंकि उनको खिलाने वाला, गाइड करने वाला नहीं होता है। इस कारण आगे चलकर हमारे जो विद्यार्थी अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं, वह नहीं बन सकते। मैं यह चाहूंगा कि हर मिडल स्कूल में कितनी भी स्ट्रेंथ हो वहां फिजिकल इंस्ट्रक्टर होना चाहिए। बजट में प्रावधान करके ऐसे जहां-जहां मिडिल स्कूल हैं वहाँ पर फिजिकल इंस्ट्रक्टर लगाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा, यह कटौती प्रस्ताव भी मैंने पेश किया है कि आज बहुत से ऐसे मिडल स्कूल हैं जहां बच्चों के बैठने के लिए टाट पट्टियां नहीं हैं, न उनके लिए रेक्स हैं, न अध्यापकों के लिए चेयर्स और टेबल्स हैं। ऐसे स्कूल हैं जहाँ पांच सौ से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं लेकिन उनके बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जो फर्नीचर होना चाहिए वह नहीं है। उदाहरण के लिए मेरे क्षेत्र में बालोतरा शहर का जो स्कूल नम्बर 3 है वहाँ करीब 494 लड़के पढ़ते हैं और 11 टाट-पट्टी हैं। 494 लड़के पढ़ते हैं वहां 11 टाट-पट्टी हैं जब कि कम से कम 114 टाट-पट्टी होनी चाहिए। वहाँ टेबल नहीं हैं, अध्यापकों के बैठने के लिए चेयर्स नहीं हैं। भवन बहुत अच्छा बनाया हुआ है, लेकिन बैठने के लिए तो सरकार को ही सामान उपलब्ध कराना चाहिए। जो सामान आता है वह जिला लेवल पर ही रहता है और स्कूलों के अन्दर उसका पूरा वितरण नहीं होता है। यह बात सही है कि सामान यहाँ से सरकार भेज रही है लेकिन वह भी टूटा-फूटा सामान है। जिला हैडक्वार्टर से दूर स्कूल होते हैं उनको वह भेजते नहीं हैं जिसके कारण से गांवों में और भी जहां छोटे-छोटे मिडल स्कूल हैं, जो दूर हैं जिला हैडक्वार्टर से उनकी हालत तो और भी खराब रहती है।

हम हमेशा बात करते हैं स्त्री शिक्षा के बारे में कि स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। हमारी प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी महिला है, हमारी शिक्षा मंत्री महिला है उसके बावजूद भी स्त्री शिक्षा में अभी तक जो बढ़ावा होना चाहिए, जो स्त्री शिक्षा बढ़नी चाहिए वह पश्चिमी राजस्थान के अन्दर बहुत ही कम है। जोधपुर शहर में काफी पढ़ाई हुई है, लेकिन बाड़मेर जिले के अन्दर स्त्री शिक्षा बहुत ही कम है

(183)

(श्री अमरा राम चौधरी)

क्योंकि लड़कियों के स्कूलों का बहुत अभाव है। मैं, सभापति महोदय, यह कहना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले के अन्दर सिर्फ एक हायर सैकण्डरी स्कूल ही लड़कियों का है 11 लाख की पापुलेशन पर। 11 लाख की आबादी है बाड़मेर जिले की वहां एक ही हायर सैकण्डरी स्कूल है बाड़मेर जिला हैडक्वार्टर पर। बालोतरा वहां से 115 किलोमीटर दूर है, वहां से जोधपुर 105 किलोमीटर दूर है, इसके बीच में कोई भी हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं है। सिनधरी, सिवाना, बालोतरा यह जो पंचायत समितियां हैं उनकी बालिकाओं को हायर सैकण्डरी में पढ़ना हो तो जोधपुर जायें या फिर बाड़मेर जायें। वहां पर कोई भी हायर सैकण्डरी स्कूल बालिकाओं का नहीं है। यहां मंत्री महोदय विराजमान नहीं हैं। मंत्री महोदया पधार रही हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप स्त्री शिक्षा की बात करें। आपने स्वयं पिछली साल कहा था कि मिडल स्कूल कन्याओं के हों कम से कम पर हायर सैकण्डरी का प्रावधान इस बजट में आपने रखा नहीं है। पिछली साल भी आपने मुझे यह कहा था कि इस बजट में नहीं है तो कोई बात नहीं अगले साल जरूर बजट में रखेंगे। तो इस साल जब मैंने बजट पढ़ा तो उसमें लड़कियों के सैकण्डरी स्कूल को क्रमोन्नत करने के लिए कोई प्रावधान नहीं दिखा। इस साल भी बजट के अन्दर नहीं है। मैं चाहूंगा आप बजट के अन्दर अभी भी विचार करके हायर सैकण्डरी स्कूल लड़कियों का रखें। आप जहर पधारी हुई थीं तब मैं कह रहा था कि 11 लाख की पापुलेशन पर एक हायर सैकण्डरी स्कूल लड़कियों का है और 115 और 100 किलोमीटर के बीच में कोई भी हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं है। इसलिए आप इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके हायर सैकण्डरी स्कूल वहां पर करें।

जहां तक मिडल स्कूल का सवाल है आपने पिछले साल काफी मिडल स्कूल खोले हैं, उससे तो मुझे सन्तोष है लेकिन हर पंचायत हैडक्वार्टर पर मिडल स्कूल होना चाहिए। पिछड़े हुए क्षेत्र में जहां 29 किलोमीटर एक पंचायत हैडक्वार्टर का एरिया हो वहां पर एक भी मिडल स्कूल नहीं हो तो उस पंचायत क्षेत्र में आप मिडल स्कूल दें। दूसरी जगह तो तीन-तीन और चार-चार मिडल स्कूल हैं पर मेरे क्षेत्र में कम से कम ऐसे नौ-दस पंचायत मुख्यालय हैं वहां पर कोई अभी तक मिडल स्कूल नहीं है। आपके आने के बाद तो काफी मिडल स्कूल इस साल और पिछली साल भी खुले हैं। जब से हमारी कांग्रेस (आई) की सरकार आई है तब से खुले हैं, लेकिन पहले मे जो कमी है और जनता सरकार के समय एक भी मिडल स्कूल 2।। साल में नहीं खोला और न कोई सैकण्डरी स्कूल खोला, वह कमी है, उस कमी को दूर करने के लिये आप हर कान्स्टीट्यूएन्सी के अनुपात में हमें दे दें। उसके हिसाब से भी न देकर जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र शिक्षा के अन्दर है उसको ज्यादा से ज्यादा प्राथमिक [illegible] देने का कष्ट करें।

इस अलावा हमारे पर्यटन मंत्री

(श्री अमरा राम चौधरी)

जी का भी ध्यान आकर्षित करूंगा कि आपने स्वयं कनोना पधार कर फॉक डान्स वगैरह देखें। हम अपनी पुरानी संस्कृति को यदि जीवित रखना चाहते हैं तो इस संस्कृति को जीवित रखने के लिए जो ऐसे मेले हैं उनको आपको पर्यटन स्थल घोषित करना पड़ेगा। आप उसे ही पर्यटन स्थल घोषित करते हैं जहाँ अंग्रेज आते हैं। उन्हीं को पर्यटन स्थल घोषित करना आप सही मानते हैं, वहीं पर्यटन स्थल होना चाहिए जब कि यह नहीं होना चाहिए....

श्री महाराम चौधरी : पहले पेट भर लो। भूखे पेट संस्कृति से क्या करोगे ?

श्री अमराराम चौधरी : आपने अपनी बात कह दी है। जहाँ हिन्दुस्तान के कोने-कोने से लोग आते हों वहाँ उनकी सुख-सुविधाओं के बारे में कोई भी ध्यान नहीं देते हो और सिर्फ अंग्रेजों के लिए ही जैसलमेर आदि में उनके सुख-सुविधा की व्यवस्था करते हैं। तो यह शो नहीं होना चाहिये। हमारी जो पुरानी संस्कृति सदियों से चली आ रही है इसकी ओर ध्यान नहीं देंगे तो वह लुप्त हो जायेगी। आपने स्वयं यह कहा था, कनोना पर्यटन स्थल घोषित करने की फाइल भी आपके पास होगी और केन्द्रीय सरकार ने भी इसको पर्यटन स्थल घोषित करने का विचार किया था। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने जवाब में इस कनोना को, मंत्री महोदय- पर्यटन स्थल घोषित करने के लिये आज ही फरमायें।

यह कह कर, सभापति महोदय, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री चाव खां।

श्री चाव खां (कामां) : सभापति महोदय, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। कल भी सिर्फ दो मिनट के लिए अध्यक्ष महोदय से मैंने कहा पर उनके कुछ समझ में नहीं आया. आँख मींच लेते हैं फिर भी पचास दफा कहो सुनने वाले नहीं हैं....

श्री सभापति : आप अपनी बात कहें आज की मांगों पर।

श्री चाव खां : सभापति महोदय, मैं सिर्फ अपना सुझाव तालीम के ऊपर इतना ही दूंगा। यहां पर हमारे माननीय सदस्यों ने सारी बातें सदन के सामने रखीं, लेकिन मुझे यह दुख है कि हमारे यहाँ पर उर्दू के बारे में किसी भी माननीय सदस्य ने कोई जिक्र नहीं किया जब कि आपको यह मालूम होना चाहिए कि इस देश का नारा 'इन्कलाब जिन्दाबाद' था जिसके कारण से आज हम और आप इस सदन के अन्दर बैठे हैं। यह 'इन्कलाब जिन्दाबाद' उर्दू का नारा है जब कि उर्दू से आप लोग नफरत करते हो। राजस्थान में नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान के कोने-कोने में जब उर्दू का सवाल आता है तो इससे नफरत करते हैं और इसे बढ़ाने के लिए यह ध्यान नहीं देते हैं। यहां तक कहा जाता है कि यह जुबान यहां की नहीं है। कोई भी माननीय सदस्य इस बात को नहीं कह सकता कि उर्दू जबान

(श्री चाव खां)

देश की जुबान नहीं है। न यह अरबी जुबान है और न यह दूसरे मुल्कों की जुबान है।

दूसरी बात यह है कि कल जो मैं कहना चाहता था यूनानी के मामले में वह आज नहीं कहूंगा। मैं अपने क्षेत्र में ज्यादा स्कूल नहीं खुलवाना चाहता हूं, बल्कि जो स्कूल खुले हुए हैं मैं चाहता हूं कि उनकी व्यवस्था सही होनी चाहिए। वहां पर बच्चे पढ़ते हैं लेकिन मास्टर नहीं हैं इसलिये बच्चे खेल कर वापस आ जाते हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपस में बात नहीं करें कृपया।

श्री चाव खां : लोग तो अपने-अपने क्षेत्रों में शिक्षा के लिए स्कूल मांग रहे हैं लेकिन मैं कोई स्कूल नहीं मांगता। जितने स्कूल उस क्षेत्र में खुले हुए हैं उन्हीं की व्यवस्था को सही किया जाये। वहां मास्टरों की व्यवस्था सही ढंग से की जाये ताकि मास्टर लोग बच्चों को तालीम दें। जो गांव एक, दो और तीन किलोमीटर पर होते हैं वहां पर मास्टर एक-एक और दो-दो घंटे के लिए आते हैं। वह बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं और वापस चले जाते हैं। इसलिए मेरी मान्यता है कि वहां पर जितने मास्टर लगाये जायं वह कुछ दूर के हों ताकि बच्चे पूरी तहजीब से पढ़ें।

बस मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री माणकमल मेहता।

श्री माणकमल मेहता (पाली) : सभापति महोदय, शिक्षा, कला एवं संस्कृति की मांग पर जो मैंने कटौती प्रस्ताव दिये हैं उसके विषय में मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, यह निश्चित बात है कि किसी भी देश की प्रगति वहां की शिक्षा के स्तर पर निर्भर करती है। जैसा उस देश का....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय मुख्य सचेतक महोदय।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि सदन का समय आज की कार्यसूची समाप्त होने तक के लिये बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति : सदन को अनुमति से सदन की बैठक का समय आज की कार्यसूची अर्थात् आज की मांगों के पारण होने तक बढ़ाया जाता है।

समिति का गठन

वित्तीय समितियों के निर्वाचन के लिये नाम-निर्देशन की तिथि में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय,

(श्री खेतसिंह राठौड़)

मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में जो कार्यक्रम प्रसारित किया गया है उसमें आंशिक संशोधन करते हुए माननीय सदस्यों द्वारा नाम निर्देशन वापस लेने की तिथि दिनांक 16 अप्रेल, 1984 के अपराह्न 4 बजे तक के लिए बढ़ाई जाय। चुनाव यदि आवश्यक हों तो दिनांक 18 अप्रेल, 1984 को कराये जाएं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : जैसा आपने पहले किया, आप नामिनेशन तो नहीं करेंगे। चुनाव ही करायेंगे न ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : प्रस्ताव यही रखा है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव मुख्य सचेतक ने रखा है....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया आपस में बात नहीं करें।

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव मुख्य सचेतक ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

माननीय श्री माणकमल महता।

मांग संख्या 24 व 47 पर विचार

श्री माणकमल मेहता : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि किसी भी देश की प्रगति और उसका अभ्युदय उसकी संस्कृति और शिक्षा पर निर्भर करता है। हमारा देश एक प्राचीन संस्कृति को लिए हुए है, उस प्राचीन संस्कृति पर हमें गर्व है, वह संस्कृति हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों ने दी थी। कालांतर में देश पददलित हुआ, दूसरे देश के लोग इसकी ओर आकृष्ट हुए, उन्होंने आकर इस देश पर अपना कब्जा किया। उसके पश्चात् हमारी जो प्राचीन संस्कृति थी उसका विध्वंस होने लगा। धीरे-धीरे ऐसा समय आया जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन करना प्रारम्भ किया। तभी से हमारी अधोगति प्रारम्भ हुई और उस गौरव, उस सभ्यता और उस शैक्षणिक योग्यता, जो प्राचीन समय में हमारे बुजुर्गों ने और ऋषि-मुनियों ने प्राप्त की थी, का ह्रास होता गया। लेकिन जब 15 अगस्त, 1947 को एक नया सूर्य हमारे देश में उदय हुआ, हम आजाद हुए उसके बाद हमने सोचा था कि इस देश में एक नई शिक्षा की पद्धति का सूत्रपात हो, नये तरह से हम इस देश के नागरिकों को एक आजाद देश के नागरिकों की तरह पनपायें, उन्हें आगे बढ़ायें तभी उनका अभ्युदय होगा। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य ही मैं तो कहूंगा कि आज भी 37 वर्ष के बाद हम उसी शिक्षा पद्धति के ढर्रे को लिये हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं, किसी प्रकार का मुझे संकोच नहीं होता यह कहते हुए कि हम शिक्षा पद्धति में परिवर्तन लाये हैं, शिक्षण संस्था

(श्री माणकमल मेहता)

खोलने में, विश्वविद्यालय खोलने में हमने बहुत प्रगति की है, मैं इसके लिये जो हमारे शिक्षा के मंत्री हैं राजस्थान के, और जो मंत्री रह चुके हैं, सन् 52 से आज तक जो मंत्री रहते आये हैं कांग्रेस सरकार के उनका आभार प्रकट करता हूं । उन्होंने शिक्षा को बढ़ाया, लेकिन जो पैटर्न अंग्रेजों ने हमें दिया, उसी पैटर्न को लेकर आज तक हम चलते रहे हैं । क्या हमारे यहां ऐसे प्रबुद्ध नहीं हैं या ऐसे बुद्धिजीवी लोग नहीं हैं जिनकी कमेटी बनाकर हम उसमें आमूल-चूल परिवर्तन कर सकते ? मुझे आज आश्चर्य होता है, बहुत से विधान सभा के माननीय सदस्यों ने जो विचार प्रकट किये हैं उन्होंने यह बात निवेदन की है और बताया है कि हमारे जैसे भारतवर्ष में है उसी तरह इस प्रदेश में भी काफी नवयुवक अधिक संख्या में पढ़ लिखकर के कालेज से, यूनिवर्सिटी से, स्कूल से आये हैं उन लोगों का हाल क्या हो रहा है ? वे आज नौकरियों की तलाश में मारे-मारे भटक रहे हैं । उन्हें नो वेकेन्सी का बोर्ड देखने को मिलता है । मैं उस शिक्षा की कोई उपादेयता नहीं समझता जिससे शिक्षण संस्थाओं से हजारों और लाखों की तादाद में हम युवकों को निकालें और उसके बाद वे सड़कों पर मारे-मारे भटकते फिरें । जैसा माननीय सदस्य श्री अमराराम जी ने कहा, जो यहां डकैतों की बात सुनते हैं और पुलिस के लोग पकड़ कर लाते हैं उनमें उन लोगों को लाते हैं जो ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं । यह क्या है ? यह भटकाव है, उस फ्रस्टेशन के कारण ही वे लोग हमको इस तरह से नजर आते हैं । यदि हम शिक्षा में इस तरह की प्रगति करते रहे और हमने क्वालिटेटिव तरीका कोई नहीं अपनाया, हमने शिक्षाविदों को बैठाकर के अच्छी तरह की उन्नति नहीं की या इस तरह की कोई योजना नहीं बनाई जिससे उन युवकों को हम किसी तरह से किसी काम में लगा सकें तो शिक्षा की कोई उपादेयता नहीं है ।

मैं टैक्निकल एजूकेशन की ओर आपका ध्यान दिलाकर निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे प्राइमरी स्कूल के लिये तो हम यह कह सकते हैं कि हमने इस बजट में हजारों स्कूल खोलने की या 300 की आबादी के ऊपर स्कूल खोलने की बात कही है, वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहां हमारे छोटे-छोटे बच्चों को साक्षर करने की आवश्यकता है उसके लिये हम प्राइमरी स्कूल खोलने की बात सोचें तो वह बात ठीक मान सकते हैं, 300 की आबादी पर प्राइमरी स्कूल खोलने के बाद आगे की जो शिक्षा है उसके लिये हमें चिन्तन करना चाहिये, हमें विचार करना चाहिये और सोचना चाहिये कि हम किस तरह से शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ायें । मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो इस भारतवर्ष की हमेशा से संस्कृति रही है जिसमें अध्यात्म का पुट रहा है, चन्दनमल जी जब हमारे शिक्षा मंत्री थे उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि हमारी शिक्षण संस्थाओं के स्लेबस में जब तक अध्यात्म की या हमारे आचरण की, सभ्यता की बात का समावेश नहीं करेंगे तब तक हमारे बच्चों का, हमारे युवकों का शुद्धिकरण नहीं हो सकता, उन्हें

(श्री माणकमल मेहता)

जो हमारी संस्कृति है उसका ज्ञान नहीं हो सकता। मुझे आश्चर्य होता है जब मैं स्लेबस को देखता हूं जिसके अनुसार वे पढ़ते हैं और स्कूलों में वे 15, 20 किताबें ले कर जाते हैं, गधे के बोझ की तरह बस्ते को उठाकर ले जाते हैं। इस समय सामाजिक ज्ञान का विषय है उसमें भी हमारे नेताओं के, लीडरों के हर क्षेत्र के उन लोगों, जिन लोगों के चरित्र बहुत ऊंचे थे, जो हमारे देश को आगे बढ़ाने वाले लोग है, जिन्होंने देश को आजाद कराया चाहे बौद्धिक क्षेत्र के हों, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र के हों, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र के हों, चाहे नैतिक क्षेत्र के हों, जो अगुआ रहे हैं देश के, उन लोगों की कोई भी शिक्षा नहीं दी जाती, उनका पाठ्यक्रम में कहीं नाम नहीं होता। मैं शिक्षा मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि इस समय इन कट मोशन्स के माध्यम से जो हमारी बात सुनी जाती है उनका यदि समावेश किया जाता है, उनके ऊपर कोई ध्यान दिया जाता है तो वास्तविकता यह रहेगी कि हमारे देश के बच्चे को हमारे देश के उन प्रणेताओं की बात याद रहेगी, वह पढ़ेंगे अपनी क्लास में तो वास्तव में अपने चरित्र का वैसा निर्माण करेंगे जिस चरित्र को हमारे पूर्वजों ने माना है। इसके लिये मैं आपसे विशेष रूप से निवेदन करूंगा कि कम से कम 8वीं और 10वीं कक्षा स्तर तक निश्चित रूप से इसे कम्पलसरी सबजेक्ट कर दें और नैतिक शिक्षा का एक पीरियड किया जाये।

टीचर्स के लिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज जो फर्स्ट क्लास या फर्स्ट पोजीशन के लड़के होते हैं, जो पास करके आते हैं उनको रिक्रूट करते हैं आप उनको टीचर बना देते हैं। केवल फर्स्ट डिविजन या फर्स्ट पोजीशन आने से यह कोई आवश्यक नहीं है कि उनको शिक्षक बना दें, यह कोई क्राइटेरिया नहीं है। शुरू से जब से वह पढ़ें उस वक्त से उनका कैसा करेक्टर रहा है, इन चीजों को देखना बहुत आवश्यक है। शिक्षा क्षेत्र में वही जाने चाहिये जो वास्तव में समर्थ हों। इस तरह के लोगों का सलेक्शन करना चाहिये और ऐसे ही लोगों को लेना चाहिये जिनका मानसिक स्तर बहुत ऊंचा और समृद्ध हो।

(5.00 म. प.)

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा इसके साथ-साथ कि ग्रामीण क्षेत्र में आपने जो प्राइमरी स्कूल खोले हैं, जो मिडल स्कूल खोले है उनमें आपने टीचर्स पूरे नहीं दिये। आप शिक्षा बढ़ा रहे हैं, उस शिक्षा में अधिक से अधिक स्कूल खोले रहे हैं, मेरा निवेदन है, अधिक स्कूल न खोलकर जितने स्कूल हैं उनको ही स्टेबलाइज करें। 500 स्कूल खोलें, 400 स्कूल खोलें, हजार स्कूल खोलें, कुछ भी खोलें उसी के अनुपात में यदि टीचर्स आप भेजेंगे तब तो इनकी उपादेयता है वरना कोई उपादेयता नहीं रहती। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने पंचायत समितियों में और अरबन क्षेत्र में भी स्कूल खोले हैं। मिडल स्कूल्स में भी आपने 60 हजार का लक्ष्य रखा है, 30 हजार टीचर्स को आप रिक्रूट करने जा रहे हैं, इससे कोई लाभ नहीं है। वे टीचर्स

(श्री माणकमल मेहता)

कैसे उनको पढ़ायेंगे ।

इसके अलावा जब आप किसी भी स्कूल को क्रमोन्नत करने जाते हैं अगर स्कूल खोलने जाते हैं, तो शिक्षा का जो सत्र प्रारम्भ होता है उस वक्त अगर आप खोलते हैं तो साल भर विद्यार्थी पढ़ सकते हैं वरना जनवरी में खोलते हैं, फरवरी में खोलते हैं या मार्च में खोलते हैं तो अप्रेल में जो एग्जामिनेशन होते हैं मैं समझता हूं उसका कोई उपयोग नहीं है । मैं शिक्षा मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप कोई नीति बना ले जिसका आप स्कूल खोलते वक्त विशेष ध्यान रखें । जो भी आप निर्णय करें, केबिनेट से करें या कैसे भी करें, स्कूल में टीचर्स उस समय ही दें । जुलाई, अगस्त, जब सत्र प्रारम्भ होता हो, में ही स्कूल खोलने चाहिये ।

इसके अलावा एक बात मैं आपको और निवेदन करना चाहता हूं । जो ग्रामीण स्कूल हैं उनमें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के टीचर्स आप भेजते हैं । छोटे गांवों में छुआछूत की बीमारी अभी मिटी नहीं है । उनको वहां पर रहने के लिये क्वार्टर भी नहीं मिलते हैं । आपने करोड़ों रुपयों का, 200 और कितने ही करोड़ का बजट बना रखा है, लेकिन जब तक आप उनको आवास की सुविधा नहीं देंगे तब तक वह टीचर्स वहां जाते हैं, थोड़े दिन रह कर वापस आ जाते हैं और ट्रान्सफर के लिये निवेदन करते हैं । मजबूर होकर आपको उनका ट्रान्सफर करना पड़ता है । इसलिये उनकी उपयोगिता और उपादेयता नहीं रहती । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस बजट में ऐसा प्रोविजन रखें कि जो स्कूल जहां भी आप खोलें वहां कम से कम एक क्वार्टर बनाने की व्यवस्था करें, वह कच्चा क्वार्टर और कच्चा झोंपड़ा हो लेकिन उनके रहने के लिये क्वार्टर होना आवश्यक है ।

इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा. स्त्री शिक्षा पर हम इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं जितना हमें देना चाहिये । जिस अनुपात में लड़कों के स्कूल खोलते हैं उसी प्रपोर्शन में बल्कि इक्वली हमें लड़कियां के स्कूल भी खोलने चाहिये । स्त्री और पुरुष दो पहिये हैं जिससे गाडी चलती है गृहस्थ की, वे दोनों अगर बराबर हों, लड़के और लड़कियां शिक्षित हों और दोनों बराबर रूप से शिक्षित हों तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं हमारा देश अधिक सुदृढ़ होगा और आगे बढ़ सकेगा ।

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा । कालेज एजूकेशन में आपने विषय खोलने की बात कही । आप पोस्ट ग्रेजूएट कालेजेज नहीं खोल पा रहे हैं, उनमें ही विषय बढ़ा रहे हैं । लेकिन जिस स्थान पर जो विषय उपयुक्त हो वही विषय वहां पर खोलन हमारे चाहिये । अभी मैंने सोचा है और मैंने बजट भाषण में भी पढ़ा, उसके बाद राज्यपाल महोदय के अभिभाषण मे भी उन्होंने यह कहा है कि टेक्सटाइल ट्रेनिंग इन्स्टी-ट्यूशन आप भीलवाड़ा में और दूसरी जगह भरतपुर में खोलने की बात करते हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं पाली एक ऐसी जगह है जहां पर टेक्सटाइल का बहुत बड़ा

(श्री माणकमल मेहता)

स्कोप है। वहां कम से कम 500, 600 यूनिट्स हैं। आप यह इन्स्टीट्यूशन जिन स्थानों पर खोलना चाहें, खोलें लेकिन मेरा आग्रह है कि पाली को इसमें निश्चित रूप से इन्क्लूड करना चाहिये। वहां पोटेन्शियलिटी है, वहां काफी युवक मिलेंगे और बहुत ज्यादा उत्साहित होकर प्रवेश प्राप्त करेंगे।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा इसके साथ-साथ कि जो दूसरी बातें शिक्षा की हैं इनके बारे में माननीय सी. पी. जोशी ने आपको काफी बताया है, काफी विस्तार से उन्होंने अपने विचार प्रकट किये हैं। मैं कुछ बातें कहना चाहता था लेकिन उन्होंने काफी बातें कही हैं। इसलिये मैं इन्हीं बातों के साथ यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो प्राइमरी स्कूल आपने खोले है उनको स्टेबलाइज करने के लिये टीचर्स दीजिये। आपने जिन स्कूलों को मिडल स्कूल में परिणत किया है उनमें भी जितनी जल्दी टीचर्स भिजवा सकते हैं, भिजवाने की कृपा करें। आपने पंचायत समितियों को इस बात के लिये आथोराइज किया है कि वे प्राइमरी स्कूल्स में अपने टीचर्स लगावें, आपने उनको प्राइमरी स्कूलों में टेम्प्रेरी टीचर्स लगाने की इजाजत तो दे दी, मगर उनको आपने पोस्ट नहीं दी। जब तक आप पोस्ट नहीं देंगे तब तक वे किस पोस्ट के अगेन्स्ट रिक्रूट करेंगे। निश्चित रूप से इस बात की बहुत आवश्यकता है इसलिये इस पर भी आप विचार करें। मैं इस विषय में और ज्यादा निवेदन नहीं करना चाहता हूं। केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि आपने जो इस वर्ष में इतना बड़ा बजट रखा है और आपने कालेज नहीं खोलने के लिये कहा है, लेकिन हर कालेज में एक-एक, दो-दो विषय खोलने की बात कही है वह उपयुक्त स्थान पर उपादेयता के हिसाब से ही खोलें। आपने प्राइमरी स्कूल, मिडल स्कूल और सैकण्डरी स्कूल जितनी तादाद में खोले हैं, यह भी अपनी सरकार के लिये बहुत बड़ी प्रशंसनीय बात है, मैं इसके लिये शिक्षा मंत्री जी दोनों को धन्यवाद देता हूं।

जय हिन्द।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती कमला (शिक्षा मंत्री) : सभापति महोदय, रिप्लाई कब होगा ?

श्री सभापति : समय तो बढ़ा ही दिया गया है।

श्रीमती कमला : उजला जी, आज जयपुर में गणगौर है इसलिये थोड़ा ही बोलना।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, मुझे आशा थी कि इस साल के बजट में ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा के लिये कोई नई योजना लाई जायेगी और उसके विस्तार की यहां घोषणा की जायेगी, लेकिन देखा यह गया है कि ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा के बारे में सरकार चिन्तित नहीं है। जो प्रौढ़ शिक्षा के स्कूल

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

खुले हैं वे भी अधिकांश शहरों में हैं। शहरों में जितने भी प्रौढ़ शिक्षा के स्कूल हैं उन्होंने भी इस पर ध्यान नही किया। साक्षर भी कहीं-कहीं कर पाये हैं और कहीं-कहीं पर कुछ भी नहीं किया है। नाम मात्र के जितने लक्ष्य थे उनकी उपलब्धियां भी नहीं की, इसके कई कारण रहे हैं। माननीय मंत्री महोदया इसमें सुधार करेंगी, ऐसी मुझे आशा है।

यहां पर टैक्निकल शिक्षा की भी बात कही गई है, आई. टी. आई. के लिये कुछ बच्चों को शामिल किया जाता था, उनकी एक संख्या सीमित थी, साथ ही पहले उन्हें स्टाइपेन्ड दिया जाता था। अब स्टाइपेन्ड सामान्यतया सवर्ण लोगों के लिये बन्द कर दिया गया है केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिये है। मेरा यह आग्रह है मंत्री महोदया से कि वे सबको स्टाइपेन्ड दें। यदि उनको देने की योजना न बन सके तो वहां पर बच्चे अपना मैटीरियल लाकर शिक्षा प्राप्त कर सकें, सीख सकें, ताकि जिस विषय में टैक्निकल लाइन में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं सामान के अभाव में उनका ज्ञान अधूरा न रहे, इस बात का वे ध्यान रखें।

महिला पोलीटेक्निक के बारे में मैंने आग्रह किया था भाई श्री हनुमान जी से जब वे मन्त्री थे। उन्होंने इस बात को माना किन्तु एक ही महिला पोलीटेक्निक जयपुर में खोला और उसमें भी बहुत कम विषय रखे। यह तो मैं अच्छा मानती हूं कि जो प्राइवेट संस्था को दिया हुआ था उससे उन्होंने ले लिया, लेकिन उसमें जितनी अनियमितताएं हैं, उनको आप दूर करें। साथ ही बड़े बड़े शहर-उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर इन सभी स्थानों पर महिला पोलिटेक्निक स्कूल खोलने की कोशिश करें। मैं समझती हूं अपने जवाब में आप यह बतायेंगी कि इस बारे में आप अपना क्या विचार रखती हैं यह एक बहुत अच्छा कदम रहेगा।

मैं निवेदन करना चाहूंगी हिन्दी भाषा के बारे में जो हमारी राष्ट्र भाषा है, माननीय मंत्री महोदया ध्यान दें। आपके सचिवालय के हर कमरे में एक प्रेरक पोस्टर तो लगा हुआ है कि हिन्दी भाषा में काम किया जाय। पर क्या कभी आप देखती हैं कि आपका भाषा विभाग क्या काम कर रहा है। इस बारे में कहीं कोई प्रगति देखने को नहीं मिलती है। अभी भी हमारे सचिवालय के अधिकारी, मंत्री और अन्य व लोग अधिकतर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं, नोट भी उसी में लिखे जाते हैं। राष्ट्र भाषा को अपना दर्जा दिलाने के लिये राजस्थान की मंत्री महोदया क्या कहने वाली हैं इस बारे में मंत्री महोदया अपने उत्तर में अवश्य बतायें कि क्या उनकी कोई योजना है। साथ ही इसका भी मूल्यांकन करें कि उनके आदेशों की पालना उनके सचिवालय और अन्य सचिवालय कुछ कर रहे हैं या नहीं?

दिक्कत यह है, मन्त्री महोदया, हमारे पास कोई शिक्षा भवन नहीं है। आपको शिक्षा भवन बनाना चाहिए था। आप देखेंगी कि हमारा एक दफ्तर तो सीकर हाउस में नाहरी के नाका में चल रहा है,

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

दूसरा महिला इन्सपेक्टर आफ स्कूल कहीं और चल रहा है, लड़कों का इन्सपेक्टर आफ स्कूल वहीं और चल रहा है और एक स्कूल पागलखाने में चल रहा है। मैं समझती हूं कहीं भवन के लिए....

(व्यवधान)

मुझे मालूम है।

भवन के लिए प्रावधान करके भुवन बनाया जाना चाहिए जिससे कि जहां वह चल रहा है उसका प्रभाव इस विभाग पर से कम हो।

एक माननीय सदस्य : नाहरी का नाका है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे मालूम है। नाहरी के नाका में सीकर हाउस में एक प्रौढ़ शिक्षा का केन्द्र चल रहा है उसके बारे में मैं बात कर रही थी...

एक माननीय सदस्य : आपका उससे क्या लेना।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे मालूम है।

हमारे यहां जो कुछ शिक्षण संस्थाए चल रही हैं निजी भवनों में और कुछ शिक्षण संस्थाए सरकारी भवनों में चल रही हैं। दोनों की ही हालत खराब है। प्राइवेट भवनों में चलने वालों की हालत यों खराब है कि उनके किराये की अदायगी वर्षों से मन्त्रालय ने नहीं की है और अपना पैसा निजी भवन वाले उनमें लगाने के लिए तैयार नहीं हैं। प्राइमरी से लेकर हायर सैकण्डरी तक के स्कूल ऐसे भवनों में चल रहे हैं जिनकी हालत जीर्ण-शीर्ण है और यह हम देखते हैं कि हर वर्ष कुछ न कुछ कहीं न कहीं दुखान्तिका घटती रहती है। बच्चे-बच्चियां मरती और घायल होती रहती हैं। मैं कहना चाहूंगी मन्त्री महोदया से कि बहुत बड़ा बजट के हिस्से का उन भवनों, जिनमें हम बच्चों को शिक्षा दिला रहे हैं, की सुरक्षा के लिए हम प्रावधान करें। जहां-जहां भी नये भवन निर्माण और भवनों के जीर्णोद्धार की आवश्यकता है वहां उसके लिये बजट दें।

मैं कहना चाहूंगी जयपुर जिले में पंचायत समिति झोटवाड़ा में कालेज कई हैं, लेकिन पंचायत समिति जमवारामगढ़ में एक भी कालेज नहीं है। इतनी अधिक जनसंख्या है, इतना बड़ा विस्तृत क्षेत्र है, इतने छात्र हैं फिर भी, मन्त्री महोदया, आप जयपुर से लगे एक बहुत बड़े कस्बे को और एक बहुत बड़ी पंचायत समिति को कालेज की शिक्षा से वंचित रख रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगी कि पंचायत समिति जमवारामगढ़ कस्बे में कालेज खोलने का प्रावधान करें।

मन्त्री महोदया से मैं कहना चाहूंगी कि नैतिक शिक्षा के लिए।'

(5·13 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई,

अध्यक्ष, पदासीन)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

सरकार वचनबद्ध थी और यह कहा गया था कि हम पाठ्यक्रम में इसको जोड़ेंगे। लेकिन उसको अभी तक नहीं जोड़ा गया। मन्त्री महोदया महिला हैं। मैं कहना चाहूंगी कि एक मां जिस तरह अपने बच्चों को सुसंस्कारित कर सकती है उसी तरह से मैं समझती हूं कि आप अगर पाठ्यक्रम में इस शिक्षा को जोड़ेंगी तो बहुत से बच्चों को इसका फायदा होगा। मेरा सुझाव तो यह भी है कि प्राइमरी शिक्षा में केवल महिला से ही शिक्षा दें, ऐसा प्रावधान होना चाहिए क्योंकि उस उम्र के बच्चों को मातृत्व की भावना की बहुत जरूरत है। मन्त्री महोदया मेरे इस सुझाव पर भी ध्यान दें।

यहां पर मैं कहना चाहूंगी कि एक सिन्धी कैम्प स्कूल है, उसका भवन है जिसमें 3-4 कमरे हैं, उसमें प्राइमरी, मिडल और सैकण्डरी तीनों तरह के स्कूल चलते हैं बल्कि उसमें संगीत की शिक्षा और दी जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप वहां जाकर देखें, उसके फर्श पर खड्डे पड़े हुए हैं। आज मैं कहना चाह रही थी कि आप सुधार करें तो इसका ध्यान रखें।

जिस दिन जरा हवा चलती है, बरसात होती है उस दिन गंगापोल स्कूल की टीचर घबरा कर छुट्टी कर देती हैं, कहीं कोई दीवार, कहीं कोई छत इन बच्चों पर न गिर जाय। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। यही हाल जयपुर के मेरे इलाके के और भी दसियों स्कूलों का है उनका नाम कहां तक गिनाऊं। आप इसमें सुधार के लिए एक बहुत अच्छा बजट दें और पी. डब्ल्यू. डी. में एनलिस्ट कराने के लिए कोई और आवश्यकता पड़ती हो तो वह भी करें।

मैं कहना चाह रही थी कि अपने यहां कुछ एकेडमीज हैं वह विभिन्न स्थानों पर हैं। यदि एक शिक्षा भवन हो और उसमें आप इन एकेडमिज को भी समायोजित कर लें तो मैं कहना चाहूंगी इनके कार्यों में विस्तार भी होगा और सुचारु रूप से ये अपना कार्य कर सकेंगी। जहां तक हिन्दी साहित्य एकेडमी का सवाल है मैं कहना चाहूंगी कि श्री पुरुषोत्तम लाल जी नागर जी, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहती थी लेकिन उन्होंने जिस तरह का प्रयोग यहां पर किया है, अपने किन्हीं के ऊपर उधार था तो उधार होने के बाद भी उन्हें पुस्तकें दीं बिना बैंक के क्रास चैक के दिये और न पैसा लिया। इतना ही नहीं...

श्री अध्यक्ष : आपने इस सम्बन्ध में कोई कटौती प्रस्ताव दिया है क्या ?

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : एक भी नहीं दिया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हां, मैंने दिया है। मेरे कटौती प्रस्ताव का अगर उत्तर दे दें तो मैं बोलूं ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, हिन्दी साहित्य एकेडमी के सम्बन्ध में।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हां जी, मैंने दिया है।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मान्यवर, मैं कहना चाहूंगी कि इनको बिना पैसा लिये और अपने पास से छपवा-कर नहीं बल्कि बाजार से खरीदकर किताबें दी गयी हैं। यह बहुत गलत तरीका है। मैं कहना चाहूंगी कि इनके बारे में आरोप के 27 बिन्दु मेरे पास हैं। मैं आपको बतला दूंगी कि किस तरह से इन्होंने धन का दुरु-पयोग किया और दुरुपयोग कर रहे हैं निरन्तर। इसके अन्दर आप निश्चित रूप से सुधार करें और उन्होंने जो गलतियां की हैं उनके लिये अगर आपके यहां कोई सजा का प्रावधान हो तो वह भी दें।

लड़कियों के खेलकूद के बारे में हमारे यहां कोई विस्तार से बात नहीं सोची गयी है। हमने एशियाड के दिनों में, जब अपने घरों में चित्रों में देखा, जब अखबारों में पढ़ा कि चीन की और जापान की लड़कियां हमारी लड़कियों के मुकाबले में बाजी मार ले गयीं तो एक ठेस जरूर लगी है इस बात के लिए कि महिलाओं के खेलों के बारे में सरकार जरा भी चिन्तित नहीं है। हमारे यहां के सारे इनाम बाहर की लड़कियां जीतकर ले गयीं। यहां पर किया क्या जाता है ग्रामीण स्कूलों में, अगर कुछ खर्च किया जाता है थोड़ा बहुत खेलों पर तो उन्हीं लड़कियों से एक रुपया महीना 12 रुपये साल लेकर खर्च किया जाता है। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, यह तो लड़कियों के खेलों का हाल है। मैं आशा करती हूं, मन्त्री महोदया इस बारे में प्रावधान करेंगी। हमारे मन्त्री बैठे हुए हैं कुछ तो बजट आप उपलब्ध करायें।

एक माननीय सदस्य : पहले लड़कों को जिता दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : और लड़कों के खेलों के बारे में नीति स्पष्ट होनी चाहिए और लड़कियों के खेलकूद की नीति स्पष्ट होनी चाहिए कि आप क्या क्या खेल खेलना चाहते हैं। आधुनिक खेल और हमारे घरों में खेले जाने वाले पुराने खेल हैं वह भी कुछ कम महत्व के नहीं हैं। मैं कहना चाहूंगी कि आप इसके बारे में प्रावधान करें।

सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ हमारे यहां की विभूति है। हमने यहां स्कूल खोला पर, मान्यवर अध्यक्ष महोदय, उसमें बच्चों के दूध का प्रावधान नहीं है। पिछले सालों में हर साल मार्च में एक ग्रान्ट दी जाती रही है। माननीय मन्त्री महोदय बतायें इस साल कितना दिया है? आपके उत्तर में आप जरूर बताएं। सैनिक स्कूल में शिक्षा देकर हम सैनिक पैदा करना चाहते हैं उसमें बढ़ती उम्र में पांचवीं कक्षा से लेकर ग्यारहवीं कक्षा तक वह शिक्षा प्राप्त करते हैं। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, बतायें क्या इस उम्र में दूध जरूरी नहीं? हम दूर-दूर से दूध मंगा कर उसको ठण्डा करके दिल्ली तक भिजवाते हैं तो क्या हमारे बच्चों के लिए हम चित्तौड़गढ़ में दूध नहीं भेज सकते? दूध के लिए पैसों का प्रावधान नहीं कर सकते? मन्त्री महोदया, अगर आप नहीं कर सकतीं तो जो अपने बच्चे पढ़ाते हैं उनसे पैसा लेकर दूध भिजवाने की व्यवस्था तो आप कर सकती हैं। उसके भवन को बने हुए काफी दिन हो गये हैं, इतनी जीर्ण-शीर्ण व्यवस्था है, वहां चादरें फट

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

गयी हैं, 5–6 साल से बच्चों के बिस्तरों की चादरें बदली नहीं जा रही हैं। मन्त्री महोदय कभी एक विजिट करके आयें, जो सैनिक स्कूल देहरादून का है और जो सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ का है उसमें इतने अच्छे शिक्षक होते हुए भी इतना अन्तर क्यों है। हम जो थोड़ी बहुत चीजें उन्हें उपलब्ध करायें उनकी कमी के कारण क्या बच्चों पर बुरा असर नहीं पड़ता।

मैं कहना चाहूंगी पर्यटन विभाग के सम्बन्ध में कुछ बातें। एक दो बात मेरी और रह गयी हैं। मैं उन्हें पूरी कर दूं।

यह हमारे यहां बोर्ड की जो पुस्तकें छपाने की बात कही गयी वह बड़े पैमाने पर छपाने की बात कही गयी। एक साथ इतनी पुस्तकें छपवाई जा रही हैं और, मान्यवर अध्यक्ष महोदय, दो महीने का टाइम है। वह भी उन लोगों द्वारा छपवाई जा रही हैं जो उनके लिए प्रामाणिक नहीं। इसके लिये पाठ्यक्रम समिति की मीटिंग बुलायी जानी चाहिये। पाठ्यक्रम समिति के नियम हैं उनके विपरीत उनसे पुस्तकें छपवायी जा रही हैं। पाठ्यक्रम समिति और बोर्ड में जो निर्णीत होनी चाहिए थीं बातें, उनके वगैर काम कर रहे हैं। जहां कुछ बातों में निर्णय हो गया है वहां निर्णय के विपरीत आप पुस्तकें छपवा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगी कि डिटेल में मैंने मेरे कटौती प्रस्तावों में सभी बातें लिखी हैं, आप अपनी यह पुस्तकें छपाने की जो नीति है इसमें किस तरह से सुधार करेंगी और जो गलत काम हो रहे हैं उनमें किस तरह से बदलाव लायेंगी, यह, मंत्री महोदया, अपने उत्तर में बतायें।

हमारे पुरातत्व के बारे में हमें बड़ा गर्व है। हमारे यहां संगमरमरी महल हैं, उनके कमरे हैं, दरवाजे हैं, उनका रंग है, हम कहां सुरक्षा कर पाये हैं इन सब की। मंत्रालय क्या करता है, विभाग क्या करता है, मेरी समझ में नहीं आता। कंगूरे टूट रहे हैं। हम जहां बैठे हैं, इसके पीछे हवा-महल में जाय तो उसकी जालियां टूटी पड़ी हैं। इस ओर पुरातत्व विभाग का कतई ध्यान नहीं है। जो हमारे महल थे जिनको हमने पर्यटन के हिसाब से रखा हुआ है उनको देशी-विदेशी लोग आ करके देखते हैं। मंत्री महोदया देख आवें, जिसमें रामा कालेज है उसकी एक भी खिड़की सलामत नहीं है। आप जाते हुए देख लें और उसको सुधारने की कोशिश करें।

श्री बुलाकीदास कल्ला (राज्य मंत्री, शिक्षा): हवामहल की मरम्मत के लिए काफी काम हुआ है। आपका बहुत पुराना देखा हुआ होगा।

गंगापोल दरवाजा लोगों ने तोड़ दिया और तोड़ कर अपने उपयोग, काम में ले रहे हैं। आपने वायदा तो यह किया था यह सब चीजें लेते वक्त कि किसी के द्वारा अगर इसको जरा भी खण्डित किया गया, खुर्द बुर्द किया गया तो हम उनके खिलाफ सजा

Page No 196

(196)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

की कार्यवाही करेंगे, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। हो यह रहा है कि जो प्रेस्क्राइब्ड कलर था, गुलाबी रंग, जिसके नाम से जयपुर शहर जाना जाता था, पिंक नगर, भारतवर्ष में एक ही गुलाबी नगर है, इसके बाजार के भवनों पर गुलाबी कलर नहीं करके, मान्यवर, हिरमिच कलर कर दिया गया है। मैं कहना चाहूंगी, जिस रंग के बावाजी कपड़े पहनते हैं वह रंग करके नगर को बाबाजी बना करके रख दिया गया है। वह रंग भी ऐसा है कि आज पुताई करो तो कल पुताई उतर जाती है, ऐसा लगता है कि सारी दीवारें रो रही हैं, पुती नहीं हैं। हमारा शहर सुन्दरता के लिए, एकरूपता के लिए प्रसिद्ध शहर है। मंत्रिगण पता नहीं कहाँ-कहाँ से आए हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि यह राजधानी है। हमारे यहाँ की मान्यताओं के अनुसार इसकी रक्षा, सुरक्षा करके एकरूपता अगर वैसे नहीं रख सकते और नियम बनाने की आवश्यकता पड़े तो आपको इसके लिए नियम बनाने चाहिए। आप बाजार में निकल जाइये। एक दुकान पर गेरुआ रंग है, दूसरे पर गुलाबी रंग है, तीसरे पर कत्थई कलर है। हर दुकानदार ने रंग बिगाड़ने के लिए अपनी योजना बनाई हुई है। आपका विभाग कर क्या रहा है? देखता क्यों नही है। मैं देखती हू कि किसी ने ऊपर सफेदी का पोता मार कर अपनी दुकान का विज्ञापन ही लिख दिया। जिनकी दुकानों पर ऐसे विज्ञापन हैं आप उनको सजा दीजिए। इस तरह से गुलाबी नगर के रंग को वह बिगाड़ कैसे सकते हैं। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं कहूंगी कि इस बारे में वह ध्यान रखें।

पर्यटन विभाग के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूंगी। जयपुर नगर में मेरे इलाके में एक कैफेटेरिया बनने वाला था जिसके लिए मुख्य मंत्री महोदय और मंत्री महोदय सभी गए थे जल महल में। परियोजना बनी थी और यह कहा गया था कि एशियाड से पहले ही कैफेटेरिया तैयार हो जाएगा। मंत्री महोदय अपने उत्तर में मुझे बतायें कि वह कैफेटेरिया क्यों नहीं बना? उस पर खर्चा कितना लगा और बाकी रुपया और कब तक खर्च कर दिया जाएगा? वह योजना है या समाप्त कर दी गई? जलमहल वाली योजना में जल महल में नाव तैरने वाली थीं। नावें क्यों नहीं तैरीं? अब आप इन नावों को कब तक तैरा देंगे? उसमें से बदबू का पानी कब तक खतम कर देंगे? मुझे यह बतायें।

मैं कहना चाहूंगी कि जो पुराने समय में तय किये गये पर्यटन स्थल थे केवल उन्हीं तक हम सीमित रहना चाहते हैं, यह कोई अच्छी बात नहीं है। बहुत सी चीजें, बहुत से स्थान हम दिखा सकते थे, उनका विकास विस्तार से किया जा सकता था। आबू पर्वत सात किलोमीटर ऊंचा है, गोगुन्दा सात किलोमीटर ऊचा है, ज्यादा ठण्डा है, हम उसका विस्तार और विकास कर सकते थे, लेकिन किया नहीं गया है। मैं कहना चाहूंगी मंत्री महोदय ध्यान दें कि किन-किन और दर्शनीय स्थलों का तत्काल

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

विस्तार करके, विकास करके उनको हम पर्यटन स्थलों में जोड़ पा सकेंगे ?

आपने जो अपनी पुस्तिकाएँ दी हैं, रंगीन और सफेद, वह आपने मैप वाले कागज पर छपवाई हैं। मैप-कम-फोल्डर छपवाया है। मान्यवर, सफेद और कालों की तो संख्या है दो लाख से ऊंची और दूसरे रंगीन जो छपाए हैं उनकी भी इतनी ही हैं। राजस्थान के कौन-कौन से दर्शनीय स्थल हैं जो देखे जा सकते हैं, अगर इन सारों के मैप-कम-फोल्डर्स के बजाय छोटी बुकलेट छपवा देते तो आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को दे सकते हैं और उनको एक ही जगह पर यह मालूम हो जाता कि राजस्थान में ये ये भव्य स्थल, सुन्दर स्थल दर्शनीय स्थल हैं। अगर वह इस बार नहीं देख सके तो, मान्यवर अध्यक्ष महोदय, अगली बार अपना कार्यक्रम इन-इन स्थानों को देखने के लिए निश्चित रूप से बना लेते। मैं सुझाव देना चाहूंगी कि टोटल राजस्थान के बारे में आप इस तरह की पुस्तिका छपवायें जिसमें एक ही जगह पर सब बातें मिल जायं देखने के लिए, पढ़ने के लिए कि कहां कौन सा दर्शनीय स्थल है। वहां की क्या-क्या खूबियां हैं। आप इन प्रचार-प्रसार के साधनों को यदि काम में लेंगे तो यह बात सत्य है कि पर्यटन की जो इन्डस्ट्री है यह हमारे राजस्थान को ज्यादा धन देगी।

इसके बाद मैं कहना चाहूंगी, मैं आपको बधाई भी देना चाहूंगी कि आपने ब्रज भाषा अकादमी खोली है, आप उसके लिए बधाई के पात्र हैं। मैं निश्चित रूप से आपको बधाई देती हूं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि संस्कृत का जितना प्रचार-प्रसार होना चाहिए था, जितना लोगों में उसको उतारना चाहिए था वह उतारा नहीं गया है। जो हमारा संस्कृत निदेशालय है उसके द्वारा जो ग्राण्ट दी जाती है संस्कृत स्कूलों को आपने कभी देखा है कि उसका उपयोग उस काम के लिये हो रहा या नहीं हो रहा है जिस काम के लिए आपने पैसा दिया है। मेरा यह आरोप है, संस्कृत विभाग का उसके कामों, उसके उद्देश्य की दृष्टि से अगर मूल्यांकन किया जावे तो वह पीछे रह जाएगा।

मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगी, मंत्री महोदय, हमारा म्यूजियम का एक मैप था, म्यूजियम मैप। स्टेट टाइम में म्यूजियम आधा बन पाया था, आधा बना नहीं था। म्यूजियम का जो मैप है उसको प्राप्त करके, उपलब्ध करके पीछे वाले हिस्से जैसा भी नक्शा है उसके अनुसार, बनवाने की कृपा करें। उसमें पुरातत्व विभाग का दफ्तर है उसको कहीं अन्यत्र शिफ्ट कर सकें तो करें, नहीं तो अण्डर ग्राउण्ड है वह, वह वहीं पर रहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। दफ्तर की वजह से यह म्यूजियम पूरा नहीं हो सके तो यह बहुत ही खराब बात रहेगी।

मैं इतनी बात कह करके मेरी बात समाप्त करती हूं।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री कनकराज मेहता।

श्री कनकराज मेहता (सांचौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा के सम्बन्ध में अपने कटौती प्रस्तावों का जिक्र करना चाहता हूं। मेरा निवेदन यह है कि भारत एक गणतन्त्र राज्य है. गणतंत्र तभी मजबूत होगा जब देश के अन्दर शिक्षा का प्रचार ज्यादा होगा। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमारी सरकार शिक्षा के अन्दर काफी परिवर्तन कर रही है। लेकिन परिवर्तन करना ही काफी नहीं है। शिक्षा के अन्दर परिवर्तन के साथ शिक्षा पद्धति के अन्दर परिवर्तन करना भी बहुत आवश्यक है। जब तक परिवर्तन के साथ यह परिवर्तन नहीं लाया जाएगा तब तक यह शिक्षा का जो प्रसार हो रहा है वह कोई मायने नहीं रखेगा। अभी हाल ही हम सुन रहे थे कि शिक्षित लोग, जिन्हें नौकरी नहीं मिलती है या जो धन्धे में या रोजी रोटी कमाने नहीं लग जाते हैं, वह बेकारी से विवश होकर जुर्म करते हैं। आजकल यह बड़ी विडम्बना है कि इस तरह के एजूकेटेड लोग घिनौने अपराध कमिट करते हैं, डकेतियां करते हैं और चोरियाँ करते हैं, बैंकों को लूटते हैं। यह एक बड़ी विडम्बना है। इस विडम्बना को खत्म करने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा की पद्धति के अन्दर आमूल-चूल परिवर्तन लाया जाय। काफी लोग इसके सम्बन्ध में अपनी भावना प्रकट कर चुके हैं। कई दिनों से और काफी जोरों से हम लोग यह बात कर रहे हैं कि शिक्षा पद्धति के अन्दर आमूल-चूल परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। आज भी कई माननीय सदस्यों ने इस विषय के ऊपर काफी जोर भी दिया है लेकिन अभी तक कोई परिवर्तन करने को और शिक्षा पद्धति के अन्दर कुछ सुधार करने की शुरूआत नहीं की गई है। मेरा शिक्षा मंत्री जी से यह....

श्री रामसिंह विश्नोई : आमूल-चूल परिवर्तन में आप क्या-क्या परिवर्तन कराना चाहते हैं यह भी फरमा दें।

श्री कनकराज मेहता : वह यह है कि लोग डिग्री हासिल करने के बाद भटकते हैं उन लोगों को यह भटकाव छोड़ना चाहिए और रोजी-रोटी जिस जरिये से मिल सके उनके अनुरूप शिक्षा को डालना बहुत जरूरी है। और यह जब तक नहीं किया जायेगा तब तक शिक्षा का महत्व नहीं रहेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसी स्थिति में स्त्री शिक्षा के लिये भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है।

मेरे क्षेत्र में दो गांव ऐसे हैं जिनके बारे में मैं दो तीन साल से निवेदन करता आ रहा हूं कि वहां जनता भवन बनाकर देने के लिये तैयार है। आज तक उस क्षेत्र में प्राथमिक शालाओं की आपने स्वीकृति नहीं दी। मेरा आपसे निवेदन है कि इन दो क्षेत्रों में प्राथमिक शालाएं खोलें वहां भवन का निर्माण हो जायेगा। यह जरूरी नहीं है कि भवन का निर्माण होने पर छात्राएं ही पढ़े, इससे वहां के छात्रों को भी बेनिफिट होगा। सरकार के पास इतना धन तो नहीं है कि उसके द्वारा स्थान-स्थान पर भवन का निर्माण करवाया जा सके।

(श्री कनकराम मेहता)

इसके साथ ही, मेरा निवेदन है कि दानदाताओं ने काफी स्थानों पर भवनों का निर्माण कर दिया है, गांव वालों ने भी भवन का निर्माण कर लिया है लेकिन आज स्थिति यह है कि शिक्षा विभाग द्वारा उन भवनों को अभी तक अधिकार में नहीं लेने की वजह से उनकी मरम्मत होना बहुत कठिन हो गया है। यह विडम्बना है कि जिस उद्देश्य और भावना से इन शिक्षा मंदिरों का निर्माण किया गया था वह मंदिर आज ढहते नजर आ रहे हैं। इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाकर जो निर्माण कार्य जनता के द्वारा या दानदाताओं के द्वारा कराया गया उसको टेक ओवर करना बहुत आवश्यक है। जब तक यह नहीं किया जायेगा तब तक उनकी सुरक्षा और मेन्टीनेंस करना बड़ी मुश्किल है। शिक्षा विभाग को इस मद में पैसा बहुत कम मिलता है।

इसके साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि जालौर बहुत बड़ा जिला है इस क्षेत्र में अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। पूर्व में जसवंतपुरा में अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिये एक स्कूल चल रहा था। यह व्यवस्था चल रही थी लेकिन किसी कारण से वह व्यवस्था भंग कर दी गई। अब यहां के शिक्षकों को माउंट आबू या जोधपुर जाना पड़ता है जहां का बहुत खर्चा वहन करना उन गरीब अध्यापकों के लिए बड़ा कठिन हो जाता है। मेरा निवेदन है कि जालौर जिले में जसवंतपुरा में पुनः यह प्रशिक्षण का कार्य प्रारम्भ कर दिया जाय तो अध्यापकों को लाभ होगा साथ ही इस क्षेत्र में अध्यापकों की जो कमी है उसकी पूर्ति करने में कोई समय नहीं लगेगा।

मेरा यह भी निवेदन है कि कई शिक्षण संस्थाएं ऐसी हैं जिनमें काफी तादाद में बच्चे हैं। उन बच्चों के आवास की व्यवस्था नहीं होने के कारण उनको रोज 2-2, 3-3 कोस तक इधर-उधर जाना पड़ता है और सवेरे टाइम पर आना पड़ता है। यह भी व्यवस्था ठीक नहीं है। मेरा यह निवेदन है कि जिन गांवों में छात्रों की संख्या ज्यादा हो और जिन सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी स्कूल में आवासीय सुविधा नहीं हो वहां यह सुविधा प्रदान करना बहुत जरूरी है ताकि जो बच्चे दूर-दराज के क्षेत्रों से आते हैं उन्हें लाभ हो। वे जब तक शिक्षण के माहौल में नही रहेंगे, छोटी-छोटी कुटिया में, घरों में रहेंगे तब तक उनका शिक्षा पर ध्यान देना कठिन हो जायेगा। मेरा यह भी निवेदन है कि गांवों में, दूर-दराज के क्षेत्रों में अध्यापक लोग नहीं जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि आवासीय सुविधा अध्यापक के लिये, चाहे सैकण्डरी स्कूल हो, चाहे हायर सैकण्डरी स्कूल हो, चाहे कालेज हो नहीं होने के कारण लोग देहातों में, दूर-दराज क्षेत्रों में जाना पसन्द नहीं करते हैं, अगर जातेहैं तो बदली कराने में लगे रहते हैं। इससे होता यह है कि महीनों तक स्थान भरे नहीं जाते हैं और उस क्षेत्र के लोग शिक्षा में पीछे रह जाते हैं, उस क्षेत्र के बालकों को शिक्षा की बड़ी असुविधा होती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जहां इस तरह की आवासीय समस्या वहां कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी जाय

(श्री कनकराज मेहता)

ताकि अध्यापक को ठहरने के लिये आवासीय सुविधा मिल सके। आवासीय सुविधा नहीं मिलती है तो मास्टर इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि 150-200 रुपये महीना अपनी तनख्वाह में से लगा किराये पर रहे। तो यह भी मेन्टल डिस्टर्बेन्स है जिसको शांत करना आवश्यक है। जहां तक संभव हो इस तरह की अव्यवस्था में सुधार किया जाना बहुत जरूरी है।

मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि गत वर्ष मेरे यहां काफी प्राइमरी स्कूल खोले। साथ में मेरा यह निवेदन है कि जैसे शहरी क्षेत्रों में नये-नये स्कूल बने हैं वैसे ही ग्राम पंचायत मुख्यालय पर भी शालाओं का निर्माण करना बहुत जरूरी है। गरीब बस्ती वहां भी है। जटियों की बस्ती, भांभियों की, कलाबियों बस्ती, रेबारियों के गोलिए हैं वहां नगर पालिका बन जाने से उन क्षेत्रों को शहरी क्षेत्र मानकर उन लोगों को भी शिक्षा की सुविधा देना बहुत आवश्यक है। ऐसे क्षेत्रों में भी जब तक प्राथमिक शालाओं की व्यवस्था नहीं होगी तब तक उन लोगों की शिक्षा ठीक ढंग से नहीं चलेगी।

मेरा यह भी निवेदन है कि सरकार को प्राथमिक शालाओं और प्राथमिक शिक्षा को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। हायर एजूकेशन में जहां तक हो सके कम खर्चा किया जाये तो उसमें कोई पाप नहीं है। जब तक हमारे हिन्दुस्तान के नागरिक सुनागरिक नहीं बनेंगे तब तक हिन्दुस्तान का गणतंत्र मजबूत नहीं बनेगा। गणतंत्र को मजबूत बनाने के लिये शिक्षा का प्रचार-प्रसार होना बहुत आवश्यक है। इस दृष्टि से भी हर गांवाई क्षेत्र, जो भी 300 की आबादी वाला क्षेत्र हो, में प्राइमरी स्कूल बनाना बहुत जरूरी है। जो क्षेत्र इससे अछूते रह गये हैं उनका सर्वेक्षण किया जाकर वहां शालाओं को प्राथमिकता के आधार पर खोला जाना चाहिये।

मेरा यह भी निवेदन है कि पंचायत समिति क्षेत्र में आप लोगों ने एस.डी.आई. लगाये हैं। अगर उनकी कार्य पद्धति देखेंगे तो पायेंगे कि वह कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। उनका एक मात्र यही धन्धा है कि शिक्षण संस्थाओं में मास्टरों की तनख्वाह का वितरण कर देना। यही एक मात्र कार्य है। वह जाकर न तो किसी स्कूल में चैक करते हैं, न उनकी अध्यापन शैली को देखते हैं, न यह देखते हैं कि शाला चल रही है या नहीं चल रही है। कई दिनों तक शाला बन्द रहती है और मास्टर भी शाला में नहीं आता है। अतः इस पद्धति में सुधार लाना आवश्यक है। जिस ढंग से शिक्षण संस्थाओं का फैलाव कर रहे हैं उस हिसाब से उन पर कंट्रोल रखना भी बहुत जरूरी है। जैसा शिक्षण संस्थाओं का फैलाव हो रहा है उसके साथ-साथ जब तक निगरानी सुदृढ़ नहीं होगी तब तक नियन्त्रण सुदृढ़ नहीं होगा व शिक्षा आगे नहीं बढ़ेगी लोग-बाग घर बैठे-बैठे तनख्वाह उठायेंगे और बच्चों को नहीं पढ़ायेंगे।

अन्त में मेरा निवेदन है कि जहां-जहां कन्या पाठशालाओं की आवश्यकता है

(श्री कनकराज मेहता)

उसको प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। समाज के दो वर्ग होते हैं—स्त्री और पुरूष। जब एक वर्ग आगे बढ़ता है और दूसरे को बढ़ावा नहीं मिलता है तो यह ठीक नहीं रहता है। प्राथमिक कन्या पाठशालाओं का इस बजट में प्रावधान नहीं है। इसलिये मेरा मंत्री महोदय से नम्र निवेदन है कि इस बार जहां ज़्यादा मांग हो, जहां 80-85,100-100 बच्चियां हों उनके लिए कन्या पाठशाला का प्रावधान करना बहुत आवश्यक है। वहां अगर फीमेल टीचर होगी तो अच्छी तरह पढ़ा सकेगी। उनके साथ छोटे बच्चे भी पढ़ सकेंगे और दानदाता भवन का निर्माण भी कर सकेंगे। तो यह भी एक समस्या का समाधान हो जायेगा।

अन्त में मैं आपको समय देने के लिये धन्यवाद देता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीलाल।

श्री देवीलाल (शाहपुरा) : आदरणीय अध्यक्ष जी, शिक्षा के बारे में आज हमारे मंत्री जी, अधिकारीगण और हमारे साथी भाई सभी बोल रहे हैं। मेरा शिक्षा के बारे में यही निवेदन है कि जो शिक्षा है, पहली बात तो यह है कि हमारे पूरे राजस्थान में 800 मिडल और 2000 प्राइमरी स्कूल खुले हैं उसके लिये तो मैं मंत्री जी को....

श्रीमती कमला : 650।

श्री देवीलाल : 650। उसके लिये तो मैं मंत्रीजी को मेरी तरफ से धन्यवाद देता हूं। देश में शिक्षा है तो सब कुछ है। शिक्षा के कारण तो शरीर भी सोना है। जैसे यह रोशनी हो रही है भवन में, प्रकाश हो रहा है ऐसे ही शरीर में शिक्षा से सकाश होता है। शिक्षा से बुद्धि चेतन होती है। शिक्षा से चेतना और बुद्धि दोनों आगे बढ़ती है।

मेरा आपसे यही निवेदन है शिक्षा के बारे में कि एक तो जहां मिडल स्कूल हैं उन स्कूल में जो सबजेक्ट खोले हैं, कुछ ऐसे बड़े-बड़े स्थान हैं जहां और सबजेक्ट खोलने की गुंजाइश है। वहां सबजेक्ट और भी बढ़ावो तो शिक्षा की प्राप्ति अच्छी तरह से होगी।

दूसरा निवेदन यह है कि जहां-जहां भी आपने स्कूल खोले हैं वहां पर मास्टर सही टाइम पर नहीं जाते हैं। 11 बजे आते हैं और 4 बजे बंद करके वापस चले जाते हैं। दो-तीन घंटे के अन्दर लड़कों की क्या पढ़ाई हो सकती है। टाइम टेबल मास्टरों का बराबर होना चाहिये। जो टाइम पर नहीं जावे उसके बारे में बजट में यह प्रावधान कर देना चाहिए कि जो टाइम पर नहीं जायेंगे उनको हटा दिया जायेगा। मास्टर टाइम पर नहीं जावे, मोड़ा जावे है। बच्चा वेगा पहुंच जावे है और मास्टर पहुंचे नहीं।

अध्यापकों के बारे में एक निवेदन यह है कि आप अध्यापकों का प्रमोशन नहीं कर रहे है। अध्यापकों को प्रमोशन दिया जावे। मास्टर लोगों को प्रमोशन मिलना चाहिये।

(श्री देवीलाल)

वह ऐसे के ऐसे रह जाते हैं। चपरासी और अध्यापक में कोई फर्क नहीं है। चपरासी भी उसी स्कूल में रहता है और अध्यापक भी उसी स्कूल में रहता है। तनख्वाह उसको भी मिलती है और चपरासी को भी मिलती है। इसलिये अध्यापकों का प्रमोशन जरूर होना चाहिये। आप स्कूल्स में आर. ए. एस. आफिसर लगा रहे हैं। यह आफिसर का प्रमोशन मास्टरों में से होना चाहिये और उन्हीं में से अफसर बनने चाहिये। जो आर.ए.एस. आफिसर लगाया जायेगा वह नया आफिसर होगा। आफिसर और मास्टर लोगों में नहीं बनती। मास्टर साहब कहेंगे, खेल कूद कराओ और अफसर कहेगा नहीं। वह कहेगा, टूर्नामेन्ट कराओ और आफिसर कहेगा, नहीं। इसलिए अफसरों को मास्टर न माने तो दोनों में लड़ाई होती है। शिक्षा विभाग में जितने भी पद हैं मास्टरों के अन्दर से, हैडमास्टरों के अन्दर से ही उन पर प्रमोशन होना चाहिये। उन्हीं में से प्रमोशन होकर आफिसर बनने चाहिये। आर.ए.एस. आफिसर को नहीं लगाना चाहिये।

शिक्षा के बारे में हमारी मंत्रीजी को मेरी तरफ से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने छोटे-छोटे गांवों, जहां 300-350 की जनसंख्या है, में एक प्राइमरी स्कूल खोला है। इसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं। इन गांवों के बच्चों को दो-तीन, चार कोस की दूरी पर जाना पड़ता था, अब नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा पहले दो चार किलोमीटर की दूरी पर जाते थे, बरसात के मौके पर नदी, नाले आते थे तो वे जा नहीं पाते थे या घर वाले नहीं भेजते थे लेकिन अब वहीं के वहीं छोटे बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। यह अच्छी बात है। यही बात कह कर मैं मंत्री महोदया को धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री भालू खां।

(अनुपस्थित)

श्री भैरूंलाल मीणा।

श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व माननीय सदस्यों ने शिक्षा पर अपने विचार व्यक्त किये, मैं अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व दो सुझाव देना चाहूंगा। सभी सदस्यों ने अपने विचार रखे कि कहां-कहां अनियमितताएं रहीं। आम तौर से स्कूल में जो टीचर जाते हैं वे समय पर नहीं जाते हैं और समय से पहले चले आते हैं। यह सभी सदस्यों ने अपने भाषण में कहा। मैं भी इस बात को दोहराना चाहूंगा। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां आने जाने की सुविधा है वहां तो टीचर जाते हैं और शाम को वापस चले आते हैं किन्तु जहां कहीं ऐसी जगह हैं जहां 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर अन्दर जाना पड़ता है वहां स्कूल आज भी खाली रहते हैं। एक तरफ हम स्कूल खोलते हैं शिक्षा की दृष्टि से और दूसरी तरफ स्कूल बंद रहते हैं। खोलना, न खोलना बराबर हो जाता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा जो भी नया स्कूल खुले वह सेशन चालू होने के पहले तय हो जाये और सेशन चालू होते ही स्कूल खुले। अध्यापकों

(श्री मेरूलाल मीणा)

का बजट में पहले से प्रावधान होना चाहिये जिससे अध्यापक समय पर पहुंच जायें और उनकी तनख्वाह का चक्कर न पड़े तब शिक्षा देने की पद्धति शुरू कर शिक्षा का प्रचार करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। केवल नाम के लिए 1000, 600–700 स्कूल खोल देंगे और अध्यापक नहीं पहुंचे, बच्चे बैठे रहें, स्कूल बंद रहे, इससे कोई फायदा नहीं है। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि गांव में बच्चे पढ़ने जाते हैं, जो अभियान चलता है "स्कूल चलो अभियान" उस वक्त टीचर और जो भी गांव के अन्दर पटवारी है, ग्राम सेवक हैं, सब लोग जाते हैं। सरपंच लोग भी जाते हैं। वे कहते हैं, बच्चों को स्कूल भेजो। तब बच्चे स्कूल जरूर चले जाते हैं लेकिन उनके जाने के बाद न तो बच्चे नियमित रूप से स्कूल जाते हैं और अगर स्कूल जाते हैं तो पढ़ाई नहीं होती है। इस प्रकार वे घर पर रह कर घर का काम भी नहीं कर पाते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, जब भी बच्चे स्कूल में जावें उनकी पढ़ाई सुचारु रूप से हो। अध्यापकगण को पाबन्द किया जावे कि वह स्कूल जावें।

यह बात जरूर है कि अध्यापिकाओं के अपाइन्टमेन्ट ज्यादा होते हैं। टीचर की पोस्ट पर लड़कियों को अपाइन्टमेन्ट मिलता है तो गांव में जाने के लिये वह कहती हैं कि हम अकेली कैसे जायें। वे आम तौर पर चाहती हैं कि उनका शहर के आस-पास ट्रान्सफर कर दिया जाये। अपाइन्टमेन्ट भी चाहें और शहर के आस-पास भी रहना चाहें, दोनों सुविधाएं चाहती हैं। सरकार ने एक सुविधा दे रखी है कि जहां पर उसका पति है वहां उसके रहने की सुविधा हो, दोनों साथ रह कर पढ़ा सकें, दोनों साथ रह कर नौकरी भी कर सकें, यह एक प्रावधान कर रखा है। इसके कारण हर वक्त हमारे सामने समस्या आती है कि मेरा पति फलां शहर में है इसलिये मेरा भी उस शहर में ट्रान्सफर होना चाहिये। मेरा पति फलां गांव में है, इसलिए मेरा ट्रांसफर भी वहीं होना चाहिये। यह प्रवृत्ति चलते-चलते सेशन खतम हो जाता है। वे रोज चक्कर लगाती हैं या छुट्टी लेकर बैठ जाती हैं या फिर जाती नहीं हैं। ऐसी हालत में स्कूल खोलना न खोलना बराबर हो जाता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिसको भी अपाइन्टमेंट दिया जाये उससे बांड भरवा लिया जाये कि तुमको फलां स्कूल में जाना है। अगर वह जाना चाहे तो उसको अपाइन्टमेंट दे दिया जाये, नहीं जाना चाहे तो अपाइन्टमेंट नहीं दिया जाये। तब तो शिक्षा सही रूप से जो गांव में देना चाहते हैं वह मिलेगी।

राजस्थान की जनसंख्या 3 करोड़ 42 लाख है उसमें से 2 करोड़ 70 लाख जनता गांवों में रहती है। अलग-अलग मांग हैं, आज शिक्षा की मांग पर चर्चा चल रही है, मैं चाहूंगा कि जो पैसा खर्च हो वह उसी अनुपात में जनसंख्या के आधार पर गांव में खर्च होना चाहिये। शहर के अन्दर पहले से ही स्कूल खुले हुए हैं, कालेज खुले हुए हैं लेकिन गांव में नहीं खुले हुए हैं। गांव बढ़ते हैं तो स्कूल खुलते हैं। ज्यादा खर्चा वहां हो बनिस्वत इसके कि शहर में

(श्री भेरूलाल मीणा)

ज्यादा खर्च करें। गांव में खर्च कम होता है। मैं कहना चाहूंगा इस मौके पर कि गांव के अन्दर जनसंख्या के आधार पर ज्यादा खर्चा होना चाहिये।

जैसा सी. पी. साहब ने मेरे पूर्व बताया था कि सैशन शुरू होने का जो तरीका है, जुलाई में सैशन शुरू होता है। वह सही बात कह रहे थे कि काम के टाइम में अगर स्कूलों की छुट्टी रहे तो बच्चे घर पर काम कर सकते हैं, खेती का काम कर सकते हैं और खेती से थोड़े वाकिफ हो सकते हैं। आज के जमाने में बच्चे सुस्त रहते हैं। काम के टाइम पर पढ़ने जाते हैं और जब काम आता है तो वे काम नहीं कर पाते हैं। घर का काम भी नहीं कर पाते हैं। पढ़ाई करके नौकरी करना चाहते हैं। सी. पी. साहब ने जो सुझाव दिया उससे मैं सहमत हूं।

इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने यह तय किया था कि हर पंचायत समिति के मुख्यालय पर एक हायर सैकण्डरी स्कूल होगा। ठीक है। मैंने प्रश्न पूछा था तो उसका जवाब आया कि 12 ऐसी पंचायत समितियां राजस्थान में हैं जहाँ कि मुख्यालय पर हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं है। राज्य सरकार ने यह जो नीति निर्धारित की है कि हर पंचायत समिति के मुख्यालय पर हायर सैकण्डरी स्कूल होगा, उसकी क्रियान्विति होनी चाहिये। इस बजट में इसका प्रावधान रखना चाहिये। पंचायत समिति मुख्यालय पर हायर सैकण्डरी स्कूल है। इसके लिये बजट में प्रावधान रख कर पंचायत समितियों के मुख्यालय पर हायर सैकण्डरी स्कूल खोलें ताकि उस पंचायत समिति में जो बालक हैं वे कम से कम हायर सैकण्डरी की शिक्षा प्राप्त कर सकें। यह नीति सरकार ने निर्धारित की है तो इसकी पालना करें। बजट में प्रावधान रखें। इसकी पूर्ति की जाये।

यह बात सही है, कुछ सदस्यों ने भी कहा और मैं भी कहना चाहूंगा कि गत वर्ष जो स्कूल खोले गए वे बहुत देर से खोले और आज भी वहां पर केवल हैडमास्टर गया, उनके अलावा कोई टीचर नहीं गया। मैं जावर माइन्स का उदाहरण देना चाहूंगा। जावर में एक कन्या शाला खोली, उसमें पहले बहुत चक्कर पड़े। उसके लिए अच्छी बिल्डिंग भी बनाई, मगर शिक्षा विभाग को कोई ऐसी उलझन थी, उन्होंने कहा कि हम प्राइमरी स्कूल ही करेंगे। उसमें एक टीचर आया। अब एक टीचर बच्चों को कैसे पढ़ायेगी, क्या करेगी? केवल मात्र वह आती है स्कूल में और शाम को वापस चली जाती है। हम अगर शिकायत करें तो हमें फिक्र है कहीं शिक्षा विभाग यह नहीं कह दे कि इसको बन्द कर दो। तो हमारा तो और भी लेना-देना पड़ जायेगा। इस साल तो चल रहा है, अगले साल के लिए निवेदन करूंगा कि स्टाफ और भेजें। इसी तरह से कई एक ऐसी जगह हैं जहाँ इस तरह की समस्या है। पहले ही से व्यवस्था करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

(श्री भैरूलाल मीणा)

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि जो औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं, उदयपुर में एक जरूर खोला गया है लेकिन उसमें जो बच्चे भर्ती करते हैं उनकी संख्या कम है। उदयपुर क्षेत्र बहुत लम्बा-चौड़ा है उसमें काफी उद्योग लगे हुए हैं। यह आदिवासी क्षेत्र है। आदिवासियों को औद्योगिक प्रशिक्षण नहीं दिया जायेगा तो उनको रोजगार नहीं मिलेगा। आजकल तो सरकार ने नीति निर्धारित कर रखी है, जहां भी कारखाने में जाते हैं वहीं पर यही कहते हैं कि आई०टी०आई० की है ? जिस ट्रेड में लेना हो उसमें आई०टी०आई० की हो तो उसको भर्ती मिलेगी, नहीं तो नहीं। जो बच्चे सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी करने के बाद आई०टी०आई० नहीं करते हैं उनको नौकरी नहीं मिलती है। आदिवासी नवयुवक बहुत से ऐसे हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं। मैं चाहूँगा कि उदयपुर में दूसरा औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाये चाहे खान का हो, चाहे मैकेनिक का हो, चाहे सूत कातने का हो, उसमें प्रशिक्षण दिया जाय ताकि आदिवासी नवयुवकों को रोजगार मिल जाय।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में शिक्षा की स्थिति और उससे सम्बन्धित सभी मामलों के लिये लगभग 275 करोड़ की मांग जो हमारे सामने प्रस्तुत है उस पर हम विचार कर रहे हैं। मैं राज्य सरकार को अपने कुछ सुझावों के साथ निवेदन करना चाहूंगा। किसी भी प्रदेश का विकास और प्रगति शिक्षा के साथ जुड़ी हुई रहती है। जब हम शिक्षा में राजस्थान की साक्षरता का प्रतिशत देखते हैं तो कुछ निराशा की अनुभूति होती है। देश के 15 प्रदेश आज राजस्थान से शिक्षा में साक्षरता के स्तर पर आगे हैं, 16वां स्थान हमारा है। हमारे यहां शिक्षा 24.38 प्रतिशत है। तो हमको इस विषय पर बहुत गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा। मेरा ऐसा अनुमान है, आजादी से पूर्व 7-8 प्रतिशत शिक्षा हमारे यहां होगी। उसके बाद 15-16 प्रतिशत वृद्धि यदि हमने 37 साल में की तो यह राजस्थान का दुर्भाग्य ही कहा जायगा। मैं कहना चाहता हूं कि आज के दिन भी राजस्थान ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। मैं विशेष तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस राजस्थान में सात हजार से अधिक ग्राम पंचायतें हों उस राजस्थान में केवल 5200 मिडल स्कूल के आसपास हैं। पूरे प्रदेश में 6500 मिडल स्कूल हैं और 1300 के आसपास शहरों में होने का अनुमान है। मैं सबसे पहले राज्य सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि आपने जिस तरह इस साल 300 की जनसंख्या पर प्राथमिक विद्यालय देने की अनिवार्यता पर ध्यान देकर निश्चित रूप से राजस्थान में शिक्षा के प्रति जागरूकता प्रदर्शित की है उसी तरह प्रत्येक पचायत में शिक्षा बढ़े उसके लिए जो 600 उच्च प्राथमिक विद्यालय का आपने प्रावधान रखा है इससे काम चलने वाला नहीं है। इस गति से हम चलेंगे तो

(श्री रतन लाल ताम्बी)

जिस तरह जनसंख्या का प्रसार होता चला जा रहा है उससे हमारा प्रतिशत आगे बढ़ेगा नहीं। इसलिए यह प्रावधान, मैं समझता हूं, बहुत ही कम है। 600 मिडल स्कूल के स्थान पर 1000 मिडल स्कूल हों, एक पंचायत में कम से कम एक मिडल स्कूल अनिवार्य तौर पर हो। एक तो मैं यह सुझाव देना चाहूंगा।

इसके साथ-साथ मेरा यह भी निवेदन है कि 10 हजार की जनसंख्या पर सैकण्डरी और 15–20 हजार की जनसंख्या पर हायर सैकण्डरी स्कूल हो, इस आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिये। इसके आधार पर हमारी शिक्षा के प्रसार की नीति रही तो सन्तुलन जो बिगड़ रहा है उसमें कुछ आगे बढ़ा जा सकता है। मैं इस अवसर पर यह भी निवेदन करूंगा कि जो प्रावधान इस वर्ष रखा है वह मेरी दृष्टि से सभी मामलों में कम है। अभी राजस्थान में प्राइमरी शिक्षा का जो स्थान है, प्राथमिक स्कूल राजस्थान में जो सुलभ हैं वह अत्यन्त कम हैं। एक हजार के स्थान पर दो हजार प्राइमरी स्कूल हों। जैसा मैंने निवेदन किया, एक हजार मिडल स्कूल हों, 500 सैकण्डरी स्कूल, हायर सैकण्डरी स्कूल हों। उसमें भी यह हो कि प्रत्येक पंचायत समिति पर सैकण्डरी स्कूल हों तो वहां हायर सैकण्डरी स्कूल खोलें। जहां सैकण्डरी स्कूल नहीं हो वहां सैकण्डरी स्कूल खोलें और साथ में कन्या हायर सैकण्डरी स्कूल वाली बात को प्राथमिकता पर रखा जाय ताकि राजस्थान में इस तरह की जो स्थिति है वह समाप्त हो जाये। सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूल पंचायत समिति या हैड क्वार्टर पर नहीं हों तो यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात होगी।

मैं इसके साथ-साथ अपनी कुछ बात कहना चाहूँगा। हम शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें गुणात्मकता की ओर मौलिक दृष्टि से ध्यान नहीं दिया जायेगा तो राजस्थान का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। आज भी शिक्षा में बहुत वेस्टेज है। हमको जो भी राशि सुलभ है, जो हमारी व्यवस्था है, यदि सही ढंग से व्यय करें तो उसका उपयोग काफी अच्छा हो सकता है। वेस्टेज कहीं भी नजर आती है तो उसको हमको ठीक करने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी शिक्षा की नीति भी अस्पष्ट है। इस नीति को स्पष्ट किया जाना चाहिए। 10+2 की कई वर्षो से बात चल रही है, इसके बारे में हमारा निर्णय आज निश्चित रूप से होना चाहिये। इस मामले में हम देश में पिछड़ रहे हैं। राजस्थान को देश की शिक्षा के साथ जोड़ करके चलने की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। शिक्षा हमारी ऐसी होनी चाहिए जो रोजगारोन्मुखी हो। इस दृष्टि से भी आज हमें देखने की आवश्यकता है।

यह दुर्भाग्य की बात है कि आज राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय की बात चलती है परन्तु फिर भी उस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है। हमारे पड़ोसी प्रदेश गुजरात ने इस दिशा में बात के साथ-साथ कृषि विश्वविद्यालय प्रारम्भ भी कर दिया

(श्री रतन लाल ताम्बी)

और लगभग 12 करोड़ की राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त भी कर ली और हमने इस बात की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। यह राजस्थान के लिए बहुत बड़ी नुकसान की बात है। चूंकि राजस्थान कृषि प्रधान प्रदेश है यहां इस तरह का विश्व-विद्यालय नहीं हो तो यह राजस्थान की आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी बात नहीं होगी। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार इस दिशा में बहुत ही प्रभावी ढंग से काम करेगी। भारत सरकार पैसा देती है इसके लिए। उत्तर प्रदेश को देख लीजिये, जहां एक-एक शहर में कई यूनिवर्सिटी हैं। हमारे यहां उदयपुर एक महत्वपूर्ण स्थान है। वहां इस तरह की जलवायु और सभी तरह के साधन उपलब्ध हैं इसलिये उसको भी इस दृष्टि से देखने की आज आवश्यकता है।

प्राइमरी स्कूल की नीति के बारे में मैं बात कर रहा था। शिक्षा में नये स्रोत, नये अनुसंधान करने की आवश्यकता है। हमको आज इस दृष्टि से देखना होगा कि देश के स्तर से हमारे यहां शिक्षा के स्तर में कितना अन्तर है। इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। नये स्रोत, नये अनुसंधान के आधार पर हमारी शिक्षा की नीति होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें नैतिक शिक्षा पर बल हो। स्वाधीनता संग्राम, उसके अमर शहीद, उनका जीवन, उनके कार्यकलापों का अधिक से अधिक पाठ्यक्रम में समावेश हो ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके। इस दिशा में ध्यान देना चाहिए।

इसके साथ-साथ मैं कुछ और भी सुझाव देना चाहूंगा। मेरे यहां जो कालेज है वह बहुत दूर है। उसकी स्थिति दयनीय है।

(6.00 सायं)

कालेज दूर होने से विद्यार्थी आर्थिक स्थिति के कारण आगे नहीं पढ़ पाते हैं। मैं जिस इलाके से आता हूं उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां पर दो लाख की जनसंख्या है। उसमें से 75 हजार के आसपास एस. सी. और एस. टी. के लोग निवास करते हैं और 7 हजार सैनिक परिवार निवास करते हैं। सभापति महोदय, सैनिक देश के विभिन्न मोर्चों पर कार्यरत रहते हैं, उनके परिवार वहां निवास करते हैं। उनके बच्चों को पूरी शिक्षा नहीं मिल पाती है। मैंने बार-बार निवेदन किया कि दो लाख की जनसंख्या को ध्यान में रखकर, इस क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए यहां कालेज खोलें। वहां पर सैनिक काफी हैं, एस सी., एस.टी. के लोग काफी हैं उनको छात्रवृत्तियां मिलती हैं, कई कई प्रकार की सुविधायें मिलने के मामले में भी सरकार जागरूक है, इतना खर्चा होता है उसके बावजूद भी पूरी शिक्षा उनको नहीं मिल पाती है। जहाजपुर की जनसंख्या भी 15 हजार के करीब है, 15 हजार से अधिक ही होगी। मेवाड़ के जमाने में वह जिला हैड-क्वार्टर था। आज उसकी कालेज की आव-

(श्री रतन लाल ताम्बी)

श्यकता की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। निकट में जो कालेज है वह 20 मील पर है, उसमें प्रवेश नहीं मिल पाता है, सब्जेक्ट्स की काफी समस्या है। वहां की स्थिति बताऊं, शाहपुरा और देवली के कालेजों में भी सब्जेक्ट पूरे नहीं हैं। मैं समझता हूं कि इन कालेजों में सब्जेक्ट्स की बहुत बड़ी कमी है इसलिये इस दिशा में भी राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिये।

इस वर्ष राज्य सरकार ने भीलवाड़ा में कामर्स कॉलेज खोलकर एक बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति भीलवाड़ा में की है। 15–16 लाख की जनसंख्या यह मांग वर्षों से करती आयी है। इसके साथ-साथ पोलीटेक्नीक कालेज भी इस साल खोलने का निर्णय लिया है। भीलवाड़ा का औद्योगिक दृष्टि से जो विकास होगा उसमें वह सहायक होगा। इसके साथ-साथ निवेदन करूंगा कि हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। आई. टी. आई. जिसको औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कहा जाता है, जहाजपुर में स्वीकृत होना आवश्यक है ताकि उस इलाके के गरीबों को, मजदूर लोगों को टेक्नीकल साइड में भी रोजगार मिल सके, वे रोजगार अर्जित कर सकें, इस दृष्टि से मेरा यह सुझाव है।

इसके साथ-साथ जैसा मैंने निवेदन किया कि हमारे क्षेत्र में शिक्षा की बहुत कमी है। ऐसे गांव हैं जिनमें तीन-तीन हजार, चार-चार हजार और पांच-पांच हजार की जनसंख्या है लेकिन वहां पर आज तक सैकण्डरी स्कूल नहीं है, हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं है। मैं अगले बजट में आशा करूंगा कि आप कहां यह व्यवस्था करेंगे। इस साल जो कुछ प्रावधान रखा है उस दृष्टि से निवेदन करूंगा कि जहाजपुर में शक्करगढ़ और दूसरी तहसील कोटड़ी में 11 पंचायतें हैं, बड़े-बड़े गांव हैं जहां पर कोई हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं है। पारोली सरसिया, बिलठी, घोड आमला मंत्रकला गेट जहाजपुर, तस्वारिया बावड़ी ये तहसील जहाजपुर में हैं और कोटड़ी तहसील में बिसनिया, रासेड, छापरेल है। यहां पर सैकण्डरी स्कूल और कोटडी पंचायत समिति हैड क्वार्टर पर कन्या माध्यमिक स्कूल खोला जाय। सैकण्डरी स्कूल की मांग जो वर्षों से चल रही है उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसके साथ-साथ कुछ मिडल स्कूल एवं प्राथमिक स्कूल के सुझाव समय-समय पर प्रस्तुत करूंगा। स्कूल तो खोल देते हैं लेकिन स्कूल समय पर नहीं खोलते हैं। यह समस्या रहती है। इस सम्बन्ध में जैसा कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं उनमें मैं अपनी बात और सम्मिलित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि एक तो जुलाई अगस्त में स्कूल खुल जायें। दूसरा, इसके साथ-साथ स्टाफ भी वहां पर मिल जाये। कई जगह स्टाफ आज तक नहीं पहुंचा है। प्राइमरी स्कूल मिडल स्कूल में क्रमोन्नत होता है। पंचायत समिति में जहां पहले 5 टीचर काम करते थे वहां जैसे ही स्कूल क्रमोन्नत करते हैं एक या दो टीचर को छोड़कर बाकी सब विथड्रा कर लेते हैं। इससे समस्या गम्भीर बनती है। इसलिये

(श्री रतन लाल ताम्बी)

मेरा निवेदन है कि स्कूल की स्वीकृति के साथ ही वहां पर स्टाफ की व्यवस्था भी हो जानी चाहिए।

मेरे इलाके में माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने विशेष जोर देकर कहा था कि कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय लेना होगा। मैंने कहा कि आप दे रही हैं तो जरूर लेना होगा, मांग तो लड़कों की बहुत है। वहां वह स्कूल खोला गया और प्राइमरी स्कूल जो लड़कों का था, को क्रमोन्नत किया गया। अब शिक्षा विभाग और पंचायत समिति में विवाद हो रहा है। एक तरफ शिक्षा विभाग कहता है कि स्कूल क्रमोन्नत हो गया है पंचायत समिति चार्ज दे, पंचायत समिति चार्ज देती नहीं है। यह समस्या खड़ी हो गई है। मुझे मालूम हुआ है कि शिक्षा विभाग से स्पष्टीकरण जारी किया गया है कि स्कूल लड़कों का हो या लड़कियों का हो, अगर कोई प्राइमरी स्कूल क्रमोन्नत किया है तो उसके लिये पाबन्द किया है। इसके सम्बन्ध में जैसा मैंने निवेदन किया इस बारे में ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो झगड़े में स्कूल चल रहा है, बिल्डिंग नहीं दी गयी है, हैड मिस्ट्रेस बाहर बैठकर स्कूल चला रही है उस ओर आपका ध्यान जायेगा और यह समस्या आप दूर करेंगी, ऐसी आशा करता हूं।

दूसरा, वर्तमान में जो विद्यालय हैं उनके मकानों की बड़ी समस्या है। कई भवन बने हुए अधूरे हैं, गिर गये हैं या खराब हालत में हैं। इस ओर पिछले वर्षों में ध्यान नहीं दिया गया है, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे इलाके का अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, उप जिला शिक्षा अधिकारी है, नाम तो जहाजपुर का है लेकिन सारे के सारे शाहपुरा में स्थानान्तरित कर दिये गये हैं। इससे समस्या पैदा होती है, उनका पर्यवेक्षण समय पर नहीं होता है इसलिये जो नार्म्स हैं उनके आधार पर जहाजपुर में ही इनके दफ्तर कायम होने चाहिए। यह निश्चित रूप से होगा, ऐसी आशा है। क्योंकि छोटी-मोटी शिकायतें या कमियां सामने आती हैं तो उन पर समय पर कोई कार्यवाही नहीं होती है जिससे जनता को नाराजगी होती है, मैं समझता हूं कि इस समस्या की ओर आपका ध्यान जायेगा। कोटड़ी पंचायत केन्द्र में आज भी मिडल स्कूल है वहां आप निश्चित रूप से कन्या माध्यमिक स्कूल खोलेंगे।

इस अवसर पर मैं शिक्षा मंत्री महोदया की बहुत सराहना करता हूं कि राजस्थान में जो स्थानान्तरण के बारे में हमेशा अनिश्चित नीति और परेशानी आती थी, साल-डेढ़ साल में उसमें कमी आयी है। अब मांग के अनुसार और नीति के आधार पर स्थानान्तरण करते हैं, बिलकुल गलत नहीं करते हैं। इस नीति को बरावर कायम रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही विद्यालय खोलने में भी न्याय किया, उसके लिये आपका आभार प्रदर्शित करता हुआ निवेदन करूंगा कि मैंने अपने क्षेत्र की जो मांग प्रस्तुत की है उस ओर आपका ध्यान निश्चित रूप से जायेगा। विश्वविद्यालय तथा कालेजों में हड़ताल नहीं हुई, समय पर परीक्षा हो रही है इसमें आपने अच्छी

(श्री रतन लाल ताम्बी)

क्षमता का परिचय दिया है। आशा है, इसको आप मेनटेन रखेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हुआ, आभार प्रस्तुत करता हुआ, आशा करूंगा कि शिक्षा की नीति में इस तरह की जो समस्याएं हैं उनको समाप्त करेंगे। अध्यापकों की कमी से हालत खराब हो रही है। मेरे यहां पर सब्जेक्ट टीचर नहीं होने से 15 दिन तक हड़ताल रही, जूलूस निकाले गये, उससे बहुत परेशानी रही। यह समस्या न रहे, अध्यापक समय पर उपलब्ध करायेंगी, यह आशा करता हुआ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : गुलाब चन्द कटारिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा का बजट जो राज्य सरकार को खर्च करने के निमित्त अर्पित कर रहे हैं, शिक्षा विभाग को लगभग 282 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति इस हाउस के द्वारा हम देंगे। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस समय शिक्षा के मामले में राजस्थान की हिन्दुस्तान में क्या स्थिति है। लगातार इतने वर्षों के प्रयत्न के बाद भी हम एक कदम आगे नहीं बढ़ पाये हैं। 1971 की जनगणना के आधार पर 17वां स्थान जम्मू-कश्मीर का था पर 1981 की जनगणना के आधार पर वह 14वें स्थान पर पहुंच गया और केवल असम की जनसंख्या के आंकड़े नहीं आने के कारण 17वें स्थान पर किसको रखा जाय, यह तय नहीं हो पाया है। लेकिन आज की तारीख में वह ऊपर ही है, पहले असम का स्थान 12वां चल रहा था। तो यह मानें कि हिन्दुस्तान में राजस्थान शिक्षा की दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ स्टेट है। मैं यह मानता हूं कि 1974 के बाद शिक्षा पर हमारे बजट का खर्चा निश्चित रूप से बढ़ा है और लगभग 13-14 प्रतिशत की हर बार बढ़ोतरी की है। लेकिन इस वर्ष पता नहीं किस कारण से हमारी जो गति है वह कम हुई है। 80-81 में 20 प्रतिशत बढ़ोतरी की है, 81-82 में 22 प्रतिशत बढ़ोतरी की है, 83-84 में 22 प्रतिशत की है लेकिन 84-85 में हमारा बजट पिछले साल के बजट से केवल 9 प्रतिशत बढ़ा है। इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी हमारी गति रही है उसके किसी न किसी कारण से बजट को कम दे पाये हैं। इसलिये यह हौवा खड़ा करना कि राजस्थान में हम शिक्षा का बहुत अधिक विस्तार कर रहे हैं, शायद हम इन आंकड़ों के आधार पर सिद्ध नहीं कर पायेंगे। मैं अधिक आंकड़ों के जंजाल में नहीं पड़ना चाहता हूं। इस साल प्राइमरी एजूकेशन में जो हमारा पैसा बढ़ा है स्कूलों पर, पिछले साल के मुकाबले में 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. माध्यमिक शिक्षा पर 6 प्रतिशत की और विशेष शिक्षा पर 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है।

आप देखें कि कहां भवन बन रहे हैं, कहां क्या हो रहा है। क्या केवल शिक्षा को हम भवन मानते हैं। हमें शिक्षा विभाग का विवरण दिया है तो इसमे हमें यह भी दें कि विश्वविद्यालय परीक्षा में ये प्रगति की, हमने रिजल्ट यह बनाया, आल इंडिया

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

काम्पीटिशन में राजस्थान के किसी विश्वविद्यालय ने यह कीर्तिमान स्थापित किया, आई०ए०एस० में और अन्य काम्पीटिशन में हमारी ये पोजीशन रही। आखिर कोई तो मापदण्ड होना चाहिये। हमारे यहां का बोर्ड आफ सैकण्डरी एजूकेशन का आप इसमें....

श्री बुलाकी दास कल्ला (राज्य मंत्री, शिक्षा) : लोक सेवा आयोग, भारत सरकार ने कुछ विश्वविद्यालयों की सर्वेक्षण रिपोर्ट मंगवायी थी, रिजल्ट्स मंगवाये थे। उसके आधार पर राजस्थान विश्वविद्यालय को देश के प्रमुख विश्वविद्यालय के रूप में मुख्यता प्रदान की है। मैं समझता हूँ कि यह राजस्थान के लिये बहुत उत्तम बात है। यह माननीय सदस्य को मैं जानकारी के लिये बताना चाहता हूँ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह आपने मुझे तो यहां जानकारी दे दी लेकिन यह प्रगति विवरण जिसको कहते हैं इसका भी कोई अर्थ होता है। किन-किन विषयों में किन-किन संकायों का क्या अचीवमेंट रहा, यह राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी आपका है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किसी भी चीज को इसमें इन्क्लूड नहीं किया तो आखिर प्रगति विवरण देने का अर्थ क्या है? मैं ऐसा मानता हूं कि इसको पढ़ने के बाद कोई व्यक्ति यह नहीं समझ पायेगा कि हम राजस्थान की शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रगति कर रहे हैं।

मैं आपसे कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान की शिक्षा में हम भवन पर अधिक पैसा खर्च नहीं कर सकते, यह बात हमको समझ में आ सकती है लेकिन राजस्थान के जितने भी नगरपालिका क्षेत्र हैं उनमें या कम से कम पंचायत में तो स्कूल के लिये भवन होगा, स्कूल के लिये एक अहाता होगा चाहे 100×100 का हो चाहे 200×200 का हो। कभी सरकार ने यह विचार किया, जितने भी नगरपालिका क्षेत्र हैं उनमें सरकारी विद्यालयों के लिये जमीन कभी अलाट नहीं हो सकेंगी क्योंकि एक नियम बना हुआ है कि हाफ रिजर्व प्राइस जमा करानी पड़ेगी। अब यह सरकारी माल है, कौन जमा कराये। उसमें किसी आदमी की साधारणतः रुचि नहीं होती है। तीन बड़े शहरों में तो यह है कि यू. आई. टी. अलाट करेगी। किस को अलाट करेगी? प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन को। क्योंकि वह आब्लाइज कर सकते हैं, उनके पास साधन हैं, आपको फंक्शन में बुला करके आपका अच्छा स्वागत कर सकते हैं, आपको प्रसन्न कर सकते हैं। उनके लिये तो हमारे पास जमीन है लेकिन जहां गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, शहर में भी जहां बिल्कुल निर्धन बच्चे पढ़ते हैं, फटे कपड़ों वाले पढ़ते हैं वहां बच्चों को आप उन बूचड़खानों में फंसाते हो जहां दो कमरे हों और आपकी पांच क्लास चल रही हों। वहां ढाई सौ बालक बैठते हैं, बालकों को बैठने की जगह तक नहीं रहती है। यहां तक कि एक बरामदे में चार अध्यापक बैठ कर चार कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं। क्या राज्य सरकार कभी इस बारे में विचार करेगी? क्या राज्य सरकार यह निर्णय

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कर सकेगी कि जितने भी यू. आई. टी. क्षेत्र हैं या नगर पालिका क्षेत्र हैं उनमें ऐसा प्रोविजन किया जाय, वहां जमीन दी जायगी ? हां प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन लेना चाहें उनको आप हाफ रिजर्व प्राइस पर दीजिये, फुल रिजर्व प्राइस पर दीजिये कोई एतराज नहीं है लेकिन सरकारी विद्यालय के लिये आप निश्चित रूप से भूमि उपलब्ध करायें। किसी भी तरह से वहां भवन बनाने के लिये जन-सहयोग का कोई माध्यम बन सकता है लेकिन पहले ही बीस हजार, पचास हजार भूमि का देना पड़े तो वह कदम आगे नहीं बढ़ पाता है। एक-एक साल में कुछ आगे बढ़ा करके कुछ तरक्की की जा सकती है।

मेरा एक और निवेदन है। बहुत गम्भीरता से आप इस बारे में विचार करिये और शिक्षा को राजनीति से मुक्त कर दीजिये। हम यह चाहते हैं कि कम से कम हमारा पढ़ा हुआ बालक स्वाभिमानी बनें, वह स्वयं अपने सही गलत का निर्णय कर सकें।

श्री अध्यक्ष : शिक्षण संस्थाओं के बारे में आपके बहुत प्रस्ताव आते हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : दिये हैं साहब। साहब मैं शिक्षक रहा हूं इसलिये मुझे कुछ....

श्री अध्यक्ष : आप तभी तो प्रेक्टिस करते हैं। आपको छूट है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : पंचायत समिति के माध्यम से जो प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं आप इसको शायद नकारना चाहेंगे लेकिन यह बिल्कुल सत्य है कि उन के अध्यापक को काम नहीं करना पड़ता है बल्कि कुछ लोगों का ××× बन करके उनके पीछे घूमना पड़ता है अपने आपको सुरक्षित रखने के लिये। जब अध्यापक ही इतना पतित हो जायगा, जब वह चाहेगा कि ट्रांसफर नहीं हो, उसका स्वार्थ सिद्ध होता रहे तो वह स्वाभिमानी हिन्दुस्तानी कहां से पैदा करेगा स्वाभिमानी नागरिक कहां से पैदा करेगा ? मुझको इस बात का बहुत दुःख है। आप किसी भी तरह से इस राजनीतिक दखलंदाजी को बन्द कर दें। हो सकता है, कोई राजनीतिक पार्टी आज है, कल कोई दूसरी आयगी, परसों कोई तीसरी आयेगी लेकिन ××× शिक्षक व्यवहार न करें इस पर भी आप ध्यान देंगे।

अध्यक्ष महोदय, हम शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों की संख्या तो बढ़ा रहे हैं लेकिन इसके साथ आप इस बात पर भी विचार करिये कि हमारा जो शिक्षा का स्तर है वह कुछ क्षेत्रों में तो बढ़ा है, शहरी क्षेत्रों में निजी शिक्षण संस्थानों के माध्यम से शिक्षा का स्तर बढ़ा है इसको मानना पड़ेगा, उनके रिजल्ट इस बात का प्रमाण है उनकी एफिशियेंसी के कारण लोग उनके स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं इस बात को मानना पड़ेगा परन्तु आप गांवों में चलने वाली पांचवीं और आठवीं के बच्चे से अगर दस लाइन लिखवायें तो उसमें 25 गलतियां आयेंगी, वह ठीक प्रकार से नहीं लिख

××× शब्द अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई :

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

सकेगा। पिता तो यह सोचता है कि मेरा बेटा दसवीं में आ रहा है, नवीं में आ रहा है लेकिन दसवीं में आ करके बच्चा फेल हो जाता है। दस साल का किया कराया सारे पर पानी फिर जाता है और यह मान लेता है कि मेरे दस साल बेकार हो गये, अच्छा होता पहले ही मैं इसको किसी काम लगा लेता। इसलिये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आप सामान्य और अच्छी परीक्षा का स्तर कायम करके मिडल स्कूल की परीक्षा का कोई बोर्ड जिलानुसार बना सकें तो काफी अच्छा होगा। जैसा आपने सैकण्डरी एजूकेशन का बोर्ड बना रखा है वैसे ही बच्चे के लिए यदि आप इस प्रकार का बना दें तो काफी अच्छा होगा।

श्रीमन्, जहां तक राजस्थान के अन्दर निजी शिक्षण संस्थाओं का प्रश्न है, निजी शिक्षण संस्थाओं के कुछ अवगुण हो सकते हैं। मैं यह नहीं कहता कि निजी शिक्षण संस्थाओं के अवगुण नहीं हैं, लेकिन उसके बाद भी निजी शिक्षण संस्थाओं के पैर जमे हुए हैं तो इस कारण से जमे हुए हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में उनका परिणाम अच्छा है। अन्यथा कोई भी व्यक्ति वहां जा कर के अध्ययन नहीं करेगा। उन निजी शिक्षण संस्थाओं में काम करने वाले अध्यापकों के बारे में पिछले कई वर्षों से यह मांग उठती आ रही है कि उनकी सेवा सुरक्षा के लिये कुछ नियम बनाये जायें, कुछ न कुछ प्रोविजन किया जाय ताकि वह मैनेजमेंट की कृपा पर नहीं बना रहे। मैं चाहूंगा कि अगर वे किसी भी प्रकार की गलती करते हैं, काम नहीं करते हैं, काम चोर हैं, किसी भी प्रकार से इन्स्टीट्यूशन को नुकसान पहुंचाते हैं तो नियमों के, प्रावधानों के अनुसार आप उनको नौकरी से निकाल दीजिये कोई तकलीफ नहीं होगी लेकिन चूंकि किसी की बात नहीं मानी, किसी के साथ तालमेल नहीं बैठा इस कारण से 20 साल की नौकरी के बाद जब उनको जंच गया, तब उसको नौकरी से निकाल दिया जाय, यह उचित नहीं है। अगर इस बारे में हम सेवा सुरक्षा नियम नहीं बना सकेंगे तो निश्चित रूप से निजी शिक्षण संस्थाओं में काम करने वाले अध्यापकों के साथ न्याय नहीं कर सकेंगे। यही नहीं, जितने भी निजी कालेज चलते हैं उनके बारे में भी आये दिन यह शिकायतें मिलती हैं। चौदह साल से नौकरी करने वाले एक अध्यापक को लालबहादुर शास्त्री कालेज से निकाल दिया। कहीं किसी कालेज से निकाल दिया गया, कभी झुंझुनू में चलने वाले कालेज से निकाल दिया, कभी किसी को निकाल दिया। मेरे पास जानकारी है। जिन लोगों को निकाला आखिर उनका दोष क्या है। आप कहते हैं कि आखिर हम कर क्या सकते हैं, हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। जब संस्था किसी अनियमितता के खिलाफ कोर्ट में जा सकती है तो आप कम से कम ऐसे कानून बना दें जिसके कारण से वे शिक्षक भी कोर्ट में जा सकें कि इस बात के लिये मुझको इस कारण से निकाला और वहां पर अव्यवस्था है। दूसरा, आपको लगता है कि वहां भारी अनियमितता है तो आप उसको टेक ओवर करिये। उसको टेक ओवर करने के लिये कोई प्रावधान नहीं है। तो क्या हम ऐसी संस्था को टेक ओवर नहीं कर सकते जो

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

वास्तव में हित नहीं कर पा रही है, न्याय नहीं कर पा रही है, वहां के अध्यापकों को पूरा वेतन नहीं दे पा रही है और अपनी मजबूरी सरकार के सामने जाहिर कर रही है कि हमारा अगर आप प्रतिशत बढ़ा सकते हो, 70 से 90 कर सकते हो तब तो हम कालेज को चलायेंगे अन्यथा आप इस कालेज को ले लीजिये। सरकार कहती है कि हम लेने में समर्थ नहीं हैं। अब यह कौन सा तरीका है ? इसलिये आप कोई प्रोविजन करिये जिसके आधार पर इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं उनको हम ले सकें।

इसी प्रकार निजी शिक्षण संस्थाओं के बारे में जो अनुदान नियम हमने बनाये हैं 1974 के बाद, अनुदान के बारे में जो उनका क्राइटेरिया है रूल नियम 5 के अन्तर्गत उनका हम फिर से ग्रेडेशन करते हैं कि कौन किस प्रकार की ग्रेड में जा सकता है। उसके जो-जो नार्म्स हैं उस नार्म्स के आधार पर काम करते हैं लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 1974 के बाद इस बारे में कोई विशेष विचार नहीं हुआ। बाकी संस्थाओं ने अप्लाई किया अपने रिजल्ट्स के आधार पर, अपनी परफारमेंस के आधार पर तो उनको सूची में नहीं बढ़ाया गया। हां, पिछली 31 मार्च, 1983 को सम्पूर्ण राजस्थान में केवल 13 विद्यालयों की एक सूची निकली उनका जितना अनुदान था उनका प्रतिशत बढ़ाया है। उसमें कमला नेहरू सैकण्डरी स्कूल हटूंडी है, इसका 50 प्रतिशत से 80 प्रतिशत किया। बहुत पुराना स्कूल है, हरिभाऊ उपाध्याय ने चलाया था। इसमें कोई एतराज नहीं है लेकिन दुःख इस बात का है कि जिनके परीक्षा परिणाम अच्छे नहीं रहे उनका अनुदान बढ़ा दिया। इसका परीक्षा परिणाम तो केवल 10.67 प्रतिशत था 82 में उसके बावजूद इसका 50 प्रतिशत से 80 प्रतिशत अनुदान बढ़ाया। ऐसी कई संस्थायें थीं जिन्होंने अपने अच्छे परिणामों के आधार पर आपको अप्लाई किया लेकिन उनको यह सुविधा नहीं मिली। मैं चाहूंगा, आपके ग्रान्ट इन एड बढ़ाने के नियम हैं उसमें यह प्रावधान है कि हर 3 साल के बाद ग्रेडेशन करेंगे, उस आधार पर जितना बढ़ना चाहिए उतना बढ़ायेंगे। लेकिन यह अनुदान पिछले आठ साल से नहीं बढ़ पाया है।

श्रीमन्, जैसा पिछली बार स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मैंने कहा, मैं इस सरकार से फिर निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर का अंध विद्यालय जन सहयोग से इतने अधिक वर्षों के बाद समृद्ध बना है। 4 लाख की बिल्डिंग खड़ी की उसमें कुछ अनियमिताओं के कारण, कुछ गबन घोटालों के कारण मैं यह चाहता हूं कि राज्य सरकार उसको टेक ओवर करे। क्या वह उसको सम्भालने में सक्षम नहीं है ? उसको ठीक तरह से नहीं चला सकती है ? जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करने में आपको क्या एतराज है। बिलकुल प्रमाणित हो गया है कि एक लाख 23 हजार का गबन केवल एक साल के ऑडिट के आधार पर है। आपने एक काम जरूर किया है कि ग्रांट इन एड आपके डिपार्टमेण्ट ने रोक ली। उसके कारण से सजा किसको मिली ? उस अंधे बच्चे को, जो वहां पढ़ रहा है. उस

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

अध्यापक को जो अपनी रोजी-रोटी उस स्कूल के आधार पर चला रहा है। आपने पैसा रिलीज नहीं किया उसके कारण से व्यवस्थापक, जिसने चोरियों की, को तो किसी प्रकार की सजा नहीं मिली। उसकी सजा सीधे उस अध्यापक को मिली जो वहां पर काम करता है। मैं कहता हूं, यह इसका सुधार का तरीका नहीं है। आप इसमें सुधार करके इस विद्यालय को टेक ओवर करेंगे।

श्रीमन्, हमारे उदयपुर में समान शिक्षा के नाम पर एक नयी परीक्षा प्रणाली, जिसमें जिला केन्द्र पर परीक्षा करने का प्रावधान था, बड़ी समझदारी के साथ हमारे उस समय के जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रारम्भ की। जितने भी प्रधानाध्यापक आये थे, उनकी उस मीटिंग में यह तय हुआ था कि यह प्रणाली नहीं चल सकती, इसके कारण कई परेशानियां आयेंगी। चूंकि उनका इन्ट्रेस्ट किसी बात में था इसलिए उन्होंने जबर्दस्ती नयी परीक्षा प्रणाली उदयपुर में प्रारम्भ की। हमें कोई हर्ज नहीं है अगर वह व्यवस्थित रूप से चलती, अच्छे ढंग से चलती, तब भी हम इस बात को स्वीकार कर सकते थे। श्रीमन्, जो परीक्षा 1981–82 दिसम्बर में हुई उस परीक्षा का टाइम टेबल केवल 9 दिन पूर्व मिला। उदयपुर जिले के दूर-दूर के अध्यापक पेपर लेने उदयपुर सेंटर पर आये। यह लोग 7 बार आये और सातों बार टाइम टेबल चेन्ज हुआ। लगभग एक महीना और एक दिन में परीक्षायें समाप्त हुईं। 23 जनवरी के दिन परीक्षायें समाप्त हुईं। क्या आप यह चाहते हैं कि बच्चों का हित न हो? केवल पिछले साल की ही नहीं इस साल की भी आपको जानकारी देना चाहता हूं, इस साल हमारे यहां हाफ ईयरली परीक्षा हुई उस हाफ ईयरली परीक्षा के पेपर मेरठ में छपने के लिए दिये गये। 13 तारीख से परीक्षायें शुरू थीं, 11 तारीख तक जिले के बाकी स्कूलों को टाइम टेबल तक नहीं पहुंचा। 12 तारीख को आपका टाइम टेबल गया, 13 तारीख को परीक्षायें शुरू हुईं। आपके पेपर नहीं आये उस कारण आपने चार बार परीक्षाओं की डेट चेन्ज की। उसके कारण कई बालक परीक्षा देने से वंचित रह गये। उन्हें पता नहीं कि 14 तारीख का पेपर कौन से दिन होने वाला है। इस प्रकार की अनियमितता, अव्यवस्था हुई। इसके ऊपर ध्यान दीजिए किस कारण से इस प्रकार की गड़बड़ियां और इस प्रकार की अनियमियता हुई? मेरठ, जहां पेपर छपवाये थे, वालों ने शर्त रखी थी कि एक महीने पहले पेपर छांटकर दोगे। हमारे यहां से पेपर छांटकर 10 दिन पहले दिये गये। तो किस तरह वह छाप कर देगा। उसके कारण से हमारे यहां के अध्यापक रोज मेरठ जाकर पेपर लाये और यहां पेपर दिये। क्या वास्तव में ये यही शिक्षा विभाग स्थिति करना चाहते हैं? मेरी आप से विनम्र प्रार्थना है कि हम इसमें कुछ और नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इसकी व्यवस्था तो सुधारें, अव्यवस्था के कारण से इस प्रकार की अनियमिततायें होती हैं।

यही नहीं, श्रीमन्, आपने अब तक कभी नहीं सुना होगा, शिक्षा विभाग का जो लोगों का पैसा है, चाहे वह मेडिकल का

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

हो चाहे वह टी. ए. बिल का हो, चाहे छात्रवृत्ति के एरियर का हो, चाहे कण्टिग-जेन्सी का हो, चाहे शिशु क्रीड़ा केन्द्र का पैसा हो, उसके भुगतान के लिये यह उदयपुर का ही एक ऐसा जिला शिक्षा अधिकारी होगा जिसने एक अजीब व्यवस्था की। सुनकर आपको भी ताज्जुब होगा, इन बिलों का पेमेंट आफिस में नहीं होता है इसके लिये उन्होंने कुछ अपने चहेते प्रधानाध्यापकों को उस पैसे का विथड्रा करने और डिस्ट्रिब्यूट करने का अधिकार दे रखा है। यहां तक कि जिन लोगों के बिल पास हो गये उन स्कूलों में अभी सूचना भेजी, न कभी उनके बारे में लिखा। 40 हजार रुपये बाई रोटेशन एक आदमी के पास रहते हैं कभी दो अध्यापक कोई गये उनका :00 रुपए का बिल था उनको दे दिया। इस तरह से 9–9, 11–11 महीने के बाद पेमेंट किया। यही नहीं, बच्चों को जो 30 रुपये महीने की छात्रवृत्ति है, 50 रुपये महीने की छात्रवृत्ति है, उदयपुर के दूर के कोने के स्कूल के बच्चों ने 9 महीने बाद पता लगने पर इस पैसे को उठाया। आखिर किस नीति के अन्तर्गत यह अधिकार आपने प्रधानाध्यापकों को दे रखा है कि इतना पैसा बैंक से उठायें। उसका न कोई हिसाब है, न कोई किताब है, न देखो बैलेंस है, न कोई जमा कराया, न पोस्ट ऑफिस में खाता है। कुछ लोगों ने पैसा रख लिया। उस समय के जिला शिक्षा अधिकारी ने भी उसमें से 15 हजार रुपये अपने व्यक्तिगत काम के लिये लिये हैं। इस कारण से उन्होंने इस व्यवस्था को चलाया। आप इस व्यवस्था को सुधारिये, इसको निश्चित रूप से रोकिये। अगर इस ढंग से शिक्षा विभाग को चलाना चाहेंगे तो मेरी ऐसी मान्यता है, शिक्षा विभाग नहीं चलेगा।

इसी तरह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बारे में मामला उठाया था। अजमेर में पुस्तकें लिख रहे हैं। पुस्तकें लिखें इसमें कोई हर्ज नहीं है। पुस्तकें लिखने का अधिकार हमने दे रखा है लेकिन उसके लिये प्रोविजन है कि इन नियमों के तहत उसको सितम्बर तक अपनी पुस्तकों के बारे में निर्णय कर लेना चाहिए। मीटिंग के अन्दर निर्णय हो जाना चाहिए। नियमों में प्रावधान है कि पाठ्यक्रम समिति की बैठक सामान्यत: दिसम्बर माह में होगी और वह यह तय करेगी कि केरीकुलम क्या होगा। उसकी मीटिंग होगी उसके बाद बोर्ड द्वारा तय करके पाठ्य पुस्तकें रखी जायेंगी। अध्यक्ष महोदय, आपसे मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा, किसी प्रकार की न उसकी मीटिंग हुई, न उन्होंने मीटिंग में केरीकुलम पास किया, केवल 2–3 कमेटियों के चेयरमैन ने मिलकर सारा फैसला करके किताबों को रखा। हम इतना लेट निर्णय करने के बाद 45–50 पुस्तकें बदल रहे हैं, क्या हम इनको समय पर दे पायेंगे, हमने कभी यह भी विचार किया? जैसा एक प्रश्न के जवाब में उस दिन तो कह दिया हमने जितने पब्लिशर्स हैं उनसे पूछ लिया, आपके पास पुराना स्टॉक तो नहीं है। उन्होंने कहा, नहीं है। कभी आपने यह भी सोचा कि राजस्थान में इतने बुक डिपो हैं, इनके

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

पास लाखों-हजारों रुपए की पुस्तकें पड़ी होंगी। केवल आपके पाठ्य पुस्तक मण्डल में कुछ किताबे पड़ी रह गईं, आपने तीन जिलों में उन्हीं किताबों को इस साल भी चलाया। क्या आपने यह भी सोचा कि राजस्थान में इतना पैसा इन किताबों में लगा हुआ है, इतना कागज लगा हुआ है इसका एक साल तक और सदुपयोग कर लेते जो किताबें बची हुई हैं, जो कुछ भी नई रखना चाहते थे उसके बाद ही रख देते तो कोई बहुत बड़ी आफत नहीं होती इसमें, हमारे ऊपर विपत्ति नहीं आती। मेरी समझ में नहीं आता क्यों आप इस पर इतने एडामेंण्ट हैं जिसके कारण से राजस्थान के बच्चों का नुकसान किया है। यही नहीं, बोर्ड के द्वारा लिखी दोनों पुस्तकें हैं, क्या अंतर होता है उसको स्पष्ट करना चाहता हूं। जीव विज्ञान उच्च माध्यमिक स्तर की किताब 273 पेज की है, कीमत आपके द्वारा 13.85 रुपए रखी गई है। पब्लिशर के द्वारा पब्लिशड आधुनिक जीव विज्ञान, जिसके पेज जस्ट डबल हैं, की कीमत 15 रुपये है। यह भी 10 हजार प्रतियां छपी हैं, यह भी 10 हजार प्रतियां छपी हैं। अगर आपका मन्तव्य इस तरह का हो कि किसी भी तरह से राजस्थान के गरीब बालक पर आप छापी के कारण से अधिक वजन पड़े, तो मैं चाहूंगा कि आप इस पर फिर से विचार करें ताकि हम इस समस्या से किसी तरह अपने आप को बचा सकें।

यह नहीं, श्रीमान्, इसमें और कई बातें हैं। मुझे यह समझ में आता है, भ्रष्टाचार की बात सब जगह सुनते हैं वह तो फिर भी मन को बर्दाश्त होता है। कम से कम यह शिक्षा का एक क्षेत्र बचा लें तो हिन्दुस्तान में आज नहीं तो कल हम बाकी स्थानों पर भी कब्जा कर लेंगे या काबू कर लेंगे। दुर्भाग्य यह है कि राजस्थान के छोटे-मोटे शिक्षकों की भी हवा के साथ बहने की आदत हो गयी है। वह सोचते हैं कि किसी तरह से, येन-केन-प्रकारेण, मुझे पैसा मिले। छोटा मिले-बड़ा मिले, अधिक मिले-कम मिले, मुझे मिलना चाहिए। इसी भावना से वह काम करना शुरू करेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर का ही एक विद्यालय है, आदर्श नगर में जो लड़कियों का हायर सैकण्डरी स्कूल है उसमें पिछली बार 82 में 2 जून से लेकर 28 जून तक एक सेमिनार हुई थी, उस सेमिनार में फर्जी लोगों की एन्ट्री करके, अध्यापक ही नहीं अध्यापिकाओं के गलत नाम लिखकर, उनका हाजिरी रजिस्टर बनाकर उसमें उनके नाम दर्ज करके अटेण्डेंस की है। 8 अध्यापिकाओं के नाम मैं अभी आपको पढ़कर बताता हूं जिन्होंने रविवार की भी हाजिरियां भरकर दीं। इसकी छानबीन हुई। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, उन्होंने जो जोइनिंग रिपोर्ट दी थी, वहां के प्रधानाध्यापक से जानकारी की गई, पूछा गया तो वह क्या लिखते हैं? इसमें लिखा है—

"उपरोक्त विषय में निवेदन है कि उप जिला शिक्षा अधिकारी, छात्रा के आदेश से आपके विद्यालय में आज दिनांक 8.6.82 को मध्यान्ह पूर्व शिविर प्रशिक्षण के कार्य हेतु उपस्थित हुई।"

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

यह है शारदा देवी ।

इसी शारदा अग्रवाल के बारे में लिखा है—

"प्रमाणित किया जाता है कि इस विद्यालय में जून, 1982 में श्रीमती शारदा अग्रवाल नाम की कोई भी अध्यापिका कार्यरत नहीं रही । इस विद्यालय से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, आदर्श नगर, जयपुर में जून, 1982 में आयोजित प्रशिक्षण हेतु कार्य करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।"

यह मेरे पास 6 लोगों के नाम दर्ज हैं। 6 लोगों की इस प्रकार की रिपोर्ट दर्ज है । यह सारी जानकारी विभाग के ध्यान में आज नहीं आयी, श्रीमन्, लगभग एक साल हो गया, इस बात की जानकारी ध्यान में आने के बाद भी किसी प्रकार की उस पर कार्यवाही नहीं हुई ।

यही नहीं, श्रीमन्, जो छात्र कोष होता है, उस छात्र कोष में से 35 सौ रुपया निकाल लिया गया और कैश बुक की एन्ट्री के कागज फाड़ दिये गये । जो ऑडिट हुई 1983 के अन्दर उस 83 के आडिट पैरा में यह बात स्पष्ट हो गई । डायरेक्टर, एजूकेशन बीकानेर के पास यह सारी शिकायत प्रमाण सहित पहुंच गई लेकिन एक साल से वहां से फाइल नहीं निकल रही है । अब यह किस कारण से नहीं निकल रही है ? मैं चाहूंगा कि कोई कितना ही बड़ा शहंशाह आलम क्यों न हो, शिक्षा क्षेत्र में इस प्रकार की बेईमानी करता है तो उसको तुरन्त हमको सम्भालना चाहिये । हमारे यहां प्रमोशन होता है तो प्रमोशन के बाद भी जयपुर में ही रहेंगे क्योंकि बहुत बड़े आदमी की बहिन हो सकती है, पत्नी हो सकती है या कुछ भी हो सकती है । मैं चाहूंगा कि चाहे कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो अगर उस पर इस प्रकार की अनियमितता के चार्ज लगें तो एक्शन होना चाहिये ।

यही नहीं, संचिका में बालिका जो 10-10 पैसे जमा करती है उस संचिका में से 6 हजार रुपया दो लोगों ने, 4 हजार रुपया एक ने अपने घर के काम में लिया और दो हजार रुपया एक ने अपने घर के काम में ले लिया । इसकी जांच के समय उन्होंने 6 हजार रुपया फिर लाकर जमा कराया । इस प्रकार के गम्भीर आरोप लगने के बाद भी अगर कोई एक्शन नहीं ले सकेंगे तो मेरी मान्यता है कि लोगों का विश्वास उठ जायेगा ।

आपने सारी बातें तो कीं लेकिन संस्कृत शिक्षा को आप अछूत क्यों समझते हैं, मेरी समझ में नहीं आता । जब हम यह कहते हैं कि संस्कृत सब भाषाओं की जननी है, संस्कृत के ग्रन्थों के अन्दर हिन्दुस्तान की सब कुछ मौलिकता छिपी हुई है जिसके आधार पर लोग रिसर्च कर रहे हैं तो उस ज्ञान को आप पिछड़ा क्यों रखना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता । बाकी सारे शिक्षकों के तो ग्रेड एक हो सकते हैं लेकिन संस्कृत शिक्षा को पढ़ाने वाले चाहे उसके प्रोफेसर हों, चाहे लेक्चरर हों, चाहे हायर सैकण्डरी स्कूल के सीनियर टीचर्स हों उनके

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

ग्रेड्स में हमने अन्तर क्यों रखा है। अब क्या राज्य सरकार उस ग्रेड के अन्तर को नहीं मिटा सकती है? मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, प्रधानाध्यापक, जो सैकण्डरी स्कूल का होता है शिक्षा विभाग का, को 860 से 1750 का ग्रेड दिया जाता है और अगर वही संस्कृत शिक्षा का है तो उसको 820 से 1550 का दिया जाता है। प्रधानाध्यापक, हायर सैकण्डरी स्कूल, शिक्षा विभाग को 1000 से 1860 का ग्रेड और उधर 860 से 1750 का ग्रेड है। यही नहीं, वरिष्ठ अध्यापक के साथ बहुत जुल्म हुआ है। वरिष्ठ अध्यापक को आपके उधर मिलता है 820 से 1550 का ग्रेड और इधर मिलता है 625 से 1120 का ग्रेड। वरिष्ठ अध्यापकों को जनता गवर्नमेन्ट के टाइम में पे-स्केल चेन्ज किया, उस समय पे-स्केल में "वरिष्ठ अध्यापक" लिखा हुआ था, उसमें यह शब्द नहीं लिखे थे कि केवल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अध्यापकों का ही वेतन बढ़ेगा और संस्कृत शिक्षा में काम करने वालों का वेतन नहीं बढ़ेगा। उस समय के शिक्षा मंत्री के ध्यान में यह बात लाई गई तो उन्होंने अपनी फाइल में नोट लिखा है कि मेरा अभिप्राय शिक्षा विभाग के ही नहीं, सारे वरिष्ठ-अध्यापकों से है। उसके बाद स्वयं आप ने भी इसकी पैरवी की। आपने मंत्रि-मण्डल में इस बात को उठाया लेकिन फाइनेन्स डिपार्टमेंट आज भी इस बात को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है।

श्रीमन, आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा, संस्कृत के प्रोफेसर का जो पे-स्केल है वह एस. टी. के हैड मास्टर के पे-स्केल से भी बहुत कम है। उसमें क्यों ज्यादती करना चाहते हैं? क्या आप बराबर की श्रेणी में नहीं जाकर के यह दिखाना चाहते हैं कि संस्कृत को पढ़ने और पढ़ाने वाला इस हिन्दुस्तान में सबसे कमजोर होता है, सबसे पिछड़ा होता है इसी कारण से, हम उसके स्टेटस को नहीं उठा रहे हैं।

श्रीमन्, जो कुछ भी आजकल विश्वविद्यालयों की स्थिति बनी है, जैसा माननीय सदस्य जोशी जी ने कहा, मैं भी इस बात की तारीफ करूंगा कि उदयपुर विश्वविद्यालय में परीक्षायें समय पर हुई हैं, उदयपुर विश्वविद्यालय के काम के ढांचे में सुधार हुआ है, शांति है। इसको कोई इन्कार नही कर सकता। न मैं इन्कार कर सकता हूं, न आप कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि हम उस आई.ए.एस. अधिकारी को यह अधिकार दे दें कि वह इस आड़ में चाहे जिस प्रकार की अनियमितता सलेक्शन में कर ले। मैं आपसे विशेष इसका उल्लेख नहीं करके केवल यही कहना चाहता हूं कि आप कृपया-उसकी जांच करा लीजिये। डिपार्टमेन्ट में पी एच. डी. होल्डर होना जरूरी है, पी एच. डी. होल्डर का ही सलेक्शन होगा। डिपार्टमेंट में नान पी.एच. डी. का सलेक्शन हो जाये, सीनियोरिटी में जो सातवें नम्बर पर है वह सलेक्ट हो जाये और जिसकी 30 साल की नौकरी है वह सलेक्ट नहीं हो! श्रीमन्, लोगों को इन्टरव्यू में बुलाया गया लेकिन कम क्वालिफिकेशन के व्यक्ति का सलेक्शन किया

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

गया। यही नहीं एक ही दिन में सलेक्शन हुआ, एक ही दिन में उसकी एक्जीक्यूटिव सैंक्शन हुई और एक ही दिन में सबके साइन यहां जयपुर में बुलवा कर कराये गये। इस प्रकार के कई सलेक्शन हैं। जिनका सलेक्शन नहीं हुआ वह आज भी डायरेक्टर के पद पर बैठ हुए हैं। इस तरह से अगर आप चाहें तो उनकी हर बात को अच्छी बात कहे लेकिन मैं यह नहीं कह सकता। उस अच्छी बात के कारण से जिस ढंग से, जिस बदनीयती से उदयपुर विश्वविद्यालय के भूतपूर्व वाइस चान्सलर राजनाथ सिंह को लांछित करके निकाला उस कलंक को आप अपनी उम्र भर में धोना चाहें तो नहीं धो पायेंगे। एक अच्छे शिक्षा शास्त्री, जो यहां थे, को आपने सस्पेन्शन आर्डर पकड़ाया, चार्ज शीट दी। उसका केस चला। कोर्ट में ट्रायल पर केस चल रहा था और वह हिम्मत के साथ केस लड़ रहा था कि मेरे पर कोई भी चार्ज नहीं है, इस कारण से मैं इस केस को लड़ूंगा। आपने उसको मनाया, उनसे समझौता किया और फिर एक दिन ड्यूटी जोइन करवाई। श्रीमन्, ड्यूटी जोइन करवाकर 86 हजार रुपयों का इस राज के खजाने से पेमेन्ट करके उनसे दूसरे दिन त्याग-पत्र लिखवाया। आपने जो इस प्रकार की कार्यवाही की, वह कौन सी शोभा देने वाली बात हो सकती है।

आप वास्तव में अगर शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं तो यह मत मानिये कि आई. ए. एस. ने ही दिमाग का ठेका ले रखा है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में वास्तव में आप प्रगति और तरक्की करना चाहते हैं तो शिक्षाविदों का सम्मान करें। वह शिक्षाविद् टेलीफोन करता था कि कालेज में झगड़ा हो रहा है, पुलिस भेजिये तब न तो कलेक्टर सुनता था, न एस. पी. सुनता था और वह अपने ही शीशे तुड़वाकर अपनी जान बचा कर बैठता था। आज चूंकि वहां एक आई.ए.एस. है और कलेक्टर भी आई.ए.एस. है, एक पुलिस वाले को बुलाते हैं तो चार-चार गाड़ियां आ जाती हैं। पुलिस के टेरर के आधार पर उन्होने व्यवस्था बना रखी है। मैं कहना चाहता हूं कि जो उद्दण्ड हैं उनके साथ सख्ती की जाय, कोई हर्ज नहीं लेकिन एक एजूकेशनिस्ट को लांछित करें कि वह व्यवस्था नहीं कर सकता, आई.ए.एस. आफिसर की व्यवस्था की है उसके कारण से वहां व्यवस्था है, मैं इसको कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि नागर की हत्या के सम्बन्ध में भी उन्होंने पहले से एफ.आई.आर. दर्ज करा रखी थी। उसके बाद नागर की हत्या हुई। बाउन्ड्री के बाहर हत्या हो गई लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। उदयपुर विश्वविद्यालय में पिछले एक साल में लाख रुपया पुलिस के ऊपर खर्च किया। यह कोई तरीका नहीं है कि पुलिस के आधार पर हम कोई व्यवस्था चलाना चाहें। आपने यह भी देखा होगा, उदयपुर विश्वविद्यालय के कितने मुकदमे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, उनमें हमारा कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है। आप उदयपुर विश्वविद्यालय को बनाना क्या चाहते हैं, यह आपके अपने दिमाग में साफ नहीं है। आप उदयपुर विश्व-

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

विद्यालय को कृषि विश्वविद्यालय बनाना चाहते हो तो यह कहो कि हम कृषि विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं। आप इसको मल्टी फैकल्टी विश्वविद्यालय रखना चाहते हैं तो उसके बारे में स्पष्ट करो। आपके मन में कहीं कमजोरी है। जब आई.सी.ए.आर. हमको ग्रान्ट दे रहा है और हम राजस्थान में नयी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्थापित कर सकते हैं तो मैं उदयपुर का विधायक होने के नाते आपको कहता हूं कि राजस्थान में अगर कहीं भी कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे तो हमारा उसमें क्या झगड़ा हो सकता है? हम तो यही कहते हैं कि जो कैम्पस वहां पर डवलप हो गया है जिसके ऊपर हमने करोड़ों रुपया, लाखों रुपया खर्च कर दिया है वह कैम्पस आप रखिये। आफिस जहां रखना चाहते हैं, आपकी मर्जी हो, बीकानेर ले जाना चाहते हैं तो बीकानेर ले जाओ, आपकी मर्जी कोटा ले जाने की है तो कोटा ले जाओ। राजस्थान में आई.सी.ए.आर. जो ग्रान्ट दे रहा है, जो पैसा दे रहा है, जैसा अभी माननीय सदस्य श्री कैलाश जी ने बताया, आपको यह सूचना भी मिल गई है कि आपने अपने यहां कृषि विश्वविद्यालय नहीं बनाया है इस कारण से वह अनुदान नहीं मिलेगा। तो क्या इस कारण से विचार नहीं कर सकते? उदयपुर विश्वविद्यालय के 8 कालेज आपने राजस्थान विश्वविद्यालय के सुपुर्द कर दिये। आप मुझे बतायें, हिन्दुस्तान में कोई ऐसा विश्वविद्यालय है जिसका ओवर बर्डन इतना है? श्रीमाली कमेटी की रिपोर्ट आई, उसने प्रस्तावित किया कि राजस्थान में चार विश्वविद्यालय और खुल सकते हैं। उन चार को ××× हमको यू.जी.सी. की ग्रान्ट आलरेडी मिल रही है। आप उदयपुर विश्वविद्यालय को मल्टी फैकल्टी विश्वविद्यालय बना दें। उदयपुर डिवीजन के सारे कालेज उसके साथ लगे हुए हैं। जोधपुर विश्वविद्यालय को भी उसी आधार पर बना दीजिए तो किसी तरह से राजस्थान यूनिवर्सिटी पर जो इतना भार है जिसके कारण से राजस्थान यूनिवर्सिटी ठीक प्रकार चल नहीं पा रही है वह भार भी हल्का हो जावेगा। आपके मन में यह विचार नहीं कि हम उदयपुर के लोग इस कारण से एजीटेशन नहीं करेंगे। हम तो यह चाहेंगे कि राजस्थान में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बननी चाहिये, राजस्थान में कृषि का विकास होना चाहिये। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हो सकता है कि आप उसकी आड़ में किसी प्राइवेट कालेज में सारी फैकल्टीज खोल दें, पोस्ट ग्रेजुएशन साइन्स में हो, कामर्स में हो, आर्ट्स में हो तो वहां पर लड़के पढ़ेंगे। उदयपुर विश्वविद्यालय के दो कालेज—एम. बी. कालेज और ला कालेज आपने यूनिवर्सिटी के साथ रखे हैं उनमें केवल 2-2 और 3-3 विद्यार्थी होंगे। फिर यह 10-10 रीडर्स और प्रोफेसर्स की फौज खड़ी कर दी है वह एक न एक दिन आपको यहां से हटानी पड़ेगी क्योंकि आपके पास वर्क लोड़ नहीं रहेगा। क्या इस बारे में विचार करेंगे और अपना निर्णय करेंगे?

×××अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अप्रलोपित की गई।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

श्रीमन्, अब मैं पर्यटन के बारे में कहना चाहता हूं। पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान में जितनी सम्भावनाएं हैं मेरी ऐसी मान्यता है कि उतनी ज्यादा सम्भावनाएं अन्य किसी राज्य में मुश्किल से होंगी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल को छोड़ कर हमारे राजस्थान में सबसे अधिक सम्भावनाएं होने के बावजूद हम पर्यटन की दृष्टि से इतना विकास नहीं कर पाये हैं, आखिर इसके पीछे कारण क्या है। केवल सन् 78–79 में एक मेवाड़ काम्प्लेक्स की योजना बनाई थी। महाराणा प्रताप केवल उदयपुर के ही नहीं थे, महाराणा प्रताप और उनका सारा इतिहास राजस्थान के चप्पे-चप्पे से जुड़ा है। उनके नाम को बढ़ाने के लिये मेवाड़ काम्प्लेक्स की योजना बना करके केन्द्र सरकार को भेजी। केन्द्र सरकार ने सर्वेक्षण के लिए चार लाख रुपया दिया। सर्वेक्षण करके उसकी रिपोर्ट बना ली। हमको पैसे की स्वीकृति मिल जाने के बाद भी राज्य सरकार इस कार्य को चालू क्यों नहीं करना चाहती? आखिर राज्य सरकार की इसके पीछे मन्शा क्या है?

श्रीमन्, मैं ऐसा मानता हूं कि पर्यटन की दृष्टि से उदयपुर में भी बहुत अधिक सम्भावनायें हैं। जयसमन्द झील एशिया की सबसे बड़ी झील है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप उस पर एक-दो करोड़ रुपया खर्च करके एक पिकनिक सेन्टर कायम करिये। केवल चार-पांच साल में आप वह करोड़ रुपया वापस कमा लेंगे। केवल एक लेक पैलेस होटल उदयपुर में है। वह लेक पैलेस होटल झील के अन्दर होने के कारण उदयपुर को दो करोड़ रुपया साल की आमदनी देता है। क्या हम उसको डवलप करके वहां इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं कर सकते?

यही नहीं, जितने स्थान प्रताप से सम्बन्धित हैं चाहे चावण्ड है, चाहे रिषभदेव है, चाहे कुम्भलगढ़ है, चाहे गोगुन्दा है जहां उनका राजतिलक हुआ, चाहे उदयपुर है, वहां जाने के लिए आप बस की सुविधा उपलब्ध करा दें तो काफी आय हो सकती है। केवल हल्दी घाटी जाने के लिये आपने बस लगा रखी है। कभी आपने स्वयं हल्दी घाटी जाकर देखा होगा, जब आप उस हल्दी घाटी के प्रांगण में खड़े रहे होंगे, अगर आपकी आत्मा होगी तो आपकी आत्मा ने आपको धिक्कारा होगा कि जहां आज प्रताप के लिए दुनिया यह कहती है, यह मेवाड़ वह है जो प्रताप का देश है, उसमें कही प्रताप का नाम-निशान नहीं है, हमको प्रताप दिखाई नहीं देता। क्या यह सरकार वहां प्रताप का स्टेच्यू नहीं लगा सकती? क्या उसके लिए कोई करोड़ों रुपयों की आवश्यकता होगी? लोगों को वहां जाने के बाद निराशा होती है। केवल एक चेतक, जो हमारे बाप दादों ने चार सौ वर्षो पहले बनवाया था, को देख कर तिलक लगाकर लोग आ जाते हैं। मैं चाहूंगा कि पर्यटन की दृष्टि से आज आप अपने जवाब में जरूर कहेंगे कि मेवाड़ काम्प्लेक्स की योजना को केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृति दे दी थी, जिसके लिये पिछले तीन विधान सभा सत्रों में, जब भाटीजी मन्त्री थे, मुझे यह जवाब दिया कि बहुत जल्दी हम काम शुरू करेंगे।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

आज उस बात को ढाई साल होने आये हैं, उस मेवाड़ काम्प्लेक्स की योजना को आप कब लागू कर रहे हैं और उसका काम कब शुरू करने वाले हैं ?

यही बात कह करके आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री सुन्दरलाल ।

(अनुपस्थित)

श्री अमरचन्द ।

(अनुपस्थित)

श्री कमला भाई ।

(अनुपस्थित)

श्री चतुर्भुज ।

(अनुपस्थित)

श्री रामसहाय सोनड़ ।

श्री रामसहाय सोनड़ (लालसोट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र लालसोट की तरफ खींचना चाहता हूं। शिक्षा के बारे में लालसोट की स्थिति बहुत दयनीय है। राजस्थान में शिक्षा जगत में पिछड़ेपन में लालसोट सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। लालसोट में शिक्षा के पिछड़ेपन का कारण यह है कि आजादी से सन् 80 तक विरोधी पार्टी जीतती आई है। नाना प्रकार का रूप धारण करके वह वोट ले जाते थे लेकिन उस क्षेत्र में कहीं भी स्कूल नहीं खुलवाया। हरेक क्षेत्र में लालसोट पिछड़ा रह गया। आज उस क्षेत्र की स्थिति यह है, लालसोट कस्बा 17 हजार की आबादी का है 80 से पहले इतने बड़े क्षेत्र में हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं था, 38 ग्राम पंचायतों के मुख्यालय पर मिडल स्कूल भी नहीं था....

(6 45 सायं)

(श्री सूर्यकुमार, सभापति, पदासीन)

दस ग्राम पंचायतों के मुख्यालय पर प्राथमिक शाला नहीं थी। 80 के बाद एक हायर सैकण्डरी स्कूल मिला। सैकण्डरी स्कूल तो बहुत कम हैं। आपने इतने मिडल स्कूल खोले फिर भी स्थिति यह है कि 13 ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कोई मिडल स्कूल नहीं है। सम्माननीय मुख्य मन्त्रीजी की घोषणा के अनुसार सन् 1971 की जनसंख्या के आधार पर स्कूल खोले। बहुत स्कूल खोले फिर भी आज तीस गांव ऐसे हैं जो तीन सौ की जनसंख्या के हैं लेकिन वहां स्कूल नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि लालसोट कस्बे में कालेज की घोषणा करें, कम से कम दस कस्बों के अन्दर हायर सैकण्डरी या सैकण्डरी स्कूल खोले जायं, शिक्षा की जो कमी है वह दूर की जाय ताकि उस क्षेत्र में आम जनता की मांग के अनुसार शिक्षा मिल सके। वहाँ यह पोजीशन है कि

(श्री रामसहाय सोनड़)

पिछड़े क्षेत्र के आदमी बाहर स्कूल के बच्चों को भेजने में असमर्थ हैं । इतना खर्च वह वहन नहीं कर पाते हैं । स्कूल बहुत दूर पड़ता है । या तो गंगापुर जाकर पढ़ो या दौसा जाओ या जयपुर आओ । उस स्थिति में वहां के छात्र शिक्षा छोड़कर बैठ जाते हैं । इसलिए । सभापति महोदय, आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्रीजी का ध्यान उस क्षेत्र की तरफ आकर्षित कर निवेदन है कि जो स्कूल की कमी है उसकी पूर्ति की जाय ।

मेरे को मौका दिया उसके बारे में मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री यदुनाथ सिंह ।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : सभापति महोदय, आज की बहस में आम तौर पर यही चर्चा उभर कर आई कि हमारी शिक्षा नीति, शिक्षा-पद्धति जो है, वह हमारे देश की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है । भारत के राष्ट्रपति से लेकर आम आदमी तक यही रटन पिछले 36 सालों से लग रही है कि शिक्षा पद्धति हमारे देश के अनुकल नहीं है लेकिन जब परिवर्तन की बात आती है तो उसमें सिर्फ 10+2, 10+3–इस तरह के परिवर्तन करके सन्तुष्टि कर ली जाती है । अन्य देशों की परिस्थितियां चाहे कुछ भी हों लेकिन हमारे देश में, सभापति महोदय, 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं । बाकी बीस प्रतिशत लोग शहरों में रहते हैं जो मजदूरी करते हैं या उद्योगों में लगे हैं । उन लोगों के लिए जो शिक्षा पद्धति है वह ऐसी है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद लोग हाथ का काम नहीं करते हैं । लोगों को हाथ का काम करने के लिए बेकार कर दिया जाय तो यह गुनाह का काम है । सभापति महोदय, हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी हो चुकी है कि लोगों में श्रम के प्रति बिल्कुल तिरस्कार की भावना पैदा हो गई है । आठवीं पढ़े लिखे तो श्रम करना नहीं चाहते, हाथ का काम करना नहीं चाहते । शिक्षा पद्धति ऐसी बेरोजगारी बढ़ा रही है कि चार लाख से ज्यादा तो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज में और हर साल बढ़ते जा रहे हैं यानी जो शिक्षा है हमारी, वह आदमियों को रोजगार नहीं दे रही है । उनका कैसा जीवन बनेगा ? अच्छे जीवन का निर्माण करने में, अच्छे समाज का निर्माण करने में हमारी शिक्षा पद्धति सहायक सिद्ध नही हो पा रही है । इस शिक्षा में श्रम के प्रति तिरस्कार की भावना है ।

शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिये हमें तीन बातों पर गौर करना होगा । हमारी शिक्षा पद्धति जिसमें डिगनिटी आफ लेबर पढ़ाते हों, श्रम को, मेहनत को, मजदूरी, क छोटा न समझें, उत्पादन से जुड़ी हुई हो, उत्पादन भी हो और रोजगार भी मिले, यह तीनों चीजें जब तक शिक्षा में नहीं होंगी तब तक शिक्षा पद्धति हमारे यहां कोई जीवन का निर्माण नहीं कर सकेगी । सरकारी नौकरी के लिए लार्ड मैकाले ने जो शिक्षा पद्धति बनाई

(श्री यदुनाथ सिंह)

उससे हमारे देश का भला होने वाला नहीं है, उससे श्रम की डिगनिटी खतम होती जा रही है। इस पद्धति को, सभापति महोदय, हमें बदलना होगा। सभापति महोदय, अंग्रेजी भाषा के रहते यह नहीं हो सकता है। आज जो शिक्षा पद्धति है उससे तो बेरोजगारी की समस्या ही बढ़ रही है। हमारे यहां के लोगों के नैतिक मूल्यों जो गिरावट आ रही है उसको रोकने के लिये हमें अपनी शिक्षा पद्धति को बदलना होगा। बच्चा पढ़ने लिखने के बाद, शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्वयं रोजगार के लायक बन कर नहीं निकले तो, सभापति महोदय, हमारी यह शिक्षा पद्धति. कोई मायने नहीं रखती। सभापति महोदय, मनुष्य और पशु में इतना ही तो अन्तर है कि मनुष्य श्रम करता है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बात नहीं करें।

श्री यदुनाथ सिंह : मनुष्य हस्तकला या दस्तकारी से अपने हुनर से कुछ उत्पादन करता है। पशु और मनुष्य में यही तो अन्तर है। हमें, सभापति महोदय, हमारे यहां पर ऐसी ही शिक्षा पद्धति को इवोल्व करना है।

सभापति महोदय, हमारे यहां दो तरह की शिक्षा की पद्धति है—एक तो, गांव की शिक्षा पद्धति और दूसरी शहर की शिक्षा पद्धति, एक गरीब की शिक्षा पद्धति औरदूसरी अमीर की शिक्षा पद्धति। अमीर की जो शिक्षा पद्धति है वह हमारे यहां पर सही नहीं बैठती है। सभापति महोदय, आने वाले समय हमारे देश में एक भाषा होनी चाहिये, एक शिक्षा पद्धति होनी चाहिये। आज हो क्या रहा है? हमारे यहां पर अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जा रही है। अंग्रेजी भाषा लार्ड मेकाले द्वारा हम पर थोपी गई थी। उस अंग्रेजी भाषा के कारण हमारे विद्यार्थियों का आधे से ज्यादा समय तो उसी में बरबाद हो जाता है। सभापति महोदय, अंग्रेजी ऐसी भाषा है, जिस भाषा में लिखी जाती है उस भाषा में पढ़ी नहीं जाती है। जो भाषा जिस तरह से लिखी जावे उस तरह उसका उच्चारण नहीं हो, उस भाषा को हमारे यहां से निकाल देना चाहिये। अभी जब माननीय सदस्य भंवर लालजी ने बहस शुरू की तब उन्होंने यह कहा था कि एक अध्यापक गर्ल को ग्रिल बोलता था दूसरे अध्यापक ने उसको दूसरी तरह से करेक्ट किया। तो जो भाषा जिस तरह से लिखी जाये उस तरह पढ़ी नहीं जाय वह कैसी भाषा होगी। इसमें, सभापति महोदय, बहुत सी विसंगतियां हैं। अंग्रेजी भाषा को अगर आप ज्ञान के लिये पढ़ाते हैं तब तो ठीक है पर अंग्रेजी की पढ़ाई, जो कान्वेन्ट स्कूल में होती है, के माध्यम से आप अगर हमारे यहां पर लोगों का विकास करना चाहते हैं तो वह नहीं हो सकता है। मेरा इसमें निवेदन है कि हमारी राष्ट्र भाषा में शिक्षा पद्धति होनी चाहिये और क्षेत्रीय भाषा का अनिवार्य विषय होना चाहिये। पर आज हो क्या रहा है? अंग्रेजी को अनिवार्य विषय बनाया गया है। इस प्रकार हमारे यहां पर वर्णसंकर संस्कृति का निर्माण हो रहा है जब कि हमारी भारतीय संस्कृति का निर्माण होना चाहिये। एक बच्चा अपनी मां का दूध पीते वक्त जो भाषा सीखता है, उसके बाद अपनी मां का प्यार जिस भाषा से पाता है, पाठशाला में जाकर उसका अपनों से जो सम्बन्ध होता है वह इस भाषा से खतम हो जाता है। इसलिये सबसे पहले, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां

(श्री यदुनाथ सिंह)

पर श्रम का पहले ज्ञान देना चाहिये। श्रम के ज्ञान के बाद में अक्षर ज्ञान कराना चाहिये। आज अक्षर का ज्ञान उतना जरूरी नहीं है जितना कि श्रम का ज्ञान जरूरी है। आज लोगों को किताबी ज्ञान दिया जा रहा है। किताबी ज्ञान दिये जाने के कारण हमारे यहां पर सही समाज का निर्माण नहीं हो पा रहा है। आज भी किताबी ज्ञान से कहीं अच्छे लोग हैं जो अपने हुनर से अच्छा नाम कमाने वाले हुए हैं। किताबी ज्ञान एक पहलू जरूर है पर उसको आधार मानकर आने वाले समाज का निर्माण करेंगे तो हमारे यहां पर मानसिक दासता बढ़ेगी।

मैंने आपकी कुछ प्रोग्रेस रिपोर्ट पढ़ी हैं। आपने पहल की है। आप दस्तकारी का काम सिखाने जा रहे हैं, पर यह अपर्याप्त है। सभापति महोदय, मैं तो यह कहूंगा कि आज हम जो यह बहस करते हैं 10+2 की या आज इतने स्कूल खोलें, इतने अध्यापक वहां नियुक्त कर दिये, यह बहस बिलकुल मायने नहीं रखती है क्योंकि जो शिक्षा हम दे रहे हैं वह सम्पूर्ण मनुष्य का निर्माण नहीं कर रही है, आने वाली पीढ़ी पर बोझ बन रही है। देश में ऐसी शिक्षा पद्धति इवोल्व कर ली है जिसमें स्कूल चाहे खुले या नहीं खुले, चाहे सब्जेक्ट कम हों उनके सन्दर्भ में नहीं सोचते हैं, हमें अपने क्षेत्र में राजनैतिक लाभ मिले, यह सोचते हैं। तो ऐसी शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। हमें आने वाले समय में देश में ऐसी शिक्षा पद्धति को चालू करना है जो रोजगारोन्मुखी हो और उत्पादन से जुड़ी हुई हो। सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात जो है वह यह है कि शिक्षा का भार राज्य के कोष पर पड़ता है वह कम हो, शिक्षा रोजगार देने वाली हो शिक्षा से उत्पादन हो। उत्पादन के आधार पर शिक्षा को चलाया जाय। आज हम ग्रान्ट देते हैं, छात्रवृत्ति देते हैं तो बच्चे छात्रवृत्ति या ग्रान्ट-इन-एड से पढ़ते हैं, आज अमेरिका में क्या होता है? सभापति महोदय, अमेरिका में कोई भी बच्चा मिडल स्कूल की पढ़ाई के बाद अपने मां बाप पर बोझ नहीं बनता है। शिक्षा स्वयं में पूरी होनी चाहिये। हमारे यहां जो बच्चा पढ़कर निकलता है वह हीन भावना रखता है। वह सोचता है कि वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया है। फिर वह बच्चा जिन्दगी भर उस बोझ से दबा हुआ रहता है। आप उस बच्चे का क्या करेंगे जो अपनी मेहनत से उत्पादन में सहयोगी नहीं बन सकता। फिर उस बच्चे के मन में इनफिरियोरिटी काम्प्लेक्स आ जाता है। इसलिये यह जरूरी है, सभापति महोदय, कि पब्लिक स्कूल का जो सिस्टम हमारे यहां पर चल रहा है उसको समाप्त किया जाय।

सभापति महोदय, जो शिक्षा पद्धति हमारे यहां पर चल रही है, तीन-चार तरह की चल रही है। वातानुकूलित कमरे में अंग्रेजी पब्लिक स्कूल में जो शिक्षा दी जाती है यह कान्वेन्ट सिस्टम है। एक बच्चा उसमें से पढ़कर निकलता है। दूसरा बच्चा शहरी स्कूल से पढ़ कर निकलता है। शहर में जो स्कूल होते हैं उनमें सभी प्रकार की सुविधायें होती हैं, एक-एक सब्जेक्ट के चार-चार, पांच-पांच अध्यापक होते हैं। तीसरी तरफ गांव में जो स्कूल हैं उनमें मुश्किल से एक अध्यापक आता है जो कि पांच-पांच क्लास को घेरे बैठा रहता है। तो ऐसे वातावरण में पढ़ा हुआ बच्चा शहर के वातावरण मे पढ़े हुए बच्चे की क्या बराबरी

(श्री यदुनाथ सिंह)

करेगा। जब कभी कोई प्रतियोगी परीक्षा होती है तो उसमें भी वर्ण संकर संस्कृति वाले लोग ही बैठते हैं जो खुद अंग्रेजी पब्लिक स्कूल से निकले हुए होते हैं और वह उन्हीं लोगों को लेते हैं जो कि कान्वेन्ट स्कूल में पढ़े हुए होते हैं। वही लोग आगे जाकर नीति–निर्धारण करने वाली जगह पर पहुँच जाते हैं। इसलिये, सभापति महोदय, हमारे देश की शिक्षा का जो ढांचा बना हुआ है उसमें परिवर्तन करने की जरूरत है। जब तक हम इस शिक्षा पद्धति में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक हमारे यहां पर बेरोजगारी की समस्या का अन्त नहीं होगा और जो गरीबी है वह बढ़ती जायेगी। मेरा निवेदन है कि शिक्षा पर ही सब कुछ आधारित है, शिक्षा से ही देश का निर्माण होता है, समाज का निर्माण होता है। आने वाले समय में शिक्षा के आधार पर समाज का विकास हो उसके लिये हमें एक नीति निर्धारित करनी पड़ेगी। देश की एक भाषा हो, एक शिक्षा पद्धति हो। कान्वेन्ट स्कूल की शिक्षा को हमें बन्द करना पड़ेगा। सबके लिये समान शिक्षा होनी चाहिये, चाहे वह मेहतर का लड़का हो, चाहे वह श्रीमती इन्दिरा गांधी का लड़का हो, चाहे वह राष्ट्रपति का लड़का हो। एक शिक्षा पद्धति होनी चाहिये और उसी के आधार पर हमारे देश का निर्माण होना चाहिये।

देश की भाषा एक हो। आप चाहें तो प्रान्त की भाषा भी रख सकते हैं। राष्ट्र की भाषा एक होनी चाहिये। अंग्रेजी जरूरी है पर अपने स्थान पर। आज स्थिति ऐसी है कि हमारे देश की जो भाषा है वह पिछड़ी हुई है। अंग्रेजी भाषा दो प्रतिशत लोग ही जानते हैं पर उसकी ललक इतनी ज्यादा है कि गरीब आदमी भी अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में पढ़ाने की चाहत रखता है। आज जगह जगह पर पब्लिक स्कूल खुले हुए हैं। कोई कहता है फलां पब्लिक स्कूल, कोई कहता है फलां पब्लिक स्कूल, कोई कहता है मेरी रोज स्कूल। पता नहीं कौन-कौन से स्कूल खुल गये हैं। गरीब लोग भी अपने बच्चों को वहां भेजने का प्रयास कर रहे हैं। आज एक ऐसी मानसिकता बन गई है कि जो लोग अंग्रेजी पढ़े हुए नहीं होते हैं उनको लोग पिछड़ा हुआ मानते हैं, जो अंग्रेजी सीखे हुए नहीं होते हैं उनकी समाज में प्रतिष्ठा नहीं होती है। आज लोग इस मानसिकता से ग्रस्त हो गये हैं। हमें इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा। सभापति महोदय, मैं इस मौके पर यही कहना चाहूंगा कि भाषा से देश की संस्कृति बनती है। हमारे देश की संस्कृति में अंग्रेजी भाषा घुस गयी है। हमारे बच्चों को पढ़ने के लिये जो समय मिलता है उसका आधा समय तो वह अंग्रेजी पढ़ने में ही लगा देता है। वह अंग्रेजी के ही डर में रहता है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस शिक्षा पद्धति से हमारे देश के लोग बरबाद हो रहे हैं। हमारे देश को इस अंग्रेजी से बचाया जाना चाहिये। अंग्रेजी सहयोगी भाषा के रूप में मानी गयी थी, एक सिस्टर भाषा के रूप में, छोटी बहन के रूप में मानी गयी थी, पर आज स्थिति ऐसी हो गयी है कि इस छोटी बहिन ने बड़ी बहिन पर कब्जा कर लिया है। मेरा निवेदन है कि हमारे देश की भाषा एक हो और उस भाषा के अनुरूप हमें हमारी संस्कृति का निर्माण करना है। यहां तो संस्कृति ही अंग्रेजी भाषा के अनुरूप हो गयी है और उसी अनुरूप देश का

(228)

(श्री यदुनाथ सिंह)

निर्माण हो रहा है। जब तक हमारी भाषा एक नहीं होगी तब तक हम देश को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे।

सभापति महोदय, आपको श्रम की पढ़ाई पहली क्लास से ही शुरू करानी पड़ेगी, शुरू से ही उसको स्पेशल सर्विस में लगाना पड़ेगा। हमारे पास इतने अध्यापक भी नहीं हैं जो सबको शिक्षा दे सकें। पहले हमें श्रम यानी लेबर के प्रति आकर्षित करना होगा, डिगनिटी आफ लेबर की भावना उनमें पैदा करनी होगी। आज हो यह रहा है कि गांव में लड़का पढ़ कर आता है तो वह खेतों में पानी देने का काम नहीं करता है, भैंसों को न्यारना नहीं चाहता है। जिस लड़के ने एक बार पतलून पहन ली वह अपने आपको बड़ा समझने लग जाता है। ऐसी शिक्षा पद्धति, जो अपने समाज के लोगों को अपने से ही काटने का काम करती है, हमें समाप्त करनी है। सभापति महोदय, इस मौके पर मैं आपको सुझाव के रूप में यह कहना चाहता हूं कि हमें इस पर गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। यह शिक्षा पद्धति ही सारी समस्या की जड़ है। किस तरह से हम समाज का निर्माण करें, आने वाले समय में कैसे लोगों को तैयार करें, यह सोचना है। यह शिक्षा पद्धति तो किसी भी काबिल नहीं है, किसी भी मतलब की नहीं है। हमें एक नीति निर्धारित करनी होगी। हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें आने वाले समय में परिवर्तन करेंगे, ऐसी मैं आशा लेकर चलता हूं। बस इतना ही मेरा शिक्षा के बारे में निवेदन करना है।

(7.00 रात्रि)

सभापति महोदय, जहां तक सवाल है खेलों का, यह इस देश का दुर्भाग्य कहा जा सकता है, दो हजार करोड़ रुपया खर्च करके एक तमाशा 15 दिन के लिए दिल्ली में किया गया। अच्छी बात है, अगर हमारे पास साधन हों, हम धनवान हों, हम इतना पैसा खर्च करके ऐसा तमाशा कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए। हर किसी को करना चाहिए। लेकिन हम गरीब होते हुए, हमारे पास पूंजी के साधन का अभाव होते हुए ऐसा तमाशा नहीं करें। दो हजार करोड़ रुपया अगर हिन्दुस्तान के सब जिलों में बांट देते तो पांच करोड़ हरेक को मिलता। कितने स्टेडियम, कितने साधन, हम मुहैया करते और कितने खिलाड़ियों का निर्माण होता। हम इतना पैसा खर्च करके यह गौरव भले ही ले लें कि हमने हिन्दुस्तान में इतना बड़ा आयोजन किया लेकिन जो वास्तविक उपलब्धि होनी चाहिये थी वह हमको नहीं हो पाई। हमें ऐसे खेलों के बारे में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए जिनसे शरीर बलिष्ठ हो। शरीर बलिष्ठ नहीं होगा तो दिमाग बलिष्ठ नहीं होगा। जिन लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ी होगी उनको ध्यान होगा कि मन में बुरी बातें आती हैं तो वह खेल के मैदान में दूर हो जाती हैं। जितनी बुरी भावनायें क्राइम, चोरी आदि की विद्यार्थी या खिलाड़ी के मन में आती हैं वह मैदान में एक-दो घण्टे के खेल से दूर हो जाती हैं और जिसको रिट्रास्पेक्शन बोलते हैं, वह हो जाता है। इसलिए खेल पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यहां खेलों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इस तरह के तमाशों की इस देश में जरूरत नहीं है।

खिलाड़ियों की बात करें, टूर्नामेंट होता

(श्री यदुनाथ सिंह)

है उसके पांच दिन पहले उनको दूध पिला कर कह दिया जाता है कि जा पहलवान, लड़। इस तरह निर्माण नहीं होता। पहले रियासत के समय, जब हिन्दुस्तान आजाद नहीं हुआ था, खिलाड़ियों को बाकायदा स्टेट की तरफ से प्रोत्साहन दिया जाता था।

हमारे यहां क्रिकेट का बहुत बड़ा तमाशा होता है। अच्छी बात है, क्रिकेट का विकास हो रहा है। लेकिन यह आम आदमी का, मासेज का खेल नहीं है। हमें ऐसे खेलों का विकास करना चाहिए जिनमें ज्यादा से खिलाड़ी निकलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों का इन्वाल्वमेंट हो। ऐसे खेलों को प्रोत्साहन देना चाहिए जो हमारे ग्रामीण खेल हैं।

सभापति महोदय, राजस्थान में जहां तक सवाल है पर्यटन का, राजस्थान से ज्यादा किसी राज्य में पर्यटन के लिए पोटेंशियलिटी नहीं है, आर्कोलोजी में कोई सानी नहीं है हिन्दुस्तान में राजस्थान का। यहां के आप पहाड़ी क्षेत्र देखिये। माउण्ट आबू, जैसलमेर में कोई टूरिस्ट ऐसा नहीं है जो नहीं जाता हो। यहां की आर्कोलोजी देखिये, यहां की संस्कृति देखिये, यहां के फोक (Folk) डांस देखिये, फोक म्यूजिक देखिये, कला देखिये। इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर अच्छी-अच्छी सैंक्चुरी हैं। भरतपुर बर्ड सैंक्चुरी, सिरिस्का सैंक्चुरी, रणथम्भोर सैंक्चुरी–इनका सानी हिन्दुस्तान में तो क्या संसार में कोई नहीं है। इस तरह की सारी पोटेंशियलिटी मौजूद होते हुए हम उसको टैप नहीं कर पायें, यह अच्छी बात नहीं है। इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। टूरिस्ट की संख्या, मैं देख रहा था फिगर्स थोड़ी देर पहले, बढ़ी है। खुशी की बात यह है कि टूरिस्ट की संख्या तेजी से बढ़ रही है जिसमें भारतीय अधिक हैं। यानी इस देश का आदमी पर्यटन में रुचि ज्यादा ले रहा है। यह अच्छी बात है। इसलिए टूरिज्म में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। आप हरियाणा को देखिये, वहां पर कुछ भी नहीं है, सब आर्टिफिशियल है। वह सब बना कर उन्होंने टूरिज्म का विकास वहां किया। हमारे यहां सब कुछ है यानी टूरिस्ट जो कुछ देखना चाहता है वह सब कुछ राजस्थान में देख सकता है। ऐसा हमारे पास मौका है। यह जो मौका भगवान् ने दिया है, प्रकृति ने दिया है, बुजुर्गों ने दिया है इस मौके का फायदा उठा कर इसको टैप करना चाहिए। मैं चाहूंगा, इसके बारे में प्रयत्न करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। जो टूरिस्ट स्पोट है, आस-पास रहने वाले लोगों में जब तक आप उस क्षेत्र के बारे में अभिरुचि पैदा नहीं करेंगे तब तक ज्यादा सफलता मिलने वाली नहीं है। बहुत से फेस्टिवल आप आयोजित कर रहे हैं, और भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां अच्छे फेस्टिवल्स आयोजित हो सकते हैं। मेरे यहां की बात करूं, हमारी ब्रज संस्कृति अभी तक अन-टच्ड है क्योंकि न तो मुगल यहां पर विजय कर पाये थे, न अंग्रेज ही विजय कर पाये थे। इसलिए अन-टच्ड आर्कोलोजिकल पीस देखना है तो आप ब्रज क्षेत्र देखें। वहां पर न पर्सियन, न अंग्रेजी छाप है, नमुगल छवि है। वहां के रसियों को लीजिए, हमारे ब्रज में अच्छे-अच्छे फेस्टिवल आयोजित हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में आप ब्रज में फेस्टिवल मनाइये। उसमें हमारा पूरा सहयोग होगा। मैं चाहूंगा कि जो आने वाला समय

(श्री यदुनाथ सिंह)

है उसके लिए हम एक अच्छी व्यवस्था निर्मित करें।

आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री भैरूं लालजी भारद्वाज।

श्री भैरूं लाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़): सभापति महोदय, अधिकांश साथियों ने जो बातें कह दी हैं उनको दोहरा कर मैं अधिक समय खराब नहीं करूंगा। शिक्षा पद्धति का जो पिरामिड बना हुआ है, मेरी धारणा यह है कि यह एक उल्टा पिरामिड है। मैं इसको सीधा करना चाहता हूं। पिरामिड का तरीका यह है कि नीचे से काफी लम्बा-चौड़ा और मजबूत और उसके बाद धीरे-धीरे ऊपर शिखर बनता है। यह तो सीधा तरीका है पर शिक्षा के पिरामिड का जो तरीका है जैसे बच्चा खिलौने को उलट देता है उसके बाद ऐसा लगता है कि नीचे छोटी सी पतली जड़ है, जिसको शिखर कहना चाहिए, फिर ऊपर भारी होते हुए माथे तक इतना भारी हो जाता है कि वह कैसे टिका हुआ है, यह भगवान ही जानता है। मैं इसको ठीक करने के लिए छोटे-छोटे तरीके बताना चाहता हूं। पहली बात नीचे जड़ की बात, मूल की बात है। पिरामिड का मूल, नींव मजबूत होनी चाहिए, और वह है प्राइमरी एजूकेशन, प्राथमिक शिक्षा के लिए आप ज्यादा पैसा दें। मैं तो कहता हूं कि आधे से ज्यादा तो क्या तीन बटा चार पैसा शिक्षा बजट का प्राथमिक शिक्षा पर लगा दीजिए, कोई बुरी बात नहीं है। इसी बजट में आप हिसाब-किताब में इधर-उधर कर लीजिए। और बजट बढ़ाने की बात कहेंगे तो आप टैक्स की बात करेंगे। फिर दूसरे विभागों में तोड़-फोड़ की बात आयेगी। केवल एजूकेशन के बजट को इधर-उधर करने की मैं राय देता हूं। मैं कहता हूं, सबसे पहले आप पाठ्य सामग्री, अच्छे अध्यापक, ज्यादा पैसा, यानी जो कुछ भी साधन हैं, प्राथमिक शिक्षा के उपयोग में लाओ। हम हर आदमी को साक्षर बनाने जा रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा की यह पहली बात है। तो क्या साक्षर ऐसे बनाने जा रहे हैं जो दसवीं क्लास तक पढ़ने के बाद भी एक शुद्ध चिट्ठी नहीं लिख सके। नहीं, हम चाहते हैं कि प्राथमिक शिक्षा पूरी होने के बाद आदमी पढ़ने-लिखने योग्य हो जाये। यह मैं कोई अनहोनी बात नहीं कहता। माननीय सभापति महोदय, आप भी जब पढ़ते थे, मैं अपनी बात लूं, मैं जब पढ़ता था तो पहली क्लास में अ, ब, स होते थे। इतने संयुक्त अपर, क्लिष्ट अक्षर होते थे कि वह आज का मैट्रिक पास लिख ही नहीं सकता। अक्षर पास का बोर्ड होता था चौथी कक्षा का। पुराने जमाने में जयपुर रियासत में जिसको अपर पास कहते थे, प्राइमरी शिक्षा कहते थे, अब वह चौथी क्लास होती है उसका बोर्ड होता था जैसे आजकल हायर सैकण्डरी और सैकण्डरी का होता है। प्राथमिक शिक्षा पांचवीं तक है, चौथी तक है, यह विवाद की बात नहीं है, मैं यह कहता हूं कि प्राथमिक शिक्षा का अलग से बोर्ड होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा की जब शुरुआत करते हैं, बच्चा जब क्लास में जाता है तो जाते ही उसको कुछ मिलना चाहिए। आज बच्चा प्राइमरी में भर्ती होता है तो वह इस उत्साह में जाता है कि मुझे पाठ्य सामग्री मिलेगी, मिलेगा, ज्ञान और पढ़ाने वाला मिलेगा। क्या मिलता है, मैं

(श्री भैरू लाल भारद्वाज)

इस चर्चा में पड़ कर समय नहीं खींचना चाहता लेकिन वह सब कुछ नहीं मिलता जिसकी बच्चा इच्छा लेकर स्कूल में जाता है। मैं चाहता हूं कि बच्चे को अध्यापक मिलना चाहिए। वह किस रूप में मिलना चाहिए ? माननीय सभापति महोदय, माननीय शिक्षा मन्त्री महोदयाजी खुद ही बहुत असाधारण पढ़ी-लिखी हैं, अध्यापिका रही हैं, वह स्वयं जानती हैं कि प्राइमरी के बच्चे को कलम, पेंसिल हाथ में लेकर ही पढ़ाना पड़ता है। यह कालेज शिक्षा नहीं है कि टीचर लेक्चर दे रहा है जिसकी इच्छा हो, नोट कर ले। अपना सुख-दुःख भला-बुरा जानने वाला है वह किताब से नोट कर लेगा। यहां ऐसी बात नहीं है, यह प्राइमरी एजूकेशन है। वह सीधा-साधा बच्चा एक कोरा कागज-सा मन और बुद्धि लिये आता है, हम अक्षर ज्ञान के रूप में जो कुछ शुरुआत करना चाहते हैं वह उसकी सारी उम्र भर के लिए एक बीज के रूप में, जड़ के रूप में है। वह जाते ही फील करे कि मैं आज स्कूल में आया हूं तो मुझे अध्यापक मिला है। अध्यापक पहले तो उसको उसकी सारी गृहस्थी की, बोलचाल की, घर की बातें सिखायें और फिर कलम लेकर पढ़ाये कि 'क' यह होता है 'ख' यह होता है और बारहखड़ी इस तरह से लिखी जाती है, एक, दो, तीन गिनती यह होती है। एक बच्चे को एक अध्यापक सैपरेट चाहिए। तो आप हिसाब लगाइये कि एक अध्यापक प्राइमरी में अधिक से अधिक कितने बच्चों को पढ़ायेगा। अगर एक-एक बच्चे को पढ़ाने लगे तो आप एक क्लास के अन्दर एक टीचर के पास 20 बच्चों से ज्यादा नहीं दे सकते,। माननीय सभापतिजी, आज जो स्थिति है मैं उसकी चर्चा करके समय नहीं खोना चाहता हूं कि कितने बच्चों पर प्राइमरी स्कूल में अध्यापक नहीं मिल रहा है। जाने दीजिए। मैं यह चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूल में 20 या 25 बच्चों पर एक अध्यापक मिलना ही चाहिए। अध्यापक कैसा मिलना चाहिए ? यह भी उलटा ही पिरामिड है। आज बच्चों में संस्कार डालने के लिए सबसे अच्छे अध्यापक की, अनुभवी और योग्य अध्यापक की ज़रूरत है। योग्य अध्यापक तो आपने कालेज और यूनीवर्सिटी में लगा रखे हैं और नीचे आप उन छोटे बच्चों को ऐसा अध्यापक देते हैं जो कि स्वयं कुछ नहीं जानता है। तो संस्कार डालने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। आज हमने प्राइमरी स्कूल में जो अध्यापक दिये हुए हैं उनको खुद ही ज्ञान नहीं है कि संस्कार क्या है, शिक्षा के मूल में क्या भावना है और हम किस तरह का नागरिक तैयार करने जा रहे हैं। वह उनकी समझ के बाहर है। मेरा कहना है कि जो भी ऊंचे से ऊंचे अध्यापक हायर एजूकेशन में लगे हुए हैं उनको आप प्राइमरी स्कूल में लगाइये ताकि वह अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर उस बच्चे की जड़ जमाना शुरू करें। तो अध्यापक पर्याप्त मिलें और योग्य मिलें—एक बात।

दूसरी बात यह है कि आप प्राइमरी की परीक्षा पास करा दें तो बच्चा इतना योग्य हो जाये कि धड़ल्ले से लिखना पढ़ना इत्यादि उसको आ जाना चाहिए। उसके बाद मिडल की शिक्षा यानी उच्च प्राथमिक शिक्षा चालू होती है। आप मिडल आठवीं तक पास करवाते हैं तो 4 से 8 यानी चार साल तक उसको आप खुद की भाषा के अलावा अगर सिखाना चाहें तो

(श्री भैरूं लाल भारद्वाज)

सैकण्ड लैंग्वेज भले ही सिखायें वह आपकी मर्जी है वरना शुरुआत मातृभाषा हिन्दी से होनी चाहिए। उसको उसमें गणित का, भूगोल का, इतिहास का और साधारण ज्ञान देना है तो वह भी दें। आठवीं क्लास तक वह पढ़ने-लिखने में पारंगत हो जाना चाहिए। इसके बाद आठवीं से दसवीं तक सैकण्डरी के दो साल हैं। आपको यह तय करना पड़ेगा कि आठवीं पढ़ने के बाद नवीं में लड़का जाता है तो वह हिन्दुस्तान के किस कल का पुर्जा बनना चाहता है, उसकी क्षमता क्या है, इसका अध्ययन होना चाहिए, नवीं क्लास के बाद कि आखिर वह बच्चा इस देश के अन्दर क्या बनना चाहता है। क्या वह किसान बनने लायक है? क्या वह इन्जीनियर बनने लायक है? क्या वह डाक्टर बनने लायक है या शिक्षाविद् बनने लायक है? उसकी प्रतिभायें क्या हैं और वह किधर जाना चाहता है, यह हमको मनोवैज्ञानिक ढंग से नवीं और दसवीं क्लास में रीडिंग करना चाहिए, उसका रिकार्ड रखना चाहिए. उसको डायरेक्शन मिलना चाहिए, उसको मार्गदर्शन मिलना चाहिए ताकि मैट्रिक करने पर एकदम वह समझ ले कि मुझे कहां क्या करना है। मैट्रिक के बाद आपकी हर बच्चे को कालेज में पढ़ाने की जो पद्धति है वह बिलकुल गलत है। मैट्रिक तक शिक्षा पूरी हो गयी, इसके बाद तो आपको काम के लिए भेजना है। डाक्टर बनाना है तो मेडिकल कालेज में भेजिये। अगर आपको इन्जीनियरिंग का काम सिखाना है तो इन्जीनियरिंग कालेज में भेजिये और किसान बनाना है तो एग्रीकल्चर कालेज में भेजिये। आज की पढ़ाई से आपके ऊपर पैसों का भी बोझ बढ़ रहा है। बजट दब रहा है आपका। यह काम कुछ जापान ने किया है, माननीय सभापति महोदय, यदि आप किसी लड़के को मैकेनिक बनाना चाहते हैं तो जो मैकेनिक कारखाने हैं उनमें उसको भेजिये। इससे मैट्रिक पढ़ा-लिखा लड़का योग्य और काबिल बनेगा। उसकी प्रवृत्ति आप देख लें कि यह मैकेनिक बनेगा तो कारखाने में उसको भेजिये ताकि वह पढ़ता भी रहे और कमाता भी रहे। वह स्कूल नहीं हो बल्कि एक कारखाना हो, औद्योगिक क्षेत्र हो जहां से उसको मैकेनिकल ज्ञान प्राप्त हो। अगर एग्रीकल्चर में उसकी रुचि है तो उन एग्रीकल्चर कालेज में नहीं भेजें जैसे आजकल के एग्रीकल्चर कालेज हैं। आप सूरतगढ़ के फार्म पर भेजिये, जोबनेर फार्म पर भेजिये, उदयपुर के फार्म पर भेजिये अगर आपको एग्रीकल्चर पढ़ाना है तो। इससे मैट्रिक के बाद वह लड़का न केवल पढ़ेगा बल्कि कमायेगा भी। एग्रीकल्चर का ज्ञान सीखेगा और सिखायेगा। वह पढ़ेगा और योग्य होकर आगे चल कर एक योग्य किसान बनेगा। आज का विद्यार्थी डाक्टर बनने के बाद नौकरी की तलाश करता है और प्राइवेट प्रेक्टिस करने में हिचकता है, इन्जीनियर भी नौकरी तलाश करता है। राज्य पैसा दे तो अलग से प्राइवेट कारखाना खोलकर अकेले कारखाना लगाने की उसमें आत्मशक्ति नहीं होती है। इसका कारण यह है कि हमने डाक्टर, इन्जीनियर इत्यादि बनाये हैं वह केवल चारदीवारी के भीतर कमरों में बैठ कर कालेज में बनाये हैं। हमको ऐसे डाक्टर इन्जीनियर नहीं चाहिये। हमको तो कार्य-क्षेत्र में उतारना है मैट्रिक के बाद। मैट्रिक के बाद कोई विद्यार्थी स्कूल, कालेज में नहीं

(श्री भेरू लाल भारद्वाज)

जाये। हां, शिक्षाविद् किसी को बनाना चाहते हैं तो उसकी मैट्रिक तक आप जाँच कर लें। एक आदमी 90 प्रतिशत से ऊपर नम्बर लाता है उसको आपको शिक्षाविद्, बनाना है तो ऐसे लड़के को आप शिक्षा से सम्बन्धित कालेज में रखिये, उसको शिक्षाविद् बनाइये। यह आपको कोई मना नहीं करता, लेकिन ऊपर से नीचे तक जो मामला चल रहा है इस ढर्रे को बदलना पड़ेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि ऊपर खर्च कम करना पड़ेगा।

मैं उदाहरण के तौर पर मेरे ही गांव का उदाहरण दे दूं, दूसरों का क्या। मेरे यहां मानपुरकलां प्राइमरी स्कूल के अन्दर 450 बच्चे हैं। उसमें केवल 6 अध्यापक हैं। चपरासी एक भी नहीं है। क्लर्क होने का तो सवाल हो नहीं। क्यों हो वहां पर। उसी गांव में हायर सैकण्डरी स्कूल में 425 बच्चे हैं, उससे 25 बच्चे कम हैं, वहां पर 27-28 मास्टर हैं। हैड मास्टर अलग है। वहां पर प्रिन्सिपल है। हायर सैकण्डरी स्कूल में उसका अलग से नाम होता है। उसके बाद 6 या 8 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं और दो क्लर्क हैं। अब आप हिसाब लगाइये, वहां 450 छोटे-छोटे बच्चे जो पानी नहीं पी सकते, कुएं पर जायें और गिर जायें तो निकाल नहीं सकते, उनके लिए एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। एक ही गांव में एक ही राज्य ने, एक ही विभाग ने केवल समझ के तोड़े यह व्यवस्था कर रखी हैं। समझ यह है कि वह पहले से चले आ रहे हैं इसलिए कैसे बदलें। हायर सैकण्डरी स्कूल है उसमें ज्यादा होंगे ही। प्राइमरी स्कूल है उसकी क्या कीमत है। वह कालेज में चले गये फिर तो हर क्लास में 4 लड़के किसी एक विषय के हैं तो भी आपको एक प्रोफेसर रखना पड़ेगा उनके लिए। आपके कालेज में पढ़ने कौन आता है? कालेज में अव्वल तो प्रोफेसर डर के मारे पढ़ाने ही नहीं जाते और गलती से कोई चला जाता है तो लड़के सीटी बजाते हैं, कंकरी फेंकते हैं, कागज फेंकते हैं और टोन्ट कसते है। इसके सिवाय कुछ नहीं करते। इसमें लड़कों का भी दोष नहीं है। लोग कहते हैं कालेज के लड़के आवारा और बदमाश हैं, ऐसी बात नहीं है। जो गलती हो रही है कालेज के लड़कों से, उसमें उनका दोष नहीं है। यह प्राइमरी एजूकेशन का दोष है जहां उन्होंने क, ख, ग, सीखा था। वहां किसी ने ध्यान नही दिया। इस देश में क, ख, ग और 1, 2 सिखाने के लिए कोई तैयार नहीं है। यहां बड़े-बड़े पौधे और विषय पढ़ाने के लिए तो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग हैं, बड़े-बड़े प्रोफेसर हैं, बड़े-बड़े विशेषज्ञ हैं और पैसे की कहीं कमी-खामी नहीं है। आपकी असेम्बली से भी ज्यादा तामझाम लगे हुए कालेज और विश्वविद्यालय में कमरे मिल जायेंगे। किन्तु शुरुआत करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। इस बजट को इधर से उधर मोड़ दीजिए मेहरबानी करके। फिर इसी बजट में आपका सारा काम चल जायेगा। तो एक तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमको कुछ बातें निर्धारित करनी पड़ेंगी। जैसा कुछ मित्रों ने संस्कृत शिक्षा के बारे में कहा, संस्कृत की शिक्षा में संस्कृत का स्कूल

(श्री भेरूंलाल भारद्वाज)

केवल संस्कृत ही नहीं पढ़ाता उसमें आपके अन्य विषय तो पढ़ाये ही जाते हैं और संस्कृत विशेष तौर पर पढ़ाई जाती है। फिर तो सोने में सुहागा हो गया। कमी-खामी कहां रही ? इसलिए लोगों को आकर्षण है और हमने कभी आकर्षण के तौर पर बताया ही नहीं। शिक्षा मंत्रीजी, जो मौजूदा बैठी हैं, को मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि पहली बार संस्कृत के स्कूल खोले हैं। यह गयी साल हुआ मैं यह कहता हूं कि जो आपने किया है, यह आपकी व्यक्तिगत अच्छाई है। व्यक्तिगत अच्छाई से सारे काम चलते नहीं हैं। आप नियम तय करवाइये, पर्सेन्टेज के हिसाब से। जितने आप नये स्कूल खोलेंगे उनमें संस्कृत का आप क्या पर्सेन्टेज चाहते हैं ? न्यूनतम आप 20–25 पर्सेन्ट तो रखिये। जहां तक लड़के और लड़कियों का सवाल है, वह आपकी इच्छा है तो कीजिए। लोग कहते हैं पर्सेन्टेज बाँधिये, पर्सेन्टेज बाँधिये। तो 50 पर्सेन्ट बांधें। लड़के और लड़किया बराबर हिसाब से हों। जितने आप इंस्टीट्यूशन खोलें, आधे लड़के और आधे लड़कियों के खोलें। मैं तो कहता हूं कि उनको साथ-साथ रहने दीजिए। आपने इसमें जो शुरुआत की है इसके लिए मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने शुरू तो किया कम से कम एक लड़कियों का मिडल स्कूल जरूर खोलूंगी। कई मित्रों ने कहा था हमको जरूरत नहीं है लेकिन आपने उसका दृढ़ता से पालन किया है, उससे बहुत बड़ा लाभ हुआ है। मैं तो यह कहता हूं कि स्त्री शिक्षा में जो कमी है, उसको दूर करने के लिए आप लड़कों वाला बजट भी इनको दे दीजिये। नहीं तो 50 प्रतिशत पर आप दृढ़ रहिये कि इससे कम तो खर्च होगा ही नहीं। जहां तक लड़के और लड़कियों का सम्मिलित बजट है, 25 प्रतिशत संस्कृत के स्कूल के अन्दर लगना चाहिये ताकि अच्छे स्कूल खुलें, आगे चलकर कालेज खुलें। संस्कृत को हमें प्रोत्साहन देना चाहिए।

जहां तक मातृ-भाषा हिन्दी का सवाल है, मेरे कई मित्रों ने कहा, बार-बार कहने से कोई फायदा नहीं है। असल में हमारी गुलामी गई है परन्तु अभी तक बू नहीं गई। हम आम लोगों से, प्रजातन्त्र से कटना क्यों चाहते हैं, क्यों अलग रहना चाहते हैं, क्यों अपने को अलग बताना चाहते हैं, यह बात समझ में नहीं आती। इसका कारण आपको भी नजर आता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नोकरशाही का एक बड़ा शिकन्जा हमारे प्रजातांत्रिक ढांचे पर हावी है। चाहे आप ऊपर से नीचे कहीं से लगा लीजिये, इस प्रान्त का सवाल नहीं है, ग का सवाल कह रहा हूं, पढ़ा-लिखा तबका सर्विस में जाता है, यह बात स्पष्ट है, सभापति महोदय, सर्विस में ही पोल पट्टी मिलेगी। अगर कहीं पोल है तो सर्विस में है। आप किसी भी जगह चले जायें बगैर काम के पैसा नहीं मिलेगा, मगर राज की नौकरी ऐसी धर्मशाला है जहां एक बार भर्ती हो जायं तो 35 साल तक गुलछर्रे उड़ाओ। मर्जी आये तो काम कीजिये, मर्जी आये तो काम न कीजिये 30, तारीख को आपका पे-बिल जरूर बनेगा। काम कीजिये अथवा न कीजिये, तनख्वाह जरूर मिलेगी।

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

एक उदाहरण आप मुझे बतलायें, चपरासी से लेकर कलेक्टर तक, छोटे मास्टर से लेकर डायरेक्टर तक 30 तारीख को पे-बिल बनाते वक्त किसी ने यह पूछा हो कि इस महीने में क्या काम किया है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस देश का बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी नौकरी में जाना चाहता है। नौकरी में क्यों जाना चाहता है, यह मैंने बताया। मुफ्त में पैसा मिल जायेगा, काम की कोई जिम्मेदारी नहीं है। वह सोचता है कि मेरी पोल आम लोगों को मालूम न पड़ जाय, मैं आम लोगों से सुपीरियर कैसे माना जाऊं। उसने यह भाषा वाला मामला इस देश के ऊपर थोप रखा है। उसमें बड़े नेता हैं, बड़े लोग हैं, बड़े घरों के लड़के हैं। वे पब्लिक स्कूल में पढ़े हुए होते हैं। वे सोचते हैं, हमारा तो कुछ बिगड़े नहीं, कोई आम कार्यकर्ता मेरे जैसा छोटा कर्मचारी है वह फंस जाये। देश की भाषा तो जानें। हमारे देश के कामराज नाडार, महाराणा प्रताप और आज के जमाने में रूस के ख्रुश्चेव, जिनको केवल रूसी भाषा आती थी, कितने वर्षों तक नामी प्रशासक रहे। हमारे देश के कई प्रशासक बन गये। अगर हम अपनी भाषा जानते हैं तो काफी है यह बात। किताबों में सब कुछ ज्ञान नहीं लिखा है, आदमी की खुद की उपज और खुद का अनुभव भी होता है। राजनीति में रहने वाले भी सोचते हैं, वे भी अंग्रेजी बोलने वालों को टोकते नहीं हैं। आपने इनको बना रखा है। जब राज-भाषा हिन्दी है तो राज में अंग्रेजी में काम क्यों चल रहा है? आप अंग्रेजी में किसी ऐसी जगह लिखा-पढ़ी करें जहां हिन्दी कोई समझता नहीं हो। आप राजस्थान की तरफ से दक्षिण भारत में अंग्रेजी में लिखा-पढ़ी करें तो बात समझ में आती है। वहां आप अंग्रेजी का उपयोग करें। आप किसी ऐसे व्यक्ति से अंग्रेजी में बात करें जो हिन्दी जानता नहीं है तो बात समझ में आती है। राज की भाषा की उपेक्षा से न केवल प्रदेश को नुकसान हो रहा है बल्कि देश को नुकसान हो रहा है?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कुछ आदमी आम लोगों को दुनिया के नये जमाने में शरीक नहीं होने देना चाहते। 1-2 पर्सेंट अलग से सुपर क्लास क्रियेट करते हैं। कब तक यह चलता रहेगा? यह बात शिक्षा विभाग को सोचनी चाहिये। हमको अपनी जो मूल भाषा है उस पर आना चाहिये। भाषा विभाग के जरिये शिक्षा विभाग को यह तय करना चाहिए कि जो हिन्दी के अलावा किसी भाषा में लिखा-पढ़ी, पत्र व्यवहार करेगा उसको उसका कारण बताना पड़ेगा। एक चिट्ठी भी अगर किसी ने जारी की, हिन्दी के अलावा किसी भाषा में कोई परिपत्र जारी किया तो उसको कारण बताना पड़ेगा, ऐसा उसने क्यों किया। क्या मजबूरी आ गई थी जिसकी वजह से उसको ऐसा करना पड़ा।

मैं इन प्राइवेट स्कूल के बारे में भी एक सुझाव देना चाहता हूं। प्राइवेट स्कूल, जैसा मेरे मित्र कटारिया जी कह रहे थे...

श्री सभापति : कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : न केवल अध्यापकों का शोषण करते हैं बल्कि लड़कों के मां-बाप, अभिभावकों का भी शोषण करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, दो चार बातें बता कर समाप्त कर रहा हूं। प्राइवेट शिक्षण संस्थायें लड़कों का शोषण करती हैं, इसके अलावा जो अध्यापक उनमें होते हैं उनको 200 रुपया देकर 600 रुपये का फर्जी बिल बनाती हैं, इस प्रकार उनका शोषण करती हैं। इन तीनों का शोषण करके राज का शोषण करती है। यह राज का बहुत सारा पैसा अनुदान के रूप में लेती हैं। प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं को सहायता देना तुरन्त बन्द कर देना चाहिये। एक बात तो मैं यह कहना चाहता हूं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया शांत रहें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैं यह कहना चाहता हूं, शहर के अन्दर एक को न्यौता, हजार जीमने वाले तैयार हैं। शहर में निजी सुविधायें तो है ही। माननीय मंत्रीजी के पास शहर के किसी स्कूल से यह शिकायत आई है कि उनके यहां अध्यापक नहीं हैं? शायद उनके पास नहीं आई है। माननीय मंत्री जी, इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो इतना कीजिये कि शहरों में रहने की सुविधा देना बन्द कर दें। शहर के नाम से कोई भत्ता नहीं दें। मकान किराया भत्ता या और किसी तरह का भत्ता बन्द कर दें और उस पैसे को, ग्रामीण क्षेत्र की सुविधाओं में लगा दीजिये। इससे गांवों में आकर्षण पैदा होगा। गांवों में जायेंगे तो इतना ग्रामीण भत्ता मिलेगा और शहरों में जायेंगे तो इतनी कटौती होगी, शहरों में रहने का थोड़ा-बहुत वेतन कम मिलेगा या कोई और नाम देकर आप करें तो,....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपको ऐसा लगेगा अपने आप ही थोड़ा बैलेंस हो रहा है। शहर की बजाय गांव में शिक्षा की ओर हमको अधिक ध्यान देना चाहिये।

आपके माननीय सदस्य श्री भंवरलाल जी मेरे मित्र हैं, मित्र क्या मेरे भाई हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि उन्होंने बड़ी कीमती बात कही कि शिक्षा में राजनीति नहीं आनी चाहिये। इससे ज्यादा और अच्छी बात नहीं हो सकती। मगर मैं उनसे यह बात पूछना चाहता हू, जब वे स्वयं शिक्षा मंत्री रहे ढाई-तीन साल तक, बीच में ललित किशोर जी आ गये वे भी शिक्षा मंत्री रहे, उन्होंने आर.एस.एस. के कितने गढ़ स्कूल में तैयार किये? शिक्षण संस्थाओं में अगर कोई राजनीति है तो आर. एस. एस. की राजनीति है। माननीय सभापति महोदय, बड़ी खतरनाक बात है...

श्री यदुनाथसिंह : आर. एस. एस. है क्या, यह तो बतायें ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : शिक्षण जैसी पवित्र संस्थाओं में आर.एस.एस. के अखाड़े चलायें, आर.एस.एस. की शाखा के नाम पर लोगों में अलगाव की भावना पैदा करें और फिर यह कहें, यह तो सांस्कृतिक कार्य-क्रम है, यह बड़ी गम्भीर बात है । मैं निवेदन करना चाहता हूं, आर.एस.एस. के भाइयों और उनका पालन-पोषण करने वाले राजनैतिक दल से कि मेहरबानी करके इन शिक्षण संस्थाओं को राजनीति से दूर रखें ।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं । जहां तक कृषि विश्वविद्यालय की बात है, राजस्थान में इसकी स्थापना नहीं हो रही है, होनी चाहिये । केन्द्र इसके लिये बहुत ज्यादा पैसा देता है । अब प्रश्न है, स्थान कौनसा होना चाहिये ? मान्यवर, दुर्गापुरा फार्म, जो जयपुर का है, सबसे ज्यादा उपयुक्त स्थान है कृषि विश्वविद्यालय के लिये । इसलिये उदयपुर या इधर-उधर जाने की बजाय जयपुर में कृषि विश्व विद्यालय स्थापित करें । जयपुर रियासत में जोबनेर में सबसे पहले कृषि की शिक्षा आरम्भ की गई थी । राजस्थान में सबसे पहले यह की गई । अगर आप दुर्गापुरा को फिट नहीं मानते हों तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जोबनेर में कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिये, जल्दी होना चाहिये । वह जयपुर में होना चाहिये । फर्स्ट नम्बर दुर्गापुरा में, नहीं तो जोबनेर में हो । जोबनेर से और आगे ले जायेंगे तो, मैं समझता हूं, न्यायसंगत नहीं होगा । यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : एक बात पर्यटन के बारे में और कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं । पर्यटन मंत्रीजी विराजे हैं, पर्यटन के बारे में एक ही बात कहूंगा । जो भी राजस्थान में पर्यटक आयेगा, निश्चित रूप से जयपुर आना चाहेगा क्योंकि जयपुर राजधानी है । आप हिसाब लगा कर देख लीजिये । मैं समझता हूं कि जयपुर को मुख्य पर्यटन केन्द्र बनाया जाना चाहिये । माननीय मंत्री जी ने कितना क्या किया । इस बारे में आप पुनर्विचार करें और इसको मुख्य पर्यटन केन्द्र बनायें । जयपुर पर्यटक आये, एक दिन आमेर देखें, एक दिन हवामहल की फोटो खींचे और फाइव स्टार होटल में घबराया हुआ वापस चला जाय, यह ठीक नहीं लगता । उसके घर का मकान है । विदेशियों के तो उससे भी अच्छे हैं । वे यहां छुट्टी लेकर आये और जल्दी चल जायं, यहां रुक नहीं सकें, कुछ देख नहीं सकें, आप जो उससे लाभ लेना चाहते हैं वह नहीं ले सकें, पूरा दूध आप नहीं निकाल सकें और बीच में ही गाय उछल जाय, यह मुझे अच्छा नहीं लगता है । मैं चाहता हूं कि आप बाल्टी भरकर दूध निकालें । वह जयपुर आये तो जयपुर में

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

उसको सुरुचिपूर्ण पर्यटन स्थल भी मिलने चाहिये।

(व्यवधान)

जयपुर में पर्यटन स्थलों की कमी हो, ऐसी बात नहीं है। यह बात ठीक है कि इसके नजदीक जमुवारामगढ़ जैसा बन्धा नामी जगह है जो पर्यटकों के लिए हमारे विभाग ने शुरू किया। इसमें कोई सन्देह नहीं है....

(व्यवधान)

वहां पर्यटक विलेज बना दिया इतना ही काफी नहीं है। एशियाड के अन्दर एशिया के खिलाड़ियों ने कहा है कि जमुवारामगढ़ से बढ़िया जगह हो ही नहीं सकती है। एशियाड के बाद कभी आपने एक दिन उधर कोई किसी प्रकार की कोशिश की, नौकायन के बारे में कभी आपने सोचा ? क्या हुआ ? भारत सरकार ने नौकायन के बारे में क्या किया ? राजस्थान सरकार वहां नौकायन और जल क्रीड़ा के लिए क्या करने जा रही है ? मैं समझता हूं, वहां कुछ नहीं हुआ। इस पर माननीय मंत्रीजी ध्यान देंगे। आज पर्यटक कश्मीर क्यों ज्यादा जाना चाहता है, क्योंकि वहां मोटर बोट है, शिकारा है, अच्छे-अच्छे होटल हैं उनमें वे ठहरते हैं, उनको वहां आनन्द आता है। इसी प्रकार से जो जमुवारामगढ़ का बन्धा है इसके नीचे कच्चा बन्धा है, डेढ़ मील का इलाका है वहां छः फीट की एक कृत्रिम झील बना दीजिये। आगे की तरफ पहले से बनी हुई है उसको मामूली सा विकसित कर दीजिये। 6 फीट पानी में तैरते हुए आपके मोटर बोट हों...

(व्यवधान)

तो पर्यटकों को वहां भी एक अच्छा आकर्षण मिलेगा और आपके पर्यटक वहां अधिक दिन तक ठहर सकेंगे।

मैं एक बात और कहूं, भरतपुर का जैसा पक्षी अभयारण्य है, जो घना में है वैसा ही पक्षी अभयारण्य अभी सरकार ने जांच के बाद डांगरवाड़ा, जो रामगढ़ बंधे से नीचे दस मील पर है, में घोषित किया है।

श्री सभापति : कृपया विराजिये।

(व्यवधान)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : वहां दुनिया भर के पक्षी आते हैं।

श्री सभापति : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : सुझाव दे रहा हूं मैं।

श्री सभापति : सुझाव आपने काफी अच्छे दे दिये, बहुत अमूल्य सुझाव आपने दिये हैं।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : पर्यटक जयपुर को देखने के बाद जलमहल देखने जायगा। आपकी जो जलमहल की योजना है उसको पूरा कीजिये। उसके बाद वह जमुवा रामगढ़ बांध जायेगा और वहां के सारी चीजों को देखने के लिये दो-चार दिन ठहरने की कोशिश करेगा। उसके बाद वह पक्षी अभयारण्य डागरवाड़ा का देखने जायगा। इन सबको देखने के लिए पर्यटक अधिक दिनों तक जयपुर में ठहरेगा। कुछ व्यवस्थाओं के बारे में तो मैं वैसे ही मंत्रीजी से मिल लूंगा, ज्यादा बात नहीं कहना चाहता हूं, इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री सभापति : कृपया विराजें।

श्री भगवानदास शास्त्री।

(अनुपस्थित)

श्री बालचन्द्र आर्य।

(अनुपस्थित)

श्री हीरालाल आर्य।

(अनुपस्थित)

श्री वंसीलाल पटवा।

(अनुपस्थित)

श्री हंसराज शर्मा।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : सभापति महोदय, आज हम राजस्थान का 2.74 करोड़ रुपये का बजट शिक्षा जगत के लिए आवंटित करने जा रहे हैं। माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार प्रकट किये हैं, मैं सदन को यह निवेदन कर दूं कि मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, थोड़े समय में ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

सभापति महोदय, शिक्षा के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस राष्ट्र की शिक्षा का उत्थान होगा, जिस प्रान्त की शिक्षा का उत्थान होगा वही प्रान्त या राष्ट्र अग्रिम पंक्ति में होगा। यदि हमारे यहां शिक्षा का उत्थान अच्छा हुआ, देश में अच्छी शिक्षा चली तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा और हमारा विकास आगे बढ़ेगा। हमारे राजस्थान का हर बालक आगे बढ़ सकेगा।

इसी के साथ-साथ मैं दूसरा निवेदन यह करना चाहूंगा कि आज राजस्थान के अन्दर शिक्षा के साथ-साथ शिक्षकों की स्थिति भी दयनीय है। पूर्व वक्ताओं ने काफी बातें कही हैं, मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। मेरा निवेदन है जिस नाव के नाविक की स्थिति अच्छी नहीं होगी, वह कमजोर होगा तो वह नाव को दरिया के पार नहीं कर पायेगा। इसलिये मेरा आग्रह है कि हमारे राजस्थान के शिक्षक, जिसको गरीब शिक्षक के नाम से पुकारा जाता है, जिसकी स्थिति अच्छी नहीं है, जिसके पास नम्बर दो का साधन नहीं है, की स्थिति को सुधारने के लिये हमें अधिक से अधिक प्रयास करना होगा। राजस्थान के शिक्षक की यदि आर्थिक स्थिति अच्छी हुई तो वह समय पर विद्यालय जायेगा, समय पर विद्यार्थियों को पढ़ायेगा और विद्यार्थियों का उत्थान करेगा। आज हम

(श्री हंसराज शर्मा)

देखते हैं कि राजस्थान का शिक्षक दर-दर भटकता फिरता है। आज छोटे से काम के लिये उसे आफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं, उसे ट्रांसफरों के मामले में दर-दर भटकना पड़ता है। आज राजस्थान के शिक्षक को छोटे-छोटे कामों के लिये विभाग में घूमना पड़ता है। इस प्रकार आज हमारे शिक्षक के साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है। राजस्थान में यदि शिक्षा जगत का उत्थान करना है तो शिक्षकों को समान वेतन देना होगा। आज हम बात कहते हैं कि गांव में रहने वाला प्राइमरी स्कूल का जो अध्यापक है वह 45 विद्यार्थियों को पढ़ायेगा, कक्षा एक से पांच तक पढ़ायेगा। 75 विद्यार्थियों को कक्षा एक से पांच तक वह पढ़ाता रहता है। जिस प्रकार दड़बे में मुर्गी भर दी जाती हैं उसी प्रकार उसकी छाती पर 75–80 विद्यार्थियों का प्राइमरी स्कूल में एडमिशन कराते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हू शिक्षा मन्त्रीजी, यदि वह अध्यापक 75 विद्यार्थियों को पेशाब, टट्टी और खाने की छुट्टी का, दो-दो मिनट का समय भी दे तो उसका सारा समय समाप्त हो जायगा और वह कुछ भी नहीं पढ़ा पायेगा। इसलिये मेरा आग्रह है कि शिक्षकों की स्थिति सुधारनी हो तो उनका वेतन बढ़ाइये, उनके रहने की समुचित व्यवस्था करिये। अगर उनको हाउस रेन्ट अलाउन्स नहीं मिलता है तो हाउस रेन्ट अलाउन्स दीजिये। मेडिकल की अच्छी सुविधा दीजिये। फिर आपके विद्यार्थियों का रिजल्ट अच्छा रहेगा। इन सुविधाओं के न होने से शिक्षा जगत में थोड़ी कमी आ गई है। उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने से वह स्कूल में अपना कोर्स पूरा नहीं करा पाता है। वह इस बात को सोचता है यदि मैं कोर्स पूरा करा दूंगा तो विद्यार्थी ट्यूशन के लिये नहीं आयेगा। उसके मन में यही रहता है कि यदि मैं ट्यूशन करूंगा तो अच्छी तरह से मेरा और मेरे परिवार का संचालन होगा। इस प्रकार का भ्रम और इस प्रकार की जो कुरीति राजस्थान शिक्षा जगत में आ गई है उसको मिटाना है। इसके लिये उस पर पाबन्दी लगानी होगी, चाहे वह जयपुर में रहने वाला हो, चाहे किसी दूसरे शहर में रहने वाला हो, चाहे जहां प्राइमरी स्कूल खुला है 300 की आबादी पर, वहां का रहने वाला हो। उसको समान अधिकार देना होगा। जितना वेतन आप शहरों में देते हैं, उतना उनको भी देना होगा। यदि यह नहीं करते हैं तो आपको उनके ऊपर अधिक से अधिक नियंत्रण करना होगा।

साथ ही, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि प्राइमरी स्कूल में आपने जो यह यह कम्पलसरी कर रखा है कि 45 विद्यार्थी होंगे तो एक अध्यापक और 45 से ज्यादा होंगे तब दो मास्टर लगायेंगे, यह उचित तरीका नहीं है। प्राइमरी स्कूल में सिंगल टीचर प्रणाली को समाप्त कर दीजिये। एक प्राइमरी स्कूल में एक अध्यापक नहीं होना चाहिये। अगर एक अध्यापक रखना ही है तो 25 विद्यार्थियों से अधिक नहीं होने चाहिये। इसी के साथ-साथ वहां आपको स्कूल पर भी ध्यान देना होगा। जिस प्रकार छोटे गांव में मन्दिर होता है, उसके वहां के जो मूल निवासी हैं वे दर्शन करते हैं और मन्दिर की देखरेख करते हैं उसी प्रकार आप स्कूल की बिल्डिंग को मन्दिर मानें। यदि उसका पुजारी अच्छा है, ईमानदार है, सज्जन है और समय का वह सदुपयोग करता है तो उस मन्दिर में बैठने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं वे सब आगे बढ़ेंगे।

(श्री हंसराज शर्मा)

इसके साथ ही एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। आपने जो स्कूल खोले हैं मैं यह नहीं कहता हूं कि स्कूल कहां खोलें और कहां नहीं खोलें। जिस प्रकार से सरकार ने चाहा उस प्रकार सत्तारूढ़ पार्टी वालों के क्षेत्र मे खोले, चाहे विपक्ष के क्षेत्र में खोले हों, कहीं खोले लेकिन स्कूल जरूर खोले हैं। यह जो बन्दर बांट किया है वह न्यायसंगत नहीं है। ऐसा देखने में आया है जब आपने गांवों में मिडिल स्कूल खोले उस समय शिक्षा विभाग की नीति निर्धारण के आधार पर आपने कुछ बात कही थी, उसमें यह भी था शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का कोटा भी आपने तय करने की बात कही थी, लेकिन सारी बातों को भी छोड़ कर के जिस समय आप कहां सो रहे थे उस समय मरते वक्त जो गाय दी थी, चाहे वह गाय थी या नहीं, आपने उन्हीं स्कूलों को पुनः खोला है जहां छात्र संख्या भी ठीक नहीं है, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की आवादी का ध्यान नहीं रखा है और छात्रों की संख्या के आधार का, मकानों के आधार का उस समय भी आपने ध्यान नहीं रखा।

मनमाने तरीके से अपने चहेते लोगों के कहने के अनुसार स्कूल खोले। किसी प्रधान ने जोर दिया तो आपने खोल दिया, किसी प्रमुख ने कहा तो वहां खोल दिया, किसी विधायक ने कहा तो वहां खोल दिया और जिसने कहा कि यहां आवश्यक है, नियमों के अन्तर्गत आता है, वहां आपने स्कूल नहीं खोले। शिक्षा के साथ आपने इस प्रकार की जो दोहरी नीति अपनायी हैं यह आपके लिए शोभा नहीं देती है। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप जिस पद पर बैठे हैं, राजस्थान का एक-एक विद्यार्थी, हर गांव आपका है क्योंकि शिक्षा आपके पास है। शिक्षा के लिये जहां स्कूल खोलते हैं वहां न पक्ष है, न विपक्ष है, सब आपके विद्यार्थी हैं। इसलिए व्यवस्था को सुधारने के लिए आपको समान रूप से स्कूल खोलने चाहिए।

साथ ही साथ मुझे बड़ी खुशी है कि आज आपने इस सदन में उर्दू को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सहायता की भी घोषणा की। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ लोगों को बहकावे में डालकर वोट छीनने की दृष्टि से आपने शायद ऐसा किया हो, फिर भी मैं उसके लिए आपको बधाई देना चाहूंगा। साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि संस्कृत शिक्षा पर जो आपने कुठाराघात किया है यह भी आपके लिए शोभा नहीं देता। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हर जिला हैड क्वार्टर के कालेज में संस्कृत का विषय अनिवार्य होना चाहिए। यदि आपने अनिवार्य कर दिया तो राजस्थान में संस्कृत का उत्थान होगा। दूसरा, मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि राजस्थान में सरकार के संस्कृत के कालेज बहुत कम हैं। प्राइवेट संस्थाएं व अन्य संस्थाएं जिनको आप डोनेशन देते हो वह संस्कृत के कालेज चलाती हैं। उनको आप 80 से 95 प्रतिशत तक डोनेशन देते हो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप इतनी बड़ी राशि दे रहे हैं तो राज्य सरकार के माध्यम से संस्कृत कालेज क्यों नहीं खोले जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि राजस्थान मे संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए, संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए संस्कृत शिक्षा पर अधिक ध्यान देंगे। गांवों में जो संस्कृत के

(श्री हंसराज शर्मा)

विद्यार्थी होते हैं, प्राइमरी स्कूल के बाद में जब वह हाई स्कूल में संस्कृत पढ़ते हैं तो उन्हें आयुर्वेद में जाना पड़ता है या किसी अन्य सब्जेक्ट में जाना पड़ता है तो उन्हें बहुत परेशानी होती है। संस्कृत हमारी राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है, पुरानी भाषा है। मुझे आशा है कि प्रत्येक जिला हैडक्वार्टर पर संस्कृत का कालेज खोलने का प्रयत्न करेंगे। यही मेरा आपसे निवेदन है।

मैं एक बात कहकर समाप्त करना चाहता हूं। यह जो प्रौढ़ शिक्षा है, इसका एक प्रकार से फालतू का बजट है जिस प्रकार से अन्त्योदय का है। मैंने गांवों में देखा है, शाम को एक मास्टर लालटेन लेकर बैठ जाता है, 8 या 10 दिन में कभी आता है केवल लोगों की हाजिरी कर लेता है। दान-दक्षिणा की तरह प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपये का जो आपका बजट है यह बिल्कुल व्यर्थ जा रहा है। इसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। जो अधिकारी आपने इसकी चैकिंग के लिए लगा रखा है वह, मान्यवर, कभी चैक नहीं करता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस संस्था को आप बन्द करें और इसका बजट जो अन्य स्कूल हैं उनको दें ताकि वह अच्छी तरह से चल सकें। यह एक मात्र राजनैतिक षडयन्त्र है। मैं तो मौजूदा हालत में यह भी कह सकता हूं कि आप लोगों ने कुछ लोगों को अन्त्योदयी के नाम पर पाल रखा है इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा आप इसको समाप्त करें।

दूसरी बात, आपको एक जांच करने के लिए जरूर कहूंगा। आपके बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जो आदर्श स्कूल आपने चयनित किये हैं उसमें आपकी सरकार ने फर्नीचर खरीदकर दिया है। मन्त्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप उसकी जांच कराइये। जितना भी फर्नीचर खरीदा गया है वह बिल्कुल नकली है। जिस गेज की टिन टेबल और कुर्सियों में होनी चाहिए, उस गेज की नहीं है। कुर्सियां स्कूल में पहुंचने से पहले ही आधी रास्ते में टूट गयीं। आप उनकी जांच करेंगे तो आपको अच्छी तरह से मालूम हो जायेगा कि अधिकारियों ने इसमें बहुत बड़ा घपला किया है, घोटाला किया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस मामले की जांच करें।

इसके साथ पुनः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप शिक्षा जगत में अध्यापकों के साथ में जो इस प्रकार की दोहरी नीति अपना रहे हैं उसको समाप्त करें। साथ ही साथ अध्यापकों को भी आदेश दें। जो महिला अध्यापिकाएं हैं वह जब स्कूल में जाती हैं तो उनको मात्र स्वेटर बुनने के अलावा कोई धन्धा नजर नहीं आता है। इसलिए आप इस बात का भी आदेश दें कि कम से कम अध्यापिकाएं स्कूल में बच्चों को पढ़ाते वक्त स्वेटर बुनने की प्रथा नहीं डालें ताकि उनको समय मिल सके। इसके साथ-साथ मैं निवेदन करूंगा कि जो अध्यापक गांवों में नजदीक रहते हैं 3 या 4 किलोमीटर पर रहते हैं वह सवेरे 11 बजे स्कूल पहुंचते हैं और 4 बजे घण्टी बजायी और तुरन्त चल देते हैं क्योंकि उनको चार किलोमीटर आना, चार किलोमीटर जाना और दिन में रेस्ट करना है। इसलिए आप एक नीति निर्धा-

(श्री हंसराज शर्मा)

रित कर दें कि 20 किलोमीटर से नजदीक का अध्यापक नहीं रखा जाय। जो उस स्थान के मूल निवासी हैं उनको वहां रख दो लेकिन पांच या 4 किलोमीटर नजदीक के अध्यापक रखेंगे तो वह बच्चों से बकरी चरवायेगा, शाम सवेरे घर आयेगा और अपना काम करेगा, स्कूल का बंटाधार करेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ जो आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री महादेवसिंह। कृपया विराजें।

श्री दिनेश डांगी (राज्य मन्त्री, आयुर्वेद): प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में घोटाले जनता पार्टी राज में चालू किये हैं।

श्री हंसराज शर्मा : आपका तो समय हो गया। '

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : सभापति महोदय, शिक्षा के अन्दर क्या अभूतपूर्व परिवर्तन होने चाहिए, शिक्षा की क्या नीति निर्धारित होनी चाहिए इसके लिए तो हमारे परम् सम्माननीय माननीय शिक्षा मन्त्री महोदया और शिक्षा विभाग के अधिकारीगण बहुत ही सुयोग्य हैं, जैसी वह नीति निर्धारित करेंगे वह अच्छी ही करेंगे। मैं तो मेरे कटौती प्रस्ताव के सम्बन्ध में यह बोलना चाहता हूं कि परम् सम्माननीय शिक्षा मन्त्री महोदया ने हमारी आशा के अनुरूप जितने भी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले हैं उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं और बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके साथ ही मैं मेरे खण्डेला विधान सभा क्षेत्र में परम् सम्माननीय शिक्षा मन्त्री महोदया और संस्कृत विभाग के निदेशक महोदय की कृपा से जो संस्कृत विद्यालय खुला है उसके लिए दोनों को ही बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। शिक्षा मन्त्री महोदय ने बहुत ही बड़ा एक सराहनीय काम किया है कि हर विधान सभा क्षेत्र में कन्या प्राथमिक विद्यालय खोले हैं। यह बहुत ही अच्छा काम है, सराहनीय काम किया है। आज लड़कियों के लिए सबसे पहले विवाह सम्बन्धी मामलों में शिक्षा की मांग की जाती है, जो लड़की पढ़ी-लिखी होगी उसी का सम्बन्ध करने के लिए अगला तैयार होगा। प्राथमिक शालाओं में दूर गांवों में पढ़ने के लिए लड़कियों को एक सुविधा उपलब्ध हुई है, इसके लिए मैं मन्त्री महोदया को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। साथ ही, निवेदन करना चाहता हूं कि हर पंचायत क्षेत्र में लड़कियों का हायर सैकण्डरी स्कूल होना जरूरी है जिससे कि वह दूर नहीं जा करके अपनी पंचायत समिति के हैडक्वार्टर के आस-पास जा कर ज्यादा से ज्यादा शिक्षा ग्रहण कर सकें।

बस मैं इतना ही कह कर के धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्रीमती कमला (शिक्षा मन्त्री) : बस, हो गया साहब।

श्री सभापति : अभी 3-4 माननीय सदस्यगण और बोलना चाहते हैं। समय काफी हो चुका है। नाम तो आपके आप

Page No 244

(244)

(श्री सभापति)

लोगों ने दिये नहीं हैं आसन को। नाम तो आप लोगों ने दिये नहीं हैं आसन को।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इनके दल से और बोलेंगे।

श्री सभापति : नाम नहीं आया आपका और आप लोगों ने भी आपका नाम दिया नहीं है।

श्री जयदेवप्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़) : हमारा तो नाम आयेगा नहीं।

श्री सभापति : सभी कट मोशन पर बोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

श्री जयदेवप्रसाद इन्दोरिया : विधान सभा में आने पर भी हमारा नाम नहीं आयेगा, सभापति महोदय।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : कट मोशन इसीलिए देते हैं न, बोलने के लिए। 2–3 मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा।

श्री सभापति : बोलिये दो मिनट।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : मैं तो खाली कट मोशन पर ही बोलूंगा। माननीय सभापति महोदय, मैंने जो कट मोशन दिया है उस सम्बन्ध में ही चर्चा करना चाहता है। मेरे पूर्व में सभी माननीय सदस्य नीति के सम्बन्ध में बोले, मैं उनका तो समर्थन करूंगा। शिक्षा विभाग की तरफ से या शिक्षा मन्त्रीजी की तरफ से और सत्ता दल के नेतागणों की तरफ से जो अनियमितताएं होती हैं शिक्षा के सम्बन्ध में, उस सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मन्त्री महोदया, इस पर ध्यान देंगी, मैं आशा करता हूं। जैसा कि हमारे बांसवाड़ा जिले में मेरे क्षेत्र दानपुर में माही डैम बना, माही डैम के जो विस्थापित गांव हैं उन विस्थापित गांवों में कहीं प्राइमरी स्कूल डूब में आये हैं, कहीं मिडिल स्कूल डूब में आया है। जैसे एक नाथला ग्राम पंचायत में मिडिल स्कूल था। नाथला गांव माही डैम की वजह से विस्थापित्त गांव होने के नाते वहां के लोग कुछ ही दूर उसी गांव में जहां टेकरियां थीं, जहां डूब से बाहर जमीन थी, वहां बस गये। तो वहां का मिडिल स्कूल उन लोगों के लिए होना चाहिए था। नाथला ग्राम पंचायत के आस-पास में जितनी भी ग्राम पंचायत हैं वहां उसको शिफ्ट कर देते। वहां शिफ्ट नहीं कर के वर्तमान जिला प्रमुख महोदय ने अपने गांव में उस मिडिल स्कूल को शिफ्ट कराया है। तो मैं चाहता हूं कि नाथला ग्राम पंचायत और कटुंगली ग्राम पंचायत में जो लड़कों के मिडिल स्कूल की सुविधा थी वह सुविधा वहां से हटा दी गई इसलिये मेरा निवेदन है कि वह सुविधा सके।

दूसरा, मेरा यह निवेदन है कि गत साल आखिर में जो मिडिल स्कूल खोले थे सेमलखेड़ा ग्राम पंचायत समिति पीपलखूंट में वर्तमान में जिला प्रमुख ने अपने सगे-सम्बन्धियों के कहने पर यों कह कर कि सेमलखेड़ा यह तो गलत है, वह सारा प्रस्ताव बदल कर के सेमलखेड़ा में स्कूल शिफ्ट करवा दिया, वह पचायत समिति बांसवाड़ा में है।

श्री सभापति : समाप्त करिये, माननीय

(श्री सभापति)

सदस्य, कृपया। दो मिनट के लिए आपने इजाजत चाही थी, दो मिनट हो गए हैं।

श्री बहादुर सिंह : बात तो कहने दीजिए। जो गलती हुई है उसके लिए कह रहा हूं, सुधारने के लिए कह रहा हूं। मैं खुद भी लम्बा भाषण देना नहीं चाहता।

श्री सभापति : आपके विधान सभा क्षेत्र में आप जो चाहते हैं वह कृपया संक्षेप में कह दें।

श्री बहादुर सिंह : वही कह रहा हूं। तो यह सेमलखेड़ा, पंचायत समिति पीपलखूंट से हटा करके पंचायत समिति बांसवाड़ा में सेमलपाड़ा गांव में शिफ्ट करवाया गया है। हीरीयागढ़ी गांव में पहले मिडल स्कूल खोला गया था। आधा फर्लांग की दूरी पर यह दोनों मिडल स्कूल हैं। हीरीया में 23 लड़के पढ़ रहे हैं और सेमलपाड़ा में तो एक भी लड़का नहीं पढ़ रहा है, न अभी तक वहां पर अध्यापक है। तो आप सेमलपाड़ा के बजाय सेमलखेड़ा कर दें या बोरिया ग्राम पंचायत, जो डूब के एरिया में घिरा हुआ एरिया है, वहां ग्राम पंचायत भी बोरिया में है, में शिफ्ट कर दिया जाय तो बहुत बढ़िया रहेगा।

दूसरी बात यह भी हुई कि पंचायत समिति बागीडोरा में ग्राम पंचायत बारीगमा में मिडल स्कूल खोला था उस मिडल स्कूल को वहां के सरपंच जिला प्रमुख और प्रधानजी ने मिल कर के हटवा दिया जबकि लिस्ट में नाम आ गया था। वह एक आदिवासी एरिया है। पूरी पंचायत में आदिवासी लोग रहते हैं। बहुत दूर नदी-नाले और पहाड़ी पार करके दूसरे मिडल स्कूल में लड़कों को जाना पड़ता है। जनसख्या के हिसाब से और एरिया के हिसाब से बारीगमा में खोल दिया गया था किन्तु उसको हटा करके खोखला में कर दिया। वह मिडल स्कूल वहां से वापस हटा करके बारीगमा में खोला जाय तो बढ़िया रहेगा।

दूसरा, मेरा यह निवेदन है कि जो आपने ढाई सौ या तीन सौ की जनसंख्या का क्राइटेरिया बनाया है उसको कम करें। मतलब जिस गांव में कम जनसंख्या है, डेढ़ सौ, दो सौ, पौने दो सौ है ऐसे दो गांवों को मिला कर दो गांवों के बीच में एक प्राइमरी स्कूल खोलें तो ठीक रहेगा। ऐसे छोटे-छोटे गांव डेढ़ सौ की जनसंख्या वाले, दो सौ की जनसंख्या वाले काफी हैं। वहां प्राइमरी स्कूल नहीं होने के नाते छोटे-छोटे बच्चे दूर नहीं जा सकते। स्कूल तीन-तीन, चार-चार किलोमीटर दूर पड़ता है दूसरे गांव का तो इन गांवों में दो गांवों की जनसंख्या को मिला कर या तीन गांवों की जनसंख्या को मिला कर एक प्राइमरी स्कूल बीच सेंटर में खोला जावे तो बहुत बढ़िया रहेगा। यह सब प्रस्ताव पास करके बांसवाड़ा से भेजे गए हैं, मैंने मेरी तरफ से भी भेजा है परन्तु इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है। जो ढाई सौ, तीन सौ की जनसंख्या वाले गांव हैं वहां काफी आदिवासी हैं।

श्री सभापति : समाप्त करिये, माननीय सदस्य।

श्री बहादुर सिंह : आदिवासी वाले इलाके हैं इसलिए मेरी बात नोट की जाय और उस पर विचार किया जावे।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री नाथुराम

(अनुपस्थित)

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : मेरा लिस्ट में नाम नहीं है।

श्रीमती कमला : अब बोल लो।

श्री सभापति : आप अगर नहीं बोलना चाहते हैं तो....

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : बोलने के लिए मैंने आपको कई दफा कहा, आपने समय नहीं दिया तो बैठ गया।

श्री सभापति : अब आप बोलना चाहते हों तो बोल लीजिए।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़) : माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 47 जो पर्यटन से सम्बन्धित है पर मेरा कटौती प्रस्ताव दिया हुआ है। मैं पर्यटन विभाग के मंत्री जी और उनके विभाग के जो अधिकारीगण हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पर्यटन के सम्बन्ध में रतनगढ़ के अन्दर जो मिडवे का निर्णय लिया वह एक निष्पक्षता की नीति का द्योतक है। जब मैं पर्यटन की मांग पर बोल रहा हूं तो मुझे उस वक्त के निदेशक महोदय श्री अनन्त प्रसाद जी का स्वत: ही स्मरण हो आता है। आज वह इस संसार में नहीं रहे लेकिन रतनगढ़ के मिडवे के निर्णय में उनका बहुत बड़ा योगदान था इसलिए मैं उनको स्मरण करता हुआ उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और दूसरे अधिकारियों ने भी जिस निष्पक्षता से यह निर्णय लिया है उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। इस धन्यवाद के साथ-साथ एक निवेदन करना चाहता हूं कि उसका शिलान्यास माननीय राज्य मन्त्री श्री बी. डी. कल्ला साहब के कर कमलों से हुआ है, काफी अर्सा हो गया। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से पर्यटन मंत्रीजी तथा विभागाध्यक्ष को यह निवेदन करूंगा कि काफी समय हो गया, इसके निर्माण कार्य को शीघ्र प्रारम्भ करने की कृपा करें।

शिक्षा के ऊपर मेरा कटौती प्रस्ताव नहीं है। आपकी आज्ञा हो तो दो मिनट या एक मिनट या पाँच मिनट अर्ज कर दूं। आपकी आज्ञा नहीं हो तो अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा।

श्री सभापति : बोल लीजिए दो मिनट।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है तृतीय अध्याय में "धूमेनाव्रियते वह्नि" यानि अग्नि है वह धुएं से ढकी रहती है। "**यथादर्शोमलेन च**"

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया)

और जो शीशा है जिसको हम दर्पण कहते हैं वह गर्द से मल, से ढका रहता है। "यथोल्वे स्तपगर्मा" उसी तरह से जो गर्म है वह जल से ढका हुआ रहता है। "स्तथा तेनेदमावृतम्" तो हमारा यह ज्ञान भी है वह अंधकार से ढका हुआ है। आज पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से यह बात आई कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। राष्ट्रपतिजी से लेकर एक छोटा सा चपरासी तक भी यही महसूस करता है कि देश की शिक्षा बाबू बनाती है और कुछ नहीं। विद्वान माननीय सदस्य सभी जानते हैं कि विश्व की प्रथम पुस्तक कौनसी है। आप सभी लोग जानते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : फिर भी बता दो जब बात आ ही गई है तो।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : यानी जितने शिक्षा शास्त्री हैं विश्व के, उन सब ने यह मंजूर किया है कि विश्व की सबसे पुरानी और प्रथम पुस्तक जो है वह वेद है। उसका कहीं अध्ययन हो रहा है? राजस्थान में उसका कहीं अध्ययन हो रहा है? शिक्षा विभाग इसकी व्यवस्था कर रहा है?

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : यह मुझे मालूम है, शिक्षा मंत्री जी की जो भावना है, मान्यता है वह आर्य समाजी दृष्टिकोण की है। उस शिक्षा-दीक्षा में पला हुआ व्यक्ति वेद के प्रति आस्थानवा होगा ही, यह स्वाभाविक ही है। श्रीमती कमलाजी यदि वेद की तरफ ध्यान दें तो इनका यह कार्य वास्तव में स्तुत्य रहेगा, सराहनीय रहेगा। यदा कदा प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में वेद का अध्ययन जरूर होता है। और प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं के सम्बन्ध में आप लोगों के विभिन्न विचार हैं, कोई कहते हैं कि आप बन्द कर दो, कोई कहता है उनका परीक्षा फल ज्यादा है। कुछ भी हो, प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं भी सरकार की शिक्षा प्रसार की नीति में आंशिक रूप से योगदान दे रही हैं। आज सरकार और जनता दोनों ही अनुभव करते हैं कि सरकार और समाज दोनों की ही शिक्षण संस्थाओं के प्रति हीनता है। कोई नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन यह आप किसको कहते हैं? आज सरकार कैसा नागरिक हिन्दुस्तान का बनाना चाहती है। उसके पास सभी अधिकार हैं। अनुशासन और नैतिकता तब तक नहीं आयेगी जब तक कि आप संस्कृत को प्राथमिकता नहीं देंगे। मैं ज्यादा पढ़ा हुआ नहीं हूं, मैंने आश्रम प्रणाली में शिक्षा ली है, आपके कालेज वगैरह की मेरे पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन जब तक आप संस्कृत को बढ़ावा नहीं देंगे तब तक अनुशासनहीनता आपके स्कूल-कालेज में रहेगी। आज मास्टर सड़कों पर आकर नारे लगाते हैं—नाश हो, हम से जो टकरायेगा, मिट्टी में मिल जायेगा। बच्चा सुनता है, देखता है कि शायद यही सबसे अच्छा नारा है नाश हो, नाश हो। नाश करो। जब बच्चों की मांग आती

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया)

है, तो वह भी सड़कों पर निकल जाते हैं और नारे लगाते हैं, हमसे जो टकरायेगा मिट्टी में मिल जायेगा। इसमें बच्चों का क्या दोष है?

सभापति महोदय, ज्ञान 3-4 तरह से होता है। श्रवण से होता है, वाणी से होता है, स्पर्श से होता है। यह चीज गर्म है, ठण्डी है, इसका स्पर्श से ही ज्ञान होता है। इसलिये जो कुछ समाज में घटना घटित हो रही है और जो कुछ बच्चे देख रहे हैं वही बच्चे सीख रहे हैं। बच्चों का इसमें कोई दोष नहीं है।

मैं विधान सभा में आया, मुझे चार वर्ष हो गये। पहले मुझे आदत नहीं थी खड़े होकर लघु शंका करने की। अब मुझे खड़े होकर लघु शंका करने की आदत हो गई क्योंकि यहां बैठ कर लघु शंका करने को कोई साधन ही नहीं है। कई बार मैं शौचालय में गया, मैंने देखा कि यहां तो सारा ही ढंग बिगड़ा हुआ है। सारे ही कुओं में भांग पड़ी हुई है। तो मैं भी खड़ा होकर लघु शंका करने लग गया।

एक बात और भी सीखी कि यहां सब यह कहते हैं कि, सभापति महोदय, दो मिनट का समय चाहिये और बोलते हैं 22 मिनट।

श्री सभापति : आप भी ध्यान रखिये।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : हां आपने मुझे कहा कि ध्यान रखिये। मैं तो यह कहता हूं कि यदि आपको नैतिकता और अनुशासन इस देश में कायम रखना है तो आपको संस्कृत के ऊपर ध्यान देना होगा। उसका प्रचार-प्रसार आपको बढ़ाना चाहिये। और देखो, साहब, जैसा कमला जी आज की तारीख में चाहेंगी वैसा होगा क्योंकि जो मंत्री आता है, वह नई-नई प्रणाली जारी करता है। 12 महीने हुए उसकी बदली हो गई, वह चला गया, तीसरा आया वह चला गया। देश में अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं हुई है कि जो व्यक्ति जिस चीज का एक्सपर्ट हो उसी का महकमा उसको सौंपा जाये। आज एक शिक्षा शास्त्री को वित्त विभाग दे देते हैं और वित्त के जानकार को खुर्पा फावड़ा देकर नहर खोदने में लगा देते हैं। तो यह जो काम करने की व्यवस्था है, इस व्यवस्था में फर्क है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय शिक्षा मंत्री जी।

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदय, एक पाइन्ट आफ क्लेरीफिकेशन है।

श्रीमती कमला : क्लेरीफिकेशन किससे कर रहे हो? पहले तो कहा ही नहीं कुछ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैंने यह कहा था कि वर्ष 1983-84 में जिला स्तर पर खोले गये प्राथमिक विद्यालयों की जो सूची है, कोटा में एक स्केल खोला है।

श्रीमती कमला : बात तो कही नहीं, स्पष्टीकरण किस बात का?

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, यह शहरी क्षेत्र के बारे में है।

श्री सभापति : यह तो उस समय साफ हो गया। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय।

श्रीमती कमला (शिक्षा मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, शिक्षा विभाग की मांगों के सन्दर्भ में अनेक माननीय सदस्यों ने अपने कटौती प्रस्ताव दिये और सदन के अन्दर चर्चा में भी भाग लिया। इन कटौती प्रस्तावों और चर्चा में मुख्य रूप से दो-तीन मुद्दे सामने आये। कुछ तो तथ्यात्मक बातें माननीय सदस्यों ने कही जैसे, अध्यापकों की कमी है।

(8.05 रात्रि)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

इसी प्रकार से कुछ ऐसी मांगों और आकांक्षाओं की ओर भी माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया जो स्वाभाविक रूप से पूरी करनी भी चाहिये, उपयोगी भी हैं और स्वाभाविक भी हैं जैसे, अधिक से अधिक स्कूल खोले जायें, विषय खोले जायें और शिक्षा का ज्यादा से ज्यादा कम से कम समय में प्रसार किया जाये। यह सारी बातें हैं। राज्य सरकार और माननीय सदस्यों की भावनाओं में कोई फर्क नहीं है। हम भी यही चाहते हैं कि शिक्षा जगत् में जो भी कमियां हैं जल्दी से जल्दी उनकी पूर्ति करके शिक्षा क्षेत्र को हम ज्यादा से ज्यादा सुदृढ़ करें, व्यापक बनायें और इस शिक्षा प्रणाली में भी जो वांछित सुधार या इसके अन्दर और परिवर्तन लाने की जरूरत है वह लायें और उसके मुताबिक आज जो देश की आशाएं हैं या समाज की आशाएं हैं उनकी पूर्ति करने की कोशिश करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं और माननीय सदस्य भी जानते हैं कि बहुत तेजी से भागना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, पूर्ति करना चाहते हैं, राज्य को ऊंचा उठाना चाहते हैं और प्रगतिशील राज्यों की तरह एक स्थिति भी शिक्षा के क्षेत्र में कायम करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा आप जानते हैं, हमारा यह काम अर्थात् शिक्षा विभाग का यह काम बहुत ही कठिन, लम्बा और बड़ा है। आपको अगर ध्यान हो तो पिछले सत्र में शिक्षा विभाग की मांगों के सन्दर्भ में मैंने कहा था कि अभी हमने यह काम हाथ में लिया है, कुछ विशेष उपलब्धियां आपको बताने की स्थिति में नहीं है लेकिन जो काम शिक्षा विभाग के पास है और जो उपलब्धियां उसे करनी है और जिस लक्ष्य की पूर्ति उसको करनी है उसके अन्दर बहुत काम और परिश्रम और आगे चलने की बात है। शिक्षा विभाग के पास में एक ऐसा राजस्थान आया कि जहां शिक्षा के लिये कोई गुंजाइश नहीं थी, शिक्षा का कोई उपयोग नहीं समझा गया था और जहां शिक्षित व्यक्ति को समाज और राष्ट्र की उन्नति में कोई आधार नहीं माना गया था। इस प्रकार का एक रियासती राजस्थान हमको मिला। उस रियासती राजस्थान में कहीं-कहीं, कोई-कोई राज्य या किसी जागीरदार ने अपने यहां अगर कोई स्कूल खोला तो खोल दिया बाकी आम तौर पर किसी भी क्षेत्र के लिये, समाज की

(श्रीमती कमला)

तरक्की के लिये या राष्ट्र की आर्थिक सुदृढ़ता के लिये, उन्नति के लिये कोई कार्यक्रम बना कर उसकी दौलत, धन या आमदनी थी उसको इस काम में लगाया जाना चाहिये, यह उनका कर्तव्य है, यह मान कर किसी भी युग में, किसी भी राजा या सामन्त ने इस राज्य के आदमियों को, इस राज्य के इन्सान को, इस राज्य की धरती को, इस राज्य के समाज को संवारने की चेष्टा नहीं की और न ऐसा कोई उनके दिमाग में कभी विचार ही आया। इसलिये नतीजा यह हुआ कि इस राज्य को जब हमने आजादी के बाद में स्वतन्त्र भारत के स्वतन्त्र राज्य के रूप में प्रजातांत्रिक पद्धति के अन्तर्गत सम्भाला, इस राज्य का 1951 में शिक्षा का प्रतिशत था वह सिर्फ 8·02 था। उससे महिलाओं की शिक्षा का तो सिर्फ 2·5 ही साक्षरता का प्रतिशत था। इस तरह के राज्य को सम्भाल कर साधनों की कमी, शिक्षा की कमी, सामाजिक कुरीतियां, निरक्षरता और तमाम पिछड़ेपन के साथ में हम लोग इतने कठिन काम को लेकर चले, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और राजस्थान की जनता को यह आवश्यक रूप से कहना चाहूंगी कि इतना सब कुछ होते हुए भी राज्य ने अपने सीमित साधनों के अन्दर सीमा के बाहर जाकर इसके बजट का प्रावधान रखा, इसके अन्दर स्कूल खोले, साक्षरता को बढ़ाने की चेष्टा की, वह अपने आप में जिस प्रकार रेगिस्तान में बिना पानी के और बिना किसी स्थान पर ठहरने का आभास होते हुए इन्सान चलना चाहता है और कड़कती दोपहरी में कहीं कोई पंछी भी नहीं दीखता फिर भी वह बढ़ना चाहता है, इस तरह की दुरूह स्थिति में हम लोगों ने बढ़ने की चेष्टा की। मुझे यह कहते हुए बहुत संतोष नहीं है, लेकिन इतना जरूर संतोष है कि हमने कुछ किया है। हम इतने समय में और ज्यादा कर पाते, अगर साधन अधिक होते। आज जो हमारा प्रतिशत 1981 की जनसंख्या के आधार पर साक्षरता का हुआ वह 24·05 हुआ। 1984 के अन्दर जो हमने अनुमानित इसकी वृद्धि मानी है वह 26·15 प्रतिशत मानी है।

इसी प्रकार से महिलाओं की शिक्षा का जो 2·05 प्रतिशत था उसको हम आज 11·32 प्रतिशत तक लाये हैं। मुझे कहते हुए खुशी है और आपको भी इस बात पर गर्व होगा कि पिछले वर्ष की उपलब्धियों के आधार पर, भारत सरकार ने महिला शिक्षा के अन्दर बच्चियों को ज्यादा से ज्यादा स्कूल में दाखिला दिलाने के आधार पर हमको देश भर में दूसरा स्थान प्रदान किया है और इसके लिये हमें 30 लाख रुपये का भारत सरकार ने पुरस्कार भी दिया है। तो हमारे जैसे पिछड़े राज्य के लिए सीमित साधन होते हुए अनेक कठिनाइयों के बावजूद हमने इतने प्रयत्न किये हैं कि हम भारत सरकार से पुरस्कार और शाबासी ले पाये, है तो बहुत छोटा काम जिसके लिये हमने पुरस्कार प्राप्त किया है लेकिन कम से कम हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली बात जरूर है और आप लोगों के लिये भी सोचने की बात है कि हम दरअसल में थोड़ा बहुत कुछ तो जरूर कर रहे हैं।

(श्रीमति कमला)

इसी प्रकार से, माननीय अध्यक्ष, अगर आप देखें तो इससे भी ज्यादा आपको बजट के आकड़े देख कर लगेगा कि कितना हम लोगों ने इसके प्रावधानों के बारे में प्रयत्न किया है। 1951-52 में राजस्थान का शिक्षा का बजट मात्र 2·15 करोड़ था, जो 1961-62 में बढ़ कर 12·27 करोड़ हुआ और वह बजट बढ़कर 1980-81 में 131·42 करोड़ हुआ। अगले साल 1984-85 में राजस्थान का वह बजट जो 2 करोड़ ही था, 281·55 करोड़ होगा जो कि राज्य के बजट का बहुत बड़ा हिस्सा है। किस प्रकार से शिक्षा के पिछड़ेपन को देखते हुए राज्य सरकार मुस्तैदी से आगे बढ़ना चाहती है, इसका अपने आप में एक बहुत बड़ा स्पष्ट द्योतक है।

इसी प्रकार से, माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ समय से भारत सरकार ने राज्यों के अन्दर जो नामांकन अभियान चलाया है, उसका कारण है कि हमने राज्य में इस योजना को लागू किया है। एक ओर नामांकन का हमारा कार्यक्रम दूसरी ओर अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम, तीसरी ओर प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम और चौथी ओर औपचारिक शिक्षा का फैलाव है। साल दर साल इन सबको मिलाने से यह सारी तरक्की हमारे राज्य में हम निरन्तर करने की स्थिति में हुए हैं। नामांकन के मामले में देश का और हमारे राज्य का यह लक्ष्य है कि 1990 तक 6 से 11 साल का और 11 से 14 साल का कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहना चाहिये। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सारे राज्यों से अपने लक्ष्य निर्धारित करने के लिये कहा है। मुझे खुशी के साथ यह कहना है कि हमारे राज्य के अन्दर 1951-52 में सिर्फ 16 प्रतिशत बच्चे स्कूल में जाते थे और 1970-71 में सिर्फ 47 प्रतिशत बच्चे स्कूल में जाते थे, आज 1983-84 के बाद में 80 प्रतिशत हमारे बच्चे स्कूल में जाते है, 6 से 11 साल की उम्र के बच्चे। जैसा मैंने बताया, 1990 तक हम शत-प्रतिशत स्कूल में जाने वाले बच्चों का जो हमारा लक्ष्य है, उसको पूरा कर सकेंगे। 11 वर्ष से 14 वर्ष तक के नामांकन की जो हमारी स्थिति थी, वह 1979-80 में सिर्फ 29 पर्सेन्ट थी जो 1983-84 में बढ़ा कर 38·53 पर्सेन्ट की गयी है। यह हालांकि कम तरक्की लगती है लेकिन जैसा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं, माननीय सदस्य भी जानते हैं कि प्राइमरी एजूकेशन के बाद बहुत से बच्चे पढ़ना छोड़ देते हैं और ऊपर प्राइमरी स्टेज पर बहुत ज्यादा ड्राप आउट होते है। इसके बावजूद हमने अपने लक्ष्यों के अनुसार इसको आगे बढ़ाने का काम किया है।

अनौपचारिक शिक्षा के बारे में और प्रौढ़ शिक्षा के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने बड़ी भारी बात कही हैं कि यह बिलकुल फ्राड है, और किसी काम की नहीं है, इसका बहुत ज्यादा पालिटिकल एक्सप्लायटेशन हो रहा है इसलिये इसको बंद कर देना चाहिये। स्थिति ऐसी नहीं है। बहुत सारे मामलों में यह स्थिति आपको नजर आती है कि प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र और

Page No 252

(252)

(श्रीमती कमला)

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में ईमानदारी के साथ में, लगन के साथ में कार्य नहीं किया जा रहा है। लेकिन बहुत से ऐसे केन्द्र हैं और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं। अब तो अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र पंचायत समितियों को दे दिये गये है। इसलिये बहुत सारी जगहों पर बहुत अच्छा काम भी हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस साल भारत सरकार ने सारे देश भर के, खास तौर से 9 जो पिछड़े हुए शिक्षा क्षेत्र के राज्य हैं, उनका सारा सर्वेक्षण करवाया, उसके आधार पर उन्होंने तमाम राज्यों में यह देखा कि किस-किस क्षेत्र में किस-किस राज्य का क्या परफार्मेन्स रहा। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि एक ओर जहां 1975-76 में केन्द्रों की संख्या सिर्फ 391 थी वह आज 11060 है और छात्र-छात्राओं की जो बेनी-फिशियरीज थे उनकी संख्या सिर्फ 9803 थी, अब 1,12,000 हजार के करीब उससे लाभान्वित हो रहे है। यह बराबर उनके अन्दर दर्ज किये हुए आकड़े हैं। उनकी हर दिन हाजिरी ली जाती है उसके आधार पर इस प्रकार के आकड़े हैं। कुछ प्रतिशत इसमें कमती बत्ती होता रहता है। मौसम के वक्त बच्चे घर के काम में लग जाते हैं। इसके बावजूद भारत सरकार ने हम को अपने अच्छे परफार्मेन्स के लिये 54 लाख रुपये का पुरस्कार दिया है कि राजस्थान ने इस प्रकार का बहुत अच्छा काम किया है।

इसी प्रकार से प्रौढ़ शिक्षा के अन्दर भी हमारी विशिष्ट उपलब्धि रही है। प्रौढ़ शिक्षा के बहुत सारे केन्द्रों के बारे में शिकायत हो सकती है और कोई इसको राजनीतिक संरक्षण भी मिलता होगा। सभी तरफ से हो सकता है। मुझे पता नहीं कहां किस संस्था में किस प्रकार की क्या गलती है। अगर संस्थागत तरीके से कोई माननीय सदस्य बतायेंगे तो उसकी जांच करके उसका निराकरण भी किया जा सकता है। प्रौढ़ शिक्षा के अन्दर भी हमारे राज्य के अन्दर हमने काफी तरक्की की है। 1978-79 में केन्द्रों की संख्या सिर्फ 1638 थी, आज 1983-84 में 12076 केन्द्र इस प्रकार के चल रहे हैं और साल दर साल इस प्रकार के केन्द्रों को हम और भी बढ़ाते रहते हैं। इसी प्रकार से प्रारम्भ में 42620 लोग ही लाभान्वित होते थे, आज इससे 3,23,000 लाभान्वित हो रहे हैं। इसलिये कार्य की तरक्की के हिसाब से हम इसमें भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी जो सर्वेक्षण और इसका मापदण्ड भारत सरकार ने तय किया है, इसकी जांच की, उसमें भी राज्य के अच्छे कार्य की भारत सरकार ने सराहना की है और कोटा जिला इसमें सर्वश्रेष्ठ रहा, उसको तीन लाख रुपये का पुरस्कार मिला है। इसी प्रकार से 125 केन्द्रों को अलग से पांच-पांच हजार रुपये का और पुरस्कार मिला हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, जिनकी शिक्षण पद्धति अच्छी है, जिनके बच्चों की संख्या अच्छी है। तो यह राज्य को एक उपलब्धि का वर्ष में अगर कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि बराबर सभी कार्यों के अन्दर राज्य सरकार को भारत सरकार ने काफी अच्छे पुरस्कार दिये है और सराहना की है।

इसी प्रकार से मैं पिछले दो साल को;

(श्रीमती कमला)

खास तौर से इस साल को हमारे मुख्य मंत्री जो के सहयोग से और आप लोगों की भावनाओं के सन्दर्भ में अगर शिक्षण संस्थाओं के फैलाव की दृष्टि से और उनके खोले जाने की दृष्टि से बहुत बड़ा उपलब्धि भरा वर्ष कहूं तो उसमें भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप स्वयं जानते हैं कि प्राथमिक विद्यालयों की सबसे बड़ी बुनियाद हमारे को तैयार करती है। भारत सरकार के निर्देश के मुताबिक व राज्य सरकार की नीति के अनुसार भी हम ज्यादा से ज्यादा प्राथमिक शिक्षा के संस्थानों को कम से कम समय में अच्छे ढंग से फैला सकें, इस दृष्टि से आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले साल काफी बड़ी संख्या में प्राथमिक शालाएं खोली गयीं और हर साल कुछ न कुछ शालाएं खोली गयी हैं। 1951-52 के अन्दर सिर्फ 4036 शालायें पूरे राजस्थान के अन्दर खोली गयीं और 1983-84 के अन्दर 24,360 प्राथमिक शालाएं हम खोल पाये हैं। जैसा आपने अगले वर्ष का भी माननीय वित्त मंत्री जी का भाषण सुना है, अगले वर्ष फिर 1000 प्राथमिक शालाएं हम खोलने जा रहे हैं। इसी प्रकार से 1951-52 में राजस्थान में सिर्फ 732 उच्च प्राथमिक शालाएं थीं, आज 6,511 उच्च प्राथमिक शालाएं राजस्थान में हैं और अगले साल फिर हम 600 उच्च प्राथमिक शालाएं खोलने जा रहे हैं, जो एक तरक्की के मापदण्ड में हम जोड़ सकेंगे। माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय तो होते ही नहीं थे, सिर्फ 175 माध्यमिक विद्यालय थे, आज तक 1,796 माध्यमिक और 723 उच्च माध्यमिक विद्यालय हम खोल चुके हैं। अगले साल, जैसा आपने बजट में सुना है, 200 माध्यमिक विद्यालय और खोले जायेंगे। बहुत से माननीय सदस्यों ने तकाजा किया है और बहुत सारी उसके पक्ष में दलीलें भी दी हैं कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे पंचायत समिति क्षेत्र है, चाहे तहसील क्षेत्र है जहां पूरे क्षेत्र में कोई उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है और कुछ ऐसे हैड क्वार्टर भी हैं जहां उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है। इसलिए उनका तकाजा किया कि वह खोले जाने चाहिए। इस सन्दर्भ में मैं यह निवेदन करनी चाहूंगी कि एक और उच्च मध्यमिक विद्यालय खोले जाने का और दूसरी तरफ सारे देश में जो आम धारा है 10+2 का सिस्टम लागू करने की, उन सब के बीच में हमने 10+2 के लिए मंत्रिमण्डल ज्ञापन को तैयार करके दिया है। मैं यह समझती हूं कि राष्ट्र की आम धारा के साथ जुड़ने के लिए हमें 10+2 को जल्दी से जल्दी अपनाना चाहिए बजाय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने के। इसीलिए पूरे, सालों का एक पूरा विवरण तैयार करके हमने मंत्रिमण्डल को दिया है। मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार की आवश्यकता आज राज्य को पड़ गयी है, बहुत सारे मामलों में 10+2 के बिना हमको प्रावधान नहीं मिल रहे हैं। भारत सरकार से कई चिट्ठियां भी इस प्रकार की आयी हैं, उस दृष्टि को रखते हुए सीमित साधनों के अन्तर्गत भी हम किस प्रकार से इसका प्रावधान कर सकें, यह माननीय मुख्य मंत्रीजी और मंत्रिमण्डल के समक्ष विचाराधीन है।

(श्रीमती कमला)

इसी प्रकार से हमारे यहां प्रतियोगिताओं का हम आयोजन करते रहे हैं। उन खेलकूद प्रतियोगिताओं में हमारे बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा रिकार्ड कायम किया है। राष्ट्रीय वालीबाल प्रतियोगिता के अन्दर हमारा राज्य प्रथम रहा और स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इसी प्रकार से कुछ हमारे अच्छे स्पोर्ट्समैन भी, लड़के और लड़कियां सामने आये हैं जिनके लिए मैंने खेल मंत्रीजी से कहा कि आप हमारे शिक्षा विभाग की जो खेल-कूद प्रतियोगिता सालाना होती रहती है उनमें से अच्छे बच्चे और बच्चियों को पिक अप करके अपने यहां पर कोचिंग दीजिये, उनको अच्छी डाइट देने का भी इन्तजाम कराइये, उनकी ड्रेस वगैरह का भी इन्तजाम कराइये तो खेल में शामिल होने वाले बहुत अच्छे बच्चे-बच्चियां आपको उपलब्ध हो सकते हैं। हमारे यहां की नीरू राठौड़ राज्य स्तर पर 100 मीटर दौड़ और ऊंची कूद के अन्दर प्रथम रही और उसको स्वर्ण पदक मिला और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित की गयी। इसी प्रकार हंसपाल भाला फेंक में सर्व श्रेष्ठ रहा, प्रथम रहा और स्वर्ण पदक उसने प्राप्त किया, इसी प्रकार सुनील शर्मा ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया, विष्णु मेहरा ने कुश्ती के अन्दर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। खेल-कूद के साधन अगर अच्छी तरह से उपलब्ध हों, व्यवस्थाएं अच्छी तरह से हो सकें, वित्तीय प्रावधान भी मिल सके तो हमारे यहां के बच्चे-बच्चियों में खेल-कूद की प्रतिभाओं की भी कोई कमी नहीं है, जो हम अच्छी तरह से कर सकते हैं।

एक नया कार्य, माननीय अध्यक्ष महोदय इस साल से हमने प्रारम्भ किया है। हमारे यहां कम्प्यूटर एजूकेशन का कार्य हमने प्रारम्भ किया है। कम्प्यूटर एजूकेशन में हमारे यहां के 10 विद्यालयों का चयन किया है। हालांकि पहले हमारे को भारत सरकार ने यह लिखा कि आपके यहां चूंकि 10+2 की पद्धति नहीं है इसलिए हम आपके यहां पर कम्प्यूटर शिक्षण-प्रशिक्षण का कार्य नहीं देंगे लेकिन बार-बार उनसे अनुरोध करने पर उन्होंने हमें दो जगह दो यूनिट दिये हैं। एक पिलानी में दी है जिसके नीचे पांच स्कूल काम करेंगे और एक हमको जयपुर में मालवीय इंजीनियरिंग कालेज के साथ में दी है जिसके नीचे भी पाँच स्कूलों में यह काम सिखाया जायेगा। तो यह अपने आप में बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए बहुत उपयोगी कार्य हमारे राज्य के शिक्षा विभाग की तरफ से किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, छठी पंचवर्षीय योजना के जो लक्ष्य हमारे राज्य के शिक्षा विभाग के बनाये गये थे, उनमें मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी भी है और गर्व भी है कि हमने अपने लक्ष्य से अधिक कार्य किया है। लक्ष्य से अधिक जो कार्य किया है शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मैं अपनी ओर से उसके लिए बधाई देना चाहती हूं। इसके बारे में मैं माननीय सदस्यों को भी अवगत कराना चाहती हूं। प्राथमिक शिक्षा का हमारा जो छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था इस एक साल को छोड़ कर, 3,300 प्राथमिक शालाएं खोले जाने का लक्ष्य था उसके पेटे

(श्रीमती कमला)

हमने 3,805 प्राथमिक शालाएं खोलीं। इसी प्रकार से उच्च प्राथमिक शालाओं का 620 का लक्ष्य था जिसके अंगेस्ट में हमने 1,530 उच्च प्राथमिक शालाएं खोल दी हैं। माध्यमिक शिक्षा के अन्दर जो हमने 438 विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का लक्ष्य रखा था उसके पेटे 468 हमने क्रमोन्नत किये हैं। विषय वर्ग में 450 का लक्ष्य रखा था उसके पेटे हमने 751 विषय वर्ग खोले हैं। इसी प्रकार 6 से 11 वर्ष के बच्चों का 28.50 लाख तक पहुंचने का हमारा लक्ष्य था, उसके पेटे 28.73 लाख तक पहुंच चुके हैं। बालिकाओं का 10·95 था, इसमें थोड़ा सा कम है लेकिन कुल साल की जो उपलब्धि है उसके बारे में हमको प्रशंसा मिली है और पुरस्कार भी मिला है। इसी प्रकार अन्य जो हमारे कार्यक्रम दिये हुए थे उनमें भी हमने या तो लक्ष्यों के अनुरूप उपलब्धि की है या उससे अधिक उपलब्धि की है। यह शिक्षा विभाग का अपने आपमें एक कीर्तिमान है।

इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते हैं न सिर्फ भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति या स्कूल खोलने या किसी भी बच्चे और बच्ची को आधुनिक युग में जीने के लिए योग्यता और तकनीकी शिक्षण के आधार पर सक्षम बनाने से ही हमारे कर्त्तव्य का पूर्ण रूप से निर्वहन नहीं हो जाता। यह चाहते हैं कि शिक्षा विभाग अपने बच्चे और बच्चियों को राष्ट्र और समाज की आकांक्षाओं के अनुरूप पूर्ण रूप से परिपक्व, विवेकशील और क्षमताधारी इन्सान बनाकर तैयार करे। न सिर्फ तकनीकी ज्ञान और शैक्षणिक योग्यता से ही वह अपने आपको प्रबुद्ध माने बल्कि कुछ सामाजिक और नैतिक मान्यताओं के साथ भी उसके जीवन का जुड़ाव हो और जो भारतीय जीवन दर्शन के मूलाधार हैं और जो शाश्वत सत्य है, हमेशा जिनको अपनाने से वह अपने जीवन को वर्चस्वपूर्ण बना पायेगा, उसकी शिक्षा देने की भी हमें चेष्टा करनी है। वह बड़ा कठिन काम है, दुरूह, फिर भी एक चेष्टा की गई, उसके अन्तर्गत सबसे पहले हमने एक स्कोप सोचा कि स्कूल खोल देना या सिर्फ हमारे अध्यापकों का यहां से वहां स्थानान्तरण कर देना या कुछ विद्यालय भवन बना लेना, इन्हीं से हमको सन्तोष नहीं होना चाहिए बल्कि जो हमारा मूल काम है कि हम शिक्षा के स्तर को, उसके रूप को, उसकी क्रियान्विति को और जिस व्यक्ति तक उसको पहुंचाना है उस पद्धति को सही बनायें। इसलिये 1983–84 का जो वर्ष था, उसको हमने मूल रूप से शिक्षा सत्र के रूप में, शिक्षा वर्ष के रूप में मनाने की चेष्टा की। इसके तहत संस्थाओं का प्रभावी निरीक्षण कार्य किस प्रकार से किया जाए, उसको किया गया।

इसी प्रकार से परिणाम जो आते रहे हैं शिक्षण संस्थाओं के, वह काफी दुखद और काफी चिन्ता पैदा करने वाले थे। इसलिए परिणामों का उन्नयन करने के लिए किस प्रकार से कार्यवाही की जाय, इसी प्रकार से शिक्षा पद्धति में क्या काम हो रहा है, किस तरह से टीचर पढ़ा रहा है, किस तरह होम वर्क देख रहा है, किस तरह डायरी लिख रहा है, किस तरह से

(श्रीमती कमला)

वह पाठ्य पुस्तकें काम में ले रहा है, यह सारा देखने का हमने निश्चित कार्यक्रम निर्धारित किया।

इसी प्रकार से अध्यापकों की पूर्ति के लिये, जो वर्षों तक खाली रहते थे, महीनों तक खाली रहते थे, हमने तकाजे के साथ में यह किया कि किसी भी जगह पर बिना किसी विशेष कारण से कोई पोस्ट खाली न रहे। पिछले समय में सवाल भी किसी माननीय सदस्य ने किया था, मैंने बताया भी था कि हमने अपनी पूरी चेष्टा की लेकिन कुछ पद इसलिए खाली रहे कि अदालतों से कुछ स्टे-ऑर्डर अभी भी लगे हुए हैं, उसके कारण से सैकड़ों जगह खाली पड़ी हुई हैं। कुछ हमारे यहां ऐसे विषय के अध्यापक हैं जो उपलब्ध नहीं हैं। कुछ जैसी कि एक आम परम्परा चल रही है, जोइन करके छुट्टी लेते हैं, इसके लिए भी हमने कोशिश की है कि अगर जोइन करता है और बिना कारण बीमारी बताता है, तो मेडिकल बोर्ड बैठाइये, उसकी छुट्टि कैन्सल करिये, उसको जोइन करने को मजबूर करिये। नया अपाइन्ट किया है वह एक पर्टीकूलर डेट के बाद जोइन नहीं करता है तो दूसरे को अपाइन्ट करिये। तो एक बहुत बड़ी समस्या को हल करने की हमने काफी चेष्टा की। मुझे खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले में हम इस वर्ष कुछ इसमें अच्छा सुधार कर सके हैं, हालांकि अभी भी काफी कमियां हैं और काफी शिकायतें भी।

इसी प्रकार से साल भर खेल कूद के काम होते रहते थे उससे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता था और कोई वातावरण पढ़ाई का बन नहीं पाता था, इसके लिए हमने निर्धारित कर दिया कि नवम्बर के बाद कोई खेल-कूद का कार्यक्रम नहीं होगा। सालाना जो जलसे होते हैं वह भी पढ़ाई के वक्त में नहीं होंगे। सालाना जलसे, खेल-कूद वगैरह के लिए हमने समय निधारित किया है।

इसके अलावा अध्यापक संघों का साल भर बातचीत का सिलसिला चलता रहता था, आज उसकी मांग आ गयी, आज वह धरना देगा, आज वह हड़ताल करेंगे। इतने सारे संघ बने हुए हैं और इतनी सारी उनकी मांगें हैं, 50-51 से नीचे तो किसी की मांगें नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस साल एक-एक शिक्षक संघ के साथ उनके एक-एक बिन्दू पर घंटों तक बैठकर चर्चा की और यह तय किया कि साल में एक बार वह अपना अधिवेशन करेंगे। इसका भी हम शिड्यूल बनायेंगे कि इस तारीख तक वह अपना अधिवेशन करके जो कुछ भी उनके सामने अपने विचार हैं वह तय कर लें। उसके बाद में वह एक तारीख तक जिला स्तर पर अपना डिस्कशन कर लें। फिर एक निश्चित तारीख तक वह राज्य स्तर पर अपना डिस्कशन कर लेंगे। इसके आगे-पीछे न तो जिला संघ के पदाधिकारी और सदस्यगण इधर-उधर हमारे अधिकारियों के पास अपनी मांगों के बाबत में घूमेंगे-फिरेंगे, न ही हमारे अधिकारी और हमारे कार्यालयों को इसके कारण से अपने काम में रुकावट पैदा होगी। यह एक बहुत बड़ा काम इस साल में हमने किया है।

(श्रीमती कमला)

इसी प्रकार से पुस्तकालय हमारे विद्यालयों में बने हुए हैं लेकिन पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग करने की अभी तक कोई खास रपम्परा नहीं है। पुस्तकालयों की पुस्तकें या तो सड़ती रहती हैं या कुछ नॉवल और कहानी की किताबों का ही ज्यादा उपयोग होता है। हमने शिक्षा विभाग के माध्यम से यह निर्णय किया है कि सभी अध्यापकों को, प्रधानाध्यापकों को अपने बच्चों को यह डायरेक्शन देना चाहिए कि तुम अपने इस कोर्स की किताब के साथ कौनसी रेफरेंस बुक पढ़ो, इसके अलावा तुम्हारी पसन्द के साथ कौन-सी जीवनी पढ़ो, कौनसा चैपीज पढ़ो। इस बारे में बच्चों को मार्गदर्शन देना चाहिए। यह नहीं कि तुम्हारी जो मर्जी आये वह पढ़ लो। उसको पता नहीं कि कौन-सी किताब किस तरह की है।

इसी के साथ नये विषयों का समावेश हमने पाठ्य पुस्तकों में किये जाने का एक बहुत बड़ा काम प्रारम्भ किया हुआ है। काफी कुछ हमने इसको पूर्ण भी किया है। जैसे पर्यावरण सुरक्षा और जनसंख्या शिक्षा का है, राष्ट्रीय एकता का है, स्वतन्त्रता संग्राम का है, वन्य जीवों का है, श्रम का गौरव क्यों है और क्यों बच्चों को श्रम के प्रति आस्था रखनी चाहिए, नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने का क्या महत्व है और क्या नैतिक एवं सामाजिक मूल्य हैं और क्यों उनकी उपयोगिता और महत्व है, कला-संगीत स्वस्थ जीवन और जीने के ढंग वगैरह यह कुछ नयी चीजें हमने पाठ्यक्रम में इस बार डालने की चेष्टा की है। हमारे बच्चे न सिर्फ भौतिक पत्थरनुमा इन्सान बनें जिसकी कुल्हाडी तो तेज हो सकती है, किन्तु उसका मन मानस भी उतना ही प्रबुद्ध और प्रकाशमान होना चाहिए, इसके संदर्भ में हमने इसको जोड़ा है।

योग शिक्षा का प्रशिक्षण भी हमने शुरू किया है। योग शिक्षा का प्रशिक्षण स्वस्थ रहने के लिये जरूरी है सिर्फ यह मानकर शुरू नहीं किया है बल्कि इसलिये किया है योग शिक्षा बच्चे और बच्ची को और जब वह बड़े होकर नागरिक बनकर जीवन में प्रवेश करें उस वक्त भी वह उसके विचार को, मन को किस प्रकार शुद्ध रखे, किस प्रकार सही रास्ते पर रखे और किस प्रकार से संयत जीवन जीने का आदि हो और उसी प्रकार चल सके। बहुत सारी समस्यायें, आज जो हमारे राष्ट्र के अन्दर विभेद की विद्वेष की बातें पैदा हो रही हैं, राष्ट्रीय एकता को खतरा पैदा हो रहा है, अनुशासन भंग होने का काम हो रहा है यह बहुत सारी बातें मानसिक विक्षिप्तता के कारण होती हैं। इसलिये मानसिक और शारीरिक स्वस्थता, दोनों की दृष्टि से हमने योग का प्रशिक्षण प्रारम्भ कराया है। मुझे आपको अवगत कराते हुए खुशी है कि दो प्रशिक्षण शिविर लगा चुके हैं और छुट्टियों में तीसरा प्रशिक्षण शिविर प्रारम्भ करेंगे।

इसी प्रकार से हमने एक नया कार्यक्रम स्कूलों में दिया है। जिस वक्त बच्चा पढ़ाई के लिये आये तो सबसे पहले प्रार्थना-सभा हो जिसमें वह देश के प्रति, भारत माता के प्रति, गुरुजनों के प्रति जो वन्दनायें

(श्रीमती कमला)

है उनको सबसे पहले गाये उनका अर्थ समझें और उसके साथ में उसकी आदतें जुड़ें जिससे वह उस तरफ बढ़ने की कोशिश करे। इसी संदर्भ में राष्ट्रीय एकता के लिए सामूहिक गान एक कार्यक्रम प्रारम्भ किया जो देश भर में है हमने भी उसको प्रारम्भ किया है।

एक सबसे बड़ी समस्या जो थी महिला अध्यापकों की, मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी का बहुत आभार मानती हूं कि उन्होंने हमारे इस प्रस्ताव को सहमति दी। महिला अध्यापक ग्रामीण क्षेत्रों के लिये मिलना नामुमकिन जैसी चीज होती है। हमने जो वरीयता सूची बनायी विभाग के अन्दर, उससे तो कोई भी महिला ग्रामीण क्षेत्र में जाने की स्थिति में नहीं है क्योंकि वरीयता में ज्यादातर नगरीय क्षेत्रों की महिलाओं का ही ऊपर नम्बर आता है। इसलिये उस वरीयता सूची को ड्राप करके यह निर्णय लिया कि खुले रूप से महिलाओं के आवेदन लें और जो उस क्षेत्र की रहने वाली महिलायें हैं उनको वहां के महिला स्कूल के अन्दर नियुक्ति दें जिससे कि वहां के महिला स्कूल में जो रिक्तता है उसकी पूर्ति हो सके। इसके लिये हमने कहा है कि वह प्रशिक्षित नहीं हो तो भी ले लें, 10वीं पास है तो ले लें, 11वीं पास है तो ले लें। प्रशिक्षित नहीं हैं तो ले लें। उनको 400 रुपये तब तक हम देते रहें जब तक कि वह प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर लें। यह एक व्यवस्था हमने ग्रामीण क्षेत्र में महिला अध्यापकों को देने की की है।

एक और बड़ा निश्चय किया है उर्दू विषय के बारे में और उर्दू छात्रों के बारे में अभी काफी जगह पर ऐसा था, कि आठवीं कक्षा तक उर्दू विषय था। जब वही बच्चे नवीं-दसवीं में जाते तो उनके पास उर्दू विषय नहीं होता था। बहुत दिक्कत होती थी। हमने तय किया, जहां-जहां भी आठवीं कक्षा तक उर्दू विषय है उन सभी माध्यमिक विद्यालयों में नवीं-दसवीं में भी वह विषय चालू कर दिया गया। इसके साथ बी. ए. या एम. ए. में उर्दू पढ़ने वाले जो छात्र-छात्राएँ थीं उनको क्रमश: 100 और 150 रुपये की छात्रवृत्तियां भी जारी की गयी हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्यों द्वारा कहा गया, हम भी इस बात को भी जानते हैं कि जो गरीब वर्ग के पिछड़े वर्ग के बच्चे-बच्चियां हैं उनको ज्यादा से ज्यादा स्कूल में दाखिल करना और उनको शिक्षा के समीप लाकर बराबर उसमें लगे रहने की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। उनके सामने बहुत सारी दिक्कत होती हैं, फीस की दिक्कत होती है, ड्रेस की दिक्कत होती है, पाठ्य पुस्तकों की दिक्कत होती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के जो छात्र-छात्रायें हैं, उनके लिये सब चीजों की निःशुल्क व्यवस्था करने का भी प्रावधान है। लगभग इस वक्त में 3,63,000 बच्चे-बच्चिया इस स्कीम से लाभान्वित हो रहे हैं।

इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षकों की जो कमी है उसकी पूर्ति करना एक बहुत बड़ा काम है। बड़ी-भारी हमें कमी महसूस होती है। वैसे तीन हजार शिक्षक हमको पिछले वर्ष दिये गये, 3 हजार अगले वर्ष दिये जायेंगे। फिर भी, माननीय

(श्रीमती कमला)

मुख्य मन्त्रीजी के सामने मैंने प्रतिवेदन दिया है और मन्त्रिमण्डलीय ने ज्ञापन दिया है कि हम स्कूल चाहे थोड़े कम खोलें लेकिन कम से कम 50 बच्चों पर एक टीचर हमको जरूरी तौर पर मिले। आज रफ्तार नामांकन की जिस गति चल रही है उसके हिसाब से हमारे पास 20,000 टीचर की कमी है। वह 20,000 टीचर की कमी हम एकाएक तं पूरी नहीं कर सकते हैं लेकिन तीन हजार के बजाय कुछ सब्सटेंशियल वे में उसकी पूर्ति क र सकें तो शायद दो-तीन वर्ष में या सप्तम् पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में हम इसको पूरा कर सकेंगे। हम 50 बच्चों पर भी एक टीचर दे पाये तो हमारे स्कूल अच्छी तरह चल पायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप और सभी सदस्य जानते हैं कि स्थानान्तरण जो अध्यापकों का है, यह हर वर्ष बड़ा सिर दर्द होता है, बड़ी अव्यवस्था होती है। स्कूलों में बच्चों को, अभिभावकों को बड़ी परेशानी होती है। आम तौर पर परीक्षाओं तक स्थानान्तरण का सिलसिला चलता है। कहते हुए संतोष है कि हालांकि बहुत सारे जन-प्रतिनिधियों का आक्रोश भी मुझे सहन करना पड़ा, बहुत सारी और भी दिक्कतें उठानी पड़ीं लेकिन एक समय निश्चित किया कि इस समय तक हम ट्रान्सफर करेंगे। उसके बाद सिर्फ खाली जगह पर खुद की रिक्वेस्ट पर ही करेंगे और परीक्षाओं के नजदीक हमने बिल्कुल बंद कर दिया कि खाली जगह पर भी नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में आपकी तारीफ ठीक थी।

श्रीमती कमला : बच्चों को, अभिभावकों को और शिक्षकों को भी बहुत राहत इससे मिली है। हम इस नीति को आगे भी चलाते रहना चाहते हैं जिससे कि हम शिक्षा के स्तर के और ऊंचा उठा सकें।

एक और समस्या जो बहुत वर्षों, माननीय अध्यक्ष महोदय, से चली आ रही थी, शिक्षकों की वरिष्ठता तय करना, शिक्षकों के पदोन्नति के मामले तय करना यह, मामले वर्षों से उलझे हुए थे। मुझे कहते खुशी है कि जितनी भी डी. पी. सी. करनी थी पदोन्नति की, वह हमने लेटेस्ट 1983 तक कर दी है। इस मामले में विभाग अपने आप में एक अच्छा कीर्तिमान कायम करने के लिये धन्यवाद का पात्र है। हमारे इस विभाग में पदोन्नति का कोई भी कार्य बकाया नहीं है। वरिष्ठता सूची भी हमारी काफी हद तक तैयार हो चुकी है। पिछले दो तीन साल की अभी बाकी है, उनको भी तेजी से तैयार करने में लगे हुए हैं। विभाग को जून के महीने तक इसकी पूर्ति करनी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस साल दो उपनिदेशालय भी महिलाओं के सृजित किये चूरू और कोटा में, जिससे कि महिला शिक्षा की देखरेख का कार्य अच्छी तरह से किया जा सके और जो नये स्कूल खोले जा रहे हैं उनको भी हम अच्छी तरह से चला सकें। एक और काम जो हमने इस साल काफी कोशिश करके किया, अनुदानित संस्थाएं जो हैं, उन संस्थाओं की काफी समय से

(श्रीमती कमला)

बहुत सारी दिक्कतें चली आ रही थीं, भण्डारी कमेटी ने काफी सिफारिशें भी उनके बारे में की थीं, उनके बारे में संस्थाओं के साथ में, विभागाधिकारियों के साथ बैठ कर चर्चा करके, उनकी सारी बातें डिस्कस करके हमने उसका निर्णय किया है। कुछ बातें उनकी मानी भी हैं, जैसे कि इस साल हमने तमाम संस्थाओं का प्रारंभिक जो अनुदान है वह 50 प्रतिशत की बजाय 60 प्रतिशत रखा है। जिनको इस वर्ष 50 प्रतिशत तक दिया था उनका 60 प्रतिशत से शुरू कर दिया। इसी इकार से जो 60 प्रतिशत हमने निश्चय किया उसकी 50 प्रतिशत राशि इस वर्ष मिलेगी, 50 प्रतिशत अगले वर्ष मिलेगी। ये निर्णय हमने इसी वर्ष कर दिया है और इसके लिये प्रावधान भी कर दिया है। इसी प्रकार से उनको जो आकस्मिक राशि बिजली बिलों की, पानी वगैरह की, जो बहुत समय पहले की बांधी हुई थी, बहुत थोड़ी रकम थी, उससे पार नहीं पड़ती थी उसको भी हमने डबल किया है। तो कुछ जो उनकी सिफारिशें थीं वह हमने इस वर्ष मानी है, कुछ आगे जैसे-जैसे संभव होगा उसको हम मानेंगे।

एक जो आम तौर पर माननीय सदस्यों ने कहा कि शहरों के अन्दर टीचर सरप्लस बैठे रहते हैं और गांव के अन्दर स्कूल खाली पड़े रहते हैं। उसका एक बड़ा कारण यह था कि डिस्ट्रिक्ट पूल के हिसाब से व्यवस्था की हुई थी। उस डिस्ट्रिक्ट पूल में यह पता ही नहीं लगता था कि किस स्कूल में कितने चाहिये, किस स्कूल में कितने बैठे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष हमने एक व्यवस्था कर दी और उसका सारा अंकेक्षण करा कर उसी के मुताबिक टीचर्स रखे हैं कि जिस विद्यालय में जितनी विद्यार्थी संख्या है उसी अनुपात में वहां पर टीचर रहेंगे, उससे एक भी टीचर शहर के अन्दर अतिरिक्त नहीं होगा और जो बाकी हैं उन सबको जहां भी स्कूल में जगह है वहां जाना पड़ेगा। अगर यह हम लागू नहीं करते तो इस पूल की व्यवस्था में कभी उनको पकड़ ही नहीं पाते। इसलिये यह जो दिक्कत माननीय सदस्यों को महसूस होती है वह हमने काफी हल करने की चेष्टा की है फिर भी, शायद कहीं पर कोई गलती हो तो आप नोटिस में लायेंगे तो उसके मुताबिक हम कार्य कर सकेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कुछ मैंने अपने विभाग के द्वारा किये गये प्रयत्न, कुछ उपलब्धियों के बारे में आपको और सदन को निवेदन किया।

इसके अलावा कुछ हमने और नये कार्य जो किये हैं, उसमें कुछ परिषद् और बोर्ड का गठन किया है जो बहुत समय से वांछित और जरूरी थे। जैसे हमने राज्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड का गठन किया। ताकि उसमें जितनी भी हमारी स्कूली शिक्षा है उसके बारे में समय-समय पर विचार विमर्श किया जा सके। उसके बारे में सुझाव और जो कुछ भी आज तक हमारे शिक्षा आयोगों द्वारा विचार रखे गये हैं, या राय दी गई है, या प्रस्ताव दिये गये हैं उनके बारे में भी चर्चा करें कि किस प्रकार से राज्य में अच्छी शिक्षा व्यवस्था की जा सके। इसी प्रकार से प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा परिषद भी कायम की गई है। राज्य पुस्तक

(श्रीमती कमला)

विकास परिषद् भी कायम की गयी है। राज्य स्तरीय समिति कायम की गयी है जिसके जरिये स्वतन्त्रता संग्राम का पूरा विवरण पाठ्य पुस्तकों के अन्दर डालेंगे और आजादी का, पूरे रियासती राज्य का जो एक इतिहास है, उन घटनाओं और उनसे सम्बन्धित व्यक्तियों को उभार कर बच्चों के मन-मानस पर बैठा सकेंगे। दो नयी एकेडेमीज बनायी गई हैं। राजस्थानी भाषा और संस्कृत एकेडेमी इस साल में बनायी गयी हैं। एक राजस्थानी भाषा और संस्कृत एकेडेमी बनायी गयी है, एक ब्रज भाषा एवं संस्कृत एकेडेमी को पैसा भी पहले से कुछ ज्यादा दिया है जिससे कि वह अपना काम अच्छा और तत्परता से कर सकें। कुछ नये जो हमारे सामने काम हैं, उनमें सबसे बड़ा काम है. जैसा मैंने अभी कहा, आज राज्य की शिक्षा पद्धति को हम कहां पर खड़ा रखना चाहते हैं यह हमारे सामने बहुत बड़ा प्रश्न-वाचक चिह्न है। देश के आम परिप्रेक्ष को दृष्टिगत रखते हुए मैं यह मानती हूं और इसी दृष्टिकोण से हमने ज्ञापन भी दिया है मन्त्रिमण्डल में कि हमें तुरंत ही 10+2 पर जाना आवश्यक हो गया है भारत सरकार की नीतियों के मुताबिक, उसके ऊपर विचार करना, उसको किस प्रकार से हम अपने वित्तीय साधनों में कर पायेंगे इसके लिये दूसरा एक मन्त्रिमण्डल ज्ञापन हम तैयार कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा आज हमारा आधारभूत और महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन चुका है इसलिये प्राथमिक शिक्षा का एक अलग निदेशालय कायम करने के लिये भी शिक्षा विभाग की तरफ से एक मीमो बनाया गया है जो भी मन्त्रि-मण्डल के सामने हम भेज रहे हैं। इसके अलावा आठवें वित्त आयोग को देने के लिये हमने एक प्रतिवेदन शिक्षा विभाग की तरफ से तैयार किया है जिसमें दो-तीन बातें मुख्य रूप से हमने उनसे चाही हैं। एक तो शिक्षकों की जो कमी है उसकी पूर्ति में वह हमें योगदान करें। दूसरा, बहुत सारे हमारे ऐसे स्कूल हैं जिनके भवन इतने जीर्ण-क्षीर्ण अवस्था में और इतनी खतरनाक हालत में है कि उनकी मरम्मत के लिये हमें करोड़ों रुपये के आवश्यकता है, उसके लिये भी हमने निवेदन किया है।

इसी प्रकार से हमने शिक्षा का एक विधेयक तैयार किया है। शिक्षा के विधेयक को तैयार करने का हमारा उद्देश्य यह है कि जो प्राइवेट संस्थाएं आज राज्य में काम कर रही हैं उनका एक स्तर कायम किया जाय, उनके सिद्धांत कायम किये जायें, उनके केरीकुलम कायम किये जायं, उनकी फीस कायम की जाय और किस प्रकार से उनका संचालन किया जाय, किस प्रकार से शिक्षा राजस्थान राज्य की एक स्तर की बन सके, राजकीय शिक्षण संस्थाएं और प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं का स्तर हम कायम कर सकें और कुछ नियम और उप नियम इस तरह से बना सकें कि वे अनाप-शनाप अपने ढंग से फीस भी नहीं ले सकें, मर्जी आये जिस प्रकार का पाठ्यक्रम भी नहीं रख सकें और एक आम धारा के साथ में चलने की चेष्टा कर सकें। इसके ऊपर अभी विचार चल रहा है, वह तैयारी में है। इसी प्रकार जैसा कई माननीय सदस्यों ने भी सुझाव दिया, मैंने भी अपने विभाग के अधिकारियों से यह कहा है कि वह इस बात को वर्क आउट करें कि हमारे बच्चों की जो छुट्टियां हैं उनको खरीफ और रबी

(श्रीमती कमला)

की फसल की बुवाई और कटाई के साथ में किस प्रकार से जोड़ सकें और आम शिक्षा का जो हमारा सिलसिला है उसके साथ भी वह लगे रह सकें और यहाँ के कालेज और स्कूल दूसरे राज्यों के स्कूल और कालेजों के साथ भी सामंजस्य बैठा सकें, इसको हम किस प्रकार कर सकते हैं, इसके बारे में विभाग अपना काम कर रहा है।

इसके साथ में, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सातवीं पंचवर्षीय योजना है, हमारा 1984–85 का बजट है वह तो प्रस्तुत हो ही चुका, सातवीं पंचवर्षीय योजना में जैसी माननीय मुख्य मंत्रीजी के साथ में बैठ कर चर्चा हुई उनका जो दृष्टिकोण है, शिक्षा विभाग की ज्यादा से ज्यादा तरक्की की दृष्टि से हम पिछड़े हुए 9 राज्यों में भी बहुत नीचे नम्बर पर हैं, तो हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकें, हमारे वित्तीय साधन के अनुरूप हम किस प्रकार आगे कदम बढ़ा सकें, वैसे तो हमने इस साल जो स्कूल खोले वह आपके बजट में हैं ही, उसमें मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है लेकिन आम तौर पर यह विचार और चर्चा और मान्यता राज्य सरकार की है कि आगामी पंचवर्षीय योजना के अन्दर दो मील से ज्यादा किसी बच्चे को प्राथमिक शाला के लिये नहीं जाना पड़े और चार किलोमीटर से अधिक उच्च प्राथमिक शाला के लिये नहीं जाना पड़े और हरेक पंचायत समिति क्षेत्र में कम से कम एक प्रकार का स्कूल हो जहां वह उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा ग्रहण कर सके। इस प्रकार से जो एक बड़ा कार्यक्रम है वह यह है कि हमारे इस वक्त में कम से कम 800-900 ऐसे विद्यालय हैं जिनमें कि किसी में सिर्फ कामर्स ही हैं, किसी में सिर्फ आर्ट्स ही है तो इस प्रकार से सभी विद्यालयों को हम सप्तम् पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत थ्री फैकल्टी स्कूल बना सकें, इसको भी हम अपना लक्ष्य मान करके चलते हैं जिससे कि यह जो समस्या हमारे सामने है उसकी हम पूर्ति कर सकें। तो यह कुछ बातें जो आगे देख-रेख की हैं या हमने जो की हैं, मैंने आपके सामने निवेदन की हैं शिक्षा-विभाग, जो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर का चलता है, के सम्बन्ध में।

माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ी सी बात मैं तकनीकी शिक्षा के बारे में भी कहना चाहती हूं। तकनीकी शिक्षा का आधार थोड़ा बहुत हमारे राज्य में मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज या सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज जो हमारे बने हुए थे, उनसे था। पिछले समय में काफी लम्बे समय तक बहुत लम्बा और बड़ा काम हम नहीं कर पाये थे जो कि पिछले तीन-चार वर्षों में हम लोगों ने किया। जैसे 1964 के अंत तक इंजीनियरिंग कालेज का नम्बर चार था, पोलीटेक्निक कालेज का नम्बर छः था और आई० टी० आईज० का 15 था। इसके बाद 1965 से 1968 के बीच में कोई इंजीनियरिंग कालेज नहीं खुला, कोई आई०टी०आई० नहीं खुला, सिर्फ दो पोलीटेक्निक कालेज जयपुर और भरतपुर में खुले थे वह भी बाद में बन्द हो गये। इसके बाद में 1978–81 के बीच शुरू में जयपुर में एक पोलीटेक्निक कालेज, जो बन्द हो गया था, खुला। एक फूड क्राफ्ट इन्स्टीट्यूट बना। आई०टी०आई० ट्राइबल एरिया में

(श्रीमती कमला)

5 खुले और प्रोडक्शन सेंटर्स चार खुले। इस समय तक काफी धीमा काम तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में हुआ। 1981 से 84 के बीच में काफी बड़ा काम हुआ उससे एक बहुत बड़ा आधार बना। कोटा में कालेज खुला। बायज के पोलीटेक्निक कालेज तीन खुले, भरतपुर, भीलवाड़ा और पिलानी। वूमेन पोलीटेक्निक कालेज एक खुला, जयपुर में। वूमेन आई०टी०आई० खुला प्रोडक्शन सेंटर खुले। इस प्रकार से 81–84 के बीच में काफी कोशिश करके तकनीकी शिक्षा का भी आधार बनाने की चेष्टा की गयी। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, भीलवाड़ा का जो हमारा पोलीटेक्निक कालेज था उसको हमने टेक्सटाइल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट के तौर पर कायम किया है, जो कि राज्य के लिए बहुत बड़ा उपयोगी सेंटर बनेगा, जिसके सन्दर्भ में पाली के माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारे यहां भी एक कायम किया जाय। अब हमारे राज्य में सिर्फ 6 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर थे या डिस्ट्रिक्ट थीं जिनमें कोई आई.टी.आई. या पोलीटेक्निक कालेज कुछ भी नहीं था। मुझे खुशी के साथ कहना पड़ता है कि माननीय वित्त मंत्रीजी ने 1984–85 के अपने बजट में इसकी भी पूर्ति कर दी है। अब राज्य के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आई.टी.आई. नहीं होन का कोई सवाल नहीं है बल्कि हम इन आई.टी.आई. के साथ में प्रोडक्शन कम ट्रेनिंग सेन्टर भी और जोड़ेंगे जिसमें बच्चों का उपयोगी, आज के युग की जरूरत मुताबिक ट्रेनिंग तो देंगे ही, आई. आर.डी. के जो हमारे ट्रेनीज हैं उनको भी उनके साथ लगाकर उनको काम की भी पूर्ति करेंगे। बच्चे ट्रेनिंग लेते हुए प्रोडक्शन कर सकेंगे, कमा सकेंगे, सीख सकेंगे, यह काम इनके साथ-साथ फैलाने का जो...

श्री अध्यक्ष : एक सीखो-कमाओ योजना चलती थी, वह कैसी चल रही है?

श्रीमती कमला : वह हमारे स्कूलों में चलती थी। उसमें कुछ क्राफ्ट्स अभी भी हैं। जो बड़े क्राफ्ट्स थे जिसमें कुछ लैथ मशीन वगैरह भी काम में आती थीं, पिछले सालों से बंद थीं उन्हीं का नये प्रोडक्शन सेंटर और आई. टी. आई. में उपयोग करने जा रहे हैं। उनका एक असेसमैण्ट पूरे स्टेट का हमने करवाया कि कहां-कहां, कौन-कौन सी मशीन हैं और उनसे कौन-कौन से सेंटर्स और तैयार किये जा सकते हैं। हमने कुछ तो काम में लिया है 1983-84 में, बाकी 1984-85 में काम में लेंगे। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सारा मैंने आपके सामने विवरण प्रस्तुत किया है। बहुत सारी कमी-खामियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बड़ी कठिनाइयां हैं, बड़ा लम्बा काम है लेकिन उसके बावजूद हमने चेष्टा यह की है कि शिक्षा विभाग के प्रशासनिक ढांचे को सुधारा जाये, शिक्षा स्तर को भी व्यवस्थित किया जाय और साथ-साथ जो तरक्की के हमारे पास साधन हैं उनका भी उपयोग किया जाये। आगे बढ़ने की चेष्टा की है तो उसके परिणाम भी निकले हैं। भारत सरकार ने बहुत सारे मामलों के अन्दर

(श्रीमती कमला)

पुरस्कार भी दिये हैं, जो आप और हम सब के लिए गौरव का विषय है ।

संस्कृत के बारे में....

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : संस्कृत शिक्षा के बारे में आप कुछ बतायेंगी ?

श्रीमती कमला : मैं बैठ गयी हूं क्या जो आप खड़े हो गये ?

संस्कृत शिक्षा के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने यह चिन्ता व्यक्त की कि एक तो संस्कृत शिक्षा का फैलाव जितनी गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हो रहा है । दूसरा, एक बात यह कही कि संस्कृत के अध्यापकों के वेतनमान में बहुत भारी विसंगति है । इन दो चीजों के बारे में मुझे आपके माध्यम से सदन को इतना ही अवगत कराना है कि पिछले साल भी संस्कृत के लिये प्लान के अन्दर कोई भी प्रावधान नहीं होने के बावजूद माननीय मुख्य मन्त्रीजी की सहानुभूति से और विभाग के तकाजे से हमने कुछ स्कूल संस्कृत के लिए खोले । विषय भी खोले और विद्यालय भी क्रमोन्नत किये । इसी प्रकार से इस साल भी हमने किये । पिछले साल से पिछले साल और पिछले साल भी । इसी के साथ में हमने यह चेष्टा की है कि 1984-85 में इसका अलग से हैड कायम कर दें जिसमें संस्कृत शिक्षा के स्कूल खोलने, क्रमोन्नति, विषय वगैरह का अलग से प्रावधान रहे और सामान्य शिक्षा के हैड से हमें उधर ट्रान्सफर नहीं करना पड़े लेकिन प्लानिंग कमीशन के पास जाने पर वह हमारा प्रस्ताव मंजूर नहीं हो सका । इसलिए आगे भी हमको सामान्य शिक्षा के हैड से ही इसमें देना पड़ेगा । फिर भी, सदन को मैं यह विश्वास दिला सकती हूं कि संस्कृत, जो हमारी भाषा है, जो हमारी एक धरोहर है जिसके अन्दर हमारी संस्कृति और हमारे देश का इतिहास छिपा है, को किसी भी प्रकार से कम-कद्र करने का या कम प्रोत्साहन देने की बात नहीं सोचते, आज के इस आधुनिक ढांचे में जिस प्रकार की उसकी स्थिति है उसको ऊंचा उठाने के लिए, उसकी मान्यता को स्थापित करने के लिए हमें बहुत कुछ प्रयत्न करने पड़ेंगे ।

श्री अध्यक्ष : बड़ी कठिन भाषा है, रटन करने का बच्चों को टाइम नहीं मिलता ।

श्रीमती कमला : विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता है इसलिये वह हमें अलग से करने पड़ेंगे । जहां तक शिक्षकों के वेतनमानों में विसंगति का सवाल है, हमने वित्त विभाग को बराबर लिखा है कि जब हमने बेरी वेतन आयोग के वेतनमान माने तो उसके एक स्तर तक तो वेतनमान बढ़ा दिये लेकिन उसी स्तर के दूसरे वेतनमान को उसके प्रपोर्शन में नहीं माना है इसलिए विसंगति पैदा हुई-हुई है । मुझे उम्मीद है कि वित्त विभाग उसको समझकर उसका निराकरण करेगा । यह दो ही खास समस्यायें हैं ।

हमारे संस्कृत विभाग के बारे में कहा गया था कि वेद कहां पढ़ाये जाते हैं, आप

(श्रीमती) कमला)

उसके बारे में क्या कर रहे हैं। हमारे राज्य में वहुत सारे वेद विद्यालय हमने पिछले 2 साल में खुलवाये हैं। हमारा राष्ट्रीय स्तर का जो संस्थान है, कुछ उसने भी खोले हैं और कुछ संस्कृत स्कूल के साथ हमने भी खोले हैं। उनके अन्दर अध्ययन कितना किया जा सकता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे एक तजुर्वा है कि वेद पढ़ाने वाले लोग उपलब्ध नहीं हो रहे। काशी, अयोध्या तक मैंने वहुत सारे लोगों को इत्तला कराई कि हमने हमारा एक वेद विद्यालय खोला है उसमें पढ़ाने वाला अध्यापक हमको नहीं मिल रहा है इसलिए आप कहीं से वेद पढ़ाने वाला अध्यापक हमको दीजिए। वह अध्यापक नहीं मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष : त्रिवेदी, चतुर्वेदी, द्विवेदी हैं।

श्रीमती कमला : वह हैं लेकिन वह वेद पढ़ाने की क्षमता नहीं रखते। वेद पढ़ाने की क्षमता, योग्यता वाला दूसरा ही होता है। इसलिए यह एक दिक्कत है जिसका हमको सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उसका भी निराकरण करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्यों का, सदन का समय वहुत अधिक लिया इसके लिए माफी चाहती हूं। लड़कियों के हायर सैकण्डरी और लड़कों के हायर सैकण्डरी स्कूल के बारे में जैसा मैंने कहा, 10+2 उसके मुकावले में ज्यादा जरूरी है। वह हमको मिल सकेगी तो हम अपनी समस्या का निराकरण कर सकेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहती हूं, आपकी जो कुछ और वातें रह गयी हैं जिनका मैं जवाव नहीं दे पायी हूं या कुछ और मुद्दे जो आपने कटौती प्रस्ताव में उठाये हैं, उनके वारे में मैं विभाग के स्तर पर कार्य-वाही करूंगी। एक वात अंत में मैं जरूर कहना चाहती हूं, विरोध पक्ष से आने वाले माननीय सदस्यों ने वार-वार इस वात को दोहराया कि विद्यालयों में, शिक्षकों के साथ में राजनीतिक वर्ताव नहीं किया जाना चाहिए और राजनीतिक स्तर पर इस मामले को डील-विथ नहीं किया जाना चाहिए। मैं समझती हूं कि कांग्रेस हुकूमत ने और कांग्रेस सरकार ने और हम लोगों ने जितने निरपेक्ष भाव से गुणावगुण के आधार पर शिक्षक समाज का बनाने वाला मूल्यवान माध्यम समझकर उसको जितना सम्मान देकर चलने की चेष्टा की है उतनी शायद उस पक्ष में बैठने वाले लोगों ने नहीं दिया। दुर्भाग्य यह रहा हमारा, उन ढाई दो वर्ष में जिस प्रकार से स्कूल में शाखायें लगाई गयीं, जिस प्रकार के रंग से पोता गया आज उसको मिटाने में और उन संस्कारों को खत्म करने में हमको बहुत दिक्कते आ रही हैं। इस पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्यों की तो राजनीति इतनी है कि अच्छे से अच्छा अध्यापक वहां पहुंचना चाहिए। उस पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्यों की राजनीति यह है कि वहां शाखा लगानी चाहिए। तो इस राज-नीति के फर्क को तो मुझे समझना पड़ेगा और उसी के मुताविक मैं करती आई हूं उसके लिए वह मुझे माफ करेंगे।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर,

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने पहले तो बहुत सुन्दर ढंग से सारी बातें रखीं और ऐसा लग रहा था कि आर. एस. एस. के मंच से आप बोल रही थीं। अंत में राजनीति लगा दी। आपनें शुरू में आपने पूरी बात, अपनी भावनायें जरूर व्यक्त की हैं....

श्रीमती कमला : अगर राजनीति को आप यह समझते है, आपकी मंशा कुछ है तो बात दूसरी है बाकी राजनीति का शुद्ध अर्थ यह है कि किसी एक विशेष नीति के अन्तर्गत राज का संचालन किया जाय। तो कांग्रेस संगठन की, कांग्रेस हुकूमत की एक विशेष नीति है धर्म निरपेक्षता की, समाजवाद की, प्रजातंत्र की। उस विशेष नीति के अन्तर्गत तो हम राज का संचालन करेंगे ही। अगर वह राजनीति है तो वह तो हमको अपनानी पड़ेगी ही, इसके बिना राष्ट्र बन नहीं सकता।

श्री हंसराज शर्मा : क्या आपने राजनीतिक आधार पर स्कूल नहीं खोले?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर अर्डर।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक प्रश्न है। मंत्री महोदय, आप यह बतायें, आपको एक दिक्कत आ रही है टीचर्स के अपाइन्टमेण्ट करने में क्योंकि न्यायालय ने आपको स्टे दे रखा है। उसमें केवल विवाद इतना सा है, जब आपने पोस्ट्स भरने के लिए विज्ञापन निकाला तो वह किसी अखबार में नहीं निकाला या आम पब्लिक को जानकारी हो जाय ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनाई, इस कारण से स्टे मिला हुआ है।

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य महोदय, मैं आप से निवेदन करूं, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अदालत के उन माननीय न्यायाधीश जी ने न तो हमारे विभाग के नियम, उप-नियम देखे और न विभाग को सुनवाई का मौका दिया, एकतरफा स्टे दे रखा है, जिसके लिए हम मुकदमा लड़ रहे हैं। इसका कहीं कोई प्रावधान नहीं है जिसकी बिना पर उन्होंने स्टे दे रखा है। स्टे दे रखा है, कोई हमारी नीतियों के अन्तर्गत उसका प्रावधान नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कानूनी मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी।

श्री भंवरलाल शर्मा : बिन्दु इतना ही है। मैं सुझाव दे रहा हूं, कानूनी बहस नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष : सुझाव का समय चला गया। जब आप बोल रहे थे उस वक्त सुझाव दे देते।

श्री भंवरलाल शर्मा : दिया था मैंने, मैंने उस वक्त दिया था पर आपने उसका उत्तर नहीं दिया इसलिए दुबारा पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर।

(श्री अध्यक्ष)

श्री कल्ला

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विभाग की मांगों को पारित कराने के लिए सदन से अनुरोध करती हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : मंत्री महोदया, आपने कहा शिक्षा विधेयक लायेंगी। क्या उसमें सेवा सुरक्षा भी सम्मिलित है या उसको तोड़कर शिक्षा विधेयक लायेंगी ?

श्रीमती कमला : शिक्षा विधेयक अभी विचाराधीन है। उस पर विभिन्न प्रकार की चर्चा हो रही है। आपने जो सुझाव दिये हुए हैं उनका भी ध्यान रखा जायेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक प्रश्न माननीय शिक्षा मंत्री जी, से यह करना है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापक जाते नहीं हैं, वहां पर केवल एक सब्जेक्ट है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों, जहां पर 80 प्रतिशत आबादी रहती है, में पढ़ने के पूरे सब्जेक्ट भी नहीं हैं और अध्यापक अच्छे उनको मिलते नहीं हैं, इस तरह की परिपाटी चलती रहेगी तो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कितना नुकसान होगा। गांवों में जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं कम से कम 2-3 सब्जेक्ट खोलें। मैं स्थानान्तरण की बात तो नहीं करता लेकिन जो अच्छे अध्यापक हैं 25-25, 20-20 साल से शहरों में बैठे हुए हैं उनका लाभ गांव के लोगों को भी मिलता रहे इसके लिये क्या आप कोई ऐसा प्रोग्राम, नीति बनायेंगे कि कम से कम 5 साल उस अध्यापक को अपने कार्यकाल में ग्रामीण क्षेत्र में रहना पड़ेगा ? इस तरह की कोई कार्य-प्रणाली बना दें ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को इसका लाभ मिल सके।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1983-84 में भी हमको जितने विषय खोलने के लिये मिले थे वह सभी विषय हमने इस दृष्टिकोण से खोले थे कि जहां सिंगल फैकल्टी स्कूल है उसी को हमने विषय दिये। कहीं पर भी हमने नये विषय नहीं खोले। इसी तरह से जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि आगे भी 400 विषय 1984-85 में दिये। सप्तम् पंचवर्षीय योजना में जो विषय हमको मिलेंगे तो पहले हम इस बात की चेष्टा करेंगे कि जहां सिर्फ एक विषय है हम उस स्कूल को डबल फैकल्टी या ट्रिपल फैकल्टी स्कूल कर सकें।

जहां तक आपने यह सुझाव दिया है कि इस तरह का कोई कानून या नियम बनायें कि जो इस तरह से अध्यापक शहरों में बैठे हैं उनको मजबूरन गांवों में जाना पड़े। आम तौर पर तो बहुत से अध्यापक ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर शहरों में आते रहते हैं। बजाय उसके कि हम उनको मजबूर करें, उनके क्या हालात होते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन जिनको हम भेजते हैं वह वहां पर

268

(श्रीमती कमला)

टिक जायं और उनको टिकाने की व्यवस्था हम कर सकें इतना भी हम कर पायेंगे तो बहुत बड़ा काम कर लेंगे। इसमें आपका भी सहयोग वांछित है।

श्री अध्यक्ष : श्री कल्ला।

श्री बुलाकीदास कल्ला (राज्य मंत्री पर्यटन) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा, कला और संस्कृति की मांग पर लगभग 23 माननीय सदस्यों ने अपने विचार, अमूल्य सुझाव वगैरह दिये। मैं इस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि राजस्थान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संख्यात्मक और गुणात्मक, दोनों ही दृष्टि से उल्लेखनीय सुधार की ओर अग्रसर हो रहा है। वर्तमान में राज्य में 62 राजकीय महाविद्यालय, 42 सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थायें और 22 असहायता प्राप्त शिक्षण संस्थायें कार्यरत हैं। राज्य में जोधपुर, उदयपुर और जयपुर में 3 विश्वविद्यालय तथा बी.आई.टी.एस. बिरला इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी एण्ड साइन्स, पिलानी तथा अभी अभी इसी शैक्षणिक सत्र में वनस्थली विद्यापीठ को विश्व विद्यालय का दर्जा दिया गया है। इस प्रकार से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काफी शिक्षण संस्थायें कार्यरत हैं। वर्तमान में छात्रों की संख्या, अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा। गत वर्ष लगभग 1,60,000 हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षणरत थे, अब उनकी संख्या बढ़कर 1,68,000 हजार हो गई है। ठीक इसी प्रकार से राजकीय महाविद्यालयों में गत वर्ष 74,000 विद्यार्थी पढ़ रहे थे, अब उनकी संख्या बढ़कर 78,000 हो चुकी है। ठीक इसी प्रकार से राज्य में हमने जनजाति क्षेत्र में गत वर्ष माउन्ट आबू में विज्ञान विषय प्रारम्भ किया, अजमेर में कास्ट अकाउन्टेन्सी का डिप्लोमा कोर्स प्रारम्भ किया। इसी प्रकार से हमने संस्कृत विषय में आनरेरी कक्षायें अजमेर में प्रारम्भ कीं। इसी प्रकार से उर्दू, जो बहुत ही अच्छी जुबान है का विषय प्रारम्भ करने के लिये उदयपुर में मीरा गर्ल्स कॉलेज में खोला गया। उर्दू विषय में जो विद्यार्थी स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को माननीय मुख्य मंत्री जी ने छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। उसके अनुसार हम स्नातक कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 100 रुपये प्रतिमाह और स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 150 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, रोजगार के अवसर सुलभ कराने की दृष्टि से हमने इस शैक्षणिक सत्र में 752 अस्थायी प्रवक्ताओं को रोजगार सुलभ कराया। इसमें 94 प्रवक्ता अनुसूचित जाति और जनजाति के थे और 15 विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया।

विश्वविद्यालय में गुणात्मक सुधार के लिये हमने जो प्रयत्न किये हैं उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा। हमारा शैक्षणिक सत्र जो गत वर्षों में एक तरह से पिछड़ गया था, समय पर परीक्षायें नहीं हो रही थीं, गत वर्ष हमने प्रयत्न किया कि परीक्षायें समय पर हो प्री-इंजीनियरिंग टेस्ट, प्री-

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

मेडिकल टेस्ट समय पर हों। आपको जानकर खुशी होगी, अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष भी हमने परीक्षायें समय पर प्रारम्भ कर दी हैं। हमारा यह प्रयत्न है कि हम समय पर, जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही रिजल्ट्स निकाल कर महाविद्यालयों को प्रारम्भ कर दें। गत वर्षों के हमारे जो परीक्षा परिणाम हैं वह तीनों विश्वविद्यालयों के पिछले वर्षों की तुलना में अच्छे रहे हैं।

इसी प्रकार से संकाय सुधार योजना के अन्तर्गत 102 प्राध्यापकों को हमने टीचर्स फैलोशिप प्रदान की है। संकाय सुधार योजना के अन्तर्गत दो प्रवक्ताओं को हमने हैदराबाद में अंग्रेजी के प्रशिक्षण हेतु भेजा। नौ प्रवक्ताओं को हमने ओरियेन्टेशन प्रोग्राम के लिये दिल्ली भेजा। इसी प्रकार से शिक्षा विभाग के जो 58 उच्च प्रिन्सिपल्स वाइस प्रिन्सिपल्स और अधिकारी हैं उनको आफिसर्स ट्रेनिंग सेन्टर ओ. टी. एस. में प्रशिक्षण के लिये भेजा। इस प्रकार से मैं यह कह सकता हूं कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमने गुणात्मक सुधार के लिये भी पूरा प्रयत्न किया है।

अध्यक्ष महोदय, 45 राजकीय महाविद्यालयों को विभिन्न मदों में 72,32,000 रुपये की राशि स्वीकृत की है। इसमें 7 महाविद्यालयों में भवन हेतु 24,55,000 रुपये, 45 महाविद्यालयों में पुस्तकालय हेतु 23,78 000 रुपये, 44 महाविद्यालयों में विज्ञान उपकरण हेतु 23,99,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार से महाविद्यालयों में जो हमारे विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ हैं, इतिहास, भूगोल, पालिटिकल साइन्स और अन्य विषयों के सम्बन्ध में कई प्रकार की संगोष्ठियों का आयोजन, अजमेर, राणावास, बीकानेर और राजस्थान के अन्य हिस्सों में किया गया है। इस प्रकार से इन संगोष्ठियों के माध्यम से जो शोध पत्र और अन्य विषय वहां पर उठाये गये अनेक प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्राप्त हुए हैं वह भी एक तरह गुणात्मक दृष्टि से लाभदायक हैं। महाविद्यालयों में योजना मंच, प्लानिंग फोरम के माध्यम से भी काफी काम करने की कोशिश की गई है। जो हमारे समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं, खास तौर से बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत जो गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं उनको क्या-क्या लाभ मिल रहा है, इसके संदर्भ में भी योजना मंच के माध्यम में सर्वेक्षण कार्यक्रम किया। मुझे कहते हुये खुशी है कि इस योजना मंच के माध्यम से 83,000 रुपये की राशि, जो हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, का इतना अधिक उपयोग विद्यार्थियों ने किया कि जो सर्वेक्षण प्रतिवेदन योजना मंच के माध्यम से प्राप्त हुए हैं वह बहुत उपयोगी और सफल हैं।

इसी प्रकार से राष्ट्रीय सेवा योजना, जो शिक्षणोत्तर गतिविधि के रूप में महाविद्यालयों में प्रारम्भ की गई है, के अन्तर्गत 13,100 विद्यार्थी वृक्षारोपण, ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षण देने का काम, स्वास्थ्य सेवा प्रसारित करने का काम और इसी प्रकार से गांवों को गोद लेकर उन गांवों का सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण का काम, गांव

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

में समाज सेवा का काम करने में लगे हुये हैं। इस दौरान 32 गांवों में और कच्ची बस्तियों में विशेष सेवा शिविर इन एन. एस. एस. के विद्यार्थियों ने लगाकर समाज के लोगों को लाभान्वित करने की कोशिश की है। 1983-84 में योजना मद में 1,28,50,000 रुपये की राशि विश्वविद्यालयों में अतिरिक्त प्रावधान....

श्री अध्यक्ष : यह सभी विषय चर्चा में आये भी हैं, वैसे बजट में यह लिखे हुए हैं।

(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : उस पर अभी आ रहा हूं मैं, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने भण्डारी समिति का जो प्रतिवेदन हमारे पास आया था उसके अनुसार तीन नये महाविद्यालयों को अनुदान-सूची में लिया है, 12 महाविद्यालयों, के अनुदान समिति की सिफारिश के आधार पर, अनुदान प्रतिशत में बढ़ोतरी की गई है। इसी प्रकार से आठ महाविद्यालयों के अनुदान प्रतिशत को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया गया है। इसी प्रकार से जो सहायता प्राप्त शिक्षण-संस्थायें हैं उनके अनुदान म भी बढ़ोतरी करने का हमने पूर्ण प्रयत्न किया है उससे 23 महाविद्यालयों को लाभ मिला है। इस सत्र में अध्यक्ष महोदय, 32 नये विषय प्रारम्भ करने की स्वीकृति दी गई है। चार राजकीय महाविद्यालय खास तौर से अलवर, भीलवाड़ा, सीकर और भरतपुर, जहां पर विद्यार्थियों की संख्या काफी अधिक हो गई थी, में नये वाणिज्य महाविद्यालय के भवन बनाने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार से अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के लिये 1983-84 में 308 लाख रुपये के विरुद्ध 1984-85 में 342 लाख रुपये खर्च करने का प्रस्ताव रखा गया है। राजकीय महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय की शर्तों को पूरा करने हेतु पुस्तकालय मद में 42 लाख रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है। इसी प्रकार इस वर्ष के बजट में महाविद्यालयों में कमरे, विज्ञान के उपकरण और विज्ञान की जो लेबोरेटरी है इसके लिए भी लगभग 50 लाख रुपये की राशि का प्रावधान बजट में प्रस्तावित है।

अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने छात्रावास की बात उठाई थी। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से 1,75,000 हजार रुपये की स्वीकृति 13-1-84 को मिल चुकी है, हम शीघ्र ही इसका तखमीना बनाकर बाड़मेर में छात्रावास की स्थापना करेंगे। ठीक इसी प्रकार से हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने विदेशी पुस्तक विक्रय के सम्बन्ध में एक मामला उठाया था। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि आपने कोई विशिष्ट मामला नहीं उठाया। महाविद्यालयों में कोई केन्द्रीय क्रय होता नहीं है। प्रत्येक प्राचार्य अपनी सुविधा के अनुसार अपनी मांग के अनुसार एक कमेटी बनाकर अपने महाविद्यालय के लिए पुस्तकों का क्रय

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

करते हैं। यदि कोई आप विशिष्ट मामला बतायेंगे तो उसकी हम जांच करायेंगे।

इसी प्रकार से उदयपुर विश्वविद्यालय में वाणिज्य संकाय में प्रोफेसर के चयन के बारे में एक मुद्दा यहां पर माननीय सदस्य ने उठाया था। मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि प्रोफेसर का चयन करने के लिए, विशेषज्ञ के चयन के लिये सबसे पहले जो एक तरह से पैनल बनाते हैं वह एकेडेमिक कौंसिल में स्वीकृत होता है। एकेडेमिक कौंसिल की स्वीकृति के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा मनोनीत तीन सदस्यों की समिति उस पैनल में से नामों का चयन करती है। वह पैनल विश्वविद्यालयों के वाइस चान्सलर के पास जाता है। उस पैनल में से, जिस नाम के बारे में माननीय सदस्य ने चर्चा की, उस व्यक्ति का चयन समिति में विशेषज्ञ के रूप में बुलाया गया इसलिए इनका आरोप बिलकुल निराधार और तथ्यों से परे है।

देवगढ़ से आने वाली माननीय सदस्या ने संस्कृति की नीति और ऐतिहासिक स्मारकों के बारे में जो बात कही, उस सन्दर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि राज्य में ऐसे 150 ऐतिहासिक स्मारक हैं जिनको केन्द्रीय सरकार का पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग सुरक्षित स्मारक के रूप में परवरिश और संरक्षण प्रदान कर रहा है और 259 ऐसे ऐतिहासिक स्मारक हैं जिनको राज्य सरकार का पुरातत्व विभाग ऐतिहासिक स्मारकों के रूप में संरक्षण प्रदान कर रहा है। मेरा यह स्पष्ट कहना है कि केन्द्रीय सरकार ने गत वर्ष 13 लाख से अधिक की राशि इन ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए खर्च की। राज्य सरकार ने भी समय-समय पर हवामहल और आमेर और राज्य में अमरसिंह की छतरियों और अनेक हिस्सों में अपने बजट के द्वारा इन ऐतिहासिक स्मारकों को ठीक रखने के लिए, इनके रखरखाव के लिए पैसा खर्च किया है और इनकी मेन्टीनेन्स को भी हम बराबर देख रहे हैं।

जहां तक संस्कृति-नीति बनाने के बारे में, कला और संस्कृति के बारे में आयोग बैठाने के बारे में उन्होंने जो मुद्दे उठाये हैं, इस सन्दर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिये जो वर्किंग ग्रुप हमने बनाया उसमें कला और संस्कृति के विशेषज्ञों को हमने प्रमुख स्थान दिया है। उनके जो भी उपयोगी सुझाव होंगे उनका हम उसमें समावेश करेंगे और उसके अनुसार कार्यवाही करेंगे।

नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने उदयपुर में नया कालेज खोलने के बारे में मांग की थी। इस सन्दर्भ में मैं कहना चाहूंगा, उदयपुर में विश्वविद्यालय है। उदयपुर से नाथद्वारा लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है, बीस मील की दूरी पर है। मैं समझता हूं कि महाविद्यालय की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। जहां तक मोहनलाल जी सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बारे में उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आई. सी. ए. आर. इण्डियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

अनुदान नहीं देने के बारे में पत्र लिखा है। ऐसा कोई पत्र हमको नहीं मिला है। आई. सी. ए. आर. और राज्य सरकार के बीच में जो बात हुई उसी के अनुरूप राज्य सरकार ने कार्यवाही की है और आज मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय को मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी के रूप में चलाने के लिये हमने एक आर्डिनेन्स जारी किया है। वर्तमान में विधान सभा में जो बिल पेश किया है उसमें मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी का रूप भी उसको प्रदान किया है। इस बिल से आई. सी. ए. आर. और यू. जी. सी. दोनों से ही किसी भी प्रकार के अनुदान में कोई कटौती नहीं होगी, यह मैं सदन को विश्वास दिलाकर चलना चाहता हूं।

जहां तक पुरातत्व विभाग के बारे में नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि वहां पर सक्षम अधिकारी नहीं है, निदेशक भी सक्षम नहीं है मैं कहना चाहूंगा कि 32 अधिकारी हैं जो कम से कम द्वितीय श्रेणी से इतिहास में स्नातकोत्तर कक्षा पास किये हुए हैं और सारे के सारे सक्षम अधिकारी हैं।

पुरातत्व विभाग ने गत वर्ष दो नये संग्रहालय जैसलमेर और हवामहल, जयपुर में कायम किये हैं और इस वर्ष हम पाली में एक नया संग्रहालय स्थापित करने जा रहे हैं, आमेर में आर्ट गैलेरी की स्थापना करने जा रहे हैं। गणेशपुर में खुदाई व सर्वेक्षण का कार्य निरन्तर चालू रखने का हमारा प्रावधान है और साथ-साथ सरस्वती व कार्तिकेय का सर्वेक्षण कार्य हम प्रारम्भ करेंगे। विभागीय शोध पत्रिका, जो पिछले वर्षों से बन्द थी, को भी हम प्रारम्भ करने जा रहे हैं।

इसी प्रकार से चाव खांजी ने यहां उर्दू विषय के बारे में कुछ मुद्दे उठाये थे। मैं कहना चाहूंगा, उर्दू विषय हमने उदयपुर में प्रारम्भ किया है। उर्दू से सम्बन्धित जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको छात्रवृत्ति भी हमने देना शुरू किया है। जहां तक....

श्री भंवरलाल शर्मा : आपके जवाब को सुना हुआ मान लिया जाय।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अब, अध्यक्ष महोदय, मैं कला और संस्कृति विभाग के द्वारा जो नये कार्य अलग-अलग क्षेत्रों में किये जा रहे हैं उसके बारे में कुछ चर्चा करना उपयुक्त समझूंगा। राजस्थान राज्य प्राच्य विद्यापीठ के बारे में देवगढ़ से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि वहां काम नहीं हो रहा है। यह बात तथ्यों से परे है। मैं कहना चाहूंगा कि सन् 1984–85 में हमने दस ग्रन्थों के प्रकाशन का काम हाथ में लिया है और लगभग 2000 से अधिक पेज हमने इस संस्था के माध्यम से प्रकाशित करवा दिये हैं। विशिष्ट प्रकार की माइक्रो फिल्म यूनिट अगले सत्र से हम प्रारम्भ कर रहे हैं। ग्रन्थों के सर्वेक्षण की एक योजना के अन्तर्गत अगले वर्ष भरतपुर में एक नयी शाखा हम प्रारम्भ करने जा

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

रहे हैं। भरतपुर क्षेत्र मे हस्तलिखित ग्रन्थों का संग्रह भी अगले वर्ष से प्रारम्भ किया जायेगा। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर के अन्तर्गत निजी अभिलेखों का सर्वेक्षण किया जायेगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : अगला वर्ष कौनसा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अगला वर्ष 1984–85।

स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेने वाले जितने भी महानुभाव हैं उनके संस्मरणों को हम इकट्ठा करेंगे। विवरणात्मक सूचियों का प्रकाशन किया जायेगा। अरबी और फारसी शोध संस्थान जो टौंक में है, वहां पर करीब 26 हजार से अधिक अरबी और फारसी के प्राचीन ग्रन्थ हैं जो एक हजार वर्ष से भी पुराने हैं, हमारे यहां संरक्षित हैं। 50 हजार ऐतिहासिक दस्तावेज है वहां पर उपलब्ध हैं। इन सबको संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उदारतापूर्वक निदेशालय के भवन के निर्माण के लिये अच्छी खासी राशि हमको दी है। इसी सत्र में इसका भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करवा दिया जायेगा। निदेशालय में माइक्रो फिल्म यूनिट की स्थापना की जायेगी। जीरोक्स की स्थापना के लिये भी योजना प्रस्तावित है।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान ललित कला अकादमी ने उन संस्थाओं, जो इस क्षेत्र में काम कर रही है, को वार्षिक अनुदान देने की एक योजना बनाई है। शीघ्र ही हम अखिल भारतीय स्तर पर एक सेमिनार का आयोजन करने जा रहे हैं। संगीत और नाटक अकादमी, जोधपुर के माध्यम से संगीत, नृत्य और नाटक के क्षेत्र में जो प्रतिभाशाली छात्र-छात्रायें हैं उनको उच्च शिक्षा के लिये हम छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे। असमर्थ कलाकारों को आर्थिक सहायता देने की योजना भी इस अकादमी ने बनायी है। अकादमी द्वारा ध्वनि बद्ध सबसे बड़े महाकाव्य को सचित्र प्रकाशित करने की योजना भी बनायी गयी है। शोध व सर्वेक्षण की दृष्टि से प्रदेश की लुप्त प्राय: होती हुई लोक कला का रिकार्डिंग व डाकूमेन्टेशन का कार्य भी किया जायेगा। इसी प्रकार से जयपुर में कत्थक केन्द्र के माध्यम से एक प्रदर्शन यूनिट....

श्री अध्यक्ष : आप नये विषय पेश कर रहे हैं सभा के सामने, इनको वापस इस पर डिबेट करने का अधिकार हो जायेगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जो नये कार्य हम कर रहे हैं उसके बारे में तो सदन को बताना उपयुक्त रहेगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं, जो विवाद में आये हैं विषय, उन्हीं का उत्तर दीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय का इशारा तो समझो। माननीन अध्यक्ष महोदय का इशारा समझिये, माननीय मन्त्री महोदय। उनका संकेत समझो। माननीय अध्यक्ष महोदय का संकेत समझो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की कला और संस्कृति को संरक्षण प्रदान करने के लिये हमने हर प्रकार के प्रयत्न किये हैं। जो माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिये हैं उनको भी क्रियान्वित करने के लिये इसमें सम्मिलित करूंगा।

अब मैं, अध्यक्ष महोदय, पर्यटन विभाग से सम्बन्धित कुछ विचार अपने रख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : पर्यटन का काम अच्छा है, सबने सराहना ही की है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : पांच मिनट में ही खत्म कर दूंगा, अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कहिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां बर्फ और समुद्र के अलावा सब कुछ है। यहां के ऐतिहासिक स्मारक, यहां के किले, भव्य प्रासाद और दुर्ग इसी प्रकार से राजस्थान के त्यौहार, राजस्थान के रंग-बिरंगे लोग और राजस्थान की संस्कृति को देखने के लिये देश और विदेश से अधिक संख्या में पर्यटक आते हैं।

एक माननीय सदस्य : वाइल्ड लाइफ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इस प्रकार से मैं यह कह सकता हूं कि राजस्थान में पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष काफी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक आये हैं। हमने यह प्रयास किया है, राजस्थान के पर्यटन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से हम अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार के कार्य करें। मैं सदन को यह सूचना देना चाहूंगा कि राज्य में 16 पर्यटन सूचना केन्द्र कार्यरत हैं, राज्य के बाहर 6 पर्यटन सूचना केन्द्र कार्यरत हैं जिनके माध्यम से पर्यटन के बारे में सूचना दी जाती है। जो भी व्यक्ति राजस्थान के विभिन्न पर्यटन स्थलों का भ्रमण करना चाहते हैं उनका टूरिस्ट बंगलों में रिजर्वेशन इन पर्यटन सूचना केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से राजस्थान के वन्य जीवन, राजस्थान के ऐतिहासिक स्मारक और राजस्थान की लाइफ स्टाइल, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय छाया चित्र प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रारम्भ किया है जिसमें हम लगभग 50,000 रुपये की राशि पुरस्कार के रूप में देते हैं। इसके अलावा राजस्थान में और राजस्थान के बाहर अन्य प्रान्तों में हम प्रदर्शनियों का आयोजन करते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह टूरिस्ट बंगले हैं उनमें पंजाबी खाना देते हैं, दिल्ली वाला खाना देते हैं। ठेठ राजस्थानी खाना क्यों नहीं खिलाते हैं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : राजस्थानी खाना भी, अध्यक्ष महोदय, हम प्रदान करते हैं। हमारे यहां बाजरे की रोटी, राजस्थानी सब्जियां....

श्री अध्यक्ष : बाजरे की रोटी यह कोई राजस्थानी खाना नहीं है। बाजरे की रोटी हुई और राजस्थानी खाना हो गया ?

Page No 275

(275)

श्री बुलाकीदास कल्ला : राजस्थान की खीर, यह सभी हमने प्रदान करने की कोशिश की है।

श्री अध्यक्ष : अफसोस यही है कि राजस्थान का जो बढ़िया से बढ़िया खाना है वह आप दें नहीं। राजस्थानी खाना मतलब बाजरे की रोटी जो गरीब आदमी खाते हैं। ठीक है, एक टुकड़ा ले ले तो बहुत अच्छी बात है। जैसे पंजाबी खाने में है यह फलां, ढिमका है। पंजाबी खाना क्या है राजस्थानी खाने के सामने ? मिठाइयां हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, अब तो भूख लगी है।

श्री अध्यक्ष : मिठाइयां आप बंगाली खिलाते हो वहां।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 12 मेलों का आयोजन किया है उनके माध्यम से भी राजस्थान की कला और संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है।

(व्यवधान)

हमने कौनसा यह उद्देश्य बना लिया है। अध्यक्ष महोदय, हम संस्कृति के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। इन मेलों में अधिक संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान के बाहर दो प्रदेशों में और दिल्ली में हम 'राजस्थान कालिंग' प्रोग्राम का भी आयोजन करते हैं। यह भी हमारे बड़े सफल कार्यक्रम सिद्ध हुए हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान की विभिन्न झीलों में हमने 33 नौकाएं, जिनमें पैडल बोट, मोटर बोट और चक्कू से चलने वाली नौकाएं हैं, डाल रखी हैं।

श्री अध्यक्ष : बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनके देश में हमारे से अधिक पानी है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : देशी पर्यटक तो उससे लाभान्वित होते हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : विदेशी पर्यटकों के लिये नावें वगैरह की इफरात है।

एक माननीय सदस्य : जैसे रामगढ़ में डाली है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसके अतिरिक्त जो हमारे पर्यटन स्थल हैं, दो पर्यटन स्थलों के बीच में मिडवे बनाने के लिये हमने योजना बनायी है। इस वर्ष रतनगढ़, गुलाबपुरा, देवगढ़ और पोकरण में हम मिडवे का काम शीघ्र प्रारम्भ कर देंगे।

ठीक इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, पर्यटन विभाग में जो प्रमोशनल एक्टीविटीज चालू की हैं उसी के परिणामस्वरूप स्पेसिफिक एरिया ट्रेवल एसोसियेशन ने लगातार तीन वर्ष से टूरिज्म डिपार्टमेंट को पाटा (Pata) अवार्ड दिया है। अभी-अभी इसी वर्ष दृश्य प्रचार विभाग ने जो हमने पेम्फलेट वगैरह छपवाये हैं, हमारा जो साहित्य छपा है उसके बारे में हमको पुरस्कृत किया है। निदेशक, पर्यटन विभाग को राष्ट्रपति महोदय ने 28 फरवरी, 1984 को यह पुरस्कार दिया।

अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

माननीय सदस्य ने अभी यह मुद्दा उठाया कि पैलेस आन व्हील्स....

(व्यवधान)

कुछ मुद्दे ऐसे हैं, अध्यक्ष महोदय, जिनका जवाब देना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : आप मेवाड़ काम्पलेक्स के बारे में फरमा दीजिये, वह उन्होंने उठाया था।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अभी बता रहा हूं।

पैलेस आन व्हील्स के बारे में बताया कि देशी ट्रेवल एजेन्सीज से हमने किसी भी प्रकार का सम्पर्क नहीं किया। मैं इस संदर्भ में कहना चाहूंगा, सीता ट्रेवल एजेन्सी, ट्रेवल विंग और ट्रेवल टूरिस्ट कार्पोरेशन आफ इण्डिया, इन तीनों को हमने पैलेस आन व्हील्स की बुकिंग का काम दिया। सीता ट्रेवल एजेन्सी ने 16 सीट की बुकिंग प्रत्येक ट्रिप में करने के लिए तो हमसे एक संविदा भी की थी।

उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात कही कि मेवाड़ काम्पलेक्स के बारे में पर्यटन विभाग ने काम नहीं किया। मैं कहना चाहूंगा कि हमने भूमि अवाप्ति के लिये कार्यवाही की वह कार्यवाही पूरी हो चुकी है। हमने 40,04,000 रुपये की राशि भूमि अवाप्ति के लिये लेने हेतु भारत सरकार से यह निवेदन किया है कि 40,04,000 की राशि भूमि अवाप्ति हेतु हमें प्रदान की जाय ताकि इस योजना को हम क्रियान्वित करने में आगे बढ़ सकें। जैसे ही यह राशि हमें प्राप्त होगी हम इस महा परियोजना को प्रारम्भ करने में किसी भी प्रकार की कोई कोर-कसर नहीं रखेंगे। जैसा कि अध्यक्ष महोदय, आप और सदन के माननीय सदस्य जानते होंगे यह टूरिस्ट कॉम्पलेक्स, मेवाड़ कॉम्पलेक्स, डेजर्ट कॉम्पलेक्स, सेन्टर कॉम्पलेक्स और देश के 56 हिस्सों में जो अलग-अलग टूरिस्ट कॉम्पलेक्स बनाने की योजना थी, केन्द्र सरकार की योजना थी। केन्द्रीय सरकार से जब तक स्वीकृति प्राप्त नहीं होगी तब तक इन योजनाओं को हम शुरू नहीं कर पायेंगे।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय, आपसे अपील करूंगा कि आप पर्यटन विभाग और उच्च शिक्षा से सम्बन्धित मांगें हैं उनको पारित करायें।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक सुझाव देना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें। चर्चा समाप्त हुई।

मांगों पर मतदान।

मांगों का पारण

मांग संख्या 24 एवं 47 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या--24, शिक्षा कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल

(श्री अध्यक्ष)

महोदय को 2,74,55,79,000 रुपये (दो सौ चौहत्तर करोड़ पचपन लाख उन्नासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या–47 ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–47, पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,26,69,000 रुपये (एक करोड़ छब्बीस लाख उनहत्तर हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

सदन की कार्यवाही कल प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

(तदनन्तर सदन की बैठक रात्रि 8.32 बजे, वृहस्पतिवार दिनांक 5 अप्रैल, 1984 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई) ।

---

(278)

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न संख्या 467 की सूची

दिनांक 1–4–1984 से अब तक राज्य में पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडीशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एवं गवर्नमेन्ट एडवोकेट्स की जिलेवार की गई नियुक्तियों के विवरण की तालिका

क्रमांक	नाम	पद नाम	जिला	कार्यरत/ सेवा समाप्त
1.	श्री पी. के. शर्मा	पी.पी. कम जी.पी. कम जी.पी.	जयपुर (नगर)	कार्यरत
2.	,, यू. एन. शर्मा	ए.पी.पी. कम जी.पी.	,,	कार्यरत
3.	,, एस.एल. शबनानी	,,	,,	कार्यरत
4.	,, ए पी. शर्मा	,,	,,	कार्यरत
5.	,, आर. एन. माथुर	,,	,,	कार्यरत
6	,, एस. सी. भारद्वाज	पी.पी. कम जी.पी.	जयपुर (ग्रामीण)	कार्यरत
7.	,, विपिनबिहारी माथुर	ए.पी.पी. कम जी.पी.	दौसा, जयपुर	कार्यरत
8.	,, हजारीलाल गुप्ता	पी.पी. कम जी.पी.	कोटा	कार्यरत
9.	,, महावीरप्रसाद शर्मा	ए.पी.पी. कम जी.पी.	कोटा	सेवा समाप्त
10.	,, राजेन्द्रसिंह होरा	,,	,,	सेवा समाप्त
11.	,, चन्द्रभान श्रीवास्तव	,,	,,	सेवा समाप्त
12.	,, महावीरप्रसाद शर्मा	,,	,,	कार्यरत
13.	,, अब्दुल रहीम	,,	,,	कार्यरत
14.	,, रामेश्वरदयाल	,,	बारां, कोटा	कार्यरत
15.	,, राजेन्द्रसिंह होरा	,,	कोटा	कार्यरत
16.	,, हरिशचन्द्र जैन	,,	,,	सेवा समाप्त

क्रमांक	नाम	पद नाम	जिला	कार्यरत सेवा समाप्त
17.	श्री भगवत भण्डारी	पी.पी. कम जी.पी.	उदयपुर	कार्यरत
18.	,, पुनमचन्द कावडिया	ए.पी.पी. कम जी.पी.	राजसमन्द उदयपुर	कार्यरत
19.	,, राजेन्द्रकुमार शर्मा	,,	,,	सेवा समाप्त
20.	,, मोहम्मद मुश्ताक	,,	,,	सेवा समाप्त
21.	सुश्री अकाली बानो भातीवाला	,,	,,	कार्यरत
22.	श्री आर. एन. भारद्वाज	पी.पी. कम जी.पी.	भरतपुर	कार्यरत
23.	,, ताराचन्द शर्मा	ए.पी.पी. कम जी.पी.	,,	कार्यरत
24.	,, सुरेशचन्द्र पान्डे	,,	,,	कार्यरत
25.	,, सुरेशचन्द्र सिहल	,,	डीग, भरतपुर	सेवा समाप्त
26.	,, दयाराम गुप्ता	,,	,,	सेवा समाप्त
27.	,, नेमीचन्द शर्मा	,,	,,	कार्यरत
28.	,, शरीफ खां	,,	,,	कार्यरत
29.	,, शीतलप्रसाद जैन	पी.पी. कम जी.पी.	धौलपुर	कार्यरत
30.	,, केशवप्रसाद कमथान	ए.पी.पी. कम जी.पी.	,,	सेवा समाप्त
31.	,, प्रेमनारायण पाराशर	,,	,,	कार्यरत
32.	,, महेन्द्र सिंह	,,	,,	सेवा समाप्त
33.	,, मुरारीलाल शर्मा	पी.पी. कम जी.पी.	सवाईमाधोपुर	कार्यरत
34.	,, भागचन्द्र पालीवाल	पी.पी. कम जी.पी.	,,	कार्यरत
35.	,, मनफूलाराम	पी.पी. कम जी.पी.	गंगानगर	कार्यरत
36.	,, एम. एल. कोचर	ए.पी.पी. कम जी.पी.	,,	कार्यरत 26

क्रमांक	नाम	पद नाम	जिला	कार्यरत सेवा समाप्त
37.	श्री अमरप्रीत सिंह बाजवा	ए.पी.पी. कम जी.पी.	गंगानगर	कार्यरत
38.	,, सुरेन्द्रमोहन शर्मा	,,	हनुमानगढ़, गंगानगर	सेवा समाप्त
39.	,, ब्रजेन्द्र मोहन शर्मा	,,		कार्यरत
40.	,, अमरचन्द सिंहल	,,	,,	कार्यरत
41.	,, हंसराज कटारिया	,,	नोहर, गंगानगर	सेवा समाप्त
42.	,, महेन्द्रसिंह सिरकीवाला	,,	,,	कार्यरत
43.	,, सोहनलाल जोशी	,,	रायसिंहनगर, गंगानगर	सेवा समाप्त
44.	,, मनीराम शर्मा	,,	,,	कार्यरत
45.	,, जयकुमार जैन	पी.पी. कम जी.पी.	बूंदी	सेवा समाप्त
46.	" उत्सवलाल गर्ग	,,	"	कार्यरत
47.	" कन्हैयालाल शर्मा	"	प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़	कार्यरत
48.	" ताराकान्त उपाध्याय	"	बांसवाड़ा	कार्यरत
49.	" लक्ष्मीनारायण पुरोहित	पी.पी. कम जी.पी.	पाली	कार्यरत
50.	" गणपतसिंह राठौड़	"	जालौर	कार्यरत
51.	" डी. डी. जोशी	"	बालोतरा बाड़मेर	कार्यरत
52.	" एम. सी. तिवाड़ी	"	अजमेर	सेवा समाप्त
53.	" एम. सी. जैन	"	,,	कार्यरत
54.	" अनिल नाग	ए.पी.पी. कम जी.पी.	"	सेवा समाप्त
55.	" ज्ञानेशचन्द्र व्यास	"	"	सेवा समाप्त
56.	" एस. के. वर्मा	,,	"	सेवा समाप्त
57.	" टहल गुलानी	,,	"	कार्यरत
58.	,, संतोषकुमार गर्ग	,,	,,	कार्यरत
59.	,, एम.एल. बोहरा	,,	भीलवाड़ा	कार्यरत
60.	,, दलपत सिंह चौधरी	पी.पी. कम जी.पी.	,,	सेवा समाप्त
61.	,, मनोहरसिंह मेहता	ए.पी.पी. कम जी.पी.	भीलवाड़ा	कार्यरत
62.	,, एम. एल. शाह	पी.पी. कम जी.पी.	सिरोही	कार्यरत

क्रमांक	नाम	पद नाम	जिला	कार्यरत सेवा समाप्त
63.	श्री जी डी. पाठक	पी.पी. कम जी.पी.	चूरू	कार्यरत
64.	,, आर. एन. शर्मा	,,	टोंक	कार्यरत
65.	,, वीरबहादुर जैन	,,	झुन्झुनू	कार्यरत
66.	,, केदारनाथ व्यास	,,	बीकानेर	कार्यरत
67.	,, अजयप्रकाश भटनागर	ए.पी.पी. कम जी.पी.	बीकानेर	कार्यरत
68.	,, जे. पी. शर्मा	पी.पी कम जी.पी.	झालावाड़	कार्यरत
69,	,, धन्नालाल माथुर	,,	सीकर	कार्यरत
70.	,, आर. सी. अजमेरा	,, मेडता	नागौर	कार्यरत
71.	,, भीकमचन्द शर्मा	ए.पी.पी. कम जी.पी.	नागौर	कार्यरत
72.	के. के. आचार्य	ए.पी.पी. कम जी.पी.	नागौर	सेवा समाप्त
73.	,, जगदीशप्रसाद शर्मा	पी.पी. कम जी.पी.	अलवर	कार्यरत
74.	,, एल. एन. गुप्ता	ए.पी.पी. कम जी.पी.	अलवर	कार्यरत
75.	,, देवीसहाय रावत	,,	..	कार्यरत
76.	,, हेमचन्द्र शर्मा	,,	,,	कार्यरत
77.	,, आर. एल. गोयल	,,	किशनगढ़वास, अलवर	कार्यरत
78.	,, पी. सी. श्रीमाल	पी.पी. कम जी.पी.	डूंगरपुर	कार्यरत
79.	,, श्यामसुन्दर व्यास	,,	जोधपुर	कार्यरत
80.	श्रीमती कमलेश जोशी	ए.पी.पी. कम जी.पी.	,,	कार्यरत
81.	श्री बन्शीलाल कछवाहा	,,	,,	कार्यरत
82.	,, किशनलाल प्रजापत	,,	,,	कार्यरत
83.	,, श्री आर. सी. जोशी	,,	,,	कार्यरत

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न संख्या 473 की सूची

विधान सभा क्षेत्रानुसार नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने की सूची

विधान सभा क्षेत्र 1	1979–80 2	1980–81 3	1981–82 4	1982–83 5	1983–84 6
नागौर	1. करनू गोलिया शहर	1. बुकमंसोत मेघवालों की ढाणी	1. गली (गुढा भगवानदास)	—	1. मेघवालों एवं भाम्भुओं की ढाणी
	2. आंकला ब्राह्मणों का कुआं	2. पश्चिम ढाणियां सींगड़	2. आचीना की आथूनी ढ़ाणी	—	2. निम्बोला
	3. पाचला सिद्धा				3. मोहल्ला बस्सी वार्ड नं.–16 अजमेरी गेट नागौर शहर
	4. पांचोड़ी आथूनी ढ़ाणी				4. रातड़ी नाडी के पास बिरलोका
	5. खटोड़ा गांव				
	6. माडपुरा				
	7. चरड़ा				
जायल	1. धानणी	1. दुगोली की कांकड़	1. हिरासनी	—	1. डीडीया खुर्द
		2. झाड़ेली की कांकड़ में राडो की ढाणी	2. भिणीयाद	—	2. नानणी ढाणी
		3. खानमांजरा			3. खारा[illegible]ांजरा
					4. खड़[illegible]वास

1	2	3	4	5	6
लाडनूं	1. कसनाऊ	—	1. जसवन्तगढ़ वार्ड नं.–10	—	1. समना (परिगणित)
	2. गुणालिया	—	2. चौमू	—	2. नालिया ग्राम कसुम्बी
	3. कुमासिया	—			3. भामास
	4. देवरा	—			4. श्यामपुरा
					5. नोरंगपुरा
डीडवाना	1. खुड़ी निम्बी	—	1. ढिगारिया	—	1. कल्याणपुरा
	2. लोरोली खुर्द	—	2. गुजरों की ढाणी	—	2. कड़वा की ढाणी तन दाउदसर
	3. रायसिंह पुरा	—			
नावां	1. शेषमा का बास	1. टोरडी	1. नोनपुरा	—	1. नानड़ा
	2. पूठ की ढाणी जोषी की कोटी	2. मानजी की ढाणी	2. भवानीपुरा	—	2. बांसड़ा (राजलिया)
	3. मोहनपुरा	3. सुजानपुरा	3. देदिया का बास	—	3. सावंतगढ़
		4. बबली	4. बांसड़ा कड़वों का	—	4. देवली कला (कन्या)
		5. ढाका की ढाणी	5. प्रेमराज का बांसड़ा	—	5. राजास
			6. वार्ड नं.–1 नावां	—	6. बाजना
			7. वार्ड नं.–3 नावां	—	7. वार्ड नं.–9 नावां

1	2	3	4	5	6
मकराना	1. पोवरी 2. आयूनाबास 3. वार्ड नं.–3 मकराना	1. पुरोहितों की ढाणी 2. कुचेरिया 3. भोखमपुरा 4. केरिया की ढाणी	1. केरोलाई की ढाणी 2. इन्दोका की ढाणी	—	1. अमरसर 2. बूड़सू की बगीची 3. रामपुरा 4. लोरोली
परबतसर	1. रतनास 2. मांडण 3. नड़वा 4. गींगोली 5. भेरवास 6. पालड़ी महेचा	1. हुक्मपुरा 2. बान्धों की ढाणी 3. चारणावास 4. मालियों, कुम्हारों की ढाणी 5. गूजरों की ढाणी	1. डोबडी खुर्द	—	1. मोडीभीखा 2. सुदियास 3. धोलिया 4. नाका बस्ती 5. अडाणी 6. बांडेहेडा
डेगाना	1. थांवला 2. गोनरड़ा 3. चारणावास 4. खुड़ीखुर्द 5. खियास 6. बोफली	1. खारिया कला की ढाणी 2. मोडरिया 3. जालसूनानक 4. सुखबासनी	1. शाहपुरा 2. घानागांव	—	1. लाखीणा 2. राक्यासनी 3. किरड़ 4. महराना (कन्या) 5. भवरिया 6. इटावड़ा भोजा

1	2	3	4	5	6
	7. कोडिया			—	7. दुधड़ास 8. डूगरास 9. पूनियास
मेड़ता सिटी	1. धोलेरावकलां	1. रेण विश्नोइयों की ढाणी-टांका	1. बेड़ास खुर्द	—	1. जारोड़ा गुजरा
	2. बासनी सुमेर	2. उचियारड़ा 3. सियास 4. मंडावरा 5. जसनगर (कन्या)	2. श्यामपुरा 3. पादूकलां		2. जारोड़ा खुर्द 3. बेरों की ढाणी 4. मालगांव की ढाणी 5. बाकलियास 6. रेगरों का मोहल्ला वार्ड नं:–7 व 8. मेड़ता सिटी
मूण्डवा	1. खेगोलाव 2. छापरीकलां	1. हिंगोणिया 2. रूण (कन्या) 3. मोडास 4. मोटूस 5. हरसोलाव भाटियों की ढाणी	1. कामण्डों की ढाणी (शहरी) 2. कड़वासरों की ढाणी	—	1. कादरपुरा 2. कोटन गांव 3. माण्डेली

नोट—सत्र 1982–83 में नागौर जिले में एक भी प्राथमिक विद्यालय नहीं खुला है।

प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत विद्यालयों की सूची

पंचायत समिति का नाम	सत्रवार क्रमोन्नत विद्यालयों की सूची				
	79–80	80–81	81–82	82–83	83–84
1	2	3	4	5	6
नागौर	देऊ	—	सिणोद	—	तातवास (कन्या)
			गुढ़ा नं. 2		
			गोदारों की ढ़ाणी		
जायल	—	आकोड़ा	बुगरड़ा	छापड़ा	रोहिणा (कन्या)
		रोहिणा	दुगोली		कमेडिया
					जोचीणा
लाडनू	—	—	दूदोली	मावा	डाबड़ी
			बेमोठकलां		फौगड़ी
					बालसमन्द
					रोडू (कन्या)
डीडवाना	बालिया	—	पावा		मन्डूकरा (कन्या)
			भदलियानोसर		
			मौलासर		
			लादड़िया (कन्या)		

1	2	3	4	5	6
नावां	—	शिव	नं. 3 कुचामन चावण्डिया राजलिया	जिजोट	पांचौता टोड़ास (कन्या) खाखंड़की भगवानपुरा
मकराना	बरवाली	सबलपुरा करकेड़ी इन्दोखा जाखली चावण्डिया	नगवाड़ा मकराना नं. 1 बूड़सू (कन्या)	भामडोली	तिलिया (कन्या)
परबतसर	किनसरिया खिदरपुरा	खोखर	अलतवा गिगालिया	चिताई	बोसेड़ भैयांकलां डुडिया ढाठोता
डेगाना	—	साड़पुरा	राजलौता निम्बड़ी चांदावता	ढाणीपुरा हिरणी की ढाणी	चान्दारूण इक्यासीसी सांजू (कन्या) डावोली (मोठी) बवंरला

1	2	3	4	5	6
मेड़ता	—	मोररा कात्यासनी	रेण	खाखड़की	भूरियासनी अरनियाला (कन्या)
मूण्डवा	—	कुचेरा	कंकड़ाय	चूंटीसरा	ग्वालू बलाया गोटन् (कन्या)

उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत विद्यालयों की सूची

पंचायत समिति का नाम	सत्रवार क्रमोन्नत विद्यालयों की सूची				
	79–80	80–81	81–82	82–83	83–84
नागौर	बखतसागर, नागौर	—	—	—	—
जायल	तरनाऊ	खियाला	—	—	—
लाडनू	लौड़ी	—	—	—	—
डीडवाना	क्यामसर	लादड़िया	—	—	—
नावां	सूरजमल भोमराज मा. वि. कुचामन	गुढ़ासाल्ट	—	—	—

1	2	3	4	5	6
मकराना	जिलिया	रानीगांव	—	—	—
परबतसर	पीह	गूलर, भकरी, गांगवा	—	—	—
डेगाना	—	बिखरनियां जालसूनानक	—	—	—
मेड़ता	—	—	—	—	—
मूण्डवा	जोधियासी	शंखवास	—	—	—
	मूण्डवा (कन्या)	—	—	—	—

विधान सभा क्षेत्रानुसार माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय की सूची

विधान सभा क्षेत्र 1	1979-80 2	1980-81 3	1981-82 4	1982-83 5	1983-84 6
नागौर	—	—	—	चावण्डिया	—
जायल	—	—	—	जायल	—
लाडनू	—	—	—	निम्बीजोधा	—
डीडवाना	—	—	—	मोलासर	डीडवाना
नांवा	—	—	—	कुकनवाली	
				कुचामनसिटी (कन्या)	

1	2	3	4	5	6
मकराना	—	—	—	मनाना	—
परबतसर	—	—	—	जावला	—
डेगाना	—	—	—	हरसोर	—
				साजू	
मेड़तासिटी	—	श्रीसाईनाथ विद्या मन्दिर बड़ायली	—	रियाबड़ी	—
मूण्डवा	—	—	—	कुचेरा	—

माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषय/वर्ग खोलने की सूची

विधान सभा क्षेत्र का नाम	सत्र 79–80	80–81	81–82	82–83	83–84
1	2	3	4	5	6
नागौर	बखतसागर–उर्दू तृ. भाषा	अलाय–राजस्व वि. साहित्य	खींवसर–जीव वि. नागौर–उर्दू ऐ. बखतसागर–उर्दू तृ. भाषा	चावण्डिया–विज्ञान–गणित	पांचलासिद्धा– जीव-विज्ञान–खींवसर–जीव विज्ञान
जायल	जायल–राजस्थानी रोल–वाणिज्य वर्ग डेह–वाणिज्य वर्ग	—	—	—	तरनाउ–कला वर्ग

1	2	3	4	5	6
लाडनूं	—	—	—	लाडनूं—उर्दू तृ. भाषा	दयालपुरा—कला वर्ग लेडी—कला वर्ग
डीडवाना	—	बालिया डीडवाना—विज्ञान वर्ग	—	—	बांगड़ डीडवाना—उर्दू तृतीय भाषा
नावां	लिचाणा—वाणिज्य वर्ग	मीठडी (नावां)—वाणिज्य वर्ग	मीण्डा—वाणिज्य	मीण्डा—कृषि वर्ग कुचामन—बैंकिग	ककनवाली—वाणि. वर्ग जवाहर कुचामन—बैंकिग
मकराना	बोराबड़—उर्दू तृ. भा.	—	—	—	बोरावड़—कला वर्ग
परबतसर	गच्छीपुरा—वाणिज्य वर्ग	—	परबतसर—बैंकिग	भकरी—कृषि	बडू—कला वर्ग
डेगाना	—	डेगाना—विज्ञान वर्ग	—	डेगाना—जीव वि.	थांवला—कृषि
		—	—	जालसूनानक—वि. व.	
मेड़ता	रेण—वाणिज्य वर्ग	मेड़ता रोड—वाणिज्य	रियाबड़ी—कृषि	बग्गड़—वाणिज्य मेड़ता रोड—विज्ञान गणित	जसनगर—वाणिज्य टंकण रिंया—कृषि
मूण्डवा	—	—	कुचेरा—कृषि	—	खजवाना—वाणिज्य कुचेरा—कृषि

291

परिशिष्ट 3

तारांकित प्रश्न संख्या 496 की सूची

तहसील उदयपुर स्थित वक्फ सम्पत्तियों पर अतिक्रमणकारियों की सूची

क्र. सं.	राजपत्र में प्रकाशित सूची का नम्बर	नाम जायदाद	किसका कब्जा है	कब से कब्जा है
1.	29	इमामबाड़ा नायकान चूड़ीगरान की मस्जिद के पास, उदयपुर	अली बोहरा	इस जमीन को फकीर मोहम्मद नायक ने हाल ही में मकान बनाकर अली बोहरे को बेच दिया है।
2.	31	जुम्मी फकीरनी का तकया खेरादी वाड़ा	(1) देवा पुत्र चतुर्भुज (2) नन्दा कुम्हार (3) उदयलाल कुम्हार (4) जान मोहम्मद (5) कासम शाह (6) बेवा समगु शाह (7) अब्दुल रहमान	वक्फ जमीन के गजट और सर्वे में आने से काफी पहले ही यह तकया बेच दिया गया है। अब इस जमीन पर कुछ कच्चे और कुछ पक्के मकानात बने हुये हैं।
3.	62	कब्रिस्तान पोस्ट आफिस के पास	दिलआजाद खां भंवर लाल नागदा	दिलआजाद खां ने अवैधानिक रूप से (कुल चार बीघा आराजी में से) कुछ जमीन भंवरलाल नागदा को दे दी। जिस पर नागदा ने एक कमरा और उसके टिन शेड बना लिया है। इस सिलसिले में वक्फ एक्ट की दफा 36 (बी) के तहत कलक्टरी में कार्यवाही चल रही है।

भाग 2 (क)

विभागाध्यक्षों की विज्ञप्तियाँ आदि

कार्यालय राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ, हवा महल, जयपुर

सूचना

जयपुर, सितम्बर 23, 1965

संख्या डब्लू–वी–रिकार्ड/65 :—वक्फ कमिश्नर, राजस्थान ने वक्फ एक्ट (केन्द्रीय एक्ट 29), 1954 की धारा 4 (3) के अन्तर्गत राजस्थान सरकार को सर्वे रिपोर्ट (राजस्थान में स्थित कुल वक्फ सम्पत्तियों की सूची) प्रेषित की है, जिसकी प्रतिलिपि राज्य सरकार ने वक्फ बोर्ड को वक्फ एक्ट की धारा 5 (1) के अन्तर्गत भेजी और अब वक्फ बोर्ड वक्फ एक्ट की धारा 5 (2) व राजस्थान वक्फ नियम के नियम 4 के अनुसार इस वक्फ रिपोर्ट को राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित करता है ।

REPORT OF WAKFS EXISTING IN RAJASTHAN STATE
DISTRICT UDAIPUR, TEHSIL UDAIPUR CITY

Name of Wakf	Town or Village	Nature and object of Wakf	Gross income of the property comprised in each Wakf	The amounts of land revenue, cess, rates and ta es payable in respect of such property	The expenses in cur..d in realization of income & the pay & other remuneration of Mutwalli of Wakf	Other particulars
1	2	3	4	5	6	7
SUNNI WAKFS						
1. Masjid Pathanan Pando-	Udaipur	Pious, Religious and	936.00		936.00	......

1	2	3	4	5	6	7
wari, Shops 2, Houses 4, Hoz 1—65×40		for offering prayers				
2. Nohra with Shops 4	Udaipur	For Religious and Charitable objects				Nohra with Shops 4 attached in Bhilwara
3. Land—14 Bigs. 7 Bis	Bhilwara	,,				14 Bigs. 7 Bis, land attached in Bhilwara
4. Moti Masjid Pukhta Gadiya Dewra, M. No. 6/190, Well one	Udaipur ,,	Pious, Religious, for offering prayers and a well for drinking and general use	3372.00		3372.00	
5. Masjid Pukhta Mechiwara, Ward No. 3	,,	Pious, Religious and for offering prayers	780.00		780.00	
6. Masjid Chilla Dawal Shahgi, Well one—2 Bigs,	,,	,,	1560.00		1560.00	
7. Houses Masjid Chilla Dawal Shahji, Bara Bazar	,, ,,	For Religious and Charitable Objects	210.00			
8. Masjid Darakhan Bari, Ward No. 9/223—51' 13', Well one	,,	Pious, Religious, for offering prayers a well for drinking and general use	960.00		96[illegible]0	

1		2	3	4	5	6	7
9.	Houses Masjid Darkhan Bari	Udaipur	For Religious and Charitable objects	204.00		204.00	
10.	Masjid Qaziwara, Moh. Qaziwara House 1	,,	Pious, Religious and for offering prayers	660.00		660.00	
11.	Mazar Peer Sahib St. Kamaruddin Kanji Ghat, W. No. 3/786—8/8 Ft.	,,	Pious, Religious, Charitable, for offering Fateha and receiving benedictions				
12.	Masjid Karday Sath Moh. Kandaya Sath W. N. 4, Plot Land—60 × 80	,,	Pious, Religious and for offering prayers	1140.00		1140.00	
13.	Houses Masjid Karday Sath	,,	,,	60.00		60.00	
14.	Houses Masjid Karday Sath 13'×20'	,,	,,				
15.	Houses Masjid Karday Sath 13'×10'	,,	,,	108.00			
16.	Madarsa. Talimul Islam Karday Sath W. N. 4	,,	Pious, Religious and Charitable, intended for teaching holy Quran and imparting religious education	480.00		480.00	

	1	2	3	4	5	6	7
17.	Jamyat Khana Masjid Silawatan attached Masjid	Udaipur	Pious, religious and Charitable, intended for teaching holy Quran and imparting religious education				
18.	Masjid Silawatan (Beech-ki- Masjid) Moh. Silawatwari Koties—3	,,	Pious, Religious and for offering prayers	680.00		680.00	
19.	Madarsa Darul Adab, Moh. Silawatan attached Masjid Silawtan	,,	Pious, Relgious, Charitable, intended for teaching holy Quran and imparting religious education	960.00		960.00	
20.	Jawahar Wakf Darul Sayhat, Moh. Silawtan attached Madarsa Darul Adab	,,	Ultimate object, Pious. Religious and Charitable	360.00		360,00	
21.	Masjid Silawtan near Hathipole, Shops 9, Bawri 1	,,	Pious, Religious and for offering prayers	2016.00		2016.00	
22.	House Masjid Silawatan near Hathipole, Houses 2	,,	For Religious and Charitable objects	84.00			
23.	Masjid Mohalla Silawatan—64'×42'	,,	Pious, Religious and for offering prayers	1200.00		1200.00	
24.	Taq Peer Sahib Silawatwari, W. No. 4—10×15 Ft.	,,	Pious Religious, Charitable, for offering Fateha and receiving benedictions	96.00		96.00	

	1	2	3	4	5	6	7
25.	Masjid Imli Ghat-14 × 15 Ft.	Udaipur	Pious, Religious and for offering prayers	300.00		300.00	
26.	Mazar Peer Sahib, Moh. Imli Ghat—10 × 20 Ft.	,,	Pious, Religious, Charitable, for offering Fateha and receiving benedictions	160.00		160.00	
27.	Peer Sahib-ka-Taq, Hathi Pole Darwaza of the Corner of Road attached Shahar Panah—10 × 15	,,	,,	24.00		24.00	
28.	Masjid Mahawatan—W. No. 4/382 Ahata Pukhta, Shops 4	,,	Pious, Religious & for offering prayers	1320.00		1320.00	
29.	Imambara Nayakan (Imliwala Takiya) Nayakan near Masjid Churigaran—19 × 20 Ft.	,,	Pious. Religious and Charitable				
30.	Madarsa Anjuman Talim Islam, Jagdish Chowk, Rooms 13, Shops 9—61 × 81 Ft.	,,	Pious, Religious, Charitable, intended for teaching holy Quran and imparting religious education	7180.00		7180.00	
31.	Jummi Faqiran—ka—Takiya, Kheradiwara, House 1 Kacheha, 8 Parat Land—4 Bigs.	,,	Pious, Religious, 'Charitable, site for prayers and accommodations of travellers	650.00		650.00	

1		2	3	4	5	6	7
32.	Masjid Kunjran, Mohalla Kunjran, Hoz. 1, Well 1, Shops 2	Udaipur	pious, Religious and for offering prayers	1860.00		1860.00	
33.	Masjid Mohalla Churigaran—87 × 64 Ft. Well 1 Pukhta	„	„	1740.00		1740.00	
34.	House 2 Kelu Posh. Masjid Mohalla Churigaran 40 × 26 Ft.	„	For Pious, Religious & Charitable objects	72.00		72.00	
35.	Shops 12, Masjid Churigaran, Mohalla Churigaran attached with Masjid	„	„	2124.00			
36.	Peer Sahib-ka-Taq Pole, Ward No. 7—2 × 2 Ft.	„	Pious, Religious, Charitable, for offering Fateha and receiving benedictions				
37.	Mazar Kali Bawri, W. No. 7—15 × 15 Ft.	„	„	60.00		60.00	
38.	House Pukhta 1, Masjid Churigaran—18 × 18 Ft.	„	For Religious and Charitable objects	120.00		120.00	
39.	Masjid Dholi Bawri—52 × 54', Shops 4	„	Pious, Religious and for offering prayers	1582.00		1582.00	

1	2	3	4	5	6	7
40. Takiya Dholi Bawri 174×118', Plot one—65'×58'	Udaipur	Pious, Religious, Charitable, site for prayers and accommodations of travellers				
41. Imambara Kar Bhohion-ka-Moballa, W. No. 7, Rooms 2—18×13 Ft.	,,	Pious, Religious and Charitable	234·00		180.00	
42. Madarsa Imambara kar Bhohion-ka	,,	Pious, Religious, Charitable, intended for teaching holy Quran and imparting religious education	600.00		600.00	
43. Kalandri Masjid, Khada Boundary Graveyard	,,	Pious, Religious and for offering prayers				
44. Graveyard Khaday, Ward 7—9 Bigs. 7 Bis.	,,	Pious, Religious, Charitable and for burial of Muslim dead bodies	600.00		600.00	
45. Mazar Peer sahib, Ahata Bari Jail, Ward No. 8	,, ,,	Pious, Religious, Charitable, for offering Fateha and receiving benedictions	120.00		120.00	
46. Masjid Haylon—100×75', Ward No. 8	,,	Pious, Religious and for offering prayers	1440.00		1440.00	

(300)

	1	2	3	4	5	6	7
47.	Masjid Sindhiyan near Surajpole Gate—Bawri 1 Shops 4	Udaipur	Pious, religious and for offering prayers	1320.00		1320.00	
48.	Masjid, R.T.C. Police Line, Ward No. 8	,,	Pious, Religious and for offering prayers	120.00		120.00	
49.	Mazar Baneik Peer, Suraj Pole 34/441, Shops 2	,,	Pious, Religious, Charitable, for offering Fateha and receiving benedictions	60.00		60.00	
50.	Masjid Sindhiyan—15×7' Ahata Graveyard attached Dargah	,,	Pious, Religious and for offering prayers	60.00		60.00	
51.	Graveyard Sindhiyan—5 Bigs.	,,	Pious, Religious, Charitable and for burial of Muslim dead bodies	180.00		180.00	
52.	Dargah Sindhiyan near Suraj Pole Ahata Graveyard	,,	Pious, Religious, Charitable, for offering Fateha and receiving benedictions	180.00		180.00	
53.	Peer Sahib-ka Taq—4×4' Majiki-Bawari, Jagdish Chowk Road	,,	,,				

	1	2	3	4	5	6	7
54.	Masjid Dargah Gulam Rasool — 10'×15' Braham Pole, Ward No. 1	Udaipur	Pious, Religious and for offering prayers	120.00		120.00	
55.	Dargah Gulam Rasool—80×80' & Amrad Rasool 80×64' Braham Pole Ward No. 1—Well one	,,	Pious, Religious, Charitable, for offering Fateha and receiving benedictions	500.00		500.00	
56.	Gravcyard O/s Braham Pole—1 Big. 10 Bis.	,,	Pious, Religious, Charitable and for burial of Muslim dead bodies	180.00		180.00	
57.	Masjid Naga Nagri, Ward No. 1, O/s Chandpole Gate	,,	Pious, Religious and for offering prayers	480.00		480.00	
58.	Masjid Ganj Shaheed. Ambav Garh–19½ 11½', 70×65',	,,	,,	360.00		360.00	
59.	Dargah Ganj Shaheedan Ambave Garh	,,	Pious, Religious, Charitable, for offering Fateha and receiving benedictions	270.00		270.00	
60.	Masjid Braham Pole—135×162' Darwaza Naga Nagri, W. No. 1	,,	Pious, Religious and for offering prayers	480.00		480.00	

	1	2	3	4	5	6	7
61.	Graveyard Shahi Naga, Ward No. 1, Brahmpole Darwaza—40 Bigs.	Udaipur	Pious, Religious, Charitable and for burial of Muslim dead bodies	180.00		180.00	
62.	Graveyard—4 Bigs.	,,	,,				
63.	Mazarat 10 Mining Department, Sessions Ward 10—150'×100' (S. P. Court)	,,	Pious, Religious, Charitable, for offering Fateha and receiving benedictions				
64.	Mazar Kathaywalay Peer—5×5½', Ayad-ka-Pul, Ward No. 10	,,	,,				
65.	Shahji Faqir-ka-Bungalow, Takiya O/s Delhi Gate, W. No. 10, 7/204—1 Big. 15 Bis, Houses 4	,,	Pious, Religious, Charitable. site for prayers and accommodations of travellers	72.00		72.00	Priv. Poss.
66.	Masjid Residency Land (Alipura) 4 Bigs. 7 Bis., Wells 2 Kh. No. 933/950—1 Big. 15 Bis., 9336—3 Bis., 934—1 Big. 9 Bis., 937—2 Bis., 938—2 Bis.	,,	Pious, Religious and for offering prayers				Govt. Poss.

	1	2	3	4	5	6	7
67.	Masjid Resideney Alipura, 29/-69. Kh. Nos. 940, 941	Udaipur	Pious, religious and offering for prayers	840.00		840.00	
68.	Masjid Paltan—ki—Chogan, Shops 6	,,	,,	1260.00		1260.00	
69.	Graveyard near Paltan Masjid, near Chogan Paltan, Well 1, Masjid	,,	Pious, Religious, Charitable and for burial of Muslim dead bodies	420.00		420.00	
70.	Masjid Ashoknagar, Ward No. 27/446	,,	Pious, Religious and for offering prayers	1200.00		1200.00	
71.	Graveyard Masjid Ashoknagar. W. No. 10	,,	Pious, Religious, Charitable and for burial of Muslim dead bodies	180.00		180.00	
72.	Graveyard Ayad B, Station Road—3 Bigs.	,,	,,	180.00		180.00	
73.	Madarsa Masjid Ayad, Ward No. 10, Station Road	,,	Pious Religious Charitable, intended for teaching holy Quran and imparting religious education	1080.00		1080.00	

	1	2	4	5	6	7
74.	Masjid Ayad, Ward 10 B, Well 1, Station Road	Udaipur	Pious, Religious and for offering prayers	1080.00	1080.00	
75.	Graveyard, Station Road—3 Bigs	,,	Pious Religious, Charitable and for burial of Muslim dead bodies	240.00	240.00	
76.	Masjid—40 × 30 Ward 10–B Station Road,	,,	Pious, Religious and for offering prayers	180.00	180.00	
77.	Graveyard, Eidgah Dholibawri. Ayad Road, Ward 10 B—4 Bigs.	,,	Pious, Religious, Charitable and for burial of Muslim dead bodies	240.00	240.00	
78.	Masjid Eidgah Ayad Road, Ward 10 near Tourist Bungalow	,,	Pious, Religious and for offering prayers	730.00	730.00	
79.	Graveyard Naya Garan—3 Bigs.	,,	Pious, Religious, Charitable and for burial of Muslim dead bodies	360.00	360.00	
80.	Graveyard Mochiyan—3 Bigs., Mochiwada	,,	,,	360.00	360.00	

1	2	3	4	5	6	7
81. Masjid Chingpura—50 × 60', Ward 11	Udaipur	Pious, Religious and for offering Prayers	1200.00		1200.00	
82. Madarsa, Masjid Chijan Shah	,,	Pious, Religious, Charitable, intended for teaching holy Quran and imparting religious education	480.00		480.00	
83. Dargah, Masjid Chiman Shah—10 × 15'	,,	Pious, Religious, Charitable. for offering Fateha and receiving benedictions	120.00		120.00	
84. Peerji-ka-Mazar Silawatwadi near Road Motikund—20 × 20 Ft.	,,	,,	60.00		60.00	
85. Peer Sahib-ka-Taq, House Rahim Bax, Sadar Mohalla Silawatan—5 × 5'	,,	,,				
		SHIA WAKFS				
86. Masjid Maidpura 3 Storied Barwari Bari Masjid, Moh. Sonay-ka-Gumtiwali	,,	Pious, Religious and for offring prayers	11100.00		11100.00	

	1	2	3	4	5	6	7
87.	Masjid Khanpura Barwari (Chhoti)	Udaipur	Pious. Religious and for offering prayers	10500.00		10500.00	
88.	Masjid Rasoolpura 3 Storied, Barwari	Udaipur	Pious, Religious and for offering prayers	10500.00		10500.00	
89.	Masjid Wazirpura, Barwari	,,	,,	6480.00		6480.00	
90.	Masjid with Baghichi (Chhoti Masjid) Khanji Peer	,,	,,	1560.00		1560.00	
91.	Masjid Mullah Jiwan Ali 2 Storied. Hathipole	,,	,,	120.00		120.00	
92.	Masjid O/s Hathipole Hawala attached Masjid Darakhtan Land—1 Big. 152½ Lr. B.	,,	,,	600.00		600.00	
93.	Dargah Masjid Maidpura, Barwari	,,	Pious, Religious, Charitable, for offering Fateha & receiving benedictions	1320.00		1320.00	

	1	2	3	4	5	6	7
94.	Dargah Khanji Peer (Graveyard Khanji Peer)	Udaipur	Pious, Religious Charitable, for offering Fateha & receiving benedictions	1380.00		1380.00	
95.	Mazarat 4 Musafir Khana inside Ahate Barwari	,,	,,				
96.	Dargah Musafir Khana Boharan, Mh. Barwari	,,	,,	3180.00		3180.00	
97.	Graveyard Khanji Peer—7 Bigs.	,,	Pious, Religious, Charitable and for burial of Muslim dead bodies	240.00		240.00	
98.	Madarsa Tayabiah Mazhabi	,,	Pious, Religious, Charitable, intended for teaching holy Quran and imparting religious education	27690.00		27690.00	
99.	Primary School Barwari in Jamayat Khana	,,	,,	15000.00		15000.00	
100.	Primary Tayabiah School in Jamayat Khana Building, Barwari	,,	,,	44908.00		44908.00	
101.	Tayabiah High School inside Delhi Gate—150'×120'	,,	,,	799006.00		5790.00	

	1	2	3	4	5	6	7
102.	Shops 4 Zachcha Khana	Udipur	For Religious and Charitable objects	1800.00			
103.	Jamayat Khana 3 Storied, Borwari	,,	,,				
104.	Dispensary Borwari	,,	,,	47580.00		47580.00	
105.	Zachcha Khana, Borwari	,,	,,	17,400.00		17,400.00	
106.	Bungalow 1, Reg. Primary & High Shoool	,,	,,	1200.00		—	
107.	Bungalow 1 Pukhta, Tayabiah High School	,,	,,	1800.00		1800.000	
			TEHSIL KOTRA SUNNI WAKFS				
1.	Masjid—53'×80'	Kotra	Pious, Religious and for offering prayers	50.00			
2.	Madarsa	,,	Pious, Religious, Charitable, intended for teaching holy Quran and imparting religious education				

1	2	3	4	5	6	7
3. Takiya—50 × 102', 36' × 80', 15 × 108'	Kotra	Pious, Religious, Charitable, site for prayers and accomodations of travellers				
4. Madarsa new—53' × 25'	„	Pious, Religious and Charitable, intended for teaching holy Quaran and imparting religious education	2000.00		2000.00	
5. Takiya in front of Purana Madarsa—80' × 19', 30' × 55½'	„	Pious, Religious and Charitable, a site for prayers and accomodations or travellers				
6. House Pakki, Int. Keluposh—45' × 79½.	„	Pious, Religious and Charitable objects				
7. House one, Shop—40' × 41	„	„	240.00			
8. Takiya—24' × 24'	„	Pious, Religious, Charitable, a site for prayers and accomodations of travellers				
9. House Keluposh—23' × 28½'		Pious, Religious and Charitable objects				

RAJASTHAN BOARD OF MUSLIM WAKFS, JAIPUR CORRIGENDUM

Jaipur, November 20, 1973.

No. Wakf/Record/73—The details of Wakf property Graveyard Shahi Naga as Published at Serial No. 61 Page No. 6 in Part 2 ka of the Rajasthan Rajpatra dated 16-6-1966 in this Department Notification No. W. B. Record 65, dated September 23, 1965 shall be read as under :—

Report of wakfs existing in Rajasthan State District Udaipur, Tehsil Udaipur City

Name of Wakf	Town or Village	Nature and object of Wakf	Gross income of the property comprised in each Wakf	The amount of Land Revenue, Cess rates and Taxes payable in respect of such property	The expenses incurred in realisation of income and the pay and other remuneration of Mutawalli of Wakf	Other particulars.
			SUNNI WAKFS			
61. Graveyard Shahi Naga, Ward No. 1 Brahmpole Darwaza 60 Bigs. Location :— East :—Chagannath Ji Ki Bari West :—Haridas Ji Ki Magri Ki Wall North :—Road South :—Talab and Haridas Ji ki Magri ki Wall	Udaipur	Pious, religious, charitable and for burial of Muslim dead bodies.	180.00		180.00	

अल्लाहनूर, चौधरी
चेयरमैन
राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फस, जयपुर

परिशिष्ट 4

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

एकलिंगजी का मंदिर, उदयपुर

475. श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या उदयपुर एकलिंगजी के मंदिर का कोई ट्रस्ट गठित किया हुआ है ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन ट्रस्टी हैं ? कृपया नाम की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त ट्रस्ट का रिकार्ड किसके पास रहता है व रिकार्ड में अब तक कितने-कितने जेवरात, हीरे, पन्ना, सोना एव चांदी का सामान दर्ज है ? कृपया प्रत्येक वजन मय कीमत सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि एकलिंग जी ट्रस्ट के ट्रस्टी भूतपूर्व महाराणा श्री भगवतसिंहजी द्वारा ट्रस्ट के हीरे, जवाहारात, पन्ना एवं सोने चांदी के जेवरात में काफी मात्रा में हेराफेरी की गई है और की जा रही है ?

(4) राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(5) क्या अब सरकार इस पर कार्यवाही करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । इस प्रन्यास के सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) उक्त प्रन्यास का रिकार्ड मेनेजिंग ट्रस्टी एवं सैक्रेटरी के पास रहता है । इस प्रन्यास के ट्रस्ट डीड दिनांक 11-4-55 के अनुसार जेवरात एवं आभूषणों के कुल सोना चांदी के विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) इस संबंध में जांच होने पर ही कुछ कहा जा सकता है ।

(4) उक्त प्रन्यास के आभूषणों की हेराफेरी किये जाने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर द्वारा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अन्तर्गत जांच प्रारम्भ की गई थी, किन्तु सम्बन्धित प्रन्यास के प्रयान्सधारियों द्वारा रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराने व जांच में सहयोग नही देने से जांच पूर्ण नहीं हो सकी । इस प्रन्यास का पंजीयन अति.. जिला सत्र न्यायधीश, उदयपुर द्वारा निरस्त कर दिये जाने के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय जोधपुर में अपील विचाराधीन है ।

(5) मंदिर के पंजीयन के संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में विचाराधीन

(राज्यमंत्री देवस्थान)

अपील का निर्णय हो जाने के पश्चात् आगे कार्यवाही की जावेगी ।

एकलिंग जी मंदिर, उदयपुर प्रन्यास के वर्तमान सदस्यों की सूची

1. महाराणा भगवतसिंह जी, कार्य-प्रन्यासी ।

2. महाराज श्री करणसिंह करजाली वाले, प्रन्यासी ।

3. कुंअर श्री नरेन्द्रसिंह जी, भोपाल-गढ़ प्रन्यासी ।

4. सुरेशचन्द्र चटर्जी, प्रन्यासी ।

5. पाण्डे चन्द्रनाथ, प्रन्यासी ।

मंदिर श्री एकलिंग जी उदयपुर प्रन्यास के जेवरात एवं आभूषणों का विवरण इस प्रकार है—

1. रंग भवन उदयपुर आभूषण सोना

७५७८।।।)१।। तोला रु. ८१६७६७ ।।। ≡ ।। रु. आभूषण चांदी ८३)२

2. कैलाशपुरी में आभूषण सोना

५६६७) तोला ३५८८५६। ≡ ।।।
आभूषण चांदी ६०११३) तोला

कुल योग—११,७८,६१७ । ≡ ।।

नेशनल हाइवे नं. 11 पर मिडवे बनाना

476. **श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना) :** क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर से एक सड़क मुकन्दगढ़ होकर दिल्ली जाती है तथा एक सड़क सालासर होकर जोधपुर जाती है तथा नेशनल हाइवे नं. 11 भी निकलती है ? यदि हाँ, तो क्या वहां मिडवे बनवाया जावेगा ?

उत्तर

जी हाँ । लक्ष्मणगढ़ में मिडवे बनाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ के पत्थर खनन क्षेत्र में अतिक्रमण

477. श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा जिले के ऊपर माल तथा चितौड़गढ़ जिले में पट्टी, फर्शी, इमारती पत्थर खनन क्षेत्र में सन् 80 से लेकर सन् 83 के अन्त तक किन-किन व्यक्तियों ने अतिक्रमण किया ?

(2) उक्त अतिक्रमणों के विरुद्ध किन-किन व्यक्तियों पर कितनी-कितनी राशि की मांग की गई ? क्या इसकी वसूली हो गई ?

(श्री बंसीलाल पटवा)

(3) उक्त अतिक्रमणों को लेकर किन व्यक्तियों के विरुद्ध कब-कब पंचनामे बनाकर सम्बन्धित अदालत में चालान प्रस्तुत किये गये ? चालान के नतीजे क्या रहे ?

(4) क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त अतिक्रमियों ने सन् 80 से लेकर आज तक कितनी कीमत का पत्थर खानों से निकाला ?

(5) उक्त जिले में अवैध व वैध खनन कार्य करने वालों में कितनी-कितनी किन-किन व्यक्तियों में बाकीयात निकल रही हैं ? बकाया की वसूली हेतु आज तक क्या कदम उठाये गये ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले के ऊपरमाल क्षेत्र में सन् 80–83 तक पट्टी, फर्शी, इमारती पत्थर के खनन क्षेत्र मे कुल 447 मामले अतिक्रमण के पाये गये। इसी तरह चित्तौड़गढ़ जिले में उक्त अवधि में कुल 55 मामले पाये गये। व्यक्तिवार तालिका परिशिष्ट संख्या—1 पर संलग्न हैं।

(2) परिशिष्ट संख्या एक में व्यक्तिवार मांग दर्शाई गई है। इसी तालिका के कॉलम 6 में जो राशि वसूल की गई है उसे भी अंकित किया गया है।

(3) जिन व्यक्तियों के विरुद्ध चालान अदालत में प्रस्तुत किये गये उसकी सूचना परिशिष्ट संख्या 1 कॉलम सं. 7 में दी गई है। जिसमें कोर्ट द्वारा दिये गये फैसले का विवरण भी दिया गया है।

(4) परिशिष्ट संख्या—1 के अनुसार कुल रुपये 33,34,653/–का पत्थर अतिक्रमण के रूप में निकाला गया है।

(5) अतिक्रमणियों द्वारा अवैध खनन की बकाया आदि की सूचना प्रश्न के भाग संख्या—2 में अंकित कर दी गई है। वैध खनन कर्ताओं से बकाया की सूचना परिशिष्ट संख्या—2 में दी गई है। बकाया की वसूली नियमानुसार नोटिस देकर व रकम न जमा कराने पर लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

(तालिका ,विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम लाम्बा (अजमेर) के मंदिर की भूमि

479. **श्री छीतरलाल आर्य** (अटरू) एवं **श्री कैलाश मेघवाल** अजमेर (पूर्व) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि ग्राम लाम्बा तहसील किशनगढ़ (अजमेर) में खसरा नं. 1894 की जमीन रकबा 148 1/3 देवस्थान मन्दिर के खाते एवं स्वामित्व की है ?

(2) यदि हां, तो इस जमीन पर कब से किसका कब्जा चला आ रहा है और इसकी उपज का कौन उपभोग कर रहा है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री छीतर लाल आर्य)

(3) क्या विभाग इसको मन्दिर के हितों के अनुसार ही उपयोग करने के उद्देश्य से वर्तमान में काबिज व्यक्ति से कब्जा छुड़ान का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि ग्राम लाम्बा तहसील किशनगढ़ (अजमेर) में स्थित खसरा नं. 1894 रकबा 148 बीघा 8 बिस्वा जमीन मन्दिर श्रीजी महाराज किशनगढ़ के खाते में दर्ज थी लेकिन उक्त मन्दिर देवस्थान विभाग के नियन्त्रण में नहीं है।

(2) इस भूमि पर श्री रतना, श्रवण, छोटू व गोपाल पुत्र लादू जाट, नोरती बेवा लादू जाट व गंगा पत्नी रामलाल जाट, निवासी लाम्बा का गत 40 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है और इसकी उपज का उपभोग कब्जेदार कर हैं।

(3) यह मन्दिर देवस्थान विभाग के नियन्त्रण में नहीं है।

हल्दीघाटी को इतिहास प्रसिद्ध स्वरूप दिये जाने की कार्यवाही

481. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में कुछ वर्षों पूर्व इतिहास प्रसिद्ध हल्दीघाटी को तोड़ फोड़ कर सीधी सड़क बनाई गई थी ? यदि हां, तो कब, किसके द्वारा क्यों और कुल कितनी लागत से ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मार्ग को अब पुनः हल्दीघाटी का इतिहास प्रसिद्ध रूप दिये जाने की कार्यवाही क्रियाशील है ? यदि हां, तो यह योजना कितनी लागत की है और कब तक पूरी करली जायेगी ? यह कार्य किसके तत्वावधान में किसके द्वारा और किस उद्देश्य से करवाया जा रहा है ?

उत्तर

(1) हल्दीघाटी की 400वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह के समय विभाग द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से सड़क बनवाई गई थी। इस पर करीबं रु. 2·55 लाख रुपये व्यय किये गये थे। यह व्यय दिसम्बर, 77 तक किया गया था।

(2) भारत सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा मेवाड़ महापरियोजना के अन्तर्गत इस क्षेत्र का पर्यटन की दृष्टि से विकास व इस क्षेत्र में सुविधायें उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। इस सम्पूर्ण योजना पर लगभग 3·37 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महाराणा प्रताप के जीवन से सम्बन्धित स्थलों को पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित करना और महाराणा प्रताप के समय की उज्जवल ऐतिहासिक परम्परा को जीवित

रखना है। अभी योजना का क्रियान्वयन आरम्भ नहीं हुआ है।

जे. के. एवं डी. सी. एम. उद्योगों पर बकाया राशि

482. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मण्डी) एवं **श्री बालचन्द्र आर्य वीर** (डग) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जे. के. एवं डी.सी.एम. उद्योगों पर विभाग के लाखों रुपये बकाया हैं ? यदि हां, तो कब से और यह रुपया वसूल क्यों नहीं किया जा रहा है ?

(2) क्या चम्बल की दाईं नहर द्वारा जे.के. एवं एवं डी.सी.एम. उद्योगों को औद्योगिक प्रयोग हेतु पानी दिया जाता है ? यदि हां, तो प्रतिदिन कितना एवं क्यों ?

उत्तर

(1) जे. के. उद्योग पर कोई रुपया बकाया नहीं है। डी. सी. एम. उद्योग पर दाईं मुख्य नहर द्वारा दिये गये पानी का वर्ष 1967 से लेकर दिसम्बर, 1983 तक की कुल धनराशि 27·21 लाख रुपये बकाया है। राज्य सरकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप बढ़ाई गई दरों के अनुसार भुगतान न करने के सम्बन्ध में डी. सी. एम. उद्योग ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोटा के यहाँ केस दायर कर दिसम्बर, 1984 में निषेधाज्ञा प्राप्त की और यह केस वर्ष 1983 तक न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण रुपया वसूल नहीं किया जा सका। अब केस का फैसला होने के बाद राज्य सरकार द्वारा बकाया धनराशि वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त एक केस न्यायालय के आदेशानुसार आर्बीट्रेशन में है जिसके कि 12,379·50 रुपये का विवाद है उसका भी अभी फैसला होना शेष है।

(2) जी हाँ। चम्बल की दाईं नहर द्वारा रायपुरा ग्राम के निकट से जे. के. उद्योग व डी. सी. एम. उद्योग को पानी दिया जाता है।

(अ) जे. के. उद्योग को उनकी मांग के अनुसार 10 क्यूसेक तक पानी देने का अनुबन्ध है, इसके दैनिक उपयोग की मात्रा का विवरण नहीं रखा जाता।

(ब) डी. सी. एम. उद्योग को दो अनुबन्धों के अन्तर्गत कुल 75 क्यूसेक तक पानी देने का प्रावधान है। उसमें भी प्रतिदिन की मात्रा का विवरण नहीं रखा जाता।

उपरोक्त दोनों समूहों को दिये जाने वाले पानी का माप मीटर द्वारा प्रत्येक माह की 23 तारीख को लिया जाता है एवं उसी के अनुसार विभाग द्वारा अनुबन्धित दरों पर बिल बनाकर धनराशि की मांग की जाती है।

उप खंण्ड प्रतापगढ़ में भूमि के हस्तान्तरण के प्रकरण

483. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) :

316

(श्री नन्दलाल मीणा)

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उप-खण्ड, प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ में टिनेन्सी एक्ट लागू होने के पश्चात् वर्ष 1983–84 तक हरिजनों एवं आदिवासियों की खाते की कितनी कृषि भूमि अवैध हस्तान्तरण होना पाये जाने पर गैर हरिजन एवं गैर आदिवासियों से जब्त की गई ? कृपया वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) जब्त की गई भूमि में से कब-कब किस-किस व्यक्ति को भूमि आवंटित की गई ? प्रतापगढ़ उप-खण्ड में जब्त की गई भूमि कितने हरिजनों एवं कितने आदिवासियों को आवंटित की गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) अवैध हस्तान्तरण के लिए सरकार अब क्या उपाय कर रही है ?

उत्तर

(1) विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

(2) जब्त की गई भूमि में से 78 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को, 76 अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को एवं 91 सवर्ण व्यक्तियों को आवंटित की गई । आवंटन की वर्षवार सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है ।

(3) अवैध हस्तान्तरण के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में पहले से ही किया हुआ है ।

"परिशिष्ट क"

आदिवासी एवं हरिजनों के खाते की कृषि भूमि का अवैध हस्तान्तरण करने पर जब्त की गई का वर्ष वार विवरण

क्रम सं०	वर्ष	जब्त की गई भूमि का क्षेत्रफल (बीघा में)
1.	1976	116–18
2.	1977	229–15
3.	1978	206–15
4.	1979	300–06
5.	1980	20–04
6.	1981	—
7.	1982	2–09
8.	1983	4–05
9.	1984	12–11
		893–03

परिशिष्ट—"ख"

अवैध हस्तान्तरण से अधिग्रहती की गई भूमि आवंटियों की सूची :—
वर्ष 1976 से 1984 तक (अनुसूचित जाति)

क्र. सं.	नाम आवंटी	निवासी	आ. नं.	रकबा (बीघा में)	ग्राम	तारीख आवंटन
1.	2	3	4	5	6	7
1.	धन्ना/केशा चमार	परमण्डल	811	3–10	परमण्डल	6–7–77
2.	ऊंकार लाल/कचरु चमार	थडा	30	7–03	थडा	31–8–77
3.	पन्नालाल/कानोराम कीर	कनोरा	498	1–07	कनोरा	,,
4.	मांगीलाल/लालू हरिजन	जेरावता	305/1	3–00	जिराता	18-11-71
5.	नाथी/भेरा चमार	कुणी	320	2–00	कुणी	16-11-77
6.	वरदीचन्द/भुवान चमार	दलोट	33	6–00	दलोट	11-10-77
7.	नारायण, डुना चमार	,,	53	7–02	,,	,,
8.	उदा/गासी चमार	बसाड	1401	3–06	बसाड	26-11-78
9.	सीता/मगन चमार	बसाड	1166	3–08	बसाड	,,
10.	नानूराम/केसूराम भील	बडोदिया	48	2–16	बडोदिया	26-5-78
11.	गंगाराम/रूपजी चमार	विरावली	214/1	4–00	विरावली	30-4-78
12.	अम्बालाल/भुवान चमार	अरनोद	1121	1–11	अरनोद	19-6-79
13.	नारायण/मांगीलाल चमार	कोलवी	164	4–19	कोलवी	4-2-83
14.	कारुलाल/नन्दा चमार	बरडिया	47	2–09	बरडिया	,,
15.	भेरा/किशन चमार	सेतारपुरा	195	1–02	सेतारपुरा	11-1-79
			342	2–06		
			148	5–10		

1	2	3	4	5	6	7
16.	गुलाबी, हीरा बलाई	चीनयाखेडी	582/669	2–10	चीनयाखेडी	7-2-79
17.	फूलचन्द/लक्ष्मण बलाई	गरदोडी	129	1–07	गदोरडी	7-6-79
			219	0–08	,,	,,
18.	कचरू/किशन चमार	अखेपुर	585	2–15	अखेपुर	12-6-79
19.	गौतम/पेमा बलाई	मोबाई	38	5–11	मोवाई	8-2-81
20.	नाथूलाल/लक्ष्मण बलाई	,,	666	4–10	,,	,,
21.	भगवाना/नन्दा बलाई	सालमगढ़	426	2–02	सालमगढ़	9-7-82
22.	हरीराम, सज्नलाल हरिजन	अरनोद	20	1–08	अरनोद	24-11-82
23.	कारुलाल/शम्भु चमार	खोरिया	94	3–14	खोरिया	25-4-82
24.	हरीराम/सज्जन लाल हरिजन	अरनोद	26	1–08	अरनोद	24-11-83
25.	रतना धुरा ढोली	बडवासकला	873–428	2–08	बडवासकला	3-1-83
26.	रामा/देवा चमार	बोरी	315	3–04	बोरी	7-2-83
27.	भैरा/वनदीराम वलरी	खुटवास	106	5–11	खुटवास	15-1-83
			336	1–11	,,	,,
28.	ऊकार/हक्का चमार	पोलू	636	2–03	पोलू	15-2-83
29.	कचरू/बाला ढोली	बारावरदा	198	4–13	बारावरदा	7-2-83
30.	शंकर बजेराम नट	बडवासकला	368 2	5–00	बडवासकला	13-1-83
31.	रूकमा/धुरा ढोली	उदियाखेड़ी	873 428	2–00	उदियाखेड़ी	,,
32.	गीता, नारू चमार	सेमली	466	1–01	सेमली	20-10-83
33.			467	2–11	,,	,,
			468	0–18	,,	,,
			469	3–09	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7
33.	हीरा भेरा चमार	अम्बिरामा	882	2–04	अम्बिरामा	27-1-83
34.	भेरा किशन चमार	सेमलोक	148	2–06	सेमलोक	15-1-79
35.	भवरलाल जगन्नाथ चमार	कालेवी	146	0–10	कोलवी	7-7-78
36.	भागीरथ/हरिजन	खेरोट	947	5–00	खोरोट	12-1-83
			947	1–01	,,	,,
37.	भेरा/नन्दा चमार	भचुण्डला	35	3–06	भचुण्डवा	,,
38.	भेरा/मांगीलाल हरिजन	गादोला	1158	1–00	गादोला	21-12-78
39.	फकीरा/लालू खारोल	गादोला	1158	3–00	गादोला	,,
40.	कारीया/सला चमार	,,	1158	3–00	,,	,,
41.	गंगाराम/लालूराम खरोल	,,	1158	1–13	,,	,,
42.	भेरिया/वगदाराम	,,	48	1–00	,,	,,
43.	रामलाल/चुनीलाल खारोल	दमाखेडी	145	2–13	दमाखेडी	,,
44.	गीताबाई/कालू चमार	सेमली	466 से 469	7–18	सेमली	2-10-83
45.	जयराम/देवा बलाई	बसाड	1766	3–00	बसाड	8–1–79
46.	मदन/उम्मेदा बलाई	बसाड	1766	4–00	,,	,,
47.	रूकमणी/शंकर ढोली	बसाड	2013	3–02	,,	23-6-79
48.	कैलाश/हरीराम भांबी	बसाड	1340	5–00	बसाड	16-11-77
49.	चमन/भुवाना चमार	बसाड	1340	4–04	,,	,,
50.	दीपा/देवा बलाई	,,	1338	5–00	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7
51.	मगन/उदा बलाई	बसाड	1338	4–00	बसाड	16-11-77
52.	उदा/दोला चमार	,,	1338	3–12	,,	,,
53.	रतना/हरिराम मोची	,,	2013	3–02	,,	23-6-79
54.	लछु/गुलाब चमार	चमनाजी का पीपलिया	1916	1–00	चमनाजी का पीपलिया	16-12-78
55.	सुरेश/ खटीक	,,	1916	1–01	,,	,,
56.	गुलाबी/देवा बलाई	चनियाखेडी	582 369/2	2–10	चनियाखेड़ी	10-1-83
57.	रामा/देवा चमार	बोरी	315	3–04	बोरी	7-2-83
58.	उदयलाल/मांगीलाल,					
59.	मांगीलाल/दला चमार	बडोदिया	190/1	0–05	बडोदिया	7-1-78
60.	भेरू/नन्दा चमार	बरखेडी	191/76	4–04	बरखेडी	2-12-77
61.	तुलसीराम/हीरा चमार	कनाड	351	5–00	कनाड	20-11-82
62.	मोहनलाल/गोविन्द हरिजन	मोवाई	556	1–00	मवाई	18-4-77
63.	किशन/तुलसीराम दमामी	कोदीनोर	334	7–18	कोदीनोर	14-11-79
64.	किशन/तुलसीराम दमामी	,,	335	0–12	,,	,,
65.	रवा/रामचन्द चमार	मोहेडा	1119	6–17	मोहेडा	27-5-83
66.	वालाराम/शोभाराम बलाई	बोरदिया	216/1	3–15	बोरदिया	15-1-83
67.	मिठुलाल/रूपा चमार	नोगदेडा	98	3–05	नागदेडा	22-2-78
68.	उदी/गंगाराम खटीक	पोलू	753/2	0–16	पोलू	13-7-79

1	2	3	4	5	6	7
69.	नन्दा/भेरा बलाई	अखेपुर	685/1	2–11	अखेपुर	21-2-79
70.	नाथु/रूपा चमार	,,	885/1	1–00	,,	,,
71.	झराकलाल/बगदोरा डोली	टीला	203/12	4–00	टीला	1-9-77
72.	सवो/उदेराम बलाई	,,	203/12	7–00	,,	18-9-81
73.	सावली/दिवा मांगीया चमार	ढलमु	75	3–18	ढलमु	,,
74.	चम्पा/गोविन्द चमार	साजनपुरिया	78	3–00	साजनपुरिया	21-6-79
75.	काना/भुवाना बलाई	हाडोजी का पिपल्या	52/2	1–00	हाडोजी का पिपल्या	18-5-77
76.	पेमा/					
77.	रामलाल/कानाराम गुजर	खेरोट	30/35	45–19	साहनपुन	12-1-83
				260–12		

अवैध हस्तान्तरण होने से अधिग्रहीत की गई भूमि आवंटियों की सूची

वर्ष 1976 से 1984 तक (अ० जनजाति)

क्रम सं.	नाम आवंटी	निवासी	आ. नं	(रकबा बीघा में)	ग्राम	तारीख आवंटन
1	2	3	4	5	6	7
1.	जगदीश/रामलाल मीणा	गोपालपुरा	27	5–00	गोपालपुरा	8–7–77
2.	तेजकरण/किशन मीणा	सिद्धपुरा	27	4–13	सिद्धपुरा	,,
3.	हिरा/गोबरा मीणा	दलेलपुरा	124/2	4–00	दलेलपुरा	8–11–77

1		3	4	5	6	7
4.	मोती/नन्दा मीणा	नांनणा	14	2-09	नांनणा	16-11-77
5.	भंवरलाल/सालगराम मीणा	मचलाना	271/176	2-10	मचलाना	,,
6.	भेरा/भुवान मीणा	नांनणा	74	3-02	नांनणा	,,
7.	लाला/भेरा मीणा	नांनणा	74	3-02	नांनणा	,,
8.	भेरा/धर्मा मीणा	गरदोड़ी	42	3-17	गरदोडी	,,
9.	भाणजी/चमना मीणा	मीरावता	378/1	4-01	मीरावता	18-11-77
10.	नाथू/ऊकार मीणा	मीरावता	297/2	5-10	मीरावता	,,
11.	मोती/कनीराम मीणा	मोहेड़ा	27,1310/ 272	4-06	मोहेडा	18-11-77
12.	भेरू/भुवान मीणा	कुणी	322	4-03	कुणी	16-11-77
13.	बाबरू/रूपा मीणा	चन्देरा	706/1	1-00	चन्देरा	11-10-77
14.	रतना/हमेरा मीणा	भचुण्डला	106/1	8-00	भचुण्डला	15-10-77
15.	मांगीलाल/नागूराम मीणा	,,	106/1	5-00	,,	,,
16.	भुरा/भेरा मीणा	,,	106/1	6-00	,,	,,
17.	नाराण/ऊकार मीणा	अवलेश्वर	1086	1-00	अवलेश्वर	20-5-78
18.	तेजा/भुवान मीणा	पाटनिया	168/157	2-16	पाटनिया	26-5-78
19.	भेरा/बगदीराम मीणा	,,	168/157	5-00	,,	,,
20.	मोती/नन्दा मीणा	नानणा	48/1	5-00	नानणा	,,
21.	दौला/कालू मीणा	कतकड़	499/6	5-00	गतकड़	2-2-77
22.	वजेराम/रोडा मीणा	बनपुरा	52	7-17	बनपुरा	3-8-77
23.	मोती/नन्दा मीणा	नांदणा	48/1	5-00	नांदणा	26-5-78
24.	नाथुराम/केशुराम मीणा	बड़ोदिया	48	2-16	बड़ोदिया	,,

1	2	3	4	5	6	7
25.	जीवा/रामा मीणा	कनाड़	324	7-10	कनाड़	30-5-78
26.	कन्हैयालाल/वरदा मीणा	बरड़िया	1013	1-15	बरड़िया	77-78
			266	2-10	,,	,,
27.	बगदीराम/गोधा मीणा	सिद्धरिया	219	2-17	सिद्धरिया	1-2-78
28.	भेरा/बगदीराम भील	पाटनिया	168/157	5-00	पाटनिया	77-78
29.	मोती/नन्दा मीणा	नांदणा	48			
30.	हीरा/नाथु मीणा	कुनियाखेड़ी	24	4-09	पुनिया खेड़ी	27-11-78
31.	जीवा/रामा मीणा	कनाड़	324	7-10	,,	16-11-78
32.	कचरू/पुनिया मीणा	निनोर	216/1	3-15	निनोर	22-11-78
33.	नगजी/मोती मीणा	देवगढ़	333/8	5-00	देवगढ़	19-12-78
34.	भेरा/दोला मीणा	बिहारा	122/84	4-08	बिहारा	6-12-78
35.	कमजी/दोला भील	,,	133	3-14	,,	18-9-81
36	भोगिया/रूपा मीणा	मचलाना	190	1-10	मचलाना	1978
37.	होमा/घासिया मीणा	दमा खेड़ी	145	2-13	दमाखेड़ी	21-12-78
38.	भंवरलाल/लाला मीणा	,,	631	4-08	,,	5-10-83
39.	केशुराम/थायरा मीणा	पीमलीटापरा	481	3-00	पीपलीटापरा	10-1-83
40.	रामा/खुमा भील	भाटखेड़ी	218/67	5-00	भाटखेड़ी	1983
41.	बाबरू/परथा भील	,,	221/67	1-00	,,	22-10-83
42.	मांगु/दोला मीणा	,,	220/67	2-10	,,	,,
43.	कारू/कोदर मीणा	देवल्दी	218/238/1	6-00	देवल्दी	30-11-82
44.	गोपीचन्द/सुधा मीणा	चूपना	271	5-00	चूपना	27-5-83
45.	गंगाराम/रूपा मीणा	वीरावली	214	4-00	वीरावली	,,

1	2	3	4	5	6	7
46.	बालु बगदीराम सोंलकी	बोरदिया	216/1	3-15	बोरदिया	15-1-78
47.	रतना/तेजा मीणा	निनोर	218/1	2-10	निनोर	22-8-78
48.	गबूरिया/सवां मीणा	बेड़मा	557	2-12	बेड़मा	26-5-83
49.	भेरा रामा मीणा	बनेड़ियाकला	163/1	2-00	बनेड़ियाकला	3-7-82
50.	भग्गा, दीपा मीणा	बरखेड़ी	413/2	2-10	अखेपुर	12-6-79
51.	केशुराम-थावरा मीणा	पीपलीटापरा	41	3-00	पीपलीटापरा	27-11-82
52.	कचरू/रूपा मीणा	नोगावा	594	1-08	नोगांवा	19-8-79
53.	शंकर/नन्दा मीणा	कड़ियावद	776	2-00	कड़ियावद	,,
54.	मोहन/मन्ना मीणा	,,	165	2-02	,,	,,
55.	बरदीबाई बगदीराम मीणा	चेनियाखेड़ी	882/379	2-10	चेनियाखेड़ी	7-2-79
56.	हक्का/रामा मीणा	अखेपुर	585	3-00	अखेपुर	12-6-79
57.	गोदा/नन्दा मीणा	अखेपुर	585	3-00	अखेपुर	,,
58.	रतन नारू मीणा	नागदेड़ा	528	1-10	नागदेड़ा	18-2-81
59.	उदा/हुरजी मीणा	,,	,,	,,	,,	,,
60.	मोहन, गोबरा मीणा	,,	,,	2-00	,,	,,
61.	कमजी देवा मीणा	बिहारा	135	3-14	बिहारा	2-6-81
62.	नाथू/दोला मीणा	,,	135	3-12	,,	,,
63.	शंकरलाल/वकता मीणा	वेलारी	142	3-02	वेलारी	4-1-83
64.	गंगाराम/बालू मीणा	वेलारी	142	3-00	वेलारी	,,
65.	कचरू वाला मीणा	वेलारी	142	3-00	,,	,,
66.	शंकर, भंवर मीणा	बिल्याखेड़ा	29	1-11	बिल्याखेड़ा	4-2-83
67.	रकमा, मोरिया मीणा	चतरपुरा	553	8-08	चतरपुरा	21-1-83

1	2	3	4	5	6	7
68.	रामा खूमा भील	भाटखेड़ी	212/87	5–00	भाटखेड़ी	15–6–83
69.	भंवरलाल/लाला मीणा	बांझनी	63	4–08	बांझनी	,,
70.	दौलतीराम/बगीया	खरखड़ा	578	2–09	खरखड़ा	8–1–83
71.	हरजी/उदा मीणा	बोरिया	395/3	4–00	खोरिया	3–2–83
72.	काला/नाथु मीणा	बरखेड़ी	212/157	2–05	बरखेड़ी	19–1–83
			184/158	1–15	,,	,,
73.	देवीलाल/सालगराम मीणा	बसेरा	170/157	4–00	बसेरा	,,
74.	लाकुड़ा/रतन मीणा	मोवाई	666	4–10	मोवाई	12–1–79
75.	नारू/कशीराम मीणा	रीछावरा	55/2	5–13	रीछावेरा	24–11–78
76.	नन्दा/धन्ना भील	साजनपुरिया	25/2	1–05	साजनपुरिया	12–12–78
77.	खेमा/पेमा भील	,,	26/1	3–14	,,	,,
				284–14		

अन्य

अवैध हस्तान्तरण होने से अधिगृहीत की गई भूमि आवंटियों की सूची वर्ष 1978 से 1984 तक (सवर्ण)

क्र.सं.	नाम आवंटी	निवासी	आ. नं.	रकबा (बीघा में)	ग्राम	तारीख आवंटन
1	2	3	4	5	6	7
1.	रामचन्द्र/नन्दलाल दर्जी	कुलमी पुरा	203/12	4–0	कुलमी पुरा	13–7–77
2.	झामकलाल/बगदीराम तेली	,,	203/12	4–00	,,	,,
3.	उंकार/राधाकिशन तेली	कुणी	320	3–00	कुणी	16–7–77
4.	सुन्दर बेवा लाल गायरी	घोटारसी	558	3–16	घोटारसी	6–7–77
5.	रामलाल/लाला गायरी	,,	555/1	2–03	,,	,,
6.	अम्बालाल/ताराचन्द सुथार	बसाड़	1107	1–15	बसाड़	,,
			1108	0–08	,,	,,
7.	भागीरथ/राधाकिशन कुम्हार	थड़ा	612	2–00	थड़ा	31–8–77
8.	मंगनीराम/भेरा कुम्हार	,,	645	6–15	,,	,,
9.	रामलाल/भगवान तेली	,,	677	6–13	,,	,,
			769	0–19	,,	,,
			771	0–05	,,	,,
10.	नारायण/गोदा कुम्हार	रठाजना	853	1–02	रठाजना	,,
			718	5–00	,,	,,
			854/718	2–01	,,	,,
11.	पन्नालाल/काशीराम कीर	कनोरा	498	1–07	कनोरा	
			499	1–15	,,	
			500	1–04	,,	
			501	1–02	,,	

1	2	3	4	5	6	7
12.	तुलसीराम/जगन्नाथ कुमावत	मानपुरा	423	2–10	मानपुरा	16–11–77
13.	विजयशंकर/नन्दराम ब्राह्मण	"	423	2–08	"	"
14.	अम्बालाल/ताराचन्द सुथार					
14.	कान्तिदास/मुरलीदास वैरागी	कोदीनेरा	559/5	2–15	कोदीनेरा	15–11–75
15.	जयचन्द/धन्ना कुमावत	बड़ोदिया	144	5–07	बड़ोदिया	16–11–77
16.	नानुराम/दल्ला गायरी	"	38	0–12	"	"
			39	0–08	"	"
17.	भंवरलाल/किशन गायरी	मचलाना	250/7	3–12	मचलाना	"
18.	नाबड़ा/नानुराम कुमावत	बड़ोदिया	179	3–10	बड़ोदिया	"
19.	अमरसिंह/गोरधनसिंह	गरदोड़ा	250	1–00	गरदोड़ा	"
			247	1–15	"	"
			249	0–04	"	"
20.	जसवन्तसिंह/रणछोड़ राव	चकुण्डा	66	1–10	चकुण्डा	18–11–77
21.	रघुवीरसिंह/रणछोड़सिंह राव	"	40/2	5–11	"	"
22.	रामचन्द्र/सीताराम राव	"	384/2	2–00	"	"
			385/1	6–00	"	"
23.	खेमचन्द/मांगीलाल	जीरावता	305/1	3–00	जारावता	18–11–87
24.	भगवाना/हक्का कलाल	मीरावता	297/1	6–00	मीरावता	"
25.	नारायण/बगदीराम	बसेरा	59	1–08	बसेरा	26–5–78
26.	सालगराम/चुन्नीलाल माली	खेड़ा (बरडिया)	175	1–18	खेड़ा	21–8–78
			212/3	1–14	"	"
			212/4	1–04	"	"
			742	1–13	"	"

1	2	3	4	5	6	7
27.	शम्भु/ऊंकार लबाना	अखेपुर	685/1	1-11	अखेपुर	12-6-79
			682/2	0-13	"	"
28.	गोपाल/माना लबाना	"	685/1	2-00	"	"
29.	रामसिंह/पर्वतसिंह	बोरी	1072/122	6-00	बोरी	10-5-79
30.	प्रेमा/भगवाना गायरी	बसाड़	1416	2-11	बसाड़	8-1-79
31.	शोकत/मोहम्मद	बसाड़	1416/2	2-10	"	"
32.	शफी मोहम्मद/खुदाबक्श	"	1416/1	2-10	"	"
33.	धूला/भीमा भोई	"	1416/2	2-10	"	"
34.	अल्लानूर/अहमदनूर	रायपुर	423/2	2-00	रायपुर	24-1-81
			413/4	1-08	"	"
35.	बालूराम/रणछोड़ आंजबा	मोवाई	598	5-05	मोवाई	8-2-81
36.	हरीराम/नानूराम गायरी	"	"	5-05	"	"
37.	जमीला/अजीज खां	नागदेड़ा	528	3-00	नागदेड़ा	18-2-81
38.	गुलाम/जुम्मे खां	"	"	1-10	"	"
39.	सरे खां/जुम्मे खां	"	"	1-10	"	"
40.	गुलाम/नबीब खां/जुम्मे खां	"	"	1-10	"	"
41.	पूनमचन्द/देवजी लुहार	"	"	1-10	"	"
42.	अजीज खां/मिजाज खां	सालमगढ़	427	2-08	सालमगढ़	9-7-82
			429	2-07	"	"
43.	अय्यूब/इमामबक्श	तोपाखेड़ा	306/2	4-07	तोपाखेड़ा	28-3-82
44.	मागदीराम/दल्ला दर्जी	खोरिया	93	0-14	खोरिया	25-4-82
			151/100	0-10	"	"

1	2	3	4	5	6	7
45.	रामचन्द्र/तोलीराम तेली	गादोला	249	3–12	गादोला	9–6–82
46.	रमेश/नाथू कुमावत	चमलावदा	2912	0–17	चमलावदा	29–5–83
47.	भूली बाई/गंगाराम कुलमी	बरड़िया	573	1–00	बरड़िया	8–6–82
			574	1–01	”	”
48.	सालगराम/चुन्नीलाल माली	खेड़ा	212/4	1–04	खेड़ा	1978
			742/251/2			
			3	1–13	”	”
			22	0–05	”	”
			23	2–12	”	”
49.	कालूराम/रतन सुथार	मोवाई	666	4–10	मोवाई	12–1–79
50.	भंवरलाल/नन्दाबाई	मोवाई	598	5–05	मोवाई	”
51.	उवाब खां/नत्थे खां	मचलाता	131	2–04	मचलाता	1978
			187/13	0–05	”	”
52.	गोपी/दयाराम गूजर	बरड़िया	175	1–10	बरड़िया	”
			212/3	1–14	”	”
53.	हीरा/हरीराम माली	बसाड़	1766	3–00	बसाड़	8–1–79
54.	नजीर/खुदाबक्श मुसलमान	”	1274/1	3–13	”	”
55.	रतनसिंह/चतरसिंह राजपूत	बरमण्डल	749	1–07	बरमण्डल	10–1–83
56.	रहीम/इमामबक्श	तोफाखेड़ा	373	1–01	तोफाखेड़ा	22–10–83
			371	1–13	”	”
			372	1–09	”	”
57.	अहमद/इमामबक्श मुसलमान	तोफाखेड़ा	310	5–10	”	77–78

1	2	3	4	5	6	7
58.	नानूड़ा/नानूराम कुमावत	बड़ोदिया	197	3–10	वड़ोदिया	77–78
59.	छोटे खां/वजीर खां	देवल्दी	218/238/1	6–02	देवल्दी	30–11–82
60.	प्रतापसिंह/चैनसिंह राजपूत	बोड़ी साखथली	992/3	3–00	बोड़साखथली	17–12–83
61.	कालू/भूरा कनारची	चकुण्डा	374/1	2–00	चकुण्डा	28–1–78
62.	शंकर/हकमा लोहार	कोदीनेरा	558/4	3–00	कोदीनेरा	3–8–77
63.	नारायण/गंगाराम खारोट	खारोलरीछा	230	1–01	रीछा	6–1–78
			231	0–19	"	"
64.	रामचन्द्र/वाला गायरी	कोदीनेरा	334	5–00	कोदीनेरा	14–12–79
65.	प्यारसिंह/नाहरसिंह राजपूत	"	"	5–00	"	"
66.	भूवान/गुलाब गायरी	"	338	0–12	"	"
			339	0–11	"	"
			340	2–17	"	"
			341	2–00	"	"
			342	0–13	"	"
67.	भगवान/गमेत दरोगा	सिंगपुरिया	363	1–13	सिंगपुरिया	"
68.	जानी बाई/किशन गायरी	अरनोद	247	5–19	अरनोद	27–5–83
69.	प्रहलाददास/बालकदास	निनोर	1380/3	3–00	निनोर	22–11–78
70.	रामनारायण/ऊंकार सुथार	"	999	5–05	"	"
71.	मवास खां/अमीर खां	चेनीयाखेड़ी	582/369/1	2–10	चेनियाखेड़ी	7–2–79
72.	हरीराम/मोड़ा दरोगा	अखेपुर	413/2	2–10	अखेपुर	12–6–79

1	2	3	4	5	6	7
73.	पूरणमल/फत्ता तेली	बजरंगगढ़	728/1	0–06	बजरंगगढ़	26–4–82
74.	विजयपुरी/गौतम गुसाई	देवगढ़	333/8	5–00	देवगढ़	19–12–78
75.	रामचन्द्र/देवराम दर्जी	टीला	205/92	4–00	टीला	1–9–77
76.	रामसिंह/बदनसिंह राजपूत	कल्याणपुरा	368	9–00	कल्याणपुरा	24–11–78
			369	3–05	"	"
77.	फकरू/लक्ष्मण लुहार	कचनारा	55/2	5–13	सिंगपुरिया	"
78.	मेघा/कचरू वंजारा	"	"	5–13	"	"
79.	भारतसिंह/राघुजी दरोगा	गरदोड़ा	240	0–16	गरदोड़ा	7–6–79
			244	1–07	"	"
80.	नारायण/गोदा कुम्हार	रठांजना	853/718	0–07	रठांजना	7–1–78
			854/718	2–01	"	"
81.	रमेश/नाथू कुमावत	चमलावदा	292	0–18	चमलावदा	19–6–82
82.	बालूराम/नानूराम सुथार	बिलाखेड़ी	108	1–06	बिलाखेड़ी	7–1–78
			113	2–05	"	"
				294–17		

ग्राम झिपासनी का विद्युतीकरण

484. **श्री नरपतराम बरवड़ (सूरसागर)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम झिपासनी पंचायत समिति मण्डोर, तहसील जोधपुर को 1974 में विद्युतीकृत घोषित कर दिया था ? यदि हाँ, तो क्या इस ग्राम को वास्तव में विद्युतीकृत किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि इस ग्राम के आस-पास के गांवों में आर. ई. सी. का कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो अब भी इस गांव को वंचित क्यों रखा जा रहा है ?

(3) क्या सरकार इस गांव को 1974 में विद्युतीकृत नहीं करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम जेपासनी (कोड सं. 13/4/20) विधिवत् दिनांक 21.1.74 को विद्युतीकृत गिया गया है।

(2) जी हां। इस गांव के समीप के गांवों को विद्युत मण्डल के वर्ष 1983-84 के कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया था। चूंकि ग्राम जेपासनी पहले से ही विद्युतीकर दिया गया है इसलिए इसे पं. स. मण्डोर की आर. ई. सी. स्कीम में नहीं लिया गया।

(3) ग्राम जेपासनी वर्ष 1974 में विद्युतीकृत किया गया है। अतः कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

पीपल्दा क्षेत्र में बसों का नियत समय पर न चलना

485. **श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)** : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र के गुढ़ला, खातोली, गैंता, पीपल्दा, गनेशखेड़ा, मांगरोल आदि के लिए कोटा, बून्दी, बारां, तथा झालावाड़ डिपो से चलने वाली बसों के समय पर नहीं चलने की वजह से सवारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मार्गों पर चलने वाली बसों की संख्या भी बहुत कम है जिससे बसों में भारी भीड़ हो जाती है ?

(3) यदि हां, तो इसका क्या कारण है तथा उक्त समस्याओं को दूर करने हेतु सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की तथा क्या की जा रही है ?

(4) क्या सरकार जनहित को मद्देनजर रखते हुए उक्त समस्याओं का शीघ्र हल निकालेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) उक्त मार्गों पर उपलब्ध यात्री भार के अनुसार पर्याप्त बस सेवायें संचालन हेतु निधारित हैं।

(4) ऐसी कोई विशिष्ट समस्यायें विद्यमान नहीं हैं, अत: शीघ्र हल निकालने का कोई प्रश्न नहीं है।

जिला जालोर की एस. पी. ए. स्कीम

487. **श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति भीनमाल व पंचायत समिति सायला जिला जालोर के किन-किन गांवों की एस. पी. ए. स्कीम बनाई गई है?

(2) उक्त स्कीमें किस स्टेज पर हैं एवं इनकी स्वीकृति कब तक प्राप्त हो जायेगी? कृपया जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति भीनमाल तथा पंचायत समिति सायला की एस. पी. ए. श्रेणी की योजनाओं के अन्तर्गत उक्त पंचायत समितियों के क्रमशः 43 व 26 विद्युतीकृत ग्रामों में कृषि कनेक्शन दिया जाना प्रस्तावित है। इन ग्रामों की सूची 'अ' सदन के पटल रख दी गई है। इन योजनाओं में नये ग्रामों का विद्युतीकरण प्रस्तावित नहीं है।

(2) उक्त प्रस्तावित योजनायें ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा अभी हाल ही (मार्च, 84) में स्वीकृत की गई हैं।

सूची 'अ'

पंचायत समिति भीनमाल सायला की स्वीकृत एस.पी.ए. श्रेणी की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित विद्युतिकृत ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम
1.	भीनमाल
2.	नारता
3.	निम्बोरा
4.	निम्बावास
5.	दासपां
6.	कोरा
7.	भागल सेप्टा
8.	नासोली
9.	बोरता
10.	लेदमेर
11.	पुनासा
12.	फागोतरा
13.	नोहंरा
14.	भारवी
15.	जोगाउ
16.	सारियाना
17.	डूंगरवास
18.	कूका
19.	थोबाउ
20.	घुम्बड़िया
21.	गांवड़ी
22.	भालनी
23.	बाली
24.	मेड़ा ब्राह्मणान
25.	नरसाना
26.	राह
27.	सेवड़ी
28.	मिडावास
29.	दामन
30.	कालेटी
31.	लूनावा
32.	चैनपुरा
33.	राऊता
34.	जैंतू
35.	बागोड़ा
36.	लाखनी
37.	मोरसीम
38.	काबतरा
39.	अरनू
40.	बामावास
41.	भागल भीम
42.	जजानी
43.	जेरन

पंचायत समिति सायला

क्र.सं.	ग्राम का नाम
1.	आसाना
2.	तुरा
3.	चोराउ
4.	बोरवाड़ा
5.	पोसाना
6.	उनड़ी
7.	देता खुर्द
8.	विशाला

क्र.स.	ग्राम का नाम
9.	माडकवाणा
10.	देताकलां
11.	पुनराउ
12.	कोमता
13.	पुनावास
14.	सुराणा
15.	हरमू
16.	नारवाड़ा
17.	तिलोड़ा
18.	दाधाल
19.	बालेरा
21.	मोकनी खेड़ा
21.	बाबतरा
22.	मेंगलवा
23.	कतरासन
24.	बाकरा
25.	पिजोपुरा
26.	तड़वा

जयपुर नगर में सी. टी. एस. बसों का संचालन

488. **श्रीमती उजंला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)**: क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नगर में चल रही सी. टी. एस. बसें कुछ रूट्स पर बन्द कर दी गई हैं? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या जयपुर नगर के उक्त रूट्स पर पुनः सी. टी. एस. बस चलाये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार को इस विषय में जनता की ओर से मांग-पत्र मिले हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या विनिश्चय किया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां। नगरीय सेवाओं की बसों के संचालन से निगम को हो रहे लगातार घाटे को दृष्टिगत रखते हुए जयपुर शहर में परिवहन निगम ने सी. टी. एस. बसों का संचालन बन्द कर दिया है तथा इनके स्थान पर निजी वाहन स्वामियों को अनुज्ञा पत्र प्रदान किये गये हैं।

(2) जी नहीं। वर्तमान में नगरीय सेवाओं के मार्गों पर पर्याप्त संख्या में निजी बसें संचालित हैं। अतः परिवहन निगम की बसें चलायी जाने का प्रश्न ही नहीं है।

(3) जी हां। नगर के विभिन्न मार्गों पर पर्याप्त संख्या में निजी बसें संचालित होने के कारण परिवहन निगम की सी. टी. एस. बसों के पुनः संचालन की आवश्यकता नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र मकराना के गांवों का विद्युतीकरण

489. **श्री अब्दुल रहमान चौधरी (मकराना) एवं श्री रामेश्वर लाल (नावां)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(श्री अब्दुल रहमान चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मकराना के 85 गांवों का विद्युतीकरण करने की स्कीम 1980–81 में स्वीकृत की गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त 85 गावों को वर्ष 1983-84 तक विद्युतीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ? यदि हां, तो अब तक कितने गांवों का विद्युतीकरण हुआ है और बाकी कब तक हो जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं, योजना का कार्यकाल अभी शेष है। पंचायत समिति मकराना की स्वीकृत योजना के 40 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मण्डल के वर्ष 1983–84 के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में 11 ग्रामों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य था, जिनमें से सभी ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है। शेष ग्रामों का विद्युतीकरण अगले वर्ष में धन एवं विद्युत की उपलब्धि पर निर्भर करेगा। अतः इन सब गांवों का विद्युतीकरण कब तक हो जावेगा इसके बारे में अभी निश्चित रूप से कहना सम्भव नहीं है।

निर्वाचन क्षेत्र चूरू के गांवों का विद्युतीकरण

490. **श्री भालू खां** (चूरू) एवं **श्री रेवतराम चौधरी** (डूंगरगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले तीन साल में निर्वाचन क्षेत्र चूरू में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि चूरू तहसील के 25 गांवों का विद्युतीकरण होना बाकी है ? यदि हां, तो इनका विद्युतीकरण कब तक हो जायेगा ?

उत्तर

(1) वर्ष 1980–81 से वर्ष 1983–84 (फरवरी, 84 तक) तक चूरू विधान सभा क्षेत्र (तहसील चूरू) के 12 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है।

(2) चूरू तहसील में कुल 90 ग्राम हैं, जिनमें से माह फरवरी, 84 तक 59 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है एवं 31 गांवों का विद्युतीकरण शेष है। शेष अविद्युतीकृत गांवों के सर्वेक्षण के निर्देश दिये गये हैं जिनकी योजना तैयार होने एवं योजना स्वीकृत होने के उपरान्त ही विद्युतीकरण के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना सम्भव होगा।

परिशिष्ट 5

अतारांकित प्रश्न संख्या 577 की सूची

सूची अतिक्रमण गोचर भूमि दिसम्बर 1983 तक तहसील सवाईमाधोपुर

क्र० सं०	नाम ग्राम पंचायत	रकबा बीघा	बिस्वा
1	2	3	4
1.	मुई	36	5
2.	पांचालास	187	10
3.	चितारा	28	15
4.	शेरपुर	122	—
5.	इटांवा	23	10
6.	दूमोदा	15	15
7.	रवाजना चौड़	23	16
8.	करयोदा	85	8
9.	जीनापुर	92	15
10.	डागरवाड़ा	33	9
11.	सहतोड़ा	13	—
12.	कुवतला	169	4
13.	फलौदी	9	—
14.	डेकवा	130	7
15.	खिलचीपुर	4	10
16.	सुनारी	3	2
17.	श्यामपुरा	7	14
18.	रागड़ी	9	8
19.	सूरवाल	2	2
20.	आटूकला	8	18
21.	सेलू	39	18
22.	चकेरी	40	15
23.	रावल	11	13
24.	छारोंदा	26	15
25.	ओलवाड़ा	—	10
26.	पाड़ाना	33	1

(338)

1	2	3	4
27.	जटवाड़ा कला	2	18
28.	अजमोटी	82	8
29.	चौथ का बरवाड़ा	214	17
30.	टापुर	112	2
31.	महापुरा	50	4
32.	सिवाड़	77	16
33.	सारसोप	14	5
34.	ईसरदा	125	10
35.	डिंढायच	91	10
36.	झोंपड़ा	15	17
37.	पावदेरा	86	1
38.	रजवाना	102	15
39.	बलरिया	77	2
40.	भेडोला	85	5
41.	बन्जारी	6	—
42.	भगवतगढ़	287	6
43.	आदलवाड़ाकला	132	18
44.	जौला	69	9
	कुल योग	2725	बीघा 3 बिस्वा

———

परिशिष्ट 6

परिशिष्ट–"क"

अतारांकित प्रश्न संख्या 579 की सूची

जागीर विभाग में वर्तमान में स्वीकृत पदों का विवरण :—

(वर्तमान में भू-प्रबन्ध आयुक्त बतौर जागीर आयुक्त का कार्य कर रहे हैं)

जागीर आयुक्त कार्यालय, जयपुर

(1) विधि परामर्श दाता	एक (अंशकालीन)
(2) लेखाकार	एक
(3) सहायक	एक
(4) वरिष्ठ लिपिक	एक
(5) कनिष्ठ लिपिक	एक
(6) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	एक

जिला कार्यालय

(1) वरिष्ठ लिपिक	5 (पांच पद, जयपुर, भरतपुर, अलवर व उदयपुर में एक-एक पद)

कार्यालय उप जिलाधीश, गंगानगर

(1) उप जिलाधीश	एक
(2) कनिष्ठ लेखाकार	दो
(3) जागीर निरीक्षक	दो
(4) वरिष्ठ लिपिक	दो
(5) कनिष्ठ लिपिक	एक
(6) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	दो

(340)

परिशिष्ट–"ख"

जागीर आयुक्त कार्यालय, जयपुर में शेष कार्य

(1) मुआवजे दावे	15
(2) निजी सम्पत्ति के दावे	12
(3) खुदकाश्त भूमि आवंटन वादद	12
(4) पेन्शन केसेज	16
(5) विभिन्न न्यायालयों में चल रहे वाद	
(क) सर्वोच्च न्यायालय	1
(ख) उच्च न्यायालय	33
(ग) राजस्व मण्डल	19
(घ) जिला कार्याल ों में	11

परिशिष्ट–"ग"

जागीर आयुक्त कार्यालय में विचाराधीन प्रकरण 15 (मुआवजे दावों) का विवरण

क्र० सं०	नाम जागीर	जिला	नाम जागीरदार	विचाराधीन होने का दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
(1)	मन्दिर श्री बाला नन्द जी	जयपुर	महन्त श्री लक्ष्मण दास	12–1–61	नोट–इन स ी पुराने विवादास्प द
(2)	गोपालपुरा	चूरू	श्री हनुवन्तसिंह वगैरह	27–5–80	प्रकरणों में विधि प्रक्रिया अपनाई
(3)	डिग्गी	टोंक	श्री नारायण सिंह	8–3–82	जाती है अतः
(4)	आहोर	जालौर	श्री पृथ्वी सिंह वगैरह	28–1–84	शहादत सबूत

1	2	3	4	5	6
(5)	डोली महादेव जी जूनागढ़	पाली	महन्त श्री नारायण पुरी	27–7–78	आदि की कार्यवाही सम्पन्न होने का व द ही इनका निपटारा किया जाना संभव है।
(6)	श्रीनाथद्वारा	उदयपुर	मन्दिर श्री विट्ठल नाथ जी	3–1–78	
(7)	लवाण	जयपुर	श्री अरविन्द कुमार सिंह	1–7–55	
(8)	भोपालगढ़	भीलवाड़ा	श्री प्रेतापसिंह	6–5–83	
(9)	सियाणा	जालोर	श्री गणपति सिंह वगैरह	29–12–64	
(10)	चौटीला	पाली	श्री जोग सिंह वगैरह	7–5–81	
(11)	सुरेना डूंगर	जयपुर	श्री श्रीनिवास शर्मा	18–1–83	
(12)	रामनिवासपुरा	जयपुर	श्री रमेशचन्द्र शर्मा	18–6–82	
(13)	बाकरा	झुन्झुनू	वक्फ कमेटी दरगाह फारूकियान, झुन्झुनू	5–12–81	
(14)	निमेडाकलां	पाली	श्री रूपेन्द्र सिंह वगैरह	2–11–62	
(15)	सेवन्त्री अकोदडा	उदयपुर	मन्दिर श्री रूपनारायण जी	11–11–67	

परिशिष्ट–'घ"

जागीर आयुक्त कार्यालय में विचाराधीन प्रकरण 12 (निजी सम्पत्ति) के दावों का विवरण

क्र. सं.	नाम जागीर	जिला	नाम जागीरदार	विचाराधीन होने का दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	काशीपुरा	जयपुर	महन्त श्री अनन्तद्रविड	3-10-80	नोट–इन सभी
2.	बोरावड	नागौर	श्री रणजीतसिंह	3-11-73	पुराने विवा-

(342)

1	2	3	4	5	6
3.	बड़ेमथुरेशजी	कोटा	मन्दिर श्री बडेमथुरेश जी, कोटा	9-2-82	दास्पद प्रकरणों में विधि
4.	सस्तासर	बीकानेर	श्रीमती रानी इन्द्रकंवर बेवा राव बल्देवसिंह	1-2-69	प्रक्रिया अपनाई जाती है अतः
5.	बेगू	चित्तौड़गढ़	राव श्री हरिसिंह	30-11-66	शहादत सबूत
6.	भेसडाकलां	उदयपुर	श्री लोकेन्द्रसिंह वगैरह	18-4-73	आदि की
7.	नाथद्वारा	उदयपुर	मन्दिर श्री नाथजी नाथद्वारा	26-11-76	कार्यवाही
8.	सामोद	जयपुर	रानी जयन्ताकुमारी वगैरह बेवा रावल राजेश्वरसिंह	13-4-77	सम्पन्न होने के बाद ही
9.	आमेट	उदयपुर	श्री गोविन्दसिंह	4-9-63	इनका निप-
10.	छोटारामद्वारा	जयपुर	महन्त श्री रामस्वरूप	9-6-81	टारा किया
11.	कानोड	उदयपुर	श्री करणसिंह	30-12-83	जाना सम्भव
12.	रामा	उदयपुर	श्री दुल्हेसिंह बनाम श्री अखेसिंह	30-12-83	है।

परिशिष्ट—"ड"

जागीर आयुक्त कार्यालय में विचाराधीन प्रकरण 12 (खुदकाश्त भूमि आवंटन) वादों का विवरण :—

क्र. सं. 1	विषय विचाराधीन प्रकरण 2	विचाराधीन होने का दिनांक 3	विशेष विवरण 4
1.	श्री रूपचन्द्र माथुर भूतपूर्व जागीरदार डीडवाना, जिला नागौर	13-5-75	नोट—इन सभी नौ प्रकरणों में
2.	श्री गोविन्दलाल ,, ,,	,, ,,	भूतपूर्व जागीर-
3.	श्री मोहनलाल ,, ,,	,, ,,	दारान द्वारा
4.	श्री सुभाषचन्द्र ,, ,,	,, ,,	माननीय उच्च
5.	श्री फतेहचन्द्र ,, ,,	,, ,,	न्यायालय जोध-
6.	श्री मदनचन्द्र ,, ,,	,, ,,	पुर में रिट

1	2	3		4
7.	श्री सज्जनचन्द्र	भूतपूर्व जागीरदार	13-5-75	याचिकायें दायर कर वहां से स्थगन आदेश प्राप्त कर इस न्यायालय में प्रस्तुत कर देने के कारण अग्रिम कार्यवाही रुकी हुई है।
8.	श्री प्रकाशचन्द्र	,, ,,	,, ,,	
9.	श्री आनन्दीलाल	,, ,,	,, ,,	
10.	श्री भौंरीलाल वगैरह निवासी पूनखरवास अलवर बनाम श्री लक्ष्मनसिंह वगैरह निवासी द्वारकापुर, अलवर	,, ,,	4-8-83	नोट— 2. अन्य तीन प्रकरणों में विधि प्रक्रिया के अन्तर्गत शहादत सबूत कार्यवाही सम्पन्न होने के बाद ही इनका निष्पादन किया जाना संभव है।
11.	श्री मोहनसिंह भूतपूर्व जागीरदार विजयपुरा (जयपुर) बनाम राज्य सरकार		27-2-84	
12.	श्री तेजसिंह भूतपूर्व जागीरदार बागावास जिला जयपुर बनाम राज्य सरकार		1-3-84	

———

(344)

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 580 की सूची

आमेर से अचरोल तक दिल्ली रोड पर लम्बे सड़क सिवायचक काश्त की खातेदारी भूमि व गांवों के नाम रास्तों पर नाजायज कब्जे की सूची तहसील आमेर जिला जयपुर।

क्र. सं. 1	नाम ग्राम 2	ख. नं. 3	रकबा 4	नाम खातेदार 5	अवैध निर्माणकर्ता 6	वि. वि. 7
1.	अचरोल	1222	90×50 वर्ग फुट	पदमा, सूरमा, घासीरामधन श्योराम, नानगराम विजय शंकर गूजर	रामधन श्योराम कालूराम नंदू पि. नानगराम	90ए की कार्यवाही जेरकार है।
2.	,,	,,	10×8	,,	डूंगा पुत्र कल्लू	,,
3.	,,	,,	,,	,,	प्रेम पुत्र सुरमा	,,
4.	,,	,,	10×21	,,	टोलू माली	,,
5.	,,	,,	,,	,,	राधेश्याम मोदी	,,
6.	,,	,,	,,	,,	तारा चंद पुत्र कल्लू माली	,,
7.	,,	,,	,,	,,	सरदारमल माली	,,
8.	,,	,,	,,	,,	बिरदी चंद माली	,,
9.	,,	,,	,,	,,	छोटू कल्लू माली	,,
10.	,,	,,	,,	,,	कजोड़ पुत्र कल्लू	,,
11.	,,	,,	,,	,,	प्रभात अहीर	,,
12.	,,	,,	,,	,,	मंगला खाती	,,
13.	,,	,,	,,	,,	लल्लू खाती	,,
14.	,,	,,	,,	,,	हरिनारायण नाई	,,
15.	,,	,,	,,	,,	भूरा कुम्हार	,,
16.	,,	,,	8×21	,,	श्योनारायण	,,
17,	,,	,,	20×21	,,	हनुमान गुजर	,,
18.	,,	,,	,,	,,	रामनारायण बागड़	,,
19.	,,	,,	10×21	,,	बाबूलाल नाई	,,
20.	,,	,,	40×21	,,	बसन्तीलाल	,,
21.	,,	,,	20×21	,,	सीताराम बागड़	,,
22.	,,	,,	40×21	,,	मोहनलाल	,,
23.	,,	,,	6×21	,,	नानू खाती	,,
24.	,,	,,	45×21	,,	प्रभात/रूडा	,,

1	2	3	4	5	6	7
25.	अचरोल	793, 794	10×18	पी.डब्ल्यू.डी	हरिनारायण	पी. डब्ल्यू. डी.
26.	,,	,,	,,	,,	रामनारायण पुत्र केशा	के कार्यालय से संबंधित
27.	,,	,,	,,	,,	गोदराम पुत्र चौथू	,,
28.	,,	,,	,,	,,	टोडूराम पुत्र छाजू	,,
29.	,,	,,	,,	,,	भैरू पुत्र राम प्रताप	,,
30.	,,	,,	40×18	,,	भगवान पुत्र भैरू	,,
31.	,,	,,	10×18	,,	हनुमान पुत्र लादू गूजर	,,
32.	,,	,,	20×18	,,	मांगला पुत्र इन्दू खां	,,
33.	,,	,,	,,	,,	चौगान	,,
34.	,,	793,794	10×18	पी. डब्ल्यू. डी.	नारायण पुत्र मांगू	,,
35.	,,	,,	,,	,,	कन्हैयालाल/हीरालाल	,,
36.	,,	,,	,,	,,	रामलाल/चेनाराम	,,
37.	,,	,,	,,	,,	किशोरीलाल	,,
38.	,,	,,	,,	,,	रामकिशोर/रामविलास	
39.	,,	,,	,,	,,	रामगोपाल/रामनिवास	,,
40.	,,	,,	,,	,,	नानूराम/श्यामलाल	,,
41.	,,	,,	,,	,,	चैंदाराम/भैरू अहीर	,,
42.	कूकस	150	40×21	बद्री पुत्र मंगला	बद्री पुत्र मंगला नाई कूकस	बेदखल एवं जब्त सरकार किया जा चुका है,
43.	,,	155	11	प्रभाती पुत्र प्रभात	ग्यारसीलाल पुत्र शिवनाथ	
44.	,,	151	11×21	सिवायचक	कजोड़ पुत्र आनन्दीलाल बलाई	90 ए की कार्यवाही जेरकार
45.	,,	,,	13×11	,,	जगदीश पुत्र बद्री ब्राह्मण कूकस	
46.	आमेर	715	32×36	,,	तेजसिंह पुत्र रामसिंह राजपूत कुण्डा	91 की कार्यवाही से बेदखल कर दिया है।
47.	,,	,,	20×15	,,	हरदयाल पुजार कूकस	91 की
48.	,,	,,	,,	,,	कैलाश सैन कुण्ड	कार्यवाही चालू है।
49.	,,	1035	32×35	,,	गोपी पुत्र जोधा कुण्डा	रूपान्तरण शुल्क जमा हो चुका है।
50.	,,	,,	25×52	,,	गप्पू पुत्र कालू कुण्डा	,,

1	2	3	4	5	6	7
51.	आमेर	1052	25×52	सिवायचक	बिजली विभाग, आमेर	91 की कार्य जैरकार है।
52.	,,	1027/2	16×18	,,	यासीन खां पुत्र सुलेमान खां, आमेर	,,
52.	,,	,,	8×10	,,	मोहन पुत्र दुर्गा सहाय	तहसील में केस विचारा.
53.	अचरोल	710	27×30	जै. मु. पहाड़	भगवान पुत्र भैंरू बुनकर अचरोल	ए. डी. एम. कोर्ट में केस विचारा.
54.	,,	,,	,,	,,	पैमा पुत्र सुरमा अचरोल	447 आई पी. सी. का इस्त ए.एम. जे.एम.कोर्ट नं. 2 में विचाराधीन
55.	,,	,,	,,	,,	गोपाल ठेकेदार	,,
56.	,,	,,	,,	,,	चन्द्रा पुत्र नाथू	,,
57.	,,	,,	,,	,,	लछीराम अचरोल	,,
58.	,,	,,	,,	,,	डूंगा पुत्र कल्लू अचरोल	,,
59.	,,	,,	,,	,,	नारायण पुत्र नाथू माली अचरोल	,,
60.	,,	,,	,,	,,	मुरली पुत्र धीरज	,,
61.	,,	,,	,,	,,	बिरधु पुत्र लादू बलाई	,,
62.	,,	,,	,,	,,	हनुमान पुत्र बिरधु माली	,,
63.	,,	,,	27×10	,,	बिरधू पुत्र लादू बलाई	,,
64.	,,	,,	,,	,,	हनुमान पुत्र लादू गूजर	,,
65.	,,	,,	,,	,,	जगन्नाथ अचरोल	,,
66.	,,	,,	,,	,,	रामनारायण पुत्र कुण्डाराम	,,
67.	,,	,,	,,	,,	जगदीश अहीर अचरोल	,,
68.	,,	,,	,,	,,	भगवान पुत्र गुल्ला माली	,,
69.	,,	,,	,,	,,	भोरिया पुत्र बिरधु गूजर	,,
70.	,,	,,	,,	,,	भगवान पुत्र चन्दा अहीर	,,

———

347

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 582 की सूची

राज्य की जिन पंचायत समिति मुख्या वासों पर
तहसील या उपतहसील मुख्यालय नहीं हे, की सूची।

क्र. सं. 1	नाम जिला 2	नाम पंचायत समिति मुख्यालय 3
1.	जिला अलवर	1. उमरेण
2.	जिला भरतपुर	2. सेवर
3.	जिला जयपुर	3. झोटवाड़ा
		4. बांदीकुई
		5. दूदू
		6. गोविन्दगढ़
4.	जिला झुंझुनू	7. सूरजगढ़
5.	जिला सीकर	8. पिपराली
6.	जिला टोंक	9. उनियारा (मुख्यालय अलीगढ़)
7.	जिला अजमेर	10. श्रीनगर
		11. पीसांगन
		12. जवाजा
		13. मसूदा
		14. किशनगढ़ (मुख्यालय सिलौरा)
		15. अराई
8.	जिला झालावाड़	16. डग
9.	जिला बाड़मेर	17. बालोतरा
		18. धोरीमन्ना
		19. बायतु
		20. सिणधरी
10.	जिला कोटा	21. चेचट (मुख्यालय खैराबाद)
		22. सुल्तानपुर
		23. हटावा

क्र० सं०	नाम जिला	नाम पंचायत समिति मुख्यालय
11.	जिला जालौर	24. जसवन्तपुरा
12.	जिला जोधपुर	25. मण्डोर
		26. बाय
13.	जिला नागौर	27. मूण्डवा
14.	जिला पाली	28. रानी स्टेशन
15.	जिला भीलवाड़ा	29. सुवाना
16.	जिला चित्तौड़गढ़	30. भैंसरोडगढ़
17.	जिला बांसवाड़ा	31. सज्जनगढ़
		32. बांसवाड़ा (मुख्यालय तलवाड़ा)
18.	जिला डूंगरपुर	33. बिछीवाड़ा
19.	जिला उदयपुर	34. खड़गांव
		35. खमनौर

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 583 की सूची

फहरिस्त चरागाह पंचायतवार तहसील-चाकसू

क्र. सं.	नाम पंचायत	क्षेत्रफल चरागाह	हैक्टेयर
1	2	3	4
1.	कुम्हारियावास	759।।)	192
2.	चन्दलाई	326।)3	83
3.	शिवदासपुरा	368)4	93
4.	बाड़ा पदमपुरा	731।।।)2	185
5.	काठावाला	1280।।।)4	324
6.	करेड़ा खुर्द	670।।।)4	170
7.	आकड़िया	1000।।)3	253
8.	हरिपुरा	503।।।)4	128
9.	तितरिया	1105।।।)3	280
10.	टूटोली	1561।।)	395
11.	कादेड़ा	1173।)4	297
12.	तामड़िया	1313।।।)4	332
13.	टूमलीकावास	1127।)4	285
14.	थली	736।।।)2	186
15.	कोथून	1301।।)4	329
16.	गिरधारीलालपुरा	994।।।)1	252
17.	माधोसिंहपुरा	1386)3	350
18.	छादेलकलां	1085।।)1	274
19.	निमोड़िया	1607।)3	406
20.	बापूगांव	1032।)3	261
21.	बडौदिया	429)3	109
22.	मण्डालियामंदा	906।।।)2	229
23.	रूपाहेड़ीकला	652)4	165
24.	महादेवपुरा	588।)	149

350

1	2	3	4
25.	खेड़ारानीवास	149)2	38
26.	कोटखावदा	836।।।)4	212
27.	राड़ौली	727।।)4	184
28.	गरूडवासी	551।।।)4	251
29.	ठीकरिया गूजरान	1186।)	300
30.	देहलाला	434।।।)2	110
31.	रामनगर	786।।)4	199
32.	झापदांकला	876।)2	222
33.	ठीकरिया मीनान्	914)4	231
34.	कस्बा—चाकसू	1253।)1	317
	कुल योग	30804।)2	7791

सूची 'क'

वर्ष 1972 में उपलब्ध सिवाब चक एवं चरागाह तहसील सांगानेर, जिला जयपुर

क्र.सं	नाम पंचायत पटवार मण्डल	1972 में काबिल काश्त सिवाय चक भूमि		1972 में उपलब्ध चरागाह भूमि	
		किता	रकबा	किता	रकबा
1	2	3	4	5	6
1.	अवानिया	14	21)	67	858।।।)2
2.	दहमीकला	37	136।)3	60	1109।।।)2
3.	बगरूकला	265	1651।।)2	70	1560।।)3
4.	रामपुरा ऊंती	61	581।।)1	19	494।)1
5.	भमोरिया	33	71)4	120	1192।।)3
6.	ठीकरिया	11	148।)3	25	642।।)
7.	भांकरोटा	5	519	11	134)1
8.	महापुरा	12	13)1	24	341।)2

1	2	3	4	5	6
9.	अजयराजपुरा	39	23)4	48	285।।)
10.	कलवाड़ा	73	189)1	32	673)
11.	जयसिंहपुरा	15	358।।।)2	19	436।।)3
12.	नेवटा	27	231)4	25	825)2
13.	पंवालिया	8	7।)	64	357।।।)1
14.	कंपुरावालां	10	45।।।)3	7	153)2
15.	मुहाना	22	315।।।)4	9	88।।)
16.	लाखना	31	56।।)3	48	263)2
17.	मांग्यावास	39	183।)4	11	283।)
18.	कल्याणपुरा	85	861।)	24	720)4
19.	दादिया	11	29।।।)2	6	53)1
20.	छोड़ी गोकुलपुरा	7	24।।।)3	5	181।)1
21.	शिकारपुरा	38	138।।।)2	43	512)3
22.	श्रीराम की नांगल	13	43।।।)1	17	365।।।)2
23.	श्योपुरा	71	442।।।)2	27	772।।।)
24.	सांगानेर	35	68।।)	37	130।।।)
25.	दुर्गापुरा	2	1।।।)1	2	17।)3
26.	जगतपुरा	46	237।।।)	16	588।।)2
27.	जयपुर	14	58।)2	65	541)3
28.	खोह नागोरिया	65	98।।।)2	17	181)
29.	लूनीयावास	190	864।।)1	36	755।।)
30.	दांतली	—	—	23	341।)3
31.	गोनेर	—	—	31	222।।)3
32.	विधानी	64	218।।।)1	31	673।)3
33.	बीलवा	15	14।)	13	179।)2
34.	मोहनपुरा	9	19।।)1	19	121)4
35.	वाटीका	28	82।।)3	74	1046)1
	योग	1395	7241।।)	1147	16132।।।)2

4050 हैक्टेयर चरागाह

1820 हैक्टेयर सिवायचक

फहरिस्त काबिल काश्त सिवायचक 1972 पंचायतवार तहसील-चाकसू

क्र.सं.	नाम पंचायत	रकबा	हैक्टेयर
1	2	3	4
1.	कुम्हारियावास	।।)1	·202
2.	काठावाला	5।।।)4	1·505
3.	करेड़ा	3।।।)1	0·961
4.	आकोड़िया	97)	24·533
5.	हरिपुरा	1।।।)4	·493
6.	तितरिया	11)1	2·858
7.	टूटोली	2)	·506
8.	कांदेड़ा	149)1	37·698
9.	ताम्ड़िया	4।)2	1·101
10.	टूमलीकावास	128)1	32·387
11.	थली	3)2	·785
12.	नगरपालिका चाकसू	102।।।)2	26·013
13.	कोथून	3।।)4	·936
14.	गिरधारीलालपुरा	41।।)	10·496
15.	सवाईमाधोसिंहपुरा	226)2	57·186
16.	छांदेलकलां	4।।)4	1·189
17.	निमोड़िया	7।)3	1·872
18.	बापूगांव	20।)	5·122
19.	बड़ौदिया	5।।।)	1·456
20.	मण्डालिया मेंदा	143)3	36·206
21.	खेड़ारानीवास	5)	1·266
22.	राड़ौली	23)4	5·869
22,	गरुड़वासी	50।।।)2	12·861
24.	ठीकरिया गूजरान	33।।।)4	0·588
25.	देहलाला	155।।।)4	39·443
26.	झापदांकलां	8।।।)2	·238
27.	ठीकरिया मीणान	62।)3	15·982
28.	कोटखावदा	70।।।)3	17·932

1	2	3	4
29.	शिवदासपुरा	137।)1	34 725
30.	चन्दलाई	86।।)4	21·929
31.	बाड़ापदमपुरा	107)4	27·113
32.	महादेवपुरा	112।।।)	28·517
33.	रामनगर	52।।)	13·278
34.	रूपाहेड़ी कलां	8।।।)1	2·225
	कुल योग	1879)2	475·261

सूची 'ख'

तहसील चाकसू में गोचर व सिवायचक भूमि वर्ष 72 में थी उसमें से निम्न भूमि पर सूची में वर्णित व्यक्तियों के खिलाफ अपील से रिमान्ड होने पर तहसीलदार कोर्ट में वर्तमान में विचाराधीन है :–

क्र.सं.	नाम अतिक्रमी मय वल्दियत	नाम ग्राम	ख.न.	रकबा बीघा	किस्म जमीन	वि.वि.
1.	श्री चन्द्रा पुत्र रामू जाट नि. डूसरी	डूसरी	118	4)2	चरागाह	ग्रा.पं.कादेडा 1·037
2.	,, श्योकरण पुत्र रामचन्द्र जाट डूसरी	डूसरी	118	5)	चरागाह	1·265
3.	,, सुवा पुत्र धन्ना जाट डूसरी	डूसरी	118	11)	चरागाह	2.782
4.	,, सुज्या पुत्र भूरा जाट डूसरी	डूसरी	118	8)	चरागाह	2.023
5.	,, नारायण पुत्र भूरा जाट डूसरी	डूसरी	118	1।)	चरागाह	·316
6.	,, श्योजी पुत्र गोपाल जाट डूसरी	डूसरी	118	6)	चरागाह	·518

(354)

सूची 'स'

सूची काश्त योग्य खाली भूमि तहसील सांगानेर क्षेत्र वर्ष 1979–80

तहसील सांगानेर जि. जयपुर

क्र.सं.	नाम ग्राम	किता	रकबा	वि. विवरण
1	2	3	4	5
1.	पालड़ी परजा	—	25।।)	
2.	श्योसिंहपुरा	—	17।।)	
3.	भमोरिया	—	12।)	
4.	खटवाडा	—	।।।)1	
5.	कलवाड़ा	—	2।।।)4	
6.	टीलावाला	—	1।)1	
7.	कल्याणपुरा	—	24)	
8.	वाटीका	—	।।)2	
9.	भाकरोटा खुर्द	—	51।।।)3	
10.	झालाना चौड़	—	290।।।)1	सीलिंग के अन्तर्गत अधिग्रहण की है परन्तु स्थगन आदेश है।
11.	रमजानीपुरा	—	22।3	
12.	पालड़ी मीना	—	4।।)1	
	योग	—	454।।)3	

सूची 'स'

फहरिस्त का बिल काश्त (सिविल चक) पंचायतवार त. चाकसू जिला–जयपुर
विधान सभा प्रश्न संख्या 427

क्र सं.	नाम पंचायत	रकबा	हेक्टेयर
1.	टूटोली	7)4	1·821
2.	टूमली का बास	43।।)3	11·040
3.	वादेड़ा	1।)2	·342
4.	कोथून	4।।।)4	1·252
5.	माधोसिंहपुरा	57।।।)3	14·643
6.	छांदेल कलां	25।।)4	6·500
7.	निमोड़िया	82।)3	20·840
8.	कोटखावदा	10।।)4	2·706
9.	गिरधारीलालपुरा	38।)3	9·712
10.	गरूड़वासी	9।।)3	2·440
11.	भण्डालिया मेदा	21।)	5·375
12.	ठीकरिया गूजरान	31)2	7·866
13.	ठीकरिया मीठान	169।।।)2	42·958
14.	हरिपुरा	।)3	·101
15.	रूपाहेड़ी कलां	18)	4·553
16.	राडोली	1)3	·291
17.	रामनगर	29।।।)2	5·527
18.	छोड़ारानीवास	143।)1	36·244
19.	कस्बा चाकसू	1)	·253
	कुल योग	629।।।)1	174·464

(356)

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 584 की सूची

वर्ष 1980–81 से 1983–84 (दिसम्बर, 83 तक) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वीकृत लीजेज की जिलेवार संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	माइनिंग लीज की संख्या	रेन्ट कम रॉयल्टी लीज की संख्या
1.	उदयपुर	23	84
2.	डूंगरपुर	3	7
3.	बांसवाड़ा	1	13
4.	चितौड़गढ़	22	557
5.	भीलवाड़ा	61	2973
6.	अजमेर	19	15
7.	अलवर	—	169
8.	जयपुर	40	91
9.	सीकर–झुन्झुनू	8	92
10.	टौंक	10	118
11.	भरतपुर	47	—
12.	सवाईमाधोपुर	33	—
13.	धौलपुर	58	12
14.	कोटा	84	—
15.	बून्दी	136	—
16.	झालावाड़	19	—
17.	जोधपुर	7	809
18.	बीकानेर–चूरू	36	5
19.	सिरोही–जालौर	22	95
20.	बाड़मेर	35	—
21.	जैसलमेर	1	—
22.	नागौर	27	163
23.	श्रीगंगानगर	—	—
24.	पाली	26	18
	कुल योग	698	5221

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 586 की सूची एवं तालिका

वर्ष	रायल्टी से प्राप्त आय (लाख रुपयों में)	विशेष विवरण
1970–71	204.86	
1971–72	217.00	
1972–73	243.74	
1973–74	267.45	
1974–75	322.37	
1975–76	459.31	अधिकतर वृद्धि रायल्टी की दरों में वृद्धि के कारण है।
1976–77	536.11	
1977–78	633.36	
1978–79	773.08	
1979–80	898.76	
1980–81	1025.08	
1981–82	1233.75	
1982–83	1455.85	

RATE OF ROYALTY IN FORCE IN 1970

1. Building stone

(a) Ashlar and sized dimensional stone.

(i) Rs. 1.50 np. per tonne in the range of Rs. 1.25 to Rs. 1.75 np.

(ii) Rs. 4.25 np. to Rs. 22.00 np. per cubic meter.

(iii) Rs. 0.10 np. to Rs. 0.55 np. per sq. meter.

(iv) Average quantity.

In a cart drawn by 2 bullocks	0.75 np.
In a cart drawn by 4 bullocks	1.50 np.

Rs. 2.25 np. for 1½ tonne truck	
Rs. 4.50 np. for 3 tonne truck.	
Rs. 7.50 np. for 5 tonne truck.	
Carried by one donkey.	0.18
One buffalo, at the option of the leaser	0.37
Carried by one camel,	0.57

(b) Masonary stones including Khandas, Boulder, Shingle, etc.

(i) 0.30 np. per tonne

(ii) 0.42 np. per Cubic meter

(iii) Average quantity	0.12 P.
In a cart drawn by 2 bullocks	0.25 P.
In a cart drawn by 4 bullocks	0.45 P.
1 1/2 tonne truck	0.60 P.
2 tonne truck	0.90 P.
5 tonne truck.	1.50 P.
Carried by one camle.	0.09 P.
Carried by one donkey	0.02 P.
Option of the leaser	0.06 P.

2. Limestone

(a) Limestone for lime burning (per quintal)	0.20 P.
Lime.	0.30 P.
Kachra Lime.	0.10 P.

(b) Other purposes coloured Limestone

(i) 4.30 np. per cubic meter.

(ii) 1.70 np. per sq. meter

(iii) 10% of the sale value at pits mouth at the option of the leaser.

3. Marble	
1. Makrana	
(a) Marble use for lime burning	Rs. 0.20 P. per quintal
(b) Marble dressed carved & rough	Rs. 2 75 P. -do-
(c) Marble slabs	Rs. 1.40 P. -do-
(d) Marble chips, fine powder, Khandas & Ballast	Rs. 0.35 P. -do-
(e) Course powder of not more than 20 mosh.	Rs. 0.16 P. -do-
(f) Marble Tiles	
(i) Machine made	Rs. 0.70 P. -do-
(ij) Hand made	Rs. 0.37 P. -do-
2. Other inferior marble.	
(a) Marble used for lime burning	Rs. 0.20 P. per quintal
(b) Marble dressed, carved & rough	Rs. 1.40 P. 2.75 -do-
(c) Marble slabs.	Rs. 1.40 P. per quintal
(d) Marble chips, fine powder, Khandas & Ballast.	Rs. 0.35 P. -do-
(e) Course powder of not more than plus 20 mosh.	Rs. 0.16 P. -do-
(f) Marble Tiles	
(i) Machine made	Rs. 0.70 P. -do-
(ii) Hand made.	Rs. 0.37 P. -do-
4. Kankar, Bajri & Jhajra Stones	Rs 0.30 P. per tonne
5. Bricks Earth	
Note :—For the converasion number of bricks obtained from one ten of brick earth the follcwing factor should be used 1000 bricks of standard size to 4 tons. of brick earth	Rs. 0.30 P. per tenne
6. Fuller's Earth	
(a) For existing leas	Rs. 27.00 P. per tenne
(b) For new leases	
(i) In case of fuller's earth deposits which are situated within 20 miles,	

360

from the nearest railway station.	Rs. 27.00 P. per tonne
(ii) In case of such deposits which are situated beyond 20 miles but within 50 miles from the nearest railway station.	Rs. 15.00 P. per tonne
(iii) In case of such deposits which are situated more than 50 miles from the nearest railway station.	Rs. 10.00 P. per tonne
(c) Waste fuller's earth (Powder form including pieces upto 2" × 2").	Rs. 13.50 P. per tonne
7. Bentonite	Rs. 15.00 P. per tonne.

After 1970 and before 5.8.75 (when general revision took place) following changes were made

S. No.	Name of the mineral	Amended rate of royalty	Date of notification
1.	Ashlar and sized dimensional stone	Rs. 1.80 per tonne in the range of Rs. 1.50 to Rs. 2.00	25-9-72
2.	(a) Fuller's Earth	Rs. 15.00 per tonne	18-10-73
	(b) In case fuller earth is used for activation purposes by installation of activation plant within the State of Raj.	Rs. 7.50 per tonne	
3.	Bentonite :		
	(a) Indigenous purposes	Rs. 7.50 per tonne	18-10-73
	(b) Export purpose	Rs. 3.75 per tonne	
4.	Crude Salt petre	Rs. 8.00 per quintal	1-7-72
5.	Slate stone (to be used as a building stone)	12 1/2% of the sale value at pit's mouth	14-12-72

(361)

RATE OF ROYALTY ON MINOR MINERALS

S. No.	Name of Mineral	Quality/shape & size of the mineral		Rate of royalty. w.e.f. 5.8.75	w.e.f. 24.8.79	w.e.f. 23.9.79
1	2	3		4	5	6
1.	Sand stone	1. Dimensional Stone (Patt-Katla, Mill stone, Ashlata flooring stone)	Distt. (3.0 to 6.50) Bharatpur	5.94	7.00	7.00
			Sawai-madhopur	5.00	7.00	6.50
			Kota	4.00	6.00	5.00
			Bundi	4.00	6.00	5.00
			Jhalawar.	4.00	6.00	5.00
			Other distt.	3.00	5.00	4.00
		2. Masonry stone (Khanda ballast road, Metal, Fechara, Gitti, and Grit and Crusher dust)		0.50	1.50	1.00
				5.00	10.00	7.50
2.	Lime stone	1. Dimensional stone (for use as roofing flooring, facing stone and for making stone pillars)	Kota	3.00	7.00	4.50
			All other areas			
		2. Suitable for lime burning.		3.00	5.00	4.50
		3. Masonry stone (Ballast road, Metal, Gitti, Grit, Crusher dust, Papers)		0.50	1.50	1.00
3.	Minerals used as blocks and or sawn, polished	Marble/Minerals/ Decorative stones		20.00	50.00	27.50
				10.00	–	–

1	2	3	4	5	6
	or carved marble and other deco rative stones				
4.	Granite and Diorite	(i) Blocks, slabs tiles	20.00	50.00	27.50
		(ii) Masonry stone ballast.	0.50	1.50	1.00
5.	Chips and powder making minerals (Marble, Dolomite, Rhyolite, Serpentine & Limestone)	Chips and powder making.	3.75	6.00	5.00
6.	Rhylite and Schist.	(i) Dimensional stone (Pattika, tala, flooring)	2.50	5.00	3.00
		(ii) Masonry	0.50	1.50	1.00
7.	Lime Kankar Jhajhara	(i) Suitable for lime-burning	1.00	2.50	1.50
		(ii) Masonry stone	0.50	1.50	1.00
8.	Brick earth, Murrum, Kankar (Graval, Dhandala, Surkhi.		0.50	1.50	1.00
9.	Bajri		0.50	1.50	0.75
10.	Fuller's Earth		7.50 & 15.00	15 00	15.00
11.	Bentonite		3.75 & 7.50	10.00	7.50
12.	Saltpetre		80.00	80.00	80.00
13.	Slate stone		15.00	20.00	18.00
14.	Ordinary white red and yellow clay used for white, colour washing.		1.50	2.00	2.00
15.	Brick earth and shale special use.		–	4.00	4.00
16.	Other Minerals not for specified	(i) Chips making stone	3.75	6.00	5.00
		(ii) Dimensional stone	2.50	5.00	4.00
		(iii) Masonry stone	0.50	1.50	1.00

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
MINES (GR. I) DEPARTMENT

No. F. 12 (9) Khan/Gr.I/83 Jaipur, dtd. 19-11-83

NOTIFICAION

In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act. 1957 (Central Act 67 of 1967), the State Government hereby makes the following amendment further to amend Schedule I appended to the Rajasthan Minor Mineral Concession Rules, 1977, ndmely :—

1. Short title :—These rules may by called the Rajasthan Minor Mineral Concession Amendment Rules, 1983.

2. These rules shall come into force on the date of their publication in the Rajasthan Gazette.

3. Amendment of Schedule I to the said rules :—

The existing entries relating to the Schedule I shall be substituted by the following, namely :—

SCHEDULE–I

S. No.	Name of mineral	Quality/Shape and size of the mineral	Rate of royalty Rs. per tonne
1	2	3	4
1.	Sand Stone	Dimensional stones such as slabs, Patti, Katla, Ashlar, Mill stone, Flooring & Roofing stone etc.	
		(i) Bharatpur, Dholpur, Sawaimadhopur, Kota, Bundi and Jhalawar Distts.	10.00
		(ii) All other Districts.	8.00

(364)

1	2	3	4
2.	Lime Stone	Dimensional stones such as flooring roofing, facing, pillaring etc.	
		(i) Kota district.	25.00
		(ii) All other districts.	15.00
3.	Lime Stone	Suitable for lime making	
		(i) Jodhpur, Pali, Nagaur Distts.	8.00
		(ii) All other districts	7.00
4.	Marble.	Blocks, slabs, tiles of marble, serpentine and other decorative stones suitable for sawing, polishing or carving.	
		(i) Udaipur, Jaipur and Nagaur districts.	100.00
		(ii) All other distr cts	85.00
5.	Granite	Blocks, slabs, tiles of granite diorite and other ignous rocks which are sawn and polished.	60.00
6.	Chips and powder making minerals like Marble, Dolomite, Rhyolite, Chert, serpentine, limestone,	Usable for chips and powder making.	8.00
7.	Masonry stone (sandstone, limestone granite, Phyllite, sehist, rhyolite quartzite)	Stones used as khanda, ballast, Road metal Fatehara, Gitti, Grit, papera, Crusher, dust, Gravel, Jhajhara, etc.	2.00

1	2	3	4
8.	Bajri, Kanker	—	0.75
9.	Brick Earth, Murrum, Surkhi.	—	1.00
10.	Lime kankar, Dhandala.	Suitable for lime burning	1.50
11.	Phyllite and schist	Dimensional stone used as patti, katla, roofing, flooring etc.	3.00
12.	Fuller's earth	—	15.00
13.	Bentonite	—	12.00
14.	Slate stone	—	18.00
15.	Salt petre	—	150.00
16.	Ordinary clays used for colour washing	—	2.00
17.	Brick Earth and Shale used for special purposes.	—	4.00
18.	Other Minerals not specified	(i) Dimensional stones	6.00
		(ii) Chips making stones	8.00
		(iii) Masonary stones	1.50
		(iv) Any other category	10% of pit mouth value

By order

Sd/-

(B. N. Dhoundiyal)

Commissioner & Secretary to Government

Government of Rajasthan
Mines (GR. I) Department

No. F. 12(9) Khan/Gr. I/83   Jaipur Dated 20th Dec, 83

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Mines & Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (Central Act 67 of 1957) the State Government hereby makes the following amendment further to amend Schedule I appended to the Rajasthan Minor Mineral Concession Rules, 1977, nemely :—

1. Short title :—These rules may be called the Rajasthan Minor Mineral Concession (Amendment) Rules, 1983.

2. These rules shall come into force on the date of their publication in the Rajasthan Gazette.

3. Amendment of Schedule I to the said rules :—

The existing entrees relating to the Schedule I shall be substituted by the following, nemely :—

SCHEDULE–I

S.No.	Name of mineral	Quality/Shape and size of the the mineral	Rate of royalty Fs. per tonne	Conversion factor in tonnes/Cum
1	2	3	4	5
1.	Sandstone	Dimensional stones such as slabs, Patti. Katla, Ashlar, Mill stone etc. Flooring & roofing stone etc.		2.4
		(i) Bharatpur. Dholpur, Sawai-Madhopur, Kota, Bundi & Jhalawar distt	10.00	
		(ii) All other districts	8.00	

1	2	3	4	5
2.	Limestone	Dimensional stones such as flooring roofing, facing pillaring etc.		2.7
		(i) Kota District	20.00	
		(ii) All other districts	10 00	
3.	Limestone	Suitable for lime making		
		(i) Jodhpur, Pali & Nagaur districts	8.00	
		(ii) All other districts	7.00	
4.	Marble	Blocks, Slabs, Tiles of marble, serpentine and other decorative stones suitable for sawing, polishing or carving.		2.7
		(i) Nagaur district	72.50	
		(ii) All other districts	65.00	
5.	Granite	Blocks, slabs, tiels of granite, diorite and other igneous rock which are sawn and polished	60.00	3.00
6.	Chips and powder making minerals like marble, dolomite, rhyolite, chert, serpentine, limestone.	Usable for chips and powder making	8.00	2.7
7.	Masonary stone (Sandstone, Limestone, granite Rhyolite, Schist, Rholite,	Stones used as Khanda, Ballast, Road metal, Fatta Gitti, Grit,		

(368)

1	2	3	4	5
	Quartzite)	Papers, Crusher, dust, Gravel, Jhajhara etc.	1.50	1.4
8.	Bajri, Kankar	—	0.75	1.4
9.	Brick Earth, Murram Surkhi	—	1.00	1.4
10.	Lime Kankar, Dhandla	Suitable for lime burning	1.50	
11.	Phyllite and Schist	Dimensional stone used as Patti, Katla, roofing, flooring etc.	3.00	2.2
12.	Fuller's Earth	—	15.00	1.0
13.	Bentonite	—	12.00	1.2
14.	Slate Stone	—	18.00	2.0
15.	Salt petre	—	150.00	—
16.	Ordinary Clays used for colour washing	—	2.00	1.5
17.	Brick Earth and shale used for special purposes	—	4.00	1.4
18.	Other Minerals not specified	(i) Dimensional stones	6.00	
		(ii) Chips making stones	8.00	
		(iii) Masonary stones	1.50	
		(iv) Any other category	10% of pit mouth value	

No. F.12 (9) Khan/Gr. I/83.
By Order.
Sd/-
(B. N. Dhundiyal)
Secretary to Government

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 590 की सूची

मैसर्स पी. जी फाइल्स प्रा० लि०, पीपलियां कलां

	नाम	देय वेतन (मासिक)	वास्तव में दिया गया वेतन	अन्तर	अवधि सितम्बर 83 से फरवरी, 84 (6 माह)		अन्तर की राशि जिसका भुगतान होना है
1.	मिश्राराम पुत्र देवाराम हैल्पर	260/–	249/–	11/–	11X6	=	66.00
2.	मांगीलाल पुत्र केलाराम हैल्पर	260/–	249/–	11/–	11X6	=	66.00
3.	चेलाराम पुत्र गंगाराम	260/–	249/–	11/–	11X6	=	66·00
4.	चुन्नीलाल/रावतराम	260/–	249/–	11/–	11X6	=	66·00
5.	सोहनलाल/मोतीलाल	260/–	249/–	11/–	11X6	=	66·00
6.	राजूराम पुत्र गंगाराम	260/–	249/–	11/–	11X6	=	66·00
7.	सोहनलाल पटेल पुत्र नेदर सिंह	260/–	249/–	11/–	11X6	=	66·00
8.	किशोर सिंह पुत्र मदन सिंह	260/–	240/–	20/–	20X6	=	120·00
9.	गोविन्द राम मेघाराम	260/–	240/–	20/–	20X6	=	120·00
10.	गोधाराम पुत्र गोकुलराम	260/–	240/–	20/–	20X6	=	120·00
11.	पुखराज पुत्र पेनाराम	260/–	240/–	20/–	20X6	=	120·00
12.	मांगीलाल पुत्र सुखराम	260/–	240/–	20/–	20X6	=	120·00
13.	नरपत पुत्र शिवनाथ	260/–	240/–	20/–	20X6	=	120·00
14.	बीजाराम पुत्र बचनाराम	260/–	240/–	20/–	20X6	=	12.000
15.	चेतन प्रकाश पुत्र भंवरलाल	260/–	240/–	20/–	20X6	=	120·00
	योग	3,900/–	3663/–	237/–		=	1,422·00

(3600)

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 593 की सूची

चित्तौड़गढ़ जिले के प्रतापगढ़ जनजाति क्षेत्र में वर्ष 1983–84 (फरवरी, 84 तक) में जिन-जिन ग्रामों को विद्युतीकृत किया गया है व इन विद्युतीकृत ग्रामों में जिन-जिन व्यक्तियों को घर एवं कुओं पर कनेक्शन दिये गये हैं, का विवरण।

क्र.सं.	ग्राम का नाम	विद्युतीकरण की दिनांक	दिये गये कनेक्शनों का विवरण कृषि कार्य हेतु	घरेलू
1.	कोट खेड़ी	28.10.83	1. श्री रतन पुत्र जेता मीणा	—
			2. श्री रतन पुत्र जेता मीणा	—
			3. श्री सवा पुत्र मेथा मीणा	—
2.	सेलारपुरा	30.10.83	—	
3.	बराखेड़ी	दिसम्बर, 83	—	
4.	मनावंदा	दिसम्बर, 83	—	
5.	बेलारी	दिसम्बर, 83	—	
6.	घोराबल	30.11.83	1. श्री कैलाशचन्द/श्री गोरधन	—
			2. श्री गोरधनसिंह पुत्र श्री कुंवर	—
			3. श्री नाथू पुत्र बन्जा	
7.	चमलावंदा	30.11.83	1. श्री बगदीराम पुत्र श्रीभैराजी	—
			2. श्री लालू पुत्र श्री ओंकार	—
8.	बीलाखेड़ा	दिसम्बर, 83	—	—
9.	गोपालपुरा	दिसम्बर, 83	—	—
10.	धूरावतों का खेड़ा	28.10.83	—	—
11.	मोटा धामनीया	दिसम्बर, 83	—	—
12.	लालगढ़	दिसम्बर, 83	—	—
13.	फरेदी	जनवरी, 84	—	—
14.	सिगपुरिया	जनवरी, 84	—	—
15.	नोगावां	जनवरी, 84	—	—
16.	मागदी	दिसम्बर, 83	—	—

परिशिष्ट 14

अतारांकित-प्रश्न संख्या 594 की सूची

परिशिष्ट—"अ"

क्र. सं.	गांवों, कस्बों का नाम	1982–83 में कनेक्शन दिये गये कृषि	घरेलू	औद्योगिक	अन्य	कुल	1983–84 में कनेक्शन दिये गये कृषि	घरेलू	औद्योगिक	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आमली	–	7	–	–	7	–	7	–	1	8
2.	मुवाणा	4	9	4	5	22	–	8	2	2	12
3.	हमीरगढ़	10	21	4	15	50	1	70	–	4	75
4.	स्वरूपगंज	–	2	1	–	3	–	6	–	–	6
5.	बरडोड	4	15	1	1	21	–	3	1	1	5
6.	सवलपुरा	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
7.	मालोस	5	11	–	–	16	–	2	1	–	3
8.	दर्री	5	–	–	1	6	–	1	–	–	1
9.	पुरावतों का अकालो	1	1	–	–	2	1	2	–	–	3
10.	कलून्दिया	4	–	–	–	4	–	–	–	–	–
11.	डशिया	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–
12.	हलेड	–	4	–	–	4	–	15	2	4	21
13.	अगरपुरा	–	2	–	–	2	1	10	–	–	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	दान्थल	–	1	–	1	2	–	–	2	–	2
15.	मंगरोप	21	17	3	10	51	–	49	1	4	54
16.	गडरमाला	–	–	1	2	3	–	9	2	–	11
17.	चकथलो का खेडा	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
18.	कागोली	5	–	–	1	6	–	–	–	–	–
19.	कचौलिया	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
20.	सायला	2	1	–	–	3	–	1	–	–	1
21.	बौरदा	4	2	1	1	8	–	5	–	–	5
22.	पालडी	2	3	–	–	5	–	4	–	–	4
23.	पीपली	6	1	–	–	7	–	1	–	2	3
24.	देवली	–	2	–	–	2	–	2	1	–	3
25.	खेराबाद	–	4	–	–	4	–	7	–	–	7
26.	नया समेलिया	–	3	–	1	4	–	4	2	2	8
27.	धूलखेड़ा	–	–	–	–	–	1	2	–	–	3
28.	जवासिया	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–
29.	जोधडास	2	–	–	–	2	–	1	–	–	1
30.	सीयार	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
31.	कल्याणपुरा	6	20	1	2	29	1	3	–	–	4
32.	भोली	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.	नई इरास	–	2	7	7	16	–	4	3	4	11
34.	ढोली खेड़ा	–	3	–	–	3	–	–	–	–	–
35.	भ्राटूज	–	6	–	–	6	1	14	1	3	19
36.	रूपाहेली लांगरो की	–	6	1	–	7	–	1	–	–	1
37.	औझाणा	1	4	–	1	6	–	5	–	–	5
38.	पानसका	5	5	1	2	13	–	10	–	–	10
39.	ओदूकोटा	6	3	–	–	9	1	1	–	–	2
40.	आरजिया	3	6	2	2	13	–	15	–	4	19
41.	भदालीखेड़ा	–	11	–	–	11	1	11	3	1	16
42.	बनेड़ा	2	15	2	7	26	–	40	2	5	47
43.	बरजू	–	2	–	–	2	1	–	–	–	1
44.	डाबला	–	1	1	[illegible]	2	–	11	1	–	12
45.	जसवंतपुरा	–	1	–	–	1	1	4	–	–	5
46.	कोली खेड़ा	–	1	–	–	–	1	11	–	–	12
47.	कजलोदिया	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
48.	कुण्डियाकला	–	1	–	1	2	5	11	–	1	17
49.	कुन्डिया खुर्द	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
50.	लम्बिया कला	–	–	–	1	1	5	–	–	–	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.	महुआ खुर्द	–	3	–	1	4	–	10	1	–	11
52.	रायका	3	37	2	5	47	1	36	1	9	47
53.	रायसिंहपुरा	–	6	–	–	6	–	–	–	–	–
54.	बेरा	2	–	–	–	2	–	1	1	1	3
55.	रजिकपुरा	–	1	1	2	4	–	2	–	–	2
56.	गोरों का खेड़ा	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
57.	दातो निल्कानरी	–	2	1	–	3	1	–	–	–	1
58.	बांसो का खेड़ा	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
59.	मालीखेडा	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
60.	छतरीखेडा	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
61.	मेजा	1	27	4	–	32	–	3	–	–	3
62.	मांडल	1	48	3	–	52	1	38	1	–	40
63.	बोरियापुरा	–	8	–	–	8	–	9	–	–	9
64.	कालाखेड़ा	–	6	–	–	6	–	–	–	–	–
65.	चीरखेड़ा	–	1	–	–	1	–	1	–	–	1
66.	लक्ष्मीपुरा	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
67.	मंडोल	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2
68.	डेलाना	–	1	–	–	1	–	2	–	–	2
69.	रेवाडा	–	–	–	–	–	1	1	–	–	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70.	सुरावास	1	2	—	—	3	1	1	—	—	2
71.	सायलियास	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
72.	वेमाली	—	6	—	—	6	—	2	—	—	2
73.	चांदरास	1	16	—	—	17	—	3	—	—	3
74.	ढोसर	6	4	—	—	10	—	3	—	—	3
75.	कापडिया खेडा	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—
76.	माकडिया	1	—	—	—	1	—	2	—	—	2
77.	शिवरति	—	7	—	—	7	—	3	—	—	3
78.	टूंबा	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3
79.	वोराणा	—	7	—	—	7	—	12	—	—	12
80.	दरीबा	1	—	—	—	1	2	14	—	—	16
81.	केरिया	—	7	—	—	7	—	1	—	—	1
82.	समोडी	1	18	—	—	19	—	1	—	—	1
83.	माजीखेडा	—	7	—	—	7	—	—	—	—	—
84.	पीथास	—	2	—	—	2	2	6	—	—	8
85.	सुराम	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
86.	संतोषपुरा	—	2	—	—	2	1	—	—	—	1
87.	कोटडी	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—
88.	जाटोंका निमबहैडा	—	5	—	—	5	—	1	—	—	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89.	चिलेश्वर	–	3	–	–	3	–	2	–	–	2
90.	मेहन्दी	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
91.	आमली	1	7	1	–	9	–	11	–	–	11
92.	अड़सीपुरा	–	1	–	–	1	1	–	1	–	2
93.	वूजास	–	11	1	–	12	1	4	–	–	5
94.	बांगरेर	10	30	–	–	40	1	25	6	–	32
95.	बावलास	3	18	–	–	21	–	7	1	–	8
96.	देवरिया	–	7	1	–	8	–	16	1	–	17
97.	गुरला	4	5	–	–	9	–	7	1	–	8
98.	गोरख्या	–	1	–	–	1	–	–	2	–	2
99.	कारोई	7	1	1	–	9	1	57	1	–	59
100.	कोशथिला	4	32	2	–	38	–	23	–	–	23
101.	करेडा	2	41	–	–	43	2	13	4	–	19
102.	खाखला	2	–	3	–	5	2	8	1	–	11
103.	सांखोनला	1	12	2	–	15	–	6	–	–	6
104.	महेन्द्रगढ़	–	6	–	–	6	–	6	1	–	7
105.	मांझावास	1	14	1	–	16	–	5	–	–	5
106.	नादसा (एस)	–	1	1	–	2	–	1	–	–	1
107.	नाहरी	–	3	1	–	4	–	7	1	–	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108.	नांदसा (आर)	–	3	–	–	3	–	5	1	–	6
109.	पीटला	–	15	1	–	16	1	23	–	–	24
110.	रा.मथलिया	8	2	1	–	11	–	2	–	–	2
111.	रायपुर	–	13	3	–	16	–	18	3	–	21
112.	सहाड़ा	–	3	2	–	5	1	7	–	–	8
113.	मोनियाना	–	8	2	–	10	–	16	–	–	16
114.	सरगांव	–	2	1	–	3	–	5	–	–	5
115.	गुड्डा (एस)	–	2	–	–	2	–	–	1	–	1
116.	गंगापुर	–	47	2	–	49	–	53	7	–	60
117.	मट्ठलिया	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–
118.	खातीखेड़ा	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
119.	भगवानपुरा	–	8	1	–	9	–	5	–	–	5
120.	भाट्ट	–	11	1	–	12	–	4	–	–	4
121.	गुड्डा (एम)	–	4	1	–	5	–	2	–	–	2
122.	घोडास	–	5	1	–	6	–	2	–	–	2
123.	गोवलिया	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–
124.	सोंगास	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
125.	कीरतपुरा	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126.	हिसनियां	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
127.	अरनिया चौहान	1	1	–	–	2	–	1	–	–	1
128.	बावडी	5	–	1	–	6	–	–	–	–	–
129.	चान्दमा	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–
130.	धनोप	9	26	–	2	37	–	7	–	1	8
131.	इंटडिया	3	–	–	–	3	–	1	–	1	2
132.	गजपतिया खेड़ा	–	–	–	1	1	–	25	–	–	25
133.	खिजूरी	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
134.	कनेछनकलां	–	4	1	1	6	–	1	2	1	4
135.	कोठिया	4	4	–	1	9	4	1	–	–	5
136.	खेडा हेतन	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
137.	कायमपुरा	–	3	–	–	3	–	1	–	–	1
138.	फूलिया कला	3	13	1	3	20	1	9	–	7	17
139.	रामपुरा	4	1	–	–	5	1	–	–	–	1
140.	रतनपुरा	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
141.	राजपुरा	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–
142.	रलायता	1	1	–	–	2	–	1	–	–	1
143.	शाहपुरा	–	81	3	28	112	–	77	12	26	115
144.	सनगररी	2	2	–	–	4	4	–	–	–	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145.	सांगारिया	10	6	–	1	17	4	2	–	4	10
146.	तसवारिया	–	2	1	1	4	–	–	1	–	1
147.	देवरिया	–	–	–	–	–	–	–	1	3	4
148.	तेहनाल	–	–	–	–	–	2	4	–	7	13
149.	लसाडिया	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
150.	आढोलीभीम	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2
451.	मुनेहलका	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2
152.	रुगनाथपुरा	–	–	–	–	–	–	12	–	–	12
153.	कातीसहाना	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
154.	वलान्ड	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
155.	अमालीकलां	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
156.	रूपपुरा	–	–	–	–	–	3	1	–	1	5
157.	वालापुरा	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
158.	जागथला	–	–	–	–	–	3	–	–	1	4
159.	कजोडिया	–	–	–	–	–	9	3	–	1	13
160.	पनोतिया	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2
161.	अरवड	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2
162.	समेलिया	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163.	खामौर	–	–	–	–	–	3	3	–	–	6
164.	वचखेडा	–	–	–	–	–	–	5	–	1	6
165.	कोटडी मीणा	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
166.	राजास	–	–	–	–	–	–	6	1	1	8
167.	डिमांस	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2
168.	डावला चांदा	–	–	–	–	–	–	3	1	–	4
169.	रहड	–	–	–	–	–	–	6	–	1	7
170.	माताजी का खेडा	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
171.	रोंसा	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
172.	डौरिया	–	–	–	–	–	–	1	1	1	3
173.	नासरदा	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
174.	नारायणपुरा	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
175.	आमली वारेछ	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
176.	नाथडियास	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
177.	वासेडा	–	–	–	–	–	1	4	–	–	5
178.	अरनिया घोडा	–	–	–	–	–	4	8	1	2	15
179.	गेगला	–	–	–	–	–	–	10	1	1	12
180.	काडीसहाना	–	–	–	–	–	–	1	1	1	3
181.	ढीकोया	–	–	–	–	–	–	3	–	1	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182.	सारांश	–	–	–	–	–	–		–	1	1
183.	सरेरी	1	2	–	2	5	–	7	–	10	17
184.	आनन्दीपुरा	1	1	–	–	2	–	1	1	–	2
185.	आगूचा	4	20	1	4	29	4	32	–	5	41
186.	गारालिया का खेडा	–	–	–	–	–	–	6	–	1	7
187.	हुरडा	16	23	3	4	46	4	41	–	8	53
188.	खेजडी	13	–	–	–	13	–	6	–	3	9
189.	लक्ष्मीपुरा	1	7	–	1	9	1	2	–	–	3
190.	लाम्बा	3	–	–	1	4	1	7	2	2	12
191.	मुरायला	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
192.	रूपाहेली	4	6	1	2	13	–	6	1	6	13
193.	प्रतापपुरा	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
194.	कबलियास	1	4	–	1	6	–	11	1	3	15
195.	कोटड़ी	1	2	–	1	4	1	4	2	2	9
196.	भीमलत	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
197.	भोजरास	–	–	–	1	1	–	3	–	1	4
198.	गागेडा	–	3	–	4	7	–	4	–	1	5
199.	गुलाबपुरा	–	156	12	10	178	–	93	9	27	129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200.	सौनगर	–	–	–	–	–	–	4	–	1	5
201.	आमलियास	–	–	–	1	1	–	–	1	–	1
202.	सनोदिया	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
203.	बलवन्तपुरा	1	–	–	–	1	–	14	–	–	14
204.	सोडार	–	–	1	–	1	–	1	–	–	1
205.	धनपुरा	–	1	–	–	1	–	1	–	–	1
206.	परडोदास	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–
207	तसवारिया	1	1	–	–	2	–	4	–	1	5
208.	गढवालों का खेडा	–	3	–	–	3	–	6	–	–	6
209.	मादेडा	–	1	–	–	1	–	1	1	–	2
210.	दांतडा	2	2	–	–	4	–	5	–	2	7
211.	भवानीपुरा	–	2	–	–	2	–	26	–	3	29
212.	बोरखेडा	5	–	–	–	5	8	–	–	–	8
213.	रामजीखेडा	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
214.	जालमपुरा	1	–	–	–	1	–	–	1	–	1
215.	भारलियास	1	–	–	–	1	–	–	1	–	1
216.	टोंकरवाडा	1	–	–	–	1	1	1	–	–	2
217.	हरिपुरा	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
218.	अमरपुरा	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219.	बालापुरा	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
220.	वडला	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
221.	पाटियों का खेडा	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2
222.	अटलपुरा	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
223.	खुशालपुरा	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2
224.	जालिमपुरा	1	–	–	–	1	1	–	–	–	1
225.	पारोली	–	2	2	3	7	2	1	–	1	3
226.	सोपुरा	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–
227.	अमरतिया	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–
228.	रेडवसा	–	2	1	1	4	–	–	–	–	–
229.	वानकाखेडा	–	2	–	–	2	–	5	–	–	5
230.	रोपन	–	1	–	2	3	–	5	–	–	5
231.	लसाडिया	1	17	1	–	19	–	–	–	–	–
232.	अमलमाडा	–	2	–	1	3	–	–	–	–	–
233.	थाल खुर्द	–	1	–	–	1	–	–	1	–	1
234.	थाल कलां	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–
235.	जालिया	–	3	–	–	3	–	–	–	–	–
236.	असावली	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–
237.	सावनपुर	3	4	–	3	10	–	6	–	–	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238.	कोटरी	5	55	1	12	73	–	45	12	7	64
239.	सान्थलाखेडा	3	4	1	2	10	–	1	–	–	1
240.	गुवाडी	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
241.	गुहली	2	17	2	5	25	–	1	2	1	4
242.	वारलावन	–	10	–	1	11	–	3	–	–	3
243.	हाजीवास	–	6	1	–	7	–	–	–	–	–
244.	मानसा	4	21	–	2	27	–	2	–	2	4
245	सकतपुरिया	–	5	–	1	6	–	–	–	–	–
246.	देलाना (गोवटा)	1	5	–	–	6	–	–	–	–	–
247.	सोहन कियाखेडा	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
248.	काती	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
249.	पीथास	2	–	–	–	2	1	1	–	1	3
250.	जीतियास	1	–	–	–	1	1	1	–	–	2
251.	अमरपुरा	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
252.	केघाटी	2	–	–	–	2	–	1	–	–	1
253.	छोहली	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
254.	कारेड	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
255.	एसकाखेडा	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	22
256.	वीरहरपुरा	—	—	—	—	—	6	—	—	—	6
257.	चांवड़िया	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
258.	विशनिया	—	—	—	—	—	—	99	3	9	111
259.	दांतडा	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
260.	गारिया	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
261.	कोटास	—	—	—	—	—	—	24	2	8	34
262.	देवखेड़ा	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3
263.	मीनूखेडा	—	—	—	—	—	4	—	—	—	4
264.	छापरिल	—	—	—	—	—	—	32	2	5	39
265.	बेलवा	—	—	—	—	—	4	4	1	1	10
266.	मोदिया खेडा	—	—	—	—	—	5	—	—	—	5
267.	फालासील	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
268.	गूलेलखेडा	—	—	—	—	—	2	—	1	—	3
269.	गापलास	—	—	—	—	—	6	—	—	—	6
270.	बूर्ती	—	—	—	—	—	3	—	—	1	4
271.	कारलियान	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
272.	रानीखेड़ा	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1
273.	नयाखेडा	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
274.	पालेरा	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275.	मारेखन्डा	1	2	–	1	–	1	4	–	3	8
276.	खाडौल	5	1	1	2	9	–	4	–	–	4
277.	खेमाना	–	1	–	–	1	–	1	–	–	1
278.	गालवा	1	1	–	–	2	–	5	–	–	5
279.	शाहपुरा	2	1	–	1	4	–	2	–	2	4
280.	खोमूनिया	2	–	–	–	2	–	0	–	–	9
281.	उमेवी	–	2	1	2	5	–	–	–	–	–
282.	रामपुरिया	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1
283.	देलास	–	1	–	–	1	1	–	–	1	1
284.	नारायण खेडा	1	2	–	1	4	–	1	–	–	1
285.	कालूखेडा	–	1	–	–	1	–	1	–	–	1
286,	आसोली	1	–	4	1	6	–	2	–	1	3
287.	खेनोटिया	4	–	–	1	5	–	7	–	–	7
288.	नाथडियास	1	–	–	2	3	–	–	–	1	1
289.	भोजपुरा	–	1	–	–	1	–	1	–	–	1
290.	भांकलिया	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
291.	लासवा	–	1	–	–	1	–	1	–	–	1
292.	सर्मेलिया	1	–	1	1	3	–	–	–	–	–
293.	लाडकी	1	–	1	–	2	–	1	–	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294.	पीथलपुरा	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
295.	भीलाली	–	12	–	–	12	–	–	–	–	–
296.	कोट	–	2	–	–	2	–	7	–	2	9
297.	उमेदपुरा	1	1	–	–	2	–	3	–	–	3
298.	करणवास	1	–	–	–	1	–	1	–	–	1
299.	जवरास	1	4	–	–	5	1	1	1	1	4
300.	सागराव	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–
301.	ठाला	2	–	–	–	2	–	3	–	–	3
302.	वागालिया	1	–	–	–	1	1	2	–	–	3
303.	सुरास	1	–	–	–	1	–	2	–	1	3
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
305.	वाडियाकला	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
306.	पीथाकाखेडा	5	–	–	–	5	–	–	–	–	–
307.	डेगाखुर्द	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
308.	भानलास	1	–	–	–	1	–	3	–	–	3
309.	नीमखेडा	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–
310.	चारोट	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
311.	मालियावाडी	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
312.	चांवडिया	–	–	–	–	–	–	5	–	2	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313.	अमरगढ़	–	–	–	–	–	–	18	–	–	1
314.	पातियाखेडा	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–
315.	मागकियास	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
316.	मालपुरा	–	–	–	–	–	1	1	–	–	2
317.	लसाडिया	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
310.	समरथपुरा	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2
319.	हरिपुरा	–	–	–	–	–	3	–	–	–	3
320.	कराराजी की खेडी	–	–	–	–	–	3	–	–	–	3
321.	मांडपिया	–	–	–	–	–	2	–	–	–	2
322.	उदलियास	–	–	–	–	–	3	–	–	–	3
323.	वागपुरा	–	–	–	–	–	3	–	–	–	3
324.	डियास	–	–	–	–	–	3	–	–	–	3
325.	बावडिया	–	–	–	–	–	3	–	–	–	3
326.	सूरजपुरा	–	–	–	–	–	3	–	–	–	3
327.	वाघेरा	–	–	–	–	–	3	–	–	–	3
328.	विकराई	–	–	–	–	–	3	–	–	–	3
329.	मेगरास	–	–	–	–	–	3	–	–	–	3
330.	अरनिया	–	–	–	–	–	3	–	–	–	3
331.	आलोसी	–	–	–	–	–	2	–	–	–	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332.	माधोपुर	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–
333.	तखतपुरा	2	1	–	–	3	–	4	–	–	4
334.	वडामहुवा	–	1	1	3	5	–	3	1	2	6
335.	ढाणीकोला	–	4	–	2	6	–	–	–	–	–
336.	सागवा	–	2	1	–	3	–	–	–	–	–
337.	रीछाडा	–	2	–	1	3	–	3	–	–	3
338.	लूलास	–	–	–	1	1	–	2	–	–	2
339.	सगतपुरा	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
340.	टिटालली	–	2	–	1	3	–	1	–	1	2
341.	गुन्दली	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–
342.	वीलियाकला	–	2	–	1	3	2	1	–	–	3
343.	राजपुरा	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–
344.	आमली	–	1	1	–	2	–	2	–	–	2
345.	गवारडी	–	2	–	–	2	–	3	–	1	4
346.	तसवारिया	5	–	–	–	5	–	3	–	–	3
347.	कान्डा	3	–	–	–	3	–	2	–	–	2
348.	वरसोलियम	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–
349.	हसियास	1	–	–	–	1	1	–	–	–	1

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
350. कान्य खेडी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
351. कोचालिया	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2
352 दादिया	—	—	—	—	—	—	4	—	—	4
353. मडपिया (एच)	—	—	—	—	—	—	8	—	—	8
354 सिदलियास	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2
355 रूपपुरा	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
356 दांता	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
357. सतारिया	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
358. गाटीलाखेडा	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
359 रतनपुरा	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
360. रामपुरिया	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2
361. वादलियास	4	12	4	3	23	1	4	1	4	1
362. गीगाखेडा	1	2	1	—	4	1	2	—	—	3
363. आमा	—	3	—	1	4	—	9	—	1	1
364. लडलीपुरा	8	2	—	—	10	—	—	—	—	—
365. अकोला	1	3	1	—	5	—	14	1	—	2
366. सथेपा	5	9	2	—	16	—	18	—	3	2
367. जीतिया	1	1	1	—	3	—	16	—	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
368.	रेन	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—
369.	तोपुरिया	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—
370.	वाकलीयास	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
371.	वारखुरा	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—
372.	नंदरई	2	—	1	—	1	—	1	—	—	1
373.	चौधरियास	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
374.	देवली	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—
475.	किशनगढ़	8	—	—	—	8	—	—	1	—	1
376.	रेनवास	2	—	—	—	2	—	2	—	—	2
377.	उदलियास	—	—	1	—	1	—	8	—	—	8
378.	किरोकामाल	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
379.	गेन्दलियास	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4
380.	क.लिय स	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
381.	चांदगढ़	—	—	—	—	—	—	6	—	—	6
382.	सरदार नगर	—	—	—	—	—	1	40	3	8	2
383.	कांकलिया	—	—	—	—	—	6	—	—	—	6
384.	पातसा	—	—	—	—	—	3	1	1	—	5
385.	सगरिया खुर्द	—	—	—	—	—	3	—	1	—	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
386.	मेहताब सागर	–	–	–	–	–	2	–	–	–	2
387.	किशनपुरा	–	–	–	–	–	2	–	–	–	2
388.	अमली	–	–	–	–	–	4	–	–	–	4
389.	कारलिया	–	–	–	–	–	2	–	–	–	2
390.	लक्ष्मीपुरा	–	–	–	–	–	4	–	–	–	4
391.	गणेशपुरा	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
392.	दौलतपुरा	–	–	–	–	–	2	–	–	–	2
393.	लापिया	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
394.	कनवालिया	–	–	–	–	–	3	3	–	1	7
395.	डीडवान का खेडा	–	–	–	–	–	3	–	–	–	3
396.	आसी	9	33	–	–	42	1	37	4	14	56
397.	वदनौर	–	22	2	2	26	1	38	–	2	41
398.	संग्रामगढ़	1	1	–	2	4	–	–	–	–	–
399.	मोतरास	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–
400.	वारनी	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
401.	अखैगढ़	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
402.	आकडसाडा	3	1	–	–	4	1	11	1	2	15
403.	गोपालपुरा	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
404.	रामपुरा	5	–	–	–	5	–	4	–	–	4
405.	षाटन	1	2	1	–	4	–	17	1	3	21
406.	शंभुगढ़	10	6	–	–	16	–	12	1	8	21
407.	भेरूखेडा	3	–	–	–	3	–	–	–	–	–
408.	अन्ताली	7	2	–	1	0	2	4	1	–	7
409.	जवानपुरा	2	–	–	–	2	2	–	–	–	2
410.	जेतपुरा	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–
411.	अमेसर	–	1	–	–	10	–	13	–	1	1
412.	वरसानी	5	1	–	1	7	–	3	–	1	4
413.	कोलीखेडा	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
414.	जगपुरा	1	1	–	–	2	2	2	–	3	7
415.	रायडा	8	–	–	–	8	–	–	–	–	–
416.	पडासोली	8	4	1	–	13	1	2	10	1	5
417.	पारा	1	20	1	1	23	–	27	–	1	28
418.	जादू का खेडा	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
419.	दौलतगढ़	–	5	–	1	6	–	11	–	4	15
420.	टिटोली	1	1	–	–	2	–	4	2	1	7
421.	पान्डरू	–	2	–	–	2	–	11	–	–	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
422	रघुनाथ पुरा	1	8	2	1	12	–	6	–	–	6
423.	सालवारा	–	–	–	–	–	1	22	1	1	25
424.	लाछुदा	2	3	–	–	5	–	5	–	–	5
425.	सपुरा	–	1	–	–	1	–	1	–	–	1
426.	वाराना	1	20	–	2	23	2	5	1	1	9
427.	पालरी	–	2	–	–	2	–	6	–	1	7
428.	बारा	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
429.	सरेरी	2	3	–	–	6	–	11	1	3	15
430.	गंगलास	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–
431.	इरास	1	–	–	–	1	2	7	–	–	9
432.	रामपुरिया	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
433.	पाटिया खेड़ा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
434.	निम्बाहेड़ा	–	6	–	–	6	–	10	–	–	10
435.	करजालिया	1	–	–	–	1	–	4	–	1	5
436.	खालसों का खेड़ा	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–
437.	खारदा	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
438.	कालियास	–	–	–	–	–	–	3	–	1	4
439.	ढोली	–	7	–	2	9	–	–	–	–	–
440.	मोतीपुरा	–	4	–	1	5	–	4	–	2	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
441.	जोधराज	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—
442.	मोतीवार खेडा	1	—	—	—	1	—	4	—	2	6
443.	कवलास	2	1	—	1	4	—	—	—	—	—
444.	प्रतापपुरा	5	—	—	1	6	1	3	—	2	6
445.	वडवाट	3	—	—	—	3	2	—	—	—	2
446.	छोटीयास	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1
447.	केरियाखेडा	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2
448.	सवदारा	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
449.	दान्तरा	10	1	1	—	12	—	14	—	1	15
450.	जामरा	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
451.	रानावतों का खेड़ा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
452.	मानसिंह जी का खेड़ा	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—
453.	वामनी	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—
454.	जगुन्डा	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2
455.	कटर	2	17	—	—	19	—	29	—	6	35
456.	कानपुरा	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—
457.	वडाखेड़ा	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—
458.	खाटोला	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
459.	जालारा	–	–	–	–	–	1	–	1	–	2
460.	गयालों का खेडा	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
461.	कोली खेडा	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
462.	जीवार	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
463.	केशरपुरा	2	–	1	1	4	–	34	2	20	56
464.	विरोलिया	5	90	1	18	14	–	7	1	–	8
465.	कल्याणपुरा	2	3	–	–	6	–	–	–	–	–
466.	जाजुता	3	14	–	1	17	–	14	–	–	14
467.	मांडलगढ़	1	35	–	17	53	–	40	2	7	49
468.	लाडपुरा	3	6	1	2	12	–	5	3	5	13
469.	वागोद	–	22	6	8	36	–	20	–	6	26
470.	खोचरोल	5	8	1	1	15	–	1	–	1	2
471.	जावदा	–	29	1	2	31	–	–	–	–	–
472.	करनपुरा	2	1	–	–	3	–	5	–	–	5
473.	खादवाडा	5	2	2	1	0	–	1	5	–	1
474.	होडा	8	1	–	–	9	–	2	1	–	3
475.	दोलपुरा	1	1	–	–	1	–	4	–	1	5
476.	चांदजी की खेडा	–	2	–	1	3	–	2	–	–	3

395

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
477.	कुछोला	12	2	3	2	19	–	10	–	2	12
478.	सलावतिया	–	36	–	5	41	1	17	–	7	25
479.	विजोलिया खुर्द	1	10	–	2	13	1	–	1	–	2
480.	कल्याणपुरा	–	1	–	1	2	–	5	1	–	6
481.	मानगु जी	–	6	–	3	9	–	–	–	–	–
482.	मानपुरा	2	5	–	2	9	–	72	1	6	79
483.	उमाजी का खेडा	–	4	1	1	6	–	–	–	1	1
484.	गोविन्द निवास	–	4	–	–	4	–	–	–	–	–
485.	तिलसुआ	–	1	–	2	3	–	1	–	–	1
486.	मोटरों का खेडा	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–
487.	नया गांव	1	1	1	–	3	–	8	–	–	8
488.	मेहता जी का खेडा	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–
489.	धाकरखेडी	1	2	–	1	4	–	2	–	1	3
490.	वडीसाल	–	15	–	5	20	–	1	–	–	1
491.	सारना	1	3	–	–	4	–	5	–	–	5
492.	टारोडा	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
493.	कशिया	–	10	–	–	10	–	7	–	1	1
494.	गोवठा	2	30	1	4	37	–	–	–	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
495.	सूरत	11	10	1	2	22	–	4	–	–	4
496.	अनवासा	–	7	2	–	9	–	–	1	–	1
497.	कोतवाल का खेड़ा	1	1	–	–	2	–	–	–	1	1
498.	सांगोली	–	2	3	–	5	–	1	3	3	13
499.	वाहन्दी	10	1	2	1	14	–	11	1	3	15
500.	अमेली	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
501.	लालपुरा	–	1	–	1	7	–	–	–	–	–
502.	लील की खेड़ी	–	12	–	1	13	–	–	–	–	–
503.	वरू खुल्ला	–	–	1	6	7	–	1	–	1	2
504.	चित्तौडिया	–	–	2	1	3	–	–	1	–	1
505.	रायसिंह पुरा	–	–	–	1	1	–	–	2	–	2
506.	महुआ	5	–	–	1	6	–	12	2	4	18
507.	पिताजी का खेड़ा	1	–	–	–	1	–	2	–	1	2
508.	फलसिया	5	–	–	–	5	–	3	1	1	5
509.	विलोली	5	–	–	–	5	–	–	–	–	–
510.	नया नगर	9	–	–	–	9	–	4	–	–	4
511.	श्यामगढ़	4	–	–	–	4	–	–	–	–	–
512.	मकारिया	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
513.	सरदार जी का खेड़ा	3	–	–	–	3	–	–	–	–	–
514.	बलदर खेड़ा	1	–	–	–	1	–	–	1	–	1
515.	डाविया	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
516.	केकरिया	4	–	–	–	4	–	–	–	–	–
517.	नाहरगढ़	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
518.	मोहनया खेडा	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–
519.	देसता	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
520.	खगारजी का खेड़ा	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
521.	मोहनपुरा	–	–	–	–	–	1	2	–	–	3
522.	पारोली	9	–	–	–	9	–	–	–	–	–
523.	धामिनिया	–	–	–	–	–	–	1	–	2	3
524.	हिंगोनिया	–	–	–	–	–	–	17	1	4	22
525.	जालारी	–	–	–	–	–	–	11	–	–	11
526.	देवीसिंह का खेड़ा	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
527.	विद का खेडा	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2
528	वी ेद	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2
529.	मखनपुरिया	–	–	–	–	–	–	11	–	–	11
530.	गालोली	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
531.	किशन जी खेडा	–	–	–	–	–	–	2	–	1	3
532.	बीथलपुरा	–	–	–	–	–	–	1	1	1	3
533.	वलदपुरा	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
534.	सुरपुरा	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
535.	लोध्रुयाना	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
546.	जसजी का खेडा	–	–	–	–	–	–	15	1	6	22
537.	सारथला	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
538.	चौहानलिया	–	–	–	–	–	9	–	–	–	3
539.	जाल का खेडा	–	–	–	–	–	9	–	–	–	9
540.	कुचोलया खेडा	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
541.	गोथरा	–	–	–	–	–	3	–	–	–	3
542.	श्रीनगर	–	–	–	–	–	9	–	–	–	9
543.	वागथाला	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
544.	मान्डल	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
545.	वीकमपुरा	–	–	–	–	–	5	–	–	–	5
546.	मानपुरा	–	–	–	–	–	10	–	–	–	10
547.	वदरीपुरा	–	5	–	–	5	–	1	–	–	1
548.	विलेथा	–	3	–	–	3	–	–	1	1	2

399
1678

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
549.	विजेया	–	1	–	1	2	–	1	–	1	2
550.	सकरगढ़	7	10	–	–	24	–	2	1	–	3
551.	भांवला गुडा	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–
552.	रावतों का खेडा	–	4	–	–	4	–	–	–	–	5
553.	संगमचूरी	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
554.	अमरगढ़	–	11	3	7	21	4	7	–	4	16
555.	कुचलवाडा खुर्द	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
556.	धार	3	–	2	2	5	–	2	–	–	2
557.	गान्डी थला	1	4	1	1	7	–	–	1	–	1
558.	लाल का खेडा	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
559.	बिन्दी	1	–	–	–	1	5	–	–	–	–
560.	वागवास	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–
561.	मोतीपुरा	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–
562.	तलवारिया	–	5	–	1	6	–	–	–	–	–
563.	लुहारिया खुर्द	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
564.	तरनियाखेडा	4	–	–	1	5	–	–	–	–	–
565.	टिवेडी	–	2	–	–	2	–	–	–	–	1
566.	गंगा का खेडा	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
567.	रामगढ़	7	1	–	–	8	–	–	–	–	–
568.	पांचपुरा	4	–	1	–	5	–	2	–	–	2
569.	बरलापोलिया	3	3	–	–	6	–	–	–	–	–
570.	गुहाला	3	1	–	–	4	–	–	–	–	–
571.	रामगढ़	1	–	–	–	1	–	7	–	–	7
572.	वाई	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
573.	रालावतों का खेडा	4	–	–	–	4	–	–	–	–	–
574.	फतेहपुरा	4	–	–	–	4	–	–	–	–	–
575.	वोही	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–
576.	गुरदर	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
577.	मांजीपुरा	–	4	–	–	4	–	–	–	–	–
578.	रामपुरा	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
579.	डाबला	–	1	–	–	1	–	2	–	1	3
580.	भीलडी	2	–	–	1	3	–	1	–	–	1
581.	ढांडला	–	–	–	–	–	–	18	–	3	2
582.	मगनपुरा	–	–	–	–	–	–	5	–	–	5
583.	गरमगढ़	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
584.	गोदली	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
585.	मोरलान	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1
586.	तालोदी	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
587.	नाथून	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
588.	वारोई	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
589.	पान्डर	–	16	–	2	18	–	5	–	–	5
590.	खुरडिया	–	3	–	1	5	–	5	–	3	8
591.	जालमपुरा	–	3	–	–	3	2	2	–	–	4
592.	जहाजपुर	3	45	–	12	60	1	4	–	4	5
593.	अमरवासी	–	6	–	–	6	–	6	1	5	–
594.	उरना	–	6	–	3	9	–	7	2	3	–
595.	काजोरी	–	11	1	1	13	–	6	1	1	–
596.	सरसियामाली	–	1	–	–	1	–	3	–	–	–
597.	कुच्छलवाड़ा	–	5	–	4	9	–	6	3	3	–
598.	हितुन्डा	–	2	–	–	2	–	9	–	–	–
599.	लुहाडी खुर्द	–	2	–	–	2	–	5	–	1	–
600.	पीपलून्द	–	3	–	1	4	1	6	1	2	–
601.	भंवरपुरा	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–
602.	जामली	–	5	–	1	6	–	4	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
603.	टीकी	6	15	–	–	15	–	3	–	–	–
604.	हतुनिया	–	4	–	–	10	–	1	1	–	–
605.	विहाड़ा	6	–	–	1	1	–	3	–	–	–
606.	सकरपुरा	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
607.	छाबडिया	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
608.	रावतखेडा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
609.	लीलीन	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1
610.	सरसिया थला	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
611.	लुहाड्या	2	–	–	–	2	–	–	9	1	1
612.	चानसर	1	54	–	–	5	5	8	–	1	15
613.	लाडवास	2	2	1	1	6	6	2	–	3	14
614.	घुढाला	–	3	1	1	5	–	3	–	2	11
615.	गोकुलपुरा	–	1	–	–	1	–	–	–	–	5
616.	वांकली	3	1	–	4	4	9	1	1	1	–
617.	चौहानो की खेडी	–	5	–	–	5	–	–	–	–	12
618.	चोगों का खेडा	3	2	–	–	5	9	–	–	–	–
619.	काशीरामजी की खेड़ा	–	1	–	–	1	1	–	–	–	9
620.	नानकपुरा	–	1	1	–	2	–	3	–	–	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
621.	वनियास	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–
622.	वन्ध की कवडी	–	1	–	–	1	–	–	1	–	1
623.	हरिपुरा	–	–	1	–	1	1	10	–	1	12
624.	राजपुरा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
625.	गागास	–	–	–	–	–	–	17	–	4	21
626.	वावडी	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
627.	नवलपुरा	–	6	–	–	6	–	–	1	–	1
628.	मालास	–	–	1	–	1	–	–	1	–	1
629.	जोरावरपुरा	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
630.	गोपालपुरा	–	–	–	–	–	6	–	1	–	7
631.	भालरी खेडा	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
632.	रेह	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
633.	सिरड़ियास	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
634.	गणेशपुरा	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
635.	थावला	–	–	–	–	–	2	–	–	–	2
636.	दौलतपुरा	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
637.	भीमलियास	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
638.	रूपपुरा	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
639.	कावरडिया	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
640.	मालियास	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1

परिशिष्ट 15

अतारांकित प्रश्न संख्या 604 की सूची

क्र. संख्या 1	नाम आसामी मय पता 2	खसरा नम्बर मय रकबा 3	कार्यवाही 4
1.	मथुरादास ब्राह्मण पुजारी मन्दिर लालजी महाराज गढी बाबा सामलदास	4758 लगा. 4770 4775 लगा. 4778 4932 लगा. 4947 4954 लगा. 4961 4971, 4973 लगा. 4991 रकबा 69)3	91, L. R. Act की कार्यवाही जेर कार है ।
2.	बृजेन्द्रसिह पुत्र बस्तीलाल जाट सा., जगीना	$\frac{4787}{2/4}$ $\frac{4788}{1/4}$ $\frac{4849}{1\mid\mid)}$ $\frac{4850}{2\mid)}$ $\frac{4851}{1)1}$ $\frac{4852}{\mid\mid2}$ $\frac{4853}{1\mid3}$ $\frac{4854}{1\mid4}$ $\frac{4855}{1\mid\mid2}$ $\frac{4783}{14}$ $\frac{4784}{3\mid\mid3}$ $\frac{4789}{4)}$ $\frac{4790}{2\mid2}$ रकवा 26।4	फसल को कुर्क किया जाकर कब्जे राज लेकर सुपुर्दगी में दिया गया ।

1	2	3	4
3.	अमरसिंह पुत्र मोहरसिंह जाट, जघीना	$\frac{4997}{1/2}$ $\frac{4998}{1/4.}$ $\frac{4999}{1)}$ $\frac{5000}{1।।3}$ $\frac{5007}{2।।2}$ $\frac{5008}{2।।1}$ रकबा 9।3	सुपुर्दगार की रिपोर्ट पर कि अतिक्रमियों द्वारा फसल जबरन काटी जा रही है SHO रमेर को F. I R. दर्ज कराई जा चुकी है।
4.	वासदेव पुत्र रामखिलाड़ी जार, जघीना	$\frac{4781}{1।।।2}$ $\frac{4782}{)3}$ $\frac{4785}{1/2}$ $\frac{4786}{1।1}$ $\frac{4925}{।।।3}$ $\frac{4926}{1।4}$ $\frac{4927}{।।1}$ $\frac{4929}{)3}$ $\frac{4950}{1/3}$ $\frac{4951}{।।।4}$ $\frac{4958}{1/3}$ $\frac{4949}{।।3}$ 492।4 रकबा 11।3	फसल को दि. 8-2-84 को कब्जे राज लिया जाकर दि. 8-2-84 को ही सुपुर्दगी में दिया गया।
5.	चन्दनसिंह पुत्र दरबारसिंह जाट, जघीना	$\frac{4795}{1।1}$ $\frac{4796}{1।1}$ $\frac{4798}{2/1}$ $\frac{4799}{8/1}$ 12।।4	
6.	महावीर S/o गजेन्द्रसिंह जाट, जघीना	4565 लगा. 4568, 4563, 4818 4814, 4827, 4828, 4830,	

1	2	3	4
		4831, 4832, 4833, 4876, 4877, 7878 रकबा 33/1	
7.	कपूर S/o किशनसिंह जाट, जवीना	4825/7।।2 4848/7।।।1 रकबा 15।3	दि. 21-3-84 को F.I.R. दर्ज कराई जा चुकी है।
8.	रघुवीर S/o गजेन्द्र जाट, जवीना	4740/4।1 47[illegible]9/2/ 4742/।।।1 4743/।।/ 4744/1/2, कुल रकबा 7।।4	
9.	प्रतापसिंह पुत्र जोड़ जाट, जवीना	4791/3/1 4792/4।।3 4793/2।।4 4824/5/2 रकबा 15।।/	
10.	हीरासिंह पुत्र सूरजमल जाट, जवीना	4707/1/3 4707/।।2 4708/1/1 4710/।।2 4711/।।/ 4712/।।।1 4713/।4 4714/।1	

1	2	3	4
		4715/1।।3 4716/।।2 4717/।।1 4718/।।2 कुल 10।।2	
11.	निहालसिंह S/o किरोडीसिंह जाट, जघीना	4823/2।)1 4826/3)2 4821/1।3 4822/1।।1 रकबा 9।)2	
12.	बलवीरसिंह S/o प्रतापसिंह फो. जघीना	4709/1)3 4801/2।2 4802/2) 4803/2। 4804/2)3 4800/।) रकबा 10।।1	
13.	निरंजन S/o नत्थी जाट सा., जघीना	4724/4) 4725/।) 4726/1)2 4727/2।2 4728/2।4 4729/2)2 4730/।) रकबा 13।।)	

1	2	3	4
14.	बनैसिंह S/o फतेहसिंह जाट, जघीना	4732/)4 4733/1॥2 4734/1।1 4735/1॥) 4737/2॥1 4738/4) रकबा 11)3 4535/1॥॥1 4536/1॥॥2 4537/4)4 4239/॥3) 4840/॥॥) 4841/2।2 4842/10॥3 रकबा 22।)	
15.	करतारसिंह S/o निहालसिंह जाट, जघीना	4486/4॥) 4487/4।2 4879/4।) रकबा 13)2	
16.	हीरा S/o अजमतसिंह फौ., जघीना	4484/4।3 4485/3॥) 4880/1॥॥1 4883/2॥ रकबा 12)4	
17.	दखसिंह S/o किरोडी जाट, जघीना	4815/[illegible] 4836/3॥) 4837/5॥॥4 रकबा 16॥3	

1	2	3	4
18.	हीरासिंह S/o रामलाल जाट, जघीना	4805/3)2 4806/1)) 4807/2॥3 4812/1)4	
		4819/2॥3 रकबा 11।2	
19.	श्यामसिंह S/o रामसिंह जाट, जघीना	4838/2)2 4539/2)3 4564/2) 4838/3।2) रकबा 9॥2	
20.	अमरसिंह S/o हुकमसिंह जाट, जघीना	4813/4॥) 4816/1॥4 4817/॥2 4820/2॥2 4829/3)3	
21.	हरीदत्त S/o जैदा फौजदार, बमनपुरा	4821/2)2 4881/1॥) 4884/2।2 4885/1॥4 रकबा 8)3	
22.	हरीचन्द S/o रामजीलाल जाट, जघीना	4719/॥) 4720/1)) 4721/1॥)1 4722/॥4	
		4723/1॥)1 4794/1॥) 4797/3)4 रकबा 11।)	